गौरवमयी 48 वर्ष

वार्षिक रिपोर्ट 2023-24

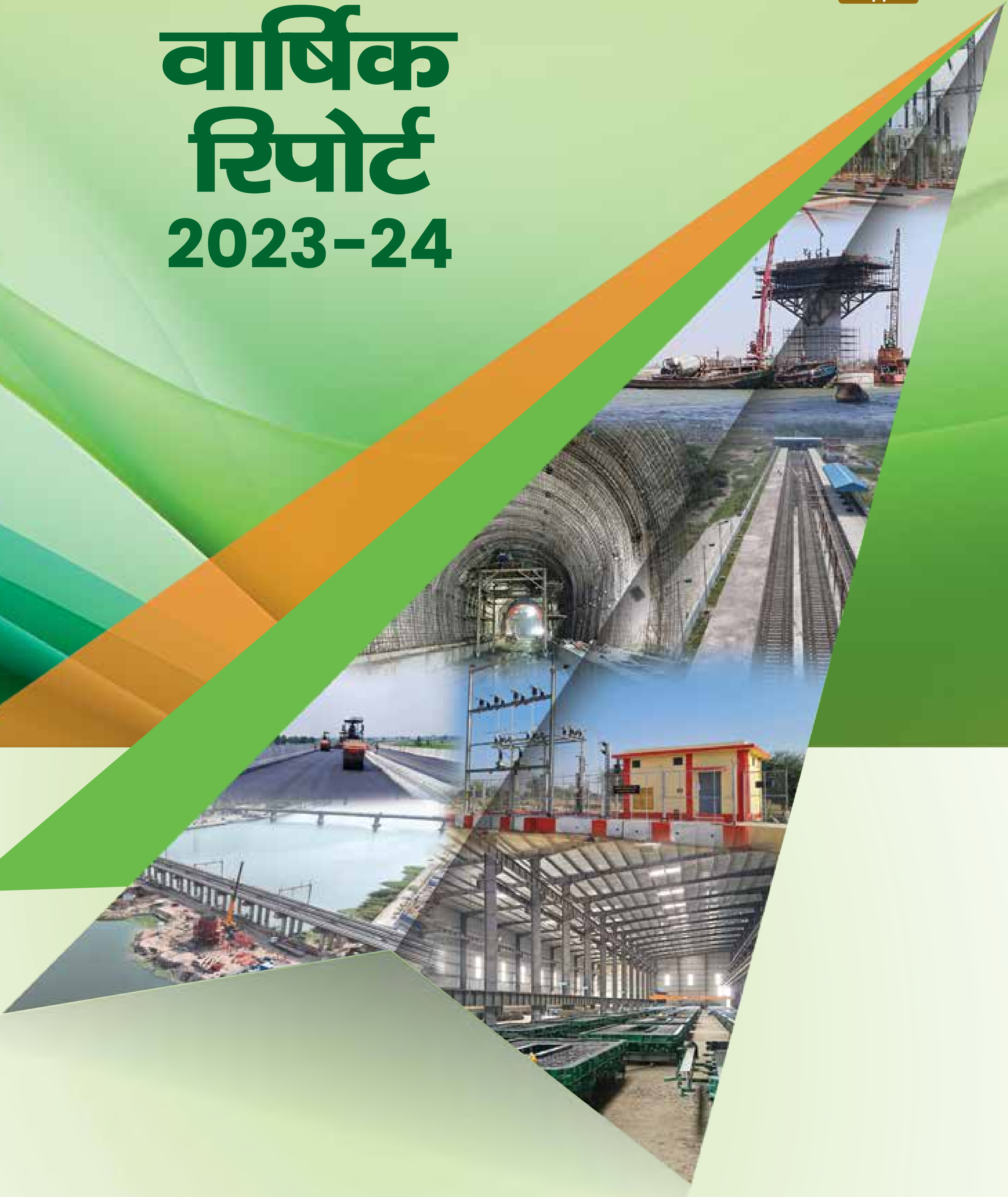

इरकॉन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

नवरत्न कंपनी

IRCON

विषय सूची

कॉर्पोरेट अवलोकन	
इरकॉन एक नज़र में	3
हमारा सेवा पोर्टफोलियो	4
अध्यक्ष का वक्तव्य	7
निदेशक मंडल	11
वरिष्ठ अधिकारी	15
घरेलू परियोजनाएँ	17
विदेशी परियोजनाएँ	21
हमारे पुरस्कार और मान्यताएँ	22
वित्त वर्ष 24 के दौरान सीएसआर गतिविधियाँ	23
मुख्य प्रदर्शन संकेतक (स्टैंडएअलोन)	25
वित्तीय हाइलाइट्स (स्टैंडएअलोन)	26
प्रबंधन रिपोर्ट	
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	27
बोर्ड की रिपोर्ट	47
कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	74
व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट	103
सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट	139
प्रबंधन उत्तर के साथ सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	144
संबंधित पार्टी लेनदेन (फ़ॉर्म एओसी-2)	147
स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण	
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	154
बैलेंस शीट	181
लाभ और हानि का विवरण	183
नकदी प्रवाह का विवरण	184
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	186
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स	187
सी एवं एजी टिप्पणियाँ	263
समेकित वित्तीय विवरण	
सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं [एओसी-1]	266
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	269
बैलेंस शीट	290
लाभ और हानि का विवरण	292
नकदी प्रवाह का विवरण	294
इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	296
वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स	297
सी एवं एजी टिप्पणियाँ	387

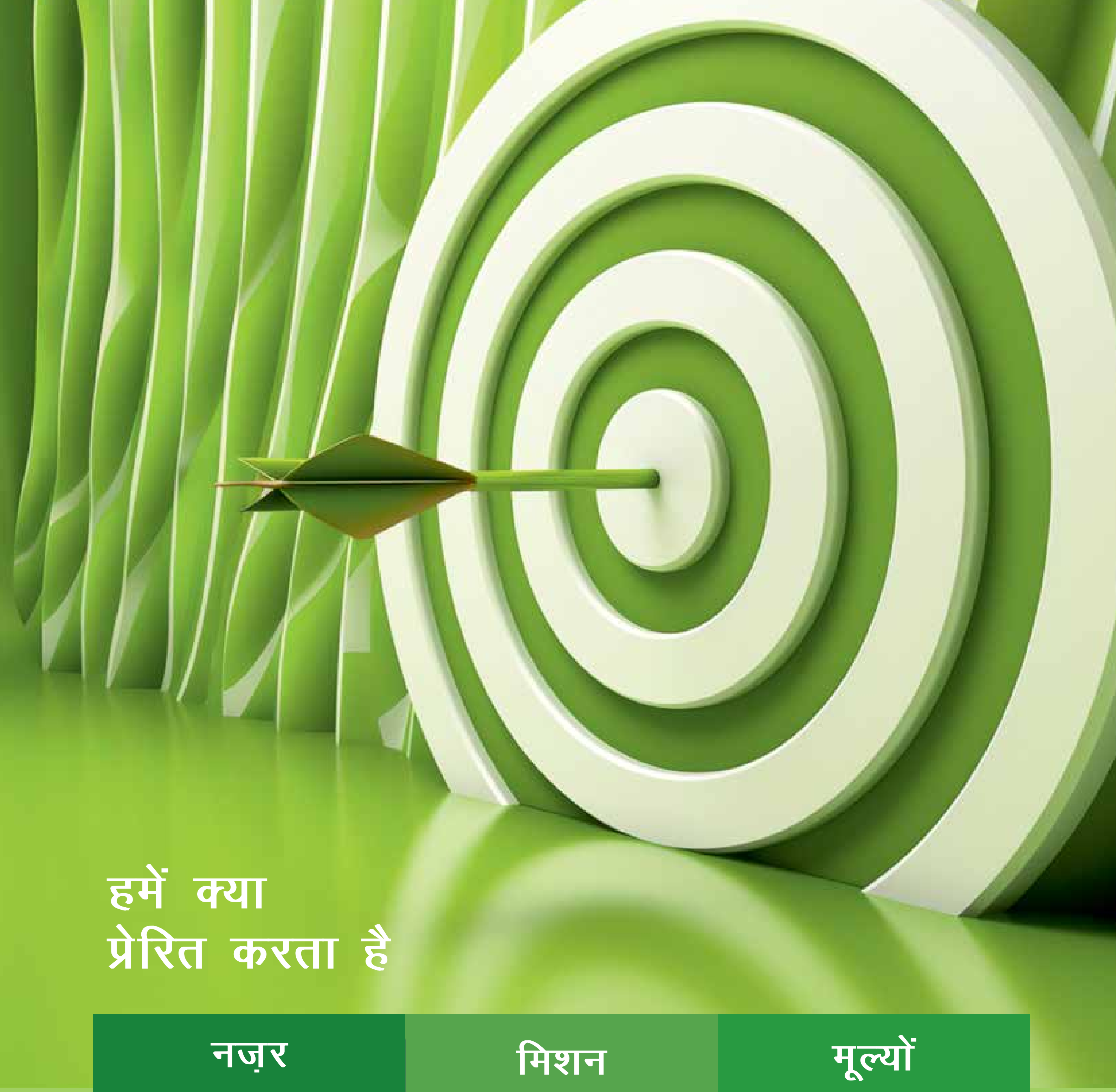

हमें क्या प्रेरित करता है

नज़र

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निर्माण गतिविधियों और सेवाओं के संपूर्ण स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ के साथ तुलनीय निर्माण संगठन के रूप में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करना।

मिशन

हमारा मिशन कंपनी को प्रभावी ढंग से स्थापित करना है ताकि भारत और विदेशों में बदलते आर्थिक परिदृश्य की निर्माण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। हमारा लक्ष्य समय पर और सर्वोत्तम इंजीनियरिंग प्रथाओं के अनुरूप उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करके वैश्विक मान्यता प्राप्त करना है।

मूल्यों

- रचनात्मक दृष्टिकोण
- टीमवर्क
- प्रदर्शन उत्कृष्टता
- काम और व्यवहार में ईमानदारी
- जिम्मेदार और जवाबदेह होना

कॉर्पोरेट सूचना

पंजीकृत कार्यालय
सी–4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली–110017
टेलीफोन: 91–11–26530266 फैक्स: 91–11–26522000 / 26854000
ईमेल: info@ircon.org वेबसाइट: www.ircon.org
सीआईएन: L45203DL1976GOI008171

कंपनी सचिव
श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल

मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं मुख्य ग्राहक संबंध अधिकारी
श्री बी. मुगुंथन

वैधानिक लेखा परीक्षक
मेसर्स रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट

लागत लेखा परीक्षक
मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी
लागत लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक
मेसर्स वीएपी एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

आंतरिक लेखा परीक्षक
मेसर्स ए.एम.ए.ए. एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

बैंकर्स
इंडियन ओवरसीज बैंक, एचडीएफसी बैंक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक
आईडीबीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक

रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट
अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड
205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स,
झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055
वेबसाइट: www.alankit.com ईमेल: rta@alankit.com
टोल फ्री नंबर: 011–42541234 / 23541234

सूचीबद्ध शेयर
बीएसई लिमिटेड (बीएसई)
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

डिपॉजिटरी
नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL)
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (CDSL)

स्क्रिप कोड
बीएसई: 541956
एनएसई: इरकॉन

आईएसआईएन नं.
INE962Y01021

31 मार्च, 2024 को

पूरी की गई परियोजनाएँ

घरेलू
401

विदेशी (25 देशों में)
128

निष्पादित कार्य
रेलवे ट्रैक
5564 टीकेएम

सड़कें एवं राजमार्ग
6807 कि.मी.

सुरंगों
157 कि.मी.

रेलवे विद्युतीकरण
9654 आरकेएम

इमारतों
1.56 मि वर्गमीटर

आरओबीएस
159

सिग्नलिंग एवं दूरसंचार
455 स्टेशन

1500 किलोमीटर ओएफसी नेटवर्क 2178 नेटवर्क तत्वों को जोड़ रहा है

इरकॉन विहंगावलोकन

इरकॉन, एक **नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र** उपक्रम है जो प्रमुख बुनियादी ढाँचा क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाली एक तेजी से बढ़ती एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है।

हमारे प्रमाणन

एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी
गुणवत्ता, पर्यावरण,
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा
प्रबंधन प्रणालियों के लिए मान्यता प्राप्त है

क्रेडिट रेटिंग:

'केयर एएए; स्थिर/केयर ए1+'
इरकॉन की दीर्घकालिक बैंक सुविधा के लिए।

रैंकिंग (2023)

यूएसए ईएनआर
निर्माण कंपनियाँ
229वीं स्थान

फॉर्च्यून इंडिया 500
205वीं स्थान

बीएस 1000
राजस्व (मार्च 2024)
142वीं स्थान

हमारा सेवा प्रोफाइल

इंजीनियरिंग, प्राषण एवं निर्माण

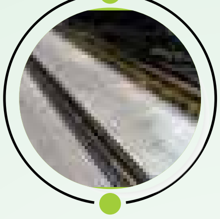

परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श

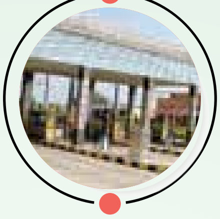

सार्वजनिक निजी कंपनी भागीदारी

रियल इस्टेट

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी)

इरकॉन ने समय के साथ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक सेवाएं प्रदान करने में विशेषज्ञता हासिल की है। इन–हाउस डिज़ाइन क्षमता के साथ – सिविल, यॉंत्रिक, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और दूरसंचार के क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञ, विभिन्न ग्राहकों के लिए विभिन्न वित्तपोषण योजनाओं के तहत घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में काम करने के व्यापक अनुभव के साथ ईपीसी परियोजनाओं को लेने के लिए बेहतर स्थिति में हैं। इरकॉन ने अपने कामकाज में सर्वोत्तम प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को अपनाया है जो इरकॉन की एक अनूठी ताकत है।

इरकॉन के पास जटिल परियोजनाओं को स्वयं पूरा करने के लिए निर्माण उपकरण और मशीनें हैं। ईपीसी मोड के तहत परियोजनाओं को इरकॉन द्वारा डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन और वैल्यू इंजीनियरिंग के माध्यम से कुशलतापूर्वक निष्पादित किया जाता है।

प्रमुख वस्तुओं के लिए केंद्रीकृत खरीद प्रणाली प्रतिस्पर्धी दरें उपलब्ध कराती है। जिन परियोजनाओं में 50–60 प्रतिशत खरीद घर में ही की जाती है, काम का शेष हिस्सा पारदर्शी प्रणाली के माध्यम से नियुक्त उप–ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है। परियोजना को संधारणीय प्रथाओं का पालन करते हुए निष्पादित किया जाता है। परियोजनाओं को निष्पादित करते समय पर्यावरण और समुदाय के संबंध में उचित विचार सुनिश्चित किया जाता है। मजबूत आईटी सक्षम अनुबंध प्रबंधन उपकरणों के साथ परियोजना वितरण अधिकतम दक्षता के साथ सुनिश्चित किया जाता है और लागत और आइटम ओवर–रन से बचा जाता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

हम टोल, वार्षिक संस्थान और मिश्रित वार्षिक संस्थान के आधार पर DAFOT पैटर्न के तहत राज्य सरकार और अन्य हितधारकों के साथ संयुक्त उद्यम मॉडल के माध्यम से रेलवे क्षेत्र में पीपीपी परियोजनाओं की श्रेणी में प्रमुख सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन और समय पर पूरा होने के लिए, हमारे पास वित्तीय क्षमता के साथ–साथ अनुभवी डिजाइनरों, तकनीकी कर्मियों और कौशल परियोजना प्रबंधन पेशेवरों की एक अच्छी तरह से तैनात टीम है।

परियोजना प्रबंधन एवं परामर्श (पीएमसी)

हम परियोजनाओं के पूरे स्पेक्ट्रम में नियोजन से लेकर कमीशनिंग तक व्यापक विस्तृत च्डब् सेवाएँ प्रदान करते हैं। ये PMC रेलवे साइडिंग, राजमार्गों, रेलवे और सड़क के ऊपर पुलों के निर्माण, इमारतों आदि के लिए या तो हमारे द्वारा या हमारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल) के माध्यम से प्रदान की जाती हैंरू हमारे पास बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में च्डब् कार्यों को करने के लिए परियोजना प्रबंधन, गुणवत्ता प्रबंधन और अनुबंध प्रबंधन पेशेवरों की एक समर्पित टीम है।

रियल एस्टेट (आरई)

हम कार्यालय रियल्टी स्थानों का विकास, निर्माण और पट्टे पर देने तथा वाणिज्यिक अचल संपत्ति के विकास का कार्य करते हैं।

विविधीकृत वैश्विक अवसंरचना पीएसयू

"इरकॉन, चरम स्थानों पर परियोजनाओं सहित उच्च गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करने में अपनी विशेषज्ञता के साथ, क्षेत्रीय और भौगोलिक कवरेज दोनों के संदर्भ में विविधीकृत अवसंरचना खिलाड़ी पर सक्रिय रूप से ध्यान केंद्रित कर रहा है और अग्रणी है।"

सेवा प्रदान की गई उद्योग क्षेत्र

- रेलवे (अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक)
- राजमार्ग
- पुल और फ्लाईओवर
- इमारतों
- विमान हैंगर
- सौर
- वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय
- औद्योगिक क्षेत्रों का विकास
- विद्युत और यांत्रिक
- ओएचई सब–स्टेशन
- सुरंगें
- रनवे और हैंगर

प्रमुख निष्पादित कार्य

रेलवे कार्यकारी कार्य

स्टेप 1 – सिग्नलिंग और दूरसंचार: 455 स्टेशन; 1500 कि.मी. ओएफसी नेटवर्क; कनेक्टिंग 2178 नेटवर्क तत्व

स्टेप 2 – आरओबीएस: 159 नं.

स्टेप 3 – सुरंग: 157 कि.मी.

स्टेप 4 – मेट्रो: 348 टी.कि.मी.

रेलवे कार्यकारी कार्य

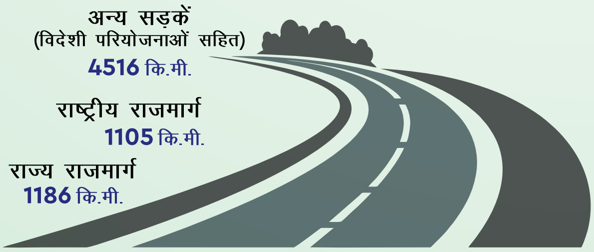

अन्य सड़कें (विदेशी परियोजनाओं सहित) 4516 कि.मी.

राष्ट्रीय राजमार्ग 1105 कि.मी.

राज्य राजमार्ग 1186 कि.मी.

इमारतों

1.56 मिलियन वर्गमीटर

विश्वसनीय व्यावसायिक सुदृढता

31 मार्च, 2024 तक

(रुपये करोड़ में)

परियोजना की स्थिति – ऑर्डर बुक (₹ 27,208 करोड़)

घरेलू (24,350 करोड़ रुपये)

विदेशी (2,858 करोड़ रुपये)

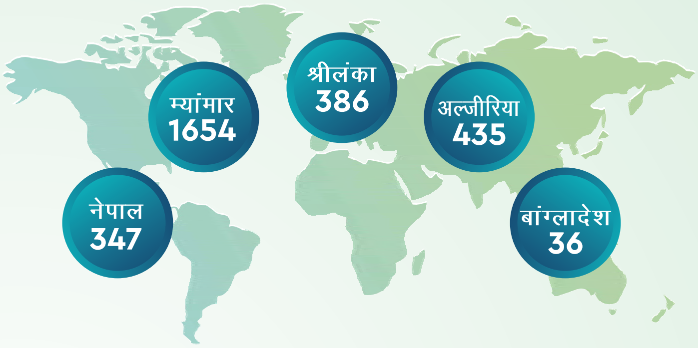

भौगोलिक पदचिह्न

128
परियोजनाएँ

25+
देश

इराक, ईरान, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम, अंगोला, जॉर्डन, तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, अल्जीरिया, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, लाइबेरिया, सीरिया, तंजानिया, जाम्बिया, ब्राजील, मोजाम्बिक, इथियोपिया, श्रीलंका, ब्राजील भूटान, म्यांमार

अध्यक्ष महोदय का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

आपकी कंपनी की 48वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना और आपको वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आपकी कंपनी के प्रदर्शन और कंपनी की नई पहलों और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी देना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा वित्तीय प्रदर्शन सराहनीय रहा है, जिसमें मजबूत राजस्व वृद्धि और बढ़ी हुई लाभप्रदता शामिल है। एकल आधार पर, आपकी कंपनी ने ₹12387.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10261.63 करोड़) का अब तक का सबसे अधिक कुल कारोबार हासिल किया है, जो 20.72% की वृद्धि दर्शाता है; समेकित आधार पर भी, कुल कारोबार में 19.73% की वृद्धि दर्ज की गई और यह ₹12870.52 करोड़ (पिछले वर्ष ₹10749.89 करोड़) रहा।

कंपनी के पास बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में विविध क्षेत्रों में क्षमता और अनुभव है। पीएमसी, ईपीसी के साथ–साथ पीपीपी परियोजनाओं में भी इसकी विशेषज्ञता है।

मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी के लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए, केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी का दर्जा मिनी रत्न श्रेणी I से बढ़ाकर नवरत्न कर दिया है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी मिलती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कंपनी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगी।

भारत और विदेशों में प्राप्त की गई संविदाएं

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, आपकी कंपनी को भारत में पाँच परियोजनाएँ प्रदान की गईं, जैसे कि एनएफआर के लिए जिरीबाम – इम्फाल नई रेलवे लाइन परियोजना के लिए एसएंडटी कार्य; एसईआर के लिए बंडामुंडा के एक्सचेंज यार्ड में डिटैचमेंट फ्री रेक परीक्षा सुविधाओं (चरण–II) के संबंध में समग्र कार्य; एमएसएमई के लिए भारत भर में प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी की नियुक्ति; एनएचआईडीसीएल के लिए ईपीसी मोड पर मिजोरम में 2.5 किलोमीटर लंबी ट्विन ट्यूब यूनिडायरेक्शनल आइजोल बाईपास सुरंग का निर्माण; एमएसएमई के लिए भारत भर में प्रौद्योगिकी केंद्रों/विस्तार केंद्रों की स्थापना के लिए मशीनरी, संयंत्र और उपकरण सहित सामान की खरीद शामिल है।

कंपनी विदेशों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखती है, और बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्रीलंका, नेपाल और म्यांमार में इसकी परियोजनाएँ चल रही हैं। अपने व्यवसाय और भौगोलिक फोकस में विविधता लाने के द्वारा, कंपनी व्यवसाय की मात्रा और लाभ को अधिकतम करने के लिए परियोजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को सुरक्षित करने का प्रयास करती है।

वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय विशिष्टताएं:

स्टैंडएलोन आधार पर, अब तक का सबसे अधिक कुल टर्नओवर प्राप्त दर्ज करने के अतिरिक्त, हमने वित्त वर्ष 2023–24 में ₹ 11950.40 करोड़ का अब तक का सबसे अधिक परिचालन कारोबार भी दर्ज किया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹ 9921.20 करोड़ था, जो 20.45% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कर से पहले लाभ (PBT) ₹ 1155.54 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹ 883.19 करोड़ की तुलना में

30.84% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 2023–24 में कर के बाद लाभ (पीएटी) ₹ 862.90 करोड़ रहा, जो पिछले वित्त वर्ष में ₹ 776.83 करोड़ की तुलना में 11.08% की वृद्धि दर्शाता है। आपकी कंपनी की निवल संपत्ति 31.03.2024 को 11.46% बढ़कर ₹ 5771.76 करोड़ हो गई, जबकि 31.03.2023 को यह ₹ 5178.48 करोड़ थी।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, रेलवे क्षेत्र ने हमारे परिचालन कारोबार में लगभग 84% का योगदान दिया और राजमार्ग/अन्य क्षेत्र से परिचालन कारोबार लगभग 16% था।

समेकित आधार पर, कंपनी का शानदार वित्तीय प्रदर्शन वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान परिचालन कारोबार में 18.93% की उछाल से स्पष्ट है, जो ₹ 12330.91 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 10367.93 करोड़) तक पहुंच गया। हमने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए ₹ 929.51 करोड़ का समेकित निवल लाभ हासिल किया है, जबकि पिछले वर्ष यह ₹ 765.23 करोड़ था, जो 21.47% की वृद्धि दर्शाता है।

इसके अलावा, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वैधानिक लेखा परीक्षकों ने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई योग्यता या टिप्पणी नहीं दी है और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एव एजी) ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 'शून्य' टिप्पणियां दी हैं।

दिनांक 30.06.2024 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामः

इस तिमाही के लिए कुल आय वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के 2,693 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,278 करोड़ रुपये रही; परिचालन से राजस्व वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के 2,626 करोड़ रुपये के मुकाबले 2,180 करोड़ रुपये रहा। इस तिमाही के लिए कर पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2023–24 की पहली तिमाही के ₹162 करोड़ से 9.2% बढ़कर ₹177 करोड़ हो गया है।

लाभांशः

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 2 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य के 1.80 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया है। अंतरिम लाभांश के अलावा, आपकी कंपनी ने 2 रुपये प्रति शेयर अंकित मूल्य के 1.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है। इसके साथ वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश भुगतान चुकता इक्विटी शेयर पूंजी पर 155% होगा, जो कुल मिलाकर ₹ 291.56 करोड़ (लगभग) होगा, जो वित्त वर्ष 2023–24 के कर–पश्चात लाभ का 33.79% और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निवल मूल्य का 5.05% है।

प्रस्तावित अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2023–24 तक शेयरधारकों को भुगतान किया जाने वाला संचयी लाभांश लगभग 300 करोड़ रुपए होगा।

शेयर पूंजीः

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान चुकता शेयर पूंजी ₹188.10 करोड़ थी। 31 मार्च, 2024 तक प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 65.17% थी। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 8.01% विनिवेश किया था। आपकी कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के अनुसार न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकता का अनुपालन करती है।

इरकॉन समूह की कंपनियां

वर्तमान में, इरकॉन समूह में ग्यारह सहायक कंपनियां और सात संयुक्त उद्यम कंपनियां शामिल हैं, जिनका विवरण बोर्ड की रिपोर्ट में दिया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान इरकॉन द्वारा अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए निवेश, दिए गए ऋण और दी गई गारंटियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट्स का हिस्सा है।

रेटिंग और प्रशस्तियाँ

रेल मंत्रालय, भारत सरकार के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के संदर्भ में, आपकी कंपनी को वर्ष 2022–23 के लिए ''उत्कृष्ट'' रेटिंग दी गई है।

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2023 संस्करण के अनुसार, इरकॉन एकमात्र भारतीय पीएसयू है जो शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों के साथ–साथ शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची में जगह बनाने में सफल रहा है। इसके अलावा, मार्च 2024 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को 2023 में कुल राजस्व के आधार पर 142वां स्थान दिया गया है और 'निर्माण और बुनियादी ढाँचा' क्षेत्र के तहत 5वें स्थान पर है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में भी इरकॉन को 2023 में 205वां स्थान मिला है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इरकॉन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे; (1) ''उधमपुर – श्रीनगर – बारामुल्ला नई बीजी रेल लाइन – धरम – काजीगुंड सेक्शन पर सुरंग टी –49 का निर्माण'' परियोजना के लिए ''उत्कृष्ट सुरंग संरचना'' के लिए सीई एंड सीआर वार्षिक पुरस्कार; (2) 'गवर्नेंस नाउ' 10वां पीएसयू पुरस्कार – सीएसआर प्रतिबद्धता और राष्ट्र निर्माण के लिए 'गवर्नेंस नाउ' 10वां पीएसयू पुरस्कार; (3) डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार – इंजीनियरिंग और निर्माण सेवा क्षेत्र में ईएसजी चैंपियंस ऑफ इंडिया 2024; (4) रेल एनालिसिस इंडिया द्वारा सिविल इंजीनियरिंग, परीक्षण और रेल परियोजनाओं की कमीशनिंग में उत्कृष्टता; (5) कंस्ट्रक्शन एमओयू वर्ल्ड द्वारा शीर्ष चौलेंजर 2022–23 पुरस्कार परामर्श सेवाएँ (केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)' श्रेणी।

कॉर्पोरेट शासन

हम पूरी तरह से जानते हैं कि दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के ठोस सिद्धात आवश्यक हैं हम इन सिद्धान्तों के दायरे में कार्य कर रहे हैं। उत्तरदायी व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साकार करने में, हम एक सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन नीति और आचार संहिता को अपनाकर नैतिक व्यवसाय संचालन और सर्वोत्तम पद्धतियों के उच्चतम मानकों का पालन कर रहे हैं। आपकी कंपनी, सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015, कंपनी अधिनियम 201, और डीपीआई कॉर्पोरेट गवर्नेस दिशानिर्देश, 2010 और अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं में निहित प्रावधानों का अनुपालन कर रही है।

सेबी विनियमन और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन पर एक प्रमाण पत्र निदेशकों की रिपोर्ट का भाग है। आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन के अनुपालन में, स्व–मूल्यांकन के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए 'उत्कृष्ट' रेटिंग प्राप्त की है।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)

हमारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ई.एस.जी.) फ्रेमवर्क, इरकॉन के साथ–साथ इसकी सहायक कंपनियों में कंपनी संचालन के सभी पहलुओं में लागू किया गया है। हमारी कॉर्पोरेट नीतियों का लक्ष्य स्थिर, विवेकपूर्ण और सतत विकास प्राप्त करना है। हम जिम्मेदार व्यवसाय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए नैतिक व्यावसायिक आचरण के उच्चतम मानकों का पालन करते हैं।

हम लगातार उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं जिनमें हम काम करते हैं। एक कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में हमने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) गतिविधियों पर ₹11.65 करोड़ खर्च किए हैं, जबकि इसके लिए ₹11.64 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। डीपीई द्वारा घोषित वार्षिक थीम 'स्वास्थ्य और पोषण' पर ध्यान केंद्रित करते हुए और अपने सीएसआर के तहत आकांक्षी जिलों को वरीयता देने के लिए, कंपनी ने स्वास्थ्य शिविर आयोजित करके, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करके, लड़कियों के लिए खेल गतिविधियाँ आयोजित करके, सरकारी स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाएँ और फर्नीचर प्रदान करके 14 आकांक्षी जिलों में कई सीएसआर परियोजनाएँ लागू की हैं। हमने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष (पीएम केयर्स फंड) में ₹0.67 करोड़ का योगदान भी दिया है।

मानव संसाधन, हमारी सर्वोत्तम संपत्ति

इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए कि कर्मचारी किसी संगठन की सफलता की कुंजी होते हैं, कंपनी की नीतियों को कर्मचारियों के ज्ञान, क्षमता, कौशल और उत्पादकता में निरंतर सुधार करने के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने के तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यह दर्शन कि कर्मचारी किसी संगठन की सफलता की कुंजी हैं, इन नीतियों के विकास का कारण बना है। कर्मचारी भागीदारी को साझेदारी के रूप में बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें संगठन के भीतर सकारात्मक कार्य और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए उनके पेशेवर विकास, कल्याण और विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

कंपनी का मानना है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित, सक्षम और प्रतिबद्ध कर्मचारियों को बनाए रखना और हमारे कार्यबल का विस्तार करना जो नए विचारों, रणनीतियों और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, अंततः कंपनी की दक्षता में सुधार करने में मदद करेंगे। 31 मार्च, 2024 तक हमारे मानव संसाधनों की कुल ताकत 1270 थी, जिसमें 155 नए कर्मचारी कार्यरत थे।

सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्तिकरण

प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से पारदर्शिता और दक्षता के स्तर में सुधार की प्रक्रिया में, इरकॉन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में एसएपी एस/4 हाना को अपग्रेड करने की प्रक्रिया में है। एसएपी एस/4 हाना का उपयोग पहले से ही वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन कार्यों में काफी हद तक किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से कागज रहित कार्यालय पहल की दिशा में एक कदम के रूप में इरकॉन में ई–ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। एस4–हाना के साथ–साथ ई–ऑफिस का कार्यान्वयन एक दूसरे के साथ संयोजन में होगा, और इसने इरकॉन को पूरे संगठन में लगभग कागज रहित आवश्यकता के साथ आगे बढ़ने में मदद की है।

आपकी कंपनी ने साइबर और सोशल इंजीनियरिंग हमलों से लड़ने के लिए एक साइबर संकट प्रबंधन योजना तैयार की है। साइबर हमलों की घटनाओं को रिकॉर्ड और आगे के मार्गदर्शन के लिए क्रेट–इन को रिपोर्ट किया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि आईटी अनुप्रयोगों और आईटी बुनियादी ढांचे का उचित साइबर सुरक्षा लेखा परीक्षा उद्योग अभ्यास और मानदंडों के अनुसार किया जाए। कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं।

दक्षता और पारदर्शिता के लिए, जेम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस) और सीपीपी पोर्टल (सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल) के माध्यम से ई–प्रोक्योरमेंट को संगठन में व्यापक रूप से अपनाया गया है। सूचना साझा करने और व्यावसायिक संचार के लिए कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन सहयोग उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, अत्याधुनिक एआई आधारित ऑनलाइन मीटिंग पर आधारित समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का व्यापक रूप से प्रोजेक्ट कार्यालयों, प्रशिक्षणों, पदोन्नति साक्षात्कारों और अनुबंध प्रबंधन मुद्दों, बोर्ड की बैठकों, इसकी समितियों और आम बैठकों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।

भविष्य का दृष्टिकोण

भारतीय रेलवे तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम अर्थात ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर को लागू करने की योजना बना रहा है। मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। वे रसद दक्षता में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। इन प्रणालियों के विस्तार को बड़े शहरों में पारगमन–उन्मुख विकास पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता की जाएगी।

बजट 2024–25 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय 11.11% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4: होगा। बजट 2023–24 के अनुसार, रेलवे और सड़क एवं राजमार्गों के लिए क्रमशः 2.52 लाख करोड़ रुपये और 2.72 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है, जो अब तक का सबसे अधिक परिव्यय है।

इरकॉन को रेलवे और सड़क परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ परिवहन बुनियादी ढांचे में उद्योग के नेताओं में से एक के रूप में लंबे समय से प्रतिष्ठा प्राप्त है। उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और उच्च कारोबार प्राप्त करने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय ताकत दोनों के संदर्भ में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति को भुनाने का इरादा रखते हैं। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम विकास के नए इंजनों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति पर काम करने की योजना बना रहे हैं। हम इन परियोजनाओं द्वारा पेश किए गए स्वस्थ लाभ मार्जिन को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं।

हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न अवसरंचना ढांचागत उपाय, हमें अपने हमें पूरा भरोसा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न बुनियादी ढाँचा पहल हमें भविष्य में अपने विकास को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। हमारा मानना है कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण इन तरीकों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। अच्छे अनुभव और ठोस प्रदर्शन के साथ, हम अपने व्यवसाय में स्थिर वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं।

आभारोक्ति

मैं, इरकॉन में सहयोग और विश्वास के लिए सभी पूर्ववर्ती और वर्तमान बोर्ड सदस्यों, हमारे शेयरधारकों और अन्य सभी हितधारकों का सहृदय आभार प्रकट करता हूँ। निदेशक मंडल की ओर से, मैं इस अवसर पर कंपनी के सभी पूर्व और वर्तमान कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिए अपना आभार और सराहना व्यक्त करता हूँ। कंपनी हमारे मूल रेल मंत्रालय के साथ–साथ अन्य मंत्रालयों जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग, विदेश मामले, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास और अन्य सरकारी विभागों से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन के लिए आभारी है, यानी नवरत्न उन्नयन, एमओयू, ओएफएस और अन्य संबंधित मामलों के लिए वित्त मंत्रालय के तहत डीपीई के साथ हमारा सहयोग, जो बहुत सहायक और मददगार रहे हैं। हम भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकर्स, कंपनी के सांविधिक, शाखा, लागत, सचिवीय और आंतरिक लेखा परीक्षकों, विदेश में भारतीय दूतावासों और मिशनों, भारत में विदेशी मिशनों और दूतावासों, एक्जिम बैंक, ईसीजीसी लिमिटेड, आव्रजन संरक्षक, पासपोर्ट प्राधिकरण और भारत और विदेशों में हमारे सम्मानित ग्राहकों से प्राप्त समर्थन के लिए भी आभारी हैं। उनके अटूट प्रयासों, समर्पण , ईमानदारी और प्रतिबद्धता ने कंपनी के अब तक के उच्चतम कार्यनिष्पादन को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

शुभकामनाओं सहित,
ह०/–
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 13 अगस्त, 2024
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक मंडल

श्री हरि मोहन गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ

श्री हरि मोहन गुप्ता (डीआईएनः 08453476) भारतीय रेलवे के 1989 परीक्षा बैच (इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, आईईएस–89) के अधिकारी हैं। उन्होंने 1988 में रुड़की विश्वविद्यालय (जिसे अब आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है) से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इरकॉन में शामिल होने से पहले, उन्होंने लगभग चार वर्षों तक समर्पित फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल) में निदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर) के पद पर कार्य किया। इस दौरान, उन्होंने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के 1404 रूट किलोमीटर (3173 ट्रैक किलोमीटर) डबल लाइन के विद्युतीकरण और ऑटोमैटिक सिग्नलिंग को कमीशन किया।

उन्होंने 23 अप्रैल 2019 से 12 अक्टूबर 2020 तक नई दिल्ली में रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) के रूप में कार्य किया।

मंत्रालय में शामिल होने से पहले, उन्होंने डीएफसीसीआईएल संगठन के वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के रेवाड़ी–दादरी सेक्शन के एक चुनौतीपूर्ण और प्रतिष्ठित परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में सात वर्षों तक प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रेवाड़ी, अलवर, मेवात, गुड़गांव, पलवल, फरीदाबाद, और यूपी के जीबी नगर) के सात प्रमुख जिलों में भूमि अधिग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सभी जिलों में वन स्वीकृतियां प्राप्त कीं और अरावली पहाड़ियों में एक सुरंग बनाने की विशेष अनुमति प्राप्त की। उनके कार्यकाल के दौरान परियोजना के सभी डिज़ाइन और ड्राइंग को अंतिम रूप दिया गया और संरेखण के साथ–साथ निर्माण गतिविधियाँ बड़े पैमाने पर शुरू की गईं।

श्री गुप्ता को रेलवे ट्रैक नेटवर्क के रखरखाव, मरम्मत, संचालन और ओवरहालिंग के विशाल अनुभव के साथ–साथ रेलवे ट्रैक मशीनों की जिम्मेदारी, निविदा/अनुबंध फाइनलाइजेशन/मध्यस्थता/क्षेत्रीय रेलवे के प्रशासन में भी अनुभव है। रेलवे बोर्ड में कार्यकारी निदेशक (वर्क्स) के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने ज़ोनल रेलवेज़ की परियोजनाओं की निगरानी, वित्तपोषण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया।

वह एक बहुत ही जुनूनी और मेहनती व्यक्ति हैं और नेतृत्व के प्रति उनकी दृष्टिकोण हमेशा टीम के प्रत्येक सदस्य के इनपुट को स्वीकार करने, उनकी प्रेरणा को ऊंचा रखने और परियोजना को मिशन मोड में आगे बढ़ाने की रही है। वह ईमानदारी, अखंडता, धैर्य और एक स्वस्थ कार्य संस्कृति की शक्ति में विश्वास करते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा विभिन्न विभागों, वरिष्ठों और कनिष्ठकों के बीच अच्छे अंतरसंबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। इससे न केवल उनके काम में सामंजस्य स्थापित हुआ है, बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों और अधिकारियों से तेजी से अनुमोद और स्वीकृतियां प्राप्त करने में भी मदद मिली है।

श्रीमती रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)

हमारी कंपनी की निदेशक (वित्त) **श्रीमती रागिनी आडवाणी** (डीआईएनः 09575213) हैं। वह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एकाउंटेंट हैं, जिन्हें वित्त के क्षेत्र में लगभग 25 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। वह चार्टर्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंटेंसी दोनों परीक्षाओं में रैंक होल्डर रही हैं।

इरकॉन में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, उन्होंने तेल और गैस क्षेत्र की तकनीकी परामर्शदाता सीपीएसई, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल), में महाप्रबंधक (एफएंडए) के रूप में काम किया है और वह लेखांकन की प्रभारी थीं तथा उन्होंने सीएजी/सांविधिक लेखापरीक्षकों, सभी विपणन प्रस्तावों की सहमति और विपणन वित्त, बिलिंग और संबंधित मामलों, बजट और एमआईएस और व्यवसाय विकास प्रस्ताव के क्षेत्र में कार्य किया है। वह 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष कार्यालय के भाग के रूप में भी कार्यरत रहीं और उन्होंने ईआईएल में लगभग एक वर्ष के लिए कंपनी सचिवालय विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला था।

उनके पूर्व अनुभवों में एनटीपीसी सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एनएसपीसीएल) और केपीएमजी शामिल हैं। उनके पास कॉर्पोरेट वित्त में समृद्ध और विविध अनुभव है. जिसमें मूल्यांकन, विलय/डिमर्जर और अधिग्रहण, वित्तीय पुनर्गठन, ट्रेजरी प्रबंधन, ऋण वित्तपोषण की व्यवस्था, कॉर्पोरेट योजना और बजट, वाणिज्यिक बिलिंग और ई–नीलामी के माध्यम से कोयले की खरीद, नियमित एमआईएस, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ संव्यवहार, टैरिफ ऑर्डर को अंतिम रूप देने के लिए सीईआरसी के साथ संव्यवहार करना और लंबी अवधि के पीपीए पर हस्ताक्षर करना शामिल है। वह वित्त मामलों के संबंध में ईआईएल के इन–हाउस वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रमों की विषय वस्तु विशेषज्ञ/संरक्षक श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त) भी रही हैं। यह इरकॉन कार्यालय में 19 अप्रैल 2022 से कार्यरत हैं।

श्री पराग वर्मा
निदेशक (कार्य)

श्री पराग वर्मा (डीआईएनः 05272169) 1991 में इरकॉन में शामिल हुए। श्री वर्मा इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर हैं और उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसंरचना परियोजनाओं पर काम करने का 33 से अधिक वर्षों का अनुभव है। उनकी मुख्य ताकत परियोजना योजना, अनुमान और परियोजनाओं की संरचना और निष्पादन में निहित है। उन्हें (i) भारत और विदेश में रेलवे और राजमार्गों की मेट्रो परियोजनाओं सहित रेलवे विद्युतीकरण कार्यों के कमीशनिंग; (ii) माता–पिता संगठन के लिए पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों की स्थापना का अनुभव है। निदेशक के रूप में उनके अनुभव में व्यापार विकास, रेलवे विद्युतीकरण और समान कार्य शामिल हैं। निदेशक (कार्य) के रूप में शामिल होने से पहले, वह इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडी) के पहले मुख्य परिचालन अधिकारी थे और उन्होंने पीपीपी मॉडल पर भारत में स्टेशन विकास कार्यक्रम की संपूर्ण अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और पीपीपी मॉडल पर भारतीय रेलवे पर स्टेशन विकास की पहली परियोजना को सफलतापूर्वक प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित करने में मदद की थी। निदेशक (कार्य) के रूप में शामिल होने से पहले, वह कार्यपालक निदेशक (इंफ्रास्ट्रक्चर) थे और वह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राजमार्ग, भवन और रियल एस्टेट और व्यवसाय विकास देख रहे थे। वह न केवल कंपनी की स्वस्थ ऑर्डर बुक बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, बल्कि उनकी देखरेख में हाई–स्पीड रेलवे, बैलास्टलेस स्लैब ट्रैक और राजमार्ग सुरंग और बड़े पुलों में नए क्षेत्रों में कार्यों को सुरक्षित और निष्पादित किया गया है। उनके हालिया उपलब्धियों में क़ाज़ीगुंड–बारामुला रेल लिंक परियोजना के तीन ब्लॉक सेक्शनों की कमीशनिंग, 1000 आरकेएम से अधिक आरई कार्यों की कमीशनिंग और बांग्लादेश में खुलना–मोंगला रेल लिंक परियोजना के 65 किलो की कमीशनिंग शामिल है।

श्री आनंद कुमार सिंह
निदेशक (परियोजनाएं)

श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएनः 07918656) आई.आई.टी दिल्ली से सिविल इंजीनियर और एम.डी.आई. गुरुग्राम से एम.बी.ए. (वित्त) हैं। उन्होंने जनवरी 1990 में भारतीय रेलवे सेवा के एक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और रेलवे अवसंरचना (26 वर्ष से अधिक) और राजमार्ग अवसंरचना (8 वर्ष से अधिक) के विकास में 34 वर्षों से अधिक का अनुभव लाए हैं।

श्री सिंह ने 2016–2019 के दौरान एन.एच.ए. आई बोर्ड में निदेशक (परियोजना) के रूप में 3 वर्षों तक सेवा की और प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया। उनके अनुभव में परियोजना योजना, व्यवहार्यता मूल्यांकन, निवेश रणनीति, वित्तपोषण, निविदा पुरस्कार, निर्माण, परियोजना परामर्श, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ओ एंड एम आदि शामिल हैं। उनके परियोजना कार्यान्वयन विशेषज्ञता में नई लाइन, डबलिंग, सुरंग, उन्नत गलियारे, अत्याधुनिक पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, एक्सप्रेसवे, तटीय राजमार्ग, लॉजिस्टिक्स, विद्युत प्रणाली स्थापना आदि के निर्माण के लिए समय सीमा से पहले पूरा करना शामिल है।

श्री सिंह ने सभी मौजूदा परियोजना कार्यान्वयन विधियों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जैसे आइटम रेट ईपीसी, एफआईडीआईसी, ईपीसी (टर्न की), पीपीपी, ओएमटी, एचएएम, टीओटी मॉडल, उनके उपलब्धियों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण, इनवीआईटी, विनिवेश, धन जुटाने, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का विपणन, विदेशी निवेश आकर्षित करना और व्यवसाय विकास शामिल है।

श्री सिंह ने नए ईपीसी (टर्न की) मॉडल समझौते (एमसीए) की शुरुआत में एक अग्रणी भूमिका निभाई है, पीपीपी के कठिन दौर के बाद इसमें सुधार किया है और एचएएम और टीओटी विनिवेश के नए परियोजना मॉडल लॉन्च किए हैं। उन्होंने अनुबंध प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में नेतृत्व किया है और बड़ी संख्या में विवाद समाधान, तकनीकी और अनुबंधात्मक व्याख्या समितियों और निपटान सलाहकारियों का नेतृत्व किया है, जिससे कई अटकी परियोजनाओं को आउट ऑफ द बॉक्स सोच और नवाचार हस्तक्षेपों द्वारा बचाया गया है। उन्होंने एचआर एवं प्रशासन, आईटी और लीगल वर्टिकल्स का भी नेतृत्व किया है और कई अभूतपूर्व उपलब्धियों को हासिल किया है।

श्री सिंह समावेशी नेतृत्व के माध्यम से मूल्य सृजन और सभी हितधारकों और निवेशकों के लिए तालमेल बनाने में विश्वास रखते हैं।

श्री बृजेश कुमार गुप्ता
सरकारी नामित
(अंशकालिक (आधिकारिक), निदेशक

श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएनः 10092756) ने माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआईटीएस), ग्वालियर से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री (बी.ई. – सिविल) और आईआईटी दिल्ली से एप्लाइड मैकेनिक्स में स्नातकोत्तर डिग्री (एम.टेक) प्राप्त की है।

वे भारतीय रेलवे इंजीनियर सेवा (आईआरएसए) के 1985 बैच से हैं। वह भारतीय इंस्टीट्यूट परमानेंट वे इंजीनियर्स (आईआईपीडब्ल्यूई), नई दिल्ली के सदस्य भी हैं। उन्होंने अक्टूबर 2018 में कार्नेगी मेलॉन यूनिवर्सिटी, पिट्सबर्ग, यूएसए में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम और जुलाई 2017 में एसडीए बोक्कोनी बिजनेस स्कूल, मिलान, इटली में लीडरशिप प्रोग्राम का प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

वर्तमान में वे रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य (सिविल इंजीनियर) के रूप में कार्यरत हैं। रेलवे में उनके पास 38 वर्षों से अधिक का समृद्ध और विविध अनुभव है, विशेष रूप से रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन और प्रबंधन में। उन्होंने रेलवे में कई महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है जैसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) [उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर और पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर], मुख्य सुरक्षा अधिकारी ख्पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर,, मंडल रेल प्रबंधक [मध्य रेलवे, नागपुर]।

उन्हें लगातार 2020–21 और 2021–22 में रेलवे मंत्री की सिविल इंजीनियरिंग निर्माण शील्ड से सम्मानित किया गया था, जब वे सीएओ/सी/उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर के रूप में कार्यरत थे, और 2013–14 और 2014–15 में पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए उन्हें जोनल सुरक्षा शील्ड से सम्मानित किया गया था। नागपुर डिवीजन के मंडल रेल प्रबंधक के रूप में अपने दो साल के कार्यकाल के दौरान, नागपुर डिवीजन को दोनों वर्षों में मध्य रेलवे में सर्वश्रेष्ठ डिवीजन के रूप में आंका गया था। इसके अलावा, उन्हें 1994–95 में जोधपुर–जैसलमेर (300 किमी) सेक्शन के गेज परिवर्तन को रिकॉर्ड समय में पूरा करने के लिए रेल मंत्रालय स्तर पर एक टीम के सदस्य के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था, जब वे उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण/जोधपुर के रूप में कार्यरत थे।

श्री धनंजय सिंह
सरकारी नामित
(अंशकालिक (आधिकारिक), निदेशक

श्री धनंजय सिंह (डीआईएनः 08955500), को लखनऊ विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री प्राप्त हैं। वे वर्तमान में कार्यकारी निदेशक (कार्य), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के रूप में कार्यरत हैं। वर्तमान कार्यभार से पूर्व, उन्होंने निदेशक (कार्य) (रेलवे बोर्ड) वरिष्ठ मंडल अभियंता (उत्तर रेलवे) सहित विभिन्न कार्य पदों पर रेलवे बोर्ड में कार्य किया है। वह मुंबई रेल विकास निगम में उप मुख्य परियोजना प्रबंधक के रूप में प्रतिनियुक्ति पर थे। वह दिनांक 10 नवंबर 2020 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।

श्री अजय कुमार चौहान
स्वतंत्र (अंशकालिक (गैर–सरकारी)]
निदेशक

श्री अजय कुमार चौहान स्वतंत्र (अंशकालीन) गैर सरकारी) निदेशक

ऑस्ट्रेलिया से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री (1994–1996), दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से एम.फिल (औद्योगिक मनोविज्ञान) (1981–1983), दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से एम.ए. (मनोविज्ञान), जिसमें उन्होंने विशिष्टता प्राप्त की (1979–1981), अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, भारत से मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान और इतिहास में बी.ए. (ऑनर्स) की शिक्षा प्राप्त की है। वह 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी हैं और इन्होंने आयकर विभाग में सभी कार्यात्मक विभागों में महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। इन्होंने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में महानिदेशक के पद पर भी कार्यरत रहे हैं।

इन्हें बिजनेस स्कूल (सिडनी विश्वविद्यालय) में सराहनीय निष्पादन के लिए उन्हें एशियाई विकास बैंक (एडीबी), फिलीपींस से बिजनेस स्कूल छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। उन्हें राष्ट्रमंडल विनिमय कार्यक्रम के तहत ऑस्ट्रेलिया, सिडनी में विदेशी प्रतिनियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नामित किया गया था।

विदेशी प्रतिनियुक्ति के अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने एडवांस डिपेंडेंट, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस, सिडनी विश्वविद्यालय में व्यापार रणनीति पाठ्यक्रम, ऑन–ऑफिशियल ऑस्ट्रेलिया के भाग के रूप में महत्वपूर्ण क्षेत्र परियोजनाएं को निष्पादित किया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, पेनफोल्ड वाइन पीएलसी में रेल व्यवसाय की उभरती हुई कॉर्पोरेट संरचना, बाजार विस्तार की नीतियाँ शामिल हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों पर लेख लिखे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में करदाताओं पर कर निहितार्थ पर फ्रिज बेनिफिट टैक्स अध्ययन, पर्यटन उद्योग समस्याएं, आयकर इक्विटीय ऑस्ट्रेलियाई वास्तविकता उजागर और ऑस्ट्रेलियन टैक्स रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च स्टडी 1996 पर शोध पत्र लिखें हैं। वे दिनांक 11 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं। श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डीआईएनरू 09398271) पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हैं।

श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता
स्वतंत्र (अंशकालिक (गैर–सरकारी)]
निदेशक

श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डीआईएनः 09398271) पटना विश्वविद्यालय से स्नातक हैं। उन्हें प्रबंधन, बिक्री और विपणन के क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है। वह व्यवसाय और कृषि में सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। वह एक समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने वर्ष 2015 से 2018 की अवधि के लिए नेहरू युवा केंद्र में राज्य सलाहकार के रूप में कार्य किया है और वर्ष 2010 से 2013 की अवधि के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति में जिला सलाहकार के रूप में कार्य किया है। वह जिला कार्यक्रम क्रियावन समिति 2007 (20) कार्यक्रम) के सदस्य भी रहे हैं। वह 16 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में कार्यरत हैं।

श्रीमती रंजना उपाध्याय
स्वतंत्र (अंशकालिक (गैर–सरकारी)]
निदेशक

श्रीमती रंजना उपाध्याय (डीआईएन 07787711) महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट, सतना, मध्य प्रदेश से पत्रकारिता में स्नातक और पत्रकारिता में परास्नातक हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वे हिंदुस्तान टाइम्स (2002–2004) की लेखिका रही हैं, सिटी न्यूज, चित्रकूट की संपादक और समाचार वाचक (2003–2007) रही हैं। इसके अलावा, वह दृष्टि, नेत्रहीन लोगों के लिए एक एनजीओ और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के जीवन, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए एक गैर–सरकारी संगठन, भारत कल्याण मंच की सक्रिय सदस्य हैं। वह 16 नवंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।

डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र
स्वतंत्र (अंशकालिक (गैर–सरकारी)]
निदेशक

डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र (डीआईएनः 09453387), एक एम.बी.बी.एस, डीसीएच हैं। वे 1991 से गुजरात के वलसाड में कलरव चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञ हैं। वे दक्षिण गुजरात के एक प्रख्यात बाल रोग विशेषज्ञ हैं और उनके पास अत्याधुनिक सुविधाओं वाला एक सुसज्जित अस्पताल है, जहाँ वे पिछले 29 वर्षों से चिकित्सा का अभ्यास और समुदाय की सेवा कर रहे हैं। वे वलसाड के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष थे और लगातार पाँच वर्षों तक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स वलसाड के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे एक परोपकारी व्यक्ति हैं जो समाज की सेवा करने और समुदाय को मजबूत करने में विश्वास करते हैं जैसा कि उनकी कई पहलों से पता चलता है। वे 10 से अधिक सामाजिक संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। वे विद्याभारती से संबद्ध स्कूल "श्री सरस्वती शिशु मंदिर" के उपाध्यक्ष ट्रस्टी हैं, जहाँ निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले 800 से अधिक छात्र उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। वह माता–पिता के लिए ''राष्ट्र निर्माण के लिए आदर्श पालन–पोषण'' विषय पर कई कार्यक्रम सक्रिय रूप से कर रहे हैं। वह डॉक्टरों के लिए एक प्रेरक वक्ता हैं, इस विषय पर – एक डॉक्टर का आदर्श जीवन''। वह एक कवि हैं और उन्होंने हिंदी, गुजराती और कच्छी भाषा में कविताएँ लिखी हैं और देशभक्ति को मुख्य विषय बनाकर कई कवि सम्मेलनों में कवि के रूप में भाग लिया है। वह हिमालयन ट्रेकर और अच्छे स्टेज आर्टिस्ट (अभिनय) भी हैं। उन्होंने उड़ान (उन्नत देश–आदर्श नागरिक) फाउंडेशन की स्थापना की है – एक अनूठा जागरूकता कार्यक्रम जिसका प्रबंधन और संचालन उनके और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों की उनकी देशभक्त टीम द्वारा किया जाता है। वह 31 दिसंबर, 2021 से इरकॉन के बोर्ड में हैं।

वरिष्ठ अधिकारी

श्री योगेश कुमार मिश्रा
कार्यकारी निदेशक/अवसंरचना

श्री बी. मुगुन्थुन
कार्यकारी निदेशक/वित्त

श्री सुरेन्द्र सिंह
कार्यकारी निदेशक/परियोजना

श्री नवीन बाबू
कार्यकारी निदेशक/जम्मू और कश्मीर

श्री विनोद कुमार गुप्ता
कार्यकारी निदेशक/कार्य

श्री राजीव कुमार सिन्हा
कार्यकारी निदेशक/विशेष कार्य

श्री देबय्जोती कुमार
कार्यकारी निदेशक/विद्युत

वरिष्ठ अधिकारी

श्री एच.डी. डोड्डैया
परियोजना निदेशक/वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे

श्री मोहिंदर सिंह
परियोजना निदेशक/सिवोक रंगपो

श्री सीतेश कुमार सिंह
परियोजना निदेशक/डीएफसीसी

श्री जयशंकर वी.के.
परियोजना निदेशक/अल्जीरिया

घरेलू परियोजनाएं

लालकुआं टीएसएस छोर पर 132 केवी केबल समापन, आरई पीकेजी–5

132 केवी–25 केवी बदरपुर घाट टीएसएस, आरई पीकेजी–2, लुमडिंग परियोजना

भोज एंड रोड कार्य का क्षेत्रीय दृश्य

ब्रिज नंबर 138, यूएसबीआरएल परियोजना

पियर कैप की कास्टिंग

डीएफसी परियोजना के वेदछा में रेल निर्माण खंड का कार्य पूरा हुआ

रंगपो यार्ड में आर.ई. दीवार का निर्माण

डीबीएम बिछाना, गुड़गांव रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना

घरेलू परियोजनाएं

चेन्नई मेट्रो परियोजना के पूनमल्ली डिपो का ड्रोन फोटो

हरिद्वार बाईपास परियोजना के प्रमुख पुल पर गर्डर लॉन्चिंग और उप संरचना का कार्य प्रगति पर

आईपीएस कक्ष, मुरादाबाद एस एंड टी परियोजना

कटनी ग्रेड सेपरेटर परियोजना

खारी स्टेशन भवन

कोरिचापार यार्ड

एमएएचएसआर सी–7 (2)

एमएएचएसआर सी–7

घरेलू परियोजनाएं

एनएमजेड टीएसएस, आरई पीकेजी–7

कोरीछापर से धरमजयगढ़ सेक्शन में ओएचई कार्य

ओडब्ल्यूजी निर्माण Br. 02, सिवोक रंगपो में प्रगति पर है

पालघर आरओबी

237 किमी, MAHSR T-2 पर वायाडक्ट पर आरसी ट्रैक बेड का कार्य

रिले रूम, मुरादाबाद एस एंड टी परियोजना

एलसी 28 के बदले आरओबी, आरओबी गुजरात परियोजना

साथिन रोड एसएसपी, आरई पीकेजी–3

घरेलू परियोजनाएं

T11P1–ओवरट रीइन्फोर्समेंट बाइंडिंग का कार्य प्रगति पर है

गिट्टी रहित ट्रैक पर वेल्डेबल क्रॉसिंग के साथ मोटी वेब कैंटेड टर्नआउट

किम में ट्रैक स्लैब निर्माण कारखाना (टीएसएमएफ)

वायाडक्ट, अगरतला अखौरा रेल लिंक परियोजना

कुआं नींव का कार्य प्रगति पर

विदेशी परियोजाएं

बिजलपुरा स्टेशन

जीएसबी टॉप लेयर लेइंग @KM 3+400, म्यांमार

इनारवा नेपाल कस्टम यार्ड

मोहम्मद नगर यार्ड, बांग्लादेश

मोंगला स्टेशन यार्ड

रेलिज़ेन रेलवे स्टेशन, अल्जीरिया

पुरस्कार और प्रशंसा (2023–24)

कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पुरस्कार और प्रशंसा के साथ निरंतर प्रदर्शन को मान्यता मिली

गवर्नेंस नाउ को 10वां पीएसयू पुरस्कार – सीएसआर प्रतिबद्धता

''उधमपुर–श्रीनगर–बारामुल्ला नई बीजी रेल लाइन – धरम–काजीगुंड खंड पर सुरंग टी–49 का निर्माण'' परियोजना के लिए ''उत्कृष्ट सुरंग संरचना'' के लिए सीई एंड सीआर वार्षिक पुरस्कार।

अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023

रेल एनालिसिस इंडिया द्वारा सिविल इंजीनियरिंग, रेल परियोजनाओं के परीक्षण और कमीशनिंग में उत्कृष्टता

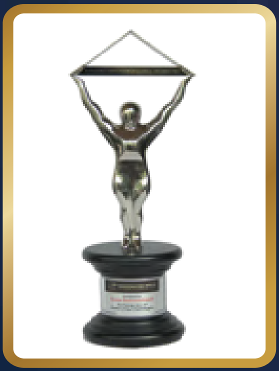

कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड द्वारा टॉप चौलेंजर 2022–23 पुरस्कार

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार – इंजीनियरिंग और निर्माण सेवा क्षेत्र में ईएसजी चौंपियंस ऑफ इंडिया 2024

वित्त वर्ष 2023–24 में आयोजित **सीएसआर गतिविधियाँ**

स्वास्थ्य

उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में नेत्र जांच शिविर एवं चश्मा वितरण। सुश्री श्री गणेशदीन शिक्षा समिति 2023–24

स्थापना 4–उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सरकारी स्कूलों में मिनी विज्ञान केंद्र की स्थापना। सुश्री सम्भावना

सामाजिक

कुपवाड़ा के आकांक्षी जिले में 354 महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देना तथा आत्मरक्षा किट वितरित करना सुश्री खेल, शारीरिक शिक्षा, फिटनेस और अवकाश कौशल परिषद (एसपीईएफएल–एससी)

शिक्षा

स्थापना 4– उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के सरकारी स्कूलों में मिनी विज्ञान केंद्र की स्थापना। सुश्री सम्भावना

मोरीगांव असम में एससी और एसटी महिलाओं को मोबाइल प्राथमिक चिकित्सा कौशल प्रशिक्षण मानव संसाधन के लिए पूर्वोत्तर विकास परिषद 2023–24

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एमएस पैसिफिक क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा 2023–24 में 2 सामुदायिक एपिस पेयजल मशीन की स्थापना

"हमारा पर्यावरण, सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा हमारे व्यावसायिक परिचालनों में एकीकृत है। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण आदि के क्षेत्रों में विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के माध्यम से उन समुदायों पर सकारात्मक प्रभाव डालने का निरंतर प्रयास करते हैं जिनमें हम काम करते हैं।"

सीएसआर खर्च
(वित्त वर्ष 14 से वित्त वर्ष 24 तक)

+ ₹89 करोड़

(₹ करोड़ में)

स्वच्छ भारत स्वच्छता सहित	11.22
ग्रामीण विकास	2.92
कला, संस्कृति और खेल	1.70
स्वास्थ्य एवं पोषण	16.64
स्वच्छ गंगा	5.05
पीएम केयर्स फंड	23.34
शिक्षा एवं कौशल विकास	15.28
अन्य	7.06
वन एवं पर्यावरण	4.30
प्रशासन एवं अन्य लागतें	1.47

वित्त वर्ष 24 में सीएसआर खर्च

+ ₹ 11.65 करोड़

प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (स्टैंडअलोन)

कुल राजस्व/परिचालन राजस्वः

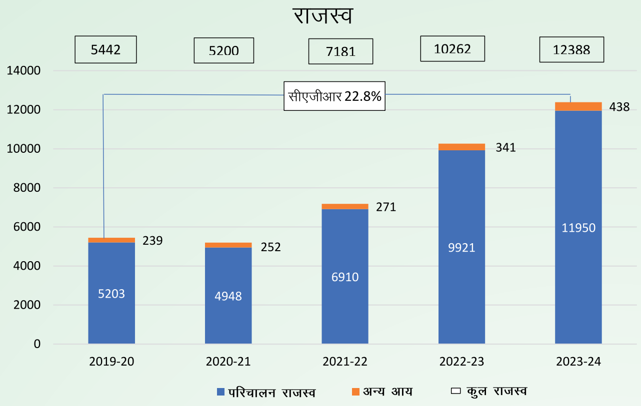

कर पूर्व लाभ (पीबीटी)/नेट वर्थः

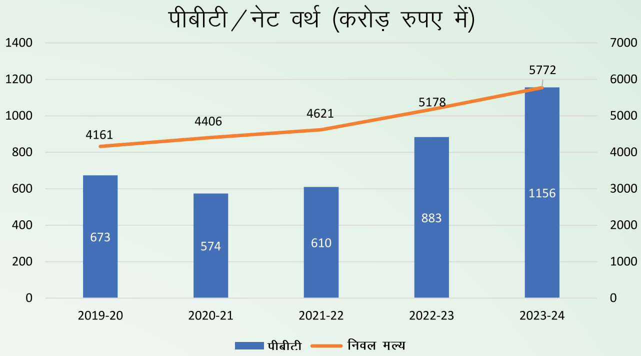

ईबीआईटीडीए/कोर ईबीआईटीडीएः

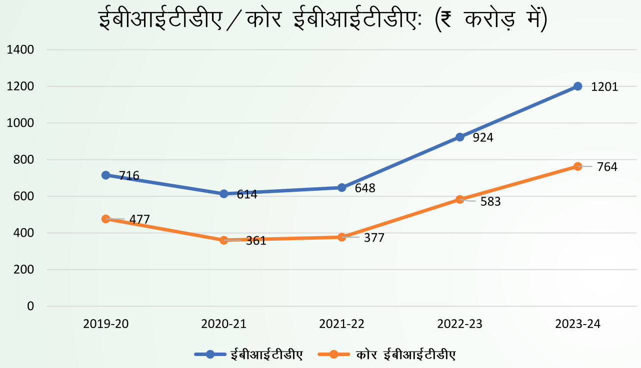

कर पश्चात लाभ (पीएटी)/लाभांशः

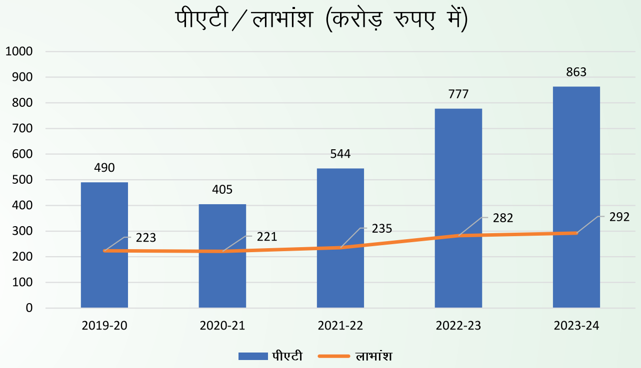

ऑर्डर–बुकः

वित्तीय मुख्य बातें (स्टैंडएअलोन)

(₹ करोड़ में)

क्र सं.	विवरण	इंड ए.एस									आईजीएएपी
		2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
1	**परिचालन से राजस्व**	**11,950**	**9,921**	**6,910**	**4,948**	**5,202**	**4,415**	**3,896**	**2,995**	**2,419**	**2,864**
2	अन्य आय	437	340	271	253	240	264	227	260	442	258
3	कुल आय	12,388	10,262	7,181	5,200	5,442	4,679	4,123	3,254	2,861	3,122
4	वित्त लागत और मूल्यह्रास एवं परिशोधन से पहले व्यय	11,186	9,338	6,534	4,587	4,726	4,037	3,512	2,718	2,187	2,258
5	वित्त लागत	10	3	10	15	27	16	64.53	61	43	9
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	36	38	27	25	16	12	13	18	28	10
7	ब्याज, कर और मूल्यह्रास से पहले आय (ईबीआईटीडी)	1,201	924	647	614	716	642	611	611	673	863
8	ब्याज, कर से पहले आय (ईबीआईटी)	1,165	886	620	589	700	631	598	593	645	853
9	**कर से पहले लाभ**	**1,156**	**883**	**610**	**574**	**673**	**615**	**533**	**532**	**602**	**844**
10	**कर के बाद लाभ**	**863**	**777**	**544**	**405**	**490**	**445**	**391**	**369**	**395**	**579**
11	वर्ष के लिए लाभांश	292	282	235	221	223	203	192	192	168	182
12	शेयर पूंजी	188.10	188.10	188.10	94.05	94.05	94.05	94.05	98.980	19.800	19.800
13	नियोजित पूंजी *	5,772	5,178	4,621	4,406	6,007	6,510	6,952	3,829	3,667	3,354
14	**नेट वर्थ**	**5,772**	**5,178**	**4,621**	**4,406**	**4,161**	**3,950**	**3,752**	**3,829**	**3,667**	**3,354**
15	PBT मार्जिन (%) (PBT / कुल आय)	9.33	8.61	8.49	11.04	12.37	13.14	12.93	16.35	21.04	27.05
16	PAT मार्जिन (%) (PAT / कुल आय)	6.97	7.57	7.58	7.78	9.00	9.51	9.48	11.34	13.81	18.56
17	नेट वर्थ पर रिटर्न (%) (PAT / नेट वर्थ)	14.95	15.00	11.77	9.18	11.77	11.27	10.42	9.64	10.77	17.28
18	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) (EBIT / नियोजित पूंजी)	20.18	17.11	13.42	13.36	11.66	9.69	8.60	15.48	17.59	25.44
19	कर्मचारियों की संख्या (सं.)	1,272	1,341	1,278	1,295	1,369	1,576	1,622	1,496	1,499	1,472
20	प्रति कर्मचारी आय (कुल आय / कर्मचारियों की संख्या)	9.74	7.65	5.62	4.02	3.98	2.97	2.54	2.18	1.91	2.12

*वर्ष 2021 के दौरान, कंपनी ने आईआरएफसी से ऋण और आरएलडीए से वसूली योग्य राशि की भरपाई की है। तदनुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनः प्रस्तुत किए गए हैं।

प्रबंधन विचारविमर्श
और विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

2047 तक विकसित राष्ट्र का दर्जा हासिल करने का भारत का रास्ता काफी हद तक अपने बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर निर्भर करता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले टिकाऊ, जलवायु–लचीले और समावेशी शहरों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इस लक्ष्य के प्रति सरकार का समर्पण वित्त वर्ष 2024 के लिए बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% आवंटन में परिलक्षित होता है, जिसमें परिवहन और रसद क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है।

मजबूत बुनियादी ढांचा रसद लागत को कम करके, दक्षता को बढ़ाकर और कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आर्थिक गतिविधियों को सहारा देता है। बुनियादी ढांचा परियोजनाएं निर्माण के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पैदा करती हैं।

विश्व बैंक के अनुसार, 2036 तक भारत में 600 मिलियन लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे होंगे, जो कि कुल जनसंख्या का लगभग 40% है। इससे पहले से ही तनावग्रस्त भारतीय शहरों के शहरी बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है, क्योंकि स्वच्छ पेयजल, विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, कुशल और सुरक्षित परिवहन आदि की मांग बढ़ गई है।

सरकार की पहल जैसे कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, भारतमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, स्मार्ट सिटी मिशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (AMRUT) अवसंरचना विकास को आगे बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने में सहायक रहे हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, 108 ट्रिलियन रुपये की परियोजनाएँ वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इन पहलों को आर्थिक विकास का समर्थन करने, कनेक्टिविटी में सुधार करने, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा तैयार किया गया है।

ये सरकारी पहल एक मजबूत बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती हैं, जो इसके दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आवश्यक है।

भारत सरकार ने निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कई प्रारूप पेश किए हैं, खास तौर पर सड़कों और राजमार्गों, हवाई अड्डों, औद्योगिक पार्कों और उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों में। निजी इक्विटी–वेंचर कैपिटल फर्मों ने मई 2023 में भारतीय कंपनियों में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (71 सौदों में) का निवेश किया।

भारत के बुनियादी ढांचे के क्षेत्र का भविष्य आशाजनक दिख रहा है, क्योंकि सरकार का ध्यान और निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ रही है। लचीले, टिकाऊ और समावेशी बुनियादी ढांचे के निर्माण पर जोर देने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने और भारत की आबादी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है। जैसे–जैसे भारत अपने 2047 के विजन की ओर आगे बढ़ेगा, बुनियादी ढांचा क्षेत्र देश के विकास का एक महत्वपूर्ण बना रहेगा।

वैश्विक आर्थिक अवलोकन

2021–22 में तीव्र गिरावट के बाद, वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2023 में फिर से बढ़ गया और जीडीपी के 9% से महामारी–पूर्व स्तरों से ऊपर रहा। ऋण संकट में या उसके उच्च जोखिम वाले कम आय वाले देशों और उभरते बाजारों की हिस्सेदारी उच्च बनी रही। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (चीन को छोड़कर) में राजस्व जीडीपी के लगभग 1.4% से महामारी–पूर्व अनुमानों से अधिक रहा, क्योंकि पिछली मुद्रास्फीति ने ब्रैकेट क्रिप प्रभावों के माध्यम से बढ़ावा दिया था। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्राथमिक खर्च जीडीपी के 3% से अधिक और चीन को छोड़कर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में जीडीपी के 2% से अधिक रहा। सामाजिक खर्च में वृद्धि उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में उच्च खर्च का मुख्य चालक था। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, उच्च व्यय ने नए औद्योगिक नीति उपायों, सब्सिडी और कर प्रोत्साहन (जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका) के साथ–साथ महामारी संकट सब्सिडी और हस्तांतरण की धीमी गति को दर्शाया। उच्च नाममात्र ब्याज दरों ने अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में निवल ब्याज व्यय को बढ़ा दिया। 2024 के लिए वित्तीय सख्ती का अनुमान लगाया गया है, लेकिन यह काफी है।

इसलिए निकट अवधि के वित्तीय स्थिरता जोखिम कम हो गए हैं, और आने वाले वर्ष में वैश्विक विकास के लिए नकारात्मक जोखिम कम है, जो कि आईएमएफ के विकास–जोखिम ढांचे के विश्लेषण पर आधारित है। हालाँकि, मुद्रास्फीति की अंतिम कड़ी कई प्रमुख निकट अवधि की वित्तीय कमज़ोरियों से जटिल हो सकती है।

मध्यम अवधि में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं और उभरते बाजारों में सार्वजनिक और निजी ऋण दोनों का संचय जारी है, जो प्रतिकूल झटकों को बढ़ा सकता है और भविष्य में विकास के लिए नकारात्मक जोखिम को बढ़ा सकता है। प्रमुख उभरते बाजार लचीलापन दिखाना जारी रखते हैं। केंद्रीय बैंकों द्वारा आक्रामक और समय से पहले नीति को सख्त करने के साथ, कई उभरते बाजारों में मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे कुछ को अपने कटौती चक्र शुरू करने की अनुमति मिली है

2023 के अंत में, वैश्विक मुद्रास्फीति में उछाल की शुरुआत के बाद पहली बार अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति अपने महामारी–पूर्व स्तर के करीब पहुंच गई। 2023 की अंतिम तिमाही में, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति तिमाही–दर–तिमाही वार्षिक आधार पर 2.3% थी, जो 2022 की दूसरी तिमाही में 9.5% के शिखर से नीचे थी। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए, 2023 की अंतिम तिमाही में मुद्रास्फीति 9.9% थी, जो 2022 की पहली तिमाही में 13.7% के शिखर से नीचे थी, लेकिन यह औसत कुछ देशों में उच्च मुद्रास्फीति से प्रेरित था; औसत उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए, मुद्रास्फीति घटकर 3.9% हो गई। इस प्रगति के बावजूद, अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति अभी भी लक्ष्य पर नहीं है।

2024 और 2025 के लिए विकास दर 3.2% के आसपास स्थिर रहेगी, जिसमें औसत हेडलाइन मुद्रास्फीति 2024 के अंत में 2.8% से घटकर 2025 के अंत में 2.4% हो जाएगी। अधिकांश संकेतक सामान्य लैंडिंग की ओर इशारा करते हैं।

कमोडिटी की आपूर्ति में आम तौर पर सुधार होने की संभावना है, लेकिन वैश्विक जीडीपी वृद्धि में अभी भी सामान्य की पृष्ठभूमि में भी कमोडिटी की मांग में तेजी आने की उम्मीद है, क्योंकि औद्योगिक गतिविधि और व्यापार वृद्धि 2023 में स्थिर रहने के बाद मजबूत होने वाली है। धातु मूल्य सूचकांक में 2024–25 में थोड़ा बदलाव देखने की उम्मीद है।

दोनों वर्षों में आधार धातुओं की कीमतों में बढ़ोतरी होने तथा 2015–19 के स्तर से काफी ऊपर रहने का अनुमान है, जो वैश्विक औद्योगिक गतिविधि में तेजी तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के बढ़ते उत्पादन को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था

इस वर्ष वैश्विक वृद्धि 2.6% पर स्थिर रहने का अनुमान है, जो भू–राजनीतिक तनाव और उच्च ब्याज दरों के बावजूद तीन वर्षों में

पहली बार स्थिर है। हालाँकि, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू मांग, निवेश में उछाल और मजबूत सेवा गतिविधि द्वारा कायम रही है। 2024 से 2026 तक हर वित्तीय वर्ष में औसतन 6.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, जिससे दक्षिण एशिया दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बन जाएगा।

आरबीआई की जून 2024 की मौद्रिक नीति के अनुसार, हेडलाइन मुद्रास्फीति में फरवरी 2024 से क्रमिक मॉडरेशन देखा गया है, हालांकि यह फरवरी में 5.1% से अप्रैल 2024 में 4.8% तक की सीमित सीमा में है। 2024–25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.5% रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 4.9%, दूसरी तिमाही 3.8%, तीसरी तिमाही 4.6% और चौथी तिमाही 4.5% रहेगी।

आगे बढ़ते हुए, घरेलू गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतक 2024–25 में लचीलापन दिखा रहे हैं। दक्षिण–पश्चिम मानसून सामान्य से बेहतर रहने की उम्मीद है, जो कृषि और ग्रामीण मांग के लिए अच्छा संकेत है। विनिर्माण और सेवा गतिविधि में निरंतर गति के साथ, इससे निजी खपत में सुधार होने की संभावना है। उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों और कॉर्पोरेट की स्वस्थ तुलन पत्र, बुनियादी ढांचे पर खर्च पर सरकार का निरंतर जोर और व्यावसायिक भावनाओं में आशावाद के साथ निवेश गतिविधि सुधार रहने की संभावना है। विश्व व्यापार की संभावनाओं में सुधार बाहरी मांग का समर्थन कर सकता है। हालाँकि, भू–राजनीतिक तनाव, अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता और भू–आर्थिक विखंडन से होने वाली बाधाएँ दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करती हैं। 2024–25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% रहने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही 7.3%, दूसरी तिमाही 7.2%, तीसरी तिमाही 7.3% और चौथी तिमाही 7.2% रहेगी।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 31 मई, 2024 को जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2023–24 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 7.8% रही, जबकि तीसरी तिमाही में यह 8.6% थी। 2023–24 के लिए वास्तविक ळक्ष्च वृद्धि 8.2% रहने का अनुमान है। आपूर्ति पक्ष पर, 2023–24 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में 6.3% की वृद्धि हुई। 2023–24 में वास्तविक जीवीए में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई।

विदेशी मुद्रा भंडार के प्रबंधन पर आरबीआई की अर्धवार्षिक रिपोर्ट मार्च 2024 के अनुसार, विदेशी मुद्रा भंडार सितंबर 2023 के अंत में 587.71 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 646.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अप्रैल–दिसंबर 2023 के दौरान नाममात्र के संदर्भ में विदेशी मुद्रा भंडार (मूल्यांकन प्रभाव सहित) 44 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 44.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई थी।

अग्रणी मार्ग

पिछले 4 वर्षों में पूंजीगत व्यय परिव्यय में तीन गुना वृद्धि के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास और रोजगार सृजन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। बजट 2024–25 में, बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय 11.1% बढ़ाकर 11.11 लाख करोड़ रुपये (133.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर) कर दिया गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। बजट 2023–24 के अनुसार, रेलवे के लिए 2.52 लाख करोड़ रुपये (30.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का पूंजीगत परिव्यय किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.8% की वृद्धि है।

तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रम अर्थात ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर लागू किए जाएंगे। मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत परियोजनाओं की पहचान की गई है। वे रसद दक्षता में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे। मेट्रो रेल और नमो भारत आवश्यक शहरी परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक हो सकते हैं। पारगमन–उन्मुख विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए बड़े शहरों में इन प्रणालियों के विस्तार का समर्थन किया जाएगा।

भारत का लॉजिस्टिक्स बाज़ार 2024 में 317.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है और 2029 तक 8.8% की सीएजीआर से बढ़ते हुए 484.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 5% हिस्सा है और लगभग 2.2 करोड़ भारतीयों को रोज़गार प्रदान करता है।

2024–25 में, भारतीय रेलवे ऊर्जा, खनिज और सीमेंट को कुशलतापूर्वक ले जाने, बंदरगाहों को बेहतर ढंग से जोड़ने और व्यस्त यातायात मार्गों में सुधार के लिए तीन महत्वपूर्ण रेलवे मार्ग बनाने की योजना बना रहा है। 2024–2025 में, 'वंदे भारत' मानकों को पूरा करने के लिए 40,000 पारंपरिक रेल बोगियों को अपग्रेड करने का लक्ष्य है। भारतीय रेलवे पर स्लीपर कोच के साथ एलएचबी प्लेटफॉर्म पर अत्याधुनिक तेजस ट्रेनें शुरू की गई हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2024) में 2024 में 6.8% और 2025 में 6.5% की भारतीय वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 3.2% की वैश्विक वृद्धि के मुकाबले घरेलू मांग में निरंतर मजबूती को दर्शाता है।

उद्योग अवलोकन

भारत सरकार विभिन्न नीतियों के माध्यम से बुनियादी ढांचे और निर्माण सेवाओं को प्राथमिकता देती है। इनमें खुले एफडीआई मानदंड, बुनियादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण बजट आवंटन और स्मार्ट सिटीज मिशन शामिल हैं। बुनियादी ढांचे के विकास को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए, प्रधान मंत्री ने गति शक्ति मास्टर प्लान पेश किया है, जिसका उद्देश्य परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करना और परियोजना निष्पादन की गति को बढ़ाना है। सरकार की प्रतिबद्धता वित्त वर्ष 2024 में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% आवंटन के माध्यम से स्पष्ट है, जिसमें परिवहन और रसद क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास और हवाई अड्डों का विस्तार 220 तक करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, योजनाओं में 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करना और 35 मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करना शामिल है। बुनियादी ढांचे से संबंधित मंत्रालयों के लिए कुल बजटीय परिव्यय वित्त वर्ष 23 में लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 5 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिससे विभिन्न परिवहन उप–खंडों में निजी क्षेत्र के लिए निवेश की संभावनाएं खुल गई हैं।

17 सितंबर 2022 को शुरू की गई भारत की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का लक्ष्य 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स लागत को वैश्विक बेंचमार्क के बराबर कम करना है। दिसंबर 2023 में जारी भारत में लॉजिस्टिक्स

लागत– आकलन और दीर्घकालिक रूपरेखा पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (ANCAER) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत के लिए कुल लॉजिस्टिक्स लागत 2021–22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 7.8%–8.9% के दायरे में आती है। अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को और कम करने के लिए, भारत को कृषि और विनिर्मित वस्तुओं की बिक्री के प्रतिशत के रूप में लॉजिस्टिक्स की पूर्ण लागत को धीरे–धीरे कम करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स लागत में कमी से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और अधिक मूल्य संवर्धन और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे क्षेत्र

बजट 2024 में सरकार ने 2.52 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय आवंटित किया है, जो रेलवे के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। भारतीय रेलवे तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करने की योजना बना रहा है, जैसे ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और उच्च यातायात घनत्व कॉरिडोर, जिन्हें मल्टी–मॉडल कनेक्टिविटी को सक्षम करने के लिए पीएम गति शक्ति के तहत पहचाना जाएगा। वे रसद दक्षता में सुधार करेंगे और लागत कम करेंगे। उच्च यातायात वाले गलियारों के परिणामस्वरूप भीड़भाड़ कम होने से यात्री ट्रेनों के संचालन में भी सुधार होगा, जिससे यात्रियों के लिए सुरक्षा और यात्रा की गति बढ़ेगी।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) भारत सरकार द्वारा देश भर में अवसंरचना विकास को गति देने के लिए स्थापित एक ढांचा है। इसका उद्देश्य विश्व स्तरीय अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना है, जो आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) के तहत, 108 ट्रिलियन रुपये (1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) की परियोजनाएं वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। वर्तमान में, इस योजना के तहत 9800 परियोजनाएँ हैं, जिनमें से 2006 विकास के अधीन हैं।

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की कमी के उपयोग के माध्यम से एक यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी, जिसका प्रबंधन राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा किया जाएगा, और इसका उपयोग सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए किया जाएगा।

भारतीय रेलवे रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक नए सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की खोज कर रहा है। इस मॉडल के तहत, निवेशकों को व्यवहार्यता–अंतर निधि (वीजीएफ) के रूप में कुल परियोजना लागत का 40% तक प्राप्त होगा और उन्हें प्लेटफार्मों और पटरियों के ऊपर की जगह का व्यावसायिक रूप से उपयोग करने की अनुमति होगी। हाइब्रिड पीपीपी मॉडल के तहत, निजी निवेशक द्वारा आवश्यक वीजीएफ समर्थन की मात्रा के आधार पर बोलियों का चयन किया जाएगा। निजी डेवलपर को व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए हवाई क्षेत्र विकसित करने की अनुमति दी जाएगी, जिसमें कार्यालय स्थान का पट्टा, मनोरंजन और मनोरंजक सुविधाओं का विकास, अस्पताल सेवाएँ, मॉल और यहाँ तक कि स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ शामिल हैं।

भारतीय रेलवे ने अपने रेल नेटवर्क पर सुरक्षा और दक्षता बढ़ाने के लिए, ट्रेन टक्कर से बचने की स्वदेशी तकनीक ''कवच'' शुरू की है। इसका उद्देश्य ट्रेन नियंत्रण और सिग्नलिंग को स्वचालित करके मानवीय भूल या सिग्नल विफलता के कारण होने वाली ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकना है। आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के प्रयासों के तहत, भारतीय रेलवे 34,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाने की योजना बना रहा है।

'ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट' ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करके भारतीय रेलवे को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की एक पहल है। भारतीय रेलवे का लक्ष्य 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनना है, जिसके तहत अक्टूबर 2023 तक 211 मेगावाट सौर संयंत्र और 103 मेगावाट पवन ऊर्जा संयंत्र चालू किए जाएंगे, साथ ही 2150 मेगावाट नवीकरणीय क्षमता भी स्थापित की जाएगी।

सड़क क्षेत्र

भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो 6.7 मिलियन किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। देश में 64.5% से ज्यादा सामान सड़कों के ज़रिए पहुँचाया जाता है, जबकि कुल यात्री यातायात का 90% हिस्सा आवागमन के लिए सड़क नेटवर्क का इस्तेमाल करता है।

जनवरी 2024 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,145 किलोमीटर थी। दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के अलावा राज्य राजमार्गों की लंबाई भी 1,79,535 किलोमीटर हो जाएगी। मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राज्यों में 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 1 लाख करोड़ रुपये है। सरकार का लक्ष्य 5.35 लाख करोड़ रुपये की लागत से 65,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करना है। सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास शामिल है।

एनएचएआई ने ''एक वाहन, एक फास्टैग'' अभियान शुरू किया है, जिसका लक्ष्य ऐसे उपयोगकर्ता व्यवहार को हतोत्साहित करना है जो एक ही कार में कई फास्टैग जोड़ते हैं या कई वाहनों के लिए एक ही फास्टैग का उपयोग करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता में सुधार करना और टोल प्लाजा पर सुचारू आवाजाही की अनुमति देना है।

बजट 2024–25 के अंतर्गत भारत सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 2.72 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

फरवरी 2024 में एनएचएआई ने इनविट मोड के माध्यम से 15,624 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 के बीच निर्माण विकास में एफडीआई प्रवाह 26.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

भारतमाला परियोजना के पहले चरण के तहत 34,800 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की योजना बनाई गई थी। दिसंबर 2023 तक, 26,418 किलोमीटर (यानी 34,800 किलोमीटर का 76%) निर्माण के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 15,549 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत परियोजनाओं को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित किया जाता है और मंत्रालय द्वारा संसाधन जुटाए जाते हैं।

गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के लिए शुरुआत किया गया था। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान केंद्र सरकार और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक मंत्रालयों/विभागों के ट्रंक और यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, चल रही और भविष्य की परियोजनाओं का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। यह

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

डेटा जीआईएस–सक्षम पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत है, जिससे एक ही पोर्टल पर अगली पीढ़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की एकीकृत योजना, डिजाइनिंग और निगरानी की सुविधा मिलती है।

जी–20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारत–मध्य पूर्व–यूरोप शिपिंग और रेलवे कनेक्टिविटी कॉरिडोर की महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की, जो भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका को जोड़ते हुए कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे का विकास करेगी। बुनियादी ढांचे के सौदे से मध्य पूर्व के देशों को रेलवे के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की उम्मीद है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र

भारत में पारंपरिक ऊर्जा संसाधन अपनी विशाल जनसंख्या और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण आवश्यक ऊर्जा जरूरतों की तुलना में कम हैं। हालांकि, भारत सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता का दोहन कर सकता है क्योंकि यहां साल के अधिकांश समय धूप रहती है। इसके अलावा, जलविद्युत क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं, जिसका पता राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर में लगाया जा रहा है।

जनवरी 2024 तक, बायोमास, अपशिष्ट से बिजली और अपशिष्ट से ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की संयुक्त स्थापित क्षमता 136.6 गीगावाट है। शोध एजेंसी ICR के अनुसार, भारत की स्थापित नवीकरण ीय ऊर्जा क्षमता दिसंबर 2023 के 135 गीगावाट के स्तर से बढ़कर मार्च 2025 तक लगभग 170 गीगावाट हो जाने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शुरू में 2030 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 450 गीगावाट कर दिया है। 2030 तक 5 एमएमटी उत्पादन के लिए 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन और बजट में 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त प्रावधान।

COP26 शिखर सम्मेलन में 2070 तक निवल–शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने और 2030 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को 500 गीगावाट तक बढ़ाने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता ने उद्योग को बहुत समर्थन दिया है और अभूतपूर्व वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 13 फरवरी, 2024 को, प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना शुरू की, जिसमें सब्सिडी और रियायती ऋण द्वारा समर्थित 1 करोड़ घरों को मुफ़्त छत सौर बिजली की पेशकश की गई।

प्रधानमंत्री की COP26 घोषणा के अनुसार, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर–जीवाश्म आधारित बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जिसमें 2023 में 13.5 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की अतिरिक्त स्थापना शामिल है, जो लगभग 74,000 करोड़ रुपये के निवेश के अनुरूप है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का अनुमान है कि भारत की बिजली की आवश्यकता 2030 तक बढ़कर 817 गीगावाट तक पहुँच जाएगी। अर्थव्यवस्था के बढ़ने के साथ ही, बिजली की खपत 2012 में 4,926 TWh से बढ़कर 2040 में 15,280 जैं तक पहुँचने का अनुमान है। 2025–2030 में भारत में ताप विद्युत उत्पादन के सापेक्ष सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से बिजली उत्पादन लागत–प्रतिस्पर्धी होने की संभावना है।

2024–2025 के अंतरिम बजट में सौर ऊर्जा ग्रिड अवसंरचना विकास के लिए राजकोषीय आवंटन 8,500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया, जो पिछले वर्ष के 4,970 करोड़ रुपये से उल्लेखनीय वृद्धि है। इसके अलावा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (SIGHT) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के लिए 17,490 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए वित्त पोषण को दोगुना कर दिया, 600 करोड़ रुपये आवंटित किए।

देश की योजना 2030 तक 450 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता तक पहुँचने की है, जिसमें से 280 गीगावाट (60% से अधिक) सौर ऊर्जा से प्राप्त होने की उम्मीद है। 450 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक 221 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के अवसर प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के विश्व ऊर्जा आउटलुक में वैश्विक आधार पर 2040 में अक्षय ऊर्जा आपूर्ति में 4,550 गीगावाट की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया भर में चौथे स्थान पर है। सौर बेल्ट (400 दक्षिण से 400 उत्तर) में अपने अनुकूल स्थान के कारण, भारत प्रचुर उपलब्धता के साथ सौर ऊर्जा के सर्वोत्तम प्राप्तकर्ताओं में से एक है।

कंपनी का विंहगावलोकन

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन), एक एकीकृत इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, जिसके पास रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, सुरंग, मेट्रो, रेलवे विद्युतीकरण, ईएचवी सब–स्टेशन, इलेक्ट्रिकल और यॉंत्रिक कार्य, वाणिज्यिक और आवासीय भवन, रेलवे उत्पादन इकाइयों सहित प्रमुख बुनियादी ढॉंचा क्षेत्रों में विशेषज्ञता है। यह विभिन्न बुनियादी ढॉंचा परियोजनाओं के लिए एकमुश्त टर्नकी, ईपीसी और आइटम–दर के आधार पर इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण (ईपीसी) सेवाएँ प्रदान करता है। ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से कोयले की निकासी को बढ़ावा देने के लिए, इरकॉन कोयला मंत्रालय के तहत अन्य सीपीएसई के साथ संयुक्त उद्यम में कोयला कनेक्टिविटी परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा, इरकॉन दीर्घकालिक संपत्ति बनाने के लिए कंपनी की वित्तीय ताकत का लाभ उठाकर बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओटी) मोड और हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर परियोजनाओं को क्रियान्वित करता है।

देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी इरकॉन ने परिवहन अवसंरचना, विशेष रूप से रेलवे परियोजनाओं के क्रियान्वयन में खुद को अग्रणी के रूप में स्थापित किया है। कंपनी अपने उच्च गुणवत्ता वाले समाधानों, अटूट प्रतिबद्धता और निरंतर प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है।

पिछले 48 वर्षों में, इरकॉन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है। कंपनी ने विविधीकरण की रणनीति को सक्रिय रूप से अपनाया है, विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक स्थानों में अपनी उपस्थिति का विस्तार किया है। हालाँकि इरकॉन ने हाल ही में सौर ऊर्जा विकास के क्षेत्र में कदम रखा है, लेकिन इसका प्राथमिक ध्यान और मुख्य ताकत हमेशा रेलवे क्षेत्र में ही रही है।

कंपनी ने सरकार को लगातार लाभांश का भुगतान किया है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और सफलता को दर्शाता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र की उन कुछ निर्माण कंपनियों में से एक है, जिसने देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित की है।

पिछले कुछ वर्षों में, इरकॉन ने अल्जीरिया, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, लाइबेरिया, मलेशिया, मोजाम्बिक, म्यांमार, नेपाल, नाइजीरिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तुर्की, यूके और जाम्बिया जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अपने व्यापार का विस्तार किया है। अब तक, कंपनी ने दुनिया भर के 25 देशों

में 129 से अधिक परियोजनाएं और भारत में 401 से अधिक परियोजनाएं पूरी की हैं। घरेलू बाजार में, यह कठिन इलाकों और अशांत क्षेत्रों में काम करने में माहिर है। इसके अलावा, यह प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माण परियोजनाओं में एक सक्रिय भागीदार है। यद्यपि इरकॉन की उपस्थिति भारत के कई राज्यों में है, तथापि इसका इरादा अपने व्यवसाय विकास मॉडल के एक भाग के रूप में देश भर में अपने घरेलू परिचालन का और विस्तार करने का है।

कानूनी स्थिति और स्वायत्तता

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने इरकॉन को नवरत्न का दर्जा दिया है। इरकॉन सीपीएसई में 15वां नवरत्न है। यह सरकार से अलग एक कानूनी इकाई है, और एक कानूनी, कार्यात्मक और वित्तीय रूप से स्वायत्त कंपनी है जो एक स्वतंत्र वाणिज्यिक उद्यम के रूप में कॉर्पोरेट कानूनों के तहत काम करती है। कंपनी को सरकार से कोई बजटीय या वित्तीय सहायता नहीं मिलती है और यह किसी भी सहायता या सहायता के लिए सरकार पर निर्भर नहीं है। हालाँकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग के माध्यम से समझौता ज्ञापन (एमओयू) की एक प्रणाली के माध्यम से कंपनी के प्रदर्शन की निगरानी करती है। यह सभी सरकारी कंपनियों के संबंध में संसद के प्रति जवाबदेही के हिस्से के रूप में हर साल हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों की समीक्षा करता है। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में कंपनी के कामकाज को विनियमित करने और उसमें कुछ समान पैटर्न लाने के लिए समय–समय पर दिशानिर्देश जारी करती है।

आपकी कंपनी के प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति के पास 31 मार्च 2024 तक कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 65.17% हिस्सा है। दिसंबर 2023 में, बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से भारत सरकार ने 8.01% चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का विनिवेश किया और कंपनी प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19क में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन करती है।

यूएसए के इंजीनियरिंग न्यूज रिकॉर्ड (ईएनआर) के 2023 संस्करण के अनुसार, इरकॉन एकमात्र भारतीय पीएसयू है जो शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों के साथ–साथ शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची में जगह बनाने में सफल रहा है। इसके अलावा, मार्च 2024 में जारी बिजनेस स्टैंडर्ड बीएस 1000 वार्षिक पत्रिका में, इरकॉन को 2023 में कुल राजस्व के हिसाब से 142वां स्थान प्राप्त किया है, और 'निर्माण और बुनियादी ढाँचा' क्षेत्र के तहत 5वें स्थान पर है। फॉर्च्यून इंडिया 500 की सूची में भी इरकॉन को 2023 में 205वां स्थान मिला है।

व्यावसायिक इकाइयाँ/प्रभाग

इरकॉन की प्रमुख व्यावसायिक इकाइयाँ/प्रभाग इस प्रकार हैं:

1. **सिविल इंजीनियरिंग विभाग**

   इरकॉन ने खुद को देश में एक प्रमुख निर्माण संगठन के रूप में स्थापित किया है, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग कंपनी की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है और इसके राजस्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पन्न करता है। यह बड़े पैमाने पर समग्र परियोजनाओं के सफल निषादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और नेतृत्व प्रदान करता है। इरकॉन को दी गई कई परियोजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विभाग का इनपुट और नेतृत्व आवश्यक है। इस विभाग का नेतृत्व एक अत्यधिक अनुभवी वरिष्ठ प्रबंधन टीम द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रसिद्ध इंजीनियरिंग और बिजनेस स्कूलों के पेशेवर शामिल हैं। उन्हें प्रेरित और कुशल सिविल इंजीनियरों के एक बड़े समूह का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने आई आई टी और एन आई टी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से स्नातक किया है। 31 मार्च, 2023 तक, विभाग में 690 सिविल इंजीनियर हैं, जो कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग 50% है।

   इरकॉन समय पर और लागत प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए परियोजना निष्पादन में नवीनतम तकनीक को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने उच्च योग्य और अनुभवी कार्यबल के साथ, कंपनी ने निर्माण उद्योग में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी हद तक बढ़ाया है। रेलवे, राजमार्ग, पुल, फ्लाईओवर, हवाई अड्डे, वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन, सुरंग, जल उपचार संयंत्र, आवासीय क्वार्टर, और अधिक सहित विभिन्न निर्माण डोमेन में विकास और विस्तार का इसका एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है। इरकॉन के सिविल इंजीनियर भारत और विदेश दोनों में दूरदराज के क्षेत्रों में काम करने में माहिर हैं, जो प्राइमेरा, टीआईएलओएस और एमएस परियेजना जैसे उन्नत परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करते हैं। उन्हें नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों में भी प्रशिक्षित किया जाता है, जिसमें जीपीएस सर्वेक्षण, ड्रोन के साथ एरियल लिडार सर्वेक्षण और कुल स्टेशन सर्वेक्षण शामिल हैं।

   विभाग ने कई मेगा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें इराक में लाइन, बांग्लादेश में जमुना ब्रिज रेल लिंक– II, मलेशिया में सेरेमबन और गेमास के बीच दोहरी ट्रैक परियोजना, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लाइनों का उन्नयन, जम्मू–कश्मीर में काजीगुंड – बारामुल्ला नई बीजी रेलवे लाइन का पूरा होना और जम्मू–कश्मीर में भारत की सबसे लंबी परिवहन सुरंग, 11.2 किलोमीटर पीर पंजाल सुरंग का पूरा होना, पटना में सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल (कमीशन के समय भारत में) शामिल है। इरकॉन जम्मू–कश्मीर राज्य के घाटी क्षेत्र में रेल नेटवर्क को जोड़ने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) है। इरकॉन ने 31 मार्च, 2024 को खुलना–मोंगला (65 किमी) मार्ग और ट्रैक लंबाई (91 किमी) से एक नई लाइन का काम भी शुरू किया सीटीपी–12 परियोजना के तहत डीएफसीसीआईएल के लिए 186 किलोमीटर रूट डबल लाइन का ट्रैक लिंकिंग भी वर्ष 2023–24 के दौरान पूरा हो गया है और परियोजना को वर्ष 2023–24 के दौरान उधमपुर–श्रीनगर–बनिहाल खंड में 38.262 किलोमीटर नई बीजी लाइन पर यातायात संचालन के लिए चालू कर दिया गया है।

   विभाग ने एनए टी एम जैसी उन्नत तकनीकों का उपयोग करते हुए हिमालय में सुरंग बनाने में विशेषज्ञता हासिल की है। 200 से अधिक प्रशिक्षित सुरंग इंजीनियरों के होने और हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान में 100 किलोमीटर से अधिक सुरंग खनन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर उसे बहुत गर्व है। एक अन्य महत्वपूर्ण सुरंग, यूएसबीआरएल परियोजना पर 12.75 किलोमीटर लंबी सुरंग, पूरी होने वाली है, जो देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग होगी।

   सिक्किम को रेलवे लाइन से जोड़ने के लिए एक अन्य प्रतिष्ठित सुरंग परियोजना में, बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूगर्भीय क्षेत्र में एनएटीएम द्वारा 35 किलोमीटर की सुरंग बनाने का कार्य पूरा किया गया है।

   अनुभवी सिविल इंजीनियरों के अपने व्यापक पूल और निचले हिमालय के चुनौतीपूर्ण भूविज्ञान (जैसे जम्मू और कश्मीर राज्य में यूएसबीआरएल और पश्चिम बंगाल और सिक्किम में

सिवोक रंगपो) के माध्यम से सुरंग बनाने में अपनी उपलब्धियों के साथ, इरकॉन भारत में सुरंग निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में उभरा है।

2. डिजाइन और विकास अनुविभाग

इरकॉन का डिजाइन और विकास अनुविभाग (डी.डी. अनुविभाग) आंतरिक सिविल डिजाइन विकसित करने और परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत डिजाइनों की समीक्षा करने के लिए समर्पित है, जिसमें सभी प्रासंगिक सीओडीएएल प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा, स्थायित्व और परियोजना लागत अनुकूलन आदि को ध्यान में रखा जाता है; विभिन्न बड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए बोली लगाने के लिए मूल्य इंजीनियरिंग और मात्रा का आकलन और इरकॉन की अधिकांश परियोजनाओं के लिए अन्य सिविल इंजीनियरिंग समाधान। बेंटले ओपन रेल/ओपन रोड्स (संरेखण डिजाइन के लिए), एसटीएएडी प्रो, इटीएबीएस और एम आईडीएएस (संरचनात्मक डिजाइन और पुल डिजाइन के लिए), आईआईटीपाव और केजीपीबीएसीके (फुटपाथ और ओवरले डिजाइन के लिए), एसटीएएडी (मृदा के ढलान स्थिरता विश्लेषण के लिए), RS2 (नींव और सुरंग के डिजाइन के लिए मृदा/चट्टान के एफईएम विश्लेषण के लिए), आरईएसएसए और एमएसईडब्लू (प्रबलित मिट्टी की दीवार/प्रबलित मिट्टी ढलानों के डिजाइन के लिए) जैसे परिष्कृत डिजाइन सॉफ्टवेयरों का उपयोग डिजाइन विकसित करने के लिए किया जा रहा है और कुशल सीएडी इंजीनियरों की मदद से संबंधित चित्र विकसित किए जा रहे हैं।

संस्थागत डिजाइन टीम के पास संरेखण डिजाइन, पुल डिजाइन, आरसीसी/स्टील संरचना डिजाइन, भवन डिजाइन, राजमार्ग फुटपाथ डिजाइन, सुरंग डिजाइन, भू–तकनीकी समाधान और जल विज्ञान अध्ययन आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुभव है। संस्थागत डिजाइन टीम में अत्यधिक अनुभवी सिविल इंजीनियर शामिल हैं, जिन्होंने भारत के शीर्ष रैंकिंग इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे आईआईटी, एनआईटी और अन्य प्रतिष्ठित कॉलेजों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है।

डी.डी.सेल के माध्यम से, इरकॉन निम्नलिखित कोड/मानक समितियों का सदस्य है और ज्ञान साझा करता है तथा कोड/मानकों के विकास/संशोधन में योगदान देता है:

- आईएस कोडल समिति सीईडी 54% कंक्रीट सुदृढ़ीकरण अनुभागीय समितिः प्री–स्ट्रेसिंग स्टील सहित कंक्रीट के लिए सुदृढ़ीकरण के क्षेत्र में मानकीकरण
- ब्रिज गर्डर्स का मानकीकरण: लंबी अवधि के स्टील आधारित सड़क पुलों का डिजाइन तैयार करना, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित।

इरकॉन डिजाइन टीम विभिन्न घरेलू परियोजनाओं के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के डिजाइन को अंतिम रूप देने में व्यापक रूप से शामिल रही है। मोकामा वायाडक्ट परियोजना, महानदी कोल रेल लिंक्ड (एमसीएल और एमसीआरएल) परियोजना, सीईआरएल –2 धरमजयगढ़–उरगा सेक्शन, शालीमार और संतरागाछी परियोजना में आरओबी, शिवपीर–कठौतिया रेल लाइन परियोजना (जेसीआरएल), अगरतला–अखौरा (भारत भाग) रेलवे वायाडक्ट परियोजना, छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल परियोजना गेवरा–पेंड्रा सीईडब्ल्यूआरएल सेक्शन, सिवोक रंगपो रेलवे लाइन परियोजना, श्रीलंका में माहो–ओमनथाई रेलवे लाइन परियोजना, डीएफसीसीआईएल सीटीपी –12, सीईआरएल धरमजयगढ़–खरसिया सेक्शन जिसमें स्पर लाइन और फीडर लाइन शामिल हैं।

कुछ उल्लेखनीय परियोजनाएं, जिनमें डी.डी. अनुभाग ने डिजाइन समाधान प्रदान करने में भाग लिया है, वे हैंरू बिहार में दीघा घाट पर गंगा नदी पर 2–स्तरीय सड़क सह रेलवे पुल, बीकानेर– फलौदी सड़क परियोजना, आरएपीडीआरपी की इमारतें, श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में रेलवे लिंक, जयनगर बर्दीबास रेलवे परियोजना (भारत और नेपाल) के रेलवे पुल, मलेशिया में सेरेमबन–गेमास विद्युतीकृत डबल ट्रैक रेलवे परियोजना (एसजीईडीटी), मोजाम्बिक में बेरा रेल परियोजना जिसमें विशाल जाम्बेजी नदी पर डोना एना पुल भी शामिल है आदि।

टीम ने विभिन्न प्रमुख रेल/सड़क परियोजनाओं जैसे आइज़वाल बाईपास सुरंग; ओमान इथियाड रेल पैकेज–सी,I1–I2; गोमोह–कोडरमा, गया–सोननगर, गयाडेटोर, कोट्टावलासा – कोरापुट दोहरीकरण परियोजना; सिंधनूर से हिरेकोटंगल और हिरेकोटंगल से मोमदपुर पैकेज; एनएच–56 के जीतनगर से नांदड़ तक 4–लेनिंग; मिजोरम सुरंग; दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों में एनएच की 4–लेनिंग, मालदीव हार्बर परियोजना, लगभग 4.5 किमी लंबी सुधमहादेव–द्रंगा सुरंग और चेनानी सुधमहादेव–गोहा सड़क हिस्से पर इसकी पहुंच सड़कें, लगभग वैलू सुरंग के लिए बोली लगाते समय मात्रा आकलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सिंथन दर्रे के नीचे 10.00 किमी लंबाई और गोहा – खेलनी – खानाबल सड़क हिस्से पर इसकी पहुंच सड़कें, एचआरआईडीसी सी –4, सी 23 परियोजना, हाई–स्पीड रेल परियोजना सी 4, सी 5, सी 6 और सी 7 पैकेज, गुड़गांव–रेवाड़ी राजमार्ग परियोजना, डीएफसीसीआईएल सीटीपी 1, 2, 3, 3 ए, 11, 12 और 14 पैकेज, वडोदरा–किम राजमार्गा पीकेजी– II, कर्नाटक में दावणगेरे–हावेरी, शिवपुरी–गुना राजमार्ग परियोजना, यूएई में एतिहाद रेल, बांग्लादेश, मालदीव, ईरान, इथियोपिया, ओमान आदि में शामिल विभिन्न परियोजनाएं।

3. विद्युत विभाग

रेलवे क्षेत्र में अग्रणी टर्नकी परियोजना निष्पादन कंपनी के रूप में, रेलवे विद्युतीकरण विंग परियोजनाओं को समय–समय पर समाधान में सहायता प्रदान करता है। विद्युत विभाग 25 केवी रेलवे विद्युतीकरण कार्यों, 400 केवी तक वोल्टेज वर्गों के एचटी ग्रिड और ट्रैक्शन सब–स्टेशन, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों, अतिरिक्त उच्च वोल्टेज (ईएचवी) केबलिंग कार्यों, मेगा औद्योगिक संयंत्रों/लोको शेड के औद्योगिक विद्युतीकरण, शहरों, मेट्रो रेलवे (एसी और डीसी प्रणाली) और हवाई अड्डों के लिए बिजली आपूर्ति वितरण नेटवर्क, सुरंग बिजली आपूर्ति, वेंटिलेशन और मेट्रो रेलवे के लिए बिजली आपूर्ति सब–स्टेशन सहित विद्युतीकरण में विशेषज्ञता प्रदान करता है।

इरकॉन ने 1980 में दिल्ली–रिंग–रेलवे की अपनी पहली प्रमुख रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शुरू की और 1982 में आयोजित एशियाई खेलों के दौरान यात्रियों को पर्यावरण–अनुकूल विद्युत कर्षण सेवाएं प्रदान कीं। इसके बाद, 4 दशकों की अपनी यात्रा में, कंपनी ने भारत और विदेशों में 10,124 टीकेएम से अधिक रेलवे विद्युतीकरण कार्यों को निष्पादित किया है और खुद को बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

इरकॉन ने अक्षय ऊर्जा व्यवसाय में भी प्रवेश किया है और नवीनतम प्रौद्योगिकी मोनोक्रिस्टलाइन पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल (पीईआरसी) बाई–फेशियल सोलर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) मॉड्यूल ट्रैकर प्रौद्योगिकी के माध्यम से 'केंद्रीय

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण– II (सरकारी उत्पादक योजना) के अंतर्गत 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना' का कार्य कर रहा है और रेलवे को प्रति वर्ष लगभग 1076 मिलियन यूनिट की आपूर्ति करेगा।

इरकॉन ने भारत और विदेशों में 400 केवी तक के कई एच. टी. सब–स्टेशन कार्यों को भी अंजाम दिया है। डीएमआरसी के तीनों चरणों में अधिकांश सब–स्टेशन कार्यों को इरकॉन द्वारा निष्पादित किया जाता है। इरकॉन ने 220 केवी तक के गैस इंसुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) और ट्रांसमिशन लाइन परियोजनाओं को निष्पादित करने की क्षमता भी हासिल कर ली है।

इरकॉन के पास सुरंग वेंटिलेशन, सुरक्षा और इलेक्ट्रो यॉंत्रिक कार्यों के निष्पादन का व्यापक अनुभव है। यूएसबीआरएल परियोजना के तहत बनिहाल से सावलकोट तक 13 किलोमीटर सबसे लंबी रेल सुरंग सहित 65 किलोमीटर रेलवे सुरंगों (टी–43, टी–44, टी–49, टी–50/51, टी–52, टी–53, टी–54, टी–55 और टी–80) का इलेक्ट्रो यॉंत्रिक कार्य पूरा हो चुका है। इससे कश्मीर घाटी को हर मौसम में रेल संपर्क मिलेगा। बनिहाल से संगलदान खंड का उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 20.02.2024 को किया गया था। पूर्ण टर्नकी ईएंडएम कार्य में डिजाइन, योजना, परियोजना प्रबंधन, परीक्षण, कमीशनिंग, संचालन और विद्युत कार्यों (पूर्ण एचटी और एलटी कार्य), सुरंग वेंटिलेशन सिस्टम (टीवीएस), अग्निशमन प्रणाली, परिचालन प्रबंधन और नियंत्रण प्रणाली (एससीएडीए) के लिए रखरखाव सुविधा शामिल है।

सिक्किम राज्य को भारत से जोड़ने वाली रेलवे सुरंगों टी–1 से टी–14 तक लगभग 38.6 किमी इलेक्ट्रो–यॉंत्रिक कार्य डिजाइन और निष्पादन चरण में है।

इरकॉन के पास उच्च ऊंचाई (एमएसएल से 1650 मीटर ऊपर) पर रेलवे विद्युतीकरण कार्य करने का अनुभव है, जिसे भारतीय रेलवे में पहली बार बारामुल्ला से बनिहाल (जम्मू–कश्मीर) के बीच लागू किया गया था – लचीली ओवरहेड कैटेनरी प्रणाली (एफओसीएस) के साथ सुरंग टी–80 सहित 200 टीकेएम। इरकॉन ने बनिहाल से धरम (जम्मू–कश्मीर) में लगभग 38 किमी कठिन ओवरहेड कैटेनरी प्रणाली (आरओसीएस) कार्य भी किया है, जिसे भारतीय रेलवे में पहली बार लागू किया गया है।

सिक्किम राज्य को भारत से जोड़ने वाली रेलवे सुरंगों टी–1 से टी–14 तक लगभग 38.6 कि.मी. आरओसीएस कार्य योजना चरण में है।

इरकॉन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के लिए दिल्ली–मेरठ खंड में भारत के पहले सेमी–हाईस्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के ट्रैक्शन और पावर सप्लाई कार्यों को भी क्रियान्वित कर रहा है। इस कार्य में अतिरिक्त उच्च वोल्टेज 220 केवी पावर केबलिंग, 05 रिसीविंग सब–स्टेशन (आरएसएस), 09 सहायक सब–स्टेशन (एएसएस), ओवरहेड उपकरण (ओएचई) शामिल हैं, जिनकी डिज़ाइन गति 180 किमी प्रति घंटा है। दुहाई डिपो सहित साहिबाबाद से मेरठ दक्षिण तक का खंड पहले ही शुरु हो चुका है। चरण–1 (साहिबाबाद से दुहाई) का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 18.10.2023 को और चरण–2 (दुहाई से मेरठ साउथ) का उद्घाटन 06.03.2024 को किया गया था।

रेल मंत्रालय (भारत सरकार) के प्रतिष्ठित 'मिशन 100% रेलवे विद्युतीकरण' के लिए, इरकॉन विभिन्न रेलवे विद्युतीकरण कार्यों में 2700 आरकेएम से अधिक रेलवे विद्युतीकरण और 28 ट्रैक्शन सब–स्टेशन कार्यों को क्रियान्वित कर रहा है, जिनमें से 2140 आरकेएम से अधिक और 12 ट्रैक्शन सब–स्टेशन (टीएसएस) 98 किलोमीटर 132 केवी ट्रांसमिशन लाइनों के साथ चालू किए जा चुके हैं।

4. यॉंत्रिक इंजीनियरिंग विभाग

यॉंत्रिक इंजीनियरिंग विभाग कुशल, अनुभवी और साथ ही युवा, गतिशील और ऊर्जावान यॉंत्रिक इंजीनियरों की एक टीम है। इसमें नए रोलिंग स्टॉक उत्पादन इकाई, कार्यशाला या डीजल शेड को डिजाइन करने, स्थापित करने और चालू करने के अलावा मौजूदा इकाइयों को फिर से इंजीनियरिंग करने की क्षमता है, जिसका उद्देश्य घरेलू और विदेशी बाजार से अंतिम उपयोगकर्ता ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके कुशल और किफायती तरीके से उत्पादन / आउट–टर्न बढ़ाना है। टीम रोलिंग परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव को संभालने में भी सक्षम है।

हमारी टीम परियोजनाओं की आवश्यकता को समझने और विश्व भर में भौतिक संसाधनों को जुटाने के साथ–साथ एमएस परियोजना, सिक्स सिग्मा, प्राइमावेरा आदि जैसे नवीनतम परियोजना प्रबंधन उपकरणों का उपयोग करके ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार समय पर उन्हें पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है।

इरकॉन ने भारत में विभिन्न स्थानों पर एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के लिए विभिन्न एमएंडपी की खरीद के लिए एमएसएमई मंत्रालय से 534.54 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल किया है।

इरकॉन भारत की प्रतिष्ठित हाईस्पीड रेल परियोजना यानी एमएएचएसआर–टी2 के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के जापानी सलाहकार के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में क्रियान्वित की जा रही है। जापानी सलाहकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के अनुसार ट्रैक और ट्रैक संबंधी कार्यों के निर्माण में तैनात की जाने वाली सभी ट्रैक मशीनरी या तो जापानी मशीनरी हैं या ट्रैक संबंधी कार्यों के लिए जापानी इंजीनियरों/निर्माताओं द्वारा विकसित मशीनें हैं। इरकॉन की यॉंत्रिक टीम ने ट्रैक मशीनों की तकनीकी डिजाइन और विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता पर भारतीय निर्माताओं का मार्गदर्शन करके मेक–इन–इंडिया कार्यक्रम के तहत इन महत्वपूर्ण मशीनों को इन–हाउस विकसित किया है। इस प्रयास में, इरकॉन ने न केवल भारतीय निर्माताओं को जापानी डिजाइन के बराबर विकसित किया है, बल्कि इन मशीनों को जापान से खरीदने के बजाय भारत में निर्मित करवाये मशीनें जापानी तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप विशेष रूप से विकसित की गई हैं।

इस विभाग ने न केवल रिकॉर्ड समय में और लक्ष्य से भी अधिक तेजी से रायबरेली में आधुनिक और अत्याधुनिक स्टेनलेस स्टील कोच उत्पादन इकाइयां स्थापित की हैं, बल्कि डीजल शेडों को भी उन्नत किया है ताकि वहां एक साथ डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजनों को रखा जा सके।

राय–बरेली में कोच उत्पादन सुविधा एक इंजीनियरिंग चमत्कार है और एक एकीकृत इकाई है जिसमें रोल्ड स्टील शीट जैसे

मूल कच्चे माल से तैयार कोच बनाने की सभी सुविधाएँ हैं। इस सुविधा में कोच/शेल फैब्रिकेशन लाइन, रोबोटाइज्ड वेल्डिंग से सुसज्जित बोगी फैब्रिकेशन शॉप, फर्निशिंग, फिनिशिंग शॉप, व्हील शॉप, अत्याधुनिक पेंट शॉप के साथ–साथ सभी सहायक प्रणालियाँ जैसे कि मटेरियल ऑटो स्टोरेज और रिट्रीवल सिस्टम आदि, पावर सबस्टेशन के साथ–साथ क्षेत्र में 3 मेगावाट का सबसे बड़ा सोलर पार्क, कार्यरत कर्मियों के साथ–साथ शीर्ष प्रबंधन के लिए आवासीय कॉलोनी, साथ ही 100 बिस्तरों वाला अस्पताल, क्रिकेट स्टेडियम, एथलेटिक ट्रैक, एफआईएच प्रमाणित हॉकी स्टेडियम और 18 होल वाला गोल्फ कोर्स के अलावा अन्य सुविधाएँ हैं। यह इकाई को आत्मनिर्भर इकाई बनाता है।

लोकोमोटिव, मालवाहक वैगनों और यात्री कारों का निर्यात, लोकोमोटिव, ट्रैक मशीनों को पट्टे पर देना और उनका रखरखाव करना विभाग की अन्य प्रमुख क्षमताएँ हैं। इस प्रकार हमारा यॉंत्रिक विभाग रोलिंग स्टॉक परिसंपत्ति प्रबंधन के सभी डोमेन क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता है, यानी सुविधाओं के निर्माण से लेकर परिसंपत्तियों के रखरखाव के क्षेत्रों के साथ–साथ मौजूदा सुविधाओं की बिजनेस प्रोसेस री–इंजीनियरिंग तक। यह अनुभव न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी विभिन्न सरकारी और/या बहुपक्षीय वित्त पोषण एजेंसियों और अन्य संगठनों के लिए बड़ी परियोजनाओं को लागू करके प्राप्त किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, विभाग द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं में शामिल हैं बंडामुंडा (एसईआर) के एक्सचेंज यार्ड में डिटैचमेंट फ्री रेक जांच सुविधाएं, रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला में व्हील शॉप की स्थापना; डीजल लोको शेड, विशाखापत्तनम का विस्तार; रॉयल रेलवे, कंबोडिया को 10 (दस) यूनिट वाईडीएम4 (मीटर गेज) इंजनों की आपूर्ति; श्रीलंका रेलवे, श्रीलंका को को–को बोगियों के साथ 6 (छह) यूनिट 2300 एचपी एसी/डीसी (ब्रॉड गेज) इंजनों की आपूर्ति; केटीएमबी, मलेशिया को डीजल लोको का पट्टे पर देना और रखरखाव, जहां दो दशक से अधिक की अवधि के लिए 85: से अधिक रोलिंग परिसंपत्तियों की उपलब्धता प्राप्त की गई है, यह अपने आप में रोलिंग परिसंपत्तियों के रखरखाव के लिए इरकॉन की असाधारण क्षमता को दर्शाता है।

5. **सिग्नल एवं दूरसंचार विभाग**

1976 में अपनी स्थापना के बाद से, इरकॉन भारत और विदेशों में रेलवे के लिए टर्नकी सिग्नल और टेलीकॉम (एस एंड टी) समाधान प्रदान कर रहा है; इरकॉन को विभिन्न देशों में उनके स्थानीय कोड, मैनुअल और मानकों के अनुसार सिग्नलिंग और टेलीकॉम (एस एंड टी) परियोजनाओं को निष्पादित करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। संस्थागत डिज़ाइन, निर्माण और परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के साथ, सभी परियोजनाओं को सहमत समय–सीमा पर संतोषजनक ढंग से पूरा किया गया है।

इरकॉन कई अत्याधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसमें रिले इंटरलॉकिंग से लेकर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (ईआई), स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (एटीपी), केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण (सीटीसी) प्रणाली शामिल हैं।

वर्ष 2023–24 में, इरकॉन ने भारतीय रेलवे के 104 स्टेशनों पर सिग्नलिंग कार्य शुरू किया है। इसमें नई लाइन, दोहरीकरण, ईआई के साथ यॉंत्रिक सिग को बदलना, यार्ड में बदलाव/साइडिंग, आरई संशोधन शामिल हैं। इनमें यूएसबीआरएल परियोजना की प्रतिष्ठित नई लाइनें, अखौरा–अगरतला नई लाइन परियोजना; डब्ल्यूसीआर, ईसीआर पर दोहरीकरण कार्य; एनआर पर टर्न–की ईआई कार्य; ईसीओआर पर यार्ड में बदलाव/साइडिंग, एनडब्ल्यूआर और एनआरएफ के आरई कार्य शामिल हैं।

दूरसंचार कार्यों के निष्पादन में इरकॉन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तथा इसने श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मलेशिया और भारत में सिंक्रोनस डिजिटल हाइरार्की (एसडीएच), मल्टी–प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग (एमपीएलएस) प्रौद्योगिकियों की दूरसंचार परियोजनाओं को क्रियान्वित किया है। इरकॉन ने एकीकृत सुरंग संचार प्रणाली (आईटीसी) का भी क्रियान्वयन किया है।

वर्ष 2023–24 में, इरकॉन ने प्रतिष्ठित यूएसबीआरएल परियोजना पर 54 आरकेएम एकीकृत सुरंग संचार कार्य और यूएसबीआरएल परियोजना के नए स्टेशनों पर आईपी–ईपीएबीएक्स, आईपी–सीसीटीवी, पीए सिस्टम और एकीकृत यात्री सूचना प्रणाली (आईपीआईएस) कार्य भी निष्पादित किया।

4. **व्यवसाय विकास विभाग**

इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग के पास ऑर्डर बुक बढ़ाने, बोली रणनीतियों को विकसित करने और उनका मूल्यांकन करने के साथ–साथ भारत के साथ–साथ विदेशी भौगोलिक क्षेत्रों में तेजी से बढ़ते प्रतिस्पर्धी माहौल में कंपनी के भविष्य के व्यवसाय को उत्पन्न करने और पोषित करने के लिए नए व्यावसायिक अवसरों की पहचान करने के लिए एक समर्पित टीम है।

पिछले वर्षों में, इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने रेलवे, राजमार्ग, सुरंग, मेट्रो, सौर, विद्युत और यांत्रिक, सिग्नलिंग और दूरसंचार, भवन आदि में प्रतिस्पर्धी बोली और नामांकन के आधार पर परियोजनाएं हासिल की हैं। रेलवे बोर्ड ने अपनी नीति बदल दी है और नामांकन के आधार पर पीएसयू को काम देने की प्रथा बंद कर दी गई है। तदनुसार, इरकॉन अपने व्यवसाय विकास विभाग के माध्यम से अब भारत और विदेशों में विभिन्न ग्राहकों द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेकर और प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से काम हासिल करके इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों सहित बुनियादी ढांचा कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है।

वर्ष 2023–24 में, इरकॉन के व्यवसाय विकास विभाग ने निम्नलिखित 5 (पांच) परियोजनाएं हासिल की हैं:

- एकीकृत सुरंग संचार प्रणाली, ओएफसी आधारित औद्योगिक ग्रेड नेटवर्क प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग, जिसमें रेलवे नेटवर्क के लिए ओएफसी बिछाना शामिल है, जिसमें जिरीबाम–इंफाल नई रेलवे लाइन परियोजना के जिरीबाम खोंगसांग खंड में सुरंगें और स्टेशन शामिल हैं, जिसकी लागत 144.17 करोड़ रुपये है।

- मशीनरी, संयंत्र और उपकरण सहित वस्तुओं की खरीद, सफल स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण, एफएसी आदि के चरण तक 2.12 करोड़ रुपये।
- समग्र कार्य (सिविल, इलेक्ट्रिकल और यॉत्रिक) जिसमें प्री–इंजीनियर्ड बिल्डिंग (पीईबी) के साथ औद्योगिक दुकानों का निर्माण, जल आपूर्ति प्रणाली जल निकासी व्यवस्था, विद्युतीकरण और रोशनी कार्य, संबंधित दूरसंचार कार्य और दक्षिण पूर्व रेलवे के बंडामुंडा के एक्सचेंज यार्ड में डिटैचमेंट फ्री रेक जांच सुविधाओं (चरण–प्प) के संबंध में निर्दिष्ट यॉत्रिक मशीनरी (ईओटी क्रेन आदि) की आपूर्ति और कमीशनिंग शामिल है, जिसकी लागत 80.07 करोड़ रुपये है।
- 84.68 करोड़ रुपये की लागत से ष्नए प्रौद्योगिकी केंद्र/विस्तार केंद्रों की स्थापनाष योजना के तहत पूरे भारत में प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना के लिए नोडल एजेंसी की नियुक्ति।
- मिजोरम राज्य में एनएच–6 के सैरांग–फाइबाक खंड पर 2.5 किमी लंबी ट्विन ट्यूब यूनी–डायरेक्शनल आइजोल बाईपास सुरंग और किमी 10.600 से किमी 15.200 तक 2.1 किमी लंबे इसके पहुंच मार्ग (पैकेज–2) का ईपीसी मोड पर 630.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण।

विभाग नए व्यावसायिक अवसरों की खोज के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन और गठबंधन बनाने की प्रक्रिया में भी लगा हुआ है और भविष्य में विकास की संभावनाओं वाले नए क्षेत्रों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। व्यवसाय विकास प्रकोष्ठ ने अगले 05 (पांच) वर्षों के लिए कंपनी के लिए कॉर्पोरेट योजना तैयार करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रबंधन सलाहकार को नियुक्त किया है।

विभाग बांग्लादेश, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, मध्य पूर्वी क्षेत्र और अफ्रीकी महाद्वीप जैसे देशों में संभावित बुनियादी ढांचे के अवसरों की आक्रामक रूप से तलाश कर रहा है, जिससे इरकॉन के भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

7. संपदा प्रबंधन विभाग

पिछले कुछ वर्षों में, बुनियादी ढांचे के संपूर्ण स्पेक्ट्रम में विविधीकरण से आपकी कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति भी एक निर्माण कंपनी से बदलकर एक परियोजना विकास और संचालन कंपनी बन गई है, जिसमें अन्य गतिविधियों के अलावा रियल एस्टेट और वाणिज्यिक संचालन भी शामिल हैं।

मध्यम और दीर्घ अवधि में रियल एस्टेट व्यवसाय में वृद्धि के उद्देश्य से, जैसे कि भूखंडों का विकास, इमारतों का निर्माण, अचल संपत्तियों को पट्टे पर देना और/या बेचना और कर और कानूनी मामलों जैसे संपत्तियों से संबंधित अन्य मामले, इरकॉन ने संपदा प्रबंधन विभाग की स्थापना की है। यह विभाग पेशेवर रूप से प्रबंधित है और इरकॉन की मौजूदा अचल संपत्ति का प्रबंधन करने और संपत्ति कर मामलों सहित अचल संपत्ति विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए गठित किया गया है।

रियल एस्टेट परियोजनाओं में, इरकॉन ने भारत में कई वाणिज्यिक भवन, संस्थागत भवन, रेलवे स्टेशन और टाउनशिप आदि का निर्माण किया है जैसे नवी मुंबई में सिडको के लिए बहुमंजिला वाणिज्यिक परिसर, भोपाल में 500 बिस्तरों वाला अस्पताल, आइजोल में पशु चिकित्सा विज्ञान पशुपालन कॉलेज परिसर, रक्षा मंत्रालय के लिए झांसी, भोपाल और इलाहाबाद में तीन प्रमुख आवासीय टाउनशिप, पूसा विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, सीआईएफई, मुंबई, वाशी रेलवे स्टेशन, मल्टी–फंक्शनल कॉम्प्लेक्स (एमएफसी), कपूरथला के साथ–साथ रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री आदि से जुड़ी परियोजनाएं। इरकॉन ने अपना खुद का कॉर्पोरेट कार्यालय विकसित किया है जो एक आधुनिक और स्मार्ट कार्यालय है जिसमें ग्रीन बिल्डिंग के सभी तत्व शामिल हैं।

रियल एस्टेट क्षेत्र में विकास की आशा करते हुए, इरकॉन ने वाणिज्यिक विकास के लिए मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर, नोएडा और गुरुग्राम इत्यादि जैसे महानगरीय शहरों में रियल एस्टेट संपत्तियों और परिसंपत्तियों का एक बड़ा पोर्टफोलियो एकत्र किया है। आपकी कंपनी ने नोएडा में 90 वर्षों के लिए पट्टे के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में 8 भूखंडों का अधिग्रहण किया था और वाणिज्यिक और कार्यालय उपयोग के लिए 22,023 वर्ग मीटर निर्मित स्थान को सफलतापूर्वक पट्टे पर दिया है। कंपनी ने सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा में भी एक संपत्ति विकसित की है और यह संपत्ति भारत में ट्रेडमार्क प्राधिकरणों के साथ श्इरकॉन इंटरनेशनल टॉवरश के रूप में पंजीकृत है। पट्टे पर देने योग्य संपूर्ण स्पेयर को विभिन्न सरकारी एजेंसियों को पट्टे पर दिया गया है। कार्यालय स्थानों के अलावा, इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर, सेक्टर –32, गुरुग्राम में अत्याधुनिक 250 सीटों वाला ऑडिटोरियम और प्रशिक्षण केंद्र है

वित्तीय प्रदर्शन (स्टैंडअलोन)

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी की अब तक की सबसे अधिक कुल आय ₹ 12387.85 रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह ₹ 10261.63 करोड़ थी, इस प्रकार 20.72% की वृद्धि देखी गई। कंपनी की कुल आय का 96.46% से अधिक यानी ₹ 11950.40 करोड़ परिचालन से दर्ज किया गया है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के ₹ 9921.20 करोड़ के परिचालन कारोबार की तुलना में 20.45% अधिक है। कुल परिचालन कारोबार में से, 4.81% यानी ₹ 574.82 करोड़ की राशि अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से उत्पन्न की गई है।

कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) और कर–पश्चात लाभ (पीएटी) में 30.84% और 11.08% की वृद्धि हुई और यह क्रमशः ₹ 1155.54 करोड़ और ₹ 862.90 करोड़ हो गया।

आगामी वार्षिक आम बैठक में अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा विचार और घोषणा के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए घोषित और भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश और प्रस्तावित अंतिम लाभांश का विवरण निदेशकों की रिपोर्ट में 'वित्तीय मुख्य अंश' के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात, वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में प्रमुख वित्तीय अनुपातों में 25% या उससे अधिक का परिवर्तन) का विवरण और उनके विस्तृत विवरण वित्तीय विवरण का हिस्सा बनते हैं।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

मुख्य वित्तीय अनुपात

महत्वपूर्ण परिवर्तनों (अर्थात् प्रमुख वित्तीय अनुपातों में वित्त वर्ष 2022–23 की तुलना में 25% या उससे अधिक का परिवर्तन) का विवरण और विस्तृत स्पष्टीकरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	अनुपात का नाम	सूत्र	इकाई	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	% में बदलाव	25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन का कारण
1.	देनदार टर्नओवर अनुपात	निवल क्रेडिट बिक्री / औसत व्यापार प्राप्य	समय में	13.17	12.58	4.71%	-
2.	इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बेचे गए वस्तुओं की लागत / औसत सूची	समय में	51.92	37.73	37.61%	(i) (i) पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी आई है। (ii) परिचालन राजस्व में संगत वृद्धि के कारण परिचालन व्यय में वृद्धि।
3.	वर्तमान अनुपात	चालू संपत्तियों / चालू दायित्व	समय में	1.60	1.49	7.45%	-
4.	ऋण–इक्विटी अनुपात	ऋण / कुल शेयरधारकों की इक्विटी	प्रतिशत	0.00056	0.00010	470.00%	यह अनुपात आईआरएफसी से लिए गए ऋण की भरपाई आरएलडीए से वसूली जाने वाली राशि से करने और लीज देयता के कम मूल्य के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि, अनुपात में भिन्नता केवल लीज देयता में परिवर्तन के कारण अधिक है।
5.	प्रचालन लाभ मार्जिन	(पीबीआईटी–अन्य आय) / कारोबार	प्रतिशत	6.09%	5.50%	10.73%	-
6.	निवल लाभ मार्जिन	निवल लाभ / कुल आय	प्रतिशत	6.97%	7.57%	-7.99%	-
7.	निवल मूल्य पर प्रतिफल	आय	प्रतिशत	15.76	15.88	-0.76%	

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने वित्तीय विवरण (स्टैंडएअलोन और समेकित) तैयार करते समय लेखांकन मानकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, और वित्तीय जानकारी की रिपोर्टिंग में कोई विचलन नहीं किया गया है।

यह परिवर्तन मुख्य रूप से चालू वर्ष में उत्पन्न वृद्धिशील आय के कारण है, जो निवल संपत्ति में वृद्धि की तुलना में अधिक है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

परिचालन निष्पादन

सेक्टर–वार निष्पादनः

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, इरकॉन द्वारा अर्जित राजस्व का लगभग 83.83% रेलवे क्षेत्र द्वारा योगदान दिया जाएगा। इरकॉन के लिए मुख्य फोकस व्यवसाय क्षेत्र रेलवे है, हालांकि, कंपनी राजमार्ग व्यवसाय पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है, जो लगभग 15.80% राजस्व उत्पन्न करता है और शेष अन्य क्षेत्रों जैसे कि इलेक्ट्रिकल और बिल्डिंग कार्यों से आता है।

क्षेत्रवार प्रदर्शनः

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024		वित्त वर्ष 2023		वित्त वर्ष 2022	
	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%	परिचालन आय	%
रेलवे	10018.45	83.83	9313.47	93.87	6387.72	92.44
राजमार्ग	1888.57	15.80	583.23	5.88	496.92	7.19
अन्य	43.38	0.37	24.50	0.25	25.51	0.37
कुल	**11950.40**	**100**	**9921.20**	**100**	**6910.15**	**100**

खंडवार प्रदर्शन

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	वित्त वर्ष 2024		वित्त वर्ष 2023		वित्त वर्ष 2022	
	कुल परिचालन आय	%	कुल परिचालन आय	%	कुल परिचालन आय	%
विदेशी	574.82	4.81	411.84	4.15	480.43	6.95
घरेलू	11375.58	95.19	9509.36	95.85	6429.72	93.05
कुल	**11950.40**	**100**	**9921.2**	**100**	**6910.15**	**100**

ऑर्डर बुक स्थिति

रेल मंत्रालय ने पहले रेलवे पीएसयू को नामांकन के आधार पर काम देने की अपनी नीति में बदलाव किया था, रेलवे के काम रेलवे पीएसयू के बीच बोली प्रक्रिया के ज़रिए दिए जा रहे थे। बाद में, अक्टूबर 2021 में, रेल मंत्रालय ने पीएसयू के बीच प्रतिस्पर्धा की इस नीति को रद्द कर दिया है और रेलवे के कामों को देने के लिए खुली निविदा शुरू की गई है।

31 मार्च, 2024 तक इरकॉन की ऑर्डर बुक 27208 करोड़ (लगभग) थी, जिसमें रेलवे क्षेत्र में 21158 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य और राजमार्ग क्षेत्र में 5964 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य शामिल था।

कुल ऑर्डर बुक में से 13401 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से तथा 13807 करोड़ रुपये मूल्य का कार्य नामांकन आधार पर प्राप्त हुआ।

स्वोट अनालिसिस

शक्तियों

1 **मजबूत ऑर्डर बुकः**

कंपनी के पास 31 मार्च 2024 तक 27208 करोड़ रुपये से अधिक की प्रभावशाली निष्पादन योग्य ऑर्डर बुक है। यह पर्याप्त ऑर्डर बुक अगले 2–3 वर्षों के लिए राजस्व दृश्यता सुनिश्चित करती है, जो मजबूत व्यावसायिक स्थिरता को प्रदर्शित करती है।

2 **मजबूत वित्तीय प्रदर्शन**

कंपनी ने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन का प्रदर्शन किया है, वित्तीय वर्ष 2023–24 में अपना अब तक का सबसे अधिक कारोबार और लाभ हासिल किया है,जो इसकी वित्तीय मजबूती को रेखांकित करता है।

3 **शून्य ऋण कंपनी**

इरकॉन एकल आधार पर ऋण मुक्त है, जिससे सभी व्यावसायिक चक्रों में इसकी लचीलापन बढ़ गया है।

4 मजबूत नकदी स्थितिः

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक इरकॉन के पास 4,429 करोड़ रुपये की नकदी और बैंक शेष है, जिसमें से करीब 18 प्रतिशत उसकी अपनी नकदी है। कंपनी की नकदी और बैंक शेष कुल संपत्ति का लगभग 31 प्रतिशत है, जो बुनियादी ढ़ांचे के क्षेत्र में बहुत दुर्लभ है।

5 विस्तृत अनुभवः

चालीस से ज़्यादा वर्षों के इतिहास के साथ, इरकॉन ने भारत और दुनिया भर में बड़ी और जटिल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए एक मज़बूत प्रतिष्ठा स्थापित की है। कंपनी के पास जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों जैसे क्षेत्रों सहित चुनौतीपूर्ण इलाकों में काम करने में विशेषज्ञता है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

6 अनुभवी जनशक्तिः

तकनीकी जनशक्ति अपने–अपने क्षेत्रों में उच्च कौशल और अनुभव प्रदर्शित करती है। कंपनी का शीर्ष और मध्यम प्रबंधन रेल मंत्रालय की विशेषज्ञता और अनुभवी पेशेवरों का एक बेहतरीन मिश्रण है, जिनका परियोजना निष्पादन में मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड है।

7 विविध व्यवसाय क्षेत्रः

कंपनी रेलवे, राजमार्ग, इलेक्ट्रिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विविध क्षेत्रों में काम करती है। यह विविधीकरण उद्योग–विशिष्ट और व्यावसायिक चक्र जोखिमों को कम करता है।

8 व्यापक भौगोलिक उपस्थितिः

इरकॉन ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति स्थापित की है। वर्तमान में, कंपनी भारत भर में 20 से अधिक राज्यों में काम करती है और अल्जीरिया, श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश में अपनी उपस्थिति बनाए रखती है।

9 वन स्टॉप सॉल्यूशन (सी2सी):

कंपनी अपने ग्राहकों को व्यापक समाधान प्रदान करती है, तथा परियोजनाओं को परिकल्पना से लेकर पूरा होने तक संभालती है।

10 परियोजना निष्पादन के लिए आंतरिक विशेषज्ञता और संसाधनः

कंपनी आमतौर पर अपने स्वयं के अत्यधिक अनुभवी कार्यबल और अपने स्वयं के उपलब्ध संयंत्र और मशीनरी का उपयोग करके परियोजनाओं को क्रियान्वित करती है।

कमियां

1 **पीएसयू होने की अंतर्निहित बाधाः**

सरकारी कंपनी होने के नाते, इसे कई विशिष्ट दिशा–निर्देशों का पालन करना होगा जो निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए पर लागू नहीं होते हैं। निजी क्षेत्र की कंपनियों को अधिक लचीली होती है और कम कठोर प्रक्रियाओं के कारण वे अधिक तेज़ी से निर्णय ले सकती हैं।

2 भौगोलिक उपस्थिति के कारण भू–राजनीतिक जोखिम का खतराः

इरकॉन पांच विदेशी देशों में काम कर रहा है, जिससे उसे उस देश की भू–राजनीतिक स्थितियों का अनुभव मिलता है। इसके अलावा, यह जिन देशों में काम करता है, उनके साथ राजनयिक संबंधों से भी परिचित है।

अवसर

1 **बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का जोरः**

सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्पित है और विभिन्न नीतियों को लागू कर रही है। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जो हमारे जैसे प्रमुख खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है

2 **सरकार का ध्यान सतत ऊर्जा परः**

सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है और कई योजनाएं शुरू कर रही है। इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनी के माध्यम से बढ़ते हरित ऊर्जा क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार किया है। अक्षय ऊर्जा पर सरकार का ध्यान इरकॉन को अपार अवसर देता है।

3 **राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी):**

सरकार ने नागरिकों को विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए वित्त वर्ष 2019–25 के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) शुरू की है। इस अवधि के दौरान अनुमानित कुल अवसंरचना निवेश 111 लाख करोड़ रुपये है। कुल 9,800 परियोजनाओं में से 2,006 वर्तमान में विकास के अधीन हैं, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

4 **राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी):**

भारतीय रेलवे ने 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' रेलवे प्रणाली विकसित करने के लिए राष्ट्रीय रेलवे योजना तैयार की है। यह योजना रेलवे के माल ढुलाई मॉडल हिस्से को 27% से बढ़ाकर 45% करने के लिए परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीतियों से जुड़ी रणनीतियों पर केंद्रित है। सरकार ने इस पहल के हिस्से के रूप में नए समर्पित माल ढुलाई गलियारों और हाईस्पीड गलियारों की पहचान की है। एनआरपी 2021–2051 के तहत, सरकार ने रोलिंग स्टॉक के लिए 13.18 लाख करोड़ रुपये को छोड़कर, 25.02 लाख करोड़ रुपये की पूंजीगत व्यय योजना आवंटित की है।

जोखिम

1 **नामांकन के आधार पर कार्य आवंहन संबंधी सरकाटी नीति को वापस लेनाः**

इससे पहले कंपनी रेल मंत्रालय से नामांकन के आधार पर भी ऑर्डर हासिल कर रही थी। हालांकि, सरकार ने अपनी नीति बदल दी है और अब इरकॉन को ऑर्डर हासिल करने के लिए अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के साथ–साथ निजी कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। हालांकि, कंपनी पिछले कई सालों से प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए प्रोजेक्ट हासिल कर रही है।

2 **वस्तुओं की कीमतों में उच्च अस्थिरताः**

वैश्विक भू–राजनीतिक तनाव और संघर्षों के कारण तेल, लौह और अलौह धातुओं तथा सीमेंट सहित कमोडिटी की कीमतों में उल्लेखनीय उतार–चढ़ाव आया है। यह उतार–चढ़ाव संभावित रूप से अल्प से मध्यम अवधि में कंपनी की लाभप्रदता को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि, कंपनी मूल्य में उतार–चढ़ाव के प्रभाव को कम करने के लिए अनुबंध समझौतों में मूल्य वृद्धि खंड शामिल करके इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित करती है।

3 **मुद्रास्फीति का उच्च स्तरः**

आईएमएफ के विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2024) के अनुसार, वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में 6.8% के वार्षिक औसत से घटकर 2024 में 5.9% होने का अनुमान है। उम्मीद है कि उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उभरते बाजार और विकासशील

अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर अधिक तेज़ी से वापस आएंगी। अगले पाँच वर्षों में वैश्विक वृद्धि के लिए नवीनतम पूर्वानुमान 3.1% है, जो दशकों में इसका सबसे निचला स्तर है। फिर भी, आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि मजबूत घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आयु वर्ग की आबादी के कारण भारत की वृद्धि 2024 में 6.8% पर मजबूत रहेगी।

4 **छोटे पक्षों के कराण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में वृद्धिः**

क्षेत्रीय छोटे खिलाड़ियों की मौजूदगी के कारण प्रतिस्पर्धा में वृद्धि ने उद्योग में तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा को जन्म दिया है, जिससे संभावित रूप से कंपनी के मार्जिन पर दबाव पड़ रहा है। हालांकि, छोटे खिलाड़ी आम तौर पर छोटी परियोजनाओं को संभालते हैं। सुरंग निर्माण, हाई–स्पीड रेल और मेट्रो परियोजनाओं जैसे विशेष क्षेत्रों में इरकॉन की विशेषज्ञता को देखते हुए, जहां यह ईपीसी अनुबंध करता है, कंपनी पर प्रभाव न्यूनतम होने की उम्मीद है।

भविष्य का दृष्टिकोण

इरकॉन की रेलवे परियोजनाओं में सिद्ध विशेषज्ञता के साथ परिवहन अवसंरचना में उद्योग के नेताओं में से एक के रूप में लंबे समय से प्रतिष्ठा है। उद्योग में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने और बेहतर लाभ मार्जिन प्राप्त करने के लिए, हम अपनी विशेषज्ञता और वित्तीय ताकत दोनों के संदर्भ में बाजार में अपनी लाभप्रद स्थिति को भुनाने का इरादा रखते हैं। जैसे–जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम विकास के नए इंजनों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति पर काम करेंगे। हम इन परियोजनाओं द्वारा पेश किए गए स्वस्थ लाभ मार्जिन को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालाँकि, हम रेलवे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखते हैं, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से हमारा उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिमों के खिलाफ बचाव करना और कंपनी को विशेष उद्योग क्षेत्रों और सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यवसाय एकाग्रता के परिणामस्वरूप बाजार में होने वाले बदलावों से बचाना है।

हमें विश्वास है कि भारत सरकार द्वारा घोषित विभिन्न बुनियादी ढाँचा पहल हमें अपने भविष्य के विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगी। हमारा मानना है कि हम अपनी मजबूत तकनीकी क्षमताओं और मजबूत वित्तीय स्थिति के कारण इन तरीकों के तहत परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। अच्छे अनुभव और ठोस प्रदर्शन के साथ, हम अपने व्यवसाय में स्थिर वृद्धि देखने की उम्मीद करते हैं, जिसमें हमारे द्वारा शुरू की जाने वाली परियोजनाओं की संख्या में वृद्धि और इन परियोजनाओं से बेहतर लाभप्रदता मार्जिन शामिल है, जिसके लिए हमारी रणनीतियाँ इस प्रकार हैं:

घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भौगोलिक उपस्थिति का विस्तारः

इरकॉन सक्रीय रुप से सेक्टरो एवं भौगोलिक कवरेज, दोनों के साथ विविधता सवसंरचना कंपनी बनने पर ध्यान केंद्रित कर रहा हैं। और परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता का विस्तार किया है। वर्तमान में, कंपनी घरेलू स्तर पर बीस राज्यों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाँच देशों में परियोजनाओं को क्रियान्वित कर रही है। भारतीय बाजार में स्थापित उपस्थिति के साथ, इरकॉन देश के भीतर अनदेखे क्षेत्रों को कवर करने का इरादा रखता है। इरकॉन का मानना है कि इससे भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने में मदद मिलेगी और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। इरकॉन विकास के नए इंजनों के माध्यम से उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति बनाने की योजना बना रहा है। साथ ही, जबकि यह रेलवे क्षेत्र में अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है, पोर्टफोलियो विविधीकरण के माध्यम से, यह विशिष्ट क्षेत्रों या परियोजनाओं में जोखिमों के खिलाफ बचाव करने और विशेष उद्योग क्षेत्रों और/या सीमित भौगोलिक क्षेत्रों में व्यापार एकाग्रता के परिणामस्वरूप बाजार विविधताओं से खुद को बचाने की उम्मीद करता है। इरकॉन इन परियोजनाओं द्वारा पेश किए गए स्वस्थ लाभ मार्जिन को प्राप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में परियोजनाओं के साथ अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का प्रयास करता है। अच्छी विशेषज्ञता और ठोस प्रदर्शन, बढ़ते अनुभव और सफलता के साथ, कंपनी को उम्मीद है कि उसके कारोबार में स्थिर वृद्धि होगी और विस्तार की दर निर्माण उद्योग में सर्वश्रेष्ठ के बराबर या उससे बेहतर होगी।

कंपनी का लक्ष्य उद्योग क्षेत्रों में विविधता लाने की अपनी रणनीति को जारी रखना तथा घरेलू परियोजनाओं की तुलना में बेहतर लाभ मार्जिन हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऑर्डर बढ़ाना है।

अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विविधीकरणरू इरकॉन व्यवसाय विविधीकरण के लिए नए उभरते क्षेत्रों की खोज कर रहा है। अपनी विविधीकरण रणनीति के तहत, कंपनी ने संयुक्त उद्यम भागीदार के साथ 500 मेगावॉट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है। हाइड्रो पावर क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भी आगे प्रयास किए जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र पर सरकार के जोर के साथ, इस क्षेत्र में अपार अवसर हैं और कंपनी को इस क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने की बहुत उम्मीद है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र नियमित राजस्व सुनिश्चित करेगा और इसकी लाभप्रदता को भी मजबूत करेगा।

राजस्व सृजन के पीपीपी तरीकेरू इरकॉन धीरे–धीरे केवल व्यक्तिगत परियोजनाओं के माध्यम से आय उत्पन्न करने से अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवी) के माध्यम से नियमित रूप से राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की ओर बढ़ रहा है। मौजूदा परियोजनाओं और नई परियोजनाओं के निरंतर संचालन के कारण इरकॉन की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों द्वारा निरंतर आधार पर राजस्व और लाभ उत्पन्न करने की संभावना है। कंपनी का लक्ष्य एक निर्माण कंपनी से आगे बढ़कर एक विविध कंपनी बनना है, जिसके पास बीओटी, डीबीएफओटी, एचएएम, ईपीसी और अन्य अनुबंधों के साथ–साथ सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के माध्यम से परियोजना विकास और संचालन का पोर्टफोलियो हो।

नई परियोजनाओं के लिए सक्रिय रुप से ध्यान केंद्रणः इरकॉन के व्यवसाय में वृद्धि मुख्य रूप से बड़ी परियोजनाओं की खरीद के लिए बोली लगाने की बढ़ी हुई गतिविधि के कारण है। कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा, आंतरिक क्षमता और विशेषज्ञता के साथ, कंपनी रेलवे परियोजनाओं, सुरंगों, पुलों, समर्पित माल गलियारा, मेट्रो, आरआरटीएस, हाई स्पीड रेल, बुलेट ट्रेन ट्रैक आदि के अपने विशिष्ट क्षेत्रों में नई परियोजनाओं के लिए टर्नकी आधार पर बोली लगाती है, साथ ही रेलवे के अन्य संबंधित क्षेत्रों जैसे गोदामों, गति शक्ति टर्मिनलों आदि में भी। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

के विकास से प्रेरित बड़ी–उच्च – गुणवत्ता वाली परियोजनाओं को शुरू करने के लिए दक्षता और वित्तीय स्थिति दोनों के संदर्भ में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर अपनी लाभप्रद स्थिति का लाभ उठाना है। भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित विभिन्न पहल कंपनी के लिए विकास की गति को जारी रखने में मदद करेंगी। कंपनी ईपीसी और पीपीपी निष्पादन मोड के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है।

कंपनी घरेलू और विदेशी दोनों बाजारों में अन्य प्रमुख निजी खिलाड़ियों के साथ रणनीतिक गठबंधन बनाने का भी प्रयास करती है और अपने व्यावसायिक अवसरों के क्षितिज को और अधिक विस्तारित करने के लिए बोलियों में आक्रामक रूप से भाग लेती है।

अनुकूल वित्तीय जोखिम प्रोफ़ाइल: इरकॉन की वित्तीय प्रोफ़ाइल सकारात्मक लाभप्रदता मार्जिन और आरामदायक तरलता स्थिति को दर्शाती है, जिसने इसके परिचालन प्रदर्शन में योगदान दिया है। कंपनी अपने कारोबार और लाभप्रदता को बढ़ाने के लिए न्यूनतम ऋण के साथ अपनी सकारात्मक पूंजी संरचना को बनाए रखने का इरादा रखती है।

सरकार द्वारा किए गए सेक्टरल प्रयास: पिछले कुछ वर्षों में, भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए विभिन्न मैक्रो–स्तरीय और क्षेत्रीय पहल जारी की हैं। बुनियादी ढांचा क्षेत्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है, विशेष रूप से रेलवे और सड़क क्षेत्र। पिछले कुछ वर्षों के केंद्रीय बजट ने भी बुनियादी ढांचे के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और रेलवे और सड़क क्षेत्रों में पूंजीगत व्यय के लिए एक बड़ी राशि आरक्षित की गई है। हाल के वर्षों में, सरकार अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है और हमने इस क्षेत्र में काफी पूंजीगत व्यय देखा है। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप के साथ, इरकॉन अपने व्यवसाय के लिए कई अवसर प्राप्त करने में सक्षम है। कंपनी का लक्ष्य अपने स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड का लाभ उठाकर और परिवहन इंजीनियरिंग, सिविल और औद्योगिक निर्माण, अक्षय ऊर्जा और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपने बुनियादी ढांचे के ज्ञान में विविधता लाकर इन अवसरों को भुनाना है।

प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करना और बनाए रखना: इरकॉन अपने प्रतिभाशाली कर्मचारियों के महत्व और कंपनी की सफलता में उनकी भूमिका को पहचानता है। यह आधुनिक निर्माण उपकरणों को संचालित करने, अपनी जटिल निर्माण परियोजनाओं पर विभिन्न कार्यों को पूरा करने और अपने ग्राहकों को समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन देने के लिए उन पर निर्भर करता है। एक कुशल मानव संसाधन प्रणाली के साथ, इरकॉन अपने कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है। यह नियमित ऑन–जॉब कौशल विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपने कार्यबल को और मजबूत करने का इरादा रखता है। इसके अतिरिक्त, इरकॉन का लक्ष्य अपनी महिला कर्मचारियों को एक अनुकूल और सुरक्षित कामकाजी माहौल प्रदान करना है। इन प्रयासों के अलावा, इरकॉन अपने भविष्य के विस्तार के लिए अपेक्षाकृत कम कर्मचारी पलायन दर बनाए रखने और अपने अधिक कुशल श्रमिकों को बनाए रखने का भी इरादा रखता है। यह बेहतर समग्र लाभ पैकेज और एक सुरक्षित और स्वस्थ कामकाजी माहौल प्रदान करके किया जाता है।

नीतिगत समझौता ज्ञापन और गठबंधन

आपकी कंपनी समय–समय पर नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए विभिन्न रणनीतिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करती है। वित्त वर्ष 2023–24 में, इरकॉन ने भारत और विदेश में निर्माण कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम समझौते किए हैं।

प्रौद्योगिकी उन्नयन: कंपनी उन्नत तकनीक और निर्माण पद्धति को अपनाती है जो प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त सुनिश्चित करती है। यह परिचालन दक्षता में और सुधार करता है, विश्वसनीयता स्थापित करता है, ऑर्डर बुक मूल्य बढ़ाता है और ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाता है। इसके अलावा, इरकॉन का लक्ष्य अपने कर्मचारियों को ट्रेंडिंग तकनीकों से परिचित कराना है और साथ ही ऐसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी खोज कर रहा है जिनके लिए नवीनतम तकनीक की आवश्यकता होती है।

जोखिम प्रबंधन

इरकॉन स्वीकार करता है कि निर्माण क्षेत्र में काम करने से कंपनी को अंतर्निहित अनिश्चितताओं और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र की अस्थिरता विभिन्न बाहरी और आंतरिक जोखिमों को जन्म देती है जो वित्तीय और गैर–वित्तीय दोनों परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। जोखिम प्रबंधन के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण के महत्व को पहचानते हुए, इरकॉन ने एक व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा स्थापित किया है।

इरकॉन के पास 2007 से ही जोखिम प्रबंधन प्रणाली है, जिसमें जोखिम प्रबंधन नीति (आरएमपी) को शुरू में 2013 में तैयार किया गया था। समय के साथ, बदलते कारोबारी माहौल और नियामक आवश्यकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए आरएमपी में संशोधन किया गया है। आरएमपी के नवीनतम संशोधन को दिसंबर 2021 में बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य पूरे संगठन में जोखिम जागरूकता के उच्च स्तर को बढ़ावा देना, व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना और एक स्थायी जोखिम–जागरूक संस्कृति विकसित करना है।

ईआरएम ढांचे और सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स) विनियमन, 2015 के अनुसार, इरकॉन ने बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) की स्थापना की है। यह समिति अन्य जिम्मेदारियों के अलावा जोखिम तत्वों और शमन योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बोर्ड को रिपोर्ट करती है।

आरएमसी के प्राथमिक कार्यों में जोखिम वहन करने वाली प्रमुख गतिविधियों की पहचान करना, सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता में अंतर का आकलन करना, वर्तमान व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कमियों की पहचान करना जो संभावित खतरों को अनदेखा कर सकती हैं, जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना, रैपिड एक्शन ग्रुप (आरएजी) द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्टों की समीक्षा करना, सुधार के लिए दिशा–निर्देश प्रदान करना और संभावित जोखिमों के लिए इरकॉन की तैयारी सुनिश्चित करना शामिल है। आरएमसी आरएमपी को तैयार करने और समीक्षा करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें कंपनी के लिए विशिष्ट आंतरिक और बाहरी

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

जोखिमों की पहचान करने, जोखिम शमन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के लिए उपाय विकसित करने और कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए रूपरेखा शामिल है।

जोखिम प्रबंधन नीति के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इरकॉन ने कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधक स्तर पर एक त्वरित कार्रवाई समूह की स्थापना की है, साथ ही व्यावसायिक समूहों और आंतरिक लेखा परीक्षा टीमों की भी स्थापना की है। जोखिम प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएँ और जोखिम प्रबंधन पर रिपोर्ट सहित एमआईएस रिपोर्ट प्रारूप, ईआरएम ढांचे के अनुसार विकसित किए गए हैं। त्वरित कार्रवाई समूह की रिपोर्ट समीक्षा के लिए आरएमसी को प्रस्तुत की जाती हैं। अद्यतन जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप, महत्वपूर्ण जोखिमों की पहचान, निगरानी, समीक्षा, शमन योजनाएँ और सुधारात्मक कार्रवाइयाँ अब एक ऑनलाइन वेब–आधारित जोखिम प्रबंधन आईटी टूल के माध्यम से की जाती हैं, जिसकी समीक्षा आरएमसी द्वारा संगठनात्मक जोखिम भंडार के लिए आरएजी के माध्यम से की जाती है।

भारतीय संदर्भ में, इरकॉन को परियोजना निष्पादन में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भार–मुक्त भूमि की अनुपलब्धता और रेखाचित्रों और अनुमानों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में देरी। ये कारक समय और लागत में वृद्धि के जोखिम पैदा करते हैं, जिनकी अक्सर ग्राहक द्वारा भरपाई नहीं की जाती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को परियोजना राजस्व की भविष्यवाणी करने में अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे विभिन्न कारकों के कारण भिन्न हो सकते हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और इसकी उपयुक्तता

परिचालन और वित्तीय नियंत्रण की एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई और लगातार लागू की गई प्रणाली कंपनी के संसाधनों की सुरक्षा, वित्तीय रिपोर्टिंग की सटीकता और अखंडता सुनिश्चित करने और प्रासंगिक कानूनों और विनियमों के अनुपालन को बनाए रखने के लिए अभिन्न अंग है। इसके अतिरिक्त, ऐसी प्रणाली बड़ी त्रुटियों और अनियमितताओं की संभावना को कम करने के साथ–साथ घटित होने पर उनकी तुरंत पहचान करने में भी मदद करती है। इरकॉन ने अपने पैमाने और परिचालन दायरे के अनुरूप एक आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के साथ–साथ एक आंतरिक नियंत्रण तंत्र की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य परिचालन प्रभावकारिता को बढ़ाना और प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों, मानकों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है। इसके अलावा, कंपनी ने व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्राधिकरण के आवंटन को अनुकूलित करने वाली नीतियां और दिशानिर्देश स्थापित किए हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यवाहियां की गई हैं:

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी)

कंपनी अधिनियम, 2013 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय रिपोर्टिंग (आईसीएफआर) पर पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण रखती है, जिसे सावधानीपूर्वक लागू किया जाता है। ये नियंत्रण लेखांकन अभिलेखों के सटीक रखरखाव, कंपनी की नीतियों के अनुसार व्यावसायिक संचालन के व्यवस्थित निष्पादन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने तथा वित्तीय और परिचालन जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए संरचित हैं।

आईसीएफआर को शामिल करने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ढांचे का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उभरती हुई व्यावसायिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित है। इसकी प्रभावकारिता को बढ़ाने के लिए कोई भी आवश्यक संशोधन किया जाता है। प्रबंधन सभी प्रासंगिक वित्तीय सूचनाओं का पारदर्शी प्रकटीकरण सुनिश्चित करता है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति और संचालन के बारे में व्यापक जानकारी मिलती है।

आंतरिक लेखापरीक्षा

कंपनी अपने आंतरिक लेखा–परीक्षण के लिए अनुभवी पेशेवर फर्मों को नियुक्त करती है, तथा लेखा–परीक्षण की आवृत्ति प्रत्येक परियोजना के टर्नओवर और पूर्णता की स्थिति के आधार पर निर्धारित होती है।

कंपनी ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचे की स्थापना और पुष्टि की है, जो लेखापरीक्षा कवरेज की चौड़ाई को दर्शाता है। यह ढांचा वित्तीय लेखांकन, वित्तीय रिपोर्टिंग, निविदा और संबद्ध मामलों, परियोजना निष्पादन, खरीद, उप–अनुबंध, वैधानिक अनुपालन, और अधिक सहित विभिन्न पहलुओं को कवर करता है। प्रबंधन और लेखापरीक्षा समिति दोनों समय–समय पर आंतरिक नियंत्रण और लेखापरीक्षा प्रणालियों की समीक्षा करते हैं, निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

इसके अलावा, इरकॉन के पास एक संगठनात्मक चार्ट है, साथ ही शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए एक प्रणाली है जो वर्तमान संगठनात्मक संरचनाओं के साथ संरेखण सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अपडेट होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने एक संरचित धोखाधड़ी रोकथाम, पता लगाने और नियंत्रण नीति (एफपीडीसी नीति) और एक व्हिसलब्लोअर नीति की स्थापना की है, जिसे निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये नीतियाँ गोपनीय ई–शिकायतों के लिए चौनल स्थापित करती हैं, जो संगठन के भीतर अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं।

गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण मानक

इरकॉन गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है। कंपनी ने आईएसओ 9001:2015 के अनुसार गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इसने आईएसओ 14001:2015 के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और आईएस0 45001:2018 के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली भी लागू की है।

गुणवत्ता

इरकॉन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन को अपनाने वाला एक अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (फडे) को 1996 से सफलतापूर्वक बनाए रखा गया है और इसमें लगातार सुधार किया जा रहा है, जब कंपनी को टीयूवी एसयूडी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईएसओ 9002:1994 के लिए पहली बार प्रमाणित किया गया था। हमने प्रमाणन जारी रखा है और गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के नवीनतम संस्करण, यानी आईएसआ 9001:2015 (हर तीन साल की समाप्ति के बाद आवधिक पुनरू प्रमाणन ऑडिट द्वारा) के अनुसार प्रणाली को बनाए रखा है। नवीनतम निगरानी ऑडिट नवंबर, 2023 के महीने में टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था, और प्रमाणपत्र की वैधता मार्च, 2026 तक है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

विभाग ने दायरे के अनुसार विभिन्न विषयों पर डिजिटल प्लेटफॉर्म (यानी गूगल मीट, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स आदि) को अपनाकर तकनीकी ज्ञान साझा करने की पहल जारी रखी और संगठन की मुख्य क्षमता यानी रेलवे, राजमार्ग, सुरंग और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में प्रचलित कई तकनीकी और प्रौद्योगिकीय समाधानों को भी साझा किया।

इसके अलावा, संगठन के भीतर प्रत्येक कर्मचारी की भागीदारी को आकर्षित करने के लिए नई पहल की गई, बेहतर उत्पाद वितरण के साथ–साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना पेशेवरों के साथ गुणवत्ता सर्कल बैठक आयोजित की गई। कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमारे परियोजना स्थलों पर आईसीएफआर मैट्रिक्स को परिभाषित और लागू किया गया है। परियोजना प्रक्रिया मैनुअल (पीपीएम) के मानकीकरण के साथ–साथ सामग्री परीक्षण योजना और प्रारूपों को कंपनी की आंतरिक वेबसाइट पर ज्ञान साझा करने और परियोजना स्तरों पर आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करने में परियोजनाओं की मदद करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। परियोजनाओं की जटिल और विविध प्रकृति के बावजूद, गुणवत्ता प्रक्रियाओं के मानकीकरण के लिए इरकॉन की पहल संगठनात्मक ढांचे के भीतर पूर्ण एकीकरण प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता अधिकारियों को नामित करती है, ताकि वे अपनी–अपनी परियोजनाओं में गुणवत्ता प्रबंधन मानकों की निगरानी कर सकें, तथा इसे कंपनी के अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है, ताकि कार्य करते समय ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता प्रबंधन मानकों का क्रियान्वयन किया जा सके।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। गुणवत्ता उद्देश्यों को कॉर्पोरेट कार्यालय और परियोजना दोनों स्तरों पर मापा और समीक्षा की जा रही है। आंतरिक गुणवत्ता लेखा परीक्षा, साथ ही गुणवत्ता आश्वासन लेखा परीक्षा, परियोजना और कॉर्पोरेट कार्यालय के समन्वय में आयोजित की गई थी। इन लेखापरीक्षाओं की रिपोर्ट न केवल लेखापरीक्षा के दौरान सामने आई गैर–अनुरूपताओं का विवरण प्रदान करती है, बल्कि परियोजना की मुख्य विशेषताओं, प्रगति, सकारात्मक बिंदु (यदि कोई हो) और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों सहित भी प्रदान करती है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की और अक्टूबर, 2011 में आईएसओ 45001:2004 के लिए प्रमाणित हुई। आईएसओ 45001:2018 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्टूबर 2023 के महीने में आयोजित किया गया था, और प्रमाण पत्र की वैधता दिसंबर, 2024 तक है।

कोविड–19 महामारी के दौरान, कंपनी समय–समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए एहतियाती उपाय/दिशानिर्देशों का पालन करती है। साथ ही थर्मल स्कैनर, आरोग्यसेतु ऐप, स्वचालित सैनिटाइजेशन मशीन, पेपर डिसइंफेक्शन मशीन आदि जैसे निगरानी उपकरणों को लागू करके कार्यस्थल में कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए तेजी से पहल कर रही है। कंपनी ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए अपने कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए एक सतर्क टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए SHE अधिकारियों को नामित करती है ताकि वे अपनी संबंधित परियोजनाओं में वैधानिक कानूनों के एसएचई अनुपालन की निगरानी कर सकें, और इसे ठेकेदार द्वारा कार्य करते समय एसएचई प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की सामान्य अनुबंध शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है। इसके अलावा, इरकॉन इंट्रानेट पर सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी चेकलिस्ट जैसे दस्तावेज़ भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

इरकॉन प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इरकॉन को द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रतिष्ठित सुरक्षा नवाचार पुरस्कार, 2023 प्राप्त हुआ।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस)

आपटी कंपनी ने एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) स्थापित की और अक्टूबर 2011 में आईएसओ 14001:2004 के लिए प्रमाणित हुई। आईएसओ 14001:2015 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवंबर, 2023 के महीने में आयोजित किया गया था और प्रमाण पत्र की वैधता फरवरी, 2026 तक है।

कंपनी प्रमुख भारतीय परियोजनाओं के लिए पर्यावरण अधिकारियों को नामित करती है ताकि वे अपनी संबंधित परियोजनाओं में ईएमएस और पर्यावरण कानूनों के अनुपालन की निगरानी कर सकें और इसे ठेकेदार द्वारा कार्य करते समय पर्यावरण प्रबंधन मानकों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी की सामान्य अनुबंध शर्तों (जीसीसी) में भी शामिल किया जाता है। सभी परियोजनाओं द्वारा पर्यावरण जांच सूची विकसित और बनाए रखी गई है। इसके अलावा, सौर पैनल जैसे पर्यावरण के अनुकूल उपकरण लगाए गए हैं और विभिन्न कार्यालयों/परियोजनाओं में लगाए जा रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के माध्यम से कॉर्पोरेट कार्यालय में अपशिष्ट जल को रिसाइकिल किया जाता है और इसका उपयोग बागवानी के काम में किया जाता है। नोएडा और गुरुग्राम में इरकॉन की इमारतों में भी एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है।

विद्युत और जल के संरक्षण की लिए निगमित कार्यालयों में एलईडी लाइट, सेंसर लाइट और सेंसर नल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा, कंपनी के कार्यालयों/परियोजनाओं में पर्यावरण के अनुकूल कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे मिट्टी की ईंट के बजाय फ्लाई ऐश ईंट का इस्तेमाल, वर्षा जल संचयन व्यवस्था, सेंसर नियंत्रित क्रोमियम प्लेट (सीपी) फिटिंग और इमारत को टिकाऊ बनाने के लिए नवीनतम संस्करण के फेकेड ग्लास (इमारत में लगे कांच) का इस्तेमाल। निर्माण स्थलों पर पानी के उपयोग और अपशिष्ट जल, परिवेशी वायु गुणवत्ता और ध्वनि गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।

पर्यावरण अनुकूल संगठन होने के नाते, इरकॉन अपने हितधारकों के बीच पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतियोगिताओं और बैनर प्रदर्शन के माध्यम से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों (अर्थात विश्व पर्यावरण दिवस) में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

मानव संसाधन

इरकॉन का मानना है कि इसके कर्मचारी इसकी सफलता के लिए मौलिक हैं और संगठन के मूल्यों और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक हैं। कंपनी अपने मानव संसाधनों के विकास में निवेश करके

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

अपने संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके पास कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों में प्रभावी रूप से योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल और योग्यताएँ हैं। मानव संसाधन विकास में इरकॉन के प्रयास उद्योग मानकों के अनुरूप हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसके कर्मचारी आवश्यक ज्ञान और विशेषज्ञता से लैस रहें। कंपनी सकारात्मक कार्यस्थल वातावरण को बढ़ावा देने पर बहुत महत्व देती है और इसे बनाए रखने के लिए लगातार काम करती है। इरकॉन एक प्रेरक और संतोषजनक माहौल बनाने का प्रयास करता है जहाँ कर्मचारियों को कंपनी के विकास और सफलता में बहुमूल्य योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

कंपनी अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधन और उसके योगदान पर गर्व करती है। 31 मार्च, 2024 तक हमारी कंपनी की कुल कर्मचारी संख्या 1270 थी, जिसमें 857 नियमित कर्मचारी, 32 प्रतिनियुक्ति पर, 308 संविदा पर, 69 परामर्शदाता/सलाहकार और 04 निश्चित कार्यकाल के आधार पर कर्मचारी शामिल थे।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नौकरी छोडने़ की दर पिछले वर्ष के 9.06% की तुलना में घटकर 6.10% हो गई है।

कर्मचारी उत्पादकता

पिछले 5 वर्षों में कर्मचारी उत्पादकता में लगातार वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की कुल आय 12387.85 करोड़ है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए प्रति कर्मचारी कुल आय ₹ 9.75 करोड़ रही, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह 7.65 करोड़ रुपए थी।

भर्ती

अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को बनाए रखने के लिए, कंपनी सभी स्तरों पर शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उन्हें शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभिन्न तरीकों से हासिल किया जाता है, जिसमें नए स्नातक इंजीनियरों, पेशेवरों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती शामिल है। कंपनी अन्य सरकारी विभागों और रेलवे से प्रतिनियुक्ति या अवशोषण के माध्यम से, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को काम पर रखने और तीसरे पक्ष की पेरोल सेवाओं का उपयोग करके खुले बाजार से अनुभवी कर्मियों को भी लाती है। कंपनी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं सहित विविध पृष्ठभूमि के कर्मचारियों की उन्नति के लिए समान अवसर और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम भर्ती प्रथाओं का पालन करती है। ये नीतियाँ प्रबंधन की समावेशी और दूरदर्शी मानसिकता को दर्शाती हैं, जिसमें ष्समान अवसर नियोक्ताष होने पर ज़ोर दिया जाता है। कंपनी अपने व्यापक लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए अपनी भर्ती रणनीतियों की निरंतर समीक्षा और परिशोधन करती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 10 कर्मचारियों को पूर्णकालिक आधार पर भर्ती किया गया, जबकि 141 को सेवा अनुबंध सहित संविदा के आधार पर भर्ती किया गया, समावेशी रोजगार की नीति के अनुसार, शामिल किए गए लोगों में से 44 एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हैं। कंपनी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी लागू किया है, जिसमें 3 ईडब्ल्यूएस श्रेणी के कर्मचारियों को शामिल किया गया है। कार्यकाल आधारित नियुक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया भी शुरू की गई है।

प्रतिनियुक्ति

प्रशिक्षित और अनुभवी जनशक्ति की निरंतर आवश्यकता को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से परियोजना आवश्यकताओं के मद्देनजर, अनुभवी और प्रशिक्षित जनशक्ति को भारतीय रेलवे और अन्य सरकारी विभागों से एक निश्चित अवधि के आधार पर प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया जाता है। वर्ष के दौरान, 4 कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर शामिल किया गया, जिससे प्रतिनियुक्ति पर कुल जनशक्ति 32 हो गई।

प्रशिक्षण एवं विकास

इरकॉन सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए योग्यता पूल बनाने के उद्देश्य से योग्यता–आधारित ढांचे की ओर बढ़ रहा है। योग्यता मानचित्रण के परिणामस्वरूप, वरिष्ठ और मध्यम–स्तर के प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत विकास योजनाएँ तैयार की जाती हैं। इसके आधार पर, प्रशिक्षण आवश्यकताओं की पहचान की जाती है और अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

प्रशिक्षण और विकास को एक उच्च फोकस क्षेत्र मानते हुए, कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों जैसे अनुबंध प्रबंधन, मध्यस्थता, परियोजना प्रबंधन, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, वार्ता, व्यवसाय विकास और रणनीति, जोखिम प्रबंधन आदि में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान, 1032 मानव–दिवसों का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लगभग 1015 कर्मचारियों को शामिल किया गया, जिसमें परियोजना गुणवत्ता परिषद पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, आरटीआई अधिनियम और पीओएसएच अधिनियम पर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पहल, स्वास्थ्य जागरूकता वार्ता, आभासी प्रशिक्षण कार्यक्रम और कई अन्य व्यवहारिक, तकनीकी, गैर–तकनीकी आंतरिक और बाह्य प्रशिक्षण, सेमिनार, कार्यशालाएं शामिल थीं। इसलिए, हमारी मानव पूंजी को मजबूत करना हमारे कार्यों का मूल है। इरकॉन कर्मचारियों को उनके करियर में आगे बढ़ने में मदद करने के लिए कई पहल चलाता है

कैरिअर की प्रगति

कंपनी की पदोन्नति नीति सुव्यवस्थित रुप से स्थापित है और समय के साथ प्रभावी सिद्ध हुई है। यह सुनिश्चित करता है कि योग्य कर्मचारियों को करियर में उन्नति के लिए पर्याप्त अवसर मिलें और उत्तराधिकार योजना को सुविधाजनक बनाया जाए। पदोन्नति योग्यता, उपयुक्तता, प्रदर्शन और पेशेवर उपलब्धियों के आधार पर होती है जो संगठन की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होती है। 2023 की विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) में कार्यकारी श्रेणी में कुल 103 पदोन्नति दी गई, जबकि गैर–कार्यकारी श्रेणी में 32 पदोन्नति दी गई।

प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक आईटी–सक्षम प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली लागू की है जो प्रदर्शन से संबंधित वेतन (पीआरपी) प्रणाली से जुड़ी हुई है। यह पीआरपी प्रणाली कंपनी के प्रदर्शन, टीम के प्रदर्शन और कंपनी के वार्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत योगदान सहित कर्मचारी प्रदर्शन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी ढंग से पकड़ती है। टीम के प्रदर्शन पर जोर एक सहयोगी और एकजुट कार्य वातावरण को बढ़ावा देता है, जहां कर्मचारियों को टीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के

लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह दृष्टिकोण कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों, जैसे कि न्यूनतम वेतन और अन्य लाभों को बनाए रखना, की प्राप्ति को सुगम बनाता है।

इसके अलावा, कंपनी ने कर्मचारियों की भलाई के लिए अपनी नीतियों में अतिरिक्त लाभ शामिल किए हैं। इनमें व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा के प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि नियमित चिकित्सा जांच और लंबे समय तक इलाज के खर्चों की प्रतिपूर्ति। एलोपैथिक, होम्योपैथिक डॉक्टरों और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों की उपलब्धता भी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जिम की सुविधा और वेंडिंग मशीनों के माध्यम से मुफ्त चाय/कॉफी का प्रावधान जैसी मनोरंजक गतिविधियाँ कर्मचारी संतुष्टि और योग्यता मान्यता में योगदान करती हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग

व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने और कर्मचारियों को घर से काम करने में सक्षम बनाने के लिए, आईटी विभाग ने रिकॉर्ड को डिजिटल प्रारूप में रखने और दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए ई–ऑफिस को लागू करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है। कर्मचारी रिकॉर्ड, छुट्टी रिकॉर्ड, प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली (पीएमएस), वार्षिक संपत्ति रिटर्न, कर्मचारी जुड़ाव आदि जैसे मानव संसाधन कार्यों को ई–प्रारूप में रखा गया है, जिससे कागज का उपयोग कम हो गया है, पारदर्शिता और दक्षता आई है और गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कर्मचारी स्व–सेवा पोर्टल और विभिन्न सोशल मीडिया मोड के माध्यम से नीतियों और कार्यक्रमों को कर्मचारियों तक पहुँचाया जाता है।

प्रेरणा, पुरस्कार और मान्यता

असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए कर्मचारियों को समय–समय पर पुरस्कार और मान्यता दी जाती है। वित्तीय वर्ष में असाधारण प्रदर्शन करने वाले मेधावी कर्मचारी को सीएमडी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान असाधारण प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों को विभिन्न व्यक्तिगत और समूह पुरस्कार दिए जाते हैं।

कर्मचारी कल्याण

रोजगार के दौरान, कर्मचारियों को उदार भत्ते, सुविधाएं और सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों तरह के लाभ शामिल हैं। इनमें परिवहन सहायता, आवास विकल्प, पट्टे पर आवास, सब्सिडी वाला भोजन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपने कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है और इस तरह, इसने उनके समग्र कल्याण में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की हैं।

मातृत्व और दत्तक ग्रहण अवकाश, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा, तथा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति नकद पुरस्कार के भुगतान जैसे वैधानिक लाभों के अलावा, कंपनी कई कर्मचारी सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों में प्रशिक्षण, अग्रिम, बेहतर रहने की स्थिति प्रदान करने के लिए एक घर पट्टे की नीति, तथा लंबी बीमारियों या घातक बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों के लिए सहायता शामिल है। कर्मचारियों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देने और सकारात्मक कार्य वातावरण बनाने के लिए समय–समय पर उपहार, जैसे कि सेवानिवृत्ति उपहार, विवाह उपहार, जन्मदिन उपहार, दिवाली उपहार और वार्षिक दिवस उपहार दिए जाते हैं।

कंपनी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना सहित उदार सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करती है, जो प्रतिधारण उपकरण के रूप में काम करते हैं और कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण कर्मचारी या आश्रित की मृत्यु के मामले में अंतिम संस्कार व्यय प्रदान किया जाता है, और कर्मचारी की मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में आश्रित परिवार के सदस्यों को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है। अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, कंपनी ने कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसियों, टर्म प्लान और बचत से जुड़े बीमा सहित बीमा कवरेज लिया है। यह अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

इसके अलावा, किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारियों की सहायता के लिए 24x7 हेल्पलाइन सेवा की स्थापना की गई है। ज़रूरत पड़ने पर तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर समर्पित मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं।

महिला विकास

कंपनी ने महिला कर्मचारियों के विकास और उन्नति के लिए समान अवसर और सामंजस्यपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू किया है। इन चिंताओं को दूर करने के लिए लैंगिक मुद्दों, यौन उत्पीड़न और अनुकूल कार्य स्थितियों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। महिला कर्मचारियों को बैठकों, परियोजना कार्य और समितियों में भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जो लैंगिक पूर्वाग्रह के बिना समान अवसर को बढ़ावा देते हैं। प्रबंधन हमेशा ऐसी प्रथाओं को अपनाने में सबसे आगे रहा है जो एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ महिलाएँ सशक्त, आत्मविश्वासी और निर्णय लेने में सक्षम महसूस करती हैं। महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के लिए, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच) के लिए एक समिति की स्थापना की गई है। इस समिति का उद्देश्य एक सहायक ढांचा प्रदान करना और यौन उत्पीड़न के किसी भी मामले को संबोधित करना है।

शिकायत निवारण

कर्मचारियों की शिकायतों को निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से तुरंत संबोधित करने और हल करने के लिए कंपनी में शिकायत निवारण प्रणाली मौजूद है, जिसके तहत कर्मचारी अपनी शिकायत निवारण के लिए उचित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा, केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) पोर्टल के माध्यम से रेल मंत्रालय को ऑनलाइन शिकायतें की जा सकती हैं।

व्हिसल ब्लोअर नीति

इरकॉन के पास एक अलग और सुव्यवस्थित सतर्कता विभाग है, जो कर्मचारियों, ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार करने वालों से जुड़ी धोखाधड़ी या संदिग्ध कदाचार से निपटता है। इसके अलावा, अनैतिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए एक व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम नीति भी मौजूद है।

प्रबंधन विचारविमर्श और विश्लेषण

भारत सरकार की पहलों में योगदान

कंपनी हमेशा से ही भारत सरकार की पहलों का सक्रिय रुप से समर्थन करती रही है जैसे कौशल भारत, स्वच्छ भारत मिशन, स्टार्ट–अप इंडिया, मेक इन इंडिया, एमएसएमई, डिजिटल इंडिया, सौर पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने आदि में सक्रिय रूप से सहयोग करती रही है, तथा इसके लिए वह सरकार की योजनाओं के अनुरूप अपने व्यवसाय या शासन उद्देश्यों को तैयार करती रही है।

एमएसएमई को बढ़ावा देना

सीपीएसई होने के नाते, कंपनी की खरीद नीति और अभ्यास सीवीसी दिशा–निर्देशों सहित सरकारी नीतियों और अभ्यासों द्वारा निर्देशित होते हैं। ये पारदर्शी खरीद तंत्र पर आधारित हैं, जो स्थानीय और छोटे उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को भी बढ़ावा देता है। इरकॉन सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार एमएसई से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद कर रहा है। तदनुसार, उन छोटे उत्पादकों को खरीद वरीयता दी जाती है जो कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य बैंड के भीतर अपनी कीमत उद्धृत करते हैं। कंपनी ने भारतीय बोलीदाताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी निविदा प्रक्रियाओं को भी अपनाया है। इसके अलावा, एमएसई के बीच अधिक जागरूकता लाने और उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कंपनी द्वारा एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने सामग्री, स्टोर और सेवा पर 135.58 करोड़ रुपये (एमएसई के दायरे से बाहर की वस्तुओं की खरीद को छोड़कर) के व्यय के मुकाबले एमएसई विक्रेताओं से 80.52 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जिससे खरीद नीति के अनुसार 25% की अनुपालन आवश्यकता के मुकाबले एमएसई से 59.39% खरीद हासिल हुई है। कंपनी ने 22 दिसंबर, 2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय, दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया है और भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय, एमएसएमई डीएफओ, ओखला, नई दिल्ली ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (रेल मंत्रालय के तहत एक सीपीएसई), एनएसआईसी, सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) और अन्य सीपीएसयू और स्थानीय एमएसएमई संघों के सहयोग से जीएल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क– II, ग्रेटर नोएडा, जिले में दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक प्रदर्शनी का आयोजन किया। 6 और 7 मार्च 2024 को गौतमबुद्धनगर।

कंपनी सरकारी ई–मार्केट प्लेस (जीईएम) के माध्यम से खरीद पर सरकार के दिशा–निर्देशों का बड़े पैमाने पर पालन कर रही है और भारत सरकार के "मेक इन इंडिया" निर्देशों को बढ़ावा देने के लिए निविदाओं में प्रावधान भी किए गए हैं। सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता), आदेश 2017 के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग करते हुए ₹ 200 करोड़ तक के मूल्य की निविदाएँ आमंत्रित की गईं।

चेतावनी विवरण

कंपनी के उद्देश्यों, पूर्वानुमानों, अनुमानों, संभावनाओं का वर्णन करने वाले प्रबंधन विचारविमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट में दिए गए विवरण कंपनी के प्रबंधन के मातानुसार लागू नियमों और विनियमों के भीतर अग्रणी विवरण हो सकते हैं। ऐसे विवरण भावी घटनाओं के संबंध में कंपनी के वर्तमान दृष्टिकोण को प्रदर्षित करते हैं और यह जोखिमों और अनिश्चितताओं के मद्देनजर हो सकते हैं। कई कारक इस रिपोर्ट के पूर्वानुमान से सामग्रीगत रूप से भिन्न परिणाम प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें, अन्यों के साथ–साथ शामिल हैं, कंपनी के प्रचालन के क्षेत्र को प्रभावित करने वाली सामान्य आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियां, व्यवसाय नीति में परिवर्तन, ब्याज की दरों मुद्रास्फीति, मुद्रा अवनति, विदेशी मुद्रा दरों तथा उद्योग में प्रतिस्पर्धा में परिवर्तन, सरकारी विनियमों, कर नियमों तथा अन्य सांविधिक और अन्य आकस्मिक कारकों में परिवर्तन द्य कंपनी किसी भावी विवरणों के सार्वजिक उद्यतन के किसी दायित्व को स्वीकार नहीं करती है, वह चाहे नई सूचना, भावी घटना या अन्यथा हो।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से
ह0 / –
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 13 अगस्त, 2024
स्थान: नई दिल्ली

निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यगण,

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कंपनी की 48 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह रिपोर्ट कंपनी के प्रदर्शन का एक परिणामों को सारांश और 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित मुख्य बिंदु शामिल है।

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

विवरण	स्टैंडएलोन				समेकित	
	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	प्रतिशत आयु परिवर्तन	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2022-23	प्रतिशत आयु परिवर्तन
कुल आय /टर्नओवर	**12,387.85**	10,261.63	**20.72%**	**12,870.52**	10,749.89	**19.73%**
कुल प्रचालन आय/ टर्नओवर	**11,950.40**	9,921.20	**20.45%**	**12,330.91**	10,367.93	**18.93%**
ईबीआईटीडीए	**1,201.36**	923.72	**30.06%**	**1,509.96**	1,116.54	**35.24%**
कर पूर्व लाभ	**1,155.54**	883.19	**30.84%**	**1,261.13**	891.00	**41.54%**
कर पश्चात् लाभ	**862.90**	776.83	**11.08%**	**929.51**	765.23	**21.47%**
निवल संपत्ति	**5,771.76**	5,178.48	**11.46%**	**5,870.92**	5,211.49	**12.65%**
विनियोजन						
लाभांश (अंतिम और अंतरिम)	**291.56**	282.16	**3.33%**			
ईपीएस	**9.17**	8.26	**11.02%**	**9.88**	8.14	**21.38%**

टिप्पणियाँ: * इसमें प्रस्तावित [अंतिम लाभांश शामिल है आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम)] में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन।

वित्तीय विशिष्टताएं

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 12,387.85 करोड़ की अब तक की सर्वाधिक कुल आय अर्जित की है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह ₹ 10,261.63 करोड़ थी, जो लगभग 20.72% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है।

आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान ₹ 12,387.85 करोड़ की अब तक की सर्वाधिक कुल आय अर्जित की है, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 में यह ₹ 10,261.63 करोड़ थी, जो लगभग 20.72% की वृद्धि दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कर–पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹ 1,155.54 करोड़ तक पहुंच गया, जो वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 883.19 करोड़ की तुलना में 30.84% की वृद्धि दर्शाता है। इसी तरह, कर–पश्चात लाभ (पीएटी) वित्त वर्ष 2023–24 में ₹ 862.90 करोड़ तक पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2022–23 में ₹ 776.83 करोड़ से 11.08% की वृद्धि दर्शाता है।

आपकी कंपनी की नेटवर्थ वित्त वर्ष 2022–23 में 5,178.48 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2023–24 में 5,771.76 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च, 2024 तक प्रति शेयर आय 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 31 मार्च, 2023 तक 8.26 रुपये प्रति शेयर की तुलना में 9.17 रुपये प्रति शेयर थी।

लाभांश

कंपनी का मुख्य ध्यान शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने पर है। कंपनी के पास अपनी स्थापना के बाद से लाभांश का भुगतान करने का एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। वित्त वर्ष 2023–24 में, निदेशक मंडल ने 2 रुपये प्रति शेयर के अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर 1.80 रुपये का अंतरिम लाभांश घोषित और वितरित किया। यह लगभग 169.29 करोड़ रुपये (188.10 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी के 90% पर गणना) था। अंतरिम लाभांश दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के असंबद्ध वित्तीय परिणामों के आधार पर घोषित किया गया था।

इसके अलावा, बोर्ड ने 2 रुपये अंकित मूल्य वाले प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 1.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है, जो कुल 122.27 करोड़ रुपये (188.10 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी का 65%) है। यह अंतिम लाभांश आगामी एजीएम में शेयरधारकों से अनुमोदन के अधीन है और यह वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लाभांश पर आधारित है।

इन लाभांशों पर विचार करते हुए, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कुल लाभांश लगभग ₹ 291.56 करोड़ (₹ 188.10 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 155%) होगा। यह वित्त वर्ष 2023–24 के लिए

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

कर–पश्चात लाभ का 33.79% और 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की निवल संपत्ति का 5.05% है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश के अनुमोदन और भुगतान के बाद, वित्त वर्ष 2023–24 तक शेयरधारकों को दिया जाने वाला संचयी लाभांश लगभग ₹ 2,948.18 करोड़ होगा।

लाभांश की घोषणा लाभांश वितरण नीति के अनुरूप है, जो संशोधित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) के विनियम 43ए और "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजी पुनर्गठन" पर दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है।

शेयर पूंजी और विनिवेश का शेयरों

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी ₹188.10 करोड़ थी, जिसमें ₹2/– अंकित मूल्य के 94,05,15,740 इक्विटी शेयर शामिल थे। 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के प्रमोटर यानी भारत के राष्ट्रपति की शेयरधारिता कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 65.17: थी। इरकॉन प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए में निर्दिष्ट न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता (एमपीएस) आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्ताव (ओएफएस) के माध्यम से कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 8.01% विनिवेश किया था, जिसमें 30.09.2023 तक कंपनी के कुल पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों का 8% शामिल है, यानी 07.12.2023 से 08.12.2023 तक बिक्री के लिए प्रस्ताव तंत्र के माध्यम से 94,05,15,740 और कंपनी के कुल पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों का 0.014% कंपनी के पात्र कर्मचारियों को कर्मचारी बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से 22.12.2023 को बेचा जाना शामिल है।

उपरोक्त ओएफएस के अनुसार, भारत सरकार की हिस्सेदारी 73.18% से घटकर 65.17% हो गई है।

31 मार्च, 2024 को इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) के बाजार मूल्य के आधार पर, इसे शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों में रखा गया है। 31 मार्च, 2024 तक, आपकी कंपनी का बाजार पूंजीकरण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में 20658.43 करोड़ रुपये था।

शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन

31 मार्च, 2024 तक 1887 शेयरों को छोड़कर सभी शेयर भौतिक रूप में डीमैटरियलाइज्ड रूप में रखे गए हैं और शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन का विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिया गया है।

प्रतिधारित आय में अंतरण

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिधारित आय में विनियोजन 291.56 करोड़ रुपये के कुल लाभांश पर विचार करने के बाद 571.34 करोड़ रुपये था।

पूंजीगत व्यय और तरलता

वर्ष के दौरान, कंपनी ने घरेलू और विदेशी परियोजनाओं में पूंजीगत परियोजनाओं पर अकेले 283.38 करोड़ रुपये खर्च किए; जिसमें एक इमारत के निर्माण के लिए 2.90 करोड़ रुपये, प्लांट और मशीनरी के अधिग्रहण के लिए 23.62 करोड़ रुपये, अन्य परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए 14.47 करोड़ रुपये और एसपीवी में निवेश के लिए 242.39 करोड़ रुपये शामिल हैं।

31 मार्च, 2024 तक कंपनी की तरलता स्थिति 4429.13 करोड़ रुपये पर मजबूत बनी हुई है, जिसमें 1828.88 करोड़ रुपये नकद और नकद समकक्ष और 2600.25 करोड़ रुपये अन्य बैंक शेष में शामिल हैं। 4429.13 करोड़ रुपये में से, क्लाइंट/शेष परियोजना निधि की राशि 3614.60 करोड़ रुपये है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी ने आज तक संचयी रूप से ₹19704 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 में ₹432.99 करोड़ की तुलना में ₹622.66 करोड़ की विदेशी मुद्रा अर्जित की है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विदेशी मुद्रा व्यय ₹553.23 करोड़ रहा, जबकि वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान ₹406.83 करोड़ था। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2023–24 में निवल विदेशी मुद्रा आय ₹69.43 करोड़ है।

इरकॉन समूह का प्रदर्शन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, इरकॉन ने अपनी सहायक कंपनियों ('समूह') के साथ समेकित आधार पर 12870.52 करोड़ रुपये (पिछले वर्षरू 10749.89 करोड़ रुपये) का अब तक का सर्वाधिक कुल कारोबार दर्ज किया है। समूह ने परिचालन कारोबार में 18.93% की भारी वृद्धि दर्ज की है, जो 12330.91 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 10367.93 करोड़ रुपये) हो गया है। समूह ने कर से पहले 1261.13 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 891 करोड़ रुपये) का समेकित लाभ और कर के बाद 929.51 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 765.23 करोड़ रुपये) का लाभ दर्ज किया, दोनों में क्रमशः 41.54% और 21.47% की वृद्धि दर्ज की गई।

समूह का ईबीआईटीडीए ₹1509.96 करोड़ (पिछले वर्ष: ₹1116.54 करोड़) था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 35.24% की वृद्धि थी।

वित्तीय प्रदर्शन के संदर्भ में, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर समझौता ज्ञापन के संदर्भ में रेल मंत्रालय द्वारा निर्धारित ₹10650 करोड़ (समेकित आधार पर) के टर्नओवर लक्ष्य मानदंड को प्राप्त किया और पार कर लिया।

"नवरत्न" का दर्जा प्रदान करना

डीपीई ने 12 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को "नवरत्न" का दर्जा प्रदान किया है। अब, इरकॉन सीपीएसई में 15वीं नवरत्न सीपीएसई है, जो 28 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध हुई और जिसने कॉर्पोरेट प्रशासन का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है।

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएँ

रिपोर्ट की तारीख तक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दौरान और उसके बाद कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हैं।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

वित्तीय विवरण (स्वतंत्र और समेकित)

कंपनी के निदेशक मंडल ने 21 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त वर्ष 2023–24 (स्वतंत्र और समेकित) के लिए वित्तीय विवरण को लिए स्वीकृति प्रदान की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी ने अपने समेकित वित्तीय विवरण a) अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के लिए लाइन–बाय–लाइन पद्धति के अनुसार तैयार किए हैं। इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल), इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल), इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल), इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल), इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल), इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल), इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल), इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल), इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल), और इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल) और सहायक कंपनी अर्थात इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल); और बी) इक्विटी पद्धति के अनुसार, सात संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल), इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरएसडीसी) [चालू व्यवसाय के आधार पर नहीं,] छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल), छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल), झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल), महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) और बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में अनिगमित संयुक्त उद्यमों के खातों को शामिल किया गया है।

रेल मंत्रालय के दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 के पत्र के अनुसार, आईआरएसडीसी के व्यवसाय को बंद करने और व्यवसाय/परिसंपत्तियों को हस्तांतरित/हस्तांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। तदनुसार, समापन गतिविधियों के हिस्से के रूप में, आईआरएसडीसी की सभी संपत्तियां और देनदारियां ख्इसकी सहायक कंपनियों जैसे गांधी नगर रेलवे और शहरी विकास निगम (जीएआरयूडी) और सूरत एकीकृत परिवहन विकास निगम लिमिटेड (एसआईटीसीओ) में इसके निवेश को छोड़कर, को रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)/रेलवे मंत्रालय को स्लंप सेल के आधार पर कटऑफ तिथि के अनुसार बुक वैल्यू से कम नहीं के विचार के लिए हस्तांतरित किया जाना है, जिसे आईआरएसडीसी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में अनुमोदित किया गया है। वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई समापन संबंधी गतिविधियाँ अभी पूरी होनी बाकी हैं। इन गतिविधियों के पूरा होने और परिसंपत्तियों और देनदारियों को आरएलडीए/रेलवे मंत्रालय को सौंपने पर परिसमापन प्रक्रिया शुरू होगी। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी को अपने निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है क्योंकि आईआरएसडीसी की रिपोर्ट की गई नेटवर्थ में कंपनी की हिस्सेदारी 60.29 करोड़ रुपये है, यानी 231.89 करोड़ रुपये का 26% जबकि हमारी हिस्सेदारी 52 करोड़ रुपये है।

एमसीआरएल परियोजना के चरण– I (अंगुल–बलराम, 14 किलोमीटर पहले से ही चालू है) और चरण– II (बलराम–पुटगड़िया–टेंटुलोई, 54 किलोमीटर निर्माणाधीन) को रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर–तरीके प्रक्रिया में हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।

रेल मंत्रालय (एमओआर) ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों को एमओआर को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर–तरीके प्रक्रिया में हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी तरह की कमी की आशंका नहीं है।

कंपनी वित्त वर्ष 2023–24 के लिए अपने ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन और समेकित) और अपनी ग्यारह सहायक कंपनियों (इरकॉनआईएसएल, इरकॉनपीबीटीएल, इरकॉनएसजीटीएल, इरकॉनडीएचएचएल, इरकॉनवीकेईएल, इरकॉनजीआरएचएल, इरकॉनएएसईएल, इरकॉनएलआरएचएल, इरकॉनबीएमईएल, इरकॉनएचबीएल और आईआरपीएल) के वित्तीय विवरण अपनी वेबसाइट (www.ircon-org) पर उपलब्ध कराएगी।

इसके अलावा, फॉर्म एओसी–1 में ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला एक विवरण वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न है।

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कंपनियों को एजीएम की सूचना, बोर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और अन्य संबंधित दस्तावेजों सहित वित्तीय विवरण विशेष रूप से उन सदस्यों को ई–मेल के माध्यम से भेजने की अनुमति दी थी, जिन्होंने कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागी/डिपॉजिटरी के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत किए हैं, साथ ही अन्य पात्र व्यक्तियों को भी। एमसीए और सेबी द्वारा क्रमशः 25 सितंबर, 2023 और 7 अक्टूबर, 2023 को जारी परिपत्रों के अनुसार ये छूट 30 सितंबर, 2024 तक बढ़ा दी गई है। इन छूटों को ध्यान में रखते हुए और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में, एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट उन शेयरधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जाएगी, जिन्होंने पहले से ही संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत कर लिए हैं। ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे और स्टॉक एक्सचेंजों, अर्थात् बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को भी प्रदान किए जाएंगे।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

विनियमन 34 के अनुसार एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों की अनुसूची–V के साथ प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडीए) रिपोर्ट को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में शामिल किया गया है। इसे संदर्भ द्वारा शामिल किया गया है और यह इस रिपोर्ट के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करता है। एमडीए रिपोर्ट वैश्विक और भारतीय अर्थव्यवस्था, उद्योग विश्लेषण, भविष्य के दृष्टिकोण, कंपनी अवलोकन, कानूनी स्थिति और स्वायत्तता, व्यावसायिक प्रभाग/इकाइयाँ, वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निष्पादित परियोजनाएँ, आगामी परियोजनाएँ, शक्तियाँ, दायरा और अवसर, प्रमुख चिंताएँ, व्यावसायिक रणनीतियाँ, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और मानव संसाधनों में महत्वपूर्ण विकास सहित विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा प्रदान करती है।

बाहरी वातावरण

वृहद आर्थिक स्थितियाँ

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, उसके विश्व आर्थिक परिदृश्य (अप्रैल 2024) में, वैश्विक वृद्धि, जिसका अनुमान 2023 में 3.2% है, 2024 और 2025 में भी इसी गति से जारी रहने का अनुमान है। 2024 के पूर्वानुमान को जनवरी 2024 के विश्व आर्थिक परिदृश्य अद्यतन से 0.1% और अक्टूबर 2023 के WEO से 0.3% तक संशोधित किया गया है। इसके विपरीत, भारत की वृद्धि दर 2024 में 6.8% और

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

2025 में 6.5% रहने का अनुमान है। इस मजबूत वृद्धि का श्रेय निरंतर घरेलू मांग और बढ़ती कामकाजी आयु वाली आबादी को जाता है।

वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति 2023 में वार्षिक औसत 6.8% से घटकर 2024 में 5.9% और 2025 में 4.5% रहने की उम्मीद है, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपने मुद्रास्फीति लक्ष्यों पर जल्दी लौट आएंगी। 2024 में गैर–ईंधन वस्तुओं की कीमतों का पूर्वानुमान मोटे तौर पर स्थिर है, यूरोप और चीन में कमजोर औद्योगिक गतिविधि के कारण आधार धातुओं की कीमतों में 1.8% की गिरावट आने की उम्मीद है।

31 मई, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम अनुमानों के अनुसार, 2023–24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 8.2% रखी गई थी। आपूर्ति पक्ष पर, वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) क्यू4: 2023–24 में 6.3% बढ़ा। वास्तविक जीवीए ने 2023–24 में 7.2% की वृद्धि दर्ज की। 2024–25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2% अनुमानित है, जिसमें क्यू1 7.3%, क्यू2 7.2%, क्यू3 7.3% और क्यू4 7.2% है।

बुनियादी ढांचा और निर्माण उद्योग – सरकारी पहल और उद्योग दृष्टिकोण

आधारभूत संरचना है ए महत्वपूर्ण ड्राइवर के लिए विकास अन्य उद्योगों और भारत के समग्र विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने बुनियादी ढांचे और निर्माण सेवाओं को बढ़ाने को प्राथमिकता दी है। लक्षित नीतियां. इन पहल शामिल करना खुले एफडीआई मानदंड, बुनियादी ढांचा क्षेत्र के लिए पर्याप्त बजट आवंटन और स्मार्ट सिटीज मिशन। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री ने गति शक्ति मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एकीकृत करना है देश भर में बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों को बढ़ावा दिया जाएगा।

बजट 2024–25 में बुनियादी ढांचे के लिए पूंजी निवेश परिव्यय है गया बढ़ा हुआ द्वारा 11.1% को ₹11.11 लाख करोड़ (133.86 बिलियन अमेरिकी डॉलर) है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। भारतीय सरकार है पुररू विभिन्न निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रारूप, विशेष रूप से सड़क और राजमार्ग, हवाई अड्डे, औद्योगिक पार्क और उच्च शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्र। निजी इक्विटी–वेंचर कैपिटल फर्मों ने मई 2023 में भारतीय कंपनियों में 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (71 सौदों में) का निवेश किया ।

राष्ट्रीय राजमार्ग देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुशल आंदोलन माल ढुलाई का और यात्रियों की सुविधा और बाजार तक पहुंच में सुधार। एमओआरटीएच और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों ने कई पहलों को लागू किया है में अंतिम 8 साल को बढ़ाना क्षमता का राष्ट्रीय हाइवे आधारभूत संरचना में भारत। सड़क और राजमार्गों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, इसके बाद रेलवे और शहरी सार्वजनिक परिवहन का स्थान है। परिवहन। सरकार ने परिवहन क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जिसमें 2025 तक 2 लाख किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विकास और हवाई अड्डों की संख्या बढ़ाकर 220 करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2030 तक 23 जलमार्गों को चालू करने और 35 मल्टी–मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) विकसित करने की योजना भी शामिल है। बजट परिव्यय के लिए बुनियादी ढांचे से संबंधित वित्त वर्ष 23 में मंत्रालयों का व्यय लगभग 3.7 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5 लाख रुपये हो गया करोड़ में वित्त वर्ष 24, प्रसाद निवेश संभावनाएं के लिए निजी क्षेत्र आर–पार विभिन्न परिवहन उप –खंड.

बजट 2024–25 के तहत भारत सरकार ने आवंटित किया रु. 2.72 लाख करोड़ (अमेरिकी डॉलर $ 33.46 (बिलियन) को मंत्रालय का सड़क परिवहन और राजमार्ग. में फरवरी 2024 में एनएचएआई ने सर्वाधिक 15,624 करोड़ रुपये (1.88 बिलियन अमेरिकी डॉलर) जुटाए के माध्यम से इनविट तरीका। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में निर्माण विकास 26.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच रहा अप्रैल 2000 – दिसंबर 2023. सरकार लक्ष्य निर्मित करना 65,000 कि.मी. का राष्ट्रीय राजमार्ग पर क लागत ₹ 5.35 लाख करोड़ (अमेरिकी डॉलर $ 741. 51 (अरब)।

भारतीय रेलवे ने भारत के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय रेल योजना (एनआरपी) – 2030 विकसित की है जिसका लक्ष्य है: बदलने रेलवे प्रणाली में क वर्ष 2030 तक 'भविष्य के लिए तैयार' बुनियादी ढाँचा तैयार करना। एनआरपी का उद्देश्य परिचालन क्षमताओं और वाणिज्यिक नीति पहलों दोनों के आधार पर रणनीति तैयार करना है ताकि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाया जा सके। योजना का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्षमता का निर्माण करना है। माँग, जो बदले में भी पूरा को भविष्य विकास में माँग सही ऊपर 2050 तक रेलवे की भागीदारी को बढ़ाना तथा माल यातायात में रेलवे की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाना तथा इसे बनाए रखना।

बजट 2024–25 के तहत, सरकार ने US$ आवंटित किया 30.3 अरब (₹ 2.52 लाख करोड़) को रेल मंत्रालय। 2024–25 में भारतीय रेलवे ऊर्जा, खनिज, और सीमेंट कुशलतापूर्वक; कनेक्ट बंदरगाहों बेहतर होगा; तथा व्यस्त यातायात मार्गों में सुधार होगा।

भारत का लॉजिस्टिक्स बाज़ार 317.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर का होने का अनुमान है में 2024 और है अपेक्षित को पहुँचना अमेरिकी डॉलर 484.43 वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का कहना है कि लॉजिस्टिक्स क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 5% हिस्सा है और लगभग 2.2 करोड़ भारतीयों को रोजगार प्रदान करता है।

इन प्रयास हैं महत्वपूर्ण के लिए बढ़ाने आर्थिक विकास, कनेक्टिविटी में सुधार, और समग्र विकास को बढ़ावा देना आर–पार विभिन्न क्षेत्र. का एकीकरण अलग मोड का परिवहन कर सकना इससे निश्चित रूप से अधिक कुशल रसद और तीव्र परियोजना कार्यान्वयन हो सकेगा।

ऑर्ड बुक

कंपनी जिस उद्योग से संबंधित है, वहां ऑर्डर बुक को भावी प्रदर्शन का सूचक माना जाता है, क्योंकि यह प्रत्याशित भावी राजस्व के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी घरेलू के साथ–साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की भी मांग पूरी करती है तथा प्रतिस्पर्धी बोली के साथ–साथ रेल मंत्रालय द्वारा नामांकन के माध्यम से भी ऑर्डर प्राप्त करती है।

रेल मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परियोजनाएं आवंटित करने की अपनी नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया है और पात्र सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धी बोली की प्रणाली को समाप्त कर दिया है तथा परियोजनाओं के निष्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली की व्यवस्था शुरू की है। का रेलवे काम करता है. कंपनी है भी हाथ में लिया पीपीपी परियोजना में सड़कें और राजमार्ग के नीचे टोल/एचएएम मॉडल।

31 मार्च 2024 तक ऑर्डर बुक ₹27208 करोड़ है तुलना को ₹35195 करोड़ जैसा पर मार्च 31, 2023. प्रमुख नया आदेश हैं से रेलवे विद्युतीकरण, राजमार्ग परियोजना, मेट्रो ट्रैक कार्य, कार्यशालाएं, हवाई अड्डे और नवीकरणीय ऊर्जा; साथ ही सिविल और ट्रैक प्रतिष्ठित हाई स्पीड रेलवे परियोजना में काम करना।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

घरेलू परियोजनाओं

निगमन के बाद से, कंपनी ने विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण किया है आधारभूत संरचना क्षेत्रों और है अब एक रेलवे और राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में स्थापित खिलाड़ी। इसके अलावा, इसने कई अन्य क्षेत्रों में भी विविधता लाई है जैसे कि बिजली पारेषण लाइनें, सब–स्टेशन औद्योगिक परिसर, पुल और फ्लाईओवर, सुरंगें, विद्युत और यांत्रिक कार्य, सिग्नलिंग और दूरसंचार, उत्पादन इकाइयाँ, स्टेशन भवन, बहु–कार्य परिसर, वाणिज्यिक, आवासीय परिसरों का निर्माण, सौर ऊर्जा और हवाई अड्डों का निर्माण। विभिन्न परियोजनाओं का पोर्टफोलियो क्षेत्रों है मदद की कंपनी में कम–जोखिम इससे निर्माण व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और किसी भी क्षेत्र या परियोजना के प्रकार पर हमारी निर्भरता कम होगी।

आने वाले समय में, इरकॉन भारत में हाई–स्पीड रेल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), भारतीय रेलवे और अन्य महत्वपूर्ण एवं उच्च मूल्य वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम करना जारी रखेगा।

वित्तीय वर्ष 223–24 के दौरान आपकी कंपनी को भारत में पाँच परियोजनाऐ प्रदान की गई अर्थात,

1. जिरीबाम खोंगसांग में एकीकृत सुरंग संचार प्रणाली, ओएफसी आधारित औद्योगिक ग्रेड नेटवर्क प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग अनुभाग का जिरीबाम – इंफाल नया रेलवे लाइन परियोजना,
2. खरीद का चीज़ें शामिल मशीनरी, पौधा – उपकरण ऊपर को अवस्था का सफल स्थापना, कमीशनिंग, प्रशिक्षण, एफएसी, आदि।
3. कम्पोजिट काम करता है (सिविल, विद्युतीय और यांत्रिक) शामिल निर्माण का औद्योगिक दुकानें साथ प्री–इंजीनियरिंग बिल्डिंग (पीईबी), जल आपूर्ति प्रणाली जल निकासी प्रणाली, विद्युतीकरण और रोशनी कार्य, संबंधित दूरसंचार कार्य और आपूर्ति और कमीशनिंग निर्दिष्ट यांत्रिक मशीनरी (ईओटी) क्रेन आदि) टुकड़ी मुक्त के संबंध में जेली परीक्षा सुविधाएँ (फेज–II) पर दक्षिण पूर्व रेलवे, बंडामुंडा एक्सचेंज यार्ड।
4. सगाई का नोडल एजेंसी के लिए के तहत पूरे भारत में प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना योजना "नई प्रौद्योगिकी केंद्र/ विस्तार केंद्रों की स्थापना"।
5. निर्माण का जुड़वां नली नदप–दिशात्मक आइजोल बाईपास सुरंग 2.5 किमी लम्बी है तथा इसके पहुंच मार्ग 2.1 किमी लम्बे हैं से किमी 10.600 को किमी 15.200 (पैकेज–2) मिजोरम राज्य में एनएच–6 के सैरांग–फाइबाक खंड पर ईपीसी मोड पर।

चल रहे परियोजनाएं:

क सूची का चल रहे प्रमुख परियोजनाओं में भारत है दिया गया पर **परिशिष्ट क**।

वित्त वर्ष 2023–24 में, आपकी कंपनी का ध्यान क्रियान्वयन, तेजी से डिलीवरी और बहुत जरूरी बुनियादी ढांचे के विकास में समग्र इष्टतम योगदान के लिए सख्त समयसीमा को पूरा करने पर रहा है। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, भारत में चल रही प्रमुख परियोजनाओं की कुछ उपलब्धियाँ निम्नलिखित थीं:

1. इरकॉन है सफलतापूर्वक कमीशन क कुल का 128.45 किमी रेल लाइन जिसमें 54 किलोमीटर नई लाइन है और 74.45 किमी है दोहरीकरण के लिए लक्षित रेल खंड.
2. नई लाइन/डबल लाइन/एनसीआरटीसी और आरई परियोजनाओं आदि में रेलवे विद्युतीकरण (आरई) कार्यों के 1152 आरकेएम (रूट किलोमीटर) को सफलतापूर्वक चालू किया है। जो कि सबसे अधिक विद्युतीकरण कार्य है। कभी में क वर्ष। आगे, में दोबारा परियोजनाएं, 7 संख्या 132/25 केवी ट्रैक्शन सबस्टेशन और 38 किमी – 132 केवी ट्रांसमिशन लाइन चालू कर दी गई है।
3. इरकॉन ने वर्ष 2023–24 में 104 स्टेशनों पर अब तक का सर्वाधिक सिग्नलिंग कार्य शुरू किया है।
4. में यूएसबीआरएल परियोजना – जम्मू और कश्मीर, बनिहाल – संगलदान खंड (38.618 किमी) चालू कर दिया गया है और खोल दिया गया है फरवरी–2024. आगे, 38.6 किमी कठोर ओवरहेड कैटेनरी (आरओसी) प्रणाली में सुरंगों का यूएसबीआरएल परियोजना में भी गया कमीशन. यह प्रणाली भारतीय रेलवे में पहली बार लागू किया गया। सिर उपकरण (ओएचई) काम करता है का 200 बनिहाल से बारामुल्ला के बीच उच्च ऊंचाई (एमएसएल से 650 मीटर ऊपर) पर टीकेएम सुरंग टी–80 (11.2 किमी) सहित सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है। इलेक्ट्रो–यॉंत्रिक और सेफ्टी वेंटिलेशन (ईएंडएम) कार्य जिसमें पूर्ण एचटी के साथ इलेक्ट्रिकल कार्य शामिल हैं और एलटी, सुरंग वेंटिलेशन प्रणाली, 38 किलोमीटर की स्काडा प्रणाली और एससीएडीए प्रणाली को सफलतापूर्वक चालू कर दिया गया है।
5. सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना के संबंध में , महरोई से एक खंड को विजयसोता (19.13 किमी) है गया 27 जून, 2023 को सफलतापूर्वक कमीशन किया जाएगा।
6. पूर्वी रेलवे के किऊल–गया दोहरीकरण परियोजना के संबंध में केंद्रीय रेलवे, अनुभाग से शेखपुरा से काशीचक (15.4 किमी) का कार्य अगस्त–2023 में पूरा हो चुका है और 1 सितंबर, 2023 को चालू हो जाएगा साथ ए रफ़्तार का 90 किमी प्रति घंटा. आगे, अनुभाग काशीचक से वारिसलीगंज तक रेल लाइन 23 जनवरी, 2024 को चालू हो गई है।
7. अखौरा नई रेल लाइन परियोजना में, निश्चिंतपुर (भारत) से गंगासागर (बांग्लादेश) खंड का उद्घाटन दोनों देशों के माननीय प्रधानमंत्रियों द्वारा 1 नवंबर, 2023 को माल एवं सेवाओं के लिए किया गया है।
8. खुलना के साथ जुड़ाव – मोंगला पत्तन रेल लाइन परियोजना – पैकेज नं. WD1, माननीय प्रधान मंत्री भारत और बांग्लादेश का उद्घाटन रेल लाइन पर 1 नवंबर, 2023 के लिए चीज़ें और सेवाएं. यह परियोजना 30 अप्रैल, 2024 को जनरल इंस्पेक्टर बांग्लादेश रेलवे (जीआईबीआर) द्वारा पूरी और निरीक्षण की गई है। अब, यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है 1 जून 2024.
9. वित्त वर्ष 2023–24 में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग डिवीजन के तहत 345 आरकेएम/440 टीकेएम ओएचई चालू किया गया है।

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएँ

वत्त वर्ष 2023–24 में कुल राजस्व में अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं का योगदान 574.82 करोड़ रुपये रहा, जो परिचालन टर्नओवर का 4.81%

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

है। यह वित्त वर्ष 2022–23 इस परियोजना को रेलवे निवेश की योजना और कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एजेंसी, लोक निर्माण और निवेश मंत्रालय, अल्जीरिया सरकार, अल्जीरियाई दीनार के मूल्य पर 1,628 करोड़ (समकक्ष को लगभग। ₹1,003 करोड़) की लागत से निर्मित इस परियोजना का कार्य नवम्बर 2012 में पूरा होने के तारीख के साथ आवार्ड किया गया। 411.84 करोड़ रुपये की तुलना में है, जो परिचालन कारोबार का 4.15% था।

कंपनी विदेशों में नई परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना जारी रखती है, और विदेशों में भी उसकी परियोजनाएं चल रही हैं। बांग्लादेश, अल्जीरिया, श्री लंका, नेपाल और म्यांमार। अपने व्यवसाय और भौगोलिक फोकस में विविधता जारी रखते हुए, कंपनी करने का प्रयास को सुरक्षित ए व्यापक श्रेणी परियोजनाओं की को अधिकतम व्यापार आयतन और लाभ मार्जिन। लाइन ऑफ क्रेडिट/अन्य परियोजना निर्यात वित्तपोषण व्यवस्था के माध्यम से विदेशी परियोजनाओं को सुरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं का एग्जिम किनारा का भारत और परियोजनाओं बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से वित्त पोषित।

चल रहे परियोजनाओं

कंपनी विदेशों में निम्नलिखित परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

i. बांग्लादेश

(क) खुलना–मोंगला पत्तन रेल रेखा परियोजना

कंपनी ने खुलना–मोंगला पोर्ट रेल लाइन के निर्माण के लिए बांग्लादेश में एक परियोजना हासिल की बांग्लादेश रेलवे के लिए लाइन, 147.78 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 911 करोड़ रुपये के बराबर) और संशोधित लागत का परियोजना बाद अनुमोदन परिवर्तन क्रम की लागत 211.77 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना में तटबंध, ट्रैक, सभी सिविल कार्य, प्रमुख और छोटे निर्माण शामिल हैं पुल (रूपशा पुल को छोड़कर), पुलिया और पैकेज WD1 के तहत EMP का कार्यान्वयन। 2021 में कार्य का अतिरिक्त दायरा जोड़ा गया। परियोजना 31 मार्च, 2024 को पूरी हो गई और 30 मार्च को जनरल इंस्पेक्टर बांग्लादेश रेलवे (GIBR) का निरीक्षण किया गया। अप्रैल, 2024. चलाने के लिए GIBR की मंजूरी के बाद का यात्री रेलगाड़ियां, गाड़ियों पास होना 1 जून, 2024 से परिचालन शुरू होगा।

(ख) अगरतला (भारत)–अखौरा परियोजना (बांग्लादेश भाग)

कंपनी ने अगरतला (भारत) – अखौरा (बांग्लादेश) तक नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए तकनीकी सलाहकार सेवाएं (टीएएस) और बांग्लादेश भाग में निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) प्रदान करने के लिए मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। बाहरी विदेश मंत्रालय, भारत सरकार भारत। निर्माण ठेकेदार इस परियोजना के लिए बांग्लादेश रेलवे ने 240.9 करोड़ बीडीटी (लगभग 209.47 करोड़ रुपये के बराबर) के अनुबंध मूल्य पर ठेकेदार को नियुक्त किया है। निर्माण ठेकेदार की पूर्णता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। 2024. कुल मिलाकर प्रगति का परियोजना लगभग 96: पूरी हो चुकी है और अब केवल भवन और प्लेटफॉर्म का काम बाकी है कार्य लंबित हैं। हालाँकि, परीक्षण दौड़ना था हो गया पर 30 वीं अक्टूबर, 2023 और परियोजना था का उद्घाटन द्वारा मुख्य मंत्रियों दोनों देशों के बीच 1 नवंबर, 2023 को द्विपक्षीय व्यापार समझौता (पीएमआई) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

ii. एलजीरिया

परियोजना शामिल दूसरी लाइन का निर्माण और मौजूदा लाइन का उन्नयन पंक्तियां, साथ ए परिवर्तन का 10 किमी के लिए रेलिज़ेन शहर, स्टेशन ओएड स्ली से स्टेशन तक येल्लल में अल्जीयर्स–ओरान अनुभाग का अल्जीरियाई रेलवे। दोहरी लाइन के निर्माण के लिए अतिरिक्त कार्यों सहित अनुबंध का मूल्य संशोधित कर दिया गया है अल्जीरियाई दिनार 3,268 करोड़ (लगभग ₹2,342 करोड़ के बराबर कर दिया गया है।

210 किलोमीटर ट्रैक (कुल 218 किलोमीटर में से) की स्थापना किमी) है गया पुरा होना। बाहर का यह, 82 किलोमीटर नई रेल लाइन चालू कर दी गई है। मौजूदा लाइन पर भी काम शुरू हो गया है। शुरू कर दिया और ए कुल खींचना का 71.5 किमी से बाहर 74 किमी. मौजूदा लाइन में से 6 7 स्टेशन भवन सौंपे जाने के लिए तैयार हैं, और 9 प्रमुख पुल (10 में से) भी पूरे हो चुके हैं। इस परियोजना के दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।

iii. श्रीलंका

(क) भारतीय केडिट लाइन के तहत महो ओमनथाई से रेलवे लाइन का उन्नयन– ट्रैक पुनर्वास और सहायक कार्य

श्रीलंका में कंपनी को एक परियोजना मिली थी के लिए "उन्नयन का रेलवे रेखा भारतीय सीमा के अंतर्गत माहो ओमनथाई से क्रेडिट – पुनर्वास और सहायक कार्यों पर नज़र रखें"। इस परियोजना का ठेका परिवहन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत श्रीलंकाई रेलवे द्वारा दिया गया था। सरकार का श्रीलंका पर ए का मूल्य अमेरिकी डॉलर $ 91.27 दस लाख (समकक्ष को लगभग। ₹637.22 करोड़) के माध्यम से प्रतिस्पर्धी बोली.

परियोजना 29 अप्रैल 2019 को 36 महीने की पूर्णता अवधि (अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से शुरू) के साथ प्रदान की गई थी। 29 नवंबर, 2019) इस परियोजना का वित्तपोषण किया गया है एग्जिम किनारा का भारत जैसा प्रति भारतीय रेखा ऋण की राशि। अनुबंध के अनुसार परियोजना के पूरा होने की तिथि 28 नवंबर, 2022 है। कोविड–19 महामारी प्रतिबंधों और उसके बाद श्रीलंका में आर्थिक और ईंधन संकट के कारण परियोजना में देरी हुई।

अनुराधापुरा से उन्नयन का पहला चरण और वावुनिया अनुभाग (48.5 किमी) मेगा ट्रैफिक ब्लॉक का कार्य पूरा हो चुका है और जुलाई, 2023 में चालू हो जाएगा।

आगे, 2 चरण मेगा ट्रैफ़िक शेष खंड के उन्नयन के लिए ब्लॉक माहो को अनुराधापुरा (65 किमी) है

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

गलियारे में खराब मौसम और भारी बारिश को देखते हुए परियोजना के पूरा होने की संभावित तिथि 31 अगस्त, 2024 है। कुल मिलाकर प्रगति का परियोजना है लगभग। 70% है।

(ख) भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत महो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली हेतु डिजाइन का प्रापण संस्थापना, परीक्षण कमीशानिंग और प्रमाणनः

आपकी कंपनी को भारतीय ऋण सहायता के अंतर्गत भारतीय एक्ज़िम बैंक के माध्यम से ''माहो जंक्शन (सहित) से अनुराधापुरा (छोड़कर) तक सिग्नलिंग और दूरसंचार प्रणाली के डिजाइन, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग और प्रमाणन की खरीद'' का कार्य प्रदान किया गया था।

इस परियोजना को 4 दिसंबर, 2022 को परिवहन मंत्रालय के तहत श्रीलंकाई रेलवे द्वारा प्रदान किया गया था और नागरिक उड्डयन, श्रीलंका सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से 14.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग ₹ 121.25 करोड़ के बराबर) की लागत से निर्मित परियोजना का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। निर्धारित समापन अवधि की तारीख से 12 महीने था लामबंदी अग्रिम की प्राप्ति।

अनुबंध समझौते पर 21 सितंबर, 2023 को हस्ताक्षर किए गए हैं। अनुबंध समावेश है अभी तक होना अनुमत द्वारा एग्जिम किनारा का भारत। परियोजना अभी शुरू होना बाकी है.

iv. नेपाल

नेपाल में कंपनी निम्नलिखित दो परियोजनाएं क्रियान्वित कर रही है:

(क) भारत–नेपाल सीमा पर जोगबनी (भारत) –विराटनगर (नेपाल) के बीच ब्रॉड गेज (बीजी) लाइन का निर्माण

इस परियोजना में बथनाहा (भारत), सीएच. 0.00 किमी से विराटनगर (नेपाल), सीएच. 18.60 किमी तक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है।

भारतीय भाग (5.45 किमी) में प्रस्तावित संरेखण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे के कटिहार डिवीजन के तहत बिहार राज्य के अररिया जिले में आता है और नेपाल भाग (13.15 किमी) में प्रस्तावित संरेखण नेपाल के मोरंग जिले में आता है।

₹ 401.65 करोड़ के अनुबंध का संशोधित मूल्य विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

बथनाहा (भारत) सीएच. 0.00 किमी से नेपाल कस्टम यार्ड (नेपाल) सीएच. 6.70 किमी तक का खंड 1 जून, 2023 को माल यातायात के लिए चालू कर दिया गया है। शेष भाग में कार्य प्रगति पर है।

परियोजना की समग्र प्रगति लगभग 86% है।

(ख) नेपाल सीमा पर बरदीबास तक विस्तार सहिता जयनगर (भारत) – बिजलपुरा (नेपाल) भारत के गंज परिवर्तन द्वारा बीजी लाइन का निर्माण।

इस परियोजना में जयनगर (भारत), सीएच 0.00 किमी से बिजलपुरा (नेपाल) चौनल 52.336 किमी तक नई बीजी रेल लाइन का निर्माण शामिल है, जिसका विस्तार भी शामिल है। ऊपर को बार्डीबास, चौ. किमी 68.72. बाहर की कुल प्रस्तावित संरेखण, 2.975 किमी फॉल्स मधुबनी में ज़िला का बिहार राज्य में भारत और 65.745 किमी फॉल्स में महोत्तरी ज़िला का नेपाल.

₹783.83 करोड़ का संशोधित अनुमान विदेश मंत्रालय के अनुमोदन के अधीन है।

आपकी कंपनी की ओर से का भारत सरकार ने 22 अक्टूबर, 2021 को जयनगर (किमी 0.00) से कुर्था (किमी 34.90) तक नव–नियुक्त सीमा पार रेल खंड (खंड–1) नेपाल सरकार को सौंप दिया है, जिसका उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से किया गया। 2 अप्रैल, 2022 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री और नेपाल के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा। 34.9 किमी जयनगर (भारत) का पहला चरण – कुर्था (नेपाल) अनुभाग है भाग का 68.72 किलोमीटर लंबा जयनगर–बिजलपुरा–बरदीबास रेल संपर्क भारत सरकार की 8.77 अरब नेपाली रुपए की अनुदान सहायता के तहत बनाया जा रहा है।

किमी 34.900 से किमी 52.34 तक, खंड–2, कुर्था–बिजलपुरा का कार्य भी पूरा हो चुका है और चालू हो चुका है। खंड–3 में किमी 52.34 को किमी 68.72, बिजलपुरा–बरदीबास, भूमि अभी तक नेपाल सरकार द्वारा अधिग्रहित नहीं की गई है। परियोजना की कुल प्रगति लगभग 74% है।

v. म्यांमार

कंपनी ने म्यांमार में एक परियोजना हासिल की है में वित्तीय वर्ष 2022–23, के लिए संतुलन काम का निर्माण पलेत्वा (म्यांमार) से ज़ोरिनपुई (मिज़ोरम) तक सड़क का निर्माण (कलादान) सड़क परियोजना) अंतर्गत कलादान मल्टी–मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (केएमएमटीटी परियोजना), मंत्रालय से बाहरी मामलों, ईपीसी मोड पर एकमुश्त लागत पर ₹1780 करोड़. निर्माण इस परियोजना का उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोलना और मिजोरम को चीन से जोड़ना है राज्य का म्यांमार पर ज़ोरिनपुई. के लिए समझौता कार्यान्वयन का यह परियोजना है गया पर हस्ताक्षर किए 7 तारीख को मार्च, 2022 और परियोजना है को होना तिथि से 40 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए के हस्ताक्षर की सुलह।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 50 किलोमीटर खंड (पलेतवा छोर (म्यांमार) से 40 किलोमीटर और ज़ोरिनपुई छोर (भारत–म्यांमार सीमा) से किमी.

सेना और विद्रोही समूहों के बीच चल रहे सशस्त्र संघर्षों के कारण काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

हालाँकि, इरकॉन ने बहुत लचीलापन और प्रतिबद्धता दिखाई है को प्रगति काम। कुल मिलाकर परियोजना की प्रगति 10% है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

रियल एस्टेट क्षेत्र

इरकॉन है पहचान की रियल एस्टेट क्षेत्र जैसा एक विविधीकरण के लिए क्षेत्रों की जबरदस्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए संभावना में यह सेक्टर. आपका कंपनी अर्जित किया था 8 भूखंडों में अलग क्षेत्र, पर पट्टे पर दिया नोएडा में 90 वर्षों के लिए आधार पर, और वाणिज्यिक और कार्यालय उपयोग के लिए 22,023 वर्ग मीटर निर्मित स्थान को सफलतापूर्वक पट्टे पर दिया है। कंपनी ने संपत्ति भी विकसित की है सेक्टर 32, गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित यह संपत्ति भारत में ट्रेडमार्क अधिकारियों के पास 'इरकॉन इंटरनेशनल टॉवर' के नाम से पंजीकृत है। पट्टे पर दिए जाने योग्य संपूर्ण स्पेयर पार्ट्स को विभिन्न सरकारी एजेंसियों को पट्टे पर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर–43 स्थित इरकॉन रिटेल मॉल और उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर–48 स्थित वाणिज्यिक सह कार्यालय भवन को पूरी तरह से पट्टे पर दे दिया गया है।

कंपनियां, संयुक्त उद्यम कंपनियां और सहयोगी कंपनियों

इरकॉन की ग्यारह सहायक कंपनियों पर संक्षिप्त पृष्ठभूमि और सात संयुक्त उपक्रम कंपनियों का इरकॉन साथ में साथ उनके वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को **परिशिष्ट–ख** पर उपलब्ध कराया गया है।

31 मार्च 2024, को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए ''मटेरियल सब्सिडियरी'' के निर्धारण पर कंपनी की नीति और एलओडीआर विनियमों के विनियमन 24क के अनुसार कोई नहीं का सहायक कंपनी है क 'भौतिक सहायक' अर्थात किसका कुल आय या निवल संपत्ति 10% से अधिक का समेकित आय या निवल संपत्ति का इरकॉन में तुरन्त के पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात मार्च 31, 2023 में अधिक हो।

राष्ट्रपति के निदेशों का अनुपालन

आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति, रोजगार में एससी/एसटी रोस्टर, संशोधन जैसे विभिन्न मामलों पर समय–समय पर जारी राष्ट्रपति के निर्देश में वेतन पैमाना 2017 वगैरह। पास होना गया अनुपालन साथ।

राजभाषा

कंपनी कार्यालय में हिंदी के व्यापक के लिए उत्साहवर्धक कार्य कर रही है पहल के लिए व्यापक उपयोग का हिन्दी में कार्यालय। उनमें से कुछ हैं:

क. सभी कर्मचारियों द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम सोमवार को पूर्णतः हिन्दी में काम करने की शपथ।

ख. राजभाषा संगोष्ठी है प्राणी संचालित संचालन त्रैमासिक आधार में कॉर्पोरेट कार्यालय.

ग. स्वागत कक्ष में कर्मचारियों को जन्मदिन की शुभकामनाएं, विभिन्न विभागों द्वारा बारी–बारी से लिखे गए विचार और शब्द, प्रसिद्ध कवियों की कविता आदि हिंदी में प्रदर्शित की जा रही हैं।

घ. रिसष्शन क्षेत्र में हिंदी भाषा में दिन का विचार और एक शब्द को प्रदर्शित किया जाता है। जिसे रोटेशन आधार पर रोजाना विभागों द्वारा प्रदान किया जाता है।

राजभाषा कार्यान्वयन की नियमित त्रैमासिक बैठकें समिति और त्रैमासिक कार्यशालाएं हिंदी तकनीकी प्रणाली और राजभाषा के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नाराकास के तत्वावधान में इरकॉन द्वारा हर साल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इरकॉन कॉर्पोरेट कार्यालय हर साल हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन करता है। प्रतियोगिताएं के लिए बच्चे और परिवार सदस्यों कर्मचारियों की। कंप्यूटर सिस्टम और मोबाइल फोन के लिए द्विभाषी सुविधा शुरू की गई है द्वारा अधिकारियों का कंपनी। द्विभाषिक प्रारूप रहा बनाया उपलब्ध पर इरकॉन आंतरिक वेबसाइट के लिए कर्मचारियों द्वारा उपयोग किया जाएगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का अनुपालन

सूचना के अधिकार के प्रावधानों के अनुसार अधिनियम–2005, इरकॉन है यह सुनिश्चित किया अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम सहित अद्यतन जानकारी की उपलब्धता जनता जानकारी अफ़सर और राज्य स्तर हमारे सार्वजनिक सूचना अधिकारी वेबसाइट। हमने निर्धारित समय के भीतर प्राप्त प्रश्नों का तुरंत जवाब दिया है चौखटा। इन क्वेरियों प्रमुख रूप से संबंधित को सेवा मामले, भर्तियां, वित्त, अनुबंध, निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) और परियोजनाएं। इसका विवरण आरटीआई मामले गया नियमित रूप से प्रकाशित पर वेबसाइट का केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) को तिमाही और वार्षिक आधार पर सूचना प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2023–24 के दौरान 168 आवेदन और 36 प्रथम अपीलें प्राप्त हुई और वर्ष की शुरुआत में 12 आवेदन और 02 अपीलें स्वीकार्य समय सीमा के भीतर निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थीं (अर्थात वर्ष के दौरान कुल 180 आवेदन और 38 अपीलें)। जिनमें से 169 आवेदन (12 आवेदनों के प्रारंभिक शेष सहित) और 36 प्रथम अपीलों का निपटान किया गया। जैसा दिनांक 31.03.2024 को 11 आवेदन एवं 02 अपीलें स्वीकार्य समय सीमा के भीतर निपटान हेतु प्रक्रियाधीन थे।

एमएसई के सार्वजनिक खरीद नीतियों के कार्यान्वयन का अनुपालन और मेक इन इंडिया को प्राथमिकता

कंपनी ने एक व्यापक खरीद वरीयता लागू की है नीति तब से जून 2012 कौन है में रेखा साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2012 मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई मंत्रालय) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत, 2006. इरकॉन उपयोग केंद्रीय जनता खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) और सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) इसकी खरीद के लिए पोर्टल, जो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किसी भी वैधानिक निकाय के साथ पंजीकृत एमएसई फर्मों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

कंपनी ने हमेशा स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को अपनी निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और प्रशिक्षण और हैंड होल्डिंग कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें बढ़ावा भी दिया है। इस दिशा में हमारे निरंतर प्रयास से छोटे स्थानीय खिलाड़ियों की भागीदारी और सामाजिक–आर्थिक विकास में सुधार हुआ है। का समुदाय में और आस–पास परिचालन स्थान.

इरकॉन है लिया अनेक कदम के लिए असरदार एमएसई नीति का कार्यान्वयन । निविदा दस्तावेजों की लागत और जमा राशि की छूट का लाभ बयाना राशि और खरीद वरीयता निर्धारित अंतर्गत नीति, हैं वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए निविदाओं में शामिल किया गया ।

कंपनी दिशानिर्देशों का व्यापक रूप से पालन कर रही है का सरकार पर खरीद के माध्यम से ळमड और निविदाओं में भी "मेक इन इंडिया" को बढ़ावा देने के प्रावधान किए गए हैं। में भारतः निर्देशों का सरकार का भारत।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

सार्वजनिक खरीद के अनुपालन में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली का उपयोग करके 200 करोड़ रुपये तक की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। (वरीयता को बनाना में भारत), आदेश 2017.

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी ने एमएसई विक्रेताओं से 80.52 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं की खरीद की है, जबकि व्यय 135.58 करोड़ रुपये (खरीद को छोड़कर) है। का सामान कौन हैं आगे एमएसई का दायरा) सामग्री, भंडार और सेवा के लिए बढ़ाया गया, जिससे एमएसई से 59.39% खरीद की अनुपालन आवश्यकता हासिल हुई। खरीद नीति के अनुसार 25%। कंपनी है संचालित एक 22 दिसंबर, 2023 को कॉर्पोरेट कार्यालय, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम और सरकार का भारत, मंत्रालय का एमएसएमई ,एमएसएमई डीएफओ,ओखला ,नई दिल्ली में संगठन साथ इरकॉन अंतरराष्ट्रीय लिमिटेड (रेल मंत्रालय के तहत सीपीएसई), एनएसआईसी, सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) और अन्य सीपीएसयू और स्थानीय एमएसएमई संघों ने दो दिवसीय विक्रेता विकास कार्यक्रम सह औद्योगिक विकास कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रदर्शनी पर जीएल बजाज संस्था का प्रबंध – टेक्नोलॉजी नॉलेज पार्क–II, ग्रेटर नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर में 6 और 7 मार्च 2024 को आयोजित किया जाएगा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम के अनुपालन में विकास कार्य, 2006, कंपनी है व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) पर शामिल प्लैटफ़ॉर्म, विश्व आर्थिक मंच जनवरी 25, 2018, को आसान करना एमएसई की व्यापार प्राप्तियों को भुनाकर उनका वित्तपोषण करना प्राप्तियों और वसूली का उनका भुगतान इससे पहले देय तारीख। ए खंड में सामान्य स्थितियाँ का अनुबंध शामिल है के लिए एमएसई विक्रेताओं इच्छुक को लाभ लेना सुविधा शामिल है।

मानव संसाधन विकास

इरकॉन पहचानता वह इसका कर्मचारी हैं इसकी सफलता के लिए मौलिक और संगठन के मूल्यों और संस्कृति की सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । संगठन का दृढ़ विश्वास है कि इसकी उपलब्धियाँ इसके कर्मचारियों के संरेखण और प्रदर्शन पर निर्भर करती हैं, साथ ही सकारात्मक बनाए रखती हैं काम पर्यावरण। यह है प्रतिबद्ध को एक सहयोगात्मक, समावेशी और प्रदर्शन–संचालित वातावरण स्थापित करना जो सीखने, विकास और समग्र कर्मचारी को बढ़ावा देता है

इरकॉन इंसान संसाधन (एचआर) दर्शन कर्मचारियों को सशक्त बनाने और उनका पोषण करने, उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने की अनुमति देने, नवीन विचारों को प्रोत्साहित करने और प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार प्रदान करने के इर्द–गिर्द घूमता है। काम संस्कृति है विशेषता द्वारा खुलापन और गतिशीलता, कर्मचारियों को शीर्ष प्रबंधन से पूर्ण समर्थन के साथ अपनी भूमिकाओं में पहल करने के लिए सशक्त जनाती है।

इरकॉन में, मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) टीम भर्ती के लिए समर्पित है, बनाए रखना, और सही लोगों का विकास करना। वे लगातार एक इष्टतम बनाने का प्रयास करते हैं काम पर्यावरण वह है सहित, खुला, विविध, और प्रदान बराबर अवसर के लिए सभी कर्मचारियों। कंपनी ने अपनी मानव संसाधन रणनीति, प्रणालियों और प्रक्रियाओं को अपने व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ संरेखित किया है, जो संगठनात्मक सफलता के लिए आवश्यक योग्यताओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह रणनीति कर्मचारियों के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है, जो कंपनी की भविष्य की जरूरतों और व्यक्तिगत आकांक्षाओं के बीच अंतर को कम करती है।

इरकॉन का कहना है क प्रदर्शन उन्मुख संस्कृति जहां योगदान का प्रत्येक कर्मचारी हैं मापा और उचित रूप से मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लागू किया है ए मज़बूत प्रदर्शन प्रबंध प्रणाली (पीएमएस) जो सभी स्तरों पर योग्यता को पुरस्कृत करने और स्वीकार करने के अपने दर्शन के अनुरूप है। यह प्रणाली व्यावसायिक विकास का समर्थन करती है का अधिकारियों कंपनी के प्रदर्शन में एकीकृत एक संरचित दृष्टिकोण के माध्यम से मूल्यांकन प्रक्रिया। इरकॉन लेता है गर्व में यह अपने अत्यधिक प्रेरित और सक्षम मानव संसाधनों की सराहना करता है तथा उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करता है।

रोजगार में आरक्षण

कंपनी जारी है को देना अत्यंत महत्त्व सरकार की नीतियों और निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए भारत में अनुसूचित जाति (एससी)/ अनुसूचित जनजाति (एसटी)/ अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के रोजगार में आरक्षण से संबंधित मामलों में (ओबीसी) और अलग रूप से सक्षम श्रेणियाँ. 31 मार्च 2024 तक कुल 526 एससी/एसटी/ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारी थे।

आगे, दौरान वित्तीय वर्ष 2023–24, बाहर का 10 शामिल किए गए कर्मचारी ख़िलाफ़ नियमित पद, 3 संबंधित को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी और दिव्यांग वर्ग। इसी प्रकार, संविदा पदों पर भर्ती किये गये 108 कर्मचारियों में से 44 संबंधित को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ ईडब्ल्यूएस और अलग ढंग से– सक्षम श्रेणियों के है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 1015 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिनमें से जिनमें से 451 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग वर्ग से हैं। इनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी श्रेणियाँ, कंपनी है संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए।

कंपनी की अवसंरचना दिव्यांगजन कर्मचारियों की आवश्यकता के अनुसार सुनिर्मित है।

प्रशिक्षण और इंसान संसाधन विकास

इरकॉन विकास और कैरियर पर बहुत जोर देता है प्रगति का कर्मचारी। प्रशिक्षण कार्यक्रमों पूरे वर्ष भर आयोजित किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष 2023–24 के लिए सभी स्तरों के कर्मचारियों के लिए आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित संस्थानों/ एजेंसियों द्वारा व्यावसायिक कार्यक्रम, कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए गए। सावधानी से के अनुरूप पहचाना गया व्यापार आवश्यकताओं का इरकॉन, और उपयुक्त अधिकारियों ऐसे कार्यक्रमों के लिए नामांकित किया गया ।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

कंपनी प्रशिक्षण के माध्यम से अपने मानव संसाधन की क्षमता निर्माण के लिए लगातार कदम उठा रही है। में कार्यात्मक और सामान्य प्रबंध क्षेत्र, अनुबंध और मध्यस्थता, नेतृत्व, जानकारी तकनीकी, जैसा कुंआ जितना मुलायम कौशल। बाहरी संकाय है व्यवस्था की जहाँ भी आवश्यक है, और इसके कार्यान्वयन के लिए अधिकारियों को नामित किया गया है प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ कार्यशालाएँ और सेमिनार। कर्मचारी विकास हमेशा कंपनी की प्राथमिकता रही है, और समय–समय पर विभिन्न प्रशिक्षण और विकास योजनाएँ शुरू की गई हैं। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, संस्थागत प्रशिक्षण और बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण के माध्यम से इरकॉन के अधिकारियों को कुल 1032 मानव दिवस का प्रशिक्षण दिया गया ।

कर्मचारी कल्याण

कंपनी है पर्याप्त और मज़बूत योजनाओं में के लिए जगह का कल्याण कर्मचारियों. ये हैं स्वास्थ्य कवर, चिकित्सा कवर योजना, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन योजना, नियमित अंतराल पर आवधिक स्वास्थ्य जांच, भत्ते, आवासीय आवास के लिए स्व–पट्टा, बच्चों के बच्चों को शैक्षिक छात्रवृत्ति कर्मचारियों को व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकमुश्त शैक्षिक अनुदान, कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को शैक्षिक पुरस्कार कर्मचारियों को सहायता, मृतक कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा सहायता, गैर–कार्यकारी श्रेणियों के कर्मचारियों की बेटियों और आश्रित बहनों की शादी के लिए सहायता, और रिसॉर्ट सुविधाएँ के लिए कर्मचारी और उनका परिवार डालमिया और स्टर्लिंग रिसॉर्ट्स के माध्यम से रियायती दरों पर सदस्यों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का योन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2023 के अनुसार खुलासा

आपकी कंपनी अपनी महिला कर्मचारियों के लिए एक सहायक और सुरक्षित कार्य वातावरण बनाने के लिए समर्पित है। कंपनी ने एक व्यापक नीति लागू की है कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए, जो नियमित कर्मचारियों, प्रतिनियुक्ति पर आए लोगों, अस्थायी कर्मचारियों, तदर्थ कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और एजेंसियों या ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित व्यक्तियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होता है। यह नीति, इसके साथ ही विस्तृत जानकारी कंपनी की वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसके अलावा, यह नीति पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों पर भी लागू होती है। इरकॉन का गठन विशेष प्रयोजन के रूप में किया गया है वाहन.

आपका कंपनी है यह सुनिश्चित किया अनुपालन साथ संबंधित प्रावधान गठन का आंतरिक समिति (आईसी) कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम द्वारा अनिवार्य (रोकथाम, निषेध, और निवारण) आईसी में पांच सदस्य होते हैं, जिनमें चार कंपनी के अधिकारी और एक एनजीओ का बाहरी सदस्य शामिल होता है। इसके अतिरिक्त, प्रावधानों संबंधित को यौन उत्पीड़न के निषेध को इरकॉन के अधिनियम में शामिल कर लिया गया है। आचरण, अनुशासनात्मक, और निवेदन नियम। पर वर्ष की शुरुआत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी। कोई शिकायत नहीं का यौन उत्पीड़न था प्राप्त दौरान वर्ष।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता

2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2021 के अनुसार , इरकॉन ने अपनी सीएसआर नीति को इरकॉन के निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित करके अपडेट किया है। सीएसआर अनिवार्य रूप से जिम्मेदारी से व्यवसाय करने का एक तरीका है और इरकॉन हर समय अपने व्यावसायिक संचालन और गतिविधियों को सामाजिक रूप से जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से संचालित करने का प्रयास करेगा। इरकॉन समावेशी विकास और सतत विकास में योगदान देने का प्रयास करेगा, जिसमें विकास पर जोर दिया जाएगा। समाज के कमजोर वर्गों और देश के आकांक्षी जिलों में। के व्यापक उद्देश्यों के अनुसार नीति के तहत सीएसआर गतिविधियों को परियोजना/कार्यक्रम मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। में क्षेत्रों या विषयों निर्दिष्ट में अनुसूची सातवीं का अधिनियम, पर जोर क्षेत्रों का शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, में की परिधि परियोजना क्षेत्र इरकॉन (स्थानीय क्षेत्र) में शामिल है।

लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा उनके कार्यालय के माध्यम से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ज्ञापन दिनांकित दिसंबर 10, 2018, 24 अप्रैल, 2023 के अपडेट के साथ, सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम) को अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए थीम–आधारित दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है। कंपनी आवंटित करती है ए न्यूनतम का 60% का उनका वार्षिक सीएसआर बजट के लिए विषयगत कार्यक्रमों को प्राथमिकता दें और आकांक्षी जिलों को उनके सीएसआर पहलों में शामिल किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, इन दिशा–निर्देशों का पालन करते हुए तथा चुने गए विषय को अपनाते हुए, हम सक्रिय रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और हमारे समुदायों की भलाई में योगदान देने की दिशा में काम करना ।

वर्ष के दौरान, हमारी कंपनी ने सीएसआर गतिविधियों की अवधारणा और कार्यान्वयन के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, जिसका उद्देश्य अधिकतम प्रभाव के लिए लक्ष्य इन पहलों से लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। सहयोग से किया गया प्रतिष्ठित के साथ कार्यान्वयन एजेंसियां। में वित्तीय वर्ष 2023–24 कंपनी ने वर्ष के दौरान 11.64 करोड़ रुपये के आवंटित सीएसआर बजट के मुकाबले 11.65 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। 72 परियोजनाओं में कड़ाही भारत अंदर यह बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्पित किया गया, जिसमें योगदान भी शामिल है पीएम केयर्स फंड में ₹0.67 करोड़ दान। दौरान वर्ष कंपनी ढका हुआ 14 आकांक्षी जिलों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषणयुक्त भोजन उपलब्ध कराया गया।

सीएसआर नीति, कौन प्रदान सीएसआर गतिविधियों के संचालन के लिए व्यापक दिशा–निर्देश हमारी कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कंपनियों के सीएसआर और स्थिरता गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट, धारा 135 के अनुपालन में अधिनियम, 2013, तथा कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत, नीति) संशोधन नियम 2021, इसके साथ संलग्न है। जो इसका अभिन्न अंग है।

गुणवत्ता, स्वास्थ्य और सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन अपनाने वाला अग्रणी सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है में घरेलू जैसा कुंआ जैसा अंतरराष्ट्रीय बाज़ार. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) को सफलतापूर्वक कायम रखा गया है और लगातार उन्नत तब से 1996 कब कंपनी जैसा ए साबुत था पहला प्रमाणित के लिए आईएसओ 9002:1994 द्वारा टीयूवी दक्षिण–पूर्व

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

एशिया निजी सीमित। इरकॉन है प्रमाणीकरण जारी रखा और नवीनतम मानकों के अनुसार प्रणाली को बनाए रखा संस्करण का गुणवत्ता प्रबंध मानकों अर्थात आईएसओ 9001:2015 (प्रत्येक तीन वर्ष की समाप्ति के बाद आवधिक पुनः प्रमाणन ऑडिट द्वारा)। नवीनतम निगरानी ऑडिट टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। महीना का नवंबर 2023, और वैधता का प्रमाणपत्र मार्च 2026 तक वैध है।

व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

कंपनी ने एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली स्थापित की और अक्टूबर, 2011 उसे में आईएसओ 45001:2004 प्रमाणन प्राप्त हुआ। आईएसओ 45001:2018 नवीनतम निगरानी के लिए लेखापरीक्षा टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया द्वारा आयोजित किया गया निजी सीमित में महीना का अक्टूबर, 2023 और प्रमाणपत्र की वैधता दिसंबर, 2024 तक है।

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी ने एक पर्यावरण स्थापित किया प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) और था प्रमाणित के लिए आईएसओ 14001:2004 अक्टूबर, 2011 में जारी किया गया। आईएसओ 14001:2015 के लिए नवीनतम निगरानी ऑडिट किसके द्वारा किया गया था? टीयूवी दक्षिण दक्षिण एशिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नवंबर, 2023 के महीने में जारी किया जाएगा और प्रमाण पत्र की वैधता फरवरी 2026 तक है।

संरक्षण ऊर्जा, प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन

इरकॉन है सचेत का सीमित प्रकृति का पारंपरिक स्रोतों और ऊर्जा संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करने के महत्व पर कंपनी लगातार जोर दे रही है पर उपयोग ऊर्जा कुशल उपकरण में अपने कार्यालय परिसर और विभिन्न परियोजनाओं में न्यूनतम चाहना परिस्थितिकी और पर्यावरण। ऊर्जा संरक्षण की दिशा में इरकॉन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

क) इरकॉन ने कॉर्पोरेट कार्यालय में कुल 90 किलोवाट का ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है , जो ऊर्जा संरक्षण और हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से पर्यावरण में योगदान देने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। सौर ऊर्जा द्वारा उत्पादित कुल ऊर्जा पौधा है लगभग 89,471 इकाइयां प्रतिवर्ष जो है 9.08% का ऊर्जा प्राणी अनिर्णित से विद्युत ग्रिड। आगे, छत सौर 90 किलोवाट की क्षमता को 200 किलोवाट तक उन्नत किया जा रहा है, साथ ही अधिक क्षमता के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना भी की जा रही है। अनुकूलन. इरकॉन है भी इंस्टॉल किया ए कुल 75 किलोवाट छत शीर्ष बंद ग्रिड सौर शक्ति पौधा पर इसके इरकॉन टावर, गुरुग्राम में बिजली की खपत कम करने के लिए 600 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक लगाए गए हैं। इसके अलावा, पावर फैक्टर को बेहतर बनाने के लिए कॉरपोरेट ऑफिस बिल्डिंग में 600 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक और इरकॉन की गुरुग्राम बिल्डिंग में 1600 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक लगाए गए हैं। जो आगे भी कम कर देता है विद्युतीय ऊर्जा उपभोग द्वारा 10% से अधिक है।

ख) इसके अलावा, ऊर्जा–कुशल एलईडी लाइटों का उपयोग किया जाता है आंतरिक प्रकाश का निगमित कार्यालय इससे भवन में सामान्य रोशनी की तुलना में काफी ऊर्जा की बचत भी होती है।

ग) स्वचालित / गतिशील रिएक्टिव शक्ति कारक (आईजीबीटी) सुधार/ क्षतिपूर्ति पैनल इंसुलेटेड गेट के साथ द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर (आईजीबीटी) तकनीकी का 10.7 एमवीएआर क्षमता का डिजाइन तैयार किया गया है और आरएसएस ऊर्जा के लिए एनसीआरटीसी परियोजना के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए रिसीविंग सबस्टेशनों (आरएसएस) पर स्थापित किया जा रहा है। संरक्षण। इसके अलावा, आरएसएस नियंत्रण कक्ष भवन भी बनाया गया है। उच्चतम रेटिंग का भारतीय हरा इमारत ऊर्जा संरक्षण के लिए आई.जी.बी.सी. परिषद (आई.जी.बी.सी.) के मानकों को अपनाया गया है।

घ) इरकॉन ने 20,000 से अधिक एलईडी लाइटें लगाई हैं पर यूएसबीआरएल ई एंड एम सुरंग परियोजनाओं कौन पास होना ऊर्जा की खपत में काफी कमी आई है। इसके अलावा, इरकॉन है भी इंस्टॉल किया ऊर्जा कुशल नेतृत्व किया ऊर्जा संरक्षण के लिए रोशनी ऊर्जा खपत को कम करने के लिए बंडामुंडा में लोको शेड, कटनी–सिंगरौली आरई परियोजना आदि विभिन्न परियोजनाएं शामिल हैं।

ङ) यूएसबीआरएल के लिए बारामुल्ला, काजीगुंड और बडगाम टीएसएस (जम्मू–कश्मीर) में 2400 केवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंक स्थापित किए गए हैं। आरई परियोजना और 04 नं। कटनी–सिंगरौली परियोजना के ट्रैक्शन सब–स्टेशनों (टीएसएस) में सुधार किया जाएगा शक्ति कारक। आगे, संधारित्र 5500 बैंक केवीएआर क्षमता प्रत्येक पास होना गया विभिन्न रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं के 08 टीएसएस में स्थापित। आगे, के लिए सुरंग उपकेंद्रों ए कुल 16 एमवीएआर संधारित्र बैंकों पास होना गया इंस्टॉल किया विनियमित करना रिएक्टिव शक्ति पीढ़ी देय को जेट पंखे, जिससे ऊर्जा की खपत कम हो जाती है।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदम:

कंपनी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में निम्नलिखित का उपयोग कर रही है:

क) इरकॉन के कॉर्पोरेट कार्यालय में रूफ टॉप सोलर प्लांट की स्थापना के अलावा , इरकॉन 500 मेगावाट की क्षमता वाली एक सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करके वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए एक प्रमुख परियोजना का भी क्रियान्वयन कर रहा है। सौर फोटोवोल्टिक ऊर्जा पौधा पर पावागडा, कर्नाटक द्वारा का उपयोग करते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी मोनोक्रिस्टलाइन पैसिवेटेड एमिटर और रियर सेल (पीईआरसी) द्वि–चेहरे सौर फोटो वोल्टेइक (एसपीवी) मॉड्यूल साथ ट्रैकर तकनीकी कौन आपूर्ति करेगा लगभग 1076 दस लाख इकाइयों प्रति वर्ष रेलवे को।

ख) बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहा है। कॉर्पोरेट कार्यालय, गुरुग्राम भवन और इसके परियोजना कार्यालयों में जल, सामग्री, अपशिष्ट, ऊर्जा और कार्बन उत्सर्जन पर पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए इरकॉन ने एक नई प्रणाली स्थापित की है। विभिन्न कार्यालयों/ परियोजनाओं में सौर पैनल लगाए जाएंगे; साथ ही बिजली बचाने के लिए सेंसर लाइट और सेंसर नल भी लगाए जाएंगे।

ग) इरकॉन ने सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक पैनल भी स्थापित किए हैं के लिए इसका कार्यालय जटिल में संगलदान (जम्मू और कश्मीर) 110 केडब्यूपी की क्षमता के साथ.

ऊर्जा संरक्षण उपकरण पर पूंजी निवेश:

मौजूदा हीटिंग को बदलने के लिए लगभग ₹ 4.00 करोड़ का निवेश किया है। वेंटिलेशन और कॉर्पोरेट कार्यालय में एयर कंडीशन (एचवीएसी) प्रणाली नई प्रौद्योगिकी ऊर्जा कुशल इन्वर्टर प्रकार एयर कंडीशनिंग प्रणाली के साथ, जो ऊर्जा की खपत को 20–30% तक कम कर देगा।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

इसके अलावा, आर–22 के पुराने रेफ्रिजरेंट को बदल दिया जाता है नये द्वारा तकनीकी शीतल आर–410क जो है यह पर्यावरण के अनुकूल है और कार्बन उत्सर्जन को कम करता है, जो सतत विकास में सहायक है।

प्रौद्योगिकी अवशोषण और उन्नयन प्रयास प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर अवशोषण:

आपकी कंपनी ने मेक–इन–इंडिया कार्यक्रम के तहत अहमदाबाद से मुंबई तक राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण मशीनरी विकसित की है। ट्रैक मशीनों की तकनीकी डिजाइन और विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकता पर भारतीय निर्माताओं को मार्गदर्शन देकर। इन मशीनों में रेल फीडर कार, ट्रैक पत्थर की पटिया बिछाना कार, रास्ता मोटर कार, ट्रॉली वैगन, फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन, आदि ये मशीनें विशेष रूप से हैं विकसित में वही रेखा जैसा वह का जापानी तकनीकी आवश्यकताएँ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, बैलास्टलेस ट्रैक के लिए जे–स्लैब के निर्माण हेतु अत्याधुनिक फैक्ट्री भी स्थापित की गई है। ऊपर के लिए उच्च रफ़्तार रेलवे ट्रैक, प्राणी शिंकानसेन प्रौद्योगिकी के साथ निष्पादित। हाई स्पीड ट्रैक के लिए कई घटक, जैसे, सीएएम बैग, सिंथेटिक रेजिन पैड, एडजस्टेबल पैड, डालना सी– डी के लिए जे–स्लैब, स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं, जिससे आयातित घटक पर निर्भरता कम हो गई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। अदला–बदली।

उत्पाद सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास या आयात प्रतिस्थापन जैसे लाभ

इस प्रयास में, इरकॉन ने न केवल भारतीय निर्माताओं को समान स्तर पर विकसित किया है, बल्कि साथ जापानी डिजाइन के कारण इन ट्रैक मशीनों का निर्माण जापान से करने के बजाय भारत में ही करने से इरकॉन को होने वाली लागत (100 करोड़ रुपये से अधिक) की भी बचत हुई।

आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (के दौरान आयातित अंतिम तीन साल माना से शुरुआत का वित्तीय वर्ष) – लागू नहीं

अनुसंधान एवं विकास

कंपनी मुख्य रूप से एक ईपीसी कंपनी है कोई विनिवल शोध परियोजना न अपनाएं, बल्कि मदद लें का कंसल्टेंट्स और कंपनियों को कुछ नया और को परियोजनाओं को लागत प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए विधियां और तकनीकें विकसित करना ढंग, साथ मांग गुणवत्ता, को बढ़ाना तकनीकी क्षमता और दक्षता।

जानकारी प्रौद्योगिकी और ईआरपी

कंपनी का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग डेटा नेटवर्क, कंपनी–व्यापी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों के कार्यान्वयन, आईटी हार्डवेयर उपकरणों की खरीद, साथ ही राजमार्ग यातायात प्रबंधन प्रणाली (एचटीएमएस), टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस), और इरकॉन और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा संचालित प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं के लिए वेट–इन–मोशन सिस्टम के कार्यान्वयन सहित सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। आईटी न केवल एक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है, बल्कि इरकॉन के भीतर कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इरकॉन हाल ही में अद्यतन को एसएपी एस/4 हानो जैसा वित्त, नियंत्रण और मानव संसाधन प्रबंधन के संचालन के लिए एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (इआरपी) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह कंपनी में व्यापक सूचना उपलब्धता, पारदर्शिता को बढ़ावा दे रहा है और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम बना रहा है। एसएपी बिजनेस वस्तुओं (एसएपी बीओ) एसएपी का एक विश्लेषणात्मक उत्पाद है जिसे ऑन–डिमांड वित्तीय रिपोर्टिंग को स्वचालित करने के लिए एसएपी कार्यान्वयन में जोड़ा गया था। यह रिपोर्टिंग टूल एसएपी से वास्तविक समय का डेटा प्राप्त करता है और तैयारी में मदद करता है वित्तीय कंपनी के वक्तव्य। कर्मचारी स्वयं सेवा पोर्टल, वित्त और एचसीएम मॉड्यूल एसएपी को पूरे संगठन के लिए शुरू कर दिया गया है और विभिन्न स्थानों पर परियोजना प्रणालियाँ क्रियान्वित की जा रही हैं। 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण एसएपी एस4-एचएएनए और वेतन से तैयार किए गए थे कर्मचारियों की हैं भी प्राणी प्रसंस्कृत अप्रैल 2022 से अपने पेरोल मॉड्यूल के माध्यम से। कार्यान्वयन के बाद पूरी तरह कार्यात्मक एसएपी एस4-एचएएनए, इरकॉन की एंड–टू–एंड व्यावसायिक प्रक्रियाओं को कवर करेगा। एस4-एचएएनए ईआर सॉफ़्टवेयर का सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर एमईआईटीवाई पैनल वाले डेटासेंटर पर रेलटेल क्लाउड पर होस्ट किया गया है ताकि उच्च उपलब्धता वाले वातावरण में सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित की जा सके जहाँ नियमित सेवाओं में व्यवधान के बिना क्षमता वृद्धि की गुंजाइश है।

इरकॉन में सभी घरेलू और विदेशी परियोजनाओं के लिए ई–ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। यह कागज रहित कार्यालय पहल की दिशा में एक कदम है से सरकार का भारत के लिए फाइलों, नोट शीट और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों की स्वीकृति और आवाजाही। यह भौतिक फ़ाइल सिस्टम का पूर्ण प्रतिस्थापन है जिसमें हानि रहित और न हटाए जाने योग्य डेटा सुविधा और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणीकरण सुविधाएँ हैं।

कार्यान्वयन एस4-एचएएनए का भी जैसा ई–ऑफिस होगा एक दूसरे के साथ संयोजन में काम करना होगा, और इससे इरकॉन को पूरे संगठन में लगभग कागज रहित आवश्यकता की ओर आगे बढ़ने में मदद मिली है।

अत्याधुनिक एआई आधारित ऑनलाइन मीटिंग पर आधारित समर्पित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग परियोजना कार्यालयों के साथ समीक्षा बैठकें, प्रशिक्षण, पदोन्नति साक्षात्कार और अनुबंध प्रबंधन मुद्दों आदि के लिए व्यापक रूप से किया जा रहा है।

अब बड़ी चिंता का विषय हैं ए दिन के लिए संगठनों जानकारी सुरक्षा। इरकॉन ने बनाया प्रयास में यह क्षेत्र और है तैयार ए साइबर संकट प्रबंधन योजना। साइबर हमलों की रिपोर्ट रिकॉर्ड और आगे के मार्गदर्शन के लिए सीइआरटी-इन को भेजी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि आईटी अनुप्रयोगों और आईटी बुनियादी ढांचे का उचित साइबर सुरक्षा ऑडिट उद्योग अभ्यास और मानदंडों के अनुसार किया जाए। कर्मचारी जागरूकता कार्यक्रम/प्रशिक्षण नियमित आधार पर आयोजित किए जा रहे हैं।

कुशल एवं पारदर्शी ई–खरीद के लिए जीईएम (गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस) और सीपीपी पोर्टल (सेंट्रल ई–मार्केट प्लेस) के माध्यम से ई–खरीद की जाएगी। जनता खरीद पोर्टल) पास होना गया संगठन–व्यापी रूप से अपनाया गया। ऑनलाइन सहयोग उपकरणों का उपयोग कर्मचारियों द्वारा सूचना साझा करने और व्यावसायिक संचार के लिए किया जाता है।

निगम से संबंधित शासन प्रणाली

कंपनी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशा–निर्देशों और सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करने पर बहुत ज़ोर देती है, तथा दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य को बढ़ाने और अल्पसंख्यक अधिकारों को बनाए रखने में उनके महत्व को पहचानती है। यह ए मौलिक दायित्व को उपलब्ध करवाना समय पर और कंपनी के परिचालन, प्रदर्शन, नेतृत्व और शासन के बारे में सटीक जानकारी।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

अनुपालन में विनियमन 34 के साथ केंद्रीय कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए एलओडीआर विनियम और डीपीई दिशानिर्देश जनता क्षेत्र उद्यम जारी किए गए में मई 2010, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, साथ ही उपर्युक्त एलओडीआर विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुपालन प्रमाण पत्र के साथ, जुड़ा हुआ और का गठन एक अभिन्न भाग का यह प्रतिवेदन।

निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

31 मार्च, 2024 तक कंपनी में नौ निदेशक थे, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्य) और निदेशक (परियोजनाएं)] एक सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक थे।

कंपनी ने वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, निदेशक मंडल ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और सभी पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को कंपनी का प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) नामित किया था। कंपनी के सबसे वरिष्ठ वित्त अधिकारी को मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और केएमपी नामित किया गया है।

31 मार्च, 2024 तक निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक थे, अर्थात– श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 10092756), अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ, श्रीमती रागिनी आडवाणी, (डीआईएन: 09575213), निदेशक (वित्त), श्री पराग वर्मा, (डीआईएन: 05272169) निदेशक (कार्य), श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन: 07918656) निदेशक (परियोजना); अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक अर्थात श्री धनंजय सिंह (डीआईएन: 08955500); सरकारी नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक अर्थात। श्री अजय कुमार चौहान (डीआईएन: 09394953), श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता (डीआईएन: 09398271), श्रीमती रंजना उपाध्याय (डीआईएन: 07787711) (महिला स्वतंत्र निदेशक) और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा (डीआईएन: 09453387)।

सीईओ और पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा, 31 मार्च, 2024 तक अन्य केएमपी में श्री बी मुगुंथन, कार्यकारी निदेशक (वित्त) और सीएफओ और श्रीमती पूजा गुरवाला, कंपनी सचिव थे।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान और उसके बाद निदेशकों और केएमपी की नियुक्ति और समाप्ति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद में परिवर्तन

श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन:10092756), अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड और सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक, इरकॉन ने 29 अप्रैल, 2023 को रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया और 12 सितंबर 2023 को आयोजित कंपनी की अंतिम वार्षिक आम बैठक में उन्हें नियमित किया गया। इसके अलावा, रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, श्री बृजेश कुमार गुप्ता ने 29 अप्रैल, 2024 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया और 29 अप्रैल, 2024 से कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में फिर से नामित हुए।

श्री आशीष बंसल (डीआईएन:10328174), आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एम एंड एमसी), रेलवे बोर्ड ख्डीआईएन:10328174, को 29 अप्रैल, 2024 से अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।

इसके अलावा, रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश पत्र संख्या 2023/ई(ओ)एल/40/15 दिनांक 1 जुलाई, 2024 के तहत श्री हरि मोहन गुप्ता, (डीआईएन: 08453476) को उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि यानी 30.06.2026 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इरकॉन के सीएमडी के पद पर नियुक्त किया है। श्री हरि मोहन गुप्ता ने सीएमडी के पद का कार्यभार संभाल लिया है और उन्हें 1 जुलाई, 2024 (एएन) से कंपनी के सीईओ (मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक) के रूप में नामित किया गया है। तदनुसार, श्री आशीष बंसल ने सीएमडी के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है और नियमित सीएमडी की नियुक्ति के अनुसार 01.07.2024 (एफएन) से कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (सीईओ) नहीं रहेंगे। श्री हरि मोहन गुप्ता, सीएमडी को कंपनी की आगामी एजीएम में कंपनी के सीएमडी के रूप में नियमित करने का प्रस्ताव है।

डाक मतपत्र के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति

श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन: 07918656), को नियुक्त किया गया अतिरिक्त निदेशक/निर्देशक (परियोजनाएं) विश्व आर्थिक मंच 7 जुलाई 2023, था नियमित पर अंतिम वार्षिक सामान्य कंपनी की बैठक 12 सितंबर 2023 को आयोजित की गई।

केएमपी में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सुश्री रितु अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त हो गया कंपनी सचिव बनना और कंपनी के पूर्णकालिक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक दिनांक 16.11.2023 से और कंपनी के निदेशक मंडल दिनांक 28.11.2023 से, सुश्री पूजा गुरवाला, संयुक्त महाप्रबंधक/कंपनी मामले को कंपनी सचिव और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में नियुक्त किया था कंपनी में तब तक कोई उम्मीदवार नहीं रहेगा जब तक कि उसका चयन नहीं हो जाता और उसे उच्च स्तर पर नियुक्त नहीं कर दिया जाता। इसके अलावा, श्री. अंकित जैन, प्रबंधक (कंपनी मामले), को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व) के तहत कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015।

बाद में पर, बाद बंद का वित्तीय वर्ष 2023– 24, इरकॉन की भर्ती एवं चयन प्रक्रिया के अनुसार, श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल को इरकॉन में कंपनी सचिव के पद पर महाप्रबंधक के रूप में चयनित किया गया है। कंपनी सचिव और संपूर्ण के रूप में नियुक्त किया गया था समय चाबी प्रबंधकीय कार्मिक का कंपनी 21.05.2024 से प्रभावी उपाध्यक्ष श्रीमती पूजा गुरवाला है।

पूरा विवरण का नियुक्ति/ निदेशकों द्वारा पद त्यागने तथा अन्य संबंधित विवरण कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दिए गए हैं। वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी को सभी से आवश्यक घोषणा प्राप्त हो गई है स्वतंत्र निदेशक वह वह वह की बैठक कंपनियों के नियम 149(6) के तहत स्वतंत्रता के मानदंड निर्धारित किए गए हैं कार्य, 2013 और नियमों 16(1)(ख) और 25(8) की एलओडीआर विनियम. घोषणाओं पास होना गया निदेशक मंडल द्वारा नोट किया गया।

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने अधिसूचना जारी की है। में अक्टूबर 2019, संबंधित को निर्माण और रखरखाव का डेटा किनारा

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

के लिए स्वतंत्र निदेशक द्वारा भारतीय संस्था का निगमित कार्य पर मानेसर, हरियाणा (आईआईसीए)। अंतर्गत अनुभाग 150(1) का कंपनियों कार्य, 2013, IICA ने स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रवीणता स्व–मूल्यांकन आयोजित किया निदेशक. इसलिए, सभी स्वतंत्र निदेशक का कंपनी हैं दर्ज कराई साथ डेटा बैंक का आईआईसीए.

नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति का निर्देशकों के माध्यम से डाक मतदान

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(2) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कंपनी की आम बैठक में की जानी है। इसके अलावा, LODR विनियमों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध इकाई को यह सुनिश्चित करना होगा कि बोर्ड में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की स्वीकृति आवश्यक है। निदेशकों की नियुक्ति अगली आम बैठक में या नियुक्ति की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, की जाती है। हालांकि, सीपीएसई को यह अनुमति है कि नियुक्ति के लिए शेयरधारकों की मंजूरी ली जाए। या पुनर्नियुक्ति का ए व्यक्ति पर इसका बोर्ड निदेशक या जैसा ए प्रबंधक है लिया पर अगला आम बैठक।

सेवानिवृत्ति का निदेशकों द्वारा ROTATION

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 के अनुसार, रोटेशन द्वारा निदेशकों की सेवानिवृत्ति के संबंध में प्रावधान स्वतंत्र निदेशकों पर लागू नहीं होंगे। इसे देखते हुए, सभी निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों के अलावा) को रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए माना जाता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य) और श्री धनंजय सिंह सरकार द्वारा नामित निदेशक, कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्ति के लिए उत्तरदायी हैं और पात्र होने के नाते, खुद को फिर से नियुक्त करने की पेशकश करते हैं।

आगामी एजीएम में पुनर्नियुक्ति/ नियुक्ति चाहने वाले ऐसे निदेशकों का विवरण कंपनी की आगामी एजीएम बुलाने की सूचना में निहित है।

बोर्ड और समिति की बैठकें

बोर्ड की बैठकें:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड की नौ (9) बार बैठक हुई, अप्रैल में 6, 2023; मई 11, 2023; मई 24, 2023; जुलाई 20, 2023; अगस्त 08, 2023; अक्टूबर 17, 2023; नवंबर 9, 2023; नवंबर 28, 2023; और फ़रवरी 08, 2024. आवश्यक कोरम में शर्तें का एलओडीआर नियमों था उपस्थित के लिए सभी बैठकें. बैठकों के बीच का अंतराल कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और एलओडीआर विनियमों के तहत निर्धारित अवधि के भीतर था।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बोर्ड की सभी बैठकें कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, नई दिल्ली में, भौतिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से आयोजित की गईं।

समिति बैठकें:

आपका कंपनी का तख़्ता है अगले समितियां:

1. अंकेक्षण समिति
2. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
3. हितधारकों का संबंध समिति
4. जोखिम प्रबंध समिति
5. निगमित सामाजिक ज़िम्मेदारी और वहनीयता समिति
6. परियोजना प्रगति समीक्षा समिति

वित्तीय वर्ष के दौरान 2023–24, लेखा परीक्षा समिति बोर्ड की सात (7) बार बैठक हुई, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की छह (6) बार बैठक हुई, हितधारकों की संबंध समिति मिले एक (1) समय; जोखिम प्रबंध बोर्ड समिति की दो (2) बार बैठक हुई; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति की तीन (3) बार बैठक हुई, और परियोजना प्रगति समीक्षा समिति की एक (1) बार बैठक हुई।

समितियों के गठन एवं विचारणीय विषय का विवरण, और उपस्थिति का निदेशक पर समितियों की बैठकों की विस्तृत जानकारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में दी गई है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

स्वतंत्र निदेशकों की अलग बैठक

में अनुपालन साथ प्रावधानों का विनियमन 25(3) का एलओडीआर विनियम, अनुसूची चतुर्थ का कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति के बिना स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक 11 मार्च, 2024 को आयोजित की गई (जो 12 मार्च, 2024 को जारी रही)।

नये निदेशकों और बोर्ड सदस्यता का चयन मानदंड

इसकी नियुक्ति निदेशक पर इसका तख़्ता है बनाया द्वारा अध्यक्ष का भारत में प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से निदेशकों की प्रमुख योग्यताएं, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं को कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में शामिल किया गया है।

प्रदर्शन मूल्यांकन

इरकॉन एक सरकारी कंपनी है जो इसके अंतर्गत काम करती है। प्रशासनिक नियंत्रण का मंत्रालय का रेलवे. सभी निदेशकों की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित है भारत सरकार द्वारा, तथा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति इसी प्रक्रिया के अनुसार की गई है। चयन का कार्यात्मक निदेशक, सहित अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी), इस प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया और दिशा–निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की सिफारिशें। भारत। विभाग सार्वजनिक उद्यम (डीपीई) ने भी एक प्रणाली और प्रक्रिया स्थापित की है के लिए का मूल्यांकन प्रदर्शन का सीएमडी सहित कार्यात्मक निदेशक।

कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए मूल्यांकन ढांचे में कई प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं:

क) ज्ञापन के तहत कंपनी का प्रदर्शन समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर साथ मंत्रालय का रेलवे, शामिल की उपलब्धि प्रत्येक संबंधित निदेशक के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए।

ख) मूल्यांकन प्रक्रिया में आत्म–मूल्यांकन शामिल है कार्यात्मक निदेशकों द्वारा स्वयं, उसके बाद सीएमडी द्वारा मूल्यांकन, और अंत में रेल मंत्रालय (रेलवे मंत्रालय) द्वारा एक व्यापक मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय)।

ग) के लिए सीएमडी, मूल्यांकन शामिल स्व–मूल्यांकन और रेल मंत्रालय द्वारा अंतिम मूल्यांकन किया जाएगा ।

सरकारी नामित निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन रेल मंत्रालय

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

द्वारा निम्नलिखित के अनुसार किया जाता हैरू साथ निर्धारित प्रक्रिया। स्वतंत्र निदेशक, कौन हैं भी नियुक्त द्वारा सरकार भारत के, मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन से गुजरना रेलवे और अंततः डीपीई द्वारा।

बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए पारिश्रमिक नीति

वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य के पारिश्रमिक का निर्धारण करने के लिए लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करती है। प्रबंध अधिकारीगण, और अन्य कर्मचारी। कंपनी ने प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और कर्मचारियों के लिए अपनी पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताएं रखी हैं पर इसका वेबसाइट (www.ircon.org) अंतर्गत एचआरएम और कैरियर अनुभाग, जैसा कि धारा 178(4) द्वारा आवश्यक है कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार है।

कंपनी की पारिश्रमिक नीति, साथ ही वरिष्ठ प्रबंधन की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं और नीतियों की निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन किए जाने से पहले नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा समीक्षा की जाती है और सिफारिश की जाती है।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक) अधिनियम, 2013 के नियम 5 के तहत का प्रबंधकीय कार्मिक) नियम, 2014, सूचीबद्ध कंपनियों को बोर्ड की रिपोर्ट में निदेशकों के पारिश्रमिक का विशिष्ट विवरण प्रकट करना आवश्यक है। हालांकि, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार इरकॉन सहित सरकारी कंपनियों को इस प्रावधान का अनुपालन करने से छूट दी गई है।

इसलिए, इस तरह के विवरण इरकॉन की बोर्ड रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक का खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में किया गया है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कंपनी ने कंपनी नियमन के प्रावधानों के अनुसार मजबूत वित्तीय नियंत्रण लागू किया है। कार्य, 2013. इन आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग हैं कामकाज प्रभावी रूप से। नियंत्रण सटीक लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव को सुनिश्चित करने, बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं व्यवस्थित आचरण कंपनी की नीतियों के अनुपालन में व्यवसाय संचालन, रक्षा कंपनी संपत्ति, रोकना और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाना, तथा वित्तीय और परिचालन संबंधी जानकारी की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, जो शामिल आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऊपर वित्तीय रिपोर्टिंग की समय–समय पर समीक्षा की जाती है, तथा उभरती व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समायोजन किए जाते हैं ।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है होना मिला में प्रबंध बहस और विश्लेषण रिपोर्ट।

इनसाइवर ट्रेडिंग के निवारण हेतु आंतरिक आचार सहिंता

आपका कंपनी है अपनाया एक श्आंतरिक कोड का की रोकथाम के लिए आचरण सौदे में अंदरूनी व्यापार की प्रतिभूतियों के साथ कंपनीश (कोड का आचरण), को विनियमित करना, निगरानी करना और प्रतिवेदन व्यापार द्वारा नामित व्यक्ति और उनका तुरंत रिश्तेदार और कोड के लिए सेबी की आवश्यकता के अनुसार अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए प्रथाएं और प्रक्रियाएं (निषेध का अंदरूनी सूत्र ट्रेडिंग) विनियम, 2015. आचार संहिता का उद्देश्य है कि कंपनी के अंदरूनी लोग कंपनी के बारे में यूपीएसआई तक पहुंच और उसके कब्जे से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या दूसरों को लाभ प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन करता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित आचार संहिता को कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक अनुभाग में संहिता एवं नीतियां शीर्षक के अंतर्गत पोस्ट किया गया है।

जोखिम प्रबंधन

कंपनी के पास एक विस्तृत उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचा है, जिसमें जोखिम की पहचान और उसके शमन के लिए जोखिम प्रबंधन नीति शामिल है।

जैसा प्रति एलओडीआर विनियम, कंपनी है एक बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति होना, जो 31 मार्च, 2024 को गठित समिति में निदेशक (कार्य) अध्यक्ष, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजनाएं) और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक सदस्य होंगे।

विवरण का जोखिम प्रबंध प्रणाली हैं प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में प्रदान की गई जानकारी और जोखिम प्रबंधन समिति कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में प्रदान की गई है।

व्हीसज ब्लोअर (सचेतक) नीति/ सतर्क तंत्रव्यवस्था एवं सतर्कता कियाकलाप

सरकारी कंपनी होने के कारण कंपनी का एक अलग सतर्कता विभाग है जो धोखाधड़ी या धोखाधड़ी से निपटता है। संदिग्ध धोखा को शामिल आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या कंपनी के साथ व्यापार करने वाले किसी अन्य पक्ष के कर्मचारी/प्रतिनिधि। व्हिसल ब्लोअर और धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने की नीतियों को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है और वे कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। कंपनी है में जगह ज़रूरी जलूस तंत्र कर्मचारियों और निदेशकों को प्रबंधन को अपनी चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए के बारे में अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, कंपनी की आचार संहिता या नैतिकता का उल्लंघन नीति और उदाहरण का रिसना का अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी। अगर एक उठाता क चिंता अंतर्गत यह नीति, शिकायतकर्ता इच्छा नहीं होना पर जोखिम का कष्ट किसी भी रूप का प्रतिहिंसा या प्रतिशोध (शामिल किसी भी तरह से भेदभाव, प्रतिशोध, उत्पीड़न या प्रतिशोध) का आरोप नहीं लगाया गया है। किसी भी व्यक्ति को इरकॉन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिलने से वंचित नहीं किया गया है ।

सतर्कता विभाग सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसका नेतृत्व एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा किया जाता है, जिसे केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के परामर्श से मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा नियुक्त किया जाता है।

विभाग निर्धारित दिशा–निर्देशों/प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है के माध्यम से निवारक चेकों निविदाओं और अनुबंधों, कार्यों

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

के निष्पादन, और अन्य कार्यों के साथ–साथ शिकायतों की जांच करना भी शामिल है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, विभाग ने उच्च मूल्य वाली परियोजनाओं पर 01 औचक निरीक्षण और 05 आवधिक निरीक्षण किए हैं। आकस्मिक एवं आवधिक निरीक्षणों के अलावा विभाग ने कॉर्पोरेट द्वारा जारी निविदाओं पर 03 निवारक निरीक्षण कार्यालय। अध्यक्ष तकनीकी परीक्षक का संगठन (केन्द्रीय सतर्कता आयोग की तकनीकी शाखा) ने भी ले जाया गया बाहर व्यापक जाँच पड़ताल का 01 परियोजना की व्यापक जाँच की है।

शिकायतों उठाया ख़िलाफ़ अधिकारियों और प्रक्रियाएं, आदि, द्वारा विभिन्न प्राधिकारी (ऐसा जैसा सीवीसी/रेलवे बोर्ड सतर्कता, सीबीआई, मुख्य मंत्री जी कार्यालय, वगैरह।,) और अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी की तार्किक निष्कर्ष तक जांच की गई।

दौरान वित्तीय वर्ष 2023–24, विभाग को कुल 22 संख्या शिकायतों और कुल 20 संख्या शिकायतों निपटारा कर दिया गया बंद शामिल वह का पहले का साल। शिकायतों की प्रकृति में निविदा प्रक्रिया, अनुबंध के निष्पादन, अनाम और छद्मनाम के दौरान अनियमितताएं शामिल हैं और गुणवत्ता संबंधी मुद्दे। इसके अलावा बंद करने के लिए कदम उठाए गए का पारस उठाया द्वारा अध्यक्ष तकनीकी परीक्षक संगठन (सीटीईओ) में जोड़ना, जांच का कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण, वाद–विवाद, प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से नियमों/प्रक्रियाओं/निष्पादन में सामान्य अनियमितताओं के बारे में जागरूकता पैदा करना, इसकी प्रमुख गतिविधियाँ रही हैं।

बेहतर पारदर्शिता के लिए श्प्रौद्योगिकी का लाभ उठानेश की दिशा में एक कदम के रूप में, ऑनलाइन सेवाएं वर्षों से कुशलतापूर्वक चल रही हैं, जैसे अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना 2012–13 से ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी, 1 अप्रैल 2014 से इंट्रानेट पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन सतर्कता मंजूरी, तथा दिसंबर 2012 से सतर्कता शिकायतें दर्ज करना शामिल है। इसके अलावा, कार्य के सभी मूल्यों के लिए पारदर्शिता प्राप्त करने के लिए संगठन में 1 जुलाई 2013 से व्यापक तरीके से ई–खरीद शुरू की जा चुकी है।

इरकॉन ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के अनुसार सत्यनिष्ठा संधि (आईपी) को अपनाया है। सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 24 जून 2014 को सभी भारतीय परियोजनाओं पर 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के अनुमानित मूल्य वाले कार्यों और आपूर्ति के लिए निविदाओं/अनुबंधों के लिए सत्यनिष्ठा संधि को अनिवार्य दस्तावेज़ बनाया है। इरकॉन ने इस सत्यनिष्ठा संधि को लागू किया है। संधि कौन है ए औजार विकसित द्वारा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल यह सुनिश्चित करता है कि किसी कंपनी या सरकारी विभाग और उनके आपूर्तिकर्ताओं के बीच सभी गतिविधियां और लेन–देन निष्पक्ष, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से किए जाएं।

सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रासंगिक दिशा–निर्देशों के अनुसार, श्री बिमल जुल्का, सेवानिवृत्त आईएएस, को संशोधित एसओपी के अनुसार 30 नवंबर, 2021 को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर (आईईएम) के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉ. टीएम भसीन, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, को स्वतंत्र बाह्य मॉनिटर के रूप में नियुक्त किया गया है। निगरानी करना (आईईएम) पर नवंबर 18, 2020 जैसा प्रति पहले एसओपी तक 17.11.2023 के लिए 3 साल बाद का को कौन श्री मधुसूदन प्रसाद को संशोधित एसओपी दिनांक 14.06.2023 (द्वितीय आईईएम) के अनुसार 18.11.2023 को नियुक्त किया गया है और उन्हें पदभार ग्रहण करना है।

सतर्कता विभाग अपने कामकाज में निष्पक्ष, निडर और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन को मजबूत बनाना।

संबंधित पक्ष लेनदेन

कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 177 और 188 तथा एलओडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार, जहां भी लागू हो, संबंधित पक्ष लेनदेन की पूर्व स्वीकृति लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड से ली जाती है जैसा लागू हो। एक ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर संबंधित पक्ष के बीच विभिन्न संबंधित पक्ष लेन–देन के लिए लेखा परीक्षा समिति की पूर्व सर्वव्यापी स्वीकृति भी वार्षिक आधार पर प्राप्त की जाती है। इरकॉन या कोई का इसका सहायक पर अन्य हाथ में साधारण पाठ्यक्रम व्यवसाय का मूल्यांकन नहीं से अधिक ₹1 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक अनुबंध / समझौते / लेनदेन के लिए। लेनदेन, अगर कोई भी, प्रविष्टि की में अनुसरण को सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तिमाही आधार पर लेखा परीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। विशिष्ट अनुमोदन संबंधित दल लेनदेन अन्य बजाय वे ढका हुआ ओमनीबस के तहत लेखा परीक्षा समिति से भी अनुमोदन प्राप्त किया जाता है/ तख़्ता में का अनुपालन कंपनी अधिनियम 2013 और एलओडीआर विनियमों की आवश्यकता। अनुपालन में ओमनीबस अनुमोदन के अंतर्गत आने वाले लेनदेन के अलावा अन्य विशिष्ट संबंधित पक्ष लेनदेन की स्वीकृति भी ओडिट समिति/ बोर्ड से प्राप्त की जाती है।

कंपनियों के अधिनियम की धारा 134(3)(एच) के अनुसरण में अधिनियम, 2013 और कंपनी (लेखा) नियम के नियम 8(2) के अधीन, 2014, "प्रकटीकरण का ब्यौरा का अनुबंध/ कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ की गई व्यवस्थाएं जिनमें कुछ निश्चित लेन–देन शामिल हैं" का खुलासा फॉर्म में किया गया है एओसी–2 इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

संबंधित दल लेन–देन नीति का कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रस्ताव कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है अंतर्गत ''निवेशक'' अनुभाग पर: www.ircon.org. जाए।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी का निदेशक मंडल का पुष्टि करता है:

i) कि मडल इसकी तैयारी में वित्तीय विवरण , उपयुक्त लेखांकन मानकों का पालन किया गया के अलावा जैसा अन्यथा कहा गया में वार्षिक वित्तीय कथन और वहाँ है गया नहीं सामग्री प्रस्थान;

ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया गया तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि राज्य का सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत किया जा सके। का कार्य का कंपनी के लिए वित्तीय 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष और वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लाभ का विवरण ;

iii) देखभाल की गई है रखरखाव का पर्याप्त लेखांकन अभिलेख कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार;

iv) वह वित्तीय कथन पास होना गया तैयार पर ए जा रहा है चिंता आधार;

v) वह आंतरिक वित्तीय को नियंत्रित करता है थे पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालन; और

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

vi) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की गई है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं।

व्यावसायि उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

अनुपालन में "व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट" (बीआरएसआर) के प्रावधानों के साथ एलओडीआर विनियमनों का विनियमन 34, सेबी परिपत्र 12 जुलाई, 2023 के तहत निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से इरकॉन द्वारा की गई पहलों का वर्णन किया गया है।

एमओयू रेटिंग / पुरस्कार

में रेखा साथ विभाग का जनता उद्यम (डीपीई) दिशानिर्देश, रेल मंत्रालय और इरकॉन इंटरनेशनल सीमित (इरकॉन) प्रतिवर्ष संकेत ए समझौता ज्ञापन (एमओयू)। यह एमओयू चयनित मापदंडों को निर्दिष्ट करता है और लक्ष्यों के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत में इरकॉन के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। साल अंत आधारित पर उपलब्धि का इन लक्ष्यों की प्राप्ति के आधार पर वर्ष के अंत में कंपनी के प्रदर्शन का यांकन किया गया

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, इरकॉन को समझौता ज्ञापन मापदंडों के विरुद्ध अपने प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर श्उत्कृष्टश रेटिंग प्राप्त हुई।

इरकॉन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। का महत्वपूर्ण पुरस्कार और पुरस्कार जीत गया वर्ष 2023–24 के दौरान प्रस्तावित परियोजनाएं नीचे उल्लिखित हैं:

- परियोजना ''उधमपुर– श्रीनगर – बारामुल्ला'' के लिए ''उत्कृष्ट सुरंग संरचना'' के लिए सीई एंड सीआर वार्षिक पुरस्कार नया बीजी रेल रेखा – निर्माण का सुरंग टी–49 पर धर्म – काजीगुंड अनुभाग''।
- शासन अब 10 वीं पीएसयू पुरस्कार – सीएसआर प्रतिबद्धता
- शासन अब 10 वीं पीएसयू पुरस्कार – राष्ट्र इमारत
- डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार – इंजीनियरिंग और निर्माण सेवा क्षेत्र में ईएसजी चौंपियंस ऑफ इंडिया 2024
- रेल एनालिसिस इंडिया द्वारा रेल परियोजनाओं की सिविल इंजीनियरिंग, परीक्षण और कमीशनिंग में उत्कृष्टता
- शीर्ष दावेदार 2022–23 पुरस्कार द्वारा निर्माण दुनिया
- अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023।
- इरकॉन ने सूची में 238वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 250 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों और 229 रैंक में सूची ईएनआर सर्वेक्षण 2023 द्वारा प्रकाशित शीर्ष 250 वैश्विक ठेकेदारों की सूची।

लेखापरीक्षक

सांविधिक लेखापरीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के महालेखा परीक्षक भारत (सीएंडएजी) ने मेसर्स रमेश सी. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नियुक्त किया है। नया दिल्ली (अटल पंजीकरण नं.001770सी) अकेला वैधानिक लेखा परीक्षक की कंपनी, वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, निम्नलिखित विदेशी परियोजनाओं को छोड़कर, जिनके लिए C&AG ने निम्नलिखित को वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है:

अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए शाखा लेखा परीक्षक	
श्री उपद्वीप मिमौन रफीक	एलजीरिया परियोजना
एमएस जयसिंघे और कं	श्री लंका परियोजना
मेसर्स तोहा खान ज़मान एंड कंपनी	बांग्लादेश परियोजना
माई एशिया कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड	म्यांमार परियोजना

लागत लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 1961 की धारा 148 के प्रावधानों के अनुसार कार्य, 2013 और नियम बनाया इसके तहत, कंपनी ने कंपनी के लागत रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। तख़्ता का निदेशक है नियुक्त मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, लागत लेखाकार, (होना अटल लागत रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा करने के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में पंजीकरण संख्या 000022) को नियुक्त किया गया है।

सचिवीय लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 और एलओडीआर विनियमनों के विनियमन 24 क के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने मेसर्स को नियुक्त किया है वीएपी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिस में कंपनी सचिव (प्रैक्टिस प्रमाण पत्र संख्या 13901) सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में सचिवीय संचालन के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी का ऑडिट।

आंतरिक लेखाकार

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023–24 के लिए भारतीय और विदेशी परियोजनाओं के लिए निम्नलिखित आंतरिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की है:

क्रम सं.	क्षेत्र/ऑडिट सर्कल अंकेक्षण मंडलियां	आंतरिक लेखा परीक्षकों
1.	कॉर्पोरेट कार्यालय क्षेत्र (विदेशी सहित) परियोजना अर्थात अल्जीरिया परियोजना)	एमएस अमा और सहयोगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
2.	उत्तरी क्षेत्र	एमएस अमा और सहयोगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट
3.	पूर्वी क्षेत्र (विदेशी परियोजनाओं सहित) अर्थात म्यांमार रोड परियोजना, खुलना मोंगला बांग्लादेश, इश्वुदी दर्शन बांग्लादेश एस एंड टी, और भैरव रेलवे ब्रिज (जेवी) परियोजना बांग्लादेश)	एमएस सेन और रे, चार्टर्ड एकाउंटेंट
4.	मुंबई क्षेत्र (सहित) विदेशी परियोजना अर्थात रेलवे का उन्नयन रेखा, माहो (ओमानथाई, श्रीलंका तक)	मेसर्स जे. सिंह एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
5.	पटना क्षेत्र	मेसर्स गुप्ता सचदेवा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
6.	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र	मेसर्स बावेजा एंड कौल, चार्टर्ड एकाउंटेंट

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

ऋणों गांरटियों अथवा निवेशों का विवरण

इरकॉन बुनियादी ढांचा सुविधाएं उपलब्ध कराने के व्यवसाय में लगी हुई है और उसे निम्नलिखित नियमों के अनुपालन से छूट दी गई हैरू सभी प्रावधानों का अनुभाग 186 ख के अलावा उप– अनुभाग (1) को अनुभाग 186, में शर्तें का अनुभाग 186(11)(क) पढ़ना कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VI के अनुसार।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपनी सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को किए गए निवेश, दिए गए ऋण और दी गई गारंटियों का ब्यौरा 2023–24 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण ों के नोट्स का हिस्सा है ।

जमा

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किए गए है।

अन्य उल्लेख

वार्षिक विवरणों से उद्धत

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और 134(3)(क) के अनुसार, वार्षिक रिटर्न 31 मार्च, 2024 तक कंपनी की कुल आय का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर निवेशक अनुभाग के अंतर्गत रखा गया है।

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)

कंपनी ने अनुपालन किया है से संबंधित प्रावधानों के साथ इन्वेस्टर शिक्षा और सुरक्षा फंड (आईईपीएफ) नीचे कंपनियों कार्य, 2013 और नियम बनाया कंपनी सचिव आईईपीएफ से निपटने के लिए नोडल अधिकारी है प्राधिकारी और उससे संबंधित अनुपालन।

आईईपीएफ में ट्रांसफर के लिए कोई राशि बकाया नहीं है और 31 मार्च, 2024 तक बिना दावे वाले लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है, और इसका खुलासा कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में भी किया गया है। इसके अलावा, कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस अकाउंट/अप्रत्याशित सस्पेंस अकाउंट/अप्रत्याशित लाभांश में शेयर नहीं हैं खाता और वही है गया खुलासा में कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट.

साचिवीय लेखापरीक्षक

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है। कंपनी सचिव भारत (आईसीएसआई)।

द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश या भविष्य में कंपनी की मौजूदा स्थिति और परिचालन को प्रभावित करने वाले न्यायाधिकरण

विनियामकों या न्यायालयों द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है या न्यायाधिकरण प्रभावित जा रहा है चिंता स्थिति वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी और उसके भविष्य के संचालन की स्थिति।

वित्तीय वर्ष के अंत स्थिती के साथ–साथ वर्ष के दौरान दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किए गए आवेदन या लंबित किसी भी कार्यवाई का हो सकती है

वहाँ हैं नहीं कार्यवाही आरंभ/लंबित ख़िलाफ़ आपकी कंपनी दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत कौन इच्छा पास होना सामग्री प्रभाव पर व्यापार कंपनी का।

व्यवसाय की प्रकृति में बदलाव

वहाँ प्रकृति में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी का कारोबार।

लाभांश वितरण नीति

के अनुसार विनियमन 43क का एलओडीआर विनियमन और डीआईपीएएम द्वारा जारी "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन" पर दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति तैयार की है और उसे अपनाया है। नीति होस्ट की गई है कंपनी की वेबसाइटः https://ircon.org/ images/file/ cosecy/Dividend%20Distribution%20Policy. pdf. पर देखें।

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का उत्तर

धारा 204 के तहत आवश्यक फॉर्म एमआर–3 में सचिवीय लेखा परीक्षक से "सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट" कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 9 के साथ कंपनी (नियुक्ति और पारिश्रमिक) प्रबंधकीय कार्मिक) नियम, 2014 इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सचिवालय में योग्यता पर प्रबंधन की प्रतिक्रिया लेखा परीक्षक प्रतिवेदन और अनुपालन का की शर्तें वित्तीय वर्ष के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन 2023–24 इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां

वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 (दोनों पर स्टैंडएअलोन और समेकित वित्तीय विवरण) वार्षिक रिपोर्ट के भाग के रूप में अलग से संलग्न हैं। मेसर्स रमेश सी द्वारा कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई है। अग्रवाल, चार्टर्ड लेखाकार, सांविधिक लेखा परीक्षक, ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपनी रिपोर्ट में यह बात कही।

सीएण्डएजी ने शून्य दिया है पर टिप्पणियाँ अंकेक्षित वित्तीय अभिकथन का आपका कंपनी के लिए वित्तीय वर्ष 2023–24 और वही संलग्न हैं।

आभार अभिव्यक्ति

कंपनी के निदेशक रेलवे, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग जैसे विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त अमूल्य सहायता और सहयोग के लिए अपना हार्दिक आभार और स्वीकृति व्यक्त करना चाहते हैं। परिवहन एवं राजमार्ग (एमओआरटीएच), विदेश मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, शहरी विकास, साथ ही अन्य मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के प्रति हम आभारी हैं। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक कार्यालय से प्राप्त सहायता सामान्य का भारत, संरक्षित किनारा का भारत, बैंकर्स, वैधानिक, शाखा, लागत, मंत्री–संबंधी और आंतरिक कंपनी के लेखा परीक्षक, विदेश स्थित भारतीय दूतावास और मिशन, विदेशी मिशनों और दूतावासों में भारत, एग्जिम किनारा, ईसीजीसी लिमिटेड, आव्रजन संरक्षक, पासपोर्ट प्राधिकरण, और हमारा सम्मानित ग्राहकों दोनों अंदर भारत और विदेशों में उनके सक्रिय समर्थन के बिना, कंपनी समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की उपलब्धियों का प्राप्त होना संभव नहीं था, के प्रति भी आधार अभिव्यक्त करते है

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

हम कंपनी के सभी कर्मचारियों के लिए उनके अभक प्रयासें, समर्पण, और कंपनी के प्रदर्शन और लाभ प्रदता में सुधार के उदेश्य के सभी स्तरों पर अपनाई गई सव्यनिष्ठा की सराहना करते हैं।

कृतें तथा निदेशक मंउल की ओर से

ह०/–

(हरि मोहन गुप्ता)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 13, अगस्त 2024

स्थान: नई दिल्ली

परिशिष्ट क

भारत में प्रमुख चालू परियोजनाएं

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संशोधित संविदा मूल्य (₹ करोड़ में)
	रेलवे	
1.	उत्तर रेलवे के लिए कटरा–काजीगुंड खंड (आईआरसीओएन का हिस्सा), उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना।	15,983
2.	सिवोक–रांगपो नया रेल रेखा परियोजना, के लिए उत्तर सीमांत रेलवे।	10,012
3.	मुंबई अहमदाबाद उच्च रफ़्तार रेल परियोजना, पैकेट एमएएचएसआर–टी–2 के लिए राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनएचएसआरसीएल)।	5,118
4.	निर्माण का कॉरिडोर–III गेवरा रोड से पेंड्रा रोड के बीच लगभग 135 किमी का ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ राज्य में गेवरा रोड से पेंड्रा रोड के बीच ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर का व्यवहार्यता अध्ययन, छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के लिए	3,290
5.	निर्माण कॉरिडोर–I का पूर्व का गलियारे बीच में खरसिया को धरमजयगढ़ और छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के लिए स्पर लाइन।	2,117
6.	निर्माण का नया बीजी विद्युतीकृत रेल के बीच की रेखा धरमजयगढ़ से कोरबा (उरगा) के लिए सीईआरएल (सीईआरएल– II)।	1,004
7.	डिज़ाइन और निर्माण का सिविल, इमारत और रास्ता काम करता है का वैतरणा–सचिन अनुभाग समर्पित का परिवहन गलियारे परियोजना, सीटीपी–12, के लिए समर्पित परिवहन गलियारे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल)।	2,952
8.	दोहरीकरण परियोजनाओं पर कटनी – सिंगरौली दोहरीकरण परियोजना, पश्चिम के लिए केंद्रीय रेलवे।	2,445
9.	अहमदाबाद स्टेशन, साबरमती स्टेशन, वायाडक्ट और पुल, क्रॉसिंग ब्रिज (स्टील ट्रस गर्डर्स के निर्माण और परिवहन को छोड़कर) और संबंधित कार्यों को शामिल करते हुए डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए डिजाइन बिल्ड एकमुश्त मूल्य के आधार पर परीक्षण और कमीशनिंग सहित सिविल और भवन निर्माण कार्यों का डिजाइन और निर्माण मुंबई–अहमदाबाद हाई स्पीड रेल (पैकेज संख्या एमएएचएसआर सी–7) के निर्माण की परियोजना के लिए गुजरात राज्य में एमएएचएसआर किमी 489.467 और एमएएचएसआर किमी 507.599, एनएचएसआरसीएल।	1,714
10.	आरडीयूएम–ताल–आरजेओ (रामपुर डुमरा – ताल – राजेंद्रपुल दोहरीकरण शामिल गंगा पुल) दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए पूर्व केंद्रीय रेलवे।	1,957
11.	कटनी श्रेणी सेपरेटर / द्वारा उत्तीर्ण रेखा (21.50 किमी) परियोजना, के लिए पश्चिम केंद्रीय रेलवे।	1,248
12.	किऊल – गया दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए पूर्व केंद्रीय रेलवे।	1,549
13.	सर्वे, साध्यता अध्ययन, विस्तृत डिज़ाइन और निर्माण का विभिन्न पहचान की रेल कोयला कनेक्टिविटी परियोजना(ओं), के लिए झारखंड केंद्रीय रेलवे सीमित (जेसीआरएल)।	1,143
14	अखौरा – अगरतला रेल जोड़ना परियोजना (निर्माण भारतीय का भाग), के लिए उत्तर फ्रंटियर रेलवे।	781

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

क्रम सं.	परियोजना का नाम	संशोधित संविदा मूल्य (₹ करोड़ में)
	सड़क	
1	निर्माण का आठ लेन पहुँच नियंत्रित एक्सप्रेसवे से किमी 69.800 को किमी 79.783 (भोज मोरबे सेक्शन–एसपीयूआर तक वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे) राज्य में महाराष्ट्र हाइब्रिड वार्षिकी तरीका अंतर्गत भारतमाला परियोजना (फेस II– पैकेज–XVII), के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)	1,436
2	निर्माण का आठ लेन पहुंच नियंत्रित एक्सप्रेसवे से किमी 3.000 को किमी 20.200 (शिरसाड को अकलोलि अनुभाग–एसपीयूआर का वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे) में राज्य महाराष्ट्र के हाइब्रिड पर एनएचएआई के लिए भारतमाला परियोजना (चरण II–पैकेज XIV) के तहत वार्षिकी मोड	1,124
3	हाइब्रिड पर पंजाब राज्य में भारतमाला परियोजना के तहत लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ तक स्पर सहित मानेवाल (लुधियाना) के निकट एनई –5 गांव के जंक्शन से भिओरा गांव (रूपनगर) के निकट एनएच –205 जंक्शन तक चार / छह लेन ग्रीनफील्ड लुधियाना – रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच –205 के का निर्माण वार्षिकी मोडरू पैकेज–3 (डिज़ाइन अध्याय. 66.440 को डिज़ाइन चौ. 90.500 और प्रेरणा को खरड़ डिज़ाइन चौ. 0.000 को डिज़ाइन चौ. 19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी), एनएचएआई के लिए	1,107
4	उन्नयन का गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी अनुभाग का एनएच–352डब्लू जैसा फीडर मार्ग में एनएचएआई के लिए हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर हरियाणा राज्य	789
5	उन्नयन और चार लेन का निर्माण हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 किमी 0+000 से (किमी 188+100 एनएच–58) को किमी. 15+100 (किमी 5+100 का राष्ट्रीय राजमार्ग 74) में राज्य का उत्तराखंड पर हाइब्रिड एन.एच.ए. आई. के लिए वार्षिकी मोड	861
	अन्य	
1	भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना (किश्त III) केंद्रीय जनता क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना फेस II (सरकार भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास के लिए उत्पादक योजना) एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए)	1,960
2	दो परियोजनाएँ अर्थात डिज़ाइन, आपूर्ति, स्थापना, रिसीविंग सब–स्टेशनों का परीक्षण और कमीशनिंग [25 केवीएसी सहित, ट्रैक्शन सह 33 केवी सहायक मुख्य सब स्टेशन], अतिरिक्त उच्च वोल्टेज और उच्च वोल्टेज केबलिंग, 25 के.वी. ओवरहेड उपकरण (एफओसीएस/आरओसीएस), सहायक विद्युत आपूर्ति ख्सहित सहायक सब स्टेशन], और संबंधित पर काम करता है वाहिनी के माध्यम से – दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस के लिए दुहाई (ईपीई) से मोदीपुरम ख्मोदीपुरम डिपो सहित, तक सुरंग गलियारे का राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) (लोट–पी19 एल1 और लॉट–पी19 एल2) एनसीआरटीसी के लिए	374 438
3	रेलवे विद्युतीकरण काम करता है के लिए बदरपुर– जिरिबाम, कचरवल - भैरबी और बदापुर– करीमगांग – सबरूम सहित करीमगांग – मैशासन, अगरतला – अकौरा और बरईग्राम – उत्तर सीमांत रेलवे के लिए दुल्लाबचेरा	737

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

परिशिष्ट-ख

क. सहायक कम्पनियां:

1. इरकॉन आधारभूत संरचना और सेवा सीमित (इरकॉनआईएसएल)

इरकॉनआईएसएल, एक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन, शामिल किया गया था पर सितम्बर 30, 2009 और 10 नवंबर 2009 को कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इरकॉनआईएसएल का मुख्य उद्देश्य बहु–कार्यात्मक परिसरों (एमएफसी) आदि के निर्माण के क्षेत्र में योजना, डिजाइन, विकास, सुधार आदि सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू करना, सुविधाएं और सुख–सुविधाएं प्रदान करना है। को उपयोगकर्ताओं का भारतीय रेलवे प्रणाली; और ले जाने के लिए पर व्यापार का किराये पर लेना क्रय, पट्टा सभी प्रकार के चल और अचल संपत्तियां, उपलब्ध करवाना कंसल्टेंसी के लिए सभी प्रकार का इंजीनियरिंग परियोजनाएं शामिल उपलब्ध कराने के रखरखाव, सहायता और सामाजिक कल्याण उपायों सहित सभी प्रकार की सेवाएं आदि।

दौरान वित्तीय वर्ष 2023–24, इरकॉन आईएसएल है सुरक्षित 02 नई परियोजनाएं अर्थात (i) नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पर्यवेक्षण/निरीक्षण) ऊपर पुल पास में स्तर चौराहा नहीं। एलसी–148 'सी' पर किमी. नहीं। 273/27–274/1 भरथना–कोसाड, सूरत (रेलवे) भाग केवल) से शहरी अँगूठी विकास निगम, सूरत और (ii) मल्टी मॉडल कार्गो के विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण जीसीटी के अंतर्गत टर्मिनल कॉनकॉर से छारोदी (गुजरात) में नीति।

साथ में वित्तीय वर्ष के दौरान उपरोक्त नई परियोजनाओं के साथ 2023–24, अगले चल रहे परियोजनाओं विभिन्न चरणों में हैं:

I. हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) (एचवीएसयू) पर दुधोला, पलवल, हरयाणा।

II. प्रौद्योगिकी भवन परिसर में एक नए अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिए पीएमसी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली।

III. बैरक आवास के निर्माण के लिए पीएमसी के लिए सुरक्षा कार्मिक पर दो (2) संख्या का भूमि बंदरगाह/आईसीपी पर पेट्रापोल (पश्चिम बंगाल) और दावकी (मेघालय) के लिए भूमि भारतीय बंदरगाह प्राधिकरण (एलपीएआई)।

IV. पीएमसी के लिए निर्माण का मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के लिए कॉनकोर पर पारादीप (उड़ीसा)।

V. पीएमसी के लिए प्रतिस्थापन का सीएसटी–9 स्लीपर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ऊंचाहार, यूपी में स्टेज–1 (2×210MW) के एमजीआर सिस्टम के पीआरसी स्लीपरों के साथ

VI. निर्माण के लिए पीएमसी आधारभूत संरचना में काम करता हुँ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नागपुर स्थित अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

VII. विकास के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण का हैंडलिंग सुविधाएँ के लिए इफको पर एमएमएलपी पारादीप पत्तन, उड़ीसा, पुरस्कार कॉनकॉर द्वारा।

VIII. रखरखाव का रास्ता, नागरिक इंजीनियरिंग, ओएचई और एस एंड टी की संपत्ति खरसिया–कोरीछापर नव शिलान्यास बीजी अनुभाग के लिए छत्तीसगढ पूर्व रेलवे लिमिटेड।

IX. निरीक्षण एजेंसी के लिए निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित कार्य विधानसभा और शुभारंभ का इस्पात सुपरस्ट्रक्चर के अंदर रेलवे भाग शामिल छलरचना – निर्माण के लिए असर की स्थापना महाराष्ट्र क्षेत्र में एल.सी. गेटों के स्थान पर विभिन्न स्थानों पर रोड ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.) का निर्माण अंतर्गत केंद्रीय रेलवे" के लिए महाराष्ट्र रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड।

X. दो के निर्माण के लिए पर्यवेक्षण परामर्श आरओबी पर डॉ इ. मूसा सड़क और ग्रेटर मुंबई नगर निगम के जी/एस वार्ड में महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन के पास केशवराव खाड़े मार्ग।

XI. आधुनिक तकनीक का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस) सर्वेक्षण प्रौद्योगिकियाँ के लिए नया चौड़ा टनकपुर से बागेश्वर तक गेज लाइन (लगभग 154. 58 किमी) में राज्य का उत्तराखंड के लिए पूर्वोत्तर रेलवे।

XII. उपग्रह या एलआईडीएआर इमेजरी से उत्पन्न डिजिटल टेरेन/एलिवेशन मॉडल (क्ज्ड/क्म्ड/कैड) का उपयोग करके अंतिम स्थान सर्वेक्षण (एफएलएस), जमीन पर संरेखण का निर्धारण, भूवैज्ञानिक एवं भूभौतिकीय मानचित्रण आदि के संबंध में इम्फाल–मोरेह नया बीजी अकेला रेखा पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के लिए मणिपुर में परियोजना (कुल लगभग लंबाई 110 किमी)।

XIII. भूमि पार्सल का विकास और मुद्रीकरण एसडीएमसी स्थित पर समुदाय केंद्र मादीपुर में, पंजाबी बाग, नया दिल्ली जैसा मल्टी समतल कार पार्किंग सुविधा दक्षिण दिल्ली नगर निगम के लिए वाणिज्यिक परिसर के साथ। परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट और वित्तीय मॉडल ग्राहक को प्रस्तुत कर दिया गया है।

XIV. नवनिर्मित परियोजनाओं में परियोजना परिसंपत्तियों का रखरखाव कोरिचाप्पर को छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड से धरमजयगढ़ सेक्शन और घरगोड़ा से भालूमुड़ा सेक्शन

XV. उपलब्ध कराने के सुविधा प्रबंध सेवाएं और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के लिए भवन संबंधी सेवाओं का वार्षिक संचालन सह व्यापक रखरखाव।

XVI. समिति के लिए जेएनवी साबरकांठा (गुजरात) में चरण–बी कार्य के निर्माण के लिए पीएमसी।

XVII. विस्तृत इंजीनियरिंग और परियोजना पर्यवेक्षण के लिए विकास का मल्टी नमूना माल जीसीटी के अंतर्गत टर्मिनल छरोड़ी (गुजरात) में नीति।

XVIII. परियोजना प्रबंध कंसल्टेंसी (पर्यवेक्षण/निरीक्षण) का निर्माण का नया रेलवे लेवल क्रॉसिंग संख्या एलसी–148

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

के पास ओवर ब्रिज 'सी' पर किमी. नहीं। 273/27–274/1 भरथना–कोसाड, सूरत (केवल रेलवे भाग) वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, बिहार के जोगबनी में सुरक्षा कर्मियों के लिए बैरक आवास का निर्माण पूरा कर लिया गया है और उसे एलपीएआई को सौंप दिया गया है। माननीय घर मंत्री पर 17.09.2023. दस (10) एसवीएसयू विश्वविद्यालय के ब्लॉक (शैक्षणिक ब्लॉक–1 नं., एडमिन ब्लॉक–6 संख्या, लड़के छात्रावास, बालिका छात्रावास और उत्कृष्टता केंद्र) का निर्माण पूरा कर लिया गया और ग्राहक को सौंप दिया गया। वे थे का उद्घाटन द्वारा माननीय अध्यक्ष मंत्री हरियाणा के पर 20.11.2023. मल्टी मॉडल मैसूर के कडाकोला में लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) का निर्माण पूरा हो गया है और इसे कॉनकॉर को सौंप दिया गया है। कडाकोला और दाहेज में एमएमएलपी का उद्घाटन किया गया है। माननीय मुख्य मंत्री द्वारा आभासी तरीका 12.03.2024 को।

2. **इरकॉन पंजाब टोलवे सीमित (इरकॉनपीबीटीएल)**

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन पीबीटीएल को 30 सितंबर, 2014 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया और 14 नवंबर, 2014 को कारोबार शुरू करने के लिए अनुमोदन प्राप्त हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य इरकॉन पीबीटीएल का व्यवसाय जारी रखना है का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण अस्तित्व बीकानेर और फलौदी अनुभाग को चार गलियों से 4.200 किमी से 55.250 किमी तक तथा पक्की सड़क सहित दो लेन से 55.250 किमी को 163.500 किमी राजस्थान राज्य में एनएच–15 के निर्माण, संचालन और हस्तांतरण (बीओटी) (टोल) आधार पर निर्माण के लिए इरकॉन पीबीटीएल ने 7 नवंबर, 2014 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौता किया है। परियोजना की रियायत अवधि 26 वर्ष है नियुक्त तारीख साथ कुल परियोजना लागत का ₹844.08 करोड़ है।

लम्बाई के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र का 156.650 किमी और 2.52 किमी है गया प्रारंभ के लिए क्रमशः 15.02.2019 और 04.11.2020 को जारी किया गया का टोलिंग संचालन पर सभी तीन टोल प्लाजा स्थित पर सालासर और नोखरा में बीकानेर जिले में खीरवा और जोधपुर जिला, राजस्थान। सम्पूर्ण परियोजना के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। गया जारी किए गए पर 04.09.2024. टोल शुल्क के लिए 159.200 किलोमीटर की पूरी परियोजना लंबाई के लिए राजस्व संग्रह किया जा रहा है। जनशक्ति आपूर्ति के आधार पर टोल संग्रह एजेंसी तैनात करके राजस्व एकत्र किया जा रहा है।

3. **इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल)**

इरकॉनएसजीटीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जैसा क विशेष उद्देश्य वाहन 12 मई 2015 को और के प्रारंभ के लिए अनुमोदन प्राप्त किया 27 मई 2015 को व्यापार समाचार। इसका मुख्य उद्देश्य इरकॉन एसजीटीएल का व्यवसाय जारी रखना है चार लेन बनाने का शिवपुरी–गुना अनुभाग का एनएच 3 से निर्माण, संचालन और स्थानांतरण पर 236.000 किमी से 332.100 किमी (बीओटी) (टोल) आधार पर डिज़ाइन, निर्माण, मध्य प्रदेश राज्य में एनएचडीपी चरण–IV के अंतर्गत वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) पैटर्न।

इरकॉनएसजीटीएल है प्रविष्टि की में छूट 15 जून 2015 को एनएचएआई के साथ समझौता हुआ। रियायत अवधि यह परियोजना 20 वर्ष बाद पूरी होगी नियत तिथि, कुल परियोजना लागत के साथ ₹872.11 करोड़ परियोजना दो चरणों में क्रियान्वित की गई है।

चरण–I का संचालन एवं रखरखाव राजस्व संग्रहण 7 जून 2018 से प्रारंभ हो चुका है तथा इसके लिए 85.31 करोड़ रुपये का पूर्णता प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया है। एनएचएआई द्वारा 27 सितंबर, 2018 को किलोमीटर लंबाई जारी की गई। निर्माण का चरण– II का 12.39 किलोमीटर सड़क लंबाई की परियोजना पूरी हो चुकी है और 17.12.2022 और 01.06. 2023 को क्रमशः 10.400 किलोमीटर और 1.99 किलोमीटर का पीसीओडी प्राप्त किया गया। तदनुसार, वाणिज्यिक परिचालन के अंतर्गत संशोधित टोल शुल्क के साथ दोनों चरणों के 97.700 किलोमीटर के सम्पूर्ण खंड के लिए राजस्व एकत्र किया जाता है। इरकॉनएसजीटीएल ने एसबीआई से ₹501 करोड़ का ऋण लिया है और 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि ₹483.57 करोड़ है।

4. **इरकॉन दावनगेरे हावेरी राजमार्ग सीमित (इरकॉ नडीएचएचएल)**

इरकॉन डीएचएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। जैसा क विशेष उद्देश्य वाहन 11 मई, 2017 को "दावणगेरे–हावेरी को किमी 260+000 से छह लेन का बनाने" के एकमात्र उद्देश्य से कर्नाटक राज्य में एनएच–48 (पुराना एनएच–4) के किमी 338+923 को हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) के रूप में निष्पादित किया जाएगा। पर डिज़ाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और एनएचडीपी चरण–ट के तहत स्थानांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर किया जाएगा ।

इरकॉनडीएचएचएल है प्रविष्टि की में छूट 19 जून 2017 को एनएचएआई के साथ समझौता (सीए) किया गया। रियायत अवधि का परियोजना शामिल का निर्माण अवधि का 912 दिन (30) महीने) से नियत तिथि अर्थात 24 जनवरी 2018 और संचालन एवं रखरखाव अवधि का 15 साल शुरू से अनंतिम समापन प्रमाणपत्र। कुल बोली परियोजना लागत ₹1177 करोड़ है, साथ ही निर्माण के दौरान वृद्धि और संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) लागत ₹10.00 करोड़ प्रति वर्ष है, जिसमें संपूर्ण ओ एंड एम अवधि के दौरान वृद्धि शामिल है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली की शर्तों के अनुसार इरकॉन को केवल निर्माण भाग के लिए ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

परियोजना राजमार्ग के 78.923 किलोमीटर में से 71.738 किलोमीटर के लिए अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र (पीसीसी) स्वतंत्र इंजीनियर (आईई) द्वारा 28.05.2021 से जारी किया गया था। और संतुलन काम है को होना निष्पादन लक्ष्य के भीतर पूरा किया गया 18 महीने यानि 31.10.2024 तक। आगे, ए कुल मात्रा का ₹230.42 करोड़ (छोड़कर) जीएसटी) है पहले से गया प्राप्त से एनएचएआई की ओर पाँच वार्षिकियां देय जैसा प्रति शर्तें सीए के ओ एंड एम लागत के भुगतान के साथ।

इरकॉनडीएचएचएल है लाभ उठाया प्रतिबंध का अवधि ऋण का ₹502.76 करोड़ से पंजाब राष्ट्रीय किनारा (पीएनबी) परियोजना के वित्तपोषण के लिए और 31 मार्च 2024 तक बकाया ऋण ₹300.16 करोड़ है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

5. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे सीमित (इरकॉनवीकेईएल)

इरकॉन–वीकेईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसे विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रूप में शामिल किया गया है। पर मई 16, 2018 साथ मुख्य वस्तु को विकास, रखरखाव का व्यवसाय जारी रखना आठ लेन वाले वडोदरा किम एक्सप्रेसवे का प्रबंधन और से किमी 323.00 को किमी 355.00 (संपा) पादरा अनुभाग तक वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे) राज्य में एनएचडीपी के अंतर्गत गुजरात चरण–VI हाइब्रिड वार्षिकी मोड पर (चरण IA– पैकेज II) डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर।

इरकॉनटझम्स रियायत में प्रवेश किया है के साथ समझौता एनएचएआई पर मई 25, 2018. छूट की अवधि परियोजना में शामिल हैं निर्माण अवधि 730 दिन से नियुक्त तारीख अर्थात, जनवरी 31, 2019 और संचालन अवधि का 15 साल वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) से प्रारंभ, कुल के साथ बोली परियोजना लागत का ₹1865 करोड़ प्लस वृद्धि को छोड़कर ओ एंड एम लागत का ₹8.16 करोड़ प्रति प्रतिवर्ष. इरकॉन ने गया नियुक्त जैसा ईपीसी ठेकेदार में इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली की शर्तें। इरकॉनवीकेईएल ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) से 724.12 करोड़ रुपये का सावधि ऋण लिया है और जैसा पर मार्च 31, 2024, असाधारण ऋण है।

प्रमोटर की ₹620.68 करोड़ की कॉर्पोरेट गारंटी यानी, इरकॉन अंतरराष्ट्रीय सीमित (एएए रेटेड) है रिहा कर दिया गया द्वारा किनारा का बड़ौदा ख़बरदार नहीं आपत्ति पत्र दिनांक 25–05–2023।

एनएचएआई ने अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र जारी कर दिया है विश्व आर्थिक मंच 25.08.2022 के लिए 31.785 किमी 32 में से किमी और बाद का को उपलब्धि पीसीओडी, ऑपरेशन और रखरखाव चरण परियोजना 26.08.2022 से शुरू हो गई है। तदनुसार, द्वि–वार्षिक और ओ एंड एम वार्षिकी भुगतान किस्त फरवरी, 2023 से शुरू हो गई है। आज तक, इरकॉन–वीकेईएल को कुल 3 वार्षिकी और ओ एंड एम भुगतान प्राप्त हुए हैं। इरकॉनवीकेईएल ने पुरा होना सभी लंबित कार्य और पंच सूची आइटमों को पूरा किया और एनएचएआई से सीओडी प्राप्त करने के लिए सभी औपचारिकताएं भी पूरी कीं। हाल ही में, इसने 9 जनवरी, 2024 से सीओडी जारी करने की सिफारिश की है और वर्तमान में यह एनएचएआई के पास लंबित है।

6. इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी राजमार्ग सीमित (इरकॉनजीआरएचएल)

इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉनजीआरएचएल को दिसंबर 2014 में विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया। 24, 2020, और प्राप्त किया अनुमोदन 06 जनवरी 2021 को कारोबार शुरू करने के लिए। मुख्य वस्तु का इरकॉनजीआरएचएल है "एनएच–352डब्ल्यू के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड का उन्नयन किमी 0.00 को किमी 43.87 (डिज़ाइन लंबाई 46.11 किमी) भारतमाला के तहत हाइब्रिड एन्युटी मोड पर फीडर रूट के रूप में परियोजना में राज्य का हरियाणा में एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार यह परियोजना कार्यान्वित की जाएगी।

इरकॉनजीआरएचएल है प्रविष्टि की में छूट 20 जनवरी, 2021 को एनएचएआई के साथ समझौता। परियोजना की रियायत अवधि में नियुक्त तिथि यानी नवंबर से 730 दिनों की निर्माण अवधि शामिल है। 24, 2021 और संचालन अवधि 15 वर्ष वाणिज्यिक परिचालन तिथि से प्रारंभ, ओएंडएम को छोड़कर कुल बोली परियोजना लागत ₹900 करोड़ है लागत का ₹2.47 करोड़ प्रति प्रतिवर्ष. इरकॉन है ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है तकनीकी बोली प्रस्तुत द्वारा इरकॉन को एनएचएआई. परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और 27.04.2025 तक पूरा होने की संभावना है।

इरकॉनजीआरएचएल है लाभ उठाया अवधि ऋण का ₹309.68 करोड़ से भारतीय प्रवासी किनारा (आईओबी) को वित्त परियोजना. असाधारण ऋण जैसा पर मार्च 31, 2024 है ₹196.52 करोड।

7. इरकॉन अकलोलि–शिरसाड एक्सप्रेसवे सीमित (इरकॉनएएसईएल)

इरकॉन ए.एस.ई.एल., इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी जैसा ए विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) 23 दिसंबर, 2021 को, और प्रमाणपत्र प्राप्त किया 31 दिसंबर, 2021 को कारोबार शुरू करने की तिथि। मुख्य वस्तु का इरकॉनएएसईएल है को ढोना का कारोबार बाहर निर्माण का आठ लेन का प्रवेश–नियंत्रित एक्सप्रेसवे से किमी 3.000 को किमी 20. 200 (शिरसाड से अकलोली खंड–एसपीयूआर) वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे) में राज्य का महाराष्ट्र पर भारतमाला परियोजना के तहत हाइब्रिड वार्षिकी मोड (एचएएम) मॉडल (चरण II–पैकेज (14) पुरस्कार द्वारा एनएचएआई।

इरकॉन एएसईएल रियायत में प्रवेश किया है 27 जनवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ समझौता। परियोजना की रियायत अवधि में नियुक्त तिथि से 548 दिनों की निर्माण अवधि और वाणिज्यिक से शुरू होने वाली 15 वर्षों की संचालन अवधि शामिल है। संचालन तारीख (सीओडी) बोली परियोजना लागत है ₹1124 करोड़। और पहला वर्ष ओ एंड एम लागत का ₹3.0 सीआर. इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ तकनीकी बोली प्रस्तुत द्वारा इरकॉन से एनएचएआई।

के लिए वित्तीय समापन प्राप्त कर लिया गया है । नियत तिथि था घोषित से 10.11.2022 द्वारा एनएचएआई के लिए परियोजना. परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और जून 2025 तक पूरी होने की संभावना है।

इरकॉनएएसईएल की राशि के लिए ऋण लिया है परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹686.37 करोड़ प्राप्त हुए। असाधारण ऋण जैसा पर मार्च 31, 2024 है ₹155.70 करोड।

8. इरकॉन लुधियाना रूपनगर राजमार्ग सीमित (इरकॉनएलआरएचएल)

इरकॉनएलआरएचएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसे दिसंबर 2014 में विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया। 24, 2021, और प्राप्त किया प्रमाणपत्र प्रारंभ का का व्यापार पर दिसंबर 31, 2021. इरकॉनएलआरएचएल का मुख्य उद्देश्य "व्यवसाय को आगे बढ़ाना" है का निर्माण का चार/छह गली ग्रीनफील्ड लुधियाना– रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या एनएच– 205K से जंक्शन साथ एनई–5 गाँव पास में मानेवाल (लुधियाना) से भिओरा गांव (रूपनगर) के निकट एनएच 205 के साथ जंक्शन तक, जिसमें भारतमाला के अंतर्गत लुधियाना बाईपास के साथ खरड़ तक की सड़क भी शामिल है परियोजना में राज्य का पंजाब पर हाइब्रिड वार्षिकी तरीका (एचएएम): पैकेज–3 (डिज़ाइन चौ. 66.440 को डिज़ाइन चौ. 90.500 और प्रेरणा को खरड़ डिज़ाइन चौ. 0.000 को डिज़ाइन चौ.19.200, कुल लंबाई 43.26 किमी), में अनुसार एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के साथ है।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

इरकॉनएलआरएचएल है प्रविष्टि की में छूट 25 मार्च 2022 को एनएचएआई के साथ समझौता। परियोजना की रियायत अवधि में नियुक्त तिथि से 730 दिनों की निर्माण अवधि शामिल है (होना तय द्वारा एनएचएआई) और संचालन अवधि का 15 सीओडी से प्रारंभ होने वाले वर्ष , कुल बोली परियोजना लागत के साथ ₹1107 में से करोड़ के सिवा ओ एंड एम लागत प्रति वर्ष ₹3.0 करोड़ की लागत से इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को तकनीकी बोली प्रस्तुत की गई।

वित्तीय समापन प्राप्त हो चुका है और एन.एच.ए.आई. ने 16.02.2023 से नियत तिथि घोषित की है। परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और फरवरी, 2025 तक पूरी होने की संभावना है।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ₹570.82 करोड़ का टर्म लोन मंजूर किया है। हालाँकि, आईएलआरएचएल ने 31.03.2024 तक ₹197.00 करोड़ का लोन लिया है।

9. इरकॉन भोज मोरब एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

इरकॉनबीएमईएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को 6 जनवरी, 2022 को एक विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया और 13 जनवरी, 2022 को व्यवसाय शुरू करने का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। इरकॉनबीएमईएल का मुख्य उद्देश्य षकिमी 69.800 से किमी 79.783 (भोज से मोरबे सेक्शन – एसपीयूआर) तक आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण का व्यवसाय करना है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) पर महाराष्ट्र राज्य में वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे) (चरण द्वितीय – पैकेज (XVII), में अनुसार एनएचएआई के साथ रियायत समझौते की शर्तों के साथ।

इरकॉनबीएमईएल है प्रविष्टि की में छूट 18 फरवरी, 2022 को एनएचएआई के साथ समझौता। परियोजना की रियायत अवधि में नियुक्त तिथि से 910 दिनों की निर्माण अवधि शामिल है (होना तय द्वारा एनएचएआई) और संचालन अवधि का 15 सीओडी से प्रारंभ होने वाले वर्ष, ओएंडएम लागत को छोड़कर कुल बोली परियोजना लागत ₹1436 करोड़ है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के अनुसार इरकॉन को ईपीसी ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

वित्तीय समापन प्राप्त हो चुका है और एनएचएआई ने घोषित नियुक्त तारीख से 19.01.2023. परियोजना कार्यान्वयन चरण में है और जुलाई, 2025 तक पूरी होने की संभावना है।

इरकॉनबीएमईएल है प्रविष्टि की में ऋृण समझौता के लिए ₹ 823.39 करोड़ से किनारा का बड़ौदा तथापि तक तारीख स्वीकृत सुविधा है नहीं गया लाभ उठाया।

बैंक ऑफ बड़ौदा से 31.03.2024 तक लिया गया ऋण 129.37 करोड़ रुपये है।

10. इरकॉन हरिद्वार बाईपास सीमित (इरकॉनएचबीएल)

इरकॉनएचबीएल, इरकॉन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनी जैसा ए विशेष उद्देश्य वाहन पर 13 जनवरी, 2022, और प्रमाण पत्र प्राप्त किया का प्रारंभ व्यापार पर जनवरी 19, 2022. मुख्य वस्तु इरकॉनएचबीएल की है ''को ढोना व्यापार का उन्नयन और चार लेन का हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 किमी. 0+000 से (किमी 188+100 का एनएच–58) को किमी. 15+100 (एनएच 74 के किमी 5+100) उत्तराखंड राज्य में हाइब्रिड पर वार्षिकी तरीका (जांघ) में अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार।

इरकॉनएचबीएल रियायत में प्रवेश किया समझौता एनएचएआई के साथ 8 मार्च, 2022 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना की रियायत अवधि में 730 एकड़ की निर्माण अवधि शामिल है। दिन से नियुक्त तारीख (31.10.2022) और सीओडी से शुरू होने वाली 15 साल की परिचालन अवधि, कुल बोली परियोजना लागत ₹861 करोड़ है, जिसमें प्रति वर्ष ₹2.0 करोड़ की ओ एंड एम लागत शामिल नहीं है। इरकॉन द्वारा एनएचएआई को प्रस्तुत तकनीकी बोली के अनुसार इरकॉन को म्ब्छ ठेकेदार के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना निष्पादन चरण में है और 30.06.2025 तक पूरी होने की संभावना है।

इरकॉनएचबीएल है प्रविष्टि की में क ऋृण समझौता का परियोजना के आंशिक वित्तपोषण के लिए भारतीय स्टेट बैंक से ₹447.6 करोड़ प्राप्त हुए। मार्च तक बकाया ऋण 31, 2024 है ₹112.96 करोड।

11. इरकॉन अक्षय शक्ति सीमित (आईआरपीएल)

आईआरपीएल, इरकॉन की एक सहायक कंपनी है जिसे 13 जनवरी, 2022 को शामिल किया गया और इसे प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ 24 फरवरी, 2022 को कारोबार। आईआरपीएल है इनकॉरपोरेटेड जैसा ए संयुक्त उद्यम (जेवी) और विशेष प्रयोजन वाहन (जेवी–एसपीवी) साथ हिस्सेदारी द्वारा भागीदारी इरकॉन और अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड (अयाना) में अनुपात 76:24, क्रमश। इसका मुख्य उद्देश्य आईआरपीएल ष्की स्थापना 500 मेगावाट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत ग्रिड से जुड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास द्वारा शुरू की गई "चरण– II (सरकारी उत्पादक योजना)" प्राधिकरण (आईआरईडीए) ("परियोजना")। इरकॉन और अयाना है प्रविष्टि की 13 दिसंबर, 2021 को शेयर सदस्यता और शेयरधारकों के समझौते (एसएसएचए) में प्रवेश किया।

यह परियोजना इरेडा द्वारा इरकॉन को दी गई थी और है प्राणी निष्पादित द्वारा आईआरपीएल. कुल परियोजना लागत ₹2770.45 करोड़ है। अंतिम व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) मात्रा के लिए परियोजना है ₹44,94,000 प्रति मेगावाट की कुल राशि ₹224.70 करोड़ होगी, जिसे इरेडा द्वारा दो किस्तों में जारी किया जाएगा यानि (क) पुरस्कार पर 50% का अनुबंध को ईपीसी ठेकेदार (संस्थागत ईपीसी डिवीजन सहित) बोलीदाता (इरकॉन) द्वारा, जिसके लिए ईपीसी अनुबंध निष्पादित हो गया है केईसी इंटरनेशनल के साथ पर 16 वीं दिसम्बर 2022 और (ख) शेष 50% सफल कमीशनिंग पर की पूरी क्षमता परियोजना. पहली किश्त जारी करने के लिए सभी सहायक दस्तावेज वीजीएफ 20 दिसंबर 2022 को इरेडा को प्रस्तुत किए गए और वीजीएफ की पहली किश्त 05.09.2023 को प्राप्त हुई।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और लगभग 1600 एकड़ भूमि का पट्टा समझौता (एटीएल) निष्पादित किया जा चुका है। 2270 एकड़। इसके अलावा, विस्तृत डिजाइन लगभग पूरा हो चुका है और सभी लंबी लीड आइटम साइट पर पहुंचा दिए गए हैं। उपकरणों का निर्माण प्रगति पर है। लगभग 10 ... क्षमता 15 एमडब्ल्यूपी हैं इंस्टॉल किया पर साइट और आगे इंस्टालेशन है में प्रगति। इसके अतिरिक्त, 33/220 केवी पूलिंग सबस्टेशन का

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

निर्माण और कमीशनिंग कार्य भी पूर्णता चरण में है। लगभग 5 किमी 220 केवी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। संचरण लाइन से सौर पौधा पूलिंग सबस्टेशन (पीएसएस) से 400/220 केवी पीजीसीआईएल पावागड़ा ग्रिड सबस्टेशन और बे का कार्यान्वयन भी पूरा हो चुका है तथा कमीशनिंग की प्रक्रिया चल रही है।

ख. संयुक्त उद्यम कम्पनियां:

1. इरकॉन–सोमा टोलवे निजी लिमिटेड (आईएसटीपीएल)

आईएसटीपीएल, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) और सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड (सोमा) द्वारा प्रवर्तित एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जो एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, जिसकी स्थापना 19 अप्रैल, 2005 को हुई थी। इसमें बराबर की इक्विटी भागीदारी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य मौजूदा 2 लेन वाली सड़क का सुधार, संचालन और रखरखाव, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण तथा 4 लेन वाली विभाजित कैरिजवे को चौड़ा करना है। पर राष्ट्रीय हाइवे 3 (एनएच3) पर किमी 261+720 से किमी 379+878 तक महाराष्ट्र राज्य में निर्माण, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर निर्माण किया जाएगा। बाद में में वर्ष 2017–18, सोमा एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने अपने 6,38,69,999 शेयर अपनी सहयोगी कंपनी सोमा को हस्तांतरित कर दिए हैं टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) और सोमा एंटरप्राइज लिमिटेड के पास 1 (एक) शेयर था।

यह परियोजना 2010–11 में पूरी हुई और तब से अप्रैल, 2010 कंपनी है एकत्र टोल पूरा परियोजना खींचना का 118.158 किमी. 20 वर्ष की रियायत अवधि 26.03.2026 को समाप्त हो रही है।

आगे, में महीना का फ़रवरी, 2024, सोमा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने 6,38,69,999 शेयर सोमा रायपुर सिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) को हस्तांतरित कर दिए हैं।

2. भारतीय रेलवे के स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)

आईआरएसडीसी, इरकॉन और रेल भूमि विकास की इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है अधिकार (आरएलडीए) में अनुपात 51:49 में से , क्रमश, था इनकॉरपोरेटेड पर 12 अप्रैल, 2012. आईआरएसडीसी ने प्रारंभ प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया था का व्यापार पर मई 09, 2012. इसका मुख्य उद्देश्य आईआरएसडीसी का उद्देश्य विकास/पुनर्विकास करना है मौजूदा/ नया रेलवे मौजूदा स्टेशन भवनों के पुनर्विकास सहित नए निर्माण/नवीनीकरण के माध्यम से यात्री सुविधाओं के स्तर में वृद्धि के साथ स्टेशन, प्लैटफ़ॉर्म सतहें, घूम क्षेत्र, आदि, को सुधार उनका मानकों और उपलब्ध करवाना एक बेहतर ग्राहक अनुभव। में वित्तीय वर्ष 2017–18, 1% हिस्सेदारी दांव का आईआरएसडीसी था इरकॉन द्वारा आरएलडीए को हस्तांतरित कर दिया गया, और यह 50:50 संयुक्त उद्यम कंपनी बन गई का इरकॉन और आरएलडीए. में वित्तीय वर्ष 2021– 22, राइट्स तीसरे रणनीतिक साझेदार/शेयरधारक के रूप में पेश किया गया था, और तब से, इक्विटी शेयर होल्डिंग आयोजित द्वारा आरएलडीए, इरकॉन और संस्कार है में अनुपात का 50:26:24, क्रमश।

रेल मंत्रालय ने अक्टूबर माह के अपने पत्र के माध्यम से 18, 2021, है 'सैद्धांतिक रूप में' फैसला किया बंद करने के लिए आईआरएसडीसी को पत्र लिखकर प्रक्रियागत औपचारिकताएं आरंभ करने को कहा गया है। लेन–देन सलाहकार (मेसर्स आईडीबीआई) कैप्स) पास होना गया नियुक्त को प्रक्रिया की देखरेख करना तथा आईआरएसडीसी की समापन प्रक्रिया में सहायता के लिए तकनीकी और कानूनी जानकारी प्रदान करना।

प्राधिकरण को नवीनीकृत/हस्तांतरित कर दिया गया है। (आरएलडीए) और सभी पाँच स्टेशन सुविधा प्रबंधन (अर्थात पुणे, आनंद विहार, चंडीगढ़, सिकंदराबाद और बैंगलोर) को 31.3.2022 तक संबंधित क्षेत्रीय रेलवे को सौंप दिया जाएगा। संविदात्मक/अन्य देनदारियों का आईआरएसडीसी अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

रेल मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर, शेयरधारिता सूरत में आईआरएसडीसी का एकीकृत परिवहन विकास निगम सीमित (एसआईटीसीओ) मार्च 2023 में आरएलडीए को हस्तांतरित कर दिया गया है। अनुपालन में रेल मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, गांधी नगर रेलवे एवं शहरी विकास निगम (गरुड़) में आईआरएसडीसी की शेयरधारिता स्थानांतरित की जा रही है। को आरएलडीए और प्रक्रिया का आरएलडीए को हस्तांतरित करना पुस्तक पर मूल्य (बिना मूल्यांकन) परस्पर मान गया कट–ऑफ/स्थानांतरण तारीख कार्य प्रगति पर है।

बंद करने से संबंधित गतिविधियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आईआरएसडीसी के वित्तीय विवरण परिसमापन आधार पर तैयार किए गए हैं। देय को फ़ैसला बंद होने का और एसआईटीसीओ में शेयरधारिता को आरएलडीए को हस्तांतरित करने के बाद भाग का बंद गतिविधियाँ, सभी संपत्ति और देनदारियाँ का आईआरएसडीसी ख्अन्य बजाय इसका गरुड़ में निवेश, आरएलडीए को हस्तांतरित किया जाना है कम से कम एक विचार के लिए मंदी बिक्री के आधार पर किताब कीमत जैसा पर काट दिया तारीख को परस्पर होना मान गया ऊपर जैसा अनुमत में आईआरएसडीसी की निदेशक मंडल की बैठक।

इन गतिविधियों के पूरा होने और परिसंपत्तियों और देनदारियों को आरएलडीए/एमओआर को सौंपने पर परिसमापन प्रक्रिया शुरू होगी।

3. छत्तीसगढ पूर्व रेलवे सीमित (सीईआरएल)

सीईआरएल, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामित) की इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसकी स्थापना 12 मार्च, 2013 को हुई थी। सीईआरएल ने 07 मई, 2013 को कारोबार शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। सीईआरएल का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला संपर्क गलियारे यानी पूर्वी गलियारे (लंबाई 180 किलोमीटर) का विकास करना है। इस परियोजना को पीपीपी परियोजनाओं के लिए बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर (बीओओटी)

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

मॉडल पर लागू किया जा रहा है। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेयरधारक समझौता 11 सितंबर, 2014 को निष्पादित किया गया था।

उसका परियोजना है आगे विभाजित में अगले दो चरण:

(क) सीईआरएल चरण–I– यह खरसिया से धरमजयगढ़ तक फैला हुआ है जिसमें घरघोड़ा से स्पर लाइन भी शामिल है घाटी महुआ. छूट सीईआरएल चरण–I के लिए रेल मंत्रालय के साथ 12 जून 2015 को बढ़े हुए माइलेज के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पांच वर्ष की अवधि के लिए 175 किलोमीटर की प्रभार्य दूरी पर 60% ब्याज की सीमा सितंबर 2024 तक है। सीईआरएल–I का वित्तीय समापन 24 नवंबर, 2017 को प्राप्त हो गया है।

विभिन्न अनुभागों को निम्नानुसार नियुक्त किया गया है:

1. खरसिया को कोरिचापार (डीएन रेखा: 0–42.569 सीईआरएल चरण–I का 12.5 किमी. का कार्य 12 अक्टूबर, 2019 को चालू कर दिया गया है।
2. सीईआरएल चरण–I के कोरिचापार से धरमजयगढ़ (डीएन लाइनरू 42.569 किमी – 73.519 किमी) को 22 जून, 2021 को चालू कर दिया गया है।
3. एसईसीआर ने घरघोड़ा से भालूमुड़ा तक खोलने की मंजूरी दी (सीएसबी के.एम. 34.090 – 13.873 किमी) सीईआरएल चरण–I का दिनांक 23.02.2022 को समापन हो गया है। व्यावसायिक रूप से अधिसूचित पर 07.03. 2022.
4. सीईआरएल चरण–I की छाल फेडर लाइन सीएसबी किमी 16.548 (फीडर लाइन के लिए सीएच. 0) – सीईआरएल सीमा, किमी 8.429 (एफ/सीएचएचएएल) 23 जुलाई, 2022 को चालू कर दी गई है।
5. खरसिया को कोरिचापार (ऊपर रेखा: 0–42.569 सीईआरएल चरण–I का 12.5 लाख किमी. का प्रोजेक्ट 12 सितम्बर, 2022 को चालू हो जाएगा।
6. बारौद फीडर लाइन सीएसबी किमी 42.569 (सीएच. 0) के लिए बरौद फीडर रेखा)– सीईआरएल सीमा, किमी 4.139 का सीईआरएल चरण 1 है गया 16 मार्च 2023 को कमीशन किया जाएगा।
7. सीईआरएल चरण–I परियोजना की सीओडी 23 जुलाई, 2022 है।
8. बारौद फ्रेट टर्मिनल 13.06.2023 को चालू किया गया और 26.06.2023 से लोडिंग शुरू हुई।
9. ईआईजी प्रमाणपत्र के लिए काम का "ऊर्जावर्धन ओएचई का निजी साइडिंग एसईसीएल छल पर उड़ान भरते हुए से सीईआरएल रेखा में अनुसंधान एवं विकास लोड हो रहा है यार्ड का एसईसीआर पर बीएसपी डिवीजन में एसईसीएल साइडिंग (कुल टीकेएम: 2.617)" छाल फीडर लाइन के लिए 07.11.2023 को जारी किया गया था

(ख) सीईआरएल चरण–II – यह धर्मजयगढ़ से कोरबा तक फैला हुआ है। सीईआरएल चरण–II के जीएसटी निहितार्थों के साथ एक संशोधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को 12 जून, 2018 को पांच साल के संचालन के लिए 62.5 किलोमीटर की प्रभार्य दूरी पर 60% की बढ़ी हुई माइलेज के साथ क्षेत्रीय रेलवे द्वारा अनुमोदित किया गया है। रियायत सीईआरएल चरण–II के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मंत्रालय का रेलवे पर मार्च 15, 2022. सीईआरएल चरण II परियोजना का वित्तीय समापन केंद्रीय सहायता से प्राप्त किया गया। किनारा का भारत पर 28.08.2023 के लिए ए कुल 1349.00 करोड़ रुपये की ऋण आवश्यकता है। 157.035 हेक्टेयर वन भूमि के डायवर्जन के लिए चरण–I वन मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। दिनांक 02.03.2023 को कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई। 15.07.2023 को कार्य करने की अनुमति प्राप्त हुई।

4. छत्तीसगढ पूरब पश्चिम रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) की इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है (एक नामित कंपनी) का सरकार का छत्तीसगढ़) में का अनुपात 64:26:10, क्रमश, था इनकॉरपोरेटेड पर 25 मार्च 2013. इसका मुख्य उद्देश्य सीईडब्लूआरएल राज्य में कोयला संपर्क गलियारा अर्थात पूर्व–पश्चिम गलियारा (लंबाई 135 किमी) का विकास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़. सीईडब्लूआरएल ने प्राप्त किया प्रमाणपत्र के लिए का प्रारंभ व्यापार पर मई 07, 2013. छूट परियोजना की अवधि नियत तिथि से 30 वर्ष है तारीख शामिल निर्माण अवधि का 3 साल और 6 महीने। एसईसीएल, इरकॉन और सीएसआईडीसी के बीच शेयरधारक समझौता निष्पादित किया गया 09 अप्रैल 2021.

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) था रेलवे द्वारा अपने क्षेत्रीय रेलवे अर्थात दक्षिण पूर्वी रेलवे के माध्यम से अनुमोदित मध्य रेलवे ने 40% की बढ़ी हुई माइलेज दी पर प्रभार्य दूरी का 135 किमी के लिए पाँच वर्षों से अनुमत द्वारा मंत्रालय का रेलवे पर जून 15, 2017. छूट समझौता था प्रविष्टि की सीईडब्ल्यूआरएल और रेल मंत्रालय के बीच 01 जुलाई, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। है लाभ उठाया ऋृण सुविधाएँ के लिए एक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों के संघ से 3976 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और 04 सितंबर, 2020 को वित्तीय समापन प्राप्त हुआ। ऋण आवश्यकता के अनुसार, इरकॉन ने इक्विटी योगदान के लिए प्रायोजक समर्थन वचन दिया है कुल इक्विटी आवश्यकता का 26%, लागत वृद्धि को पूरा करने, वाणिज्यिक संचालन की तिथि तक ऋण चुकाने आदि के लिए। परियोजना के लिए पूरी भूमि अधिग्रहित कर ली गई है और लगभग 3064 करोड़ रुपये के सिविल कार्यों के लिए निविदाएं अंतिम रूप दे दी गई हैं। और काम है में प्रगति। लक्ष्य तारीख कार्य पूरा होने की तिथि दिसम्बर 2024 है।

5. महानदी कोयला रेलवे सीमित (एमसीआरएल)

भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा महानदी कोयला सीमित (एमसीएल), इरकॉन और ओडिशा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (ओआईडीसीएल) (सरकार द्वारा नामित) का ओडिशा) में अनुपात का 64:26:10 एमसीआरएल का मुख्य उद्देश्य चिन्हित रेल कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, संचालन और रखरखाव करना है, जो ओडिशा राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट

एमसीआरएल ने परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं इरकॉन पर अप्रैल 19, 2016 और अंगुल– बलराम– पुटागड़िया– झारपाड़ा– तेनतुलोई नए रेल कॉरिडोर (68 किमी) को कार्यान्वयन के लिए चिन्हित किया गया है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को जोनल रेलवे अर्थात पूर्वी तटीय रेलवे द्वारा जनवरी 2018 में मंजूरी दी गई है। रेल मंत्रालय ने फुलाए हुए माइलेज को मंजूरी दी है। 11 जून 2018 को परियोजना की सम्पूर्ण अवधि के लिए 60%। इस परियोजना को 23 अक्टूबर, 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अनुमोदित किया गया है।

छूट समझौता बीच में एमसीआरएल रेल मंत्रालय द्वारा 02 दिसंबर, 2021 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

अंगुल– बलराम खंड (14 किमी) एमसीआरएल के रूप में चरण 1 14.11.2022 को चालू किया गया और चरण II (54 किमी) के लिए भूमि अधिग्रहण किया गया इस बीच, रेल मंत्रालय ने पूरी परियोजना को अपने हाथ में लेने का फैसला किया है। परियोजना का पहला चरण 01.03.2024 को संचालन और रखरखाव के लिए ईसीओआर को सौंप दिया गया है, इस शर्त के साथ कि संचालन और रखरखाव पर होने वाला खर्च इच्छा होना मिले बाहर का उपयोगकर्ता शुल्क एमसीआरएल को देय।

6. **झारखंड केन्द्रीय रेलवे सीमित (जेसीआरएल)**

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), इरकॉन और झारखंड सरकार (जीओजे) की इक्विटी भागीदारी वाली एक संयुक्त उद्यम कंपनी है का 64:26:10, क्रमश, था अगस्त को निगमित 31, 2015. द मुख्य उद्देश्य जेसीआरएल का है डिज़ाइन, निर्माण, प्रचालन और बनाए रखना झारखंड राज्य में खदानों से कोयले की निकासी के लिए महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर परियोजनाओं की पहचान की गई है। रेल मंत्रालय ने शिवपुर–कठौतिया नई बीजी विद्युतीकृत रेल लाइन परियोजना को जेसीआरएल को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

जेसीआरएल ने 28 मार्च 2016 को इरकॉन के साथ परियोजना निष्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना श्रृंखला कठौतिया (0.000) से शिवपुर (49.085) तक शुरू होती है। ए कुल खींचना का 49.085 किमी. विवरण परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) है गया अनुमत द्वारा पूर्व केंद्रीय रेलवे. फुलाया लाभ का 60% पर ए प्रभार्य मंत्रालय द्वारा 49.085 किमी की दूरी को मंजूरी दी गई है रेलवे का कार्यकाल सीओडी से 5 वर्ष की अवधि के लिए है। रियायत समझौता बीच में जेसीआरएल और रेल मंत्रालय के बीच 4 दिसंबर, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है और कार्य अनुमतियाँ पर जंगल भूमि बाद निक्षेप का एनपीवी, चरण–I वन मंजूरी प्राप्त करने के बाद सीए और डब्ल्यूएमपी राशि भी प्राप्त कर ली गई है।

जेसीआरएल है हासिल वित्तीय बंद पर मई 05, 2022. कंपनी है लाभ उठाया ऋृण सुविधा राशि को पीएनबी के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ से ₹1259.75 करोड़ और कुल अदायगी राशि को ₹478.38 करोड़ था प्राप्त तक मार्च' 2024. अदायगी वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 353.27 करोड़ रुपये था।

यह परियोजना विभिन्न चरणों में पूरी हो रही है और अपेक्षित तारीख का समापन का परियोजना है 04 जून, 2025. कुल सी.डब्लू.आई.पी. का परियोजना के अनुसार 31.03.2024 है रु. 787.32 करोड़ साथ जीएसटी का ₹ 85.62 करोड़ रुपये की कुल राशि 872.94 करोड़ रुपये (48.50%) है जबकि कुल परियोजना लागत 1799.64 करोड़ रुपये है। प्रगतिशील परियोजना की कुल लागत काम निष्पादित अंतर्गत नागरिक निर्माण सहित वृद्धि ऊपर को 31.03.2024 है जीएसटी को छोड़कर ₹435.46 करोड़ रुपये।

7. **बस्तर रेलवे निजी लिमिटेड (बीआरपीएल)**

बीआरपीएल, एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जिसमें प्रारंभ में एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी), इरकॉन, स्टील द्वारा इक्विटी भागीदारी है प्राधिकरण इंडिया लिमिटेड (सेल) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (सीएमडीसी) (छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामित) को क्रमशः 43:26:21:10 के अनुपात में निगमित किया गया। बीआरपीएल के लिए शेयरधारक समझौता 20 जनवरी 2016 को किया गया। मुख्य वस्तु का बीआरपीएल है को निर्माण, छत्तीसगढ़ राज्य में रावघाट से जगदलपुर (नारायणपुर, कोंडागांव के माध्यम से) नई रेलवे लाइन का निर्माण, संचालन और रखरखाव। संशोधित शेयरधारक समझौता 25 मई, 2018 को दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था कि शेयर होल्डिंग नमूना का एनएमडीसी, इरकॉन, जलयात्रा और सीएमडीसी क्रमशः 52:26:12:10 संशोधित किया गया।

रियायत बीआरपीएल के बीच समझौता और मंत्रालय रेलवे 27 सितंबर, 2018 को फांसी दी गई।

संयुक्त उद्यम के अनुरोध के अनुसार कंपनी, रेलवे बोर्ड पास होना मंजूर किया गया 'सैद्धांतिक रूप में' अनुमोदन के लिए बीआरपीएल का अधिग्रहण रेलवे बोर्ड ने दिनांक 03.02.2023 के पत्र के माध्यम से परियोजना को मंजूरी दे दी है। विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा का कानूनी और वित्तीय देनदारियां. बोर्ड ने रियायत समझौते के तहत परियोजना के अधिग्रहण पर कानूनी राय देने को भी कहा है। हितधारकों से मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

यह रिपोर्ट भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (**सेबी एलओडीआर**), कंपनी अधिनियम, 2013 तथा सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश 2010 (**डीपीई दिशानिर्देश**) के प्रावधानों के अनुसार तैयार की गई है। रिपोर्ट में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (**इरकॉन या कंपनी**) में कॉर्पोरेट प्रशासन प्रणालियों और प्रक्रियाओं का विवरण शामिल है।

डीपीई ने 12 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी को ''नवरत्न'' का दर्जा दिया है। अब, इरकॉन सीपीएसई में 15वीं नवरत्न सीपीएसई है। इरकॉन 28 सितंबर, 2018 को सूचीबद्ध हुई और इसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मजबूत ढांचा स्थापित किया है।

कॉर्पोरेट प्रशासन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग, कानूनों का अनुपालन और नैतिक मानकों का पालन है, ताकि हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

कॉर्पोरेट प्रशासन सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का अनुप्रयोग, कानूनों का अनुपालन और नैतिक मानकों का पालन है, ताकि हितधारकों के मूल्य को बढ़ाने और सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

1. **संचालन संहिता पर कंपनी के दर्शन पर वक्तव्य**

   इरकॉन सुदृढ़ कॉर्पोरेट प्रशासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देने में विश्वास करता है, और इसका आवश्यक चरित्र पारदर्शिता, विश्वास और अखंडता, प्रदर्शन अभिविन्यास, जिम्मेदारी, जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं के उच्च मानक द्वारा आकार दिया गया है। यह हमेशा संगठन में सर्वोत्तम नीतियों, प्रथाओं, संरचनाओं और नैतिकता का ढांचा बनाने में विश्वास करता है। कॉर्पोरेट प्रशासन वास्तव में कई वर्षों से हमारे व्यवसाय करने के तरीके का एक अभिन्न अंग रहा है। इरकॉन की टीम कॉर्पोरेट मूल्यों की सदस्यता लेती है और उन्हें नियमित रूप से अपने आचरण में आत्मसात करती है

   कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस संहिता है ष्कंपनी की गतिविधि के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ पेशेवर, लाभदायक, पारदर्शी और जवाबदेह होना।ष

   निदेशक मंडल द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए कंपनी के प्रमुख मूल्य हैं:

   क. टीम के रूप में काम करना

   ख. प्रदर्शन में उत्कृष्टता

   ग. काम और व्यवहार में ईमानदारी

   घ. जिम्मेदार और जवाबदेह होना

2. **निदेशक मंडल**

   निदेशक मंडल इरकॉन का सर्वोच्च शासन निकाय है। निदेशक मंडल में विविध क्षेत्रों से आए पेशेवर शामिल हैं, जिनके पास कंपनी को रणनीतिक मार्गदर्शन और दिशा–निर्देश प्रदान करने के लिए उद्योग और संबंधित क्षेत्रों में समृद्ध ज्ञान और अनुभव है। इरकॉन में, हम मानते हैं कि कंपनी का बोर्ड शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और नीति दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए सचेत रूप से नेतृत्व की संस्कृति बनाता है। बोर्ड की कार्रवाइयाँ कंपनी के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हैं। कंपनी ने बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों के लिए दिशा–निर्देश और एक स्थापित रूपरेखा निर्धारित की है। ये दिशा–निर्देश बोर्ड और समितियों की बैठकों में निर्णय लेने की प्रक्रिया को सूचित और कुशल तरीके से व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं।

   कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अनुसार, इरकॉन एक 'सरकारी कंपनी' है क्योंकि इसकी 65.17% चुकता शेयर पूंजी भारत के राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार/भारत सरकार (जीओआई) के पास है और निदेशकों की नियुक्ति की शक्ति प्रशासनिक मंत्रालय यानी रेल मंत्रालय (एमओआर) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है।

   31 मार्च, 2024 तक कंपनी में नौ निदेशक हैं, जिनमें से चार पूर्णकालिक निदेशक [अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक] निदेशक (वित्त), निदेशक (कार्य) और निदेशक (परियोजना), एक सरकारी नामित निदेशक और चार स्वतंत्र निदेशक हैं।

   अध्यक्ष एक कार्यकारी निदेशक हैं, इसलिए बोर्ड में आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। चूंकि इरकॉन के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है, इसलिए कंपनी समय–समय पर रेल मंत्रालय से अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों और बोर्ड में सरकारी नामित निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध करती है।

   वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी में कार्यकारी/कार्यात्मक निदेशकों और महिला निदेशकों के साथ गैर–कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन था। हालाँकि, बोर्ड की संरचना सेबी

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

एलओडीआर आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं थी, क्योंकि कंपनी के अध्यक्ष कार्यकारी निदेशक हैं, इसलिए, निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, हालाँकि 31 मार्च, 2024 तक कंपनी में 6 के बजाय केवल 4 स्वतंत्र निदेशक हैं। 31 मार्च, 2024 तक स्वतंत्र निदेशकों के दो पद रिक्त थे और इरकॉन के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए रेल मंत्रालय से अनुरोध किया जा चुका है।

21. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशकों की श्रेणी और नाम, पदनाम और डीआईएन

श्रेणी, नाम और पदनाम	डीआईएन	नियुक्ति या समाप्ति (वर्ष के दौरान, यदि कोई हो)
पूर्णकालिक (कार्यात्मक) निदेशक – कार्यकारी		
श्री बृजेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ@ (अतिरिक्त प्रभार)	10092756	9.04.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ के रूप में नियुक्त
श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त)	09575213	–
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	05272169	–
श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)	07918656	07.07.2023 से निदेशक (परियोजना) के रूप में नियुक्त
श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजना) (अतिरिक्त प्रभार)	09435375	07.07.2023 से निदेशक (परियोजना) के पद से मुक्त
श्री योगेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ	07654014	29.04.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ के पद से मुक्त
सरकारी नामिती [अंशकालिक (आधिकारिक)] निदेशक – गैर–कार्यकारी		
श्री धनंजय सिंह	08955500	-
स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर–आधिकारिक)] निदेशक – गैर–कार्यकारी		
श्री अजय कुमार चौहान	09394953	-
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	09398271	-
श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	-
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	09453387	-

@ श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अपर सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड और सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक, इरकॉन ने 29 अप्रैल, 2023 को रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया। इसके अलावा, रेल मंत्रालय के आदेश के अनुसार, श्री बृजेश कुमार गुप्ता ने 29 अप्रैल, 2024 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार त्याग दिया और 29 अप्रैल, 2024 से कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में फिर से नामित हुए।

श्री आशीष बंसल, आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एमएंडएमसी), रेलवे बोर्ड [डीआईएन:10328174] को 29 अप्रैल, 2024 से अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा, एमओआर के आदेश के अनुसार, श्री बंसल ने श्री हरि मोहन गुप्ता [डीआईएन: 08453476] की नियुक्ति पर 01 जुलाई, 2024 (एफएन) से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया, जिन्होंने 01 जुलाई, 2024 (एएन) से इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ के पद का प्रभार ग्रहण किया।

2.2 31 मार्च 2024 तक बोर्ड संरचना, निदेशकों की श्रेणी, अन्य कंपनियों में निदेशक पद का विवरण और बोर्ड समिति(यों) में सदस्यता/अध्यक्षता

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी एवं नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या और नाम[1]	अन्य कम्पनियों में बोर्ड समिति(यों) की संख्या और नाम, जिनके निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं[2]	धारित शेयरों की संख्या
कार्यात्मक निदेशक - कार्यकारी				
1.	श्री बृजेश कुमार गुप्ता	-	-	-

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

क्र. सं.	निदेशकों की श्रेणी एवं नाम	अन्य कंपनियों में निदेशक पदों की संख्या और नाम[1]	अन्य कम्पनियों में बोर्ड समिति(यों) की संख्या और नाम, जिनके निदेशक सदस्य/अध्यक्ष हैं[2]	धारित शेयरों की संख्या
2.	श्रीमती रागिनी आडवाणी	**अंशकालिक (नामित) निदेशक:** 1. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 3. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड 4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 5. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-
3.	श्री पराग वर्मा	1. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड – अध्यक्ष 2. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड – अध्यक्ष 3. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड – अध्यक्ष 4. इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड – अध्यक्ष 5. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड– अध्यक्ष **अंशकालिक (नामित) निदेशक:** 6. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड 7. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड 8. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड– लेखा परीक्षा समिति – अध्यक्ष	10,500
4.	श्री आनंद कुमार सिंह	**सरकार द्वारा नामित निदेशक:** 1. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड 2. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड 3. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-
सरकारी नामित (अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक) – गैर–कार्यकारी				
5.	श्री धनंजय सिंह	**सरकार द्वारा नामित निदेशक:** 1. रेल विकास निगम लिमिटेड – सूचीबद्ध कंपनी 2. पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड 3. कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 4. उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड 5. बेंगलुरु इंटीग्रेटेड रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड 6. रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी (कर्नाटक) लिमिटेड	रेल विकास निगम लिमिटेड – हितधारक संबंध समिति – सदस्य कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड – लेखा परीक्षा समिति – सदस्य	-
स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर–आधिकारिक)] निदेशक – गैर–कार्यकारी				
6.	श्री अजय कुमार चौहान	शून्य	शून्य	शून्य
7.	श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	शून्य	शून्य	शून्य
8.	श्रीमती रंजना उपाध्याय	शून्य	शून्य	शून्य
9.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	शून्य	शून्य	शून्य

फुट नोट:

1. निदेशक पदों की संख्या में विदेशी कंपनियां और धारा 8 कंपनियां (यदि कोई हो) शामिल नहीं हैं।
2. निर्देशकों की संख्या में व्यापारी, विदेशी और धारा 8 व्यापारी (यदि कोई हो) शामिल नहीं हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

कंपनी का कोई भी निदेशक दस (10) से अधिक समितियों का सदस्य नहीं है या उन सभी कंपनियों में पाँच (5) से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करता है जिनमें वह निदेशक है।

3. बोर्ड का कोई भी निदेशक बीस (20) से अधिक कंपनियों / दस (10) सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में एक ही समय में वैकल्पिक निदेशक पदों सहित निदेशक पद नहीं रखता है।.
4. कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद पर नहीं है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
5. कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद पर नहीं है। इसके अलावा, कोई भी निदेशक सात (7) से अधिक सूचीबद्ध संस्थाओं में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
6. कोई भी पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंध निदेशक किसी भी सूचीबद्ध संस्था में स्वतंत्र निदेशक के रूप में कार्य नहीं करता है।
7. निदेशकों के बीच कोई आपसी संबंध नहीं है। श्री धनंजय सिंह और श्री बृजेश कुमार गुप्ता रेल मंत्रालय के अधिकारी हैं और इस प्रकार प्रमोटर से संबंधित हैं, हालांकि उनके बीच या कंपनी के साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है।

2.3 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकें और एजीएम:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की नौ (9) बार बैठक हुई। बोर्ड की संख्या और बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वाले निदेशकों की संख्या का विवरण नीचे दिया गया है। बोर्ड की कोई भी बैठक 120 दिन/तीन महीने से अधिक के अंतराल पर आयोजित नहीं की गई।

बैठक की तिथि	बोर्ड की मजबूती	उपस्थित निदेशकों की संख्या
06.04.2023	10	9
11.05.2023	9	9
24.05.2023	9	7
20.07.2023	9	9
08.08.2023	9	8
17.10.2023	9	8
09.11.2023	9	9
28.11.2023	9	9
08.02.2024	9	9

नीचे दी गई तालिका वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और अंतिम वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बोर्ड सदस्यों की उपस्थिति दर्शाती है:

निदेशक का नाम	बैठक की तिथि									कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति का %	क्या दिनांक 12.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?
	06.04.2023	11.05.2023	24.05.2023	20.07.2023	08.08.2023	17.10.2023	09.11.2023	28.11.2023	08.02.2024				
श्री बृजेश कुमार गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	9	8	88.89	हाँ
श्री योगेश कुमार मिश्रा	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1	100	लागू नहीं
श्रीमती रागिनी आडवाणी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ
श्री पराग वर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ
श्री आनंद कुमार सिंह	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	6	6	100	हाँ
श्री संदीप जैन	नहीं	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3	1	33.33	लागू नहीं
श्री धनंजय सिंह	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	7	77.78	हाँ

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

निदेशक का नाम	बैठक की तिथि									कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बोर्ड बैठकें	बोर्ड की बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति का %	क्या दिनांक 12.09.2023 को आयोजित अंतिम वार्षिक आम बैठक में भाग लिया था?
	06.04.2023	11.05.2023	24.05.2023	20.07.2023	08.08.2023	17.10.2023	09.11.2023	28.11.2023	08.02.2024				
श्री अजय कुमार चौहान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	9	9	100	हाँ

2.4 बोर्ड सदस्यता के मापदंड

इरकॉन एक इंजीनियरिंग और निर्माण कंपनी है, और बोर्ड द्वारा अपेक्षित प्रमुख योग्यताएं सिविल इंजीनियरिंग, वित्त, प्रौद्योगिकी, विपणन और वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में हैं।

इरकॉन के निदेशकों की मुख्य योग्यताओं, कौशल, विशेषज्ञता और विशेषताओं का सारांश देने वाली एक तालिका, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित है, जो रेल मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के अधीन है, नीचे दी गई है। निदेशकों की वांछित योग्यताएं, विशेषज्ञता, कौशल आदि डीपीई/सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड **(पीईएसबी)** और/या रेल मंत्रालय द्वारा संशोधन/परिवर्तन/परिवर्तन के अधीन हैं और स्वतंत्र निदेशकों की योग्यताएं भी डीपीई द्वारा पहचान के अधीन हैं।

निदेशकों के लिए अपेक्षित कौशल/ विशेषज्ञता/ योग्यता तालिका में शामिल हैं:

क्र.सं	निदेशक की श्रेणी	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
1.	**कार्यात्मक निदेशक – कार्यकारी**	
	i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	**अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम स्नातक, अच्छे शैक्षणिक रिकॉर्ड और किसी प्रतिष्ठित बड़े संगठन में प्रबंधन के वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव। **वांछनीय:** सिविल इंजीनियरिंग/तकनीकी/एमबीए योग्यता में डिग्री और वित्त/विपणन/परियोजनाओं से परिचित होना। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, विशेष रूप से रेलवे परियोजनाओं, संगठनात्मक योजना की तकनीकों और रेलवे उद्योग में जनशक्ति विकास का अनुभव।
	ii) निदेशक (परियोजना)	**अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। रेलवे क्षेत्र में पर्याप्त तकनीकी/परिचालन/परियोजना प्रबंधन का अनुभव। **वांछनीय:** अधिमानतः एमबीए/तकनीकी योग्यता।
	iii) निर्देशक (कार्य)	**अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक। सड़क/राजमार्गों सहित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में पर्याप्त तकनीकी/परिचालन/परियोजना प्रबंधन का अनुभव। **वांछनीय:** अधिमानतः एमबीए/तकनीकी योग्यता।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

क्र.सं	निदेशक की श्रेणी	आवश्यक विशेषज्ञता/कौशल
	iv) निदेशक (वित्त)	**अनिवार्य:** (i) चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से अच्छे अकादमिक रिकॉर्ड के साथ पूर्णकालिक एमबीए/पीजीडीएम (वित्त में विशेषज्ञता के साथ) पाठ्यक्रम और किसी प्रतिष्ठित संगठन में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव। (ii) उचित स्तर पर काम करने वाले संगठित समूह 'क' लेखा सेवा स्तर के अधिकारियों को (i) के अनुसार न्यूनतम योग्यता से छूट दी गई है। (iii) पर्याप्त और प्रासंगिक अनुभव वाले केंद्र सरकार/संघ के सशस्त्र बलों/अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को उपरोक्त (i) के अनुसार न्यूनतम योग्यता से छूट दी गई है। लागत, बजटीय नियंत्रण, संस्थागत वित्त, कार्यशील पूंजी प्रबंधन सहित कॉर्पोरेट वित्तीय प्रबंधन और खातों में वरिष्ठ स्तर पर पर्याप्त अनुभव।
2.	**सरकारी नामिती [अंशकालिक (आधिकारिक)] निदेशक – गैर–कार्यकारी – (2 निदेशक)**	जैसा कि भारत सरकार (एमओआर) द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।
3.	**स्वतंत्र [अंशकालिक (गैर–आधिकारिक)] निदेशक – गैर–कार्यकारी – (6 निदेशक)**	जैसा कि भारत सरकार (एमओआर) द्वारा निर्णय लिया जा सकता है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों, सरकार द्वारा नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के पास पीईएसबी, भारत सरकार द्वारा तय किए गए अपेक्षित कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताएं हैं।

उद्योग क्षेत्र और अन्य प्रबंधकीय कौशल को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2024 तक, इरकॉन के निदेशकों के पास निम्नलिखित विशेषज्ञता और कौशल हैं।

निदेशक के नाम	विशेषज्ञता एवं कौशल का क्षेत्र							
	उद्योग की जानकारी और अनुभव	वित्तीय प्रबंधन	कॉर्पोरेट योजना एवं प्रबंधन रणनीति	नेतृत्व	तकनीकी जानकारी	बोर्ड प्रैक्टिस और गवर्नेंस व्यवसाय विकास	बोर्ड प्रैक्टिस और गवर्नेंस व्यवसाय विकास	वैश्विक परिदृश्य
कार्यात्मक निदेशक:								
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएँ)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
सरकार द्वारा नामित निदेशक:								
श्री धनंजय सिंह	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
स्वतंत्र निदेशक:								
श्री अजय कुमार चौहान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	-	-	-	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

निदेशक के नाम	विशेषज्ञता एवं कौशल का क्षेत्र							
	उद्योग की जानकारी और अनुभव	वित्तीय प्रबंधन	कॉर्पोरेट योजना एवं प्रबंधन रणनीति	नेतृत्व	तकनीकी जानकारी	बोर्ड प्रैक्टिस और गवर्नेंस व्यवसाय विकास	बोर्ड प्रैक्टिस और गवर्नेंस व्यवसाय विकास	वैश्विक परिदृश्य
श्रीमती रंजना उपाध्याय	-	हाँ	-	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
डॉ कार्तिक चंदूलाल भद्र	-	-	-	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ

निदेशकों की विशेषज्ञता और कौशल कंपनी की वेबसाइट यानी www.ircon.org पर उपलब्ध हैं।

2.5 निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाने वाली जानकारीरू

प्रबंधन द्वारा बोर्ड को प्रदान की गई जानकारी की मात्रा और गुणवत्ता समय–समय पर संशोधित सेबी एलओडीआर में निर्धारित आवश्यकता से कहीं अधिक है। बोर्ड को प्रदान की जाने वाली जानकारी में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क) कंपनी के त्रैमासिक/अर्धवार्षिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।.

ख) लेखापरीक्षा समिति की बैठकों, बोर्ड की बैठकों और अन्य समिति की बैठकों के कार्यवृत्त।

ग) सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों का कार्यवृत्त।

घ) पूंजी और राजस्व बजट, किसी भी बदलाव के साथ।

ङ) संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण।

च) अशोध्य ऋणों को बट्टे खाते में डालना।

छ) निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की भौतिक प्रकृति की बिक्री।

ज) प्रमुख निवेशों, नई सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के निगमन और रणनीतिक गठबंधनों के बारे में जानकारी।

झ) सामग्री लेखांकन नीतियों में कोई भी परिवर्तन।

ञ) कंपनी द्वारा विभिन्न कानूनों का अनुपालन।

ट) प्रमुख ऑर्डर सुरक्षित हो गए और बोलियाँ खो गईं।

ठ) निदेशकों द्वारा कंपनी को दिए गए हितों का खुलासा।

ड) बोर्ड द्वारा लिए गए पिछले निर्णयों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट।

ढ) सेबी एलओडीआर के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ प्रस्तुत अनुपालन/रिपोर्ट।

ण) अन्य सभी जानकारी सूचना, अनुमोदन और समीक्षा के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जानी आवश्यक है।

2.6 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान नियुक्त/पुनः नियुक्त नए निदेशक:

क. श्री आनंद कुमार सिंह ख्डीआईएनः 07918656, – (7 जुलाई, 2023 से):

श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएनरू 07918656) आई.आई.टी. से सिविल इंजीनियर हैं। दिल्ली और एम.बी.ए. (वित्त) एमडीआई, गुरूग्राम से। उन्होंने जनवरी 1990 में रेल मंत्रालय में एक आईआरएसई अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया और इससे भी अधिक काम किया

प्रमुख रेलवे अवसंरचना (26 वर्ष से अधिक) और राजमार्ग अवसंरचना (8 वर्ष से अधिक) के विकास में 34 वर्ष का अनुभव।

श्री सिंह ने पहले 2016–2019 तक एनएचएआई बोर्ड में सदस्य (प्रोजेक्ट) एनएचएआई के रूप में 3 वर्षों तक निदेशक के रूप में कार्य किया और प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजनाओं का नेतृत्व किया।श्री सिंह का अनुभव प्रारंभिक योजना से लेकर अंतिम चरण के कार्यान्वयन तक फैला हुआ है, जिसमें परियोजना योजना, व्यवहार्यता मूल्यांकन, निवेश रणनीति, वित्तपोषण, बोली पुरस्कार, निर्माण, परियोजना परामर्श, अनुबंध प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, ओ एंड एम आदि के सभी पहलू शामिल हैं। मुद्रीकरण के साथ अंत तक। उनकी परियोजना कार्यान्वयन विशेषज्ञता में नई लाइनों, दोहरीकरण, सुरंगों, ऊंचे गलियारों, अत्याधुनिक पुलों, राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, तटीय राजमार्गों, रसद, विद्युत प्रणालियों की स्थापना आदि के निर्माण को समय सीमा से पहले पूरा करना शामिल है।.

श्री सिंह ने परियोजना कार्यान्वयन के सभी प्रचलित तरीकों जैसे आइटम दर ईपीसी, एफआईडीआईसी, ईपीसी (टर्न की), पीपीपी, ओएमटी, एचएएम, टीओटी में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मॉडल और उनकी उपलब्धियों में परिसंपत्ति मुद्रीकरण, इनवीआईटी, विनिवेश, धन जुटाना, अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं का विपणन, विदेशी निवेश आकर्षित करना और व्यवसाय विकास शामिल हैं।

श्री सिंह ने नए ईपीसी (टर्न की) मॉडल एग्रीमेंट (एमसीए) को लॉन्च करने, पीपीपी के कठिन युग के बाद पीपीपी में सुधार और एचएएम और टीओटी विनिवेश के नए प्रोजेक्ट मॉडल में अग्रणी भूमिका निभाई है।

श्री सिंह ने एक अनुबंध प्रबंधन विशेषज्ञ के रूप में नेतृत्व किया है और बड़ी संख्या में विवाद समाधान का नेतृत्व किया है,

लीक से हटकर सोच और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से बड़ी संख्या में ठप हुई परियोजनाओं को बचाने के लिए तकनीकी और संविदात्मक व्याख्या समितियां और निपटान

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सलाह। उन्होंने कई अभूतपूर्व उपलब्धियों के साथ मानव संसाधन एवं प्रशासन, आईटी और कानूनी क्षेत्रों का भी नेतृत्व किया है।श्री सिंह समावेशी नेतृत्व के माध्यम से मूल्य सृजन और सभी हितधारकों और निवेशकों के लिए तालमेल बनाने में विश्वास करते हैं।

सभी मौजूदा निदेशकों की विस्तृत प्रोफ़ाइल देख सकते हैं www.ircon.org वेबसाइट पर देखा जा सकता है

2.7 स्वतंत्र निदेशकों के इस्तीफे के कारणों का विवरण, यदि कोई हो:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, किसी भी स्वतंत्र निदेशक ने अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले इस्तीफा नहीं दिया या अपना कार्यालय खाली नहीं किया।

2.8 बोर्ड की स्वतंत्रता

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, सभी स्वतंत्र निदेशकों ने घोषणा की है कि वे समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के प्रावधानों के अनुसार स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसे बोर्ड द्वारा रिकॉर्ड पर लिया गया है। उनकी बैठक में.

2.9 बोर्ड सदस्यों के लिए परिवारीकरण कार्यक्रम/प्रशिक्षण:

कंपनी ने अपने निदेशकों के लिए एक प्रशिक्षण नीति तैयार की है, जिसका उद्देश्य नेतृत्व गुणों को निखारना और निदेशकों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। उन्हें कंपनी के बारे में दस्तावेज़ भी प्रदान किए जाते हैं जिसमें कंपनी की प्रोफ़ाइल, मेमोरेंडम और एसोसिएशन के लेख, ब्रोशर, वार्षिक रिपोर्ट, एमओयू लक्ष्य और उपलब्धियां, ष्नैतिकता और शासनष् पर एक पेपर – सीवीसी द्वारा एक परिप्रेक्ष्य, और बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां शामिल हैं। बोर्ड की समितियों के संदर्भ की शर्तें. इसके साथ ही, कंपनी सेबी एलओडीआर, डीपीई दिशानिर्देश और कंपनी अधिनियम, 2013 और आवश्यकतानुसार किसी अन्य कानून के तहत निदेशकों के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों, अयोग्यता के प्रावधानों पर भी जानकारी प्रदान करती है।

कंपनी विभिन्न कार्यक्रमों और प्रस्तुतियों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की गतिविधियों और कामकाज और उनकी भूमिकाओं, अधिकारों और जिम्मेदारियों, उस उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है और व्यवसाय मॉडल आदि से परिचित कराती है। ऐसे परिचय कार्यक्रमों का विवरण कंपनी की वेबसाइट 'www.ircon.org' पर वेब लिंक https://ircon.org/images/file/cosecy/DETAILS_OF_FAMILIARIZATION_PROGRAMMES.pdf पर दिया गया है।

3. बोर्ड समितियाँ

विनियमन के तहत आवश्यकताओं के अनुपालन में सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013, डीपीई दिशानिर्देश और अन्य आवश्यकताओं के 17, निदेशक मंडल ने निम्नलिखित समितियों का गठन किया है:

i. लेखा परीक्षा समिति
ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति
iii. हितधारकों के संबंध समिति
iv. जोखिम प्रबंधन समिति
v. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति
vi. परियोजना प्रगति समीक्षा समिति।

बोर्ड/समितियों के अध्यक्ष, कंपनी सचिव के परामर्श से बोर्ड/समितियों की बैठकों की आवृत्ति निर्धारित करते हैं। समितियों की सिफारिशें अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की जाती हैं।

3.1 लेखापरीक्षा समिति

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति

रचना, कोरम, भूमिका, संदर्भ की शर्तें, दायरा आदि। ऑडिट समिति कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, कंपनी (बोर्ड की बैठकें और उसकी शक्ति) नियम, 2014, सेबी एलओडीआर के विनियम 18 और 24(2) के नियम 6 और 7 के साथ पढ़ी जाती है और समय–समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों का अध्याय 4 का अध्ययन किया जाता है।

जब–जब निदेशकों में परिवर्तन हुआ है, समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की संरचना इस प्रकार थी।

अध्यक्ष
श्री अजय कुमार चौहान, स्वतंत्र निदेशक
सदस्या
श्री धनंजय सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक
श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव (21.05.2024 से), समिति की सचिव हैं।

श्रीमती पूजा गुरवाला, कंपनी सचिव (28.11.2023 से 21.05.2024 तक), समिति की सचिव थीं। श्रीमती रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव (16.11.2023 तक), समिति की सचिव थीं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की सात बैठकें हुईं (7) टीमें, लेखापरीक्षा समिति द्वारा चर्चा/अनुमोदित वस्तुओं में अन्य बातों के साथ–साथ त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम/विवरण, पूंजीगत बजट, सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों में निवेश, संबंधित पार्टी लेनदेन, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, लेखांकन नीति में परिवर्तन, लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट, आंतरिक लेखापरीक्षा ढांचा शामिल हैं। सेबी पीआईटी के तहत रिपोर्ट, मध्यस्थता और कानूनी मामलों की समीक्षा, सी एंड एजी खंड आदि में है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या और उपस्थिति विवरण का विवरण नीचे दिया गया है:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि							कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	06.04.2023	04.05.2023	23.05.2023 और 24.05.2023 (स्थगित बैठक)	20.07.2023	08.08.2023	08.11.2023 और 09.11.2023 (स्थगित बैठक)	08.02.2024		
श्री अजय कुमार चौहान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	7	7
श्री धनंजय सिंह	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ *	हाँ	7	5
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	7	7

* श्री धनंजय सिंह 08.11.2023 को आयोजित मूल बैठक में शामिल नहीं हुए।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौहान शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित थे।

लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौहान शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित थे।

2. संदर्भ की शर्तें

बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट ऑडिट कमेटी के संदर्भ की शर्तें सेबी एलओडीआर के विनियम 18 और 24(2) तथा सेबी (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 (सेबी पीआईटी) के विनियम 9क (4), कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177, समय–समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 4 के अनुरूप हैं। संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:

क. वित्तीय विवरण:

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की निगरानी और उसकी वित्तीय जानकारी का प्रकटीकरण यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. बोर्ड को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करने से पहले प्रबंधन के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करना, विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में:
   - i. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ग) के अनुसार निदेशक के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने वाले आवश्यक मामले बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाएंगे;
   - ii. लेखांकन नीतियों और प्रथाओं में परिवर्तन, यदि कोई हो, और उसके कारण;
   - iii. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित अनुमानों से संबंधित प्रमुख लेखांकन प्रविष्टियाँ;
   - iv. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरणों में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन;
   - v. वित्तीय विवरणों से संबंधित सूचीकरण और अन्य कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन;
   - vi. किसी भी संबंधित पक्ष लेनदेन का प्रकटीकरण;
   - vii. मसोदा लेखापरीक्षा रिपोर्ट में योग्यता/संशोधित राय, यदि कोई हो;
   - viii. संचालन की वित्तीय स्थिति और परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण की समीक्षा;
3. अनुमोदन के लिए बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले तिमाही वित्तीय परिणामों और उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।
4. प्रबंधन के साथ, किसी निर्गम (सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, तरजीही निर्गम) के माध्यम से जुटाई गई निधियों के उपयोग/अनुप्रयोग का विवरण, प्रस्ताव दस्तावेज/विवरण/नोटिस में बताए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की गई निधियों का विवरण और सार्वजनिक या अधिकार निर्गम की आय के उपयोग की निगरानी करने वाली निगरानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की समीक्षा करना, सेबी एलओडीआर के विनियम 32(1) और (7) के अनुसार विचलन के विवरण की समीक्षा करना और इस मामले में कदम उठाने के लिए बोर्ड को उचित सिफारिशें करना।

ख. लेखा परीक्षक और आंतरिक नियंत्रण:

5. कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के निर्धारण के लिए बोर्ड को सिफारिश;
6. वैधानिक लेखा परीक्षकों को उनके द्वारा प्रदान की गई किसी अन्य सेवा के लिए भुगतान की स्वीकृति;
7. आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति, हटाने और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना;
8. प्रबंधन के साथ, वैधानिक और आंतरिक लेखा परीक्षक के प्रदर्शन, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की समीक्षा करना; लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता और लेखा परीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी आदि करना;

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

9. लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले लेखापरीक्षा की प्रकृति और दायरे के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा, साथ ही लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करके चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाना।
10. सांविधिक लेखापरीक्षकों/आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के बारे में समय–समय पर चर्चा, जिसमें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रबंधन पत्रों/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के पत्रों की समीक्षा शामिल है।
11. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, आंतरिक लेखापरीक्षा की कवरेज और आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता, यदि कोई हो, की समीक्षा करना।
12. किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उसके बाद अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा।
13. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन।
14. आंतरिक लेखापरीक्षकों/लेखापरीक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा करना, जहां संदिग्ध धोखाधड़ी या अनियमितता या भौतिक प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की विफलता है और मामले की रिपोर्ट बोर्ड को देना।

ग. संबंधित पक्ष लेनदेन:

15. संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेन–देन का अनुमोदन या कोई बाद का संशोधन; और कंपनी की संबंधित पक्ष लेन–देन नीति के अनुसार अन्य अनुमोदन आवश्यक हैं।

घ. सीएजी ऑडिट / प्रतिलिपि:

16. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) तथा संसद की सार्वजनिक उपक्रम समिति (सीओपीयू) की लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

ङ. सहायक कंपनीरू

17. होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक कंपनी में 100 करोड़ रुपये से अधिक या सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 10%, जो भी मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित कम हो, से ऋण और/या अग्रिम के उपयोग/निवेश की समीक्षा करना।
18. वित्तीय विवरणों और विशेष रूप से असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा करना।

च. अन्य:

19. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जांच करना।
20. जहां भी आवश्यक हो, कंपनी के उपक्रमों या परिसंपत्तियों का मूल्यांकन।
21. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न करने की स्थिति में) और लेनदारों को भुगतान में पर्याप्त चूक के कारणों की जांच करना।
22. व्हिसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करना और व्हिसल ब्लोअर की सुरक्षा करना।
23. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद, सेबी पीआईटी के प्रावधानों के संबंध में अनुपालन की समीक्षा करना ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रही हैं।
24. लेखा परीक्षा समिति को अपने संदर्भ की शर्तों के भीतर किसी भी गतिविधि की जांच करने और इस उद्देश्य के लिए किसी भी कर्मचारी से जानकारी मांगने, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करने (निदेशक मंडल के अनुमोदन के अधीन) और कंपनी के रिकॉर्ड में निहित जानकारी तक पूरी पहुँच रखने, प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का अधिकार होगा, यदि वह आवश्यक समझे।
25. कोई अन्य कार्य जो बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है; और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों, या सेबी एलओडीआर या समय–समय पर बनाए गए किसी अन्य सेबी नियमों और विनियमों में किसी अन्य संशोधन के तहत आवश्यक हो सकता है।

3.2 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

1. संरचना, बैठक और उपस्थिति:

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और दायरा समय–समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी एलओडीआर और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान इसकी संरचना इस प्रकार थी:

अध्यक्ष
श्री अजय कुमार चौहान, स्वतंत्र निदेशक
सदस्य
श्री धनंजय सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक.
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक.

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव (21.05.2024 से प्रभावी), समिति की सचिव हैं।

श्रीमती पूजा गुडवाला, कंपनी सचिव (28.11.2023 से प्रभावी और 21.05.2024 तक), समिति की सचिव थीं।

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव (16.11.2023 तक), समिति की सचिव थीं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की छह (6) बैठकें आयोजित की गईं। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए आयोजित एनआरसी की बैठकों की संख्या और उपस्थिति विवरण का विवरण नीचे दिया गया है:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि						कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	05.04.2023	04.05.2023	23.05.2023	28.08.2023 और 29.08.2023 (स्थगित बैठक)	28.11.2023	14.03.2024		
श्री अजय कुमार चौहान	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	6	6
श्री धनंजय सिंह	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ*	नहीं	नहीं	6	3
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	6	6

* श्री धनंजय सिंह 28.08.2023 को आयोजित मूल बैठक में शामिल नहीं हुए।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष श्री अजय कुमार चौहान शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित थे।

2. संदर्भ की शर्तः

नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के विचारार्थ विषयों में सेबी एलओडीआर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, समय–समय पर संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र शामिल हैं [निदेशकों से संबंधित मामलों को छोड़कर क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी कंपनियों के लिए इन्हें छूट दी गई है और साथ ही सेबी द्वारा 02 अप्रैल, 2018 को इरकॉन को लिखे गए पत्र के माध्यम से है]

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:

क. डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सीमाओं के भीतर अधिकारियों और गैर–संघीकृत पर्यवेक्षकों के बीच वितरण के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनीय वेतन पूल / प्रदर्शन–संबंधित वेतन और नीति का निर्णय लेना और उसे अनुमोदित करना।

ख. डीपीई और अन्य सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के चयन और हटाने की नीतियों की समीक्षा करना और बोर्ड को अनुमोदन के लिए सिफारिश करना।

ग. निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किए जा सकने वाले व्यक्तियों की पहचान करना, बोर्ड को उनकी नियुक्ति और हटाने की सिफारिश करना।

घ. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के लिए किसी भी रूप में पारिश्रमिक से संबंधित नीति की सिफारिश निदेशक मंडल को करना।

ड. कंपनी अधिनियम 2013, या डीपीई दिशानिर्देश, या सेबी एलओडीआर के तहत शामिल किए गए किसी भी अन्य कार्य को पूरा करना।

स्पष्टीकरणः ''वरिष्ठ प्रबंधन'' का अर्थ कंपनी के ऐसे अधिकारी / कार्मिक होंगे जो पूर्णकालिक निदेशकों से एक स्तर नीचे प्रबंधन के सदस्य हैं और इसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव तथा मुख्य वित्तीय अधिकारी को सीधे रिपोर्ट करने वाले कार्यात्मक प्रमुख शामिल होंगे।

2. बोर्ड सदस्यों का प्रदर्शन मूल्यांकनः

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 05 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट अधिसूचित की है, जो अन्य बातों के साथ–साथ धारा 134(3)(पी) के संबंध में प्रावधान करती है। बोर्ड के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके को दर्शाने वाला एक बयान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगा, यदि निदेशकों का मूल्यांकन उस मंत्रालय द्वारा किया जाता है जो अपनी मूल्यांकन पद्धति के अनुसार कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है। इसके अलावा, एमसीए द्वारा जारी उक्त परिपत्र में सरकारी कंपनियों के लिए नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) से भी छूट दी गई है।

इसके अलावा, एमसीए ने 05 जुलाई, 2017 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम की अनुसूची IV में एक संशोधन किया है, जिसके तहत उसने सरकारी कंपनियों को गैर–स्वतंत्र निदेशकों और अध्यक्षों के स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता का अनुपालन करने से छूट दी है। यदि संबंधित विभाग या मंत्रालयों ने इन आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया है

इस संबंध में, डीपीई ने पहले से ही सभी कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक तंत्र निर्धारित किया है। कार्यात्मक निदेशकों का प्रदर्शन मूल्यांकन रेल मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) की एक प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी का प्रदर्शन मूल्यांकन डवत के साथ दर्ज किए गए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, और उक्त मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को प्रस्तुत किया जाता है। एमओयू लक्ष्य नीचे दिए गए हैं और व्यक्तियों और टीम के प्रदर्शन मूल्यांकन का एक अभिन्न अंग बनते हैं। आंतरिक एमओयू में वित्तीय, गैर–वित्तीय और सरकारी दिशानिर्देशों के अनुपालन आदि सहित विभिन्न पैरामीटर शामिल हैं।

सरकार द्वारा नामित निदेशकों के संबंध में, उनका मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एमओआर द्वारा किया जाता है। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति भी भारत सरकार द्वारा की जाती है, उनका मूल्यांकन भी एमओय द्वारा और अंततः डीपीई द्वारा किया जाता है।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3.3 हितधारक संबंध समिति:

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी (एसआरसी) की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और दायरा कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी एलओडीआर के अनुसार है।

जब भी निदेशकों में बदलाव हुआ है, समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान एसआरसी की संरचना इस प्रकार थी:

अध्यक्ष
श्री धनंजय सिंह, शासकीय. नामांकित निदेशक
सदस्य
श्रीमती. रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र, स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव (21.05.2024 से प्रभावी), समिति की सचिव हैं।

श्रीमती पूजा गुडवाला, कंपनी सचिव (28.11.2023 से प्रभावी और 21.05.2024 तक), समिति की सचिव थीं।

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव (16.11.2023 तक), समिति की सचिव थीं।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 08.03.2024 को स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी की एक (1) बैठक आयोजित की गई, जिसमें श्रीमती रागिनी आडवाणी और डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा ने भाग लिया। स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के अध्यक्ष श्री धनंजय सिंह शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 12 सितंबर, 2023 को आयोजित वार्षिक सामान्य बैठक में उपस्थित थे।

1. संदर्भ की शर्तें

स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के विचारार्थ विषयों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और सेबी एलओडीआर के विनियमन 20 के तहत निर्दिष्ट निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:

क. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हितों के विभिन्न पहलुओं पर गौर करना।

ख. कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार करना और उनका समाधान करना, जिसमें शेयरों के हस्तांतरण/प्रेषण, वार्षिक रिपोर्ट की प्राप्ति न होना, घोषित लाभांश की प्राप्ति न होना, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना और सामान्य बैठकें शामिल हैं।

ग. शेयरधारकों द्वारा मताधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा।

घ. रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा।

ङ. दावा न किए गए लाभांश की मात्रा को कम करने और शेयरधारकों द्वारा लाभांश वारंट/वार्षिक रिपोर्ट/वैधानिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा।

च. कंपनी अधिनियम 2013, या डीपीई दिशा–निर्देशों, या सेबी एलओडीआर या अन्य मामलों, यदि कोई हो, के तहत स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा समय–समय पर अपेक्षित कोई अन्य कार्य करना।

2. कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनामरू

सेबी एलओडीआर के अनुसार कंपनी सचिव सुश्री रितु अरोड़ा कंपनी की अनुपालन अधिकारी थीं। उन्होंने 16.11.2023 से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद, श्रीमती पूजा गुडवाला को 28.11.2023 से कंपनी सचिव और केएमपी नियुक्त किया गया और 21.05.2024 से वे कंपनी सचिव और केएमपी नहीं रहीं। इसके अलावा, श्री अंकित जैन (सदस्यता संख्या A35053) को 28.11.2023 से कंपनी का अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया गया और वे अनुपालन अधिकारी के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

इसके अलावा, श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल (सदस्यता संख्या F8874) को 21.05.2024 से कंपनी का कंपनी सचिव और केएमपी नियुक्त किया गया।

3. शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण

कंपनी के साथ–साथ कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ने निवेशकों की शिकायतों का तेजी से निपटारा किया है। वर्ष की शुरुआत में यानी 01 अप्रैल, 2023 तक कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी और वर्ष 2023 के दौरान शेयरधारकों से कुल 5 शिकायतें प्राप्त हुईं– 24. सभी शिकायतों का शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार समाधान किया गया। विवरण इस प्रकार है:

शिकायत की प्रकृति	लंबित शिकायतें (01.04.2023 तक)	प्राप्त	समाधान	लंबित
सेबी	0	1	1	0
बीएसई	0	4	4	0
एनएसई	0	0	0	0
एनएसडीएल/सीडीएसएल	0	0	0	0
अन्य	0	0	0	0
कुल	**0**	**5**	**5**	**0**

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3.4 जोखिम प्रबंधन समिति

सेबी एलओडीआर के अनुसार, कंपनी में जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) गठित करने की आवश्यकता 01 अप्रैल, 2019 से लागू हो गई; हालाँकि, कंपनी में 2014 से ही बोर्ड स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति मौजूद थी।

आरएमसी की संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और दायरा सेबी एलओडीआर की वैधानिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।

1. रचना

कंपनी में एक जोखिम प्रबंधन समिति है जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक सहित चार बोर्ड सदस्य शामिल हैं। शीर्ष–स्तरीय प्रबंधन और व्यवसाय इकाई प्रमुखों (परियोजना/कार्यात्मक प्रमुखों) से युक्त एक त्वरित कार्रवाई समूह भी मौजूद है और समूह का उद्देश्य व्यवसाय प्रक्रिया में निहित प्रमुख जोखिमों को कम करना और उत्पादकता और दक्षता बनाए रखना है।

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान आरएमसी की संरचना इस प्रकार थी।

01.04.2023 से 07.07.2023 तक	07.07.2023 से 31.03.2024 तक
अध्यक्ष	
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)
सदस्यों	
श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त)	श्रीमती रागिनी आडवाणी निदेशक (वित्त)
श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएं)	श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजनाएं)
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र स्वतंत्र निदेशक	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र स्वतंत्र निदेशक

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान जोखिम प्रबंधन समिति की दो (2) बैठकें आयोजित की गईं। आयोजित आरएमसी की बैठकों की संख्या और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि		कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	बैठकों की संख्या उपस्थित
	11.05.2023	06.11.2023 & 09.11.2023 (स्थगित बैठक)		
श्री पराग वर्मा	हाँ	हाँ	2	2
श्रीमती रागिनी	हाँ	हाँ	2	2
श्री संदीप जैन	हाँ	लागू नहीं	1	1
श्री आनंद कुमार सिंह	लागू नहीं	हाँ	1	1
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्रा	हाँ	हाँ	2	2

2. बैठकों की संख्या उपस्थित:

जोखिम प्रबंधन समिति के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं:

क. प्रमुख जोखिम वहन करने वाली गतिविधियों की पहचान।

ख. सर्वोत्तम व्यावसायिक प्रथाओं की तुलना में जोखिम क्षमता के संबंध में अंतरालों का वर्गीकरण: मामूली; महत्वपूर्ण या गंभीर, पर्याप्त या प्रमुख।

ग. किसी भी संभावित खतरे के लिए वर्तमान व्यवसाय प्रक्रिया में अंतराल की पहचान करना।

घ. जोखिम मूल्यांकन नियंत्रण प्रणाली स्थापित करना।

ङ व्यवसाय संचालन प्रक्रियाओं के प्रारूपण/संशोधन तथा उनके दस्तावेजीकरण से संबंधित दिशानिर्देश प्रदान करना।

च. रैपिड एक्शन ग्रुप द्वारा संकलित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट की समीक्षा करना और सुधार के लिए निर्देश देना तथा परिचालन क्षमताओं और संभावित व्यवसाय के लिए इरकॉन की तैयारी पर रैपिड एक्शन ग्रुप की रिपोर्ट पर फीडबैक प्रदान करना।

छ. एक विस्तृत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेरू सूचीबद्ध इकाई द्वारा विशेष रूप से सामना किए जाने वाले आंतरिक और बाह्य जोखिमों की पहचान के लिए एक रूपरेखा, जिसमें विशेष रूप से वित्तीय, परिचालन, क्षेत्रीय, स्थिरता (विशेष रूप से, ईएसजी से संबंधित जोखिम), सूचना, साइबर सुरक्षा जोखिम या समिति द्वारा निर्धारित कोई अन्य जोखिम शामिल हो सकते हैं; पहचाने गए जोखिमों के आंतरिक नियंत्रण के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं सहित जोखिम शमन के उपाय; व्यवसाय निरंतरता योजना।

ज. यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के व्यवसाय से जुड़े जोखिमों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए अपरिपक्व शेयर बाजार, दिवालियापन और कंपनियां मौजूद हैं।

झ. निदेशक मंडल को अपनी चर्चाओं, सिफारिशों और की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति और विषय–वस्तु के बारे में सूचित रखना।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

ञ. मुख्य जोखिम अधिकारी (यदि कोई हो) की नियुक्ति, निष्कासन और पारिश्रमिक की शर्तों की समीक्षा करना, जिसे कार्यालय आदेश जारी करके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ट. जोखिम प्रबंधन नीति के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख करना, जिसमें जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना शामिल है।

ठ. जोखिम प्रबंधन नीति की समय–समय पर समीक्षा करना, कम से कम दो साल में एक बार, जिसमें उद्योग की बदलती गतिशीलता और विकसित हो रही परिस्थितियों पर विचार करना शामिल है।

ड. बोर्ड द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार, अन्य समितियों के साथ अपनी गतिविधियों का समन्वय करना, उदाहरण के लिए, जहां ऐसी समितियों की गतिविधियों के साथ कोई ओवरलैप हो।

ढ. किसी भी कर्मचारी से जानकारी प्राप्त करना, बाहरी कानूनी या अन्य पेशेवर सलाह प्राप्त करना और यदि आवश्यक हो तो प्रासंगिक विशेषज्ञता वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

3.5 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति (सीएसआर समिति)

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता समिति (सीएसआर समिति) के संबंध में संरचना, संदर्भ की शर्तें, कोरम और अन्य मामले कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और उसके तहत लागू नियमों तथा सीएसआर और स्थिरता पर डीपीई दिशानिर्देश, 2014 के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार हैं।

1. संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:

अध्यक्ष
श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक
सदस्य
श्री धनंजय सिंह, सरकार द्वारा नामित निदेशक
श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव (21.05.2024 से प्रभावी), समिति की सचिव हैं।

श्रीमती पूजा गुडवाला, कंपनी सचिव (28.11.2023 से प्रभावी और 21.05.2024 तक), समिति की सचिव थीं।

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव (16.11.2023 तक), समिति की सचिव थीं।

कंपनी की सीएसआर एवं स्थिरता गतिविधियों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है तथा कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

2. बैठकें और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की तीन (3) बार बैठक हुई। सीएसआर समिति की बैठक और उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि			इस दौरान कुल बैठकें आयोजित की गईं	बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
	23.05.2023	08.11.2023	16.01.2024		
श्रीमती रंजना उपाध्याय	हाँ	हाँ	हाँ	3	3
श्री धनंजय सिंह	हाँ	नहीं	हाँ	3	2
श्री पराग वर्मा	हाँ	हाँ	हाँ	3	3

3. संदर्भ की शर्तें

सीएसआर समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं –

क. कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करना और कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता एजेंडे को वांछित दिशा में आगे बढ़ाने के लिए उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने में बोर्ड की सहायता करना।

ख. सीएसआर के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करना, जो मुख्य महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी से नीचे का न हो, तथा उसके अधिकारियों की टीम, जैसा कि दिशानिर्देशों के अनुसार उचित समझा जाए।

ग. बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता नीति तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों की सिफारिश करना तथा अनुमोदन/पुनर्पुष्टि के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करना।

घ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की न केवल शीघ्र पहचान करने के लिए बल्कि आवश्यकतानुसार उचित स्तर और बोर्ड से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के लिए रूपरेखा तैयार करना; पहचानी गई गतिविधियों को जारी रखना और सुव्यवस्थित तरीके से समय पर उद्देश्यों को प्राप्त करना।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3.6 परियोजना प्रगति समीक्षा समिति:

परियोजना प्रगति समीक्षा समिति (पीआरसी) का गठन निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की चल रही परियोजनाओं (पीएमसी परियोजनाओं को छोड़कर) की भौतिक प्रगति और उससे संबंधित संबद्ध गतिविधियों की समीक्षा करने तथा परियोजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन में आने वाली संभावित बाधाओं का समाधान करने के लिए किया गया था।

1. संरचना, बैठकें और उपस्थिति:

निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान पीआरसी की संरचना इस प्रकार थी:

01.04.2023 से 07.07.2023 तक	07.07.2023 से 31.03.2024 तक
अध्यक्ष	
श्री धनंजय सिंह सरकार. नामांकित निदेशक	श्री धनंजय सिंह सरकार. नामांकित निदेशक
सदस्य	
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक
श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)	श्री पराग वर्मा निदेशक (कार्य)
श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजना)	श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजना)

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल, कंपनी सचिव (21.05.2024 से प्रभावी), समिति की सचिव हैं।

श्रीमती पूजा गुडवाला, कंपनी सचिव (28.11.2023 से प्रभावी और 21.05.2024 तक), समिति की सचिव थीं।

सुश्री रितु अरोड़ा, कंपनी सचिव (16.11.2023 तक), समिति की सचिव थीं।

2. बैठक और उपस्थिति:

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई। बैठक का विवरण और पीआरसी की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

सदस्य का नाम	बैठक की तिथि	कार्यकाल के दौरान आयोजित कुल बैठकें	उपस्थित बैठकों की संख्या
	29.11.2023		
श्री धनंजय सिंह	नहीं	1	0
श्री पराग वर्मा	हाँ	1	1
श्री संदीप जैन	नहीं	-	-
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	हाँ	1	1
श्री आनंद कुमार सिंह	हाँ	1	1

3.7 स्वतंत्र निदेशकों की बैठक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV, लागू सीमा तक सेबी एलओडीआर और 28 दिसंबर, 2012 के डीपीई–ओएम (संशोधित) के अनुसार वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की एक बैठक 11 और 12 मार्च, 2024 को आयोजित की गई थी। इसके अलावा, स्वतंत्र निदेशकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों पर विधिवत विचार किया गया और कंपनी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

3.8 निदेशकों का पारिश्रमिक:

सरकारी कंपनी होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है तथा उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी नियमों व शर्तों के आधार पर भारत सरकार द्वारा पूर्व निर्धारित औद्योगिक महंगाई भत्ता (आईडीए) वेतनमान के अनुसार पारिश्रमिक मिलता है।

बोर्ड में नामित अंशकालिक आधिकारिक (गैर–कार्यकारी) निदेशक, निदेशक के रूप में अपनी भूमिका के लिए कंपनी से कोई पारिश्रमिक नहीं लेते हैं और वे सरकारी अधिकारियों के रूप में भारत सरकार से केंद्रीय महंगाई भत्ता (सीडीए) वेतनमान के अंतर्गत अपना पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।

स्वतंत्र (गैर–कार्यकारी) निदेशकों को बोर्ड और उसकी समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बैठने की फीस का भुगतान किया जाता है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, स्वतंत्र निदेशकों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए ₹30,000/– और बोर्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए ₹20,000/– की बैठने की फीस का भुगतान किया गया।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

क. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कार्यात्मक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ में)

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम एवं पदनाम					
		श्री योगेश कुमार मिश्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ[1]	श्री बृजेश कुमार गुप्ता अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक एवं सीईओ[2]	श्रीमती रागिनी आडवाणी, निदेशक (वित्त)	श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)	श्री संदीप जैन निदेशक (परियोजना)[3]	श्री आनंद कुमार सिंह निदेशक (परियोजना)[4]
1	**सकल वेतन**						
क)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	383,803	-	4,495,883	4,099,430	-	2,790,583
ख)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभों का मूल्य	95,085	25,000	40,841	618,850	-	57,480
ग)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें:	-	-	-	-	-	-
	– प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन	-	-	1,365,025	1,133,988	-	-
	– सेवानिवृत्ति लाभ	63,315	-	642,622	634,840	-	460,758
कुल		**542,203**	**25,000**	**654,4371**	**6,487,108**	**-**	**3,308,821**

1. दिनांक 29.04.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ पद से मुक्त।
2. दिनांक 29.04.2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ पद से मुक्त।
3. दिनांक 07.07.2023 से निदेशक (परियोजना) पद से मुक्त।
4. दिनांक 07.07.2023 से निदेशक (परियोजना) पद से मुक्त।

ख. वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान स्वतंत्र ख्अंशकालिक गैर–सरकारी, निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण:

(₹ में)

स्वतंत्र निदेशक/अंशकालिक (गैर–सरकारी निदेशक) का नाम	बैठने का शुल्क		कुल
	बोर्ड बैठकें	समिति बैठकें	
श्री अजय कुमार चौहान	270,000	260,000	530,000
श्री दीपेन्द्र कुमार गुप्ता	270,000	140,000	410,000
श्रीमती रंजना उपाध्याय	270,000	200,000	470,000
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	270,000	60,000	330,000

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

3.9 वरिष्ठ प्रबंधन का विवरण* (31 मार्च, 2024 तक) जिसमें वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान हुए परिवर्तन शामिल हैं

क्र.सं.	कार्मिको का नाम	पदनाम
1.	श्री अंकुश गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (11.09.2023 तक)
2.	श्री बी. मुगुंथन	कार्यकारी निदेशक एवं सीएफओ
3.	श्री देबज्योति कुमार	कार्यकारी निदेशक (23.02.2024 से प्रभावी)
4.	श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा	कार्यकारी निदेशक (31.01.2024 तक)
5.	श्री नवीन बाबू	कार्यकारी निदेशक
6.	श्री पवन कुमार	कार्यकारी निदेशक (17.10.2023 तक)
7.	श्री राजीव कुमार सिन्हा	कार्यकारी निदेशक (23.02.2024 से प्रभावी)
8.	श्री सुभाष चंद	कार्यकारी निदेशक
9.	श्री सुरेन्द्र सिंह	कार्यकारी निदेशक
10.	श्री विनोद कुमार गुप्ता	कार्यकारी निदेशक (23.02.2024 से प्रभावी)
11.	श्री योगेश कुमार मिश्रा	कार्यकारी निदेशक (29.04.2023 से प्रभावी)
12.	श्री एच डी डोड्डैया	परियोजना निदेशक (23.02.2024 से प्रभावी)
13.	श्री जयशंकर वी.के.	परियोजना निदेशक
14.	श्री मोहिंदर सिंह	परियोजना निदेशक
15.	श्री प्रमोद कुमार सिंह	परियोजना निदेशक (31.12.2023 तक)
16.	श्री सीतेश कुमार सिंह	परियोजना निदेशक
17.	श्री सुरेन्द्र सिंह	मुख्य सतर्कता अधिकारी
18.	श्री अभिजीत कुमार सिन्हा	मुख्य महाप्रबंधक
19.	श्री नीरज गुप्ता	मुख्य महाप्रबंधक
20.	श्री पी वी श्रीकांत	मुख्य महाप्रबंधक
21.	श्रीमती पूजा गुडवाला	कंपनी सचिव (28.11.2023 से प्रभावी)
22.	सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी (16.11.2023 तक)

* वित्तीय वर्ष के दौरान, सेबी एलओडीआर में संशोधन के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा वरिष्ठ प्रबंधन की परिभाषा को संशोधित किया गया।

4. सामान्य सभा की बैठकें

4.1 पिछले तीन वर्षों की वार्षिक और असाधारण सामान्य सभा की बैठकों की तिथि, समय और स्थान

वित्तीय वर्ष	बैठक आयोजित करने की तिथि	समय	स्थान/स्थल
2022–23 (47वें एजीएम)	सितंबर 12, 2023	1230 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना गया)
2021–22 (46 वें एजीएम)	सितंबर 16, 2022	1230 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना गया)
2020–21 (45 वें एजीएम)	सितंबर 24, 2021	1230 घंटे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से (पंजीकृत कार्यालय को बैठक का स्थान माना गया)

पिछले तीन वर्षों के दौरान सामान्य बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का ब्यौरा: शून्य

4.2 वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान डाक मतपत्र के माध्यम से पारित विशेष प्रस्ताव: शून्य

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

4.3 डाक मतपत्र के माध्यम से प्रस्तावित विशेष प्रस्ताव

डाक मतपत्र के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित कराने का प्रस्ताव नहीं है।

5. संचार के साधन

कंपनी अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठकों और वेबसाइट के माध्यम से खुलासों के ज़रिए अपने शेयरधारकों से संवाद करती है। कंपनी के बारे में जानकारी, नवीनतम अधतन एवं जानकारी कंपनी की वेबसाइट: www.ircon.org पर देखी जा सकती हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

> त्रैमासिक /अर्धवार्षिक /वार्षिक वित्तीय परिणाम

> तिमाही शेयरधारिता पैटर्न

> कॉर्पोरेट शासन की तिमाही रिपोर्ट

> विश्लेषकों के साथ सम्मेलनों की प्रतिलिपियाँ

> समय–समय पर स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई सूचनाएं।

> कंपनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्तियाँ, अन्य प्रेस कवरेज, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के समक्ष प्रस्तुतियाँ।

निवेशकों द्वारा शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी और आरटीए की ईमेल आईडी वेबसाइट पर "निवेशक संबंध => निवेशक संपर्क" शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित की गई है।

कंपनी अपने संस्थागत शेयरधारकों के साथ विश्लेषकों की ब्रीफिंग और व्यक्तिगत चर्चाओं के संयोजन के माध्यम से संवाद करती है और समय–समय पर निवेशक सम्मेलनों में भी भाग लेती है। वित्तीय परिणामों पर प्रत्येक तिमाही के समापन के बाद नियमित रूप से कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से चर्चा की जाती है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान तिमाही, अर्धवार्षिक और वार्षिक परिणाम निम्नानुसार प्रकाशित किए गए:

तिमाही	समाचार पत्र
समाप्त तिमाही 30.06.2023	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)
तिमाही 2और अर्धवार्षिक 30.09.2023 को समाप्त	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)
31.12.2023 को समाप्त तीसरी तिमाही और नौ महीने	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)
तिमाही और वर्ष समाप्त 31.03.2024	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी), जनसत्ता (हिंदी)

6. सामान्य शेयरधारक जानकारी

6.1 चालू वर्ष की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से):

दिन और दिनांक: गुरुवार, 12 सितंबर, 2024

समय: दोपहर 12.30 बजे (आईएसटी)

स्थान: कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली– 110017

एजीएम की सूचना: एक कॉर्पोरेट इकाई के रूप में हमारी कंपनी अपने संचालन और सेवाओं में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, कंपनी एमसीए द्वारा की गई 'ग्रीन पहल' का समर्थन करती है, जो डिपॉजिटरी प्रतिभागियों / रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत अपने ई–मेल पते पर शेयरधारकों को दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी को सक्षम बनाती है। वार्षिक रिपोर्ट और एजीएम की सूचना सभी सदस्यों को निर्धारित तरीके से या लागू कानूनों में निर्धारित तरीके से भेजी जा रही है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट 2023–24 को कंपनी की वेबसाइट ('निवेशक संबंध' अनुभाग के तहत) www.ircon.org और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com से भी एक्सेस किया जा सकता है। यह नोटिस नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

6.2 वित्तीय वर्ष

कंपनी का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

6.3 बुक समापन

कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुस्तकें शुक्रवार, 06 सितंबर, 2024 से गुरुवार, 12 सितंबर, 2024 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगी।

6.4 लाभांश का भुगतान

कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹2/– अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹1.30 प्रति शेयर की दर से अंतिम लाभांश ख्यानी ₹188.10 करोड़ की चुकता शेयर पूंजी का 65%) की सिफारिश की है, जो ₹122.27 करोड़ होगा।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने 08 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में ₹2/– अंकित मूल्य पर ₹1.80 प्रति इक्विटी शेयर की दर से अन्तरिम लाभांश घोषित किया, जो कुल मिलाकर लगभग ₹169.29 करोड़ (अर्थात ₹188.10 करोड़ की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 90%) है और इसका भुगतान 27 फरवरी, 2024 को किया गया।

शुक्रवार, 27 सितंबर, 2024 को स्टॉकहोम में स्टॉकहोम में स्टॉक में रहने वाले शेयरधारकों के लिए अंतिम स्टॉक का भुगतान किया गया। नाम नेशनल एस्टाइकज इंकलारी लिमिटेड (सीडियाल) और सेंट्रल इंकलाबी (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) गुरुवार, 05 सितंबर, 2024 को बिजनेस टाइम की समाप्ति पर स्वामित्व के विवरण दिए गए हैं।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

6.5 लाभांश विवरण

पिछले दस वर्षों में इरकॉन द्वारा भुगतान किये गये लाभांश का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कुल चुकता पूंजी (करोड़ रुपए में)	भुगतान की गई कुल लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	बोर्ड की बैठक*/ एजीएम की तिथि जिसमें लाभांश घोषित किया गया	अन्तरिम / अंतिम	लाभांश भुगतान की तिथि
2013-2014	19.796	182.12 (₹92 प्रति शेयर)	31.01.2014*	अन्तरिम	25.02.2014
			25.09.2014	अंतिम	17.10.2014
2014-2015	19.796	182.12 (₹92 प्रति शेयर)	28.01.2015*	अन्तरिम	24.02.2015
			22.12.2015	अंतिम	18.01.2016
2015-2016	19.796	168.26 (₹85 प्रति शेयर)	19.02.2016*	अन्तरिम	14.03.2016
			28.09.2016	अंतिम	21.10.2016
2016-2017	19.796+79.184#	79.06	05.01.2017*	अन्तरिम	14.02.2017
	19.796+79.184#	16.10	23.03.2017*	अतिरिक्त अन्तरिम	27.03.2017
	19.796+79.184#	97.25	28.09.2017	अंतिम	24.10.2017
2017-2018	94.05	192.40 (₹20.46 प्रति शेयर)	20.03.2018*	अन्तरिम	28.03.2018
			14.09.2018	अंतिम	10.10.2018
2018-2019	94.05	202.64 (₹21.54 प्रति शेयर)	07.02.2019*	अन्तरिम	26.02.2019
			03.09.2019	अंतिम	18.09.2019
2019-2020	94.05	126.50 (₹13.45 प्रति शेयर)	11.02.2020*	अन्तरिम	02.03.2020
	94.05	96.87 (₹2.06 प्रति शेयर)$	29.09.2020	अंतिम	14.10.2020
2020-2021	94.05	61.13** (₹1.30 प्रति शेयर)	15.02.2021*	अन्तरिम	03.03.2021
	188.10***	159.89** (₹1.70 प्रति शेयर)	24.09.2021	अंतिम	12.10.2021
2021-2022	188.10	42.33** (₹0.45 प्रति शेयर)	12.08.2021*	1 तक अन्तरिम	06.09.2021
	188.10	65.84** (₹0.70 प्रति शेयर)	12.11.2021*	2 तक अन्तरिम	07.12.2021
	188.10	65.84** (₹0.70 per share)	14.02.2022*	3 तक अन्तरिम	08.03.2022
	188.10	61.13** (₹0.65 प्रति शेयर)	16.09.2022	अंतिम	04.10.2022
2022-23	188.10	169.29 (₹ 1.80 प्रति शेयर)	08.02.2023*	अन्तरिम	28.02.2023
	188.10	₹112.86 (₹ 1.20 प्रति शेयर)	12.09.2023	अंतिम	27.09.2023
2023-24	188.10	169.29 (₹ 1.80 प्रति शेयर)	08.02.2024*	अन्तरिम	27.02.2024
	188.10	122.27 (₹ 1.30 प्रति शेयर)	12.09.2024 (शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन)	अंतिम	27.09.2024 से आगे

*बोर्ड बैठक की तिथि जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया।

** अंकित मूल्य ₹2/– प्रत्येक।

*** 1:1 के अनुपात में बोनस निर्गम के बाद, 23.05.2021 से चुकता पूंजी ₹94.05 करोड़ से बढ़कर ₹188.10 करोड़ हो गई।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

#अंतरिम, अतिरिक्त अंतरिम और अंतिम लाभांश ₹79.184 करोड़ की बोनस शेयर पूंजी पर भुगतान किया गया (05.01.2017 को आवंटित बोनस शेयरों पर आनुपातिक रूप से 70 दिनों के लिए)।

$$ ₹10 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹13.45 की दर से अंतरिम लाभांश का भुगतान किया गया तथा ₹2 अंकित मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर ₹2.06 की दर से अंतिम लाभांश का भुगतान किया गया।

6.6 लाभांश वितरण नीति:

कंपनी के पास अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लाभांश वितरण नीति है। नीति का उद्देश्य मोटे तौर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को निर्दिष्ट करना है जिन्हें लाभांश घोषित करते समय विचार किया जाएगा और वे परिस्थितियाँ जिनके तहत कंपनी के शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं/नहीं कर सकते हैं और प्रतिधारित आय का उपयोग कैसे किया जाएगा। नीति कंपनी की वेबसाइट https://ircon.org/images/file/cosecy/Dividend%20Distribution%20Policy.pdf पर होस्ट की गई है।

6.7 स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग:

कंपनी 28.09.2018 को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हुई। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड को किया गया है। कंपनी का ISIN INE962Y01021 है।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड	बीएसई लिमिटेड
एक्सचेंज प्लाज़ा, सी–1, ब्लॉक जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई– 400 051	फ़िरोज़ जीजीभॉय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई– 400 001
स्क्रिप कोड: इरकॉन	स्क्रिप कोड: 541956

6.8 वित्त वर्ष 2023–24 के लिए इरकॉन के शेयर बाजार मूल्य डेटा:

माह	एन एस ई				बी एस ई				अनुक्रमणिका	
	उच्च	निम्न	बंद	आयतन	उच्च	निम्न	बंद	आयतन	एनएसई निफ्टी	बीएसई संसेक्स
	रुपये में			(शेयरों की संख्या में)	रुपये में			(शेयरों की संख्या में)		
अप्रैल–23	78.30	55.80	74.30	30,94,74,006	78.30	55.78	74.30	2,55,83,953	18,065.00	61,112.44
मई–23	89.50	74.90	81.15	65,63,30,874	89.45	74.98	81.07	4,83,44,975	18,534.40	62,622.24
जून–23	91.70	79.75	83.50	30,83,67,232	91.70	79.75	83.50	2,61,79,808	19,189.05	64,718.56
जुलाई–23	99.00	79.00	97.30	31,36,08,446	98.95	79.00	97.26	2,07,25,557	19,753.80	66,527.67
अगस्त–23	117.50	93.40	114.00	40,89,75,313	117.40	93.38	114.06	2,75,40,091	19,253.80	64,831.41
सितंबर–23	174.45	112.25	144.85	58,53,86,950	174.55	112.20	144.85	4,80,44,162	19,638.30	65,828.41
अक्टूबर–23	163.90	127.25	138.75	36,43,06,679	163.95	127.30	138.80	2,33,15,171	19,079.60	63,874.93
नवंबर–23	172.50	137.05	165.60	28,41,67,649	172.50	136.35	165.90	2,29,77,960	20,133.15	66,988.44
दिसंबर–23	181.60	157.55	171.40	51,67,97,284	181.65	157.50	171.30	4,41,12,763	21,731.40	72,240.26
जनवरी–24	280.85	169.80	237.35	1,02,77,94,852	280.90	169.90	237.35	7,88,47,159	21,725.70	71,752.11
फरवरी–24	245.10	190.35	229.15	40,00,39,218	245.10	190.30	229.15	4,29,29,761	21,982.80	72,500.30
मार्च–24	231.45	175.25	219.65	21,64,64,962	231.45	175.25	218.90	1,96,04,963	22,326.90	73,651.35

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

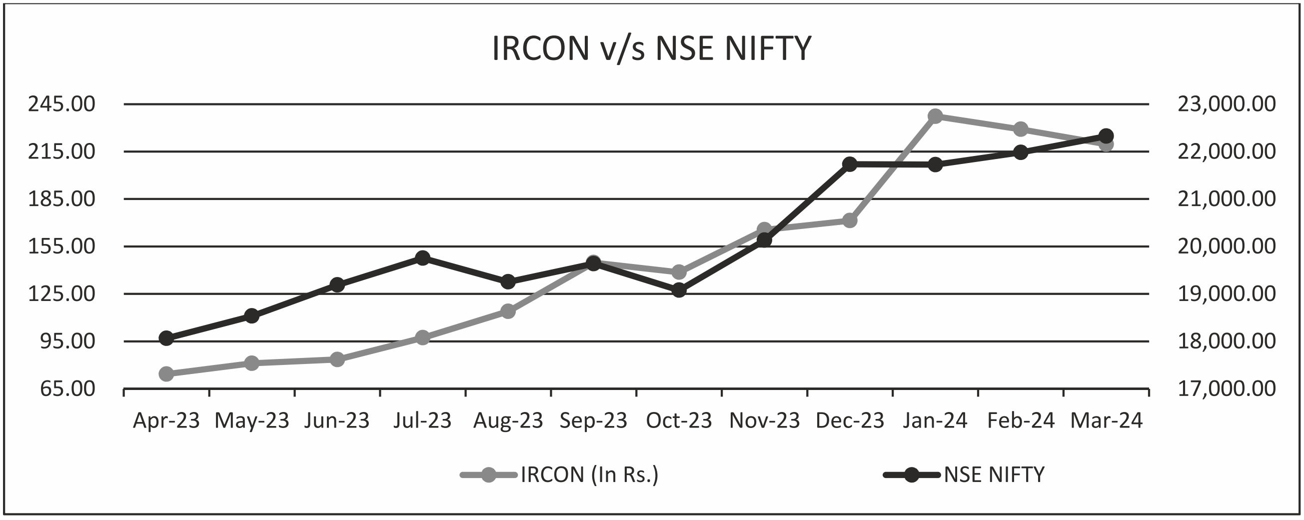

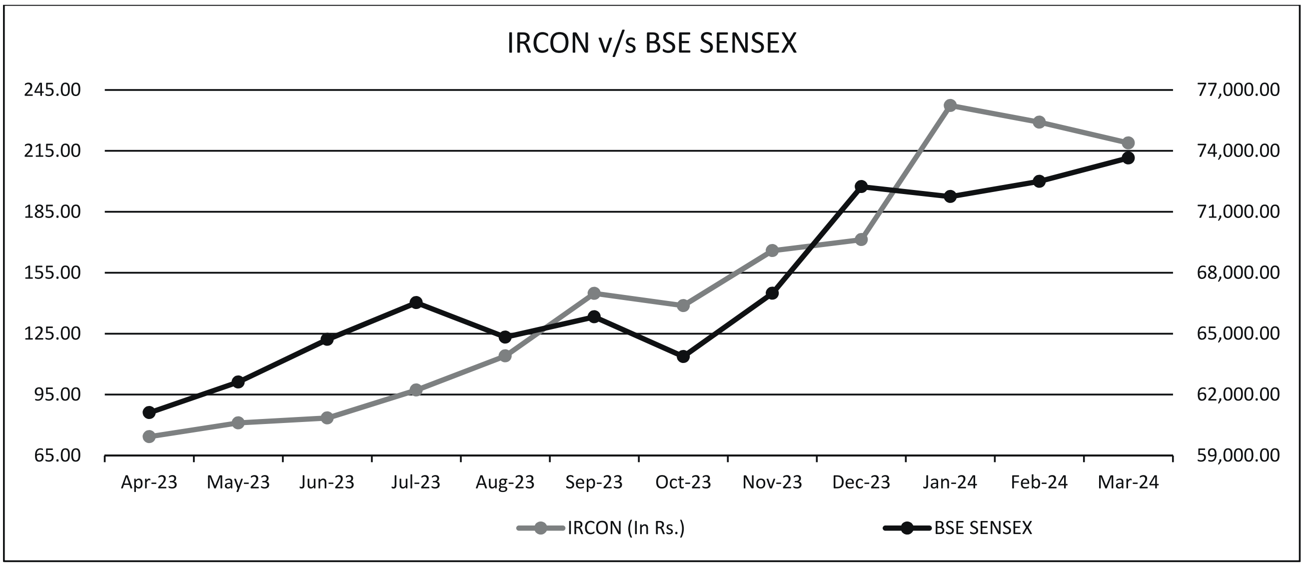

6.9 कंपनी की प्रतिभूतियों को वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान व्यापार से निलंबित नहीं किया गया है।

6.10 शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान शेयरों के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट निम्नानुसार होंगे:

अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड

205–208, अनारकली कॉम्प्लेक्स, झंडेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली–110055 टेलीफोन नंबर: 011–42541234/23541234

ईमेल: rta@alankit.com वेबसाइट: www.alankit.com

4.10 शेयर स्थानांतरण प्रणाली

वर्ष 2023–24 के दौरान, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड भौतिक और डीमैट शेयरों के लिए कंपनी का आरटीए है और यह नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) दोनों के साथ कंपनी का डिपॉजिटरी इंटरफेस भी है।

निदेशक मंडल ने पूर्णकालिक निदेशक और कंपनी सचिव (या कंपनी सचिव की अनुपस्थिति में किसी भी दो पूर्णकालिक निदेशकों) में से किसी एक को शेयरों के पुनरूभौतिकीकरण/विभाजन/डुप्लिकेट के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर शेयर प्रमाणपत्र जारी करने और शेयर प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने/प्रतिलिपि हस्ताक्षर करने और सामान्य मुहर लगाने के लिए अधिकृत किया है।

सेबी ने 24 जनवरी, 2022 को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) (संशोधन) विनियम, 2022 के माध्यम से सेबी एलओडीआर के विनियम 40 में संशोधन किया है और अनिवार्य किया है कि ट्रांसमिशन या ट्रांसपोज़िशन सहित प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोधों को केवल डीमैटरियलाइज़्ड रूप में संसाधित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डीमैटरियलाइज़ेशन के विभिन्न लाभों का लाभ उठाने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी भौतिक होल्डिंग को डीमैटरियलाइज़ करें।

इस संदर्भ में, शेयरधारकों को सूचित करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर नोटिस होस्ट किए गए हैं कि वे 01 अप्रैल, 2019 से शेयरों को केवल डीमैट रूप में रखें और ऊपर उल्लिखित सेवा अनुरोधों के अनुसार, शेयर केवल डीमैट रूप में जारी किए जाएंगे और 25 जनवरी, 2022 से कोई भी भौतिक शेयर जारी नहीं किया जाएगा।

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

सेबी परिपत्रों के अनुसार, सूचीबद्ध कंपनियां प्रतिभूतियों को केवल डीमैट रूप में जारी करेंगी और समर्थन, उप–विभाजन, संचरण या ट्रांसपोजिशन आदि जैसे सेवा अनुरोधों को डीमैट रूप में संसाधित करेंगी। फॉर्म ISR–4 (भौतिक शेयरधारकों के लिए) भी कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

विभिन्न सेबी परिपत्रों के अनुसरण में, कंपनी ने अपने विभिन्न संचारों जैसे ईमेल/पत्र/एजीएम नोटिस/समाचार पत्र विज्ञापनों के माध्यम से शेयरधारकों को कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के रिकॉर्ड में अपेक्षित विवरण अपडेट करने के लिए सूचित किया है।

सेबी एलओडीआर के विनियमन 7(3) के तहत आवश्यक वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र, जो कंपनी और शेयर के अनुपालन अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो।

सेबी एलओडीआर के विनियमन 40(9) के अनुसार, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से वार्षिक आधार पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, जिसमें पुष्टि की गई हो कि सभी प्रमाण पत्र स्थानांतरण, उप–विभाजन, समेकन, नवीनीकरण, विनिमय या कॉल/आवंटन राशि के समर्थन के लिए निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में जमा कर दिए गए थे। हालांकि, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान शेयर हस्तांतरण, उप–विभाजन, समेकन, नवीनीकरण, विनिमय या कॉल/आवंटन राशि के समर्थन से संबंधित कोई अनुरोध/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इसके अलावा, डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित कोई अनुरोध/आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

6.12 31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता का वितरण

क. 31 मार्च 2024 तक होल्डिंग के आकार के अनुसार शेयरों का वितरण:

इक्विटी शेयरों की संख्या) धारित	शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का प्रतिशत
1- 500	872448	91.71	81992949	8.72
501 - 1000	42871	4.51	33752602	3.59
1001 - 2000	19908	2.09	29905628	3.18
2001 - 3000	6119	0.64	15626318	1.66
3001 - 4000	2699	0.28	9743541	1.03
4001 - 5000	2264	0.24	10702820	1.14
5001 - 10000	2966	0.31	21978179	2.34
10001 - 20000	1160	0.12	16773663	1.78
20001 and above	937	0.10	720040040	76.56
कुल	**951372**	**100.00**	**940515740**	**100.00**

ख. 31 मार्च 2024 तक शेयरधारिता पैटर्न

वर्ग	धारित शेयरों की संख्या	कुल शेयरों की संख्या का %
प्रमोटर्स धारक		
भारत के राष्ट्रपति	61,29,28,392	65.17
उप–योग (1)	**61,29,28,392**	**65.17**
गैर–प्रवर्तक धारक		
म्यूचुअल फंड	42,56,081	0.45
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	4,31,17,943	4.58
घरेलू कंपनियाँ	1,58,78,125	1.69
बीमा कंपनियाँ	69,07,634	0.73
निवासी व्यक्ति	23,83,89,598	25.35
अनिवासी भारतीय (अनिवासी अप्रवासी सहित)	74,71,698	0.80
अन्य (एआईएफ, क्लियरिंग सदस्य, निदेशक और उनके रिश्तेदार, एचयूएफ, ट्रस्ट आदि)	1,15,66,269	1.23
उप–योग (2)	**32,75,87,348**	**34.83**
कुल (1+2)	**94,05,15,740**	**100.00**

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

ग. कंपनी के 1% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारक:

श्रेणी एवं शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 तक	
	मतदान शक्ति	धारित शेयरों की संख्या
प्रमोटर और प्रमोटर समूह		
भारत के राष्ट्रपति	65.17	612928392
गैर–प्रमोटर (कॉर्पोरेट निकाय)		
-	-	-

6.13 शेयरों का डीमैटरियलाइजेशन और लिक्विडिटी

कंपनी के शेयर अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में हैं और दोनों डिपॉजिटरी अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास स्वीकार किए जाते हैं।

कार्यरत कंपनी सचिव द्वारा जारी कंपनी की शेयर पूंजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत कर दी गई है।

31 मार्च 2024 तक डीमैट और फिजिकल मोड में रखे गए शेयरों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ग	शेयरों की संख्या	प्रतिशत
डीमैट		
एनएसडीएल के साथ	790471705	84.05
सीडीएसएल के साथ	150042148	15.95
भौतिक	1887	Negligible
कुल	**94,05,15,740**	**100**

6.15 बकाया जीडीआर/एडीआर:

31 मार्च 2024 तक कोई जी.डी.आर./ए.डी.आर./वारंट/परिवर्तनीय लिखत बकाया नहीं है।

1.16 कमोडिटी मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा जोखिम और हेजिंग गतिविधियाँ:

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन में विदेशी मुद्रा जोखिम शामिल है, और मुद्रा विनिमय से पहले विनिमय दर प्रतिकूल रूप से बदल सकती है। विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने या खत्म करने के लिए, इन विनिमय दर में उतार–चढ़ाव की लगातार निगरानी की जाती है, और उचित समय पर अधिशेष निधियों का विनिमय/भारत में प्रत्यावर्तन किया जाता है। हालाँकि, कोई विनिमय उतार–चढ़ाव जोखिम नहीं है, क्योंकि आवक और जावक एक ही विदेशी मुद्रा में है। यह विदेशी मुद्रा उतार–चढ़ाव जोखिम के खिलाफ प्राकृतिक बचाव प्रदान करता है।

6.17 संयंत्र स्थान/प्रचालन इकाइयाँ

कंपनी का मुख्यालय साकेत, नई दिल्ली में है और पूरे भारत में व्यावसायिक परिचालनों के समर्थन और प्रबंधन के लिए इसके 52 परियोजना कार्यालय और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

इसके अलावा, कंपनी के श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, अल्जीरिया और म्यांमार में 6 प्रमुख विदेशी परियोजना कार्यालय हैं, जहां से व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जाती हैं। परिचालन इकाइयों/कार्यालयों की सूची कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.17 पंजीकृत कार्यालय से पत्राचार के लिए पता

(इस रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल कॉर्पोरेट गवर्नेंस मामलों के संबंध में)

श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड,
सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017,
टेलीफोन +91–11–26530456,
फैक्स +91–11–26522000/26854000,
ईमेल: investors@ircon.org, वेबसाइट: www.ircon.org.

6.18 कंपनी द्वारा प्राप्त सभी क्रेडिट रेटिंग की सूची:

रेटिंग एजेंसियों द्वारा विभिन्न ऋण साधनों के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड को दी गई क्रेडिट रेटिंग नीचे दी गई है:

साधन–दीर्घकालिक/अल्पकालिक बैंक सुविधाएं

रेटिंग एजेंसी–केयर रेटिंग्स लिमिटेड

रेटिंग–केयर एएए; स्थिर/केयर ए1+ (ट्रिपल ए; आउटलुक; स्थिर/ए वन प्लस)

आउटलुक–स्थिर

7. प्रकटीकरण

7.1 संबंधित पक्ष लेन–देन

कंपनी और निदेशकों, प्रबंधन, सहायक कंपनियों या रिश्तेदारों के बीच कोई भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन, वित्तीय लेनदेन या संबंध नहीं रहा है, सिवाय 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में बताए गए और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यकता के अनुसार बोर्ड की रिपोर्ट में बताए गए।

संबंधित पक्ष के साथ लेन–देन सामान्य कारोबारी क्रम में किया गया है और इसका खुलासा कंपनी अधिनियम, 2013 (अर्थात् फॉर्म एओसी–2), सेबी एलओडीआर और प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक (कंपनी के वित्तीय विवरणों के नोट्स में) की आवश्यकता के अनुसार किया गया है।)

कंपनी ने संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए भौतिकता सीमा निर्धारित करने और अधिनियम और सेबी एलओडीआर के आधार पर कंपनी और उसके संबंधित पक्षों के बीच लेनदेन से निपटने के तरीके को निर्धारित करने के लिए संबंधित पक्ष लेनदेन (आरपीटी) नीति तैयार की है। आरपीटी नीति इस लिंक पर उपलब्ध है: https://ircon.org/images/file/cosecy/03062022_Final_RPT_Policy.pdf

7.2 पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशा–निर्देश से संबंधित किसी भी मामले पर कंपनी द्वारा गैर–अनुपालन, किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर लगाए गए दंड और प्रतिबंधों का विवरण।

किसी भी वैधानिक विनियमन या सरकारी दिशानिर्देशों के गैर–अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है। न ही कंपनी पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर और न ही सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों पर कोई जुर्माना लगाया गया

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

है या कोई प्रतिबंध लगाया गया है, सिवाय सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या इस रिपोर्ट में बताए गए मामलों के।

.3 आचार संहिता

कंपनी ने बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और समग्र रूप से कंपनी के लिए मुख्य मूल्य निर्धारित किए हैं। आचार संहिता और मुख्य मूल्य दोनों ही 01 अप्रैल, 2005 से प्रभावी हुए और उन्हें कंपनी की वेबसाइट www.ircon.org पर पोस्ट किया गया है। आचार संहिता में पारदर्शिता, नैतिक आचरण, मैत्रीपूर्ण कार्यस्थल, कानूनी अनुपालन और कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा और सूचना की गोपनीयता का प्रावधान है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान निदेशक मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन टीम के सदस्यों से आचार संहिता और प्रमुख मूल्यों के अनुपालन की प्राप्ति की पुष्टि करने वाला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र अनुबंध–1 के रूप में रखा गया है।

7.4 इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु आचार संहिता

सेबी पीआईटी के अनुसरण में, इरकॉन के बोर्ड ने 'इरकॉन की प्रतिभूतियों के लेन–देन में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक संहिता' को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य यह है कि कंपनी के अंदरूनी लोग कंपनी के बारे में अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी तक पहुंच और उसके कब्जे से कोई लाभ प्राप्त नहीं करेंगे या दूसरों को लाभ प्राप्त करने में सहायता नहीं करेंगे, जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं है और इस प्रकार अंदरूनी जानकारी का गठन करती है।

7.5 व्हिसल ब्लोअर नीति

कंपनी अपने व्यवसाय का संचालन करने और अपने सभी हितधारकों, जिनमें कर्मचारी, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता और शेयर धारक शामिल हैं, के साथ व्यावसायिकता, ईमानदारी, निष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानक को अपनाकर नैतिक और वैध तरीके से काम करने में विश्वास रखती है।

कंपनी ने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति लागू की है, जिसके अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों और निदेशकों के लिए एक तंत्र है, जिसके तहत वे अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, या कंपनी की नीतियों और आचार संहिता के उल्लंघन, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना के लीक होने के मामलों के बारे में प्रबंधन को रिपोर्ट कर सकते हैं।

नीति में इस तंत्र का लाभ उठाने वाले कर्मचारियों और निदेशकों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान किए गए हैं। इस नीति के तहत शिकायतें कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को संबोधित की जाएंगी या असाधारण मामलों में, यानी ई–9 ग्रेड के अधिकारी के खिलाफ शिकायत के संबंध में, या जहां शिकायतकर्ता को उत्पीड़न की आशंका है, ऑडिट कमेटी के अध्यक्ष को संबोधित की जाएंगी। बोर्ड स्तर के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आगे की प्रक्रिया के लिए MoR, भारत सरकार के सतर्कता निदेशालय को की जाएंगी। इसके अलावा, किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया है।.

7.6 सेबी एलओडीआर का अनुपालन

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी निदेशक मंडल की संरचना के संबंध में गैर–अनुपालन कर रही है क्योंकि पूरे वर्ष के दौरान उसके पास अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

चूंकि निदेशकों की नियुक्ति प्रशासनिक मंत्रालय (अर्थात् रेल मंत्रालय) द्वारा की जाती है, इसलिए कंपनी की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है और कंपनी ने रेल मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति का अनुरोध किया है।

7.7 वेबलिंक जहां 'महत्वपूर्ण' सहायक कंपनियों के निर्धारण की नीति का उल्लेख किया गया है:

https://ircon.org/images/file/cosecy/Policy-on-Material-Subsidiaries.pdf

वर्तमान में, कंपनी की निम्नलिखित दस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां और एक सहायक कंपनी है:

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक:

क. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (इरकॉनआईएसएल)

ख. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (इरकॉनपीबीटीएल)

ग. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (इरकॉनएसजीटीएल)

घ. इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनडीएचएचएल)

ङ. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनवीकेईएल)

च. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (इरकॉनजीआरएचएल)

छ. इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (इरकॉनएलआरएचएल)

ज. इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनएएसईएल)

झ. इरकॉन भोज–मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इरकॉनबीएमईएल)

ञ. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (इरकॉनएचबीएल)

सहायक –

ट. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (इरकॉनआरपीएल) 76% शेयरधारिता)

भौतिक सहायक कंपनी: वित्त वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी की कोई भौतिक सहायक कंपनी नहीं थी।

7.8 वर्ष के दौरान, तरजीही आवंटन या योग्य संस्थानों के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई गई है।

7.9 सांविधिक लेखा परीक्षक शुल्क:

इसमें कंपनी और उसकी सहायक कंपनी द्वारा समेकित आधार पर वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान की गई सभी सेवाओं के लिए कुल फीस शामिल है। समेकित आधार पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	शुल्क का विवरण	राशि
1	लेखापरीक्षा शुल्क	0.48
2	कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.14
3	तिमाही सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.25
4	प्रमाणन शुल्क	0.06
5	जेब से बाहर का खर्च	0.01
	कुल	**0.94**

* इरकॉन और उसकी सहायक कम्पनियों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा नियुक्त अलग–अलग साविधिक लेखापरीक्षक हैं।

7.10 निदेशकों की अयोग्यता न होने का प्रमाणपत्र:

कार्यरत किसी कंपनी सचिव से यह प्रमाण पत्र कि कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/कारपोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया है, **अनुलग्नक–2** के रूप में रखा गया है।

7.11 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
0	0	0

7.12 सूचीबद्ध इकाई और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा "फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम, जिनमें निदेशकों की रुचि है, नाम और राशि" का प्रकटीकरण:

कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों ने सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों को दिए गए ऋण को छोड़कर, उन फर्मों/कंपनियों को ऋण के रूप में कोई ऋण और अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है जिनमें निदेशकों की रुचि हो।

7.13 सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर रेटिंग:

कंपनी ने सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित समय के भीतर रेल मंत्रालय और डीपीई को निर्दिष्ट प्रारूप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

डीपीई ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए इरकॉन को 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग प्रदान की है।

इरकॉन ने स्व–मूल्यांकन के आधार पर '100%' का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2022–23 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत आता है।

इरकॉन ने स्व–मूल्यांकन के आधार पर '100%' का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो वित्त वर्ष 2023–24 के लिए डीपीई कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए 'उत्कृष्ट' ग्रेड के अंतर्गत आता है।

7.14 पिछले तीन वर्षों के लिए राष्ट्रपति के निर्देश:

सेबी एलओडीआर और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03.08.2018 की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए, भारत सरकार ने 03 मार्च, 2021 और 04 मार्च, 2021 को स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से कंपनी की 16% चुकता शेयर पूंजी (यानी, 7,52,41,260 इक्विटी शेयर) का विनिवेश किया।

इसके अलावा, भारत सरकार ने दिसंबर 2023 में स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से बिक्री के प्रस्ताव के माध्यम से जनता (कर्मचारियों सहित) को चुकता पूंजी का 8.01% भी बेच दिया। विनिवेश के बाद, भारत सरकार की हिस्सेदारी घटकर 65.17% रह गई है।

7.15 लेखा पुस्तकों में डेबिट किए गए व्यय के वे मद जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यावसायिक उद्देश्यों के अलावा, लेखा पुस्तकों में व्यय की कोई भी मद डेबिट नहीं की जाती है।

7.16 व्यक्तिगत प्रकृति के व्यय तथा निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किए गए व्यय

वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए कोई भी ऐसा व्यय नहीं किया गया है जो व्यक्तिगत प्रकृति का हो, सिवाय निदेशकों को दिए जाने वाले पारिश्रमिक के जो सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन और भत्तों के अनुसार है (इस रिपोर्ट के पैरा 3.8 में विवरण दिया गया है और स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण का हिस्सा बनने वाले नोट संख्या 33 (ख) में भी इसका खुलासा किया गया है)।

7.17 कुल व्यय बनाम वित्तीय व्यय के प्रतिशत के रूप में प्रशासनिक और कार्यालय व्यय का विवरण और वृद्धि के कारण।

वित्तीय व्यय की तुलना में कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में अन्य व्यय और बैंक एवं अन्य वित्त शुल्क नीचे दिए गए हैं:

विवरण	वित वर्ष 2023-24	वित वर्ष 2022-23	वृद्धि के कारण
अन्य व्यय (प्रशासनिक) (₹ करोड़ में)	80.77	43.60	(i) पिछले वर्ष की तुलना में विदेशी मुद्रा अंतर (लाभ/हानि) अधिक होने के कारण अन्य व्यय में वृद्धि हुई है। (ii) इस वर्ष वित्त लागत में वृद्धि मुख्य रूप से मोबिलाइजेशन अग्रिमों पर उच्च ब्याज व्यय के कारण हुई है। (iii) इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में कुल व्यय में वृद्धि हुई है, जो बढ़े हुए कारोबार के कारण है।
बैंक और अन्य वित्त शुल्क (रुपए करोड़ में)	9.61	2.80	
कुल व्यय (रुपए करोड़ में)	11,232.31	9,378.44	
प्रशासनिक व्यय/ कुल व्यय (% में)	0.72	0.46	
बैंक एवं वित्तीय प्रभार/ कुल व्यय (% में)	0.09	0.03	

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

7.18 सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 से 27 और विनियमन 46 के उप–विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉर्पोरेट प्रशासन आवश्यकताओं का अनुपालन सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट या इस रिपोर्ट में बताए गए अनुसार नहीं किया गया है।

7.19 डीमैट सस्पेंस खाता/अप्रत्याशित सस्पेंस खाते के संबंध में प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, कंपनी के पास डीमैट सस्पेंस खाते या दावा रहित सस्पेंस खाते में कोई शेयर नहीं है।

7.20 दावा न किया गया लाभांश

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि (IEPF) में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की जानी है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2024 तक दावा न किए गए लाभांश का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर इस पथ पर उपलब्ध है: निवेशक संबंधझझ नोटिस और अन्य घोषणाएँ >> लाभांश।समितियों की सिफारिशों की स्वीकृति बोर्ड द्वारा मामलों पर निर्णय लेते समय बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया है।

7.21 समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करना

बोर्ड द्वारा मामलों पर निर्णय लेते समय बोर्ड की समितियों की सिफारिशों पर विचार किया गया है।

7.22 सूचीबद्ध संस्थाओं को बाध्य करने वाले कुछ प्रकार के समझौतों का प्रकटीकरण

कंपनी को शेयरधारकों, प्रमोटरों, प्रमोटर समूह संस्थाओं, संबंधित पक्षों, निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों, कंपनी या उसकी सहायक या सहयोगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा आपस में या कंपनी के साथ या किसी तीसरे पक्ष के साथ, अकेले या संयुक्त रूप से किए गए समझौतों (ऐसे समझौतों के किसी भी निरसन, संशोधन या परिवर्तन सहित) की जानकारी नहीं है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या संभावित रूप से या जिनका उद्देश्य और प्रभाव कंपनी के प्रबंधन या नियंत्रण को प्रभावित करना है या कंपनी पर कोई प्रतिबंध लगाना है या कोई देयता बनाना है, चाहे कंपनी ऐसे समझौतों की पक्ष हो या नहीं।

8. लेखापरीक्षा योग्यता

लेखापरीक्षा योग्यता के लिए, मेसर्स रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों पर प्रस्तुत स्वतंत्र लेखापरीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ लिया जा सकता है। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

9. विवेकाधीन आवश्यकताएँ:

9.1 बोर्ड: कंपनी का नेतृत्व एक कार्यकारी अध्यक्ष करता है।

9.2 अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों के लिए शेयरधारकों के अधिकार:

30 सितंबर, 2023 को समाप्त छमाही के वित्तीय परिणाम 9 नवंबर, 2023 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस (अंग्रेजी), द इंडियन एक्सप्रेस (अंग्रेजी) और जनसत्ता (हिंदी) में प्रकाशित किए गए और कंपनी की वेबसाइट पर भी डाले गए। हालाँकि, शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को अलग–अलग छमाही रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। महत्वपूर्ण घटनाओं की सूचना स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई है और कंपनी की वेबसाइट पर भी इसका खुलासा किया गया है।

10. सीईओ/सीएफओ द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

सेबी एलओडीआर के विनियमन 17 (8) के अनुसार, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और सीईओ और मुख्य वित्तीय अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुपालन प्रमाणपत्र 21 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया था और इसे इस रिपोर्ट के अनुबंध–3 के रूप में रखा गया है।

11. अनुपालन

यह रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में बताए जाने वाले डेटा के संबंध में कानूनी आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन के संबंध में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से प्राप्त प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–4** के रूप में दिया गया है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह०/–
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ (DIN:08453476)

दिनांक: 13 अगस्त, 2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुबंध–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यावसायिक आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन की वार्षिक पुष्टि के संबंध में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा।

मैं, हरि मोहन गुप्ता, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि कंपनी के सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यवसाय आचार संहिता और नैतिकता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह०/–
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 08453476)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 05.07.2024

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुबंध–2

निदेशकों के अयोग्य न होने का प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम,
2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा खंड ग (10)(i) के अनुसार

सेवा में
सदस्य
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")
प्लॉट नंबर सी – 4,
डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत, नई दिल्ली–110017

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसका सीआईएनः L45203DL1976GOI008171 है और जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या सी – 4, जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली – 110017 में है (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टरों, अभिलेखों, प्रपत्रों, रिटर्न और प्रकटीकरणों की जांच की है, जो कंपनी द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी करने के उद्देश्य से हमारे सामने प्रस्तुत किए गए थे, जो कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10 (i) के साथ पठित विनियमन 34 (3) के अनुसार है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और आवश्यक समझे गए सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) स्थिति सहित) और कंपनी और उसके अधिकारियों द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण/अभ्यावेदन के अनुसार, हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नीचे बताए गए कंपनी के बोर्ड के किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी अन्य ऐसे वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य नहीं ठहराया गया हैः

क्र. सं	निदेशक का नाम	डी.आई.एन	कंपनी में नियुक्ति की मूल तिथि	समापन तिथि
1.	श्रीमती रागिनी आडवाणी	09575213	19/04/2022	-
2.	श्री पराग वर्मा	05272169	21/09/2022	-
3.	श्री आनंद कुमार सिंह	07918656	07/07/2023	-
4.	श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता	10092756	29/03/2023	-
5.	श्री धनंजय सिंह	08955500	10/11/2020	-
6.	श्री धनंजय सिंह	09394953	11/11/2021	-
7.	श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	09398271	16/11/2021	-
8.	श्रीमती रंजना उपाध्याय	07787711	16/11/2021	-
9.	डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	09453387	31/12/2021	-
10.	योगेश कुमार मिश्रा	07654014	28/12/2018	29/04/2023
11.	श्री संदीप जैन	09435375	12/01/2023	07/07/2023

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर राय व्यक्त करें। यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

वीएपी एंड एसोसिएट्स कंपनी सचिवों के लिए एफआरएनः
पी2023यूपी098500
सहकर्मी समीक्षा संख्याः 1083/2021
ह०/–
पारुल जैन, प्रबंधकीय भागीदार
एम. नं. F8323 CP नं. 13901
यूडीआईएनः F008323F000661371

स्थानः गाजियाबाद
दिनांकः 03.07.2024

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुबंध–3

जो कोई भी इससे संबंधित है उसके लिए

दिनांक: 20.05.2024

हमने वर्ष 2023–24 के वित्तीय विवरणों और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार है:

(A) (1) इन बयानों में कोई भी वास्तविक रूप से असत्य बयान शामिल नहीं है या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे बयान शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं;

(2) ये कथन मिलकर कंपनी के मामलों का सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

(B) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया जो धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध या आचार संहिता का उल्लंघन हो।

(C) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को डिजाइन या संचालन में कमियों का खुलासा किया है। ऐसे आंतरिक नियंत्रण, यदि कोई हों, जिनके बारे में हम जानते हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का प्रस्ताव है।

(D) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को संकेत दिया है:

(1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और वित्तीय विवरणों के नोट्स में इसका खुलासा किया गया है; और

(3) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण जिनके बारे में हमें पता चला है और यदि कोई हो, तो उसमें प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

ह०/–
(आशीष बंसल)
(अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक) और सीईओ
(अतिरिक्त शुल्क)
डीआईएन: 10328174

ह०/–
(बी. मुगुंथन)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

अनुलग्नक–4

कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन प्रमाणपत्र

सेवा में
सभी सदस्य
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")
प्लॉट नंबर सी – 4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर साकेत,
नई दिल्ली – 110017।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्षों के लिए **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")** द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27 और विनियमन 46(2) के खंड (बी) से (आइ) और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 **("सूचीबद्धता विनियम")** की अनुसूची V के पैरा सी और डी और सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई), 2010 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश में निर्धारित है ("डीपीई दिशानिर्देश")।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान लिस्टिंग विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है, सिवाय:

i) एलओडीआर के विनियमन 17(1)(ख) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार, निदेशक मंडल में पचास प्रतिशत से कम स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे, हालांकि, 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बोर्ड के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे।

हम आगे कहते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस दक्षता और प्रभावशीलता के बारे में है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते वैप और एसोसियन के लिए
कंपनी सचिव
एफआरएन: P2023UP098500
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह./–
पारुल जैन
प्रबंधन भागीदार
एम. नं. F8323
सीपी नं. 13901
यूडीआईएन: F008323F000661371

स्थान: गाज़ियाबाद
दिनांक: 03.07.2024

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

अनुभाग क

सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरण

1.	**सूचीबद्ध इकाई की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)**	L45203DL1976GOI008171
2.	**सूचीबद्ध इकाई का नाम**	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
3.	**निगमन का वर्ष**	28.04.1976
4.	**पंजीकृत कार्यालय का पता**	सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
5.	**कॉर्पोरेट पता**	सी–4, डिस्ट्रिक्ट सेंटर, साकेत, नई दिल्ली – 110017
6.	**ई–मेल**	investors@ircon.org
7.	**टेलीफोन**	011-26530266
8.	**वेबसाइट**	www.ircon.org
9.	**वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है**	2023-24
10.	**स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं**	1) नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड 2) बीएसई लिमिटेड
11.	**प्रदत्त पूंजी**	1881031480
12.	**उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण (टेलीफोन, ईमेल पता) जिससे बीआरएसआर रिपोर्ट पर किसी भी प्रश्न के मामले में संपर्क किया जा सकता है**	श्री एस.वी.सत्यनारायण राव महाप्रबंधक (सिविल) +91 9560595089 svs.rao@ircon.org
13.	**रिपोर्टिंग सीमा – क्या इस रिपोर्ट के अंतर्गत प्रकटीकरण एकल आधार पर किया गया है (अर्थात केवल इकाई के लिए) या समेकित आधार पर (अर्थात इकाई और सभी संस्थाओं के लिए जो इसके समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं, एक साथ)** इस रिपोर्ट के अंतर्गत किए गए खुलासे समेकित आधार पर हैं (सभी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों सहित)। हालांकि, निदेशक मंडल, केएमपी और कर्मचारियों का विवरण इस रिपोर्ट में स्टैंडअलोन आधार पर दिया गया है।	
14.	आश्वासन प्रदाता का नाम	लागू नहीं
15.	प्राप्त आश्वासन का प्रकार	लागू नहीं

II. उत्पाद/सेवाएं

16. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरण (कुल कारोबार का 90 प्रतिशत हिस्सा):

क्र. सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के टर्नओवर का प्रतिशत
1.	निर्माण	सड़क, रेलवे और उपयोगिता परियोजनाएँ।	99.74%

17. इकाई द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएं (इकाई के टर्नओवर का 90% हिस्सा):

क्र. सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल कारोबार का प्रतिशत योगदान
1.	रेलवे और रेल पुलों का निर्माण एवं रखरखाव।	42102	83.83%
2.	मोटरमार्गों, गलियों, सड़कों, अन्य वाहन एवं पैदल मार्गों, राजमार्गों, पुलों, सुरंगों और सबवे का निर्माण एवं रखरखाव।	42101	15.80%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

III. परिचालन

18. उन स्थानों की संख्या जहां इकाई के संयंत्र और/या परिचालन/कार्यालय स्थित हैं

स्थान	प्लांटों की संख्या	कार्यालयों की संख्या	कुल
राष्ट्रीय	लागू नहीं	57	57
अंतरराष्ट्रीय	लागू नहीं	6	6

19. इकाई द्वारा सेवा प्रदान किये जाने वाले बाजार:

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	19 (2UT)
अंतर्राष्ट्रीय (देशों की संख्या)	6

ख. इकाई के कुल कारोबार में निर्यात का योगदान प्रतिशत के रूप में क्या है?

4.81%

ग. ग्राहकों के प्रकारों पर संक्षिप्त जानकारी

इरकॉन ने अपनी स्थापना के बाद से ही परिवर्तनकारी अवसंरचना परिसंपत्तियों के निर्माण में एक अभिन्न भूमिका निभाई है। कंपनी ने कई अग्रणी अवसंरचना परियोजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है, जिससे भारत की आर्थिक वृद्धि में योगदान मिला है और इसकी वैश्विक स्थिति में वृद्धि हुई है। इरकॉन की अधिकांश घरेलू परियोजनाएँ सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिनमें रेल मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय हाई–स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड, भारतीय समर्पित माल गलियारा निगम लिमिटेड, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रेल भूमि विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन आदि शामिल हैं। इसी तरह, अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएँ विदेशी सरकारी प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की जाती हैं, जैसे कि बांग्लादेश रेलवे, श्रीलंका रेलवे, अल्जीरियाई रेलवे, परिवहन मंत्रालय, मलेशिया और विदेश मंत्रालय। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में महत्वपूर्ण और उच्च–मूल्य वाली परियोजनाओं को सुरक्षित करने के लिए इरकॉन प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है।

इरकॉन ने विभिन्न ग्राहकों के लिए 401 से अधिक घरेलू परियोजनाएं और 128 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाएं पूरी की हैं, जिससे ग्राहक संतुष्टि और उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों की समय पर डिलीवरी के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता बनी हुई है। उत्कृष्टता के प्रति यह अटूट समर्पण इरकॉन के संचालन की आधारशिला रहा है।

IV. कर्मचारी

20. वित्तीय वर्ष के अंत तक का विवरण

क. कर्मचारी एवं श्रमिक (दिव्यांगों सहित)

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं (ग)	% (ग/क)
			कर्मचारी			
1.	स्थायी (घ)	861	813	94 %	48	6%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ङ)	340	328	96 %	12	4%
3.	कुल कर्मचारी (घ + ङ)	1201	1141	95 %	60	5%
			श्रमिक			
4.	स्थायी (च)	**लागू नहीं**				
5.	स्थायी के अलावा (छ)					
6.	कुल कर्मचारी (च + छ)					

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

क्र. सं.	विवरण	कुल (क)	पुरुष		महिला	
			सं. (ख)	% (ख/क)	सं (ग)	% (ग/क)
		दिव्यांग कर्मचारी				
1.	स्थायी (घ)	6	6	100%	-	-
2.	स्थायी के अलावा (ङ)	0	0	-	-	-
3.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (घ+ङ)	6	6	100%	-	-
		दिव्यांग श्रमिक				
4.	स्थायी (च)	लागू नहीं				
5.	स्थायी (छ) के अलावा					
6.	कुल दिव्यांग कर्मचारी (च+छ)					

21. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

विवरण	कुल (क)	महिलाओं की संख्या एवं प्रतिशत	
		सं. (ख)	% (ख/ क)
निदेशक मंडल	9	2	22.22%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	2	1	50%

*कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के अंतर्गत आते हैं। निदेशक जो मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक हैं, वे निदेशक मंडल के अंतर्गत आते हैं।

22. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2022–23 (पिछले वित्त वर्ष में टर्नओवर दर)			वित्त वर्ष 2021–22 (पिछले वित्त वर्ष से पहले के वर्ष में टर्नओवर दर)		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल
स्थायी कर्मचारी	5.99%	8.13%	6.10%	8.78%	13.79%	9.06%	7.43%	2.83%	6.84%
स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं								

V. होल्डिंग्स, सहायक कंपनियां और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

23. क. धारक के नाम / सहायक कंपनी / सहयोगी कंपनियां / संयुक्त उद्यम

क्र. सं.	धारक/सहायक कंपनी/एसोसिएट/कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोसिएट/ संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ । में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
3	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
4	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
6	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
7	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
8	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
9	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
10	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनी	100%	हां
11	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनी	76%	हां

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	धारक/सहायक कंपनी/एसोसिएट/कंपनियों/संयुक्त उद्यमों का नाम (क)	बताएं कि क्या होल्डिंग/सहायक कंपनी/एसोसिएट/संयुक्त उद्यम है	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या स्तंभ I में दर्शाई गई इकाई सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी पहल में भाग लेती है? (हां/नहीं)
12	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
13	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
14	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
15	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
16	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
17	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26%	लागू नहीं
18	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50%	लागू नहीं

VI. सीएसआर विवरण

24. (i) क्या सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है: (हां/नहीं)

हां, सीएसआर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड पर लागू होता है

		वित्त वर्ष 2023–24
(ii)	टर्नओवर (₹ में)	11950.40 करोड़
(iii)	निवल संपत्ति (₹ में)	5771.76 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

25. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देशों के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त हुई है	शिकायत निवारण तंत्र लागू (हां/नहीं) (यदि हां, तो शिकायत निवारण नीति के लिए वेब–लिंक प्रदान करें)	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणी
समुदाय	हां. https://pgportal.gov.in/cpgoffice/	117	0	-	32	0	-
निवेशक (शेयरधारकों के अलावा)	-	-	-	-	-	-	-
शेयरधारकों	हां. https://scores.sebi.gov.in	5	0	-	10	0	-
कर्मचारी एवं श्रमिक	हां. https://pgportal.gov.in/cpgoffice/	2	0	-	6	0	-
ग्राहकों	लागू नहीं	शून्य	शून्य	–	शून्य	शून्य	-
वैल्यू चेन पार्टनर्स	हां. https://samadhaan.msme.gov.in/MyMsme/MSEFC/MSEFC_Welcome.aspx	11	0	5 शिकायतें बंद कर दी गई हैं और शेष 6 के लिए जवाब प्रस्तुत कर दिए गए हैं।	2	2	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों का समाधान/निपटान निर्धारित समय के भीतर कर दिया गया है।
अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

26. इकाई के भौतिक जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण मुद्दों का अवलोकन

कृपया पर्यावरणीय और सामाजिक मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण और स्थिरता के मुद्दों को इंगित करें जो आपके व्यवसाय के लिए जोखिम या अवसर प्रस्तुत करते हैं, उन्हें पहचानने का औचित्य, जोखिम को कम करने या अनुकूलित करने के दृष्टिकोण के साथ–साथ इसके वित्तीय निहितार्थ, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार।

क्रम. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
1	जलवायु परिवर्तन और कार्रवाई	जोखिम	**जोखिम:** जलवायु परिवर्तन को एक जोखिम के रूप में पहचाना जाता है क्योंकि चरम मौसम की घटनाओं, समुद्र के स्तर में वृद्धि और रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए खतरों को पेश करने वाले बदलते नियमों की संभावना है, जिससे परिचालन में व्यवधान, वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। लचीलेपन के लिए बुनियादी ढांचे को अनुकूलित करना, सख्त पर्यावरण नीतियों को पूरा करना और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों को संबोधित करना अनिवार्य विचार बन जाते हैं। हितधारकों का दबाव और दीर्घकालिक व्यवहार्यता संबंधी चिंताएँ भी जलवायु से संबंधित जोखिमों को प्रभावी ढंग से स्वीकार करने और प्रबंधित करने की आवश्यकता को बढ़ाती हैं।	ऊर्जा ऑडिट को शामिल करना, ऊर्जा–कुशल प्रौद्योगिकी पर स्विच करना और आवधिक जोखिम आकलन करना।	नकारात्मक निहितार्थ
2	जल प्रबंधन	जोखिम/अवसर	**जोखिम:** हम जल की कमी, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, विनियामक अनुपालन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से उत्पन्न चुनौतियों को पहचानते हैं। **अवसर:** पानी के कुशल उपयोग पर जोर देने से न केवल लागत कम होती है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित होती है। जल–संबंधी विनियमों का पालन करने से सुचारू संचालन सुनिश्चित होता है और किसी भी संभावित दंड या परियोजना में देरी से बचा जा सकता है।	वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा जल का विवेकपूर्ण उपयोग एवं पुनः उपयोग सुनिश्चित करना।	सकारात्मक/नकारात्मक निहितार्थ
3	जल प्रबंधन	जोखिम/अवसर	**जोखिम:** हम कचरे की चुनौतियों का समाधान करने के महत्व को स्वीकार करते हैं, जिसमें उचित निपटान, पुनर्चक्रण और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना शामिल है। प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना न केवल स्थिरता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है, बल्कि हमारे द्वारा संचालित समुदायों के भीतर एक सकारात्मक छवि बनाने में भी योगदान देता है। अपशिष्ट विनियमों का पालन न करने से व्यवधान और प्रतिष्ठा संबंधी जोखिम हो सकते हैं, जो अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देशों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। अवसररू अपशिष्ट प्रबंधन को एक अवसर के रूप में अपनाने से हमें अभिनव समाधान तलाशने, अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और हमारे सतत विकास लक्ष्यों का समर्थन करने की अनुमति मिलती है।	नियमित रिकॉर्ड रखने के साथ एक कुशल अपशिष्ट संग्रहण और निपटान तंत्र को शामिल करना।	सकारात्मक/नकारात्मक निहितार्थ

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्रम. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
4	पर्यावरण प्रबंधन एवं अनुपालन	जोखिम	**जोखिम:** हम गैर–अनुपालन से जुड़े संभावित जोखिमों को पहचानते हैं, जिसमें विनियामक दंड, परियोजना में देरी और प्रतिष्ठा को नुकसान शामिल है। पर्यावरण अनुपालन को प्राथमिकता देकर, हम जिम्मेदार व्यावसायिक प्रथाओं और पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं। पर्यावरण विनियमों का पालन सुनिश्चित करने से न केवल जोखिम कम होता है, बल्कि हितधारकों और समुदायों के साथ हमारे संबंध भी मजबूत होते हैं। अनुपालन मानकों को पूरा करने के लिए सक्रिय उपाय परियोजना निष्पादन और परिचालन निरंतरता को सुचारू बना सकते हैं।	आवश्यकतानुसार सभी प्रतिमाओं का अनुपालन सुनिश्चित करें और उनमें किए गए संबंधित परिवर्तनों के साथ अद्यतन रखें।	नकारात्मक निहितार्थ
5	स्थिरता निर्माण और तकनीकी नवाचार	अवसर	**अवसर:** पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, पर्यावरण के प्रति जागरूक ग्राहक आकर्षित होते हैं और हमारा पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। नवीन तकनीकों को अपनाने से बाजार में दक्षता, संसाधन उपयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होता है।	जहां भी लागू हो, कम करने, पुनः उपयोग करने और पुनर्चक्रण की रणनीतियों को शामिल करना तथा अंतराल को पाटने के लिए कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।	सकारात्मक निहितार्थ
6	स्थिरता आपूर्ति श्रृंखला	अवसर / जोखिम	टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखला इरकॉन के लिए जोखिम और अवसर दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। **जोखिम:** आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और गैर–अनुपालन आपूर्तिकर्ता हमारे संचालन और प्रतिष्ठा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। **अवसर:** टिकाऊ प्रथाओं को अपनाने से हमारे पर्यावरणीय प्रभाव को बढ़ाने, समान विचारधारा वाले ग्राहकों और निवेशकों को आकर्षित करने, नवाचार को बढ़ावा देने और अधिक जिम्मेदार उद्योग में योगदान करने के अवसर मिलते हैं।	माल की सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खरीद सुनिश्चित करना।	सकारात्मक/ नकारात्मक निहितार्थ
7	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	अवसर/ जोखिम	स्वास्थ्य और सुरक्षा इरकॉन के लिए जोखिम और अवसर दोनों हैं। **जोखिम:** इन पहलुओं की उपेक्षा करने से दुर्घटनाएँ, कानूनी दायित्व, देरी और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। **अवसर:** स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, दुर्घटनाओं में कमी आती है, कुशल श्रमिकों को आकर्षित किया जाता है और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित होता है। स्वास्थ्य और सुरक्षा में सक्रिय निवेश हमारे संगठन की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।	सुरक्षा प्रोटोकॉल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करना और आवश्यकतानुसार ISO45001 को अद्यतन करना।	सकारात्मक/ नकारात्मक निहितार्थ

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्रम. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
8	मानवाधिकार, विविधता और समावेशन	जोखिम	**जोखिम:** मानवाधिकार, विविधता और समावेशन यदि उचित तरीके से संबोधित नहीं किए गए तो इरकॉन के लिए संभावित जोखिम हैं। इन सिद्धांतों को बनाए रखने में विफलता से प्रतिष्ठा को नुकसान, कानूनी विवाद, उत्पादकता में कमी और हितधारकों के साथ तनावपूर्ण संबंध हो सकते हैं। मानवाधिकारों, विविधता और समावेशन को सक्रिय रूप से बढ़ावा देने से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, शीर्ष प्रतिभाओं को आकर्षित किया जाता है, नवाचार को बढ़ावा मिलता है और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। इन विचारों को हमारे मूल मूल्यों और संचालन में एकीकृत करने से एक अधिक लचीला और टिकाऊ संगठन बनाने में योगदान मिलता है, जो हमारी दीर्घकालिक सफलता पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।	प्रणाली में मानवाधिकार प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों को शामिल करना। संगठन के भीतर मानवाधिकार मुद्दों के संबंध में मूल्यांकन में सुधार लाने पर काम करना।	नकारात्मक निहितार्थ
9	कर्मचारी सहभागिता एवं कल्याण	अवसर	**अवसर:** कर्मचारी जुड़ाव और कल्याण इरकॉन के लिए मूल्यवान अवसर प्रदान करते हैं। इन पहलुओं को प्राथमिकता देने से प्रेरित और प्रतिबद्ध कार्यबल बनता है, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकता, दक्षता और समग्र सफलता में वृद्धि होती है। कर्मचारी कल्याण का समर्थन करने से सकारात्मक कार्य वातावरण बनता है, टर्नओवर कम होता है और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, जिससे बेहतर प्रदर्शन और सुरक्षा में योगदान मिलता है।	-	सकारात्मक निहितार्थ
10	सामुदायिक विकास	अवसर	**अवसर:** स्थानीय समुदायों के साथ जुड़कर और उनमें निवेश करके, हम मजबूत संबंध बना सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव पैदा कर सकते हैं और सद्भावना को बढ़ावा दे सकते हैं। सामुदायिक जरूरतों और चिंताओं को संबोधित करने के लिए परियोजनाओं को तैयार करना एक जिम्मेदार और समुदाय–दिमाग वाले संगठन के रूप में इरकॉन की प्रतिष्ठा को मजबूत करता है। सामुदायिक विकास पहल से सामाजिक–आर्थिक विकास, सुचारू परियोजना निष्पादन और स्थानीय हितधारकों से समर्थन में वृद्धि होती है।	-	सकारात्मक निहितार्थ

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्रम. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
11	डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा	अवसर	**अवसर:** संवेदनशील डेटा की सुरक्षा को प्राथमिकता देना और मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करना एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और ग्राहकों और हितधारकों के बीच विश्वास पैदा करता है। विनियमों का अनुपालन कानूनी जोखिमों को कम करता है और परिचालन दक्षता में सुधार करता है। डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को अवसर के रूप में अपनाने से हमें नवाचार करने, प्रतिस्पर्धी बने रहने और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त हासिल करने का मौका मिलता है। इन क्षेत्रों में निवेश करना सुरक्षा और विश्वसनीयता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो उद्योग में हमारी दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देता है।	-	सकारात्मक निहितार्थ
12	जोखिम प्रबंधन	जोखिम/ अवसर	जोखिम प्रबंधन आई.आर.सी.ओ.एन. के लिए जोखिम और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। **जोखिम:** अपर्याप्त प्रथाओं से परियोजना में देरी, लागत में वृद्धि और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। हालांकि, सक्रिय और प्रभावी जोखिम प्रबंधन खतरों को कम कर सकता है, अवसरों का लाभ उठा सकता है, निर्णय लेने में सुधार कर सकता है और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है। **अवसर:** हमारे संगठन की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है।	यह सुनिश्चित करना कि जोखिम रजिस्टर नियमित रूप से अद्यतन किया जाए।	सकारात्मक/ नकारात्मक निहितार्थ
13	व्यावसायिक नैतिकता, जवाबदेही और पारदर्शिता	अवसर	**अवसर:** नैतिक प्रथाओं को अपनाने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है, हितधारकों के साथ विश्वास बढ़ता है, और सामाजिक रूप से जागरूक ग्राहक और निवेशक आकर्षित होते हैं। जवाबदेह और पारदर्शी होने से सकारात्मक कार्य वातावरण को बढ़ावा मिलता है, जोखिम प्रबंधन में सुधार होता है, और विनियमों का अनुपालन होता है। हितधारक उन संगठनों को महत्व देते हैं जो इन सिद्धांतों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे दीर्घकालिक संबंध और संभावित व्यावसायिक अवसर बनते हैं।	-	सकारात्मक निहितार्थ

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्रम. सं.	भौतिक समस्या की पहचान की गई	बताएं कि जोखिम या अवसर (आर/ओ)	जोखिम/अवसर की पहचान करने का औचित्य	जोखिम के मामले में, अनुकूलन या शमन का दृष्टिकोण	जोखिम या अवसर के वित्तीय निहितार्थ (सकारात्मक या नकारात्मक निहितार्थ बताएं)
14	आपदा प्रबंधन	जोखिम	**जोखिम:** प्राकृतिक आपदाओं और अप्रत्याशित आपात स्थितियों के संभावित प्रभाव के कारण आपदा प्रबंधन इरकॉन के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम है। अपर्याप्त तैयारी से परियोजना में देरी, वित्तीय नुकसान और प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है। इस जोखिम को संबोधित करने के लिए लचीलापन और आकस्मिक योजना में निवेश करना, बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, निकासी योजनाएँ विकसित करना और नियमित अभ्यास करना शामिल है। सक्रिय आपदा प्रबंधन सुरक्षा सुनिश्चित करता है, परिसंपत्तियों की रक्षा करता है और परिचालन निरंतरता बनाए रखता है, सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है और हमारे संगठन में हितधारकों का विश्वास जगाता है।	संगठनात्मक एसओपी के एक भाग के रूप में आपदा प्रबंधन रणनीति को शामिल करना।	नकारात्मक निहितार्थ
15	निगम से संबंधित शासन प्रणाली	अवसर	**अवसर:** कॉर्पोरेट प्रशासन, कार्यकुशलता में वृद्धि, हितधारकों के साथ विश्वास का निर्माण, अनुपालन सुनिश्चित करने, तथा जवाबदेही और नैतिक व्यवहार की संस्कृति को बढ़ावा देने के माध्यम से, दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता में योगदान देकर, आई.आर.सी.ओ.एन. के लिए अवसर प्रस्तुत करता है।	-	सकारात्मक निहितार्थ

अनुभाग ख

प्रबंधन एवं प्रक्रिया प्रकटीकरण:

इस अनुभाग का उद्देश्य व्यवसायों को एनजीआरबीसी सिद्धांतों और मूल तत्वों को अपनाने के लिए स्थापित संरचनाओं, नीतियों और प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करने में सहायता करना है।

क्र.सं.		प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएँ											
1.	**क.**	**क्या आपकी संस्था की नीति/नीतियाँ एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मुख्य तत्वों को कवर करती हैं। (हाँ/नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	ख.	**क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हाँ/नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
	ग.	**यदि उपलब्ध हो तो नीतियों का वेब लिंक**	**https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en**								
2.		**क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में परिवर्तित किया है। (हाँ / नहीं)**	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3.		**क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला भागीदारों तक विस्तारित हैं? (हां/नहीं)**	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं
4.		**राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों का नाम (जैसे फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल, फेयरट्रेड, रेनफॉरेस्ट एलायंस, ट्रस्टी) मानक (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) जिन्हें आपकी संस्था द्वारा अपनाया गया है और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है**	-	-	ISO:45001: व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली	-	-	ISO:14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियाँ ISO: 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली	-	-	-

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्र.सं.	प्रकटीकरण प्रश्न	पी1 | पी2 | पी3 | पी4 | पी5 | पी6 | पी7 | पी8 | पी9
5.	**इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएँ, लक्ष्य और लक्ष्य, यदि कोई हो, तो परिभाषित समयसीमा के साथ**	इरकॉन एनजीआरबीसी सिद्धांतों से संबंधित विभिन्न प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और लक्ष्य निर्धारित करेगा। कंपनी ने ऊर्जा, सामुदायिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्रों में विभिन्न राष्ट्रीय लक्ष्यों/योजनाओं के लिए प्रयासों को संरेखित किया है। इसके अलावा, इरकॉन गुणवत्ता प्रबंधन, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और श्रमिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में दृढ़ है। हम अपने मौजूदा आईएसओ प्रमाणपत्रों (आईएसओ 9001, आईएसओ 14001, आईएसओ 45001) को संबंधित शासी निकायों द्वारा जारी किए गए किसी भी संशोधन या संशोधन के साथ निरंतर संरेखित करना सुनिश्चित करेंगे। सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति यह प्रतिबद्धता जिम्मेदार निर्माण और विकास में अग्रणी के रूप में इरकॉन की स्थिति को रेखांकित करती है। हमें विश्वास है कि ये पहल हमें निरंतर सफलता की ओर ले जाएंगी और साथ ही एक टिकाऊ भविष्य के लिए सार्थक योगदान देंगी।
6.	**विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और लक्ष्यों के विरुद्ध इकाई का प्रदर्शन, साथ ही यदि वे पूरे नहीं हुए तो कारण।**	
शासन, नेतृत्व और निगरानी		
7.	**व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा वक्तव्य, जिसमें ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण के स्थान के संबंध में लचीलापन है)**	दीर्घकालिक विकास के प्रति दृढ़ समर्पण के साथ, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड सतत विकास के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। हम अपने व्यावसायिक आचरण में उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं और सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन की दिशा में लगातार काम करते हैं। ईएसजी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता इस फोकस को दर्शाती है, जिसमें पर्यावरण चेतना, पारदर्शी शासन, कर्मचारी कल्याण और असाधारण परियोजनाओं की डिलीवरी को प्राथमिकता दी जाती है। हम एक विविध और समावेशी कार्य वातावरण को बढ़ावा देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी आवाज़ों को सुना और महत्व दिया जाए। कॉर्पोरेट प्रशासन और ईएसजी सिद्धांतों के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता हमारे निरंतर विकास, लचीलेपन और एक जिम्मेदार और दूरदर्शी संगठन के रूप में प्रतिष्ठा के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। अपने मूल्यों को अपने कार्यों के साथ जोड़कर, हम इरकॉन के लिए निरंतर सफलता प्राप्त करने और अपने सभी हितधारकों के लिए एक टिकाऊ और समृद्ध भविष्य में योगदान देने में आश्वस्त हैं।
8.	**व्यावसायिक उत्तरदायित्व नीति(यों) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकारी का विवरण।**	निदेशक (कार्य) – श्री पराग वर्मा नोडल अधिकारी – श्री एस.वी. सत्यनारायण राव, महाप्रबंधक (सिविल)
9.	**क्या संस्था के पास स्थिरता से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है? (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें**	हां, इरकॉन कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता समिति के माध्यम से स्थिरता के मुद्दों पर अपने निर्णय लेने को पूरा करता है। 31.03.2024 तक समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं: 1. श्रीमती रंजना उपाध्याय, अध्यक्ष, स्वतंत्र निदेशक 2. श्री धनंजय सिंह, सदस्य, गैर–कार्यकारी निदेशक 3. श्री पराग वर्मा, सदस्य, कार्यकारी निदेशक

10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी की समीक्षा का विवरण:

बताएं कि क्या निदेशक / बोर्ड की समिति / किसी अन्य समिति द्वारा समीक्षा की गई थी

समीक्षा का विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपरोक्त नीतियों के अनुसार निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	हां, समिति/बोर्ड द्वारा।								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
आवृत्ति (वार्षिक/अर्धवार्षिक/त्रैमासिक/कोई अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)									
समीक्षा का विषय	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
उपर्युक्त नीतियों के अनुसार निष्पादन और अनुवर्ती कार्रवाई	जब भी आवश्यकता हो								
सिद्धांतों से संबंधित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, तथा किसी भी गैर–अनुपालन का सुधार	जब भी आवश्यकता हो								

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

11. क्या संस्था ने अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन/आकलन कराया है?

यदि हाँ, तो एजेंसी का नाम बताएँ।	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
	हां, विज़न360 मैनेजमेंट कंसल्टिंग द्वारा।								

12. यदि उपरोक्त प्रश्न (1) का उत्तर ''नहीं'' है, अर्थात सभी सिद्धांत पॉलिसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, तो कारण बताएं:

प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
इकाई अपने व्यवसाय के लिए सिद्धांतों को महत्वपूर्ण नहीं मानती है (हाँ/नहीं)	लागू नहीं								
इकाई अभी उस स्तर पर नहीं है जहां वह निर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने की स्थिति में हो।									
इकाई के पास कार्य के लिए वित्तीय या/या मानव और तकनीकी संसाधन उपलब्ध नहीं हैं।									
इसे अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने की योजना है।									
कोई अन्य कारण (कृपया बताएं)									

अनुभाग ग

सिद्धांतानुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को सिद्धांतों और मुख्य तत्वों को मुख्य प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को ष्आवश्यकष और ष्नेतृत्वष के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आवश्यक संकेतकों को इस रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए अनिवार्य प्रत्येक इकाई द्वारा प्रकट किए जाने की उम्मीद है, नेतृत्व संकेतक उन संस्थाओं द्वारा स्वेच्छा से प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर पर प्रगति की आकांक्षा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ अपना संचालन और संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1 वित्तीय वर्ष में किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवरेज का प्रतिशतरू (केवल इरकॉन के लिए)

खंड	कुल आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों	की संख्या प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
निदेशक मंडल	2	क्षमता निर्माण के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम	22.22%
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	1	नैतिकता और शासन पर व्याख्यान – सतर्कता जागरूकता अभियान	50.00%
निदेशक मंडल और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	26	1. नैतिकता और शासन पर व्याख्यान – सतर्कता जागरूकता अभियान	69.50%
		2. शासन; नेतृत्व और परिवर्तन विषयरू नेतृत्व नैतिकता। मूल्य, पहल, प्रेरणा	
		3. पारदर्शिता के साथ विश्वास को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलनरू मार्ग	
		4. आरटीआई अधिनियम	
		5. आईएसओ और एसएचई प्रबंधन की मूल बातें	
		6. पॉश अधिनियम 2013	
		7. सतर्कता प्रशासन	

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

खंड	कुल आयोजित प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों	की संख्या प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और उनका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा कवर किए गए संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों की आयु का %
		8. लैंगिक समानता और सशक्तिकरण	
		9. क्षमता निर्माण प्रशिक्षण पहल" कार्यक्रम– सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)	
		10. पांचवां सेबी–एनआईएसएम अनुसंधान सम्मेलन जिसका शीर्षक है सतत पूंजी निर्माण – आगे का रास्ता	
		11. हिंदी कार्यशाला	
		12. आधुनिक उपकरण, प्रौद्योगिकी, टिकाऊ सामग्री और नीति दिशानिर्देशों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी	
		13. जीएसटी मामले	
		14. भारतीय राजमार्ग इंजीनियर्स अकादमी (आईएएचई) – राजमार्गों का संचालन, रखरखाव और टोलिंग	
		15. वैश्विक खरीद शिखर सम्मेलन (जीपीएस) 2024	
		16. रेलवे के डिजिटल परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय रेलवे सम्मेलन और प्रदर्शनी	
		17. बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में ढलान स्थिरीकरण चुनौतियों पर राष्ट्रीय कार्यशाला	
		18. साइबर सुरक्षा जागरूकता/रेड टीमिंग	
		19. सुरंग निर्माण पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी	
		20. अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता पर विशेष ध्यान देने के साथ मध्यस्थता और एडीआर	
		21. आईपीडब्ल्यूई की अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी संगोष्ठी	
		22. परियोजना और इंजीनियरिंग के प्रबंधन पर कक्षा प्रशिक्षण सत्र बीमा–अंडरराइटिंग और दावे (सीटी–एमपी एंड ईआई)	
		23. मूल्य–संवर्द्धन निर्णयों के लिए रणनीतिक वित्तीय विश्लेषण पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम	
		24. पीएसयू में उत्कृष्टता के लिए मानव संसाधन दक्षताओं का विकास	
श्रमिक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. **वित्तीय वर्ष में विनियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं के साथ कार्यवाही (इकाई या निदेशकों/केएमपी द्वारा) में भुगतान किए गए जुर्माने/दंड/दंड/पुरस्कार/शमन शुल्क/निपटान राशि का विवरण, निम्नलिखित प्रारूप में।**

(नोट: इकाई सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण दायित्व) विनियम, 2015 के विनियम 30 में निर्दिष्ट और इकाई की वेबसाइट पर बताए अनुसार भौतिकता के आधार पर प्रकटीकरण करेगी):

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

मुद्रा					
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम	राशि (भारतीय रुपये में)	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)
जुर्माना/जुर्माना	शून्य				
निपटान					
कंपाउंडिंग शुल्क					

गैर–मौद्रिक				
	एनजीआरबीसी सिद्धांत	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम मामले का संक्षिप्त विवरण	मामले का संक्षिप्त विवरण	क्या कोई अपील की गई है? (हाँ/नहीं)
कारावास		शून्य		
सज़ा				

3. **उपरोक्त प्रश्न 2 में उजागर किए गए मामलों में, उन मामलों में प्रस्तुत अपील/संशोधन का विवरण जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई के लिए अपील की गई है।**

केस विवरण	नियामक/प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं का नाम
शून्य	

4. **क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हाँ, तो संक्षिप्त विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें**

इरकॉन केंद्रीय सतर्कता मैनुअल का पालन करता है, जो एक व्यापक गाइड है जो भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी से निपटने के लिए सिद्धांत, प्रक्रियाएँ और सर्वोत्तम अभ्यास प्रदान करता है। यह इरकॉन के लिए एक मूल्यवान संसाधन के रूप में कार्य करता है, जिसमें भ्रष्टाचार को रोकने, जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के उपायों की रूपरेखा दी गई है। मैनुअल पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही पर जोर देता है, और भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को लागू करने के बारे में मार्गदर्शन करता है। यह खरीद और वित्तीय प्रबंधन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के जोखिमों को संबोधित करता है। मैनुअल का पालन करके, इरकॉन का लक्ष्य एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी ढांचा स्थापित करना, जनता का विश्वास बनाना और संगठन के भीतर ईमानदारी की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इसके अलावा, कंपनी के पास इरकॉन के कर्मचारियों के साथ–साथ विक्रेताओं, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों, सलाहकारों, सेवा प्रदाताओं या इरकॉन के साथ किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने वाली किसी भी बाहरी एजेंसी/एजेंसियों के प्रतिनिधियों से जुड़ी किसी भी धोखाधड़ी या संदिग्ध धोखाधड़ी के लिए धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने की नीति भी है और कर्मचारियों के लिए संगठन के भीतर किसी भी नैतिक मुद्दे को उठाने के लिए एक व्हिसलब्लोअर नीति भी है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन तथा पूर्णकालिक निदेशकों के लिए आचार संहिता अपनाई है। फिलहाल, इरकॉन नैतिक प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और बढ़ाने के लिए रिश्वत विरोधी नीति के कार्यान्वयन पर विचार कर रहा है।

इरकॉन, एक सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम होने के नाते, सेबी विनियमों, कंपनी अधिनियम, सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) दिशानिर्देशों और भारत सरकार की अन्य नीतियों के तहत अनिवार्य नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही नीतियों के साथ खुद को संचालित और संचालित करता है, जो समय–समय पर लागू होती हैं। ये सभी नीतियां कंपनी और उसके कर्मचारियों को कवर करती हैं और प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से इसकी सहायक कंपनी कंपनियों तक विस्तारित होती हैं। संयुक्त उद्यम कंपनियों के अपने सिद्धांत और प्रक्रियाएं हैं, जो मोटे तौर पर सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं।

वेब लिंक: CVM - https://portal.cvc.gov.in

धोखाधड़ी रोकथाम और पता लगाने की नीति: https://ircon.org/images/file/cosecy/FPDC%20Policy%20CMD.pdf

व्हिसल ब्लोअर नीति: https://ircon.org/images/file/cosecy/Whistle-Blower-Policy.pdf

5. **निदेशकों/केएमपी/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके विरुद्ध रिश्वतखोरी/भ्रष्टाचार के आरोप में किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई।**

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
निदेशक	शून्य	शून्य
केएमपी	शून्य	शून्य
कर्मचारी	2	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

6. **हितों के टकराव से संबंधित शिकायतों का विवरण**

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)		वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या				

7. **भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थाओं द्वारा जुर्माना/दंड/कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

लागू नहीं

8. **देय खातों के दिनों की संख्या (देय खाते '365)/खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं की लागत) निम्नलिखित प्रारूप में:**

	वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
देय खातों के दिनों की संख्या	30	39

9. **व्यापार का खुलापन:**

व्यापारिक घरानों, डीलरों और संबंधित पक्षों के साथ खरीद और बिक्री के संकेन्द्रण का विवरण, साथ ही संबंधित पक्षों के साथ ऋण और अग्रिम तथा निवेश का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	मेट्रिक्स		वित्त वर्ष 2023–24 (चालू वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
खरीद का संकेन्द्रण	क.	कुल खरीद के % के रूप में व्यापारिक घरानों से खरीद	-	-
	ख.	व्यापारिक घरानों की संख्या जहां से खरीदारी की जाती है	-	-
	ग.	शीर्ष 10 व्यापारिक घरानों से खरीद % के रूप में कुल व्यापारिक घरानों से खरीद	-	-
बिक्री का संकेन्द्रण	क.	डीलरों/वितरक को कुल बिक्री का %	-	-
	ख.	डीलरों/वितरक की संख्या जिनको बिक्री की जाती है	-	-
	ग.	शीर्ष 10 डीलरों/वितरक को बिक्री कुल डीलरों/वितरक को बिक्री के % के रूप में	-	-
आरपीटी का हिस्सा	क.	खरीद (संबंधित पक्षों के साथ खरीद/ कुल खरीद)	0.087%	-
	ख.	बिक्री (संबंधित पक्षों को बिक्री/ कुल बिक्री)	83.13%	-
	ग.	ऋण एवं अग्रिम (संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम/कुल ऋण एवं अग्रिम)	-	-
	घ.	निवेश (संबंधित पक्षों में निवेश/ कुल किए गए निवेश)	29.720%	

नेतृत्व संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर मूल्य श्रृंखला भागीदारों के लिए आयोजित जागरूकता कार्यक्रम:

कुल आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/ सिद्धांत	जागरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत कवर किए गए मूल्य श्रृंखला साझेदारों का प्रतिशत (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए कारोबार के मूल्य के अनुसार)।
1) राष्ट्रीय स्तर का विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम	इरकॉन की खरीद नीति और इरकॉन में एमएसई के लिए व्यावसायिक अवसर।	50%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

2. क्या संस्था के पास बोर्ड के सदस्यों से जुड़े हितों के टकराव से बचने/प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं हैं? (हां/नहीं)। यदि हां, तो उसका विवरण प्रदान करें।

   –

सिद्धांत 2: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं को ऐसे तरीके से उपलब्ध कराना चाहिए जो टिकाऊ और सुरक्षित हो।

आवश्यक संकेतक

1. उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को बेहतर बनाने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत क्रमशः इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश।

	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23	पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कैपेक्स	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

2. क. क्या संस्था के पास स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं मौजूद हैं? (हां/नहीं)

   नही

   ख. यदि हाँ, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए?

   लागू नहीं

3. अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और जीवन के अंत में निपटान के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने के लिए मौजूद प्रक्रियाओं का वर्णन करें, (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट।

क) प्लास्टिक अपशिष्ट	लागू नहीं
ख) ई– अपशिष्ट	लागू नहीं
ग) खतरनाक अपशिष्ट	लागू नहीं
घ) अन्य अपशिष्ट	लागू नहीं

4. क्या विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू है (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो क्या अपशिष्ट संग्रह योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसे संबोधित करने के लिए उठाए गए कदम बताएँ।

   लागू नहीं

सिद्धांत 3: व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखलाओं में शामिल सभी कर्मचारियों सहित सभी के कल्याण का सम्मान करना चाहिए और उसे बढ़ावा देना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों के कल्याण हेतु उपायों का विवरणरू

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		सं. (ख) %	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ङ)	% (ङ/क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी कर्मचारी											
पुरुष	813	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	813	100%	शून्य	शून्य
महिला	48	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
कुल	861	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	48	0.05%	813	94.42%	शून्य	शून्य
स्थायी कर्मचारियों के अलावा											
पुरुष	296	296	100%	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	32	10.81%	शून्य	शून्य
महिला	12	12	100%	शून्य	शून्य	12	100%	लागू नहीं	लागू नहीं	शून्य	शून्य
कुल	308	308	100%	शून्य	शून्य	12	0.03%	32	10.38%	शून्य	शून्य

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

ख. श्रमिकों के कल्याण के लिए उपायों का विवरण

श्रेणी	इसके अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का %										
	कुल (क)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डेकेयर सुविधाएं	
		सं. (ख) %	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)	सं. (घ)	% (घ/क)	सं. (ङ)	% (ङ/क)	सं. (च)	% (च/क)
स्थायी श्रमिक											
पुरुष											
महिला	लागू नहीं										
कुल											

स्थायी कर्मचारियों के अलावा अन्य

पुरुष	
महिला	लागू नहीं
कुल	

ग. कर्मचारियों और श्रमिकों (स्थायी और गैर–स्थायी सहित) के कल्याण हेतु उपायों पर निम्नलिखित प्रारूप में व्यय –

	वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कंपनी के कुल राजस्व के प्रतिशत के रूप में कल्याणकारी उपायों पर व्यय	2.40%	1.06%

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई	कुल कर्मचारियों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए कर्मचारियों की संख्या	कुल श्रमिकों के प्रतिशत के रूप में कवर किए गए श्रमिकों की संख्या	कटौती की गई और प्राधिकरण के पास जमा कर दी गई (वाई/ एन/ एन.ए.)
पीएफ	100%	लागू नहीं	हा	100%	लागू नहीं	हा
ग्रेच्युटी	100%	लागू नहीं	हा	100%	लागू नहीं	हां
ईएसआई	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्यरू एनपीएस	100%	लागू नहीं	हा	100%	लागू नहीं	हां

3. कार्यस्थलों की पहुंच

क्या संस्था के परिसर/कार्यालय दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभ हैं? यदि नहीं, तो क्या संस्था द्वारा इस संबंध में कोई कदम उठाए जा रहे हैं।

इरकॉन अपने कार्यालय परिसर को इस तरह से डिजाइन करके विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जो विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देता है। कंपनी ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न सुविधाएँ लागू की हैं। निम्नलिखित उल्लेखनीय विशेषताएँ हैं:

1. सेंसर युक्त स्वचालित दरवाजे: इरकॉन ने सेंसर युक्त स्वचालित दरवाजे लगाए हैं, जिससे गतिशीलता संबंधी चुनौतियों वाले व्यक्तियों के लिए आसान पहुँच की सुविधा मिलती है। ये दरवाजे किसी व्यक्ति की उपस्थिति से स्वचालित रूप से खुल जाते हैं, जिससे सुविधा और सुगम प्रवेश सुनिश्चित होता है।
2. लिफ्ट सुविधाएं: ऊर्ध्वाधर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, इरकॉन ने लिफ्टें स्थापित की हैं जो पहुंच मानकों का पालन करती हैं। ये लिफ्टें गतिशीलता की सीमाओं वाले कर्मचारियों और श्रमिकों को कार्यालय भवन की विभिन्न मंजिलों तक आसानी से पहुंचने में सक्षम बनाती हैं, जिससे आवागमन में आसानी और सुविधा को बढ़ावा मिलता है।
3. व्हीलचेयर का प्रावधान: इरकॉन उन कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए व्हीलचेयर प्रदान करता है जिन्हें चलने–फिरने में दिक्कत होती है। ये व्हीलचेयर कार्यालय परिसर में उपलब्ध हैं और इनका उपयोग वे व्यक्ति कर सकते हैं जिन्हें कार्यस्थल पर आराम से घूमने–फिरने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। यह प्रावधान समावेशिता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि गतिशीलता संबंधी सीमाओं वाले कर्मचारी कार्यालय के माहौल में आसानी से घूम सकें। कर्मचारी की आवश्यकताओं के अनुसार परिसर में संपर्क अधिकारी का प्रावधान किया गया है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

4. क्या संस्था के पास दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार समान अवसर नीति है? यदि हाँ, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

हां, इरकॉन के पास विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार एक विशिष्ट समान अवसर नीति है।

नीति यह सुनिश्चित करती है कि सभी कर्मचारियों को, चाहे उनकी जाति, लिंग, आयु, विकलांगता, धर्म या कोई अन्य संरक्षित विशेषता कुछ भी हो, रोजगार के अवसरों, लाभों और उन्नति तक समान पहुँच प्राप्त हो। नीति रोजगार के सभी पहलुओं, जिसमें भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति, मुआवज़ा और बर्खास्तगी शामिल है, में किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न या पक्षपात को प्रतिबंधित करती है। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप नीति विकलांग कर्मचारियों के लिए समायोजन को शामिल करती है, यह सुनिश्चित करती है कि उन्हें नौकरी के अवसरों और अपनी भूमिकाओं को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक सहायता तक समान पहुँच प्राप्त हो।

इसके अलावा, नीति में संगठन के भीतर विकलांग व्यक्तियों के साथ होने वाले भेदभाव के किसी भी मामले को संबोधित करने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र शामिल किया गया है।

वेब लिंक - https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en

5. स्थायी कर्मचारियों और पैतृक अवकाश लेने वाले श्रमिकों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी		स्थायी श्रमिक	
	काम पर वापसी दर	अवधारण दर	काम पर वापसी दर	अवधारण दर
पुरुष	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
महिला	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100%	100%	लागू नहीं	लागू नहीं

6. क्या निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए शिकायतें प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें। हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें)

हाँ/नहीं (यदि हाँ, तो संक्षेप में तंत्र का विवरण दें)

स्थायी श्रमिक	लागू नहीं
स्थायी श्रमिकों के अलावा	लागू नहीं
स्थायी कर्मचारी	हां, संगठन कर्मचारियों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सीपीग्राम्स का उपयोग करता है। सीपीग्राम्स जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, कर्मचारियों की शिकायतों को तुरंत संबोधित करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।
स्थायी कर्मचारियों के अलावा	हां, संगठन कर्मचारियों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सीपीग्राम्स का उपयोग करता है। सीपीग्राम्स जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, कर्मचारियों की शिकायतों को तुरंत संबोधित करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघों या यूनियनों में कर्मचारियों और श्रमिकों की सदस्यता

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
	संबंधित श्रेणी (क) में कुल कर्मचारी/श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन(एसोसिएशनों) या यूनियन (ख) का हिस्सा हैं	% (घ/ग)	संबंधित श्रेणी (ग) में कुल कर्मचारी / श्रमिक	संबंधित श्रेणी में कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या, जो एसोसिएशन(एसोसिएशनों) या यूनियन (डी) का हिस्सा हैं	% (घ/ग)
कुल स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं					
महिला						
पुरुष						
कुल स्थायी श्रमिक						
महिला						
पुरुष						

8. कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24					वित्त वर्ष 2022–23				
	कुल (क)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर		कुल (घ)	स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
महिला	813	63	7.75%	119	14.63%	1279	18	1.40%	35	2.73%
पुरुष	48	12	25.00%	26	54.16%	65	0	0%	2	3.07%
कुल	861	75	8.71%	145	16.84%	1344	18	1.33%	37	2.75%
श्रमिक										
महिला	लागू नहीं									
पुरुष										
कुल										

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और कैरियर विकास समीक्षा का विवरण

श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	कुल (क)	सं. (ख)	% (ख/क)	कुल (ग)	सं. (घ)	% (घ/ग)
कर्मचारी						
महिला	813	811	99.75%	1279	881	68.88%
पुरुष	48	48	100.00%	65	51	78.46%
कुल	861	859	99.76%	1344	932	69.34%
श्रमिक						
महिला	लागू नहीं					
पुरुष						
कुल						

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, तो ऐसी प्रणाली का कवरेज क्या है?

हां, इरकॉन ने ISO 45001–2018 के अनुसार एक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएंडएस) प्रबंधन प्रणाली स्थापित और कार्यान्वित की है। संगठन ने आवश्यक प्रक्रियाओं और पूरे संगठन में उनके अनुप्रयोग को निर्धारित किया है। इसमें प्रत्येक प्रक्रिया

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

के इनपुट और आउटपुट की पहचान करना, साथ ही उनके संबंधों को दर्शाने के लिए एक अंतर–संबंध मैट्रिक्स बनाना शामिल है। प्रक्रियाओं का क्रम और अंतः क्रिया निर्धारित की गई है, और प्रभावी संचालन और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, माप और प्रदर्शन संकेतकों सहित मानदंड और विधियाँ लागू की गई हैं। प्रक्रियाओं के लिए संसाधन आवंटित और उपलब्ध कराए गए हैं, और तदनुसार जिम्मेदारियाँ और अधिकार सौंपे गए हैं। जोखिमों और अवसरों को संबोधित किया गया है, और प्रक्रियाओं का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उनके इच्छित परिणाम प्राप्त करने के लिए सुधार किया जाता है। इरकॉन प्रक्रिया संचालन का समर्थन करने के लिए प्रलेखित जानकारी रखता है और नियोजित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेज़ीकरण बनाए रखता है।

ख. कार्य–संबंधी खतरों की पहचान करने तथा संस्था द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आकलन करने के लिए कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं?

इरकॉन ने अपने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मैनुअल के माध्यम से पहलुओं/खतरों की पहचान और आकलन के लिए एक प्रक्रिया स्थापित की है, जिसमें उनके महत्व के आधार पर एक आकलन तंत्र है। परियोजना निष्पादन के प्रारंभिक चरण के दौरान, प्रमुख खतरों की पहचान की जाती है, उन्हें सारणीबद्ध किया जाता है, और निर्माण टीम को सूचित किया जाता है। प्रारंभिक समीक्षा और समूह जोखिम मूल्यांकन के आधार पर सभी पहलुओं और ओएचएंडएस खतरों की एक व्यापक सूची की समय–समय पर समीक्षा और अद्यतन किया जाता है। निर्माण और खतरनाक सामग्रियों, संयंत्र और मशीनरी गतिविधियों, निर्माण गतिविधियों और संबंधित मानक संचालन प्रक्रियाओं और बुनियादी ढाँचा सुविधाओं के भंडारण, हैंडलिंग और निपटान सहित कई कारकों को संबोधित किया जाता है। ओएचएंडएस जोखिम मूल्यांकन के लिए, कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा पर महत्वपूर्ण प्रभाव वाले पहलुओं, जैसे कि भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों की पहचान की जाती है। संभाव्यता और गंभीरता कारकों का उपयोग मूल्यांकन को रेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें संभाव्यता के लिए ''हमेशा'' से लेकर ''कभी नहीं'' तक का पैमाना होता है और गंभीरता के लिए ''अस्पताल में भर्ती या मृत्यु के साथ स्थायी/आंशिक विकलांगता'' से लेकर ''कोई नुकसान नहीं'' तक होता है। जोखिम रेटिंग संभाव्यता और गंभीरता कारकों को एक साथ गुणा करके निर्धारित की जाती है। यदि जोखिम रेटिंग 3 या उससे अधिक है, तो इसे असहनीय माना जाता है, और नियंत्रण उपायों को विकसित और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। ओएचएंडएस जोखिम स्तरों को विशिष्ट मानदंडों के आधार पर चरम, उच्च, मध्यम, निम्न और तुच्छ के रूप में परिभाषित किया गया है।

ग. क्या आपके पास श्रमिकों के लिए कार्य–संबंधी खतरों की रिपोर्ट करने तथा ऐसे जोखिमों से खुद को दूर रखने की प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, किसी घटना या दुर्घटना के बाद, स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रभारी व्यक्ति (पीएच/एसओ) उप–ठेकेदार के सुरक्षा अधिकारी और अन्य साइट कर्मचारियों के साथ मिलकर घटना/दुर्घटना के कारणों का पता लगाने और उचित उपचारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए जांच शुरू करेंगे। घटना/दुर्घटना रिपोर्ट फॉर्म भरा जाएगा, और पीएच/एसओ उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों की पहचान करेगा। इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारी सुरक्षा समिति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और परियोजना गुणवत्ता परिषद की बैठक के दौरान भी इसे साझा करेगा।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है?

हां, इरकॉन यह सुनिश्चित करता है कि उसके कर्मचारियों को गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच प्राप्त हो। कंपनी स्थायी और गैर–स्थायी दोनों कर्मचारियों को कई तरह के लाभ प्रदान करती है, जिसमें आउटडोर और इनडोर उपचार प्रतिपूर्ति, चिकित्सा अग्रिमों के लिए मंजूरी, एम्बुलेंस शुल्क और अन्य पूर्ण स्वास्थ्य जांच लाभ शामिल हैं। इसके अलावा इरकॉन ने एक मेडिकल ट्रस्ट स्थापित किया है जो विभिन्न परिस्थितियों में कर्मचारियों को सहायता प्रदान करता है।

11. सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
खोया हुआ समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर) (प्रति दस लाख व्यक्ति घंटे काम किया)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	शून्य	शून्य
रिकॉर्ड करने योग्य कार्य–संबंधी चोटों की कुल संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	शून्य	शून्य
मृत्यु की संख्या	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	शून्य	शून्य
उच्च परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	शून्य	शून्य
	कर्मचारी	शून्य	शून्य

*इरकॉन के पास कोई भी कर्मचारी पे–रोल पर नहीं है, हमारे पास केवल ठेकेदारों के माध्यम से कर्मचारी हैं।

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा उठाए गए उपायों का वर्णन करें।

इरकॉन एक सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय करता है। कंपनी नियमित रूप से खतरों की पहचान और जोखिम आकलन करती है, जिसमें विभिन्न परिदृश्यों के लिए सुरक्षा अभ्यास शामिल हैं। कर्मचारियों और श्रमिकों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए परियोजना स्थलों पर कड़े सुरक्षा उपाय किए गए हैं। इसमें सुरक्षा मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) और व्यापक प्रशिक्षण

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शामिल है। कर्मियों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए निर्धारित अंतराल पर नियमित प्री–मेडिकल जांच की जाती है। औद्योगिक सुरक्षा पदानुक्रम के सिद्धांतों का पालन करते हुए, परियोजना जोखिम शमन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर देती है। पदानुक्रम में उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण और प्रशासनिक नियंत्रण के चरण शामिल हैं। जब भी संभव हो, खतरों को पहले समाप्त किया जाता है, उसके बाद खतरनाक तत्वों को सुरक्षित विकल्पों से प्रतिस्थापित किया जाता है। सुरक्षित कार्य वातावरण को डिजाइन करने के लिए इंजीनियरिंग नियंत्रण लागू किए जाते हैं, जबकि प्रशासनिक नियंत्रण जोखिमों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए प्रक्रियाएं और दिशानिर्देश स्थापित करते हैं। अंत में, जब आवश्यक हो, तो कार्यकर्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित पीपीई प्रदान किया जाता है। इस सुरक्षा पदानुक्रम के लगातार अनुप्रयोग के माध्यम से, परियोजना संभावित खतरों की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने का प्रयास करती है, जिससे परियोजना स्थल पर सुरक्षा और जिम्मेदारी की संस्कृति को बढ़ावा मिलता है।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या

	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
कार्य स्थितियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
स्वास्थ्य एवं सुरक्षा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

14. वर्ष के लिए मूल्यांकन

आपके संयंत्रों और कार्यालयों का : जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)

स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	90%
कार्य स्थितियां	90%

15. सुरक्षा संबंधी घटनाओं (यदि कोई हो) को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें तथा स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं का विवरण प्रदान करें।

सुरक्षा से संबंधित घटनाओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है:

क) परियोजना स्थल पर पाइल के प्रत्येक लाइनर ड्राइविंग के आसपास स्टेजिंग को अपनाना और लागू करना – जिसके परिणामस्वरूप पाइलिंग कार्य के दौरान किसी भी कामगार के गिरने की संभावना नहीं है।

ख) ''क्राउन एंकर रिएक्शन विधि'' का उपयोग करके पाइल लोड परीक्षण जो पाइल परीक्षण के निष्पादन के दौरान निकट चूक की संभावना को कम करता है।

ग) ढलान स्थिरीकरण और सुरक्षा, कामगारों और मशीनरी की आवाजाही के दौरान निष्पादन क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाती है। इससे मृत्यु की संभावना कम करने और सुरक्षित कार्य समय में मदद मिलती है।

घ) गिट्टी की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सेंसर बेस वैगन का उपयोग।

ङ) प्रशिक्षण और योग्यता मानचित्रण/प्रशंसा के माध्यम से जागरूकता।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है?

   (क) कर्मचारी – हां

   (ख) श्रमिक – हां

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि मूल्य श्रृंखला भागीदारों द्वारा वैधानिक बकाया राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों के बारे में बताएं।

3. ऐसे कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या बताएं, जिन्होंने गंभीर परिणाम वाली कार्य–संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 11 में बताया गया है) झेली है, जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है:

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

	कुल प्रभावित कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिन्हें पुनर्वासित किया गया है और उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्त वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कर्मचारी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
श्रमिक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4. क्या संस्था निरंतर रोजगार की सुविधा और सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कैरियर समाप्ति के प्रबंधन के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हाँ/नहीं)

नहीं, इरकॉन के पास वर्तमान में कोई निर्दिष्ट संक्रमण सहायता कार्यक्रम नहीं है।

5. मूल्य श्रृंखला भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

मूल्य शृंखला साझेदारों का % (ऐसे साझेदारों के साथ किए गए व्यवसाय के मूल्य के अनुसार) जिनका मूल्यांकन किया गया

स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	90%
कार्य स्थितियां	90%

6.	**मूल्य श्रृंखला भागीदारों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रथाओं और कार्य स्थितियों के आकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

इरकॉन के लिए प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान करने की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। शुरुआत में, इसमें उद्योग के भीतर इरकॉन के उद्देश्य और भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना शामिल है। इसके बाद, आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों की पहचान की जाती है, उनके संबंधित हितों और चिंताओं को ध्यान में रखते हुए।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सूचीबद्ध ईपीसी ठेकेदार के रूप में, कई प्रमुख हितधारक समूह हैं जिन पर विचार किया जाता है, इनमें निवेशक और शेयरधारक, कर्मचारी और श्रमिक, ग्राहक या नियोक्ता, विक्रेता, उप–ठेकेदार, सलाहकार, समुदाय और बुनियादी ढांचे के अंतिम उपयोगकर्ता शामिल हैं। ग्राहक/नियोक्ता का चयन आम तौर पर कंपनी के व्यावसायिक हितों पर आधारित होता है। विक्रेताओं, उप–ठेकेदारों और सलाहकारों की पहचान की जाती है और उन्हें परियोजना की आवश्यकताओं और अनुबंध की शर्तों के अनुसार चुना जाता है। बुनियादी ढांचे की सुविधा के अंतिम उपयोगकर्ताओं की जिम्मेदारी आम तौर पर ग्राहक/नियोक्ता के पास होती है, जब तक कि अनुबंध के प्रावधान ईपीसी ठेकेदार की भागीदारी की अनुमति न दें। निवेशक, शेयरधारक, कर्मचारी और श्रमिक इकाई के अभिन्न अंग हैं।

इरकॉन हितधारकों को सफलतापूर्वक समझ सकता है और उनसे जुड़ सकता है, उनकी ज़रूरतों और चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, और हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया के माध्यम से सकारात्मक संबंध विकसित कर सकता है। ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण इरकॉन को परियोजना निष्पादन को अनुकूलित करने, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाने, सरकारी एजेंसियों के साथ प्रभावी ढंग से सहयोग करने और अपने शेयरधारकों और अन्य हितधारकों के लिए मूल्य उत्पन्न करने में सक्षम बनाता है, जिससे समग्र रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।

अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति भी बताएं।

2. अपनी इकाई के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले हितधारक समूहों की सूची बनाएं और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ सहभागिता की आवृत्ति भी बताएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है?	संचार के चौनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक /अर्धवार्षिक /त्रैमासिक /अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
शेयर धारक	नहीं	• वार्षिक रिपोर्ट • विज्ञप्तियाँ और शेयरधारक बैठकें • स्टॉक एक्सचेंज सूचनाएँ • निवेशक बैठकें। • ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, डाक सेवाएँ और वेबसाइट।	वार्षिक, आवधिक, त्रैमासिक	इसका फोकस शेयरधारकों की संपत्ति बनाने पर है। मुख्य विषय: i) वित्तीय प्रदर्शन ii) लाभांश का भुगतान iii) व्यावसायिक प्रदर्शन iv) कॉर्पोरेट प्रशासन

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

हितधारक समूह	क्या कमजोर एवं हाशिए पर पड़े समूह के रूप में पहचाना गया है?	संचार के चैनल (ईमेल, एसएमएस, समाचार पत्र, पर्चे, विज्ञापन, सामुदायिक बैठकें, नोटिस बोर्ड, वेबसाइट), अन्य	संलग्नता की आवृत्ति (वार्षिक /अर्धवार्षिक /त्रैमासिक /अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें)	सहभागिता का उद्देश्य और दायरा, जिसमें सहभागिता के दौरान उठाए गए प्रमुख विषय और चिंताएं शामिल हैं
कर्मचारी	नहीं	• आंतरिक मानव संसाधन • संचार, वेब पोर्टल, परिपत्र और कार्यालय आदेश • बैठकें, ईमेल, कॉल, नोटिस बोर्ड • प्रशिक्षण और मूल्यांकन • सांस्कृतिक कार्यक्रम	नियमित रूप से	मुख्य विषय: i) सूचना ii) कार्यक्रम, iii) प्रशिक्षण, iv) व्यावसायिक में गतिविधियाँ
विक्रेता / ठेकेदार	नहीं	• बैठकें • खरीद पोर्टल • ईमेल	जब भी आवश्यकता हो	-
ग्राहक	नहीं	• बैठकें • खरीद पोर्टल • ईमेल	आवश्यकता आधारित	व्यावसायिक गतिविधियाँ
समुदाय	हां	• ऑनसाइट सामुदायिक बैठकें • स्थानीय अभियान	आवश्यकता आधारित	लेखापरीक्षा, फीडबैक

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानव अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें मानवाधिकार मुद्दों और संस्था की नीतियों पर प्रशिक्षण दिया गया है**

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023–24			वित्तीय वर्ष 2022–23		
	कुल (क)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (ख)	(क / ख) %	कुल (ग)	कवर किए गए कर्मचारियों / श्रमिकों की संख्या (घ)	(घ / ग)
कर्मचारी						
स्थायी	861	861	100%	932	107	11.48%
स्थायी के अलावा अन्य	340	340	100%	412	2	0.49%
कुल कर्मचारी	1201	1201	100%	1344	109	8.11%
श्रमिक						
स्थायी	लागू नहीं					
स्थायी के अलावा अन्य						
कुल कर्मचारी						

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए जाने वाले न्यूनतम वेतन का विवरण

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2023–24					वित्तीय वर्ष 2022–23				
	कुल (क)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (घ)	वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		सं. (ख)	% (ख/क)	सं. (ग)	% (ग/क)		सं. (ङ)	% (ङ/घ)	सं. (च)	% (च/घ)
कर्मचारी										
स्थायी										
पुरुष	**813**	-	-	**813**	**100%**	**881**	-	-	**881**	**100%**
महिला	**48**	-	-	**48**	**100%**	**51**	-	-	**51**	**100%**
स्थायी के अलावा										
पुरुष	328	-	-	328	100%	412	-	-	412	100%
महिला	12	-	-	12	100%	14	-	-	14	100%
श्रमिक										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										
स्थायी के अलावा										
पुरुष	लागू नहीं									
महिला										

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण

क. औसत पारिश्रमिक/मजदूरी

	पुरुष		महिला	
	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक /वेतन/मजदूरी	संख्या	संबंधित श्रेणी का औसत पारिश्रमिक
निदेशक मंडल (बीओडी)*	2	4012000	1	5860908
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक*	1	4475354	1	1364469
बीओडी और केएमपी के अलावा अन्य कर्मचारी	796	1765081	46	1741040
कार्यकर्ता	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

नोट:

1. केएमपी में सीएस और सीएफओ (ईडी/वित्त) शामिल हैं।
2. बीओडी में 31.03.2024 तक केवल सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशक शामिल हैं।
3. माध्यिका की परिभाषारू गणित में, माध्यिका को संख्याओं की क्रमबद्ध सूची के मध्य मान के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसलिए कर्मचारी के वेतन को आरोही क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है और माध्य वेतन राशि की गणना की जाती है।

ख. निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा भुगतान की गई कुल मजदूरी के प्रतिशत के रूप में कर्मचारियों को भुगतान की गई सकल मजदूरीरू

	वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल मजदूरी के % के रूप में महिलाओं को दिया गया सकल वेतन	5.00%	4.76%

4. क्या आपके पास कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है जो व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार है? (हाँ/नहीं)

हां

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्र का वर्णन करें।

इरकॉन मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए सीपीग्राम्स का उपयोग करता है। सीपीग्राम्स, जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक/संगठनात्मक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से शासन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

करता है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, शिकायतों को तुरंत संबोधित करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं।

6. **कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या:**

	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान दायर	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
यौन उत्पीड़न	शून्य	शून्य	-	1	0	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
बाल श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मजदूरी	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे	शून्य	शून्य	-	शून्य	शून्य	-

7. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रारूप में दर्ज शिकायतें:**

	वित्त वर्ष 2023–24 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)	वित्त वर्ष 2022–23 (पिछला वित्तीय वर्ष)
कुल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (पीओएसएच) के अंतर्गत दर्ज शिकायतें	शून्य	1
पोश पर शिकायतें यौन उत्पीड़न के शिकार कर्मचारियों/श्रमिकों का प्रतिशत	शून्य	1.54%
पोश पर शिकायतें बरकरार रखी गईं	शून्य	0

8. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतों के प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए तंत्र।**

भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं के लिए प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए, इरकॉन पॉश नीति का पालन करता है:

1) पीड़ित या प्रतिवादी को किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने जैसी राहत प्रदान करना और पीड़ित व्यक्ति को हकदार छुट्टी के अलावा तीन महीने तक की छुट्टी प्रदान करना।

2) शिकायतकर्ताओं की पहचान और विवरण की सख्त गोपनीयता सुनिश्चित करना।

3) उन्हें प्रतिशोध से बचाने के लिए मजबूत गैर–प्रतिशोध नीतियों को लागू करना और गुमनाम रिपोर्टिंग के लिए व्हिसलब्लोअर सुरक्षा उपाय स्थापित करना।

4) स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करना, शिकायतकर्ताओं के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई और सहायता जैसे पर्याप्त उपाय प्रदान करना।

5) निरंतर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करना।

6) बाहरी रिपोर्टिंग को लागू करना और नियमित समीक्षा और मूल्यांकन करना।

इन कदमों को लागू करके, आई.आर.सी.ओ.एन. व्यक्तियों के लिए शिकायत दर्ज करने, मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने, तथा भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ताओं के लिए प्रतिकूल परिणामों को रोकने के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करता है।

9. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यावसायिक समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं?**

हां

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

10. वर्ष के लिए मूल्यांकन:

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का : जिनका मूल्यांकन किया गया (संस्था या वैधानिक प्राधिकरणों या तीसरे पक्ष द्वारा)
बाल श्रम	100%
जबरन/अनैच्छिक श्रम	0%
यौन उत्पीड़न	100%
कार्यस्थल पर भेदभाव	0%
मजदूरी	100%
अन्य–कृपया निर्दिष्ट करें	-

11. उपरोक्त प्रश्न 10 में दिए गए आकलनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सामान्य अनुबंध शर्तों के अनुसार, 'श्रम कानून के उल्लंघन के आधार पर दावा' के प्रावधान स्थापित किए गए हैं।

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए तथा पर्यावरण की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना के लिए प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण

पैमाना	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (क)	4775.29 GJ	6744.25 GJ
कुल ईंधन खपत (ख)		
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (ग)		
कुल नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई ऊर्जा (क+ख+ग)		
गैर–नवीकरणीय स्रोतों से		
कुल बिजली की खपत (घ)	109,942.897 GJ	122,325.84 GJ
कुल ईंधन खपत (ङ)	1,075,757.51 GJ	463,566.00 GJ
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा खपत (च)		
कुल गैर–नवीकरणीय स्रोतों से उपभोग की गई ऊर्जा (घ+ङ+च)	11,85,700.41 GJ	592,636.09 GJ
कुल ऊर्जा की खपत (क+ख+ग+घ+ङ+च)	11,90,475.7 GJ	592,636.09 GJ
प्रति रुपया कारोबार में ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/परिचालन से राजस्व)	0.0000099 GJ/Cr	0.00002 GJ/Cr
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित कारोबार के प्रति रुपए ऊर्जा तीव्रता' (कुल ऊर्जा खपत/पीपीपी के लिए समायोजित परिचालन से राजस्व)	52026.73	25899.66
भौतिक उत्पादन के संदर्भ में ऊर्जा तीव्रता	-	-
ऊर्जा तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया है। 'ओईसीडी डेटा बैंक के अनुसार वर्ष 2022 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए पीपीपी मूल्य 22.882 एनसीयू/यूएसडी माना गया है।

2. क्या इकाई के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसी) के रूप में पहचाने गए कोई साइट/सुविधाएँ हैं? (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो बताएं कि क्या पीएटी योजना के तहत निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं। यदि लक्ष्य हासिल नहीं किए गए हैं, तो क्या कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो।

नहीं, कंपनी के पास पीएटी योजना के अंतर्गत डीसी के रूप में चिन्हित कोई साइट नहीं है।

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

3. जल से संबंधित निम्नलिखित उल्लेखों का विवरण प्रदान करें

पैमाना	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
स्रोत द्वारा जल निकासी (किलोलीटर में)		
(i) ऊपरी तह का पानी	1346481.8	112886
(ii) भूजल	2840520.18	112887
(iii) तीसरे पक्ष का पानी	4242.35	16489
(iv) समुद्री जल/अलवणीकृत जल		
(v) अन्य		
कुल जल निकासी की मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	4188364.33	242262
कुल जल उपभोग की मात्रा (किलोलीटर में)	3350691.464	181294
प्रति रुपया कारोबार में जल की तीव्रता (पानी की खपत/कारोबार)	0.0029	0.000002
जल तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है	-	-

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया।

4. निस्सरित जल से संबंधित निम्नलिखित विवरण उपलब्ध कराएं:

पैमाना	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
गंतव्य और उपचार के स्तर के अनुसार जल निर्वहन (किलोलीटर में)		
(i) सतही जल तक		
– कोई इलाज़ नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(ii) भूजल के लिए		
– कोई इलाज़ नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iii) समुद्री जल तक		
– कोई इलाज़ नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(iv) तीसरे पक्ष को भेजा गया		
– कोई इलाज़ नहीं		
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
(v) अन्य – वाष्पीकरण हानि		
– कोई इलाज़ नहीं	670138.29	242262
– उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें		
कुल छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में)	670138.29	242262

5. क्या संस्था ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए कोई तंत्र लागू किया है? यदि हाँ, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें।

नहीं

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

6. **कृपया संस्था द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें**

पैमाना	कृपया इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2023–24	वित्तीय वर्ष 2022–23
एनओएक्स	µg/m3	29.5	-
सॉक्स	µg/m3	25.1	-
पार्टिकुलेट मैटर (पीएम)	µg/m3	103.42	-
स्थायी कार्बनिक प्रदूषक (पीओपी)		-	-
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (वीओसी)		-	-
खतरनाक वायु प्रदूषक (एचएपी)		-	-
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें		-	-

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया।

7. **ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन) और इसकी तीव्रता का विवरण प्रदान करें**

पैरामीटर	यूनिट	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2022-23
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य	88,232.94	34,183.30
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (जीएचजी का CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3 में विभाजन, यदि उपलब्ध हो)	मीट्रिक टन CO2 समतुल्य	21,835.88	24,295.27
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 प्रति रुपए टर्नओवर पर उत्सर्जन		0.0000009	0.0000005
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक) – प्रासंगिक मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है		-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित*		4810.28	2555.65
(कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 जीएचजी उत्सर्जन/संचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)		-	-
भौतिक आउटपुट के संदर्भ में स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता का कुल योग।		-	-
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता (वैकल्पिक)			
–संबंधित मीट्रिक इकाई द्वारा चुना जा सकता है			

नोटः बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया।

*ओईसीडी डेटा बैंक के अनुसार वर्ष 2022 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत के लिए पीपीपी मूल्य 22.882 एनसीयू/यूएसडी माना गया है

8. **क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो विवरण प्रदान करें।**

नहीं, इरकॉन के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना नहीं है।

9. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण प्रदान करें

पैमाना	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
कुल उत्पन्न अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
प्लास्टिक अपशिष्ट (क)		
ई–कचरा (ख)	1.0	
जैव–चिकित्सा अपशिष्ट (ग)		
निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट (घ)	0.56	0.811
बैटरी अपशिष्ट (ङ)	0.43	1.168

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

पैमाना	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2022–23
रेडियोधर्मी अपशिष्ट (च)		
अन्य खतरनाक अपशिष्ट। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (छ)		
अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न (ज)। यदि कोई हो तो कृपया बताएं। (संरचना के अनुसार अर्थात क्षेत्र से संबंधित सामग्रियों के अनुसार)	1.5 1.0	1.656 0.671
कागज़, कार्डबोर्ड अपशिष्ट प्लाई लकड़ी	**4.49**	**4.31**
कुल (क+ख+ग+घ+ङ+च+छ+ज)	**3.757**	**4.200**
प्रति रुपया टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता	**0.196**	**0.188**
(कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व)	-	-
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के लिए समायोजित प्रति रुपया टर्नओवर पर अपशिष्ट तीव्रता (कुल अपशिष्ट उत्पन्न/संचालन से राजस्व पीपीपी के लिए समायोजित)	-	-
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से पुनर्प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) पुनर्चक्रित	2.93	
(ii) पुनः उपयोग		
(iii) अन्य पुनर्प्राप्ति कार्य		
कुल		
उत्पन्न अपशिष्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार निपटाए गए अपशिष्ट की कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)		
अपशिष्ट की श्रेणी		
(i) भस्मीकरण		
(ii) लैंडफिलिंग	1.56	4.31
(iii) अन्य निपटान कार्य		
कुल	1.56	4.31

बताएं कि क्या किसी बाह्य एजेंसी द्वारा कोई स्वतंत्र आकलन/मूल्यांकन/आश्वासन किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो बाह्य एजेंसी का नाम बताएं।

नहीं, कंपनी ने किसी बाहरी एजेंसी से स्वतंत्र मूल्यांकन नहीं कराया।

10. इरकॉन ऐसी प्रथाओं को शामिल करने का प्रयास करता है जो न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव, इष्टतम संसाधन उपयोग और जहाँ भी लागू हो, पुनर्चक्रण सुनिश्चित करती हैं।

अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएँ अपशिष्ट पृथक्करण, पुनर्चक्रण पहल, उचित हैंडलिंग और खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के इर्द–गिर्द घूमती हैं। हमारे कॉर्पोरेट कार्यालय में एक पूरी तरह से कार्यात्मक जल उपचार संयंत्र है जो यह सुनिश्चित करता है कि सिस्टम से निकलने वाले पानी का पर्याप्त रूप से उपचार किया जाए। निरंतर सुधार और विनियमों का अनुपालन दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है, जो स्थिरता और सुरक्षा के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

11. यदि इकाई का परिचालन/कार्यालय पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में/आसपास है, जहां पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की आवश्यकता है।

परिचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	क्या पर्यावरणीय अनुमोदन/मंजूरी की शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है? (हां/नही) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं तथा यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई है तो क्या करें?
लागू नहीं		

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

12. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन का विवरण

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना सं.	तारीख	क्या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया है (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

13. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियम/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण प्रदान करें।

क्र. सं.	उस कानून/विनियमन/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिसका अनुपालन नहीं किया गया	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या न्यायालय जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा लगाया गया कोई जुर्माना/दंड/कार्रवाई	यदि कोई सुधारात्मक कार्रवाई की गई हो, तो
लागू नहीं				

सिद्धांत 7: व्यवसायों को सार्वजनिक और विनियामक नीति को प्रभावित करते समय, जिम्मेदारीपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों से संबद्धता की संख्या 6

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग चौंबरों/एसोसिएशनों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिनकी संस्था सदस्य है/संबद्ध है।

क्र. सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/एसोसिएशनों का नाम	व्यापार एवं उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) उत्तरी क्षेत्र	राष्ट्रीय
2	राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद (नारेडको)	राष्ट्रीय
3	पीएचडी चौंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई)	राष्ट्रीय
4	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (स्कोप)	राष्ट्रीय
5	भारतीय परियोजना निर्यात संवर्धन परिषद (पीईपीसी)	राष्ट्रीय
6	निर्माण उद्योग विकास परिषद (सीआईडीसी)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य		

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर, इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
शून्य		

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और न्यायसंगत विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. चालू वित्त वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) का विवरण

परियोजना का नाम एवं संक्षिप्त विवरण	एसआईए अधिसूचना सं.	अधिसूचना की तिथि	चाहे स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा संचालित किया गया हो (हां/नहीं)	परिणाम सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित (हाँ/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
लागू नहीं					

2. उन परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनके लिए आपकी संस्था द्वारा पुनर्वास और पुनर्स्थापन (आर एंड आर) का कार्य किया जा रहा है।

परियोजना का नाम जिसके लिए आर एंड आरचल रहा है	राज्य	ज़िला	परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएएफ) की संख्या	आर एंड आर द्वारा कवर किए गए परियोजना प्रभावित परिवारों का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष में परियोजना प्रभावित परिवारों को भुगतान की गई राशि (भारतीय रुपये में)
लागू नहीं					

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

3. समुदाय की शिकायतें प्राप्त करने और उनके निवारण के तंत्र का वर्णन करें

सीपीजीआरएएमएस, जिसे केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख पहल का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी समाधान के माध्यम से शासन को बढ़ाना है। इस संबंध में, हमारा संगठन, इरकॉन, समुदाय की शिकायतों को तुरंत संबोधित करने और उनकी स्थिति और प्रगति को कुशलतापूर्वक ट्रैक करने के लिए इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करता है। प्रत्येक शिकायत की संबंधित विभाग द्वारा गहन समीक्षा की जाती है, और समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय किए जाते हैं। हम जनता के साथ जुड़ने के अवसर को महत्व देते हैं और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से कुशल और उत्तरदायी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

4. आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (इनपुट से कुल इनपुट मूल्य के अनुसार)

विवरण	वित वर्ष 2023-24	वित वर्ष 2022-23
एमएसएमई/लघु उत्पादकों से सीधे प्राप्त	59.39%	43.48%
जिले के भीतर और पड़ोसी जिले से सीधे प्राप्त	मान्य नहीं	मान्य नहीं

5. छोटे शहरों में रोजगार सृजन–निम्नलिखित स्थानों पर कार्यरत व्यक्तियों (स्थायी या गैर–स्थायी/अनुबंध के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों या श्रमिकों सहित) को भुगतान की गई मजदूरी का खुलासा कुल मजदूरी लागत के प्रतिशत के रूप में करें

स्थान	वित वर्ष 2023-24	वित वर्ष 2022-23
ग्रामीण	0.5%	1.3%
अर्ध–शहरी	0.2%	0.7%
शहरी	5.7%	4.2%
महानगरीय	2.6%	6.1%

नेतृत्व संकेतक

1. सामाजिक प्रभाव आकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का विवरण प्रदान करें

पहचाने गए नकारात्मक सामाजिक प्रभाव का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं	

2. सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी इकाई द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं पर निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (भारतीय रुपये में)
1	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	73,22,000
2	उत्तर प्रदेश	बहराइच	33,68,000
3	उत्तर प्रदेश	श्रावस्ती	19,98,000
4	उत्तर प्रदेश	चंदौली	13,00,000
5	बिहार	चित्रकूट	34,14,000
6	बिहार	मुजफ्फरपुर	20,00,000
7	राजस्थान	जैसलमेर	36,98,000
8	राजस्थान	धौलपुर	12,00,000
9	राजस्थान	करौली	12,00,000
10	जम्मू और कश्मीर	बारामूला	10,00,000
11	जम्मू और कश्मीर	कुपवाड़ा	30,05,000
12	हरियाणा	नूह	22,56,000
13	ओडिशा	रायगढ़	20,00,000
14	उत्तराखंड	उधम सिंह नगर	14,49,000

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

3 **क. क्या आपके पास कोई अधिमान्य खरीद नीति है जिसके तहत आप हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों के आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हाँ/नहीं)**

ख. आप किन हाशिए पर पड़े/कमजोर समूहों से खरीदारी करते हैं?

खरीद सामान्य श्रेणी के एमएसई तथा एससी/एसटी एवं महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से की जाती है।

ग. यह कुल खरीद (मूल्य के अनुसार) का कितना प्रतिशत है?

4. पारंपरिक ज्ञान के आधार पर आपकी संस्था के स्वामित्व वाली या उसके द्वारा अर्जित बौद्धिक संपदा से प्राप्त और साझा किए गए लाभों का विवरण (चालू वित्तीय वर्ष में)

पारंपरिक ज्ञान पर आधारित बौद्धिक संपदा	स्वामित्व/अर्जित (हाँ/नहीं)	लाभ साझा (हां/नहीं)	लाभ हिस्सेदारी की गणना का आधार
लागू नहीं			

5. **बौद्धिक संपदा से संबंधित विवादों में किसी प्रतिकूल आदेश के आधार पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण, जिसमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग शामिल हो।**

प्राधिकरण का नाम	मामले का संक्षिप्त विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई
लागू नहीं		

6. सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
1	मेसर्स कलिंगा द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा के 66 आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	66	100%
2	मेसर्स फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा त्रिपुरा राज्य के तीन क्लस्टरों में 150 एकल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।	150	100%
3	वित्तीय वर्ष 22–23 के लिए गोधुली के नांगलोई स्कूल में 90 वंचित बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।	90	100%
4	मेसर्स ई एंड एच फाउंडेशन द्वारा मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ और पटना के मलिन बस्तियों में 1000 वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	1000	100%
5	मेसर्स अखंडज्योति फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर की स्थापना के माध्यम से बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के बटियाह के 3 सरकारी स्कूलों में डिजिटल साक्षरता प्रदान करना।	980	100%
6	मेसर्स सीआईडीसी द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, भूमि सर्वेक्षक जैसे विभिन्न ट्रेडों में 60 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	60	100%
7	मेसर्स सप्रेम द्वारा महाराष्ट्र के जालना जिले में सामुदायिक हॉल का निर्माण करके ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना।	975	100%
8	मेसर्स सावली द्वारा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में 2000 युवाओं को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।	2000	100%
9	मेसर्स स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल (एसपीईएफएल–एससी) द्वारा जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिले कुपवाड़ा के सरकारी स्कूलों में 354 लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया और आत्मरक्षा किट वितरित की गई।	354	100%
10	मेसर्स महिला जागृति मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 40 गरीब व्यक्तियों को हाथ ठेला उपलब्ध कराया गया।	60	100%
11	मेसर्स सावली द्वारा महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद जिले में दो व्यवसायों सिलाई और विपणन में 500 लाभार्थियों को आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।	500	100%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
12	मेसर्स श्री गणेशदीन संथा द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 50 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव।	50	100%
13	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा खोरा कॉलोनी गाजियाबाद में 145 महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।	145	100%
14	संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैन्य अकादमी सिलवासा की स्थापना का प्रस्ताव मेसर्स विद्या भारती गुजरात प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किया गया।	700	100%
15	मेसर्स फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी द्वारा त्रिपुरा के धर्मनगर जिले में 113 एकल विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना।	113	100%
16	मेसर्स यूएसबीआरएल परियोजना द्वारा बनिहाल के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।	100	100%
17	मेसर्स शक्ति–दि वूमेन एम्पावरमेंट एकेडमी द्वारा बिहार के नालंदा जिले में ग्राम सामुदायिक केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव।	1000	100%
18	मेसर्स गोधुली द्वारा नांगलोई, दिल्ली तथा अन्य स्थानों पर लगभग 160 वंचित बच्चों की पूर्व–प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देकर समर्थन जारी रखना।	160	100%
19.	सिक्किम के लौचांग जिले के लाचुंग प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को वॉलीबॉल और क्रिकेट किट प्रदान करना, तथा इरकॉन के मेसर्स एसआरआरपी परियोजना कार्यालय द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस और अन्य वस्तुएं प्रदान करना। (अल्पकालिक गतिविधि)	100	100%
20	मेसर्स स्पोर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस एंड लीजर स्किल्स काउंसिल (एसपीईएफएल–एससी) द्वारा जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिले कुपवाड़ा के सरकारी स्कूलों में 354 लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया और आत्मरक्षा किट वितरित की गई।	354	100%
21	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा खोरा कॉलोनी गाजियाबाद में 145 महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण।	145	100%
22	मेसर्स कलिंगा द्वारा भुवनेश्वर, उड़ीसा के 150 आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।	150	100%
23	मेसर्स पैसिफिक क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 2 पेयजल मशीन की स्थापना	-	100%
24	मेसर्स मातृभूमि विकास परिषद द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 80 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया।	80	100%
25	मेसर्स द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट द्वारा एनसीआर में यमुना नदी की सफाई।	500	100%
26	मेसर्स कौशल्या फाउंडेशन द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले (मोतिहारी) में दो शेड का निर्माण।	-	100%
27	मेसर्स भारतीय नवदीप समिति (बीएनएस) द्वारा बिहार के सुपौल जिले में 300 गरीब महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण/आय सृजन कार्यक्रम प्रदान करना।	300	100%
28	बिहार के दरभंगा जिले में मेसर्स मानव कल्याण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वाटर फिल्टर मशीन की स्थापना।	5000	100%
29	चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार गरीब व्यक्तियों को 40 ठेला गाड़ी का वितरण किया गया।	40	100%
30	मेसर्स सम्भावना द्वारा उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में 4 सरकारी स्कूलों में 4 मिनी विज्ञान केंद्रों की स्थापना।	2000	100%
31	दिल्ली में 44 डीप फ्रीजर और 1 वॉक इन फ्रीजर उपलब्ध कराया जाएगा।	0	100%
32	मेसर्स वात्सल्य द्वारा बारामूला में सैनिटरी नैपकिन इकाइयों की स्थापना तथा स्कूली लड़कियों और समुदायों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता लाना।	2000	100%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
33	जम्मू और कश्मीर के कठुआ, जम्मू, सांबा, उधमपुर, रियासी, राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़ जिलों में 90 चिकित्सा परामर्श शिविर (एमसीसी) और लेह लद्दाख जिले में 10 चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाएंगे।	66	100%
34	वित्तीय वर्ष 22–23 के लिए बनिहाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का विस्तार।	1000	100%
35	मेसर्स एलिम्को द्वारा बिहार के गया जिले में दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण।	510	100%
36	ओडिशा के रायगडा जिले में महिलाओं और बच्चों में एनीमिया की रोकथाम और कुपोषण के लिए मेसर्स पीपल टू पीपल हेल्थ फाउंडेशन द्वारा प्रस्ताव।	2000	100%
37	मेसर्स ग्रामीण एवं शहरी कल्याण संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के आकांक्षी जिले बहराइच के गरीब बुजुर्गों के लिए घर–घर चिकित्सा शिविर का आयोजन	2000	100%
38	मेसर्स खुशियां फाउंडेशन द्वारा गुजरात के वलसाड जिले में प्रतिदिन 300 बच्चों को एक समय का ताजा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।	200	100%
39	मेसर्स श्री पीसीबी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के आकांक्षी जिले जैसलमेर में विजन सेंटर का विस्तार।	500	100%
40	मेसर्स दृष्टि द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दृष्टिबाधित बालिकाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया।	100	100%
41	मेसर्स ईएजीएल लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा जालना जिला महाराष्ट्र में किफायती डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।	1000	100%
42	मेसर्स सप्रेम द्वारा महाराष्ट्र के जालना जिले के 10 गांवों में आंगनवाड़ी केंद्रों के सुधार के लिए पोषण और स्वास्थ्य पर प्रस्ताव।	500	100%
43	मेसर्स उम्मीद फाउंडेशन द्वारा महाराष्ट्र के पालघर जिले में लगभग 500 रोगियों को हृदय रोग का उपचार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।	150	100%
44	मेसर्स अनमोल द्वारा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ के 2 ब्लॉकों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा जांच शिविरों पर जागरूकता के तहत वित्तीय सहायता हेतु प्रस्ताव	270	100%
45	मेसर्स चाइल्ड हार्ट फाउंडेशन द्वारा साउथ एक्सटेंशन–I, नई दिल्ली में वंचित परिवारों की 200 गर्भवती महिलाओं की भ्रूण हृदय संबंधी असामान्यता के लिए भ्रूण इकोकार्डियोग्राफी जांच का प्रस्ताव।	200	100%
46	1000 महिलाओं को आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराना। खासकर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और शिशुओं के लिए तथा बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में मेसर्स प्रवाह द्वारा महिलाओं के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।	1000	100%
47	कालिम्पोंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य दो अस्पतालों का उन्नयन।	100	100%
48	(उत्तर प्रदेश) के श्रावस्ती जिले के सरकारी अस्पताल में 3 हेल्थ एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव मेसर्स मानव विकास संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया।	1000	100%
49	मेसर्स महिला बाल कल्याण एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में 2 बालिका विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन और इंसिनरेटर की स्थापना।	500	100%
50	मेसर्स महिला बाल कल्याण एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में 2 बालिका विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन और इंसिनरेटर की स्थापना।	500	100%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
51	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा हरियाणा के नूंह जिले में गर्भवती महिलाओं के लिए जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम और मुफ्त चिकित्सा जांच और दवाइयों का प्रावधान।	50	100%
52	मेसर्स स्वाध्याय मंडल द्वारा वलसाड जिला गुजरात में 50 वंचित बच्चों को पोषण आहार उपलब्ध कराया गया।	50	100%
53	मेसर्स रोटरी साउथएंड चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नई दिल्ली के ओखला फेज–ष् में माता गुजरी मेडिकल सेंटर में स्थापित किए जाने वाले जीई 32 स्लाइस, सीटी स्कैनर उपलब्ध कराया गया।	600	100%
54	मैसर्स महिला जाग्रति मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में जनजातीय स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम।	100	100%
55	मेसर्स आरोग्य फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा जम्मू और कश्मीर के ग्रामीण और आदिवासी गांवों में 53 चिकित्सा परामर्श शिविरों का आयोजन किया गया।	700	100%
56	मेसर्स श्री गणेशदीन शिक्षा समिति द्वारा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में नेत्र जांच शिविर और चश्मा वितरण।	3000	100%
57	जिला रेड क्रॉस सोसायटी, कटनी, मध्य प्रदेश को प्रदान किए जाने वाले शव वाहन की खरीद हेतु अनुरोध। कटनी–सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना द्वारा अनुरोध।	1000	100%
58	मेसर्स बीएसजीएसएस द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक जन आरोग्यम केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव	1000	100%
59	मेसर्स अनादि सेवा प्रकल्प द्वारा फरीदाबाद, हरियाणा में वृद्धाश्रम के सुचारू संचालन और रखरखाव के लिए वित्त पोषण हेतु परियोजना	55	100%
60	मेसर्स दृष्टि द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में दृष्टिबाधित बालिकाओं को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया गया।	100	100%
61	मेसर्स ग्रामीण एवं शहरी कल्याण संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में 12 चिकित्सा शिविरों का आयोजन।	2000	100%
62	सामाजिक सेवाओं के लिए मेसर्स मैट्रिक्स सोसाइटी द्वारा बिहार के सिवान जिले में 4 आंगनवाड़ी केंद्रों का विकास और पोषण पूरक प्रदान करना।	2000	100%
63	मेसर्स फ्यूचर आइकॉन्स फाउंडेशन द्वारा उत्तराखंड के पौड़ी जिले में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर का वितरण।	2600	100%
64	मेसर्स श्री पीसीबी ट्रस्ट द्वारा राजस्थान के आकांक्षी जिले जैसलमेर में 100 मोतियाबिंद सर्जरी के लिए दृष्टि केंद्र का विस्तार।	1000	100%
65	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स द्वारा असम के मोरीगियांव जिले की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा कौशल प्रशिक्षण का वितरण और प्रशिक्षण।	350	100%
66	मेसर्स महिला उद्यमी संघ द्वारा बिहार के नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड के कपसियामा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का निर्माण।	-	100%
67	कुपोषण और एनीमिया के बारे में जागरूकता प्रदान करना, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए और साथ ही किचन गार्डन का प्रावधान, मेसर्स पीपल टू पीपल हेल्थ फाउंडेशन	2000	100%
68	3000 लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना, 2500 लड़कियों को पोषण पूरक गोलियां वितरित करना तथा वंचित माताओं को 4000 शॉल वितरित करना तथा 10 स्कूलों में 10 स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन करना।	2500	100%
69	गरीब लोगों के लिए जन आरोग्यम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना	2000	100%

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना	सीएसआर परियोजनाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या	कमजोर और हाशिए पर पड़े समूहों से लाभार्थियों का प्रतिशत
70	उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले में 500 बच्चों को पूरक पोषाहार वितरित करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा लड़कियों के लिए एनीमिया रोकथाम शिविर आयोजित करना। मेसर्स श्री गणेशदीन शिक्षा समिति।	500	100%
71	बिहार के पटना जिले में सीएसआर गतिविधि के तहत एम्बुलेंस की आपूर्ति	1000	100%
72	वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पीएम केयर्स फंड में योगदान	-	-

सद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए मौजूद तंत्र का वर्णन करेंलागू नहीं
2. उन सभी उत्पादों/सेवाओं के टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और सेवाओं का टर्नओवर, जिनके बारे में जानकारी होती है

	कुल व्यवसाय के प्रतिशत के रूप में
उत्पाद से संबंधित पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंड	शून्य
सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग	शून्य
रीसाइक्लिंग और/या सुरक्षित निपटान	शून्य

3. उपभोक्ता शिकायतों की संख्या

	वित्त वर्ष 2023–24			वित्त वर्ष 2022–23		
	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के अंत में लंबित समाधान	टिप्पणी
डेटा गोपनीयता	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
विज्ञापन	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
साइबर–सुरक्षा	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अनुचित व्यापार व्यवहार	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	
अन्य	शून्य	शून्य		शून्य	शून्य	

4. सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद वापस मंगाए जाने के मामलों का विवरण

	संख्या	वापस बुलाने के कारण
स्वैच्छिक वापसी	शून्य	लागू नहीं
जबरन वापसी	शून्य	लागू नहीं

5. क्या संस्था के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई रूपरेखा/नीति है? (हाँ/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो नीति का वेब–लिंक प्रदान करें।

हां, इरकॉन के पास साइबर संकट के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। यह योजना साइबर घटनाओं की विविध श्रेणियों के साथ–साथ संबंधित नीतियों, कार्यों और जिम्मेदारियों को रेखांकित करती है। इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण साइबर घटनाओं के लिए प्रभावी रूप से तैयार रहना, उनकी पहचान करना, उनके बारे में जानकारी का आदान–प्रदान करना, उनका जवाब देना और उनका समाधान करना है जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। यह योजना साइबर सुरक्षा घटनाओं और उल्लंघनों से निपटने के लिए एक समन्वित और गहन दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

यह योजना भारत सरकार के मेइटी के सीईआरटी–इन द्वारा तैयार की गई 'साइबर हमलों और साइबर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना' से अपना आधार लेती है। यह साइबर सुरक्षा की गतिशील प्रकृति को स्वीकार करता है, जिसमें तकनीकी प्रगति नई कमजोरियों को सामने लाती है, जिसके लिए प्रतिक्रिया रणनीतियों के लिए समय–समय पर अपडेट की आवश्यकता

व्यावसायिक उत्तरदायित्व और स्थिरता रिपोर्ट

होती है। आदर्श रूप से, ये अपडेट वार्षिक आधार पर होने चाहिए। साइबर संकट और आकस्मिकताओं की प्रकृति से संबंधित अनुभाग अलग–अलग प्रकार के खतरों और संकटों की पहचान करता है जो विशिष्ट उद्देश्यों को लक्षित कर सकते हैं। इसका उद्देश्य इरकॉन के भीतर महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और सेवाओं पर इन संकटों के प्रभाव का आकलन करना है, अंततः उपयुक्त प्रतिक्रिया और शमन उपायों का निर्धारण करना है।

इस योजना में इरकॉन के कॉर्पोरेट कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और परियोजना कार्यालय सहित विभिन्न संगठनात्मक इकाइयाँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें वित्त और लेखा, मानव संसाधन प्रबंधन, व्यवसाय विकास, संयंत्र रखरखाव, अनुबंध प्रबंधन और परियोजना प्रबंधन जैसे प्रमुख व्यावसायिक कार्य शामिल हैं।

वेब लिंक: https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212&Itemid=606&lang=en

6. विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित मुद्दों पर उठाए गए या चल रहे सुधारात्मक कदमों का विवरण प्रदान करें; ग्राहकों की साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता; उत्पाद वापस मंगाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए जुर्माने/कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

शून्य

7. डेटा उल्लंघनों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:

क. डेटा उल्लंघनों की घटनाओं की संख्या	शून्य
ख. ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी से जुड़े डेटा उल्लंघनों का प्रतिशत	शून्य
ग. डेटा उल्लंघनों का प्रभाव, यदि कोई हो	शून्य

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह०/–
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
और सीईओ (DIN: 08453476)

दिनांकः 13 अगस्त, 2024
स्थानः नई दिल्ली

सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सीएसआर एवं स्थिरता नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।**

हमारे सीएसआर प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए, हमारे पास हमारी कंपनी के विज़न के अनुरूप कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता नीति (सीएसआर नीति) है। यह नीति दिशा–निर्देश और तंत्र निर्धारित करती है जिसका कंपनी को सीएसआर परियोजनाओं को पूरा करते समय पालन करना चाहिए। लोक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा 10 दिसंबर, 2018 को उनके कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, 24 अप्रैल, 2023 को अपडेट के साथ, सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम) को अपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए थीम–आधारित दृष्टिकोण का पालन करना आवश्यक है। कंपनी अपने वार्षिक सीएसआर बजट का कम से कम 60% विषयगत कार्यक्रमों के लिए आवंटित करती है और अपनी सीएसआर पहलों में आकांक्षी जिलों को वरीयता देती है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए, सीपीएसई की सीएसआर गतिविधियों के लिए डीपीई द्वारा चुना गया सामान्य विषय "स्वास्थ्य और पोषण" है। इन दिशा–निर्देशों का पालन करके और चुने गए विषय को अपनाकर, हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने और अपने समुदायों की भलाई में योगदान देने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इरकॉन की सीएसआर नीति इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की वेबसाइट पर देखी जा सकती है: https://www.ircon. org/images/file/cosecy/CSR_Policy_Nov_2022_ with_Annexures.pdf

बोर्ड की सीएसआर समिति परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) स्तर से और एनजीओ के प्रतिनिधि सहित अन्य स्रोतों से प्राप्त सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करती है और उन्हें मंजूरी देती है। इरकॉन कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के साथ पंजीकृत और सीएसआर परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सीएसआर पंजीकरण संख्या रखने वाले एनजीओ/विशेष बाहरी एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग कर रहा है, इसके अलावा एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं की बारीकी से निगरानी, मूल्यांकन और फीडबैक और प्रभाव आकलन के लिए क्षेत्र स्तरीय समितियों को शामिल कर रहा है।

वित्त वर्ष 2023–24 में कंपनी ने ₹11.64 करोड़ के आवंटित सीएसआर बजट के मुकाबले 11.65 करोड़ खर्च किए हैं। कंपनी ने नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध 14 आकांक्षी जिलों में कई सीएसआर परियोजनाओं को लागू किया है। वर्ष के दौरान, कंपनी ने सरकारी स्कूलों में खगोल विज्ञान प्रयोगशाला, मिनी विज्ञान केंद्र और कंप्यूटर लैब स्थापित किए। कंपनी ने सरकारी स्कूलों की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन भी उपलब्ध कराए और लड़कियों और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण संबंधी पूरक आहार उपलब्ध कराए। कंपनी ने वृद्ध लोगों और वंचित समुदाय की जांच के लिए कई चिकित्सा शिविर आयोजित किए।

2. **सीएसआर समिति की संरचना:**

वर्ष के दौरान निदेशकों में परिवर्तन होने पर समिति का पुनर्गठन किया गया है। वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार थी:–

01.04.2023 से 31.03.2024 तक
अध्यक्ष
श्रीमती रंजना उपाध्याय, स्वतंत्र निदेशक
सदस्य
श्री धनंजय सिंह, सरकारी नामित व्यक्ति (अंशकालिक आधिकारिक निदेशक)
श्री पराग वर्मा, निदेशक (कार्य)

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान समिति की तीन बार बैठक 23 मई, 2023, 8 नवंबर, 2023 और 16 जनवरी, 2024 को होगी। उक्त बैठक में उपस्थिति का विवरण इस प्रकार है: –

सदस्य का नाम	बैठक की तारीखें			वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
	23.05.2023	08.11.2023	16.01.2024		
श्रीमती रंजना उपाध्याय	✓	✓	✓	3	3
श्री धनंजय सिंह	✓	×	✓	3	2
श्री पराग वर्मा	✓	✓	✓	3	3

3. वेब–लिंक उपलब्ध कराएं जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर किया गया हो।

वेब लिंक इस प्रकार: –

क) सीएस समिति: https://www.ircon.org/index.php?option=com_content&view=article&id=209&Itemid=604&lang=en

ख) सीएसआर नीति: https://www.ircon.org/images/file/cosecy/CSR_Policy_Nov_2022_with_Annexures.pdf

ग) सीएसआर परियोजना: https://www.ircon.org/images/file/cosecy/Master_Sheet_CSR_Expenditure__2023-24_q.pdf

4. यदि लागू हो तो नियम 8 के उप–नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन के वेब–लिंक के साथ निष्पादन सारांश प्रदान करें।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन की आवश्यकता 2023–24 के लिए इरकॉन पर लागू नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने स्वेच्छा से एक स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से 14 पूर्ण सीएसआर परियोजनाओं के लिए प्रभाव आकलन किया है। इरकॉन की सीएसआर गतिविधियों पर प्रभाव आकलन पर कार्यकारी रिपोर्ट के लिए वेब लिंक है https://ircon.org/images/CSR/FINAL_IA_REPORT_FY23_24.pdf

5. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत: **11.64 करोड़ रुपये**

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: **शून्य**

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए सेट ऑफ की जाने वाली राशि, यदि कोई हो: **शून्य**

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख)+(ग)–(घ)]: **11.64 करोड़ रुपये**

6. (₹ करोड़ में)

(क) सीएसआर परियोजनाओं पर खर्च की गई राशि (चल रही परियोजनाएं और चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य दोनों)।	**11.49**
(ख) प्रशासनिक उपरिव्यय में व्यय की गई राशि:	**0.16**
(ग) प्रभाव आकलन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो।	**शून्य**
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]:	**11.65**

(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135 की उपधारा (6) के अनुसार अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कुल राशि।		धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची टप्प के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
11.65	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विवरण	राशि (₹ रूपये में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	11.64
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	11.65
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)–(i)]	0.01
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	0.00
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	0.01*

* वित्त वर्ष 2024–25 के लिए उपलब्ध सीएसआर के बजट से 0.01 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित नहीं की जा रही है।

7. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अप्रयुक्त कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व राशि का विवरणरू शून्य
8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति बनाई गई है या अर्जित की गई है?

   हा ✓ नहीं

   यदि हाँ, तो निर्मित/अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें:– **21 निर्मित परिसंपत्तियों की संख्या।**

   वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से सृजित या अर्जित ऐसी परिसंपत्तियों तथा व्यय की गई राशि से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें: **जैसा कि अनुलग्नक–1 में संलग्न है।**
9. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण बताएं।रू लागू नहीं

ह./–
श्री हरि मोहन गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन 08453476)

ह./–
श्री पराग वर्मा
निदेशक (कार्य) एवं सदस्य,
सीएसआर एवं स्थिरता समिति
(डीआईएन 08453476)

ह./–
श्रीमती रंजना उपाध्याय
अध्यक्ष,
सीएसआर एवं स्थिरता समिति
(डीआईएन 07787711)

दिनांक: 8 अगस्त 2024
स्थान: नई दिल्ली

अनुलग्नक –1

क्रम संख्या	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण ख्संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित,	संपत्ति या परिसंपत्ति (ओं) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाखों ₹ में)	पंजीकृत स्वामित्व वाली संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
1	मेसर्स सप्रेम द्वारा महाराष्ट्र के जालना जिले में सामुदायिक भवन का निर्माण करके ग्रामीण समुदायों को सहायता प्रदान करना। (जालना जिले के भोकरदन तहसील ब्लॉक के जावखेड़ा खुर्द में)	431215	31.03.24	23.19	CSR00003104	मेसर्स सप्रेम	11, पंचशील बिल्डिंग, सामने। नूतन हिंदी हाईस्कूल, दुर्गा माता मंदिर रोड, काटेमानिवली, कल्याण (पूर्व), जिला। ठाणे. 421306
2	मैसर्स महिला जागृति मंडल द्वारा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 40 गरीब व्यक्तियों को हाथ ठेला उपलब्ध कराया जा रहा है।	210205	26.04.23	7.22	CSR00039776	मेसर्स महिला जागृति मंडल	स्टेशन रोड, कर्वी (चित्रकूट) 210205
3	मेसर्स सावली द्वारा महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद जिले में दो ट्रेडों सिलाई और विपणन में 500 लाभार्थियों को आजीविका प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना।	431203	30.04.23	17.49	CSR00003432	मेसर्स सावली	ए3/201, खड़कपाड़ा, बरवे रोड कल्याण (पश्चिम) –421301
4	संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सैन्य अकादमी सिलवासा की स्थापना का प्रस्ताव मेसर्स विद्या भारती गुजरात प्रदेश द्वारा प्रस्तुत किया गया।	396193	30.04.23	25.00	CSR00006412	मैसर्स विद्या भारती गुजरात प्रदेश।	4,वसुंधरा सोसाइटी, आनंद पार्क, कांकरिया, अहमदाबाद – 380028
5	मेसर्स यूएसबीआरएल परियोजना द्वारा बनिहाल के सरकारी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया।	182146	31.03.24	4.07	लागू नहीं	राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बनिहाल–182146	राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बनिहाल–182146
6	मेसर्स शक्ति–दि वूमेन एम्पावरमेंट एकेडमी द्वारा बिहार के नालंदा जिले में ग्राम सामुदायिक केंद्र के निर्माण का प्रस्ताव।	803111	31.03.24	27.88	CSR00052371	मेसर्स शक्ति–महिला सशक्तिकरण अकादमी	26/1/177–1, बी.वी नगर, नेल्लोर–524004
7	मेसर्स पैसिफिक क्रिएटिव सोसाइटी द्वारा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में 2 पेयजल मशीनों की स्थापना	232104	31.03.24	13.00	CSR00004314	मेसर्स पेसिफिक क्रिएटिव	बी–2/23 सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029
8	मेसर्स कौशल्या फाउंडेशन द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण जिले (मोतिहारी) में दो शेड का निर्माण	845401	31.03.24	30.00	CSR00001538	सोसायटी	32, आवास, पीएनबी के ऊपर, बुद्ध कॉलोनी ईस्ट, बोरिंग रोड पटना–800001,
9	बिहार के दरभंगा जिले में मेसर्स मानव कल्याण वेलफेयर सोसाइटी द्वारा वाटर फिल्टर मशीन की स्थापना	846004	31.03.24	19.84	CSR00033041	मेसर्स कौशल्या फाउंडेशन	हरीश ठाकुर रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा–799001
10	चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में बेरोजगार गरीब व्यक्तियों को 40 ठेला गाड़ी का वितरण	210206	31.03.24	10.00	CSR00039776	मेसर्स मानव कल्याण वेलफेयर सोसाइटी	स्टेशन रोड, कर्वी (चित्रकूट) 210205
11	उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के 4 सरकारी स्कूलों में 4 मिनी विज्ञान केंद्रों की स्थापना	244713	31.03.24	14.49	CSR00000687	मेसर्स सम्भावना	सुमंगल को–ऑप एचएसजी सोसायटी, सेक्टर–2, ऐरोली, नवी मुंबई 400708

क्रम संख्या	संपत्ति या परिसंपत्ति(यों) का संक्षिप्त विवरण ख्संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित,	संपत्ति या परिसंपत्ति (ओं) का पिनकोड	निर्माण की तारीख	चालू वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (लाखों ₹ में)	पंजीकृत स्वामित्व वाली संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी का विवरण		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू हो	नाम	पंजीकृत पता
12	मेसर्स एलिम्को द्वारा बिहार के गया जिले में दिव्यांगजनों को सहायता एवं सहायक उपकरणों का वितरण।	823001	30.04.23	7.49	CSR00000532	मेसर्स एलिम्को	जी.टी रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 209 217
13	मेसर्स ईएजीएल लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा जालना जिला महाराष्ट्र में किफायती डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना करके स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना	431203	31.03.24	50.00	CSR00000988	मेसर्स ईएजीएल लाइवलीहुड फाउंडेशन	आदि एल्योर, डी 1202, कांजुरमार्ग, पूर्वी मुंबई–400042
14	कालिम्पोंग के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अन्य दो अस्पतालों का उन्नयन।	734312	31.03.23	0.85	लागू नहीं	तीस्ता पीएचसी कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल–734312	तीस्ता पीएचसी कलिम्पोंग, पश्चिम बंगाल–734312
15	(उत्तर प्रदेश) के श्रावस्ती जिले के सरकारी अस्पताल में 3 हेल्थ एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव मेसर्स मानव विकास संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया।	271805	31.12.23	19.98	CSR00001276	मेसर्स मानव विकास संस्था	ए–626, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, जेएलएन मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर–302017
16	मेसर्स महिला बाल कल्याण एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में 2 बालिका विद्यालयों में निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्पेंसिंग मशीन और भस्मक की स्थापना।	345001	31.12.23	15.00	CSR00006284	मेसर्स महिला बाल कल्याण एवं ग्रामीण विकास सोसाइटी	के.सी.हाउस, महावीर कॉलोनी, कटारिया ट्रांसपोर्ट के पास, मदनगंज किशनगढ़ 305801
17	मेसर्स रोटरी साउथएंड चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा नई दिल्ली के ओखला फेज–प्प में माता गुजरी मेडिकल सेंटर में स्थापित किए जाने वाले जीई 32 स्लाइस, सीटी स्कैनर प्रदान करना।	110020	31.08.23	20.00	CSR00024288	मेसर्स रोटरी साउथएंड चौरिटेबल ट्रस्ट	बी–30, कनॉट प्लेस नई दिल्ली 110001
18	जिला रेड क्रॉस सोसायटी, कटनी, मध्य प्रदेश को प्रदान किए जाने वाले शव वाहन की खरीद हेतु अनुरोध। कटनी–सिंगरौली रेल दोहरीकरण परियोजना के लिए अनुरोध।	483880	31.12.23	5.76	लागू नहीं	जिला रेड क्रॉस सोसायटी, कटनी, मध्य प्रदेश–483880	जिला रेड क्रॉस सोसायटी, कटनी, मध्य प्रदेश–483880
19	सिक्किम के लौचांग जिले के लाचुंग प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को वॉलीबॉल और क्रिकेट किट प्रदान करना, और इरकॉन के मेसर्स एसआरआरपी परियोजना कार्यालय द्वारा पीएचसी को एम्बुलेंस और अन्य सामान भी प्रदान करना।	737120	31.12.23	19.15	लागू नहीं	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाचुंग, मंगन, सिक्किम–737120	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लाचुंग, मंगन, सिक्किम–737120
20	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन रिसोर्स द्वारा मोरीगांव जिला असम की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को प्राथमिक चिकित्सा कौशल प्रशिक्षण का वितरण और प्रशिक्षण।	782105	31.03.24	15.15	CSR00021377	मेसर्स नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट काउंसिल फॉर ह्यूमन	एनआईजेड डंडुआ, पी.ओ. डंडुआ, मोरीगांव, असम–782105
21	बिहार के पटना जिले के मोकामा में सीएसआर गतिविधि के तहत एम्बुलेंस की आपूर्ति।	803302	31.03.24	43.77	लागू नहीं	रेफरल अस्पताल, मोकामा, मोकामा, बिहार, 803302	रेफरल अस्पताल, मोकामा, मोकामा, बिहार, 803302
	कुल			**389.32**			

फॉर्म – एमआर 3

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में, सदस्यगण,
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ("कंपनी")
प्लॉट नं. सी – 4, जिला केंद्र साकेत, नई दिल्ली – 110017.

हमने **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (CIN: L45203DL1976GOI008171)** (जिसे आगे 'कंपनी' कहा जाएगा) द्वारा लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉर्पोरेट व्यवहारों के पालन का सचिवीय ऑडिट किया है। सचिवीय ऑडिट इस तरह से किया गया था कि हमें कॉर्पोरेट आचरण/वैधानिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया गया।

क. कंपनी की पुस्तकों, कागजात, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य अभिलेखों के हमारे सत्यापन और सचिवीय ऑडिट के संचालन के दौरान कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 (ऑडिट अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित बोर्ड प्रक्रियाएं और अनुपालन तंत्र मौजूद हैं, इस सीमा तक, तरीके से और इसके बाद की गई रिपोर्टिंग के अधीन:

ख. हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा रखी गई पुस्तकों, कागजातों, मिनट बुक, फॉर्म और रिटर्न तथा अन्य अभिलेखों की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जांच की है:

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अधीन बनाए गए नियम;

(iii) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन बनाए गए विनियम और उपनियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जहां तक लागू हो, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधारी के संबंध में;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश, जहां तक लागू हो:

क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015 और उसके संशोधन;

ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम 2018, जहां तक लागू हो;

ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 और उसका संशोधन;

घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 और उसका संशोधन **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);**

ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 **(ऑडिट अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);**

च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (गैर–परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंदरूनी व्यापार का निषेध) विनियम, 2015 और उसका संशोधन;

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2021 **(लेखा परीक्षा अवधि के दौरान ऐसी कोई घटना नहीं);**

झ. सावधिक अधिनियम, 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिपॉजिटरी और प्रतिभागी) विनियम, 2018 के विनियम 76 की सीमा तक;

ञ. कंपनी अधिनियम, 2013 के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियमन, 1993 और जारी की गई प्रतिभूतियों की सीमा तक ग्राहक के साथ व्यवहार।

(vi) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश, 2010, लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी ('डीपीई दिशानिर्देश')।

(viii) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि, प्रबंधन द्वारा पहचाने गए कंपनी के लिए विशेष रूप से लागू कानूनों के लिए कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत आंतरिक अनुपालन प्रणाली के तहत आवधिक प्रमाण पत्र के आधार पर सत्यापित किया जा रहा है।

ग. हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस–1) और आम बैठकों (एसएस–2) के संबंध में सचिवीय मानक ('एसएस')।

(ii) कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई के साथ सूचीबद्धता समझौते।

घ. समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने आम तौर पर निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है::

i) एलओडीआर के विनियमन 17(1)(ख) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार, निदेशक मंडल में पचास प्रतिशत से कम स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे, हालांकि, 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बोर्ड के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे।

प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति रेल मंत्रालय ('प्रशासनिक मंत्रालय') द्वारा की जाती है। कंपनी नियमित रूप से प्रशासनिक मंत्रालय से कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करने का अनुरोध कर रही है।

ङ. **हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि**

i) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन कार्यकारी निदेशकों और गैर–कार्यकारी निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में पैरा डी (i) में उल्लिखित के। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में जो परिवर्तन हुए, वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

ii) बोर्ड की बैठकों की समय–सारणी बनाने के लिए सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी जाती है, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट सामान्यतः कम से कम सात दिन पहले भेजे जाते हैं, इसके अतिरिक्त बोर्ड बैठक के कुछ मामलों में निदेशक मंडल की सहमति से नोटिस और एजेंडा कम समय में प्रसारित किए जाते हैं, तथा बैठक से पहले एजेंडा मदों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

iii) बोर्ड बैठकों और समिति बैठकों में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे, जैसा कि निदेशक मंडल या बोर्ड समिति की बैठकों के कार्यवृत्त में दर्ज किया गया है, जैसा भी मामला हो।

च. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि उपलब्ध कराई गई जानकारी और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड पर ली गई अनुपालन रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी और सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं हैं।

छ. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी में निम्नलिखित घटना घटी जिसका उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर असर पड़ा है:

i) लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भारत सरकार ने स्टॉक एक्सचेंज तंत्र के माध्यम से शेयरों की बिक्री की पेशकश (ओएफएस) के माध्यम से कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी का 8.01% यानी 7,53,73,248 इक्विटी शेयरों का विनिवेश किया था, जो 158.70 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से था। उपरोक्त ओएफएस के अनुसार, भारत सरकार की हिस्सेदारी 73.18% से घटकर 65.17% हो गई है।

नोट:

इस रिपोर्ट को हमारे सम तारीख के पत्र के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो ‘अनुलग्नक क’ के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न अंग है।

वीएपी और एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
एफआरएन: P2023UP098500
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह/–
पारुल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
एम. नं. F8323
सी.पी. नं. 13901
यूडीआईएन: F008323F000660546

दिनांक: 03.07.2024
स्थान: गाजियाबाद

अनुलग्नक – "क"

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
के सभी सदस्यगण

इस पत्र के साथ हमारी सम तारीख की रिपोर्ट भी पढ़ी जाए।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अपनी राय व्यक्त करें।
2. हमने सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित ऑडिट प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सचिवीय अभिलेख में सही तथ्य परिलक्षित हों, सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था। हमारा मानना है कि हमने जो प्रक्रिया और अभ्यास अपनाए हैं, वे हमारी राय के लिए उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक ही सीमित थी।
4. हमारी ऑडिट जांच केवल कंपनी द्वारा किए जाने वाले लागू कानूनों के कानूनी अनुपालन तक ही सीमित है, हमने उससे संबंधित व्यावहारिक पहलुओं की जांच नहीं की है।
5. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा पुस्तकों की सत्यता और उपयुक्तता के साथ–साथ कंपनी द्वारा निर्दिष्ट कानूनों के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले विभिन्न प्रकटीकरणों और रिटर्न में बताए गए मूल्यों और आंकड़ों की सत्यता को सत्यापित नहीं किया है, हालांकि हमने ऐसे रिटर्न में दी गई जानकारी पर एक निश्चित सीमा तक भरोसा किया है।
6. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के कंपनी द्वारा अनुपालन की इस लेखापरीक्षा में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि वे वैधानिक लेखा परीक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन हैं और इस रिपोर्ट की सामग्री को कंपनी के संबंध में किसी अन्य लेखा परीक्षक/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट(ओं) में टिप्पणियों, यदि कोई हो, के साथ संयोजन में पढ़ा जाना चाहिए, न कि अलग से।
7. आंतरिक, वित्तीय और परिचालन नियंत्रण सहित लेखापरीक्षा की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, एक अपरिहार्य जोखिम है कि कुछ गलत बयान या भौतिक गैर–अनुपालन का पता नहीं लगाया जा सकता है, भले ही लेखापरीक्षा ठीक से योजनाबद्ध हो और लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुसार निष्पादित की गई हो।
8. जहां भी आवश्यक हुआ, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने आदि के बारे में प्रबंधन से प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
9. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के बारे में जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

वीएपी और एसोसिएट्स कंपनी सचिव
एफआरएन: P2023UP098500
सहकर्मी समीक्षा संख्या: 1083/2021

ह/–
पारुल जैन
मैनेजिंग पार्टनर
एम. नं. F8323
सी.पी. नं. 13901
यूडीआईएन: F008323F000660546

दिनांक: 03.07.2024
स्थान: गाजियाबाद

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निहित टिप्पणियों के उत्तर और वर्ष 2023–24 के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन

क्रम संख्या	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट 2023–24 में निहित टिप्पणियां	प्रबंधन उत्तर
1.	एलओडीआर के विनियमन 17(1)(ख) और डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के अनुसार, निदेशक मंडल में पचास प्रतिशत से कम स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे, हालांकि, 01.04.2023 से 31.03.2024 तक बोर्ड के आधे हिस्से में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं होंगे।	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2(45) के प्रावधानों के अनुसार, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) एक सरकारी कंपनी है। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और इरकॉन के एसोसिएशन के लेखों के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को कंपनी के बोर्ड में निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों सहित) को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। इसलिए, इरकॉन में सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक मंत्रालय, रेल मंत्रालय के माध्यम से की जाती है और सरकार द्वारा नामित किए जाने तक किसी भी निदेशक (स्वतंत्र निदेशक सहित) की नियुक्ति में इरकॉन की कोई भूमिका नहीं होती है। कंपनी ने बोर्ड में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के लिए पहले ही भारत सरकार के रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है।

सदर सहित
ह./–
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 08453476)

दिनांक: 13 अगस्त, 2024
स्थान: नई दिल्ली

फॉर्म संख्या एओसी–2

तीसरे पक्ष के प्रावधान के अंतर्गत निश्चित आर्म–लैंथ लेनदेनों सहित कंपनी अधिनियम, 2013, के अनुच्छेद 188 (1) में संदर्भित सम्बन्धित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदाओं/ व्यवस्थाओं के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म सं. एओसी- 2

(कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 204 (1) तथा कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2024 के नियम सं9 के अनुसरण में)

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण जो कि निष्पक्ष आधार पर न हो : शून्य
2. महत्वपूर्ण अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का विवरण : निम्न लिखित

क्रम संख्या	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन–देन	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं /लेनदेनों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
1.	**इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड** (इरकॉन एसजी टीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	मध्य प्रदेश राज्य में एनएच–46 के शिवपुरी–गुना खंड को किमी 236.000 से किमी 332.100 तक चार लेन का बनाने के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) समझौते को इरकॉन एसजीटीएल द्वारा इरकॉन को प्रदान किया जाना। इसके अलावा, परियोजना राजमार्ग के प्रमुख रखरखाव (बिटुमिनस ओवरले) और तीन साल के नियमित रखरखाव का निष्पादन।	**दिनांक:** ईपीसी समझौता दिनांक 20.01.2021। रखरखाव के लिए – एलओए दिनांक 22.06.2023। **अवधि:** पुरस्कार पत्र या साइट सौंपने से 12 महीने, जो भी बाद में हो। 01 जून, 2023 तक बढ़ाया गया और आगे विस्तार प्रक्रियाधीन है। रखरखाव के लिए – प्रमुख रखरखाव के लिए 12 महीने और नियमित रखरखाव के लिए 3 वर्ष ।	**विचार:** वास्तविक लागत प्लस 5% आधार। रखरखाव के लिए– ₹ 107.34 करोड़।	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त हुई – ₹ 17.50 करोड़ अग्रिम राशि की वापसी – शून्य
2.	**इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड** (इरकॉन डीएच एचएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	कर्नाटक राज्य में एनएच–48 (पुराना एनएच–4) के किमी 260+000 से किमी 338+923 तक दावणगेरे हावेरी राजमार्ग परियोजना के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध इरकॉन को प्रदान किया जाना। कर्नाटक राज्य में दावण ागेरे – हावेरी खंड का अल्पकालिक नियमित रखरखाव और इंजीनियरिंग सुधार।	**तिथि:** ईपीसी समझौता दिनांक 04.01.2018। रखरखाव के लिए – एलओए दिनांक 22.12.2023 और समझौता दिनांक 07.03.2024। **अवधि:** पूर्णता अवधि नियुक्त तिथि से 30 महीने या इरकॉनडीएचएचएल द्वारा भूमि सौंपने तक जो भी बाद में हो। इसके अलावा, इरकॉनडीएचएचएल के दिनांक 16.06.2023 के पत्र के माध्यम से 31.10.2024 तक बढ़ा दी गई है। रखरखाव के लिए – पूर्णता अवधि ओएंडएम के लिए परियोजना स्थल सौंपने की तिथि से 02 वर्ष है।	**विचारणीय राशि:** ₹916.93 करोड़ प्लस जीएसटी रखरखाव के लिए – ₹8.08 करोड़ प्लस 5% वास्तविक व्यय और जीएसटी।	लागू नहीं	शून्य

क्रम संख्या	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन–देन	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं /लेनदेनों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
3.	**इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड** (इरकॉन वीकेईएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	गुजरात राज्य में किमी 323+000 से किमी 355+000 तक आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध इरकॉन को दिया गया है। इसके अलावा, वडोदरा किम एक्सप्रेसवे परियोजना में पीसीओडी के बाद शुरुआती 04 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव कार्यों का निष्पादन।	**दिनांक:** ईपीसी समझौता दिनांक 09.11.2018 जैसा कि 10.08.2019 को दर्ज परिशिष्ट 1 और 03.01.2020 को दर्ज परिशिष्ट 2 के अनुसार संशोधित किया गया। रखरखाव के लिए – एलओए दिनांक 15.05.2023। **अवधि:** नियत तिथि से पूर्णता अवधि 730 दिन है। इसके अलावा, इरकॉनवीकेईएल पत्र दिनांक 27.05.2022 के अनुसार 30.05.2022 तक बढ़ा दी गई। एनएचएआई और एसपीवी के बीच दिनांक 31.10.2023 को हस्ताक्षरित समझौता समझौते की शर्तों के अनुसार परियोजना की अवधि को आगे बढ़ाया गया। बाद में, 09.01.2024 को सीओडी प्राप्त किया गया। रखरखाव के लिए – पीसीओडी की तारीख से 04 वर्ष, 26.08.2022 से प्रभावी।	**विचारणीय राशि:** ₹ 1543 करोड़ प्लस जीएसटी (मूल) ₹ 1760 करोड़ प्लस जीएसटी (संशोधित) रखरखाव के लिए – ₹ 43.29 करोड़ जीएसटी और वृद्धि सहित	लागू नहीं	शून्य
4.	**इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड** (इरकॉन जीआरएचएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	इरकॉन जीआरएचएल द्वारा हरियाणा राज्य में फीडर रूट के रूप में एनएच–352डब्ल्यू (डिजाइन लंबाई 46.110 किमी) के गुड़गांव–पटौदी–रेवाड़ी खंड के उन्नयन के कार्य के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध इरकॉन को प्रदान किया जाना।	**तिथि:** ईपीसी समझौता दिनांक 30.06.2021 और पूरक समझौता संख्या 1 दिनांक 17.08.2022 और पूरक समझौता संख्या 2 दिनांक 30.03.2023। पूरक समझौता संख्या 3 दिनांक 14.07.2023। **अवधि:** नियत तिथि से पूरा होने की अवधि 730 दिन है और पूरा होने की आगे संशोधित तिथि है **क)** किमी. 0.00 से किमी. 6.00 – 31.03.2025 और **ख)** किमी. 6.00 से किमी. 43.87 – 31.12.2024 जैसा कि एनएचएआई और एसपीवी के बीच निपटान समझौते के लिए अंतिम रूप दिया गया और सहमति व्यक्त की गई।	**विचारणीय राशि:** ₹ 606.054 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त हुई ₹29.34 करोड़ अग्रिम राशि की वापसी– शून्य

क्रम संख्या	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन–देन	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं /लेनदेनों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
5.	**इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड** (इरकॉन एएसईएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	महाराष्ट्र राज्य में वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के शिरसाद से अकलोली सेक्शन–एसपीयूआर में किमी 3.000 से किमी 20.200 तक आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध इरकॉन को प्रदान किया गया।	**दिनांक:** ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022। **अवधि:** पूर्ण होने की अवधि नियुक्त तिथि से 548 दिन मानी जाएगी। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।	**विचार:** ₹ 1060.23 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	शून्य
6.	**इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड** (इरकॉन एलआरएचएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	पंजाब राज्य में लुधियाना – रूपनगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 250K पर चार/छह लेन के ग्रीनफील्ड निर्माण के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध प्रदान करना, जिसमें लुधियाना बाईपास पैकेज–3 के साथ खरड़ तक जाने वाला स्पर (डिजाइन सीएच. 66+440 से डिजाइन सीएच. 90+500 तक और खरड़ तक जाने वाला स्पर (डिजाइन सीएच. 0+000 से डिजाइन सीएच. 19+200 तक – कुल लंबाई = 43.26 किमी) शामिल है, इरकॉन को प्रदान करना।	**दिनांक:** ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 **अवधि:** पूर्ण होने की अवधि नियुक्त तिथि से 730 दिन मानी जाएगी। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।	**विचार:** ₹ 993.86 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	शून्य
7.	**इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड** (इरकॉन बीएमईएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	महाराष्ट्र राज्य में वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के भोज से मोरबे सेक्शन – एसपीयूआर में किमी 69.800 से किमी 79.783 तक आठ लेन एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) अनुबंध इरकॉन को प्रदान किया गया।	**दिनांक:** ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 **अवधि:** पूर्ण होने की अवधि नियुक्त तिथि से 910 दिन मानी जाएगी। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।	**विचारणीय राशि:** ₹1321.25 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त हुई ₹21.63 करोड़ अग्रिम राशि की वापसी– शून्य

क्रम संख्या	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन–देन	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/ लेनदेन की अवधि	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं /लेनदेनों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
8.	**इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड** (इरकॉन एचबीएल) एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी	उत्तराखंड राज्य में हरिद्वार बाईपास पैकेज–1 के किमी. 0+000 (एनएच–58 के किमी. 188+100) से किमी.15+100 (एनएच 74 के किमी. 5+100) तक उन्नयन और चार लेनिंग के लिए इंजीनियरिंग खरीद निर्माण (ईपीसी) अनुबंध इरकॉन को प्रदान किया जाना	**दिनांक:** ईपीसी समझौता दिनांक 02.09.2022 **अवधि:** पूर्ण होने की अवधि नियुक्त तिथि से 730 दिन मानी जाएगी। आगे कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा।	**विचार:** ₹ 784.58 करोड़ प्लस जीएसटी	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त –शून्य अग्रिम राशि की वापसी– ₹4.16 करोड़
9.	**छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)** एक संयुक्त उद्यम कंपनी	छत्तीसगढ़ में ईस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना के क्रियान्वयन का कार्य सीईआरएल द्वारा इरकॉन को सौंपा गया	**तिथि:** परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 18.01.2014 **अवधि:** जब तक रेलवे कॉरिडोर रियायत समझौते के अनुरूप चालू नहीं हो जाता।	इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत के साथ–साथ ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त हुई ₹ 0.74 करोड़ अग्रिम राशि की वापसी ₹ 0.08 करोड़
10.	**छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीइडब्लूआरएल)** एक संयुक्त उद्यम कंपनी	छत्तीसगढ़ में ईस्ट–वेस्ट कॉरिडोर रेल परियोजना के निष्पादन का कार्य सीइडब्लूआरएल द्वारा इरकॉन को सौंपा गया	**तिथि:** परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 05.04.2014 **अवधि:** रेलवे कॉरिडोर के रियायत समझौते के अनुरूप चालू होने तक।	इरकॉन को कार्य की वास्तविक लागत के साथ–साथ ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	अग्रिम प्राप्त हुआ ₹ 65.54 करोड़ अग्रिम की वापसी ₹ 86.59 करोड़
11.	**महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)** एक संयुक्त उद्यम कंपनी	व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिजाइन तैयार करने और पहचान की गई परियोजना लाइनों और साइडिंग के निर्माण के लिए एमसीआरएल द्वारा इरकॉन को कार्य सौंपना	**तिथि:** परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 19.04.2016 **अवधि:** रेलवे कॉरिडोर के रियायत समझौते के अनुरूप चालू होने तक।	इरकॉन को एफआर और डीपीआर के लिए परियोजना की लागत का एक प्रतिशत और कार्य की वास्तविक लागत के साथ–साथ निर्माण के लिए ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध के अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य
12.	**झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)** एक संयुक्त उद्यम कंपनी	व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिजाइन तैयार करने और पहचान की गई परियोजना लाइनों और साइडिंग के निर्माण के लिए जेसीआरएल द्वारा इरकॉन को कार्य सौंपना	**तिथि:** परियोजना निष्पादन समझौता दिनांक 28.03.2016 **अवधि:** रेलवे कॉरिडोर के रियायत समझौते के अनुरूप चालू होने तक।	इरकॉन को एफआर और डीपीआर के लिए परियोजना की लागत का एक प्रतिशत और कार्य की वास्तविक लागत के साथ–साथ निर्माण के लिए ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध के अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	अग्रिम राशि प्राप्त हुई ₹405.61 करोड़ अग्रिम राशि की वापसी ₹403.76 करोड़

क्रम संख्या	संबंधित पक्ष का नाम और रिश्ते की प्रकृति	अनुबंधों की प्रकृति / व्यवस्थाएँ / लेन–देन	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेनदेन की अवधि	अनुबंधों/ व्यवस्थाओं /लेनदेनों की मुख्य शर्तें, यदि कोई हो तो मूल्य सहित	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथि, यदि कोई हो	इरकॉन द्वारा अग्रिम के रूप में प्राप्त/भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो
13.	**बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)** एक संयुक्त उद्यम कंपनी	व्यवहार्यता रिपोर्ट, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, डिजाइन तैयार करने और पहचान की गई परियोजना लाइनों और साइडिंग के निर्माण के लिए बीआरपीएल द्वारा इरकॉन को कार्य सौंपना	**तिथि:** परियोजना निष्पादन समझौता 19.07.2017 को दर्ज किया गया है **अवधि:** रेलवे कॉरिडोर के रियायत समझौते के अनुरूप चालू होने तक।	इरकॉन को एफआर और डीपीआर के लिए परियोजना की लागत का एक प्रतिशत और कार्य की वास्तविक लागत के साथ–साथ निर्माण के लिए ओवरहेड्स और लाभ के लिए अनुबंध के अतिरिक्त निर्दिष्ट प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा।	लागू नहीं	शून्य

टिप्पणी:

1. उपर्युक्त सभी लेन–देन इरकॉन की लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।
2. उपर्युक्त लेन–देन के अलावा, एक ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर इरकॉन या उसकी किसी सहायक कंपनी के संबंधित पक्ष के बीच सामान्य कारोबारी क्रम में वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए प्रत्येक अनुबंध/समझौते/लेन–देन के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के लिए लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित अन्य लेन–देन और व्यवस्थाएं इस प्रकार हैं (i) मशीनरी, जनशक्ति और अन्य संसाधनों के लिए बाजार दरों पर सेवाएं प्रदान करना या प्राप्त करना; (ii) स्थान को पट्टे पर देना/किराए पर लेना; और/या (iii) माल या सामग्री की बिक्री/खरीद के अप्रत्याशित लेनदेन में प्रवेश करना या सेवाओं का लाभ उठाना या प्रदान करना।
3. उपरोक्त लेन–देन के अलावा, मध्यस्थता दावों के लिए आईएसटीपीएल से प्राप्त अग्रिम राशि के विरुद्ध ₹45 करोड़ की राशि बकाया है।
4. सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनियों आदि को दिए गए ऋण, उनमें किए गए निवेश और ऋण के संबंध में प्रदान की गई गारंटी। सदस्य वित्तीय विवरणों का संदर्भ ले सकते हैं जो IND AS–24 के अनुसार संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण और वित्तीय वर्ष के दौरान लेनदेन को निर्धारित करते हैं।

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
(हरि मोहन गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
(डीआईएनरू 08453476)

दिनांक: 13 अगस्त, 2024
स्थान: गाजियाबाद

NOTE

स्टेंडएअलोन
वित्तीय
विवरण
2023—24

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (कंपनी) के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र और इस वर्ष की समाप्ति के लिए लाभ और हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) और रोकड़ प्रवाह विवरण तथा समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश तथा अन्य विवरणात्मक सूचना शामिल हैं, जिसमें अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका में कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापरीक्षा तिथि को समान वर्ष के लिए रिटर्न में शामिल किया गया है।

हमने 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित 3 (तीन) विदेशी शाखाओं का दौरा नहीं किया है और लेखापरीक्षा के प्रयोजन से संगत सूचना हमें निगमित कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 ("इंड एएस") और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह।

यह रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप संशोधित की गई है, और यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत 21 मई, 2024 की हमारी पिछली रिपोर्ट का स्थान लेती है।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों ("एसए") के अनुसार स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य नीचे "अन्य मामले" पैराग्राफ में संदर्भित है, स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8.1 के फुटनोट संख्या (iii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक यानी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (इरकॉन) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी को आईआरएसडीसी में अपने द्वारा किए गए निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखांकन मानक जो पाँच चरणों वाला राजस्व मान्यता मॉडल निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का अनुमान लगाने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्य क्षेत्र, दावों (मुआवजा, छूट आदि) और अन्य भुगतानों में परिवर्तनों पर मूल्यांकन और निर्णय किए जाने की आवश्यकता होती है, जिस सीमा तक निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है। कंपनी इनपुट विधि लागू करके निष्पादन दायित्व को मापती है। उन अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है, आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है। ऑर्डर पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, परिवर्तन आदेश या निरस्तीकरण पर विचार करना होगा। परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए अपेक्षित नुकसान की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, इकाइयों को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंधों में मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना आवश्यक है। राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में निम्नलिखित से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं– i. अलग–अलग निष्पादन दायित्वों की पहचान; ii. पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण; iii. किसी समय या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखा मानक में प्रकटीकरण शामिल है जिसमें अलग–अलग राजस्व और अवधि के संबंध में जानकारी का संग्रह शामिल है जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को बैलेंस शीट तिथि के बाद पूरा किया जाएगा। इन निर्णयों से राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया और इसके लिए उच्च स्तर के लेखा परीक्षा प्रयास की आवश्यकता थी। स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 39 देखें।	– हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। हमने जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जो पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमने अनुबंधों का एक नमूना चुना, और अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने नमूना आधार पर डब्ल्यूआईपी शेष राशि में शामिल लागतों की भी जांच की और अनुबंधों के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्यों की तुलना अनुमानित लागत के साथ करके उनकी वसूली का परीक्षण किया। हमने राजस्व मान्यता पर निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, जिसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व है या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय बिंदु पर पूरा किया जा रहा है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा, उनका विश्लेषण किया और उनकी पहचान की। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने और दर्ज किए गए दायित्वों से की। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया। • जाँच की कि क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है। • प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ निष्पादित कीं।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

आकस्मिक देयताएं आकस्मिक देयताएंः कंपनी के प्रति विभिन्न मंचों के समक्ष कई मुकदमें लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन निर्णय की एक महत्वपूर्ण भूमिका शामिल है। (लेखांकन नीति सं. 2.2.16 के साथ पठित, स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों का नोट संख्या–37 का सन्दर्भ लें)।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया हैः • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक गतिविधियों की समीक्षा करना। • समक्ष प्राधिकारियों के हाल के आदेशों की जाँच करना और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त पत्राचार और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई करना। • चर्चा के माध्यम से कंपनी के मतों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय के विवरण का संग्रहण, संभावित परिमाणों और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित आउटफ्लो का निर्धारण करना।
सिस्टम परिवेश एवं आतंरिक नियंत्रण कंपनी के पास एसएपी प्रणाली विद्यमान है और केवल अएफआई–सीओ और पे–रोल माड्युल को ही क्रियान्वित किया गया है, और अन्य प्रणालियां जैसे इन्वेंटरी, एम.एम माडयुल आदि क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण सहायता के साथ एसएपी परियोजना सिस्टम माड्यूल (पीएस) की आवश्यकता परियोजना बीजकों को तैयार किए जाने के लिए अपेक्षित है। कम्पनी की सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पूर्णतः स्वचालित नहीं है तथा इसमें वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा रिपोर्टिंग के लिए मैनुअल हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता पड़ती है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थेः • आईटी वातावरण पर प्रबंधन और आईटी विभाग के साथ चर्चा करना और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी सिस्टम की अहम भूमिका को समझने के लिए प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर विचार करना। • कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों से संबंधित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के डिजाइन का परीक्षण करना। • हमने सिस्टम इंटरफेस के आसपास कंपनी के नियंत्रणों का भी परीक्षण किया। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस ऑडिट प्रक्रियाएं लागू कीं कि जिन क्षेत्रों में मैनुअल नियंत्रण हैं, वे प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। • हमारी ऑडिट योजना और प्रक्रियाओं में वे विभिन्न रिपोर्ट भी शामिल हैं, जो सिस्टम तैयार करता है और जिनके बिना हमारे लिए बैलेंस शीट के विभिन्न शीर्षों का डेटा एकत्र करना मुश्किल होता है।

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर ऑडिटर की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्टैंडअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

लेखांकन नीति (एसए) के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के भाग के रूप में, हमें व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण लेखापरीक्षा के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण को अपनाते हैं। हम यह भी उल्लेख करते हैं कि:

- वित्तीय विवरणों में तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान तथा मूल्यांकन करना तथा ऐसे जोखिमों पर प्रभावीय लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का स्वरूप तैयार लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं करके अपने मत के आधार के लिए ऐसे लेखा परीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हो। पता न लगाई जा सकी किसी जालसाजी से किए गए तथ्यात्मक दुर्विवरण के जोखिम परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां साठ गांठ, धोखाधड़ी, किन्हीं उद्देश्यों से की गई चूक, गलत बयानी अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखा परीक्षा से सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रण को संज्ञान में लेना। कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (3) (i) के अंतर्गत हमारा दायित्व अपने इस मत की अभिव्यक्ति करना भी है कि क्या कम्पनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सिस्टम स्थापित किया गया है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों पर यह सिस्टम प्रभावी है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों की औचित्यपरकता एवं सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखा परीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या स्थितियां अथवा परिस्थितियां है जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे गोइंग कंसर्न के लिए कम्पनी की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संबद्ध प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने तथा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा है। हमारे द्वारा किया गया निश्चय हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण हो सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं।

वस्तुतः स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले दुर्विवरण, अलग–अलग अथवा सामुच्य, की वस्तुपरक जटिलता कुछ इस प्रकार की होती है कि इन वित्तीय विवरणों का औचित्य ज्ञान रखने वाले उपयोक्ता द्वारा लिए जाने वाले निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (1) अपने लेखा परीक्षा कार्य के कार्य क्षेत्र की योजना के निर्माण तथा अपने कार्य के परिणाम के मूल्यांकन, तथा (ii) वित्तीय विवरणों में से संज्ञान में लिए दुर्विववरण के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए तथ्यपरक मात्रा एवं गुणात्मक कारकों को विचार में लेते हैं।

हम, अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की समय सारणी एवं लेखा परीक्षण के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हमारे द्वारा शासन व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को लेखा परीक्षा स्वतंत्रता से संबंद्ध आचार अपेक्षाओं के संबंध में हमारे द्वारा समेकित विवरण भी प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी लेखा परीक्षा स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हो, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबंधता एवं अन्य मामलों का सम्प्रेषण भी उन्हें किया गया है।

कार्पोरेट व्यवस्था की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को सम्प्रेषित मामलों में से हमने उन मामलों का निर्धारण किया है चालू अवधि के स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के अत्यधिक महत्वपूर्ण थे तथा तदनुसार जो प्रमुख लेखा परीक्षा मामले थे। अपनी लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में हमने उन मामलों का वर्णन किया है जो विधि अथवा विनियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों के सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं अथवा जहां, अत्यधिक विरल परिस्थितियों में, हमारे द्वारा किन्हीं परिणामों की संभावना के कारण किसी मामले की अभिव्यक्ति न करने का निर्धारण किया गया है क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति किए जाने से सार्वजनिक हितों पर औचित्यपरक रूप में काफी प्रभाव हो सकता है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल चार (4) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2024 तक कुल संपत्ति 831.76 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 709.32 करोड़ रुपये), कुल राजस्व 548.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 401.53 करोड़ रुपये) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल पीबीटी 112.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपये) परिलक्षित होती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा–जोखा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित हमारी राय है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

- वित्तीय विवरणों में (–) ₹ 0.08 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹ 0.08 करोड़), दो (2) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा–जोखा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दो (2) संयुक्त परिचालन खातों में कंपनी का हिस्सा ₹ 0.90 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹ 0.47 करोड़) शामिल है।
- इंडएएस–1 में किए गए संशोधनों के संबंध में स्टैंडएअलोन इंडएएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 (ii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है, ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक **''अनुलग्नक क''** में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम के अनुच्छेद 143 (3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

   (क) हमने वे सब सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए है जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक हैं।

   (ख) हमारे मतानुसार, विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा लेखोंकी उचित बहियों का अनुरक्षण किया गया है जैसा कि अभी तक इन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत हुआ है और हमारी लेखापरीक्षा के लिए पर्याप्त उचित रिटर्न उन शाखाओं से प्राप्त हुए हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है

   (ग) शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम के अनच्छेद–143(8) केअंतर्गत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमारे द्वारा इसकी उचित व्यवस्था की गई है।

   (घ) इस रिपोर्ट में वर्णित तुलनपत्र, लाभ–हानि विवरण (अन्य वृहत आय सहित) तथा रोकड़ प्रवाह विवरण तथा इक्विटी में परिवर्तनों का विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

   (ङ) हमारे मतानुसार, उपयुक्त स्टेंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के साथ पठनीय अधिनियम के अनुच्छेद 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) से संगत हैं।

   (च) सरकारी कंपनी होने के कारण भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं जीएसआर–463 (ई) तारीख 05 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा–164(2) के प्रावधानों कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

   (छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनिक प्रभाव का उल्लेख ''अनुबंध–ख'' में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में किया गया है

   (ज) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   (झ) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

   (ञ) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसारः

   i. कंपनी ने अपने स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण ों के लिए नोट संख्या 37 देखें।

   ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, जो दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए हैं। स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 19.2 देखें। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

   iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

   iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 45 में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (''मध्यस्थ'') शामिल है, को कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

   ख) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

ग) परिस्थितियों में उचित और समुचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) में प्रावधान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

v. जैसा कि स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा नीति संख्या 2.2.15 में कहा गया है

क) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लागू है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	विवरण	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन संव्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था स्थापित की गई है। यदि हां, तो लेखांकन संव्यवहारों को बाह्य सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से की जाने वाली प्रक्रिया से लेखों के समेकन में होने वाली कठिनाईयों तथा वित्तीय कठिनाईयों, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कंपनी, भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं में भी एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय प्रभाव नहीं देखा गया था।
2.	क्या किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋण की किसी प्रकार की पुनर्सरचना अथवा छूट/बट्टा किए जाने की प्रक्रिया की गई है? यदि हां, तो इससे संबंधित किसी प्रकार की वित्तीय बाध्यताएं हों तो उसका विवरण प्रस्तुत करें।	जी नहीं। कम्पनी के सम्मुख किसी विद्यमान ऋण अथवा उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि के संबंध में कम्पनी द्वारा ऋण अदायगी न किए जाने के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की किसी प्रकार की पुनर्सरचना का कोई मामला नहीं है। हालांकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, कंपनी चालू वर्ष के लिए ब्याज को माफ कर दिया है। हालांकि, ने 16.31 करोड़ रुपए की राशि हेतु इंड एएस के अनुसार उचित मूल्यांकन आधार पर ब्याज को बुक किया है।
3.	क्या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र/राज्य एजेंसियों से प्राप्त/प्राप्य से प्राप्य निधियों का उचित लेखा रखा गया है/नियमों एवं शर्तों के अनुसार उचित उपयोग किया गया है। व्यतिक्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्र/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के अंतर्गत कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है/प्राप्य नहीं है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फॉर्म पंजीकरण संख्या: 001770C

ह0/–
संजय अग्रवाल
(भागीदार) सदस्य सं.: 072867
यूडीआईएन: 24072867BKHCUG429

दिनांक: 1 जुलाई, 2024
स्थान: नई दिल्ली

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और कंपनी द्वारा हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरण और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की सामान्य लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा की गई जांच के अनुसार, हम उल्लेख करते हैं किः

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति के संबंध में:

क) (क) कंपनी ने मात्रात्मक विवरण और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक रूप से सत्यापित किया गया था। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए उचित है। ऐसे सत्यापनों में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं पाई गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, तुलनपत्र के तारीख को सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार और समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया जाता है), के शीर्षक/पट्टा विलेख संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत शामिल वित्तीय विवरण में प्रकटन कंपनी के नाम पर किए गए हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं किए गए हैं, जैसा कि नोट संख्या 07 परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार के अतिरिक्त प्रकटीकरण में खुलासा किया गया है।

घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्ति प्रयोग अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।

(ii) क) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेटी (तृतीय पक्ष के पास रखे स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है द्य तीसरे पक्ष के पास पड़ी दरसूची के संबंध में, उनके द्वारा पर्याप्त रूप से पुष्टि की गई है द्य हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपर्युक्त है। पुस्तक अभिलेखों के साथ भौतिक सत्यापन की तुलना करने पर सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10 प्रतिशत या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखि गई है।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश को छोड़कर, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पक्षों को गारंटी प्रदान की है, असुरक्षित ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान फर्मों, सीमित देयता भागीदारी को ऋण की प्रकृति में गारंटी प्रदान नहीं की है या ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

क) (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को निम्नानुसार ऋण दिया हैः

(करोड़ रुपए में)

	गारंटी	ऋण	ब्याज मुक्त ऋण
वर्ष के दौरान डी गई/ प्रदान की गई कुल राशि			
–सहायक कंपनियों*	0.78	शून्य	165.76
–संयुक्त उपक्रम*	350.74	-	63.62
तुलन–पत्र की तारीख के अनुसार बकाया शेष			
–सहायक कंपनियों*	2046.33	313.60	686.69
–संयुक्त उपक्रम*	1712.30	-	245.33

*कंपनी अधिनियम के तहत

(ख) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण के रूप में निम्नानुसार अग्रिम राशि प्रदान की हैः

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(करोड़ रुपए में)

	ऋण की प्रकृति में अग्रिम– कर्मचारी अग्रिम
वर्ष के दौरान स्वीकृत/प्रदान की गई कुल राशि – अन्य पक्ष	0.30
बैलेंस शीट की तिथि पर बकाया शेष राशि – अन्य पक्ष	1.27

ख) हमारी राय में वर्ष के दौरान ऋण की प्रकृति में किए गए निवेश और प्रदान की गई गारंटी और ऋण और अग्रिम देने की शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनियों और कर्मचारियों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्ति की अनुसूची निर्धारित की गई है और चुकौती या प्राप्तियां शर्त के अनुसार नियमित हैं, सिवाय इसकी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) के मामले में, जहां कंपनी ने 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है।

घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, बैलेंस शीट की तिथि तक 90 दिनों से अधिक की कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ङ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति के किसी भी ऋण या अग्रिम राशि, जो वर्ष के दौरान देय हो गई हो, का नवीकरण या विस्तार नहीं किया गया है, या उन्हीं पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की बकाया राशि के निपटान के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि को निर्दिष्ट किए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी की सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों के रखरखाव को निर्दिष्ट किया गया है। हमने अभिलेखों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और अभिलेख बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए अभिलेखों की कोई विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii) क) कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उचित अधिकारियों के साथ लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है जो 31.03.2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया था।

ख) उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवाद के कारण 31.03.2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर– एजीआरपी	0.50	2007-08 से 2012-13	अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	इंट्री कर– एजीआरपी	0.02	2008-09 से 2013-14	अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	उ.प्र. व्यापार कर	3.89	2004-05 से 2007-08	उप आयुक्त वाणिज्य कर, (कर निर्धारण प्राधिकारी), खंड – 9, बरेली, उ.प्र.
4	बिक्री कर	यूपी–01	0.16	2007-08	उप आयुक्त वाणिज्य कर, (कर निर्धारण प्राधिकारी), खंड – 9, बरेली, उ.प्र.
5	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी–1	3.41	2007-08 से 2008-09	उप आयुक्त वाणिज्य कर, (कर निर्धारण प्राधिकारी), खंड – 9, बरेली, उ.प्र.

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र.सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहां विवाद लंबित है
6	बिक्री कर	यूपीवैट एक्ट–	0.15	2007-08 से 2009-10	उपायुक्त वाणिज्य कर, (कर निर्धारण अधिकारी), खंड – 9, बरेली, उत्तर प्रदेश
7	बिक्री कर	यूपी–01 (प्रवेश कर)	0.01	2010-11	उपायुक्त वाणिज्य कर, (कर निर्धारण अधिकारी), खंड – 9, बरेली, उत्तर प्रदेश
8	बिक्री कर	यूपीवैट एक्ट–यूपी–01	0.26	2007-08 से 2009-10	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
9	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08	0.003	2014-15	अपर आयुक्त अपील, नोएडा
10	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08 प्रवेश कर	1.31	2006-07 से 2007-08	वाणिज्य कर अपील अधिकरण झांसी बेंच, झांसी, उत्तर प्रदेश
11	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी–05	0.01	2005-06	उच्च न्यायालय इलाहाबाद
12	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी–05	3.27	2007-08 से 2009-10	वाणिज्य कर अपील अधिकरण झांसी बेंच, झांसी, उत्तर प्रदेश
13	बिक्री कर	यूपीवैट–यूपी–05	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
14	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	बिक्री कर 2010–	0.08	1982-83 and 1989-90	मर्गोया
15	बिक्री कर	11–जीईडी	0.50	2011-12 से 2014-15	अपीलीय प्राधिकारी, डिप्टी कमिश्नर, झांसी
16	बिक्री कर	बिक्री कर के लिए मांग उठाई गई	1.19	2006-07	सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, मडगाँव
17	सेवा कर	बिक्री कर जीईडी गोवा	0.55	2015-16 से 2017-18	वैट न्यायाधिकरण चंडीगढ़
18	सेवा कर	मांग उठाई गई	0.56	2015-16	सीईएसटीएटी इलाहाबाद
19	उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948	सेवा कर मांग	1.24	2005-06 और 2006-07	उपायुक्त वाणिज्यिक कर, जयपुर
20	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	सेवा कर मांग	0.12	2015-16 से 2017-18	वाणिज्य कर अपीलीय न्यायाधिकरण कानपुर बेंच, उत्तर प्रदेश के समक्ष अपील लंबित है।
21	उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948	यूपी बिक्री कर – धारा 3 खा	0.05	2002-03 और 2003-04	कर निर्धारण प्राधिकारी – डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यिक कर, नोएडा को समायोजन पत्र प्रस्तुत किया गया। उत्तर प्रदेश
22	उत्तर प्रदेश वेट अधिनियम, 2008	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	0.03	2016-17	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
23	महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम 2017	यूपी प्रवेश कर – जीबी नगर	0.22	2018-19	अतिरिक्त आयुक्त के पास अपील दायर की गई अपील
24	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	14.36	1999-00 से 2005-06	प्रथम अपील – संयुक्त आयुक्त अपील, महाराष्ट्र के समक्ष अपील दायर की गई।
25	बिक्री कर – एमआरओ	बिक्री कर – एमआरओ	3.51	1995-96 और 1996-97	जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू और उपायुक्त

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र.सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहां विवाद लंबित है
26	बिक्री कर–एमआरओ	बिक्री कर – एमआरओ	3.97	2010-11 और 2011-12	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर अपील, मुंबई
27	पश्चिम बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम 1994	बिक्री कर	0.26	1998-99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, पश्चिम बंगाल
28	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003	वेट	0.72	2004-05,2016-17 और 2017-18	सहायक बिक्री कर आयुक्त कॉलेज सेंट चार्ज, कोलकाता
29	सेवा कर	सेवा कर (ठमींसं)	0.87	2015-16 से 2016-17	संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त कोलकाता
30	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	ब्रेकेट/कैंटिलीवर असेंबली पर उत्पाद शुल्क लगाना	0.66	1998-99	सीईएसटीएटी (विभाग अपील)
31	डीजीएफटी मामले एफडीटीआर अधिनियम, 1992	ड्यूटी ड्रॅाबैक	2.89	1991-1992	दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील
32	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	12.91	2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी
33	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	5.60	2009-10 से 2013-14	सीईएसटीएटी
34	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	2.06	2016-17 से 2017-18	सीईएसटीएटी
35	बिहार वेट अधिनियम	वैट टीडीएस	5.98	2005-06 और 2006-07	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (अपील) केन्द्रीय प्रमंडल, पटना
36	बिहार वेट अधिनियम	वेट	0.003	2010-11	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील) केन्द्रीय संभाग पटना
37	बिहार वेट अधिनियम	वेट	29.20	2012-13	कार्यालय संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील) केन्द्रीय संभाग पटना
38	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	33.46	2013-14	उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका
39	बिहार वेट अधिनियम	बिहार वेट	25.54	2014-15	उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई
40	सेवा कर	सेवा कर	2.16	2015-16	सीईएसटीएटी, कोलकाता
41	बिहार वेट अधिनियम 2005	धारा 31 के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन	0.92	2015-16	वाणिज्य कर (अपील) केंद्रीय प्रभाग पटना के संयुक्त आयुक्त का कार्यालय
42	सेवा कर	सेवा कर जग्दालपुर	2.84	2016-17 से 2017-18	केंद्रीय एवं सीमा शुल्क अपील आयुक्त, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील दायर की गई
43	बिहार वेट अधिनियम 2005	धारा 31 के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन	19.63	2016-17	बिहार वैट विभाग, पश्चिम सर्किल पटना के समक्ष अपील

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क्र.सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	फोरम जहां विवाद लंबित है
44	बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के तहत मांग आदेश	3.83	2017-18	प्रथम अपील के समक्ष अपील दायर की गई– सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं पटना पश्चिम, पटना पश्चिम, बिहार
45	बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के तहत मांग आदेश	0.31	2018-19	प्रथम अपील के समक्ष अपील दायर की गई– सहायक आयुक्त, राज्य कर एवं पटना पश्चिम, पटना पश्चिम, बिहार प्रथम अपील के समक्ष अपील।
46	यूपी वेट अधिनियम	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	1.19	2010-11	बिक्री कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
47	यूपी वेट अधिनियम	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	42.87	2014-15	बिक्री कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
48	यूपी वेट अधिनियम	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	14.73	2015-16	बिक्री कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
49	बांग्लादेश वैट और अनुपूरक अधिनियम 2012	वैट इंटेलिजेंस	0.45	2018-19 से 2022-23	डीजी, वैट ऑडिट, खुफिया और जांच निदेशालय
50	आय कर अधिनियम	मूल्यांकन मांग	10.51	2021-22	सीआईटी (अपील)
51	आय कर अधिनियम	मूल्यांकन मांग	0.07	2018-19	सीआईटी (अपील)
52	आय कर अधिनियम	मांग का पता लगाता है	0.25	2008-09 से 2010-11	टीडीएस सीपीसी, आयकर भवन, सेक्टर–3 वैशाली, गाजियाबाद
53	आय कर अधिनियम	मांग का पता लगाता है	0.03	2013-14 से 2016-17	टीडीएस सीपीसी, आयकर भवन, सेक्टर–3 वैशाली, गाजियाबाद

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और हमारे द्वारा भरोसा किया गया है।

(viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(ix) क) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) इकंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है

ग) कंपनी के पास कोई सावधि ऋण नहीं था जिसका उपयोग वर्ष के दौरान बकाया था और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(c) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच करने पर, हमने बताया कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(d) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ङ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच करने पर हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यम कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से धन नहीं जुटाया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(xi). क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म डब्ल्यूआईपी-4 में केंद्र सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।

ग) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

(xii) कंपनी निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3(xii) (क), (ख) और (ग) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xiii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन, जहां लागू हो, कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं तथा लागू लेखा मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों आदि में विवरणों का खुलासा किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखा परीक्षा अवधि के लिए आज तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होते हैं।

ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीयाआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(ख) लागू नहीं होते हैं।

घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियाँ (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है), इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी ने चालू और तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में नकद घाटा नहीं उठाया है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल तथा प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान तथा मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें यह विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती हो कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तिथि पर विद्यमान देनदारियों को बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

(xx) क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई भी राशि अप्रयुक्त नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधान के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 001770C
ह0/–

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 जुलाई, 2024

संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य सं.: 072867
UDIN : 24072867BKHCUG4294

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ''कंपनी'' की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, ''भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (इरकॉन) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रणष के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक है, दोनों को भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किया गया है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के अनुसार हमें नैतिक आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनानी चाहिए और उसे निष्पादित करना चाहिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित हुए थे।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, ष्कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुएष। हालाँकि, हमारे ऑडिट के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

क. कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है जिसका उपयोग इसकी पूरी क्षमता पर नहीं किया गया। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान बनाने के लिए एसएपी परियोजना प्रणाली मॉड्यूल (पीएस) की आवश्यकता है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है और एसएपी में इन्वेंट्री मैनुअल पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में पहचाने गए क्षेत्रों पर विचार किया है और ऊपर रिपोर्ट की है और ये क्षेत्र कंपनी के स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001770C
ह0/–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य सं.: 072867
UDIN : 24072867BKHCUG4294

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 01 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए
स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने **इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड** (''कंपनी'') के संलग्न स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक का बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाओं का सारांश शामिल है, जिसमें उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं, जो कंपनी की अल्जीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किए गए हैं (इसके बाद ''स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण'' के रूप में संदर्भित)।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित तीन (3) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। हालाँकि, हमने किसी भी विदेशी शाखा का दौरा नहीं किया है और ऑडिट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक जानकारी हमें कॉर्पोरेट स्तर पर प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (''इंड एएस'') और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, लाभ, कुल व्यापक आय, इक्विटी में बदलाव और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकदी प्रवाह।

राय का आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (''एसए'') के अनुसार स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य नीचे ष्अन्य मामलेष पैराग्राफ में संदर्भित है, स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 8.1 के फुटनोट संख्या (iii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक यानी भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और कंपनी को आईआरएसडीसी में अपने द्वारा किए गए निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में बताए जाने वाले मुख्य लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखांकन मानक जो पाँच चरणों वाला राजस्व मान्यता मॉडल निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का अनुमान लगाने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्य क्षेत्र, दावों (मुआवजा, छूट आदि) और अन्य भुगतानों में परिवर्तनों पर मूल्यांकन और निर्णय किए जाने की आवश्यकता होती है, जिस सीमा तक निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है। कंपनी इनपुट विधि लागू करके निष्पादन दायित्व को मापती है। उन अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है, आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है। ऑर्डर पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, परिवर्तन आदेश या निरस्तीकरण पर विचार करना होगा। परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए अपेक्षित नुकसान की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, इकाइयों को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंधों में मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना आवश्यक है। राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में निम्नलिखित से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं – i. विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान; ii. पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण; iv. किसी समय या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखा मानक में प्रकटीकरण शामिल है जिसमें अलग–अलग राजस्व और अवधि के संबंध में जानकारी का संग्रह शामिल है जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को बैलेंस शीट तिथि के बाद पूरा किया जाएगा। इन निर्णयों से राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया और इसके लिए उच्च स्तर के लेखा परीक्षा प्रयास की आवश्यकता थी। स्टैंडअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 39 देखें।	– हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। हमने जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जो पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमने अनुबंधों का एक नमूना चुना, और अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने नमूना आधार पर डब्ल्यूआईपीशेष राशि में शामिल लागतों की भी जांच की और अनुबंधों के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्यों की तुलना अनुमानित लागत के साथ करके उनकी वसूली का परीक्षण किया। – हमने राजस्व मान्यता पर निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, जिसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व है या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समयावधि में या किसी समय बिंदु पर पूरा किया जा रहा है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ें, उनका विश्लेषण करें और उनकी पहचान करें। • इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने गए और दर्ज किए गए दायित्वों से की गई। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए प्रयुक्त लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने के लिए अनुबंध की शर्तों पर विचार किया गया। • जाँच की गई कि क्या निष्पादन दायित्व समयावधि में या किसी समय बिंदु पर पूरा किया जा रहा है। • प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं निष्पादित की गईं

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

आकस्मिक देयताएं कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों में कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन के निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है। लेखांकन नीति संख्या 2.2.16 के साथ पढ़े गए स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 37 का संदर्भ लें।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल ही में प्राप्त आदेशों और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उसके बाद की कार्रवाई की जांच करना। • विचार–विमर्श के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय–वस्तु के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह।
सिस्टम वातावरण और आंतरिक नियंत्रण कंपनी में एसएपी सिस्टम है और केवल एफआई–सीओ और पेरोल मॉड्यूल ही लागू किया गया है और इन्वेंट्री, डड मॉड्यूल आदि जैसी अन्य प्रणाली कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान बनाने के लिए एसएपी प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल (पी.एस.) की आवश्यकता है। कंपनी में आईटी सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग में मैन्युअल हस्तक्षेप होता है। इसके लिए ऑडिट साक्ष्य का मूल्यांकन करने में ऑडिटर के उच्च स्तर के निर्णय और ऑडिट प्रयास की उच्च सीमा की आवश्यकता होती है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • आईटी परिवेश पर प्रबंधन और आईटी विभाग के साथ चर्चा करना तथा प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर विचार करना, ताकि यह समझा जा सके कि आईटी प्रणालियाँ वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में कहाँ अभिन्न अंग हैं। • कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों से संबंधित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के डिज़ाइन का परीक्षण करना। • हमने सिस्टम इंटरफेस के आसपास कंपनी के नियंत्रण का भी परीक्षण किया। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं लागू कीं कि जिन क्षेत्रों में मैनुअल नियंत्रण हैं, वे प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। • हमारी लेखापरीक्षा योजना और प्रक्रियाओं में विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं, जो सिस्टम तैयार करता है और जिनके बिना हमारे लिए बैलेंस शीट के विभिन्न शीर्षों के डेटा एकत्र करना मुश्किल होता है।

स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण, स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है, और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, अन्य व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे,

स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि निदेशक

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

मंडल कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखे, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत बयानों से मुक्त हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलत बयान का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलत बयान धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:
- स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी ऑडिट प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करना और निष्पादित करना, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऑडिट से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के हिसाब से उपयुक्त हों। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभावना बनाती है कि स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, जिनमें लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, वहां संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल चार (4) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/ वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2024 तक कुल संपत्ति 831.76 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 709.32 करोड़ रुपये), कुल राजस्व 548.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 401.53 करोड़ रुपये) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल पीबीटी 112.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपये) परिलक्षित होती है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/ सूचनाओं का लेखा–जोखा उन शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
- वित्तीय विवरणों में (–) ₹0.08 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹0.08 करोड़), दो (2) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा–जोखा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दो (2) संयुक्त परिचालन खातों में कंपनी का हिस्सा ₹0.90 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹0.47 करोड़) शामिल है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

- इंडएएस–1 में किए गए संशोधनों के संबंध में स्टैंडएअलोन प्दक्) वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 46 (ii) का संदर्भ आमंत्रित किया जाता है। जैसा कि प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है, ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नेहीं किया गया है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर लागू सीमा तक ''**अनुलग्नक क**'' में एक विवरण देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

    क. हमने वह सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

    ख. हमारी राय में, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है और हमारे द्वारा न देखी गई शाखाओं से भी हमारे लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त रिटर्न प्राप्त हुए हैं।

    ग. कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से कार्यवाही की गई है।

    घ. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का विवरण लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

    ङ. हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट इंड एएस का अनुपालन करते हैं।

    च. सरकारी कंपनी होने के कारण, अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार लागू नहीं होंगे।

    छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक ख" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

    ज. सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

    झ. संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

        i. कंपनी ने अपने स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 37 देखें।

        ii. कंपनी ने लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं, जो दीर्घकालिक अनुबंधों पर भौतिक पूर्वानुमानित नुकसान, यदि कोई हो, के लिए हैं। स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 19.2 देखें। कंपनी के पास कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

        iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था

        iv. क) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट संख्या 45 में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था (''मध्यस्थ'') शामिल है, को कोई भी धनराशि अग्रिम, ऋण या निवेश (चाहे उधार ली गई धनराशि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

        ख) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, खातों के नोट संख्या 45 में बताए गए अनुसार, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से, जिसमें विदेशी संस्था (''वित्तपोषण पक्ष'') शामिल है, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्षों द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं (''अंतिम लाभार्थी'') को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

ग) परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है।

v. जैसा कि स्टैंडएअलोन भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा नीति संख्या 2.2.15 में कहा गया है

क) पिछले वर्ष प्रस्तावित अंतिम लाभांश, जिसे कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार लागू है।

ख) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ग) कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

vi. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ़्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षानुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	कंपनी भारत में स्थित अपनी सभी परियोजनाओं और अपनी विदेशी शाखाओं के लिए एसएपी एस/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आय बिलिंग को छोड़कर, आईटी सिस्टम के बाहर कोई भी लेखा लेनदेन संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब–किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	नहीं, कंपनी के पास किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या कंपनी को ऋणदाता द्वारा किए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, होल्डिंग कंपनी ने चालू वर्ष के लिए ब्याज माफ कर दिया है। हालाँकि, कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के अनुसार उचित मूल्यांकन के आधार पर 16.31 करोड़ रुपये का ब्याज बुक किया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाइए।	हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्त होने योग्य नहीं है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरणसं.: 001770C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य सं.: 072867
यूडीआईएन : 24072867BKHCUD4431

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

"स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का परिशिष्ट क"

(इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को दी गई हमारी रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य क्रम में हमारे द्वारा जांची गई लेखा पुस्तकों और अभिलेखों के अनुसार, हमने कहा है कि:

(i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है

ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का भौतिक सत्यापन किया गया। सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। ऐसे सत्यापनों में कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं।

ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि, वित्तीय विवरण में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत शामिल सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित हैं) के शीर्षक/पट्टा विलेख बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के नाम पर हैं। हालांकि, कुछ मामलों में जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टे के समझौते कंपनी के पक्ष में निष्पादित नहीं हैं, जैसा कि "नोट संख्या 07" उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अतिरिक्त प्रकटीकरण में बताया गया है।

घ) बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(ii) क) वर्ष के दौरान उचित अंतराल पर प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री (तीसरे पक्ष के पास पड़े स्टॉक को छोड़कर) का भौतिक सत्यापन किया गया है। तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री के संबंध में, इनकी पुष्टि उनके द्वारा काफी हद तक की गई है। हमारी राय में, इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उचित है। बुक रिकॉर्ड के साथ भौतिक सत्यापन की तुलना करने पर इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई।

ख) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कोई कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम में निवेश को छोड़कर, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष में कोई निवेश नहीं किया है, सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों और अन्य पक्षों को गारंटी प्रदान की है, असुरक्षित ऋण और ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान किए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान फर्मों, सीमित देयता भागीदारी को ऋण की प्रकृति में गारंटी प्रदान नहीं की है या ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किए हैं।

क) (क) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी ने सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों को ऋण और गारंटी के रूप में ऋण, अग्रिम राशि प्रदान की है, जैसा कि नीचे दिया गया है

(₹ करोड़ में)

	गारंटी	ऋण	ब्याज मुक्त ऋण
वर्ष के दौरान दी गई/प्रदान की गई कुल राशि			
–सहायक कंपनियाँ*	0.78	शून्य	165.76
–संयुक्त उद्यम*	350.74	-	63.62
तुलन पत्र की तिथि पर बकाया शेष राशि			
–सहायक कंपनियाँ*	2046.33	313.60	686.69
–संयुक्त उद्यम*	1712.30	-	245.33

* कंपनी अधिनियम ने अनुसार

(ख) हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा प्रक्रिया और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अन्य पक्षों को ऋण के रूप में निम्नानुसार अग्रिम राशि प्रदान की है:

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

(₹ करोड़ में)

	ऋण की प्रकृति में अग्रिम– कर्मचारी अग्रिम
वर्ष के दौरान दी गई कुल राशि/ उपलब्ध कराई गई राशि – अन्य पक्ष	0.30
बैलेंस शीट की तिथि पर बकाया शेष राशि – अन्य पक्ष	1.27

ख) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और प्रदान की गई गारंटियां तथा ऋण और अग्रिम राशि प्रदान करने की शर्तें और नियम, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।

ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, हमारी राय में, कंपनियों और कर्मचारियों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम के मामले में, मूलधन की चुकौती और ब्याज की प्राप्ति की अनुसूची निर्धारित की गई है और चुकौती या प्राप्तियां शर्त के अनुसार नियमित हैं, सिवाय इसकी एक सहायक कंपनी, इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) के मामले में, जहां कंपनी ने 01 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए ब्याज माफ कर दिया है।

घ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण के संबंध में, बैलेंस शीट की तिथि तक 90 दिनों से अधिक की कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

ड़) कंपनी द्वारा दिए गए ऋण की प्रकृति के किसी भी ऋण या अग्रिम राशि, जो वर्ष के दौरान देय हो गई हो, का नवीकरण या विस्तार नहीं किया गया है, या उन्हीं पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की बकाया राशि के निपटान के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या बिना किसी शर्त या चुकौती अवधि को निर्दिष्ट किए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(iii)(च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(iv) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी की सड़क और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के संबंध में कंपनी अधिनियम की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्दिष्ट किया गया है। हमने रिकॉर्ड की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए गए हैं और उनका रखरखाव किया गया है। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड की कोई विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक या पूर्ण हैं या नहीं।

(vii). क) कंपनी आम तौर पर भविष्य निधि, आयकर, माल और सेवा कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उचित अधिकारियों के साथ लागू किसी भी अन्य वैधानिक बकाया सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी पर लागू नहीं है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई भी निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है जो 31.03.2024 तक देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया था।

ख) उप–खण्ड (क) में निर्दिष्ट वैधानिक बकाया का विवरण, जो विवाद के कारण 31.03.2024 तक जमा नहीं किया गया है, नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
1	बिक्री कर	बिक्री कर–एजीआरपी	0.50	2007-08 से 2012-13	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
2	बिक्री कर	प्रवेश कर–एजीआरपी	0.02	2008-09 से 2013-14	अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, गाजियाबाद
3	बिक्री कर	यूपी ट्रेड टैक्स यूपी–01	3.89	2004-05 से 2007-08	मूल्यांकन प्राधिकारी
4	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी–01 (प्रवेश कर)	0.16	2007-08	मूल्यांकन प्राधिकारी
5	बिक्री कर	यूपीवैट एक्ट–यूपी–01	3.41	2007-08 और 2008-09	अपील प्राधिकारी
6	बिक्री कर	यूपीवैट एक्ट–यूपी–01 (प्रवेश कर)	0.15	2007-08 से 2009-10	अपील प्राधिकारी
7	बिक्री कर	यूपीवैट एक्ट–यूपी–01	0.01	2010-11	उप आयुक्त
8	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08	0.26	2007-08 से 2009-10	अपील आयुक्त, नोएडा
9	बिक्री कर	बिक्री कर–बीई–08 प्रवेश कर	0.003	2014-15	अपर आयुक्त अपील, नोएडा

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

क्र. सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
10	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी–05	1.31	2006-07 से 2007-08	ट्रिब्यूनल झांसी बेंच
11	बिक्री कर	यूपीटीटी–यूपी–05	0.01	2005-06	हाई कोर्ट इलाहाबाद
12	बिक्री कर	यूपीवैट–यूपी–05	3.27	2007-08 से 2009-10	ट्रिब्यूनल झांसी बेंच
13	बिक्री कर	बिक्री कर 2010–11 जीईडी	0.05	2010-11	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगांव
14	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008	बिक्री कर की मांग उठाई गई	0.08	1982-83 और 1989-90	अपीलीय प्राधिकारी, झांसी
15	बिक्री कर	बिक्री कर जीईडी गोवा	0.50	2011-12 से 2014-15	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, मडगांव
16	बिक्री कर	मांग बढ़ाई गई	1.19	2006-07	वैट न्यायाधिकरण चंडीगढ़
17	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.55	2015-16 से 2017-18	सीईएसटीएटी इलाहाबाद
18	सेवा कर	सेवा कर मांग	0.56	2015-16	उप/सहायक आयुक्त जयपुर
19	उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948	यूपी बिक्री कर – धारा 3 ख	1.24	2005-06 और 2006-07	न्यायाधिकरण में लंबित अपील
20	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	0.12	2015-16 से 2017-18	मूल्यांकन प्राधिकारी को समायोजन पत्र प्रस्तुत किया गया
21	उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम 1948	यूपी प्रवेश कर – जीबी नगर	0.05	2002-03 और 2003-04	इलाहाबाद उच्च न्यायालय
22	उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	0.03	2016-17	अपील अपर आयुक्त के समक्ष दायर की गई अपील
23	महाराष्ट्र जीएसटी अधिनियम 2017	दौंड परियोजना	0.22	2018-19	प्रथम अपील के समक्ष दायर की गई अपील
24	जम्मू और कश्मीर जीएसटी अधिनियम, 1962	बिक्री कर	14.36	1999-00 से 2005-06	जम्मू–कश्मीर उच्च न्यायालय, जम्मू और उपायुक्त वाणिज्यिक बिक्री कर (अपील), श्रीनगर
25	बिक्री कर –एमआरओ	बिक्री कर - एमआरओ	3.51	1995-96 और 1996-97	बॉम्बे उच्च न्यायालय
26	बिक्री कर–एमआरओ	बिक्री कर - एमआरओ	3.97	2010-11 और 2011-12	बिक्री कर कार्यालय, मुंबई
27	पश्चिम बंगाल राज्य बिक्री कर अधिनियम 1994	बिक्री कर	0.26	1998-99	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील), बिक्री कर, पश्चिम बंगाल
28	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम 2003	वैट	0.72	2004-05,2016-17 और 2017-18	सहायक बिक्री कर आयुक्त कॉलेज सेंट चार्ज, कोलकाता
29	सेवा कर	सेवा कर (बेहाला)	0.87	2015-16 से 2016-17	संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त कोलकाता
30	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	ब्रैकेट/कैंटिलीवर असेंबली पर उत्पाद शुल्क लगाना	0.66	1998-99	सीईएसटीएटी (अपील विभाग)
31	डीजीएफटी मामले एफडीटीआर अधिनियम, 1992	ड्यूटी ड्रॉबैक	2.89	1991-1992	दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील
32	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	12.91	2010-11 से 2014-15	सीईएसटीएटी
33	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	5.60	2009-10 से 2013-14	सीईएसटीएटी
34	सेवा कर	एजेंसी फीस पर सेवा कर	2.06	2016-17 से 2017-18	सीईएसटीएटी
35	बिहार वैट अधिनियम	वैट टीडीएस	5.98	2005-06 और 2006-07	बिहार वैट विभाग, पश्चिम अंचल पटना
36	बिहार वैट अधिनियम	वैट	0.003	2010-11	बिहार वैट विभाग, पश्चिम अंचल पटना
37	बिहार वैट अधिनियम	वैट	29.20	2012-13	बिहार वैट विभाग, पश्चिम अंचल पटना

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

क्र. सं.	प्रतिमा का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	राशि (करोड़ में)*	वह अवधि जिससे संबंधित राशियाँ	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
38	बिहार वैट अधिनियम	बिहार वैट	33.46	2013–14	उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई
39	बिहार वैट अधिनियम	बिहार वैट	25.54	2014–15	उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई
40	सेवा कर	सेवा कर	2.16	2015–16	सीईएसटीएटी, कोलकाता
41	बिहार वैट अधिनियम 2005	धारा 31 के अंतर्गत नियमित मूल्यांकन	0.92	2015–16	बिहार वैट विभाग, पश्चिम सर्किल पटना में अपील
42	सेवा कर	सेवा कर जगदलपुर	2.84	2016–17 से 2017–18	केंद्रीय एवं सीमा शुल्क अपील आयुक्त, छत्तीसगढ़ के समक्ष अपील दायर की गई
43	बिहार वैट अधिनियम 2005	धारा 31 के तहत नियमित मूल्यांकन	19.63	2016–17	बिहार वैट विभाग, पश्चिमी अंचल पटना के समक्ष अपील
44	बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के तहत मांग आदेश	3.83	2017–18	प्रथम अपील के समक्ष अपील
45	बिहार जीएसटी अधिनियम, 2017	धारा 73(9) के तहत मांग आदेश	0.31	2018–19	प्रथम अपील के समक्ष अपील
46	यूपी वैट अधिनियम	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	1.19	2010–11	बिक्री कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
47	यूपी वैट अधिनियम	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	42.87	2014–15	बिक्री कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
48	यूपी वैट अधिनियम	यूपी वैट (नियमित) धारा 28(2)	14.73	2015–16	बिक्री कर न्यायाधिकरण, लखनऊ
49	बांग्लादेश वैट और अनुपूरक अधिनियम 2012	वैट इंटेलिजेंस	0.45	2018–19 से 2022–23	वैट इंटेलिजेंस
50	आयकर अधिनियम	मूल्यांकन मांग	10.51	2021–22	सीआईटी(अपील)
51	आयकर अधिनियम	मूल्यांकन मांग	0.07	2018–19	सीआईटी(अपील)
52	आयकर अधिनियम	ट्रेसेस मांग	0.25	2008–09 से 2010–11	मूल्यांकन अधिकारी
53	आयकर अधिनियम	ट्रेसेस मांग	0.03	2013–14 से 2016–17	मूल्यांकन अधिकारी

*जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया गया है और जिस पर हमारा भरोसा है।

(viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेन–देन नहीं था, जिसे कृषि अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत वर्ष के दौरान स्थापित या प्रदर्शित किया गया था।

(ix) क) कंपनी ने किसी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधारी के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

ख) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

ग) कंपनी के पास कोई सावधि ऋण नहीं था जिसका उपयोग वर्ष के दौरान बकाया था और इसलिए, आदेश के खंड 3(ix)(ग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

घ) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच करने पर, हमने बताया कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक निधि नहीं जुटाई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

ड़) कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

च) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों या संयुक्त उद्यम कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की गिरवी पर कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

(x) क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे की सार्वजनिक अपील (आरएन सामुहिक सहित) के माध्यम से धन की पेशकश नहीं की है और इसलिए आदेश खंड 3(x)(क) के तहत लागू नहीं है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आबंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi) क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी–4 में केंद्र सरकार के साथ कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।

ग) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

(xii) कंपनी निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट निधि कंपनी नहीं है। इस प्रकार, आदेश के पैरा 3(xii) (क), (ख) और (ग) के तहत आवश्यकताएं कंपनी पर लागू नहीं होती हैं।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन–देन कंपनी अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और लागू लेखांकन मानकों द्वारा आवश्यक वित्तीय विवरणों आदि के नोटों में विवरण का खुलासा किया गया है।

(xiv) क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

ख) हमने लेखापरीक्षा अवधि के लिए कंपनी द्वारा आज तक जारी की गई आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए कंपनी अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(xvi) क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45–आईए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क) लागू नहीं होते।

ख) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक से वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्राप्त किए बिना कोई गैर–बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियाँ संचालित नहीं की हैं।

ग) कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों में परिभाषित कोर निवेश कंपनी (सीआईसी) नहीं है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xvi)(ख) लागू नहीं होता है।

घ) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियां (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2016 में परिभाषित किया गया है), इसलिए, आदेश के खंड 3(xvi)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(xvii) कंपनी को चालू वर्ष तथा तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान किसी भी वैधानिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है। इसलिए, आदेश का खंड 3(xviii) लागू नहीं होता है।

(xix) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को चुकाने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा चुका दिया जाएगा।

(xx) क) चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी राशि अव्ययित नहीं है, जिसके लिए उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरण की आवश्यकता है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

ख) चालू परियोजनाओं के संबंध में कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर विशेष खाते में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xx)(ख) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरणसं.: 001770C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य सं.: 072867
यूडीआईएन : 24072867BKHCUD4431

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट के लिए ''अनुलग्नक ख''

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड ''कंपनी'' की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, ''भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण'' के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपनी ऑडिट वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार की, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक है, दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी भौतिक कमजोरी के जोखिम का आकलन करना और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास, सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 को प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, ''कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए''। हालाँकि, हमारे ऑडिट के आधार पर 31 मार्च, 2024 तक पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

क. कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी सिस्टम है जिसका पूरी क्षमता से उपयोग नहीं किया गया। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान बनाने के लिए एसएपी प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल (पीएस) की आवश्यकता होती है।

ख. कुछ इकाइयों में इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है और एसएपी में इन्वेंट्री मैनुअल पर विचार किया जा रहा है

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में पहचाने गए क्षेत्रों पर विचार किया है और ऊपर रिपोर्ट की है और ये क्षेत्र कंपनी के स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म पंजीकरणसं.: 001770C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य सं.: 072867
यूडीआईएन : 24072867BKHCUD4431

स्टैंडएअलोन तुलन–पत्र
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण		टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I.	**संपत्ति**				
1	**गैर–वर्तमान संपत्ति**				
	(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	185.21	178.65
	(ख)	पूंजीगत कार्य–प्रगति	4	6.56	–
	(ग)	निवेश संपत्ति	5	543.07	552.31
	(घ)	अमूर्त संपत्ति	6	8.90	8.69
	(ड)	विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	6	–	2.59
	(च)	उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति	7	6.59	4.40
	(ज)	वित्तीय संपत्ति	8		
		(i) निवेश	8.1	2,275.88	2,037.60
		(ii) ऋण	8.2	279.10	315.84
		(iii) अन्य वित्तीय संपत्ति	8.3	39.38	22.82
	(छ)	वित्तीय संपत्ति	9	123.33	114.60
	(झ)	वित्तीय संपत्ति	10	290.97	91.34
	कुल गैर – मौजूदा संपत्तियां			**3,758.99**	**3,328.84**
2	**चालू परिसंपत्तियाँ**				
	(क)	इन्वेंटरी	11	232.37	183.59
	(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12		
		(i) निवेश	12.1	563.51	99.99
		(ii) व्यापार प्राप्य	12.2	946.46	868.73
		(iii) नकद और नकद समतुल्य	12.3	1,828.88	2,168.41
		(iv) अन्य बैंक शेष	12.4	2,600.25	2,616.91
		(v) ऋण	12.5	35.80	30.14
		(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	12.6	1,837.27	1,603.70
	(ग)	चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	13	50.47	154.86
	(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	14	2,230.13	2,621.23
				10,325.14	10,347.56
	बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियाँ		15	-	0.01
	कुल चालू परिसंपत्तियां			**10,325.14**	**10,347.57**
	कुल संपत्ति			**14,084.13**	**13,676.41**
II.	**शेयर और देनदारियां**				
1	**हिस्सेदारी**				
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	16	188.10	188.10
	(ख)	अन्य इक्विटी	17	5,583.66	4,990.38
	कुल इक्विटी			5771.76	5178.48
2	**देनदारियां**				
(i)	**गैर–वर्तमान देनदारियां**				
	(क)	वित्तीय देनदारियां	18		
		(i) लीज देनदारियां	18.1	2.52	0.42

स्टैंडएअलोन तुलन–पत्र

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
	(ii) व्यापार देयताएँ	18.2		
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	18.3	758.29	653.00
	(ख) प्रावधान	19	142.37	119.69
	(ग) अन्य गैर–चालू देयताएँ	20	940.48	759.24
	कुल गैर–चालू देयताएं		**1,843.66**	**1,532.35**
(ii)	**चालू देयताएँ**			
	(क) वित्तीय देनदारियां	21		
	(i) उधार	21.1	-	-
	(ii) पट्टा देयताएँ	21.2	0.72	0.09
	(iii) व्यापार देयताएँ	21.3		
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देयताएँ		3.73	9.24
	– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया देयताएँ		850.64	802.17
	(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	21.4	2,792.81	2,690.76
	(ख) अन्य चालू देयताएँ	22	2,500.76	3,233.78
	(ग) प्रावधान	19	261.20	201.05
	(घ) र्तमान कर देयता (निवल)	23	58.85	28.49
	कुल वर्तमान दायित्व		**6,468.71**	**6,965.58**
	कुल शेयर और देनदारियां		**14,084.13**	**13,676.41**
III	सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश	2		
IV	वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 - 47		

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

लाभ और हानि का स्टैंडएअलोन विवरण
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**राजस्वः**			
	परिचालन से राजस्व	24	11,950.40	9,921.20
II.	अन्य आय	25	437.45	340.43
III.	**कुल आय (I + II)**		**12,387.85**	**10,261.63**
IV.	**व्ययः**			
	उपभोग की गई सामग्री और भंडार	26 (i)	531.55	392.08
	(वृद्धि) /डब्ल्यूआईपी में कमी	26 (ii)	(39.12)	51.37
	परियोजना व्यय	26 (iii)	10,306.20	8,586.16
	कर्मचारी लाभ व्यय	27	307.09	264.70
	वित्त लागत	28	9.61	2.80
	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	29	36.21	37.73
	अन्य व्यय	26 (iii)	80.77	43.60
	कुल व्यय (IV)		**11,232.31**	**9,378.44**
V.	**असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III – IV)**		**1,155.54**	**883.19**
VI.	असाधारण मदें		-	-
VII.	कर से पहले लाभ (V + VI)		1,155.54	883.19
VIII.	कर व्ययः			
	(1) चालू कर	9		
	– अवधि के लिए		298.77	215.33
	– पिछले वर्षों के लिए (निवल)		2.60	(78.53)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		(8.73)	(30.44)
	कुल कर व्यय		**292.64**	**106.36**
IX	**चालू परिचालन से वर्ष के लिए लाभ (VII – VIII)**		**862.90**	**776.83**
X	**अन्य व्यापक आय**	**30**		
	क. (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		1.77	1.95
	(ii) वे आइटम जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे, उनसे संबंधित आयकर		(0.45)	(0.49)
	ख. (i) वे आइटम जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे		(2.44)	12.90
	(ii) वे आइटम जो लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किए जाएंगे, उनसे संबंधित आयकर		0.61	(3.25)
			(0.51)	**11.11**
XI	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X)** **(कर के बाद वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल)**		**862.39**	**787.94**
XII	प्रति इक्विटी शेयर आयः			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)	35	9.17	8.26
	(2) पतला (₹ में)		9.17	8.26
	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)		2.00	2.00
XIII	सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश	2		
XIV	वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट	1 – 47		

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

नकदी प्रवाह का स्टैंडएअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर पूर्व लाभ		**1,155.54**	**883.19**
के लिए समायोजनरू			
वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज (निवल)		(16.31)	(18.64)
वित्तीय साधनों का परिशोधन (निवल)		(0.02)	(0.14)
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		36.21	37.73
संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		(0.37)	(2.45)
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ		(27.64)	(0.32)
वित्त लागत		8.57	2.35
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ		(2.71)	-
ब्याज आय		(231.20)	(191.45)
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त लाभांश		(72.00)	(69.00)
विनिमय लाभ/हानि का लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकरण		13.04	-
विदेशी मुद्रा नकद और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज (निवल)		14.42	(3.72)
चालू/गैर–चालू परिसंपत्तियों और देनदारियों से पहले परिचालन लाभ	**(1)**	**877.53**	**637.55**
समायोजन:			
व्यापार प्राप्य में कमी/ (वृद्धि)		(77.73)	(159.57)
इन्वेंट्री में कमी/ (वृद्धि)		(48.78)	71.60
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में कमी/ (वृद्धि)		(75.10)	(821.96)
व्यापार देय में कमी/ वृद्धि		42.95	(198.91)
(कमी) / अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि		(402.16)	409.20
	(2)	**(560.82)**	**(699.64)**
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(1+2)**	**316.71**	**(62.09)**
भुगतान किया गया आयकर		(32.13)	(57.81)
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**(क)**	**284.58**	**(119.90)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(33.92)	(12.76)
अमूर्त संपत्तियों और विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों का अधिग्रहण		(0.85)	(1.90)
निवेश संपत्ति की खरीद / आय		(2.58)	(9.54)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों और अमूर्त संपत्तियों की बिक्री		0.86	2.44
म्यूचुअल फंड की बिक्री		7,975.66	81.56
म्यूचुअल फंड की खरीद		(8,507.31)	(81.24)
सरकारी सुरक्षा की खरीद		(1.51)	-
सहायक कंपनियों को ऋण		-	(61.75)
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से ऋण की चुकौती		52.24	31.00
प्राप्त ब्याज		220.05	170.64
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी से प्राप्त लाभांश		72.00	69.00
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश		(242.39)	(423.42)
बांड का मोचन		100.00	50.00
नकदी और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस		42.14	1,495.68
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**(ख)**	**(325.61)**	**1,309.71**
वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
लीज देनदारियों का भुगतान		(0.87)	(0.01)
वित्तीय लागत का भुगतान		(1.06)	(0.89)
अंतिम लाभांश का भुगतान		(112.86)	(61.13)
अंतरिम लाभांश का भुगतान		(169.29)	(169.29)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकदी	**(ग)**	**(284.08)**	**(231.32)**

नकदी प्रवाह का स्टैंडएअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विदेशी मुद्रा नकदी और नकदी समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	(14.42)	3.72
नकदी एवं नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि	**(क+ ख+ ग+ घ)**	**(339.53)**	**962.21**
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक) (नोट 2, 3, 4 देखें)	**(ङ)**	**2,168.41**	**1,206.20**
नकद और नकद समकक्ष (समापन) (नोट 2, 3, 4 देखें)	**(च)**	**1,828.88**	**2,168.41**
नकद और नकद समकक्ष में निवल वृद्धि / (कमी)	**(ङ - च)**	**(339.53)**	**962.21**

नोट:

1. उपरोक्त नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) – 7 में नकदी प्रवाह विवरण पर निर्धारित ‘अप्रत्यक्ष विधि’ के तहत तैयार किया गया है।
2. उपरोक्त स्टैंडएअलोन नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समकक्षों और नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का समाधानरू

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
हकेस इन हैण्ड	0.05	0.09
ट्रांजिट में धन प्रेषण	-	13.61
बैंकों के पास शेष राशिरू		
– चालू खातों पर	567.56	380.90
– फ्लेक्सी खाते	376.80	173.35
– 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	884.47	1,600.46
तुलन–पत्र और स्टैंडएअलोन के अनुसार कुल नकदी और नकदी समकक्ष नकदी प्रवाह का विवरण	**1,828.88**	**2,168.41**

3. वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और अंतिम शेष के बीच समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल, 2022 तक	**0.16**
() वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.01)
(इ) निम्न के कारण गैर–नकद परिवर्तनरू	-
– लीज देयता में वृद्धि	0.34
– लीज देयताओं पर ब्याज लागत	0.02
31 मार्च, 2023 तक	**0.51**
() वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	(0.87)
(इ) निम्न के कारण गैर–नकद परिवर्तनरू	
– लीज देयता में वृद्धि	3.32
– लीज देयताओं पर ब्याज लागत	0.28
31 मार्च, 2024 तक	**3.24**

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा जहां भी लागू हो, पुनः प्रस्तुत किया गया है।
5. नोट 12.3 और 12.4 में निर्धारित और प्रतिबंधित शेष राशि का उल्लेख किया गया है।
6. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडएअलोन विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**188.10**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**188.10**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**188.10**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित कमाई	सामान्य आरक्षित निधि	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**3,333.71**	**1,094.65**	**4.93**	**(0.43)**	**4,432.86**
वर्ष के लिए लाभ	-	776.83	-	-	**776.83**
अन्य व्यापक आय					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	1.46	-	-	**1.46**
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	-	-	-	9.65	**9.65**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**778.29**	**-**	**9.65**	**787.94**
भुगतान किया गया लाभांश	-	(230.42)	-	-	**(230.42)**
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**3,333.71**	**1,642.52**	**4.93**	**9.22**	**4,990.38**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित कमाई	सामान्य आरक्षित निधि	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण के अनुवाद पर विनिमय मतभेद	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	**3,333.71**	**1,642.52**	**4.93**	**9.22**	**4,990.38**
वर्ष के लिए लाभ	-	862.90	-	-	**862.90**
अन्य व्यापक आय					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	1.32	-	-	**1.32**
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	-		-	(1.83)	**(1.83)**
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया				13.04	**13.04**
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**864.22**	**-**	**11.21**	**875.43**
भुगतान किया गया लाभांश	-	(282.15)	-	-	**(282.15)**
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**3,333.71**	**2,224.59**	**4.93**	**20.43**	**5,583.66**

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

1. कॉर्पोरेट सूचना

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसका मुख्य जोर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर है, जिसका मुख्यालय भारत में है (सीआईएनरू L45203DL1976GOI008171) और यह भारत में लागू कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित है, जो टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता रखती है। रेलवे निर्माण कंपनी के रूप में व्यवसाय शुरू करने के बाद, इसने सड़क, भवन, विद्युत सबस्टेशन और वितरण, हवाई अड्डे के निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों, साथ ही मेट्रो रेल कार्यों में उत्तरोत्तर विविधता लाई। कंपनी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों को अपनी सेवाएं देती है। कंपनी गुणवत्ता, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के लिए एक आईएसओ प्रमाणित कंपनी है; एक अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी और एक नव रत्न कंपनी है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सी–4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली– 110017 में स्थित है और कंपनी के शेयर राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

कंपनी की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर दो दशमलव तक पूर्णांकित करके और जैसा कि अन्यथा कहा गया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

(i) अनुपालन का विवरण

कंपनी के स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली का अनुसरण करते हुए और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार जारी व्यवसाय के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के नियम 3 (समय–समय पर संशोधित) के साथ पढ़ा गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के डिवीजन ए की प्रस्तुति आवश्यकताएं, (इंड एएस अनुसूची III का अनुपालन), जैसा कि स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू होता है।

(ii) माप का आधार

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किए गए हैं, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:

- प्रावधान, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक होता है, वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है
- परिभाषित लाभ योजनाएँ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.2 सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

2.1.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी और नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच लगने वाले समय के आधार पर, कंपनी ने बैलेंस शीट में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीने निर्धारित किए हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभ में उनकी लागत पर बताया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) व्यापार छूट और रियायतों में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य;

ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित लागत, जो परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने में व्यय की जाती है।

ग) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को अप्रत्यक्ष निर्माण लागत के भाग के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जहां तक व्यय प्रत्यक्ष रूप से निर्माण से संबंधित है या उससे संबंधित है।

घ) यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं तो वस्तुओं को हटाने और ध्वस्त करने तथा साइट को मूल स्थिति में बहाल करने की अनुमानित लागत का वर्तमान मूल्य।

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ली जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बाद में संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, के निवल लागत पर मापा जाता है। बाद की लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, दीर्घकालिक निर्माण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के अंतर्गत निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर। हालाँकि, परिसंपत्तियों के कुछ वर्ग के मामले में, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग करती

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

है। उपयोगी जीवन का आकलन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें परिसंपत्तियों के उन वर्गों की प्रकृति, परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोग को ध्यान में रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा खातों में किया गया है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है, यदि भाग की लागत मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

इस अवधि के दौरान अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण, जिनकी कीमत अलग–अलग ₹5000/– तक है, उनका पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, पहचान के लिए टोकन मूल्य के रूप में 1 रुपया रखा जाता है। हालांकि, कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल फोन को उसके मूल्य की परवाह किए बिना लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपने इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें "प्रगतिशील पूंजी कार्य" के रूप में दर्शाया जाता है। प्रगतिशील पूंजी कार्य को लागत में से संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष लागत और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

2.2.4 निवेश संपत्तियों

निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और पट्टे पर रखी गई संपत्ति शामिल है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत भी शामिल है। इसके बाद निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। यदि मान्यता मानदंड पूरा हो जाता है तो बाद की लागत जोड़ी जाती है।

कंपनी निवेश संपत्ति के निर्माण घटक का मूल्यह्रास मूल खरीद/निर्माण पूरा होने की तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर करती है। स्थायी पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है। मूल्यह्रास विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है।

हालाँकि कंपनी लागत–आधारित माप का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापती है, लेकिन निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करने वाले मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली अमूर्त संपत्तियों को "अमूर्त संपत्ति अविकसित" के रूप में दर्शाया जाता है।

इसके बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर रखा जाता है। प्रत्येक मामले में ₹1 लाख तक की सॉफ्टवेयर लागत को खरीद की अवधि में पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है, पहचान के लिए टोकन मूल्य के रूप में ₹1 रखा जाता है।

पूंजीकृत सॉफ्टवेयर की लागत उसके अधिग्रहण की तिथि से 36 महीने की अवधि में परिशोधित की जाती है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी अपनी गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो हानि हानि (यदि कोई हो) की सीमा निर्धारित करने के लिए परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है।

यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त क्षति को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्तियों का अग्रणीत मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

2.2.7 सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में निवेशे

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के इक्विटी उपकरणों में निवेश को भारतीय लेखा मानक 27 'अलग वित्तीय विवरण' के अनुसार लागत पर दर्शाया जाता है। जहां किसी निवेश की वहन राशि उसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, उसे वसूली के लिए मूल्यांकित किया जाता है और स्थायी कमी के मामले में हानि के लिए प्रावधान को लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है। निवेश के निपटान पर, निवल निपटान आय और निवेश की वहन राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

संयुक्त अभियानों में रुचि

संयुक्त संचालक के रूप में कंपनी संयुक्त संचालन में अपने हित के संबंध में संयुक्त व्यवस्था के अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से धारित/उपगत परिसंपत्तियों/देयताओं में अपने हिस्से को मान्यता देती है। संयुक्त संचालन द्वारा उत्पादन की बिक्री से

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

प्राप्त राजस्व के अपने हिस्से के लिए राजस्व को मान्यता दी जाती है। संयुक्त व्यवस्था के हिस्से के रूप में अन्य पक्षों के साथ संयुक्त रूप से किए गए व्यय के अपने हिस्से के लिए व्यय को मान्यता दी जाती है।

2.2.8 सूची

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से कम पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आओ पहले पाओ (थ्थ्ब्) के आधार पर किया जाता है। भविष्य की अनुबंध गतिविधियों के लिए किए गए निर्माण लागत को परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभावना है कि वे अनुबंध अवधि के दौरान वसूल किए जाएंगे और इन्वेंटरी के तहत निर्माण कार्य–प्रगति के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे। ढीले औजारों को खरीद की अवधि में व्यय किया जाता है।

2.2.9 राजस्व मान्यता

कंपनी निर्माण उद्योग में काम करती है और यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ('ईपीसी') व्यवसाय से राजस्व अर्जित करती है। ग्राहकों के साथ अनुबंध रेलवे निर्माण, सड़क और राजमार्गों के निर्माण, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतीकरण कार्य और अन्य के हैं। इन अनुबंधों में काम के प्रकार में भू–तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन–योजना, डीपीआर की तैयारी, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्री की आपूर्ति, सिस्टम का पुनर्विकास, स्थापना, परियोजना प्रबंधन, संचालन और प्रबंधन आदि शामिल हैं (सामूहिक रूप से निर्माण से संबंधित सेवाएं कहा जाता है)। कंपनी ये निर्माण सेवाएं निश्चित–राशि टर्नकी आधार पर और लागत प्लस आधार पर प्रदान करती है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की पहचान तब की जाती है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ("प्रदर्शन दायित्व") ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है ("लेनदेन मूल्य")।

क) निर्माण संबंधी सेवाओं से राजस्व

निर्माण संबंधी सेवाओं के लिए ग्राहकों के साथ कंपनी के अनुबंधों को एकल निष्पादन दायित्व के रूप में माना जाता है क्योंकि अनुबंध को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है और इसमें निर्माण और रखरखाव सेवाओं का जटिल एकीकरण शामिल होता है।

इनपुट विधि (यानी पूर्णता का प्रतिशत विधि) का उपयोग करके समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है जो ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के अनुरूप है क्योंकि कंपनी के प्रयास (यानी, लागत का खर्च) और ग्राहक को सेवा के हस्तांतरण के बीच सीधा संबंध है। इनपुट विधि के तहत, अनुबंध राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार पूर्णता के चरण के संदर्भ में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है। पूर्णता का चरण प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक की वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। कुल अनुमानित अनुबंध लागतों में परिवर्तन, यदि कोई हो, उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें अनुबंध स्तर पर मूल्यांकन के रूप में निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां इनपुट विधि वास्तविक रूप से प्रदर्शन दायित्व के पूरा होने की दिशा में प्रगति को नहीं दर्शाती है।

प्रगति पर चल रहे अनुबंधों पर किसी भी अपेक्षित घाटे को, घाटे की पहचान की गई अवधि में, कुल मिलाकर, लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जिसे प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है। लेनदेन मूल्य में परिवर्तनशीलता मुख्य रूप से परिसमाप्त नुकसान, मूल्य परिवर्तन खंड, प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के कारण उत्पन्न होती है। कंपनी परिवर्तनीय विचार के लिए राजस्व को तब मान्यता देती है जब यह संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। कंपनी सबसे संभावित राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि का अनुमान लगाती है। नतीजतन, संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में, या राजस्व में कमी के रूप में, उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें लेनदेन मूल्य बदलता है।

कंपनी अनुबंध को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों से परिसंपत्ति को पहचानती है जैसे कि मोबिलाइजेशन के लिए नई परियोजनाओं पर प्रारंभिक अनुबंध व्यय जिसका उपयोग अनुबंध को पूरा करने में किया जाएगा और जिसकी वसूली होने की उम्मीद है। परिसंपत्ति को अनुबंध अवधि के दौरान एक व्यवस्थित आधार पर परिशोधित किया जाता है जो कि उस वस्तु या सेवा के नियंत्रण को ग्राहक को हस्तांतरित करने के साथ संगत है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है, अर्थात रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के पूरा होने का चरण। साइट मोबिलाइजेशन व्यय उस सीमा तक जो लागत पर मूल्यांकित नहीं किया गया है।

अनुबंध संशोधनों का लेखा तब किया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में कुछ जोड़ने, हटाने या बदलाव करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएँ अलग हैं या नहीं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडएअलोन बिक्री मूल्य पर है। जो सेवाएँ अलग नहीं हैं, उनका लेखा संचयी कैच–अप आधार पर किया जाता है, जबकि जो अलग हैं, उनका लेखा भावी रूप से किया जाता है, या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएअलोन बिक्री मूल्य पर है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में, यदि स्टैंडएअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) अनुबंध शेष

अनुबंध संपत्तिः अगर कंपनी निष्पादित ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएं हस्तांतरित करके, अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है यह सशर्त है। अंतिम निर्णय तक ग्राहक द्वारा रखे गए भुगतान का हिस्सा अनुबंध समझौता है नहीं माना एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक क्योंकि यह आमतौर पर अभिप्रेत को उपलब्ध करवाना ग्राहक अनुबंध के तहत निर्दिष्ट कंपनी के शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा के रूप में, जो है सुसंगत साथ उद्योग अभ्यास।

व्यापार प्राप्यः प्राप्य का प्रतिनिधित्व करता है कंपनी की सही को एक मात्रा का बिना शर्त वाला प्रतिफल (अर्थात प्रतिफल का भुगतान होने से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है)। व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर मान्यता दी जाती है क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होते हैं। कंपनी व्यापार प्राप्य रखती है के उद्देश्य से संविदागत राशि एकत्रित करना नकद प्रवाह और इसलिए बाद में उन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापें, जिसमें से हानि भत्ता घटा दिया जाए, यदि कोई हो।

अनुबंध देयताएंः यदि कोई ग्राहक कंपनी द्वारा माल हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है या सेवा को ग्राहक, क अनुबंध देयता तब मान्यता प्राप्त होती है जब भुगतान किया जाता है, या भुगतान देय होता है (जो भी पहले हो)। अनुबंध देनदारियों हैं मान्यता प्राप्त जब कंपनी अनुबंध के तहत कार्य करती है तो राजस्व के रूप में।

ग) अन्य ऑपरेटिंग आय

- कंपनी की किराया आय मुख्य रूप से मशीनरी, अप्रयुक्त कार्यालय स्थान और निवेश संपत्तियों के पट्टे से उत्पन्न होती है। इन किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- अन्य ऑपरेटिंग आय का प्रतिनिधित्व करता है अर्जित आय से गतिविधियाँ व्यवसाय के लिए प्रासंगिक है और इसे तब मान्यता दी जाती है जब निष्पादन दायित्व संतुष्ट हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

घ) अन्य आय

लाभांश आय है मान्यता प्राप्त कब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित किया गया है।

- दिलचस्पी आय है मान्यता प्राप्त का उपयोग करते हुए असरदार ब्याज दर विधि.
- मिश्रित आय है मान्यता प्राप्त कब निष्पादन दायित्व संतुष्ट है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित है।

2.2.10 ऋण लेना

उधार लागत निहित होना का दिलचस्पी और अन्य लागत जो कंपनी चुकानी होगी में कनेक्शन साथ उधार का कोष और हैं आरोप लगाया को उस अवधि में लाभ और हानि का विवरण जिसमें वे हुए हैं, सिवाय इसके कि जब वह भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार अर्हक परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकरण के मानदंडों को पूरा करता हो।

2.2.11 करों

कर व्यय में चालू कर और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

क) मौजूदा आय कर

वर्तमान कर को देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है का कर योग्य आय के लिए अवधि और प्रासंगिक कर विनियमों के अनुसार गणना की जाती है। वर्तमान आयकर को विवरण में मान्यता दी जाती है का लाभ और नुकसान के अलावा को इसकी सीमा संबंधित को सामान मान्यता प्राप्त बाहर लाभ या हानि जिस स्थिति में इसे या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय–समय पर कर रिटर्न में ली गई स्थिति का मूल्यांकन करता है साथ आदर को स्थितियों में कौन लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित किए जाते हैं।

मौजूदा कर संपत्ति और कर देनदारियों हैं ओफ़्सेट जहां इकाई है ए कानूनी तौर पर अप्रवर्तीय सही को ओफ़्सेट और या तो निवल आधार पर निपटान करने का इरादा रखता है, या परिसंपत्ति की वसूली और देयता का एक साथ निपटान करने का इरादा रखता है।

ख) स्थगित कर

देयता पद्धति का उपयोग करते हुए कर आधार और परिसंपत्तियों/देयताओं के लेखांकन आधार के अंतर पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी कर योग्य/कटौती योग्य अंतर के लिए आस्थगित कर प्रदान किया जाता है और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर दरों या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों पर मापा जाता है।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, ऐसी स्थिति में इसे मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभव नहीं रह जाता है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या आंशिक भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। अपरिचित आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव हो गया है कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की अनुमति देगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और जब स्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएं

कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति कंपनी की मुद्रा भारतीय रुपया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

लेनदेन और शेष

विदेशी मुद्रा लेनदेन रिकॉर्ड किए जाते हैं कार्यात्मक मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके, कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता और विदेश मुद्रा पर तारीख का लेन –देन.

विदेश मुद्रा मुद्रा सामान असाधारण रिपोर्टिंग तिथि पर समापन दर (देयताओं के लिए समापन बिक्री दर और परिसंपत्तियों के लिए समापन खरीद दर) का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में रिपोर्ट की जाती है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक आइटम जो ऐतिहासिक लागत पर किए जाते हैं, उनका पुनः अनुवाद नहीं किया जाता है तथा लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया जाता है।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को अवधि में लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है में कौन वे उठना और हैं पेश किया पर निवल आधार पर.

विदेश संचालन

विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरण जिनकी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए से भिन्न है, भारतीय रुपए में निम्नानुसार अनुवादित किए जाते हैं:

1. परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों) को बैलेंस शीट की तिथि पर समापन दर पर परिवर्तित किया जाता है;
2. आय और खर्च हैं अनुवाद पर औसत विनिमय दर के लिए रिपोर्टिंग अवधि, जब तक विनिमय दर में उल्लेखनीय उतार–चढ़ाव न हो अवधि, में कौन मामला, अदला–बदली दिनांकों पर दरें लेन–देन में उपयोग किया जाता है; और
3. पुनर्वर्गीकरण के लिए विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के रूप में इक्विटी में संचित किया जाता है को कथन का लाभ और ऐसे विदेशी परिचालनों के निपटान पर हानि ।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) लघु अवधि कर्मचारी लाभ

कर्मचारी फ़ायदे ऐसा जैसा वेतन और वेतन, अल्पावधि क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति, तथा प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) पूरी तरह से देय नहीं है अंदर बारह महीने का प्रतिपादन सेवा को अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में व्यय किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

ख) पूर्व–रोजगार के फ़ायदे

परिभाषित अंशदान योजनाः कंपनी के पास एक परिभाषित अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना है। शुरू में, यह योजना था एक अलग ट्रस्ट अर्थात इरकॉन डिफाइंड कंट्रीब्यूशन के माध्यम से प्रशासित पेंशन पेंशन योजना 2009, ट्रस्ट और बाद में राष्ट्रीय पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया गया। योजना हैं मान्यता प्राप्त में कथन का लाभ और नुकसान का अवधि कब योगदान हैं देय।

परिभाषित लाभ योजनाः ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के प्रति कंपनी की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति की है। ग्रेच्युटी का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है। इस अवधि के लिए ग्रेच्युटी ट्रस्ट में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट) को निश्चित अंशदान देती है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। इस अवधि के लिए निधि में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। कंपनी का दायित्व इस तरह के निश्चित अंशदान करना और सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करना है। कंपनी के पास सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसका वित्तपोषण भी कंपनी द्वारा किया जाता है और इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है। इस अवधि के लिए चिकित्सा ट्रस्ट में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है और लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के निवल दायित्व को प्रत्येक योजना के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर अलग से मापा जाता है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत परिपक्वता प्रोफ़ाइल के बराबर परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उपज के आधार पर छूट दर का उपयोग किया जाता है। निवल आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत सकल दायित्व से योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाया जाता है।

यह गणना एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है, तथा यदि परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, तो यह गणना की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और प्रतिधारित आय में प्रतिबिंबित किया जाता है तथा इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

पुनः मापन, शामिल बीमांकिक लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) जाल परिभाषित फ़ायदा देयता या परिसंपत्ति)

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

है मान्यता प्राप्त में अन्य विस्तृत आय और है प्रतिबिंबित में बनाए रखा आय और यह लाभ–हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत किये जाने के योग्य नहीं है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागत, जिसमें वर्तमान सेवा लागत, ब्याज लागत और कटौती और निपटान पर लाभ या हानि, बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनर्मापन शामिल हैं, को लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.2.14 नकद और नकद के समाने

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अप्रतिबंधित नकदी और अल्पकालिक जमाराशियां शामिल हैं, जिन्हें नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के नगण्य जोखिम के अधीन हैं।

2.2.15 लाभांश

कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। देय लाभांश को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसंपत्तियां और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) होता है, यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

कंपनी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में रखरखाव, विमुद्रीकरण, कानूनी मामले, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), कठिन अनुबंध और अन्य प्रावधान शामिल हैं।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

इन प्रावधानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है

भारी अनुबंध

यदि कंपनी के पास कोई ऐसा अनुबंध है जो बोझिल है, तो अनुबंध के तहत वर्तमान दायित्व को एक प्रावधान के रूप में पहचाना और मापा जाता है। हालाँकि, बोझिल अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, कंपनी उस अनुबंध के लिए समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि को पहचानती है।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देयताओं का खुलासा तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है लेकिन संभवतः नहीं होगी या ऐसे दायित्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या खुलासा नहीं किया जाता है।

प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, यद्यपि उनका खुलासा कर दिया जाता है, जहां आर्थिक लाभ का आगमन संभावित होता है।

2.2.17 पट्टा

यदि अनुबंध में किसी निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को किसी निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो इसे पट्टा माना जाता है।

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति और तदनुरूपी पट्टा देयता को मान्यता देती है, जिनमें वह पट्टेदार है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के।

i) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां

कंपनी लीज़ की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जिस दिन अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें से संचित मूल्यह्रास और हानि हानि घटाई जाती है, और लीज़ देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त लीज़ देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए लीज़ भुगतान में से प्राप्त किसी भी लीज़ प्रोत्साहन को घटाया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लीज़ अवधि और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

यदि पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में कंपनी को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां भी क्षति के अधीन हैं।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ii) पट्टा देयताएं

पट्टे की आरंभ तिथि पर, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान किए जाने वाले पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को मान्यता देती है। पट्टे के भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतान सहित) शामिल हैं, जिसमें से कोई भी प्राप्त होने वाला पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं।

लीज़ भुगतानों के वर्तमान मूल्य की गणना करने में, कंपनी लीज़ आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करती है क्योंकि लीज़ में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। आरंभ तिथि के बाद, ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए लीज़ देनदारियों की राशि बढ़ाई जाती है और किए गए लीज़ भुगतानों के लिए घटाई जाती है। इसके अलावा, लीज़ देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, लीज़ अवधि में कोई परिवर्तन होता है, लीज़ भुगतानों में कोई परिवर्तन होता है (उदाहरण के लिए, ऐसे लीज़ भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतानों में परिवर्तन) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में कोई परिवर्तन होता है।

कंपनी की पट्टा देयताएँ वित्तीय देयताओं में शामिल हैं।

iii) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की पट्टे परिसंपत्तियाँ

कंपनी अपने अल्पकालिक लीज़ अनुबंधों पर अल्पकालिक लीज़ मान्यता छूट लागू करती है, जिसमें आवासीय परिसर और कार्यालय शामिल हैं (यानी, वे लीज़ जिनकी लीज़ अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है)। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ मान्यता छूट को कार्यालय उपकरणों के लीज़ पर भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ पर लीज़ भुगतान को लीज़ अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

ऐसे पट्टे जिनमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पन्न होने वाली किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और इसे परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है। परिचालन पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है।

2.2.18 वित्तीय साधन

कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देती है जब वह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाती है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ (व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है) को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है, जो सीधे वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं। लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है।

बाद का माप

बाद के माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को कंपनी के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर नीचे दी गई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**
- प्रारंभिक माप के बाद, संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी गई वित्तीय परिसंपत्तियों को, जहां वे नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है।
- **अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियांरू**
- एक वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है यदि इसे एक ऐसे व्यवसाय मॉडल के तहत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।
- **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ (एफवीटीपीएल):**
- ऐसी परिसंपत्तियाँ जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

कंपनी परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों या एफवीटीओसीआई पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी निम्नलिखित पर हानि हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्तियां

सरलीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत, हानि हानि भत्ते को प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर मान्यता दी जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि की भरपाई के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है।

लाइफ़टाइम ईसीएल एक वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवनकाल में सभी संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ हैं। 12 महीने की ईसीएल लाइफ़टाइम ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि हानि भत्ता (या उत्क्रमण) को लाभ और हानि विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए हानि की बैलेंस शीट प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियों और पट्टा प्राप्तियों के रूप में मापी गई वित्तीय संपत्तियाँ: ईसीएल को एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हानि भत्ता निवल वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट–ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती, तब तक कंपनी सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करती है।
- ऋण प्रतिबद्धताएं और वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को बैलेंस शीट में एक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात, एक देयता के रूप में।
- एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरण: एफवीटीओसीआई पर मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, अपेक्षित क्रेडिट हानि बैलेंस शीट में वहन राशि को कम नहीं करती है, जो उचित मूल्य पर बनी रहती है। इसके बजाय, भत्ते के बराबर राशि को अन्य व्यापक आय में 'संचित हानि राशि' के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

कंपनी किसी वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देती है, जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या वह वित्तीय परिसंपत्ति को स्थानांतरित कर देती है और यह स्थानांतरण भारतीय लेखा मानक 109 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए योग्य हो जाता है।

अग्रणीत राशि और प्राप्त/प्राप्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देनदारियां

<u>प्रारंभिक पहचान और माप</u>

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार देयताएं, उधार और अन्य वित्तीय देनदारियां आदि शामिल हैं।

<u>बाद का माप</u>

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

- **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ।**

  कंपनी ने एफवीटीपीएल पर कोई वित्तीय देनदारी निर्धारित नहीं की है।

- **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं**

  <u>धार, व्यापार देयताएं और अन्य वित्तीय देयताएं</u>

  प्रारंभिक मान्यता के बाद, उधार, व्यापार देयताएं और अन्य वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

  <u>वित्तीय देनदारियों की पहचान रद्द करना</u>

  वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा) को कंपनी की बैलेंस शीट से तब हटा दिया जाता है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) वित्तीय गारंटी अनुबंध

कंपनी द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनमें धारक को उस नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो उसे इसलिए उठाना पड़ता है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो गारंटी जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के लिए समायोजित की जाती है। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि और संचयी परिशोधन को घटाकर मान्यता प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समायोजन किया जाता है, तथा निवल राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार मौजूद है और परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का इरादा है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.19 उचित मूल्य माप

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापती है।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित में कार्य करते हैं।

सभी परिसंपत्तियां और देयताएं, जिनका उचित मूल्य वित्तीय विवरणों में मापा या प्रकट किया जाता है, उचित मूल्य पदानुक्रम के अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं और तदनुसार वित्तीय विवरणों में प्रकट की जाती हैं।

महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और देनदारियों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, कंपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में होने वाले उतार–चढ़ाव का विश्लेषण करती है, जिन्हें कंपनी की लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापा या पुनः मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है।

2.2.20 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय निर्धारित करने में, कंपनी इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले निवल लाभ पर विचार करती है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है।

प्रति शेयर पतला आय निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले निवल लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के पास कोई पतला संभावित इक्विटी शेयर नहीं है।

2.2.21 बिक्री हेतु रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को केवल तभी अत्यधिक संभावित माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है। बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से कम पर बिक्री की लागत घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के बाद मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के लिए रखी गई संपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

यदि इंड एएस 105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्तिया'' द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। गैर–वर्तमान संपत्ति जो बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती है, उसे निम्न में से कम पर मापा जाता है: (i) संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले इसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित की गई राशि जिसे उस संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाने पर पहचाना जाता, और (ii) उस तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास प्रतिवर्ती समायोजन उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है जब बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति के मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं।

2.2.22 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूकें कुल मिलाकर कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50% से अधिक न हों।

2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, लेखा अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और साथ ही साथ प्रकटीकरणों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में महत्वपूर्ण समायोजन की आवश्यकता होती है।

यह नीति उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करती है जिनमें अधिक निर्णय या जटिलता शामिल है, तथा उन मदों का भी, जिनके मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और मान्यताओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना है।

संबंधित लेखांकन नीतियों में बताए गए आकलन और निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार हैं:

असंग्रहित व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ते

व्यापार प्राप्य पर ब्याज नहीं लगता है और अनुमानित अप्राप्य राशि के लिए उचित भत्ते से घटाकर उनके नाममात्र मूल्यों पर बताया जाता है, जो प्राप्य शेष राशि की आयु और ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होते हैं। व्यक्तिगत व्यापार प्राप्य तब लिखे जाते हैं जब प्रबंधन उन्हें वसूली योग्य नहीं मानता है।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

सेवानिवृत्ति के बाद लाभ दायित्व की लागत एक्चुरियल मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। एक्चुरियल मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य में पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

आकस्मिक व्यय

व्यवसाय के सामान्य क्रम में, कंपनी के विरुद्ध मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

दायित्व ऐसे हैं जिनके बारे में प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या उन्हें विश्वसनीय रूप से निर्धारित करना मुश्किल है और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है और नोटों में उनका खुलासा किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ–साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

करों

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर कानूनों में परिवर्तन, तथा भविष्य की कर योग्य आय की राशि और समय के संबंध में अनिश्चितताएं मौजूद हैं। वास्तविक परिणामों और की गई धारणाओं के बीच उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अंतरों की प्रकृति को देखते हुए, या ऐसी धारणाओं में भविष्य में होने वाले परिवर्तनों के कारण, पहले से दर्ज कर आय और व्यय में भविष्य में समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। कंपनी उचित अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित करती है। ऐसे प्रावधानों की राशि विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि पिछले कर ऑडिट का अनुभव और कर योग्य इकाई और जिम्मेदार कर प्राधिकरण द्वारा कर विनियमों की अलग–अलग व्याख्याएँ। कंपनियों के संबंधित निवास में प्रचलित स्थितियों के आधार पर व्याख्या के ऐसे अंतर कई तरह के मुद्दों पर उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य मुनाफे के स्तर के साथ–साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर, मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इकाई प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करती है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का निर्धारण निर्णयात्मक है और इसमें महत्वपूर्ण अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग शामिल है। अनुमान उन मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्हें उचित माना जाता है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित और अप्रत्याशित हैं और अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों को नहीं दर्शाते हैं जो घटित हो सकती हैं।

बिक्री हेतु रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति

गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को अत्यधिक संभावित तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है।

पट्टे – वृद्धिशील उधार दर का अनुमान लगाना

कंपनी पट्टे में निहित ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं कर सकती है, इसलिए, यह पट्टे की देनदारियों को मापने के लिए अपनी वृद्धिशील उधार दर (आईबीआर) का उपयोग करती है। प्ठत ब्याज की वह दर है जो कंपनी को समान अवधि के लिए उधार लेने के लिए चुकानी होगी, और समान सुरक्षा के साथ, समान आर्थिक वातावरण में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति के समान मूल्य की संपत्ति प्राप्त करने के लिए आवश्यक धन।

नवीकरण और समाप्ति विकल्पों के साथ अनुबंधों की पट्टा अवधि का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करती है, साथ ही पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि इसका प्रयोग किया जाना उचित रूप से निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई कोई भी अवधि, यदि इसका प्रयोग नहीं किया जाना उचित रूप से निश्चित है।

कंपनी यह मूल्यांकन करने में विवेक का प्रयोग करती है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को नवीनीकृत या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करना है या नहीं। आरंभ तिथि के बाद, कंपनी पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन करती है यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जो उसके नियंत्रण में है और नवीनीकृत या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करता है (उदाहरण के लिए, पट्टे पर दी गई संपत्ति में महत्वपूर्ण लीज़होल्ड सुधारों या महत्वपूर्ण अनुकूलन का निर्माण)।

राजस्व मान्यता

कंपनी की राजस्व मान्यता नीति इस बात पर केन्द्रित है कि कंपनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन कैसे करती है।

इन नीतियों के तहत अनुबंधों के परिणामों के पूर्वानुमान लगाए जाने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कार्य के दायरे में परिवर्तन और दावों और विविधताओं पर आकलन और निर्णय किए जाने की आवश्यकता होती है।

कई दीर्घकालिक और जटिल परियोजनाएँ हैं जहाँ कंपनी ने अनुबंध संबंधी अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए हैं। संभावित परिणामों की सीमा अंतर्निहित लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में भौतिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित पहलुओं के संबंध में भी अनुमान आवश्यक हैं:

- पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्णता तिथि का अनुमान
- संभावित नुकसान के लिए प्रावधान
- दावों और विविधताओं सहित अनुमानित कुल राजस्व और पूर्णता तक अनुमानित कुल लागत।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

3. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग/ फ्लैट्स– आवासीय	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग/ फ्लैट –गैर – आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट्स							(i)	(ii)			
सकल वहन राशि (लागत पर)											
1 अप्रैल, 2022 तक	**42.69**	**6.36**	**43.81**	**170.62**	**2.79**	**7.12**	**4.78**	**5.85**	**3.01**	**2.89**	**289.92**
अतिरिक्त	-	-	-	9.52	0.18	1.19	0.71	0.78	0.06	0.32	12.76
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	(0.35)	(0.12)	(0.09)	-	(0.01)	(0.57)
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति से हस्तांतरण (iv)	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19
विनिमय लाभ/ (हानि) (iii)	-	-	0.29	4.01	0.05	0.03	0.08	0.06	0.05	0.24	4.81
31 मार्च, 2023 तक	**42.69**	**6.55**	**44.10**	**184.15**	**3.02**	**7.99**	**5.45**	**6.60**	**3.12**	**3.44**	**307.11**
अतिरिक्त	-	-	-	23.62	0.97	0.97	0.40	1.08	0.32	-	27.36
निपटान/समायोजन	-	-	-	(2.18)	(0.02)	(0.39)	(0.04)	(0.06)	-	-	(2.69)
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति से हस्तांतरण (v)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ/ (हानि) (iii)	-	-	(0.49)	(0.22)	0.01	-	0.01	-	0.01	0.02	(0.66)
31 मार्च, 2024 तक	**42.69**	**6.55**	**43.61**	**205.37**	**3.98**	**8.57**	**5.82**	**7.62**	**3.45**	**3.46**	**331.12**
मूल्यह्रास और हानि											
1 अप्रैल, 2022 तक	**-**	**3.74**	**19.92**	**62.14**	**0.79**	**5.16**	**3.26**	**2.20**	**2.66**	**1.76**	**101.63**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	0.77	1.97	18.69	0.26	0.97	0.47	0.58	0.10	0.28	24.09
निपटान/समायोजन	-	-	-	-	-	(0.28)	(0.11)	(0.05)	-	-	(0.44)
बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति में हस्तांतरण (iv)	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05
विनिमय लाभ/ (हानि) (iii)	-	-	0.15	2.63	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.16	3.13
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**4.56**	**22.04**	**83.46**	**1.07**	**5.88**	**3.68**	**2.77**	**2.80**	**2.20**	**128.46**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	0.06	1.49	15.66	0.28	1.03	0.47	0.60	0.12	0.32	20.03
निपटान/समायोजन	-	-	-	(1.83)	(0.01)	(0.32)	(0.02)	(0.02)	-	-	(2.20)
विनिमय लाभ/ (हानि) (iii)	-	-	(0.27)	(0.15)	-	-	0.01	-	0.01	0.02	(0.38)
31 मार्च, 2024 को	**-**	**4.62**	**23.26**	**97.14**	**1.34**	**6.59**	**4.14**	**3.35**	**2.93**	**2.54**	**145.91**
नेट बुक वैल्यू											
31 मार्च, 2024 को	**42.69**	**1.93**	**20.35**	**108.23**	**2.64**	**1.98**	**1.68**	**4.27**	**0.52**	**0.92**	**185.21**
31 मार्च, 2023 को	**42.69**	**1.99**	**22.06**	**100.69**	**1.95**	**2.11**	**1.77**	**3.83**	**0.32**	**1.24**	**178.65**

फुट नोट:–

(i) कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं

(ii) फर्नीचर और फिक्सचर में फर्निशिंग शामिल है।

(iii) वहन राशि में कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अनुवाद के कारण विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) शामिल है।

(iv) फ्रीहोल्ड बिल्डिंग – चेन्नई में आवासीय, बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में स्थानांतरित।

(v) प्लांट और मशीनरी – उत्तरी क्षेत्र में बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में स्थानांतरित।

(vi) मूल्यह्रास उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपभोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित होता है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

परिसंपतियों का वर्ग	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
आवासीय / गैर आवासीय भवन / फ्लैट*	60	8–60
संयंत्र और मशीनरी*	8–15	1–15
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3–6	3–6
कार्यालय उपकरण	5–10	5–10
फर्नीचर और फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3–5	3–5
वाहन	8–10	8–10

* तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए परिसंपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

4. पूंजीगत कार्य प्रगति पर

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल, 2022 तक	–
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	–
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–
31 मार्च, 2023 तक	–
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	6.56
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	–
31 मार्च, 2024 तक	**6.56**
नेट बुक मूल्य	
31 मार्च 2024 तक	**6.56**
31 मार्च 2023 तक	–

31 मार्च 2024 और मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए प्रगतिरत पूंजी कार्य की आयु निर्धारण अनुसूची निम्नानुसार है।

विवरण	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	6.56	–	–	–	6.56
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
31 मार्च 2023 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ	–	–	–	–	–
अस्थायी रूप से स्थगित परियोजनाएँ	–	–	–	–	–

(i) ऐसी कोई परियोजना नहीं है, जहां गतिविधि स्थगित कर दी गई हो।

(ii) नीचे दी गई परियोजना के मामले में, पूरा होने में देरी हो चुकी है, स्वीकृत कुल लागत ₹ 7.30 करोड़ है और परियोजना के नीचे दिए अनुसार पूरा होने की उम्मीद है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

पूंजीगत कार्य प्रगति पर	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च, 2024 तक				
प्रगतिशील परियोजनाएँ	-	–	–	–
कॉर्पोरेट कार्यालय भवन का नवीनीकरण – फॉल्स सीलिंग और एचवीएसी	1.68	–	–	–
31 मार्च, 2023 तक				
प्रगतिशील परियोजनाएँ	–	–	–	–

5. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	नॉएडा			गुरुग्राम			बंगलौर	कुल
	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भवन	
1 अप्रैल, 2022 तक	**327.20**	**0.57**	**146.21**	**2.23**	**-**	**96.38**	**3.04**	**575.63**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	–	–	10.56	–	–	–	–	10.56
वर्ष के दौरान मान्यता रद्द	–	–	–	–	–	(1.02)	–	(1.02)
31 मार्च, 2023 तक	**327.20**	**0.57**	**156.77**	**2.23**	**-**	**95.36**	**3.04**	**585.17**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	–	0.57	0.85	–	1.48	–	–	2.90
वर्ष के दौरान मान्यता रद्द	–	–	–	–	–	(0.32)	–	(0.32)
31 मार्च, 2024 तक	**327.20**	**1.14**	**157.62**	**2.23**	**1.48**	**95.03**	**3.04**	**587.75**
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल, 2022 तक	**-**	**-**	**16.81**	**-**	**-**	**3.28**	**0.36**	**20.45**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	–	–	7.92	–	–	3.55	0.94	12.41
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**-**	**24.73**	**-**	**-**	**6.83**	**1.30**	**32.86**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	–	–	8.12	–	–	**3.61**	0.09	11.82
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**-**	**32.85**	**-**	**-**	**10.44**	**1.39**	**44.68**
निवल खंड								
31 मार्च, 2024 तक	**327.20**	**1.14**	**124.77**	**2.23**	**1.48**	**84.59**	**1.65**	**543.07**
31 मार्च, 2023 तक	**327.20**	**0.57**	**132.04**	**2.23**	**-**	**88.53**	**1.74**	**552.31**

निवेश संपत्ति की आय और व्यय के बारे में जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
निवेश संपत्तियों से किराये की आय*	16.28	6.65
वर्ष के दौरान किराये की आय उत्पन्न करने वाली निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	2.32	4.21
वर्ष के दौरान किराये की आय उत्पन्न नहीं करने वाली निवेश संपत्ति से उत्पन्न प्रत्यक्ष परिचालन व्यय (मरम्मत और रखरखाव सहित)	–	–
मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	**13.96**	**2.44**
घटाएँ: वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	(11.82)	(8.86)
अप्रत्यक्ष व्यय से पहले निवेश संपत्तियों से उत्पन्न लाभ	2.14	(6.42)
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	–	-

* इसमें संपत्तियों से प्राप्त रखरखाव आय भी शामिल है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

उचित मूल्य का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	नॉएडा			गुरुग्राम			बंगलौर	कुल
	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भवन	
1 अप्रैल, 2022 को आरंभिक शेष राशि	**248.23**	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.24**
अतिरिक्त राशि	–	–	–	–	–		–	–
उचित मूल्य अंतर	14.20	–	(15.26)	3.34	–	(4.91)	0.21	(2.42)
31 मार्च, 2023 को समापन शेष राशि	**262.43**	**-**	**121.44**	**125.16**	**-**	**85.22**	**9.57**	**603.82**
अतिरिक्त राशि	–	–	–	–	-	-	–	–
वर्ष के लिए उचित मूल्य अंतर	67.60	–	7.48	(50.66)	–	1.18	0.94	26.55
31 मार्च, 2024 को समापन शेष राशि	**330.03**	**-**	**128.92**	**74.50**	**-**	**86.40**	**10.51**	**630.37**
नोट:–								
निवेश संपत्ति स्वनिर्मित	330.03	–	128.92	74.50	–	86.40	10.51	630.36

नोटः

(i) ये मूल्यांकन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करते हुए, कंपनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए मूल्यांकन पर आधारित हैं। उचित मूल्य आय/लागत/बाजार मूल्य दृष्टिकोण पर आधारित हैं। मूल्यांकनकर्ता द्वारा की गई धारणा के अनुसार, नोएडा भूमि के लिए ₹ 66.89 करोड़ के एकमुश्त पट्टे के भुगतान पर वित्त वर्ष 2022–23 में विचार नहीं किया गया है।

(ii) उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश संपत्ति में तीन स्थान शामिल हैं, जिनकी लीज़ अवधि 90 वर्ष है। इसके अतिरिक्त, गुरुग्राम और बैंगलोर में संपत्तियाँ एक ही स्थान पर स्थित हैं और फ्रीहोल्ड हैं।

(iv) नोएडा प्राधिकरण के साथ विवाद के लंबित समाधान के कारण सेक्टर 125, नोएडा संपत्ति के लिए प्रगति पर पूंजीगत कार्य के लिए ₹ 0.57 करोड़ की राशि के अन्य प्रावधान बनाए गए हैं।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

6. अमूर्त परिसंपत्तियां और विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (सॉफ्टवेयर)	अन्य अमूर्त (सॉफ्टवेयर)
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल, 2022 तक	**9.79**	**2.55**
वर्ष के दौरान वृद्धि	1.89	9.10
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(9.09)	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	**2.59**	**11.65**
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.84	3.44
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(3.43)	-
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	-	(0.24)
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**14.85**
परिशोधन और हानि		
1 अप्रैल, 2022 तक	**-**	**2.11**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	0.85
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-
31 मार्च, 2023 तक	**-**	**2.96**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	3.23
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	(0.24)
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**5.95**
निवल निवल मूल्य		
31 मार्च, 2024 तक	**-**	**8.90**
31 मार्च, 2023 तक	**2.59**	**8.69**

नोट: –

(i) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां एसएपी एस4/ हाना ईआरपी सॉफ्टवेयर प्राप्त करने के लिए किए गए पूंजीगत व्यय को दर्शाती हैं।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों की आयु निर्धारण अनुसूची निम्नानुसार है:

वर्ष	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक					
प्रगति पर परियोजनाएँ		-	-		-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 तक	-	-	-	-	-
प्रगति पर परियोजनाएँ	1.89	-	-	0.70	2.59
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	-	-	-	-
	1.89	**-**	**-**	**0.70**	**2.59**

(ii) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जहां गतिविधि स्थगित कर दी गई हो।

(iii) नीचे दी गई परियोजना के मामले में, पूर्णता विलंबित है, 31 मार्च, 2024 तक पूरी होने वाली अपेक्षित परियोजना के लिए अनुमोदित कुल लागत ₹ 23.56 करोड़ है, और 31 मार्च, 2023 तक पूरी होने वाली अपेक्षित परियोजना के लिए ₹ 26.16 करोड़ है, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	प्रक्रियाधीन			
	1 वर्ष से कम	1 – 2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक
31 मार्च 2024 तक				
प्रगति पर परियोजनाएँ		**-**	**-**	**-**
एसएपी एस–4 हाना एसएपी/ईआरपी	7.25	3.79	-	-
31 मार्च, 2023 तक				
प्रगति पर परियोजनाएँ				
एसएपी एस–4 हाना एसएपी/ईआरपी	3.50	5.26	5.70	-

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

7. उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	भूमि (i)	भवन(ii)	वाहन	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल, 2022 तक	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.35	–	–	0.35
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	-0.01	–	-0.01
31 मार्च, 2023 तक	**1.60**	**5.20**	**0.04**	**6.84**
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.29	3.03	–	3.32
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक	**1.89**	**8.23**	**0.04**	**10.16**
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल, 2022 तक	**0.16**	**1.87**	**0.04**	**2.07**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.06	0.32	–	0.38
हानि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	-0.01	–	(0.01)
31 मार्च, 2023 तक	**0.22**	**2.18**	**0.04**	**2.44**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	0.24	0.89	–	1.13
हानि	–	–	–	–
वर्ष के दौरान निपटान/समायोजन	–	–	–	–
31 मार्च, 2024 तक	**0.46**	**3.07**	**0.04**	**3.57**
नेट बुक मूल्य				
31 मार्च, 2024 तक	**1.43**	**5.16**	**-**	**6.59**
31 मार्च, 2023 तक	**1.38**	**3.02**	**-**	**4.40**

नोट : –

(i) इसमें सैन मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली, पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सर्विस बिल्डिंग, कोलकाता में रेलवे की भूमि पर 30 वर्ष के लिए लीज होल्ड बिल्डिंग शामिल है, जिसके लिए समझौते को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ii) लीज होल्ड भूमि में कंपनी द्वारा प्रस्तावित केंद्रीय निरीक्षण सेल (सीआईसी) के निर्माण के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) की भूमि शामिल है (सकल मूल्य ₹ 0.76 करोड़)। भवन निर्माण के लिए समय विस्तार का अनुरोध उपयुक्त प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी के नाम पर न रखी गई अचल संपत्तियों के स्वामित्व विलेख

उपयोग का अधिकार संपत्ति पट्टा संपत्ति	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से धारण की गई है	कंपनी के नाम पर न रखे जाने का कारण (यदि विवाद हो तो उसका भी उल्लेख करें)
आवासीय भवन के उपयोग का अधिकार	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नंबर 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेलवे	लागू नहीं	14 अगस्त, 2002	फ्लैटों का निर्माण रेलवे की भूमि पर किया गया है और इस संबंध में जारी निर्देशों के आधार पर संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा इन्हें 30 वर्ष की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।
आवासीय भवन के उपयोग का अधिकार	सैन मार्टिन, नई दिल्ली में फ्लैट्स	2.26	उत्तर रेलवे	लागू नहीं	16 सितंबर, 2004	
गैर – आवासीय भवन के उपयोग का अधिकार	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल, कोलकाता	लागू नहीं	3 मार्च, 2000	मेट्रो रेलवे, कोलकाता द्वारा रेलवे की भूमि पर कार्यालय आवास का निर्माण किया गया है तथा इस संबंध में जारी निर्देशानुसार इसे 30 वर्ष की अवधि के लिए इरकॉन को पट्टे पर दिया गया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

8. गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां

8.1 गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियाँ–निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश (पूरी तरह से चुकता, अनकोटेड, लागत पर)		
क) सहायक कंपनियां		
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड 6,50,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 6,50,00,000)	65.00	65.00
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड 16,50,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 16,50,00,000) {नोट देखें (i) h}	225.75	230.62
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड 15,00,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 15,00,00,000) {नोट देखें (i) g}	150.19	150.19
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड 1,00,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 1,00,00,000 इक्विटी शेयर) {संदर्भ नोट (i) ˙}	205.98	205.98
इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड 17,30,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 17,30,00,000 इक्विटी शेयर) {संदर्भ नोट (i) c}	187.69	187.69
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड 50,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 50,000 इक्विटी शेयर) {संदर्भ नोट (i) d}	88.47	71.40
इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड 43,40,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 50,000 इक्विटी शेयर) {नोट देखें (i) i}	56.05	51.49
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड 36,20,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: इक्विटी शेयर 50,000 इक्विटी शेयर) {नोट देखें (i) j}	58.21	0.94
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड 52,00,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च, 2023: 50,000 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक) {नोट देखें (i) K}	56.74	6.78
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: ₹10 प्रत्येक के 50,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) l देखें}	82.64	82.22
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ₹10 प्रत्येक के 38,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: 38,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) f देखें}	92.04	41.80
कुल (क) – सहायक कंपनियों में निवेश	**1,268.76**	**1,094.09**
ख) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड (आईएसटीपीएल) ₹ 10 प्रत्येक के 6,38,70,000 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए। (31 मार्च, 2023: 6,38,70,000) {नोट (ii) देखें}	64.15	64.15
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 5,19,99,699 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: 5,19,99,699 इक्विटी शेयर) {नोट (iii) देखें}	52.00	52.00
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 7,63,37,300 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: 7,63,37,300 इक्विटी शेयर) {नोट (iv) देखें}	76.34	76.34
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 2,62,56,438 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: 2,62,56,438) {नोट (i) b देखें}	140.37	140.37
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 2,60,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: 2,60,00,000 इक्विटी शेयर) {नोट (i) m देखें}	110.50	78.00
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 19,78,55,700 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए। (31 मार्च, 2023: 19,78,55,700 इक्विटी शेयर) {नोट (i) e देखें}	228.46	213.46
छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड ₹ 10 प्रत्येक के 19,39,91,200 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान किए गए। (31 मार्च, 2023: 19,39,91,200 इक्विटी शेयर) {नोट (i) n देखें}	210.11	193.99
कुल (ख) – संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश	**881.93**	**818.31**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
2. बॉन्ड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
7.15% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 250 इकाइयाँ (31 मार्च, 2023: 250 इकाइयाँ)	24.99	25.00
7.07% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, ₹ 1,000 प्रत्येक की 3,02,000 इकाइयाँ (31 मार्च, 2023: 3,02,000 इकाइयाँ)	30.20	30.20
7.14% कर मुक्त एनएचएआई बॉन्ड, ₹ 1,000 प्रत्येक की 1,99,989 इकाइयाँ (31 मार्च, 2023: 1,99,989 इकाइयाँ)	20.00	20.00
7.02% कर मुक्त एनएचएआई बॉन्ड, ₹ 10,00,000 प्रत्येक की 500 इकाइयाँ (31 मार्च, 2023: 500 यूनिट)	50.00	50.00
कुल (2) – बॉन्ड में निवेश (उद्धृत)	**125.19**	**125.20**
कुल गैर–वर्तमान निवेश (1+2)	**2,275.88**	**2,037.60**
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	**125.19**	**125.20**
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**130.43**	**130.41**
अउद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य 1 (क) + 1 (ख)	**2,150.69**	**1,912.40**
निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि	**-**	**-**

(i) (क) निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईवीकेईएल) में ₹ 10.00 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईवीकेईएल के लिए ₹ 195.74 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, इसमें आईवीकेईएल द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹ 0.24 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ख) निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) के पक्ष में ₹ 114.11 करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ 114.11 करोड़) का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है।

(ग) इसमें इरकॉन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (आईडीएचएचएल), पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में जारी की गई ₹0.83 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹0.83 करोड़) की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईडीएचएचएल के लिए ₹13.86 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है जिसका भुगतान किया जा चुका है।

(घ) निदेशक मंडल ने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड (आईजीआरएचएल) में ₹5 लाख से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईजीआरएचएल के लिए ₹103.18 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹88.35 करोड़ (31 मार्च, 2023: 71.35 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईजीआरएचएल द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक को जारी की गई ₹0.07 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ङ) निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के लिए 30.60 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2023 तक 15.60 करोड़ रुपये) से अधिक ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत नहीं किया है, जिसका भुगतान तदनुसार किया जा चुका है।

(च) निदेशक मंडल ने इरकॉन रिन्यूअल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) में ₹ 3.80 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दी है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईआरपीएल में ₹ 108.03 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹ 88.24 करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ 38 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है।

(ज) इसमें इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आईएसजीटीएल) द्वारा ली गई सावधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को जारी की गई ₹ 0.19 करोड़ (31 मार्च, 2023 ₹ 019 करोड़) की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(छ) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 को बोर्ड की मंजूरी के माध्यम से 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है और मूलधन के पुनर्भुगतान तक शेष ब्याज को स्थगित कर दिया है। उक्त छूट को कंपनी द्वारा भारतीय लेखा मानक के प्रावधान के अनुसार सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। तदनुसार ₹ 60.75 करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ 65.62 करोड़) को उपरोक्त में शामिल किया गया है।

(झ) निदेशक मंडल ने ₹17.16 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दी है, जिसमें से 4.34 करोड़ का भुगतान इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईएएसईएल) को किया गया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईएएसईएल के लिए ₹154.43 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹51.54 करोड़ (31 मार्च, 2023 ₹51.44 करोड़) का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईएएसईएल द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹0.18 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ञ) निदेशक मंडल ने इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दी है, जो ₹ 14.27 करोड़ से अधिक नहीं है, जिसमें से 3.62 करोड़ का भुगतान इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (आईएलआरएचएल) को किया गया है। इसके अलावा, बीओडी ने आईएलआरएचएल के लिए ₹ 128.43 करोड़ से अधिक के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹ 54.42 करोड़ (31 मार्च, 2023 ₹ 0.89 करोड़)

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

का भुगतान किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईएलआरएचएल द्वारा प्राप्त सावधि ऋण सुविधा की ओर से और उसके संबंध में आईआरसीओएन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी किए गए ₹ 0.18 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ट) निदेशक मंडल ने ₹ 20.58 करोड़ से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दी है, जिसमें से 5.20 करोड़ का भुगतान इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईबीएमईएल) को किया जा चुका है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईबीएमईएल के लिए ₹ 185.27 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹ 51.42 करोड़ (31 मार्च, 2023 ₹ 6.73 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईबीएमईएल द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा को जारी की गई ₹ 0.13 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ठ) निदेशक मंडल ने इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (आईएचबीएल) के लिए ₹5 लाख से अधिक नहीं की इक्विटी भागीदारी (प्रतिबद्ध) को मंजूरी दी है। इसके अलावा, निदेशक मंडल ने आईएचबीएल के लिए ₹111.85 करोड़ से अधिक नहीं के ब्याज मुक्त ऋण को मंजूरी दी है, जिसमें से ₹82.37 करोड़ (31 मार्च, 2023 ₹82.17 करोड़) का भुगतान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, इसमें आईएचबीएल द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को जारी की गई ₹0.23 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है।

(ड) निदेशक मंडल ने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के पक्ष में ₹ 84.50 करोड़ (31 मार्च, 2023 ₹ 52 करोड़) का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसका भुगतान कर दिया गया है। इसके अलावा, एमसीआरएल परियोजना के चरण– I (अंगुल – बलराम, 14 किमी पहले से ही चालू है) और चरण– II (बलराम–पुटगड़िया–टेंटुलोई, 54 किमी निर्माणाधीन) को रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर–तरीके प्रक्रिया में हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।

(ढ) निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के लिए ₹ 16.12 करोड़ से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण स्वीकृत किया है, जिसका भुगतान तदनुसार किया जा चुका है।

(ण) उपरोक्त (i) क से ढ तक के अनुसार ब्याज मुक्त ऋण केवल एसपीवी/जेवी के समापन या रियायत अवधि के अंत में, जो भी बाद में हो, चुकाया जाएगा।

(ii) इसमें आईएसटीपीएल द्वारा ली गई अवधि ऋण सुविधा के संबंध में और उसकी ओर से इरकॉन द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को जारी की गई ₹ 0.28 करोड़ की वित्तीय गारंटी का उचित मूल्य शामिल है। 31 मार्च, 2024 तक बकाया ऋण शून्य है (31 मार्च, 2023 तक शून्य)।

(iii) ''रेल मंत्रालय'' (एमओआर) ने अपने पत्र संख्या 2011/एलएमबी/22/1/39 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) को बंद करने और इसके व्यवसाय को आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित/हस्तांतरित करने के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय की सूचना दी थी। तदनुसार, बंद करने की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों (एसआईटीसीओ और गरुड़ में निवेश को छोड़कर) को आरएलडीए/एमओआर को स्लंप सेल के आधार पर कटऑफ तिथि के अनुसार बुक वैल्यू से कम नहीं के विचार के लिए हस्तांतरित किया जाना है, जिसे आईआरएसडीसी की 07.11.2022 को आयोजित 59वीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में अनुमोदित किया गया था। वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई बंद करने संबंधी गतिविधियाँ अभी पूरी होनी बाकी हैं। आईआरएसडीसी का वित्तीय विवरण परिसमापन आधार पर तैयार किया गया है और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

(iv) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों को एमओआर को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर–तरीके प्रक्रिया में हैं और कंपनी को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।

8.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
क. अच्छा माना जाता है: सुरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.02	0.03
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
सहायक		
–इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड {नोट देखें (i)}	162.59	199.24
–इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	68.96	68.96
–इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	47.13	47.13
(ii) अन्य:		
स्टाफ ऋण और अग्रिम	0.41	0.48
कुल	**279.10**	**315.84**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

फुटनोट:

(i) कंपनी ने 12 अगस्त, 2021 को बोर्ड की मंजूरी के जरिए 1 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के लिए इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड को दिए गए अपने ऋण पर ब्याज माफ कर दिया है। उक्त छूट को कंपनी द्वारा इंड एएस के प्रावधान के अनुसार सहायक कंपनी में निवेश के रूप में माना गया है। {नोट 8.1 (i) (एच) देखें}

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम

ऋणकर्ता के प्रकार	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का:^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*
प्रमोटरों को ऋण	–	–	–	–
निदेशकों को ऋण	–	–	–	–
केएमपी को ऋण	–	–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	278.68	99.85%	315.33	99.84%
कुल	**278.68**	**99.85%**	**315.33**	**99.84%**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है।

8.3 गैर–चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
अच्छा माना जाता है				
सुरक्षा जमा				
– सरकारी विभाग		0.25		0.01
– अन्य		0.08		0.05
अनुबंध परिसंपत्ति:				
– ग्राहक के पास पैसे रखना	14.75		3.54	
– ग्राहक द्वारा रोका गया धन	–	14.75	–	3.54
12 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि {नोट (i) देखें}		0.01		0.01
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज#		0.27		0.24
संबंधित पक्ष को दिए गए ऋण पर अर्जित ब्याज – इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड		9.02		3.96
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		15.00		15.00
कुल		**39.38**		**22.82**

निदेशक को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज शून्य (शून्य) है।

नोट:

(i) इसमें ₹0.01 करोड़ के ग्रहणाधिकार के अंतर्गत एफडीआर शामिल हैं (31 मार्च, 2023 तक: ₹0.01 करोड़)।

9. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

(क) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	**लाभ और हानि विवरण अनुभाग वर्तमान आयकर:**		
	चालू आयकर:		
	चालू आयकर प्रभार	298.77	215.33
	पिछले वर्ष के चालू कर के संबंध में समायोजन	2.60	(78.53)
	स्थगित कर:		
	अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण से संबंधित	(8.73)	(30.44)
	लाभ और हानि विवरण अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**292.64**	**106.36**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
2	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अनुभाग**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि/(लाभ)	0.45	0.49
	विनिमय लाभ/हानि पर निवल हानि/(लाभ)	(0.61)	3.25
	ओसीआई अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**(0.16)**	**3.74**

(ख) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का समाधान:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	आयकर से पहले लेखा लाभ	1,155.55	883.18
2	लेखा लाभ पर कर	290.83	222.28
3	कर समायोजन पर प्रभाव:		
(i)	पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	2.60	(78.53)
(ii)	पहले से पहचाने नहीं गए कर घाटे का उपयोग	-	-
	– गैर कर योग्य मद	(37.46)	(37.38)
	– अन्य	15.24	(20.40)
(iii)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
(iv)	**कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्यय:**		
	– अन्य देश अतिरिक्त कर	14.77	17.11
	– अन्य गैर–कटौती योग्य व्यय	6.50	7.01
(v)	विभिन्न अन्य मदों का कर प्रभाव	-	-
		292.48	**110.09**
4	लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	292.48	110.09
5	प्रभावी कर दर	25.31%	12.47%

ग) तुलन पत्र और लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	तुलन पत्र		तुलन पत्र लाभ या हानि का विवरण	
		31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(21.44)	(20.25)	1.20	1.53
2	प्रावधान	98.76	82.31	(16.45)	(8.53)
3	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव	46.01	52.54	6.53	(23.44)
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**123.33**	**114.60**	**(8.72)**	**(30.44)**

(घ) तुलन पत्र में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	144.77	134.84
2	आस्थगित कर देयता	(21.44)	(20.24)
	आस्थगित कर (देयताएं) / परिसंपत्ति (निवल)	**123.33**	**114.60**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) आस्थगित कर (देनदारियाँ) / परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च, 2024 तक (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	शेष राशि 1 अप्रैल, 2023 तक (निवल)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	शेष राशि 31 मार्च, 2024 तक (निवल)
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(20.25)	(1.19)	-	(21.44)
2	प्रावधान	82.32	16.45	-	98.77
3	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	52.53	(6.53)	-	46.00
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**114.60**	**8.73**	**-**	**123.33**

31 मार्च, 2023 तक (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल, 2022 तक (निवल)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	शेष राशि 31 मार्च, 2023 तक (निवल)
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(18.73)	(1.52)	-	(20.25)
2	प्रावधान	73.79	8.53	-	82.32
3	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में लगाए गए व्यय का प्रभाव, लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	29.09	23.44	-	52.53
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं)	**84.15**	**30.45**	**-**	**114.60**

10. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अच्छा माना जाता है		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले अनुबंधक को अग्रिम	62.82	-
अनुबंधक, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	222.12	88.22
अनुबंधक, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिमों पर अर्जित ब्याज	5.98	3.00
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.05	0.12
कुल	**290.97**	**91.34**

11. अन्य गैर – चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
कच्चा माल (लागत या एनआरवी पर मूल्यांकित, जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)		
– हाथ में	19.33	17.30
– तीसरे पक्ष के साथ	12.02	15.61
– पारगमन में	10.98	-
अन्य (ट्रैक और निर्माण सामग्री)	0.31	0.31
अन्य (ट्रैक और निर्माण सामग्री)	189.73	150.37
कुल	**232.37**	**183.59**

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

12 चालू परिसंपत्तियां – वित्तीय परिसंपत्तियां

12.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
1. बांड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
8.23% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, ₹1,000 प्रत्येक की 5,00,000 इकाइयाँ (31 मार्च, 2023: ₹1,000 प्रत्येक की 5,00,000 इकाइयाँ)	-	50.00
8.35% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बांड, प्रत्येक ₹10,00,000 की 500 इकाइयाँ (31 मार्च, 2023: 500 यूनिट प्रत्येक ₹ 10,00,000)	-	49.99
7.35% भारत सरकार (जीओआई) बॉन्ड 2024 अंकित मूल्य ₹ 1,50,40,000 (31 मार्च, 2023: शून्य)	1.51	-
2. लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर म्यूचुअल फंड (उद्धृत) में निवेश)		
यूनियन लिक्विड फंड, इकाइयों की संख्या – 2,27,140.24 (31 मार्च, 2023: शून्य)	52.89	-
एक्सिस लिक्विड फंड, संख्या नदपजे – 2,69,473.15 (31 मार्च, 2023: शून्य)	72.39	-
बंधन लिक्विड फंड, यूनिटों की संख्या – 2,27,140.24 (31 मार्च, 2023: शून्य)	166.10	-
निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड, यूनिटों की संख्या – 3,16,143.76 (31 मार्च, 2023: शून्य)	186.81	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड, यूनिटों की संख्या – 1,91,133.26 (31 मार्च, 2023: शून्य)	83.81	-
कुल	**563.51**	**99.99**
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	**563.51**	**99.99**
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**563.50**	**109.93**
असूचीबद्ध निवेशों का कुल बही मूल्य	**-**	**-**
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	**-**	**-**

12.1 वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है*	992.26	894.80
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण क्षीण	7.14	7.14
	999.40	**901.94**
हानि भत्ता (बुरे और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता)		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	(45.80)	(26.07)
व्यापार प्राप्य जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
व्यापार प्राप्य – ऋण प्रभावित	(7.14)	(7.14)
कुल	**946.46**	**868.73**

* इसमें संबंधित पक्षों से प्राप्तियां ₹ 584.27 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक: ₹ 436.99 करोड़) शामिल हैं और नोट: 33 (ग) 4.1 में उल्लेख किया गया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची:

विवरण		बिल रहित	देय नहीं	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया भुगतान की देय तिथि से					कुल
				6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	अनिर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	548.04	169.69	50.94	135.55	73.84	14.20	992.26
(ii)	अनिर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	अनिर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब होता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब होता है	-	-	-	-	-	-	7.14	7.14
कुल		**-**	**548.04**	**169.69**	**50.94**	**135.55**	**73.84**	**21.34**	**999.40**
क्षति भत्ता									(52.94)
कुल									**946.46**

विवरण		बिल रहित	देय नहीं	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया भुगतान की देय तिथि से					कुल
				6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i)	अनिर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	596.52	120.32	49.60	109.14	6.84	12.38	894.80
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	अनिर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब होता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-
(iv)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	-
(vi)	निर्विवाद व्यापार प्राप्य – क्रेडिट खराब होता है	-	-	-	-	-	-	7.14	7.14
कुल		**-**	**596.52**	**120.32**	**49.60**	**109.14**	**6.84**	**19.53**	**901.94**
क्षति भत्ता									(33.21)
कुल									**868.73**

12.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – नकदी और नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
हाथ में नकदी		0.05	0.09
ट्रांजिट में धन प्रेषण		-	13.61
बैंकों के पास शेष राशि:			
– चालू खातों पर		567.56	380.90
– फ्लेक्सी खाते	(i) एवं (ii)	376.80	173.35
– 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	(i) एवं (ii)	884.47	1,600.46
कुल		**1,828.88**	**2,168.41**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ– अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अन्य बैंक शेष			
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमा राशियाँ	(i) & (ii)	2,599.61	2,616.33
निर्धारित शेषराशि:			
सीएसआर बैंक खाता		0.17	0.17
लाभांश वितरण खाता		0.47	0.41
कुल		**2,600.25**	**2,616.91**

12.3 और 12.4 के लिए नोटरू

(i) इसमें **₹ 2,898.36** करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ 3,130.67 करोड़) का क्लाइंट फंड शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(ii) इसमें **₹ 716.24 करोड़** (31 मार्च, 2023: ₹ 811.42 करोड़) का व्यापार देय प्रोजेक्ट फंड शामिल है।

12.4 चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ– अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
क. अच्छा माना जाता है: सुरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.02	0.05
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:		
सहायक कंपनियाँ		
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	34.92	29.32
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.86	0.77
कुल	**35.80**	**30.14**

संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण या अग्रिम राशि:

उधारकर्ता का प्रकार	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत^
प्रमोटरों को ऋण	–	–	–	–
निदेशकों को ऋण	–	–	–	–
केएमपी को ऋण	–	–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	34.92	97.54%	29.32	97.28%
कुल	**34.92**	**97.54%**	**29.32**	**97.28%**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है।

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

4.6 चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुटनोट	31 मार्च, 2024		31 मार्च, 2023	
अच्छे माने जाने वाले					
सिक्योरिटी डिपॉजिट					
– सरकारी विभाग			5.36		1.68
– अन्य			126.18		141.50
बयाना जमा			0.90		0.54
12 मिलियन से अधिक मूल मैट. लेकिन 12 मिलियन से कम शेष मैट. वाली सावधि जमा			-		25.48
इस पर अर्जित ब्याज:					
– कर्मचारियों को अग्रिम	(i)		0.07		0.13
– संबंधित पक्षों को ऋण			14.55		10.87
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम		9.56		59.65	
घटाएँ: भारतीय रेलवे से ऋण पर अर्जित ब्याज	(iv)	-	9.56	(51.89)	7.76
– बैंकों में जमा			65.62		55.29
– बांड और सरकारी प्रतिभूतियाँ			7.63		15.55
अनुबंध परिसंपत्ति:					
– बिल योग्य राजस्व/अदेय प्राप्य	(ii) (क) एवं (ख)	268.59		361.47	
– निर्माण कार्य प्रगति पर (प्राप्त करने योग्य मूल्य पर)	(ii) (ख)	873.48		482.03	
– ग्राहक के पास प्रतिधारण धन	(iii)	133.53		173.97	
– ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि	(iii)	276.26	1,551.86	229.48	1,246.95
शेयर आवेदन राशि आवंटन लंबित:					
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड – ₹10 प्रत्येक के 301 इक्विटी शेयर (31 मार्च, 2023: 301 शेयर) {नोट संख्या देखें। 8.1}			-		-
अन्य वसूली योग्य:					
(क) संबंधित पक्षों (संयुक्त उद्यम) से					
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर			3.53		3.49
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप			1.76		1.88
– इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड			-		0.09
– इरकॉन – एएफसीओएन जेवी			0.42		0.60
– छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड			0.39		0.29
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड			0.02		0.02
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड			3.35		2.93
– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			0.08		0.07
– एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम			2.64		1.68
(ख) संबंधित पक्षों (सहायक कंपनियों) से					
– इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड			0.06		0.24
– इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड			6.83		4.10
– इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड			0.33		0.43
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड			0.15		0.01
– दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड			0.11		0.09
– इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड			0.15		0.03
– इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड			0.33		0.03
– इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड			0.05		0.07
– इरकॉन भोज मोरबे हाईवे लिमिटेड			0.53		0.07
– इरकॉन हरिद्वार हाईवे लिमिटेड			0.03		0.07
– इरकॉन रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड			0.01		0.04
(ग) रेल भूमि से वसूली योग्य विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)		4.64		619.95	
घटाएँ: भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड से ऋण	(iv)	-	4.64	(615.31)	4.64
(घ) ग्राहकों से वसूली योग्य दावे			20.37		59.25
(ङ) अग्रिम पट्टा किराया			0.14		0.12

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	फुटनोट	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
(च) अन्य		9.62	17.71
संदिग्ध माना जाता है			
सुरक्षा जमा			
– सरकारी विभाग		0.01	0.01
– अन्य		0.13	0.13
बयाना जमा		0.16	0.16
अनुबंध परिसंपत्ति:			
– ग्राहक के पास प्रतिधारण राशि		4.28	4.28
– ग्राहक द्वारा रोकी गई राशि		2.67	2.67
इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड से वसूली योग्य		0.05	0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		25.81	25.81
ग्राहक से वसूली योग्य दावा संदिग्ध		2.59	2.25
घटाएँ: संदिग्ध अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ता		(35.70)	(35.36)
कुल		**1,837.27**	**1,603.70**

फूट नोट:

(i) कंपनी, फर्म जिसमें कोई निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के अधिकारियों द्वारा देय ऋण संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य हैं (31 मार्च, 2023: शून्य)। इसके अलावा, निदेशक को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज शून्य (शून्य) है।

(ii) (क) इसमें ₹ 201.20 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक ₹ 184.73 करोड़) के कार्य का मूल्य शामिल है, जो क्लाइंट द्वारा प्रमाणित है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि तक बिल नहीं किया गया है।

(ख) इसमें संबंधित पक्षों से प्राप्तियां ₹ 266.72 करोड़ शामिल हैं (31 मार्च, 2023 तकरू ₹ 271.14 करोड़) और नोट: 33 (ग) 4.2 (क) में खुलासा किया गया है

(iii) इसमें संबंधित पक्षों से प्राप्तियां ₹ 84.81 करोड़ (31 मार्च, 2023 तक: ₹ 43.76 करोड़) शामिल हैं और नोटरू 33 (सी) 4.2 (ख) में खुलासा किया गया है।

(iv) नोट देखें 21.1 (i)

13. चालू परिसंपत्तियां – चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के लिए प्रावधान के बाद)	50.47	154.86
कुल	**50.47**	**154.86**

14. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अच्छा माना जाता है		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम	106.00	176.53
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	971.29	1,255.05
अग्रिम से वसूली योग्यरू		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	320.23	321.92
घटाएँ: विरोध के तहत जमा किया गया	(217.05)	(217.05)
– मूल्य वर्धित कर	69.53	80.47
– माल और सेवा कर	846.88	847.13
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	-	0.01
सुरक्षा जमा	45.08	44.28
स्थगित परियोजना जुटाव लागत	12.39	22.85

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अर्जित ब्याज:		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमा और अग्रिम	66.42	79.64
पूर्व भुगतान व्यय	9.33	10.40
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.03	-
संदिग्ध माना जाता है		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	30.00	30.00
मूल्य वर्धित कर	9.87	9.88
घटाया गया: संदिग्ध अग्रिमों के लिए क्षति भत्ता	(56.86)	(56.87)
कुल	**2,230.13**	**2,621.23**

15. बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
निपटान हेतु रखी गई परिसंपत्तियां	-	0.01
कुल	**-**	**0.01**

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) जो आर्थिक मरम्मत से परे हैं और/या निपटान के लिए रखे गए हैं (वसूली योग्य मूल्य और बही मूल्य में से कम पर)

परिसंपत्तियों का ब्लॉक	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान का तरीका और अपेक्षित समय	गैर चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर अपेक्षित (हानि)/लाभ	खंड	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
					सकल ब्लॉक	नेट ब्लॉक	सकल ब्लॉक	नेट ब्लॉक
संयंत्र और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	प्लांट और मशीनरी (नोएडा वर्कशॉप))	एमएसटीसी जैसी ई–नीलामी के माध्यम से वर्ष 2024 के अंत तक निपटान की अपेक्षित समयावधि	-	घरेलू: पीएमडी डिवीजन	-	-	-	-
उत्तरी क्षेत्र	संयंत्र और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसी ई–नीलामी के माध्यम से वर्ष 2024 के अंत तक निपटान की अपेक्षित समयावधि	-	घरेलू	-	-	0.19	0.01
कुल					**-**	**-**	**0.19**	**0.01**

(i) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखे गए संपत्ति संयंत्र और उपकरण को पुनर्वर्गीकरण के समय उसकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर जो भी कम हो, उसके आधार पर मापा गया। तदनुसार, शून्य (31 मार्च, 2023: शून्य) की हानि का प्रावधान किया गया है।

(ii) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र में दो मशीनरी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2022–23 में, चेन्नई में स्थित एक आवासीय भवन को भारतीय लेखा मानक 105 ''बिक्री के लिए रखी गई गैर चालू संपत्ति'' द्वारा बताए गए मानदंडों पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया, जो अब पूरा नहीं होता है।

16. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर ₹2 प्रत्येक		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर ₹2 प्रत्येक 31 मार्च, 2023 तक	400.00	400.00
	400.00	**400.00**
जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी		
94,05,15,740 इक्विटी शेयर ₹2 प्रत्येक–पूरी तरह से भुगतान किए गए		
94,05,15,740 इक्विटी शेयर ₹2 प्रत्येक–पूरी तरह से भुगतान किए गए 31 मार्च, 2023 तक	188.10	188.10
	188.10	**188.10**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	शेयर की संख्या	वर्ग में % के हिस्सेदारी	शेयर की संख्या	वर्ग में % के हिस्सेदारी
भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत सदस्यों के नाम पर भारत सरकार	61,29,28,392	65.17%	68,83,01,650	73.18%

(ख) प्रमोटर द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 तक			31 मार्च, 2023 तक		
	शेयर की संख्या	वर्ग में % के हिस्सेदारी	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	शेयर की संख्या	वर्ग में % के हिस्सेदारी	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत सदस्यों के नाम पर भारत सरकार	61,29,28,392	65.17%	8.01%	68,83,01,650	73.18%	लागू नहीं

* वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रमोटर ने कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों के "बिक्री के प्रस्ताव" के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जो कंपनी की जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी का 8.01% है।

(ग) बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पहले पांच वर्षों की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या	शेयर की संख्या
नकद के अलावा आवंटित इक्विटी शेयर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	-	-	47,02,57,870	-	-	-
इक्विटी शेयर बायबैक	-	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**47,02,57,870**	**-**	**-**	**-**

(घ) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

(i) **मतदान**
कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका सममूल्य ₹2 प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) **परिसमापन**
कंपनी के परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) **लाभांश**
निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है

ङ) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का मिलान

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
	शेयर की संख्या	वर्ग में % के हिस्सेदारी	शेयर की संख्या	वर्ग में % के हिस्सेदारी
वर्ष के प्रारंभ में जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	94,05,15,740	188.10	94,05,15,740	188.10
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी किए गए बोनस शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में जारी/सब्सक्राइब की गई और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	94,05,15,740	188.10	94,05,15,740	188.10

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

17. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रतिधारित आय	2,224.59	1,642.52
सामान्य रिजर्व	3,333.71	3,333.71
पूंजी मोचन रिजर्व	4.93	4.93
अन्य व्यापक आय	20.43	9.22
कुल	**5,583.66**	**4,990.38**
(i) नीचे दिए अनुसार गतिविधि:		
(क) प्रतिधारित आय		
प्रारंभिक शेष	**1,642.52**	**1,094.65**
लाभ और हानि विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	862.90	776.83
वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश	(112.86)	(61.13)
अंतरिम लाभांश	(169.29)	(169.29)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (कर के पश्चात् निवल)	1.32	1.46
जमा शेष	**2,224.59**	**1,642.52**
(ख) सामान्य रिजर्व		
प्रारंभिक और समापन शेष	**3,333.71**	**3,333.71**
(ग) पूंजी मोचन रिजर्व		
प्रारंभिक और समापन शेष	**4.93**	**4.93**
(घ) अन्य व्यापक आय		
प्रारंभिक शेष	**9.22**	**(0.43)**
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	13.04	-
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व (कर के बाद निवल)	(1.83)	9.65
समापन शेष	**20.43**	**9.22**
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**5,583.66**	**4,990.38**

(ii) अन्य रिज़र्व की प्रकृति और उद्देश्य:

(क) प्रतिधारित आये

प्रतिधारित आय कंपनी के अविभाजित लाभ को दर्शाती है।

(ख) सामान्य रिज़र्व

सामान्य रिज़र्व वैधानिक रिज़र्व को दर्शाता है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का एक हिस्सा सामान्य रिज़र्व में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य रिज़र्व में किसी भी राशि का हस्तांतरण कंपनी के विवेक पर है।

(ग) पूंजी मोचन रिज़र्व

कंपनी ने 26 दिसंबर 2017 को शेयरों की खरीद के बाद लाभ से पूंजी मोचन रिज़र्व बनाया है।

(घ) अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ

अन्य व्यापक आय विदेशी परिचालन के अनुवाद पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली शेष राशि को दर्शाती है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(iii) लाभांश वितरण

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
इक्विटी शेयरों पर घोषित/भुगतान किए गए नकद लाभांश:		
वित्त वर्ष 2022–23 का अंतिम लाभांश 2023–24 के दौरान भुगतान किया गया: 1.20 रुपये प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश 2022–23 के दौरान भुगतान किया गया: 0.65 रुपये प्रति शेयर)	112.86	61.13
2023–24 के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांशरू 1.80 रुपये प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2022–23:	169.29	169.29
कुल	**282.15**	**230.42**

(iv) रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं किए गए लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, सुनिश्चित वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन:

31 मार्च 2024 के लिए लाभांश: 1.30 रुपये प्रति शेयर (31 मार्च, 2023: 1.20 रुपये प्रति शेयर)	122.27	112.86
कुल	**122.27**	**112.86**

18. गैर–चालू देयताएं – वित्तीय देयताएं

18.1 गैर–चालू वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
पट्टा देयता	2.52	0.42
कुल	**2.52**	**0.42**

18.2 गैर–चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	–	–
(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) अनुबंधक एवं आपूर्तिकर्ता	–	–
कुल	**-**	**-**

नोट:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नोट 43 में प्रदान किए गए हैं।

ख) नियम और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेष राशि का खुलासा नोट 33 में किया गया है।

18.3 गैर–चालू देयताएँ – अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
जमा और प्रतिधारण राशि	757.83	652.85
वित्तीय गारंटी अनुबंध	0.46	0.15
कुल	**758.29**	**653.00**

19. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	टिपण्णी	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	19.1	156.89	119.33
अन्य प्रावधान	19.2	246.68	201.41
कुल		**403.57**	**320.74**
चालू		261.20	201.05
गैर चालू		142.37	119.69

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

19.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:

क) ये प्रावधान छुट्टी नकदीकरण, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, प्रदर्शन से संबंधित वेतन और छुट्टी यात्रा रियायत के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

ख) भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण नोट में दिए गए हैं।

ग) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानों के वहन मूल्य में परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	छुट्टी वेतन*	निपटान सेवानिवृत्ति पर भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	प्रदर्शन संबंधित वेतन	अवकाश यात्रा रियायत	पीएफ और अन्य फंड में योगदान	कुल
31 मार्च, 2023 तक	**69.17**	**1.14**	**5.26**	**40.11**	**0.19**	**3.46**	**119.33**
चालू	7.79	0.15	5.26	40.11	0.02	3.46	56.79
गैर चालू	61.38	0.99	–	–	0.17	–	62.54
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	15.15	0.15	5.17	38.12	0.03	25.41	84.03
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	(12.18)	(0.03)	(5.26)	(24.06)	(0.01)	(2.57)	(44.11)
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस लिखें	–	–	–	-1.37	(0.01)	(0.89)	(2.27)
बीमांकिक लाभ/हानि	–	(0.13)	–	-	–	–	(0.13)
(विनिमय लाभ) / हानि	0.04	–	–	–	–	–	0.04
31 मार्च, 2024 तक	**72.18**	**1.13**	**5.17**	**52.80**	**0.20**	**25.41**	**156.89**
चालू	8.61	0.13	5.17	52.80	0.02	25.41	92.14
गैर चालू	63.57	1.00	–	–	0.18	–	64.75

* इसमें विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए ₹ 0.46 करोड़ शामिल हैं, जिनके लिए वास्तविक आधार पर अवकाश वेतन का प्रावधान किया गया है।

19.2 अन्य प्रावधान:

प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में बदलाव के संबंध में भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क) विमुद्रीकरण प्रावधाने

कंपनी ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में जनशक्ति और संयंत्र एवं उपकरणों के विमुद्रीकरण पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए विमुद्रीकरण का प्रावधान किया है

ख) रखरखाव प्रावधान

– लागत प्लस अनुबंध में, रखरखाव के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

– मद दर और एकमुश्त टर्नकी अनुबंधों में, अनुबंध संबंधी दायित्वों, उप–ठेकेदार के दायित्वों, परिचालन टर्नओवर और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दोष देयता अवधि के दौरान कंपनी की देयता को कवर करने के लिए रखरखाव का प्रावधान किया जाता है

ग) भारी अनुबंध

कंपनी के पास एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में भारतीय लेखा मानक 115 और भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार कंपनी को इन घाटे के लिए प्रावधान करना होगा। यह प्रावधान प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान पर आधारित है

घ) कानूनी मामले

कानूनी मामलों के लिए प्रावधान उन देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो न्यायालयों, मध्यस्थता और अपील में मामलों के संबंध में होने की उम्मीद है.

ड़) अन्य व्यय के लिए प्रावधान

अन्य व्यय के लिए प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्य के संबंध में अपेक्षित देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	विमुद्रीकरण	रखरखाव	भारी अनुबंध	कानूनी मामले	अन्य व्यय	कुल
31 मार्च, 2023 तक	**14.73**	**44.91**	**26.81**	**69.22**	**45.74**	**201.41**
चालू	12.77	16.53	-	69.22	45.74	144.26
गैर चालू	1.96	28.38	26.81	-	-	57.15
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.15	20.46	56.77	17.77	6.58	106.31
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.01)	(0.01)	(2.47)	(14.65)	(0.62)	(17.76)
घटाएँ: वर्ष के दौरान राइट बैक	-	(1.13)	(12.12)	(12.85)	(13.66)	(44.34)
(विनिमय लाभ) / हानि	0.11	0.65	-	-	(0.46)	0.30
छूट का समापन	0.04	0.72	-	-	-	0.76
31 मार्च, 2024 तक	**15.02**	**65.60**	**68.99**	**59.49**	**37.58**	**246.68**
चालू	13.52	42.38	16.09	59.49	37.58	169.06
गैर चालू	1.50	23.22	52.90	-	-	77.62

20. अन्य गैर–चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अनुबंध देयता		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	930.32	746.38
ख) अन्य		
अन्य	2.54	0.04
लीज़ इक्विलाइज़ेशन देयता	7.62	12.82
कुल	**940.48**	**759.24**

नोट:

नियम और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेष राशि का उल्लेख नोट 33 में किया गया है।

21. चालू देयताएँ – वित्तीय देयताएँ

19.2 अन्य प्रावधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
असुरक्षित				
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता:				
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण	-	-	615.31	-
घटाएँ: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य (i)	-	-	(615.31)	-
कुल	**-**	**-**		**-**

नोट:

(i) **(क) असुरक्षित ऋण की शर्तें एवं नियम:**

कंपनी ने 28 मार्च 2018 तक भारतीय रेलवे वित्त निगम ("आईआरएफसी") से ₹ 3200 करोड़ का ऋण उठाया है, जो कि पट्टा समझौते के अनुसार रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ("आरएलडीए") को भुगतान किया गया है। आरएलडीए और कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन ("एमओयू") के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई डिफ़ॉल्ट या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़े अन्य लागत, खर्च और शुल्क (या ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार अन्यथा देय), आरएलडीए द्वारा कंपनी को भुगतान किया जाएगा। ऋण राशि के मूलधन का पुनर्भुगतान 15 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाले 5 (पांच) बराबर किस्तों में किया जाएगा। [नोट 8.3 देखें (फुट नोट (ii)]।

(ख) ब्याज दर:

(i) कंपनी समय–समय पर दिए गए और बकाया ऋण की मूल राशि पर 8.77% (आठ दशमलव सात सात प्रतिशत) प्रति वर्ष ("लागू ब्याज दर") (लागू ब्याज कर, सेवा कर और/या ऐसे किसी अन्य कर/उपकर/शुल्क को छोड़कर) की दर से ब्याज का भुगतान करेगी। ऐसे

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

कर/उपकर/शुल्क, यदि कोई हों, लागू होंगे, तो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऊपर निर्दिष्ट दरों के अतिरिक्त (मूलधन और ब्याज के समान तरीके और समय पर) देय होंगे।

(ii) लागू ब्याज दर ऋण अवधि की मुद्रा के लिए तय की जाएगी।

(ग) **समझौता ज्ञापन (एमओयू) की समाप्ति:**

कुछ निश्चित घटनाओं के घटित होने पर एमओयू समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद इरकॉन को आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए और रेल मंत्रालय (एमओआर) के बीच सहमति से बनी इकाई द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस समझौते की समाप्ति पर ऋण समझौते के तहत संपूर्ण बकाया राशि का अग्रिम भुगतान करने का अधिकार रेल मंत्रालय को होगा।

(घ) **आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य:**

आरएलडीए और कंपनी के बीच हुए समझौता ज्ञापन ("एमओयू") के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़े अन्य लागत, व्यय और शुल्क (या अन्यथा ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार देय), आरएलडीए द्वारा कंपनी को भुगतान किए जाएंगे।

कंपनी के पास आईआरएफसी के संबंध में ऋण देयता को सेट ऑफ करने और एमओयू के अनुसार आरएलडीए से वसूली योग्य कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार है और आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने की वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरएलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और बैलेंस शीट में निवल राशि प्रस्तुत की गई है।

(ङ) **कंपनी ने किसी भी ऋण का भुगतान नहीं किया है**

21.2 चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
पट्टा देयता	0.72	0.09
कुल	**0.72**	**0.09**

21.3 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	3.73	9.24
(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) अनुबंधक एवं आपूर्तिकर्ता	845.01	798.20
(ii) संबंधित पक्ष	5.63	3.97
कुल	**854.37**	**811.41**

टिप्पणियाँ:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 / सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी) के तहत आवश्यक प्रकटीकरण नोट 43 में दिए गए हैं।

ख) नियम और शर्तें तथा संबंधित पक्षों के साथ अन्य शेष राशि का उल्लेख नोट 33 में किया गया है।

31 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2023 तक समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देयता आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.73	-	1.00	0.01	-	-	3.73
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	436.01	94.55	289.90	5.31	13.32	11.50	850.59
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	-	-	-	-	-	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	-	-	-	-	0.02	0.04
कुल	**438.76**	**94.55**	**290.89**	**5.32**	**13.32**	**11.53**	**854.37**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	4.57	2.90	1.77	–	–	–	9.24
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	124.31	77.11	578.44	5.80	0.85	14.84	801.35
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के विवादित बकाया	–	–	–	–	–	–	–
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों के विवादित बकाया	–	–	0.05	0.04	0.14	0.59	0.82
कुल	**128.88**	**80.01**	**580.26**	**5.84**	**0.99**	**15.43**	**811.41**

21.3 चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण पर अर्जित ब्याज	-		51.89	–
घटाएँ: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम (i)	-	–	(51.89)	–
देय ग्रेच्युटी		3.81		7.17
जमा, प्रतिधारण राशि और रोकी गई राशि		1,677.16		1,595.39
वित्तीय गारंटी अनुबंध		0.47		0.02
ग्राहक को देय राशि		628.23		590.03
ग्राहक को देय लाभांश		4.01		1.12
ग्राहक से अग्रिम पर देय ब्याज		337.90		329.41
अन्य देय राशियाँ (कर्मचारी देय राशि सहित)		141.23		167.63
कुल		**2,792.81**		**2,690.76**

नोट:

(i) नोट 21.1 (i) देखें

22. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
क) अनुबंध देयता		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	1,943.92	2,785.52
– घटाएँ: विरोध के तहत जमा राशि	(217.05)	(217.05)
अग्रिम अनुबंध रसीदें	391.42	216.93
ख) अन्य		
सांविधिक बकाया राशि '	378.16	440.80
लीज़ इक्विलाइज़ेशन देयता	4.31	7.58
कुल	**2,500.76**	**3,233.78**

नोट:

* सांवधिक बकाया में माल और सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य वैधानिक बकाया शामिल हैं।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

23. चालू कर देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर के बाद)	58.85	28.49
कुल	**58.85**	**28.49**

24. परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अनुबंध राजस्व	11,918.94	9,894.87
एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में कंपनी के व्यवसाय का शेयर	0.95	0.58
मशीनरी किराया शुल्क	0.20	4.55
अन्य परिचालन राजस्व	30.31	21.20
कुल	**11,950.40**	**9,921.20**

25. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2023 तक	
ब्याज आय:				
कर मुक्त बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		15.28		19.53
आयकर की वापसी पर ब्याज		26.93		16.66
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज		0.06		0.07
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज*		14.15		8.77
अन्य अग्रिमों / दावों पर ब्याज	83.63		78.10	
घटाएँ:– ग्राहकों को दिया गया अन्य ब्याज	(29.17)	54.47	(56.02)	22.08
वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज आय[1]		16.31		18.74
बैंक ब्याज सकल	267.98		230.27	
घटाएँ:– ग्राहकों को दिया गया बैंक ब्याज	(66.21)	201.77	(67.12)	163.15
वित्तीय साधनों का परिशोधन		0.02		0.15
अन्य:				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0.52		2.49
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	37.14		0.32	
कमरू– ग्राहकों को दिया गया म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	(9.50)	27.64	–	0.32
विविध आय[2]		5.59		15.75
विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ	–		227.49	
घटाएँ:–विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	–	-	(223.77)	3.72
सहायक और संयुक्त उद्यम कंपनी से लाभांश*		72.00		69.00
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ / हानि		2.71		-
कुल		**437.45**		**340.43**

1 इसमें इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के ऋण के उचित मूल्य के कारण **₹ 16.31 करोड़** (31 मार्च, 2023 ₹ 18.73 करोड़) शामिल हैं।

2 इसमें जेसीई की अन्य आय के कंपनी शेयर **₹ 0.17 करोड़** (31 मार्च, 2023 ₹ 0.13 करोड़) शामिल हैं।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

*** संबंधित पक्षों से ऋण पर ब्याज और लाभांश आय:**

संबंधित पक्षों से ऋण पर ब्याज:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
– छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	0.29	-
– छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.78	0.90
– इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	4.15	3.68
– इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	5.63	4.19
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	3.30	-
कुल	**14.15**	**8.77**

संबंधित पक्षों से लाभांश आय:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
– इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	2.50	-
– इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	69.50	69.00
कुल	**72.00**	**69.00**

26. (i) उपभोग की गई सामग्री और भंडार

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रारंभिक शेष	33.22		52.77	
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई खरीदारी (i)	529.98		372.53	
	563.20		425.30	
कम: समापन शेष	(31.65)	531.55	(33.22)	392.08
कुल		**531.55**		**392.08**

(i) इसमें ₹ 0.03 करोड़ के लिए भारतीय लेखा मानक का विनिमय लाभ/(हानि) शामिल है (31 मार्च 2023: ₹ (1.04) करोड़)।

26. (ii) वीआईपी में (वृद्धि) / कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रारंभिक शेष राशि	150.37		199.11	
जोड़ें: विनिमय लाभ/(हानि) के लिए वर्ष के दौरान समायोजन	0.24		2.63	
	150.61		201.74	
कम रू समापन शेष राशि	(189.73)	(39.12)	(150.37)	51.37
कुल		**(39.12)**		**51.37**

26. (iii) वीआईपी में (वृद्धि) / कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य व्यय	10,071.17	8,326.80	-	-
डिजाइन, ड्राइंग, व्यवसाय विकास और परामर्श शुल्क	10.94	8.95	-	-
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि।	30.65	26.76	-	-

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव	7.40	13.55	-	-
मशीनरी का किराया शुल्क	14.75	17.94	-	-
विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	-	-	221.66	-
घटाएँ:– विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ	-	-	(207.24)	-
निवल विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	-	-	14.42	-
विनिमय हानि का इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकरण	-	-	13.04	-
किराया – गैर–आवासीय	5.94	5.00	0.65	0.40
दरें और कर	23.73	66.05	0.59	0.58
वाहन संचालन और रखरखाव	16.74	13.85	2.30	2.18
मरम्मत और रखरखाव				
– भवन	0.30	0.60	0.21	0.54
– कार्यालय और अन्य	5.62	5.14	9.61	7.49
बिजली, बिजली और पानी के शुल्क	6.01	4.41	2.02	1.89
बीमा	10.43	10.72	0.38	0.51
यात्रा और परिवहन	12.32	12.65	3.50	2.14
मुद्रण और स्टेशनरी	0.99	1.43	0.38	0.68
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स	1.09	1.24	0.38	0.31
बैंक शुल्क और कमीशन	10.96	7.08	0.84	0.33
कानूनी और पेशेवर शुल्क	5.34	28.09	10.96	9.34
सुरक्षा सेवाएँ	2.14	1.47	0.94	0.72
सूचीबद्ध व्यय	-	-	0.06	0.06
व्यापार संवर्धन	0.38	0.30	0.58	0.77
बट्टे खाते में डालनारू				
– ऋण	0.62	0.81	-	-
संपत्तियों / दुकानों की बिक्री पर नुकसान	-	-	0.15	0.04
निदेशक बैठने की फीस	-	-	0.17	0.17
दान	-	-	-	0.01
लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक (iii)	-	-	0.72	0.68
विज्ञापन और प्रचार	-	-	1.55	2.25
प्रशिक्षण और भर्ती	-	-	0.46	0.31
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (नोट देखें 44)	-	-	11.65	10.12
विविध व्यय	4.08	4.18	5.21	2.08
एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में व्यय का आनुपातिक हिस्सा	0.31	0.16		
प्रावधान (अतिरिक्त – लिखित विवरण) {नोट 19 और फुट नोट (i) देखें}	82.68	61.04	-	-
उपयोग किए गए प्रावधान {नोट 19 और फुट नोट (ii) देखें}	(18.39)	(32.06)	-	-
कुल	**10,306.20**	**8,586.16**	**80.77**	**43.60**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

टिपण्णी:–

(i) इसमें प्रावधान जोड़–संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के लिए राइट बैक के लिए ₹ 20.69 करोड़ (वित्त वर्ष – 2022–23 ₹ 23.29 करोड़) शामिल हैं।

(ii) इसमें संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के लिए ₹ 0.62 करोड़ (वित्त वर्ष – 2022–23 ₹ 5.85 करोड़) शामिल हैं।

(iii) सावधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
(क) लेखापरीक्षक शुल्क – चालू वर्ष	0.36	0.33
(ख) कर ऑडिट शुल्क – चालू वर्ष	0.11	0.10
(ग) त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.19	0.19
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.05	0.03
(ड) जेब खर्च से बाहर	0.01	0.03
कुल	**0.72**	**0.68**

27. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक			31 मार्च, 2023 तक		
	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल	परियोजना व्यय	अन्य व्यय	कुल
वेतन, मजदूरी और बोनस (i)	160.47	70.82	231.29	153.00	60.45	213.45
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	9.94	28.19	38.13	9.17	5.57	14.74
विदेश सेवा योगदान	-	2.10	2.10	-	2.09	2.09
सेवानिवृत्ति लाभ	20.99	12.38	33.37	18.57	13.58	32.15
कर्मचारी कल्याण	1.78	0.42	2.20	1.92	0.35	2.27
कुल	**193.18**	**113.91**	**307.09**	**182.66**	**82.04**	**264.70**

फुट नोट:–

(i) गैर–मौद्रिक भत्तों पर आयकर शामिल है **₹ 0.53 करोड़** (31 मार्च, 2023: ₹ 0.62 करोड़)।

28. वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज व्यय (i)	9.59		57.51	
घटाएँ: रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम राशि पर ब्याज	(2.07)	7.52	(56.03)	1.48
अन्य उधार लागत				
– बैंक गारंटी और अन्य शुल्क		1.05		0.88
वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज		-		0.10
लीज देयता पर ब्याज लागत		0.28		0.02
वित्तीय साधनों का परिशोधन		-		0.01
प्रावधानों पर छूट को समाप्त करना		0.76		0.31
कुल		**9.61**		**2.80**

फुट नोट:–

(i) आयकर पर ब्याज शामिल है **₹ 0.02 करोड़** (31 मार्च, 2023: ₹ 0.01 करोड़)।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

29. मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	20.03	24.09
उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास – पट्टा संपत्ति	1.13	0.38
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	3.23	0.85
निवेश संपत्ति का मूल्यह्रास	11.82	12.41
कुल	**36.21**	**37.73**

30. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तनों का विभाजन नीचे दिखाया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि)	1.77	1.95
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(0.45)	(0.49)
कुल	**1.32**	**1.46**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	(2.44)	12.90
उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	0.61	(3.25)
कुल	**(1.83)**	**9.65**
कुल योग	**(0.51)**	**11.11**

31 क. उचित मूल्य माप

(i) वित्तीय साधनों का श्रेणीवार वर्गीकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में समूहीकृत किया जाता है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट की अवलोकनीयता के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, इस प्रकार:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकनीय इनपुट।

क) 31 मार्च, 2024 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं:*

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	मूल्य वहन करना	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	562.00	562.00	–	–
कुल	**562.00**	**562.00**	**-**	**-**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बॉन्ड में निवेश	125.19	–	–	125.19
सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.51	–	–	1.51
(ii) ऋण	314.90	–	–	314.90
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,876.65	–	–	1,876.65
कुल	**2,318.25**	**-**	**-**	**2,318.25**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	मूल्य वहन करना	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	3.24			3.24
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3,551.10	-	-	3,551.10
कुल	**3,554.34**	**-**	**-**	**3,554.34**

ख) 31 मार्च, 2023 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	मूल्य वहन करना	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बॉन्ड में निवेश	225.19	-	-	225.19
(ii) ऋण	345.98	-	-	345.98
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	1,626.52	-	-	1,626.52
कुल	**2,197.69**	**-**	**-**	**2,197.69**

(₹ करोड़ में)

विवरण	उचित मूल्य			
	मूल्य वहन करना	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	-	-	-	-
(ii) पट्टा देयता	0.51	-	-	0.51
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3,343.76	-	-	3,343.76
कुल	**3,344.27**	**-**	**-**	**3,344.27**

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देयताएं, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण, उनकी वहन राशि के लगभग बराबर हैं।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में साधन का आदान–प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

(i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य, बैलेंस शीट की तिथि पर प्रकाशित वक्तव्यों में इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा बताए गए निवल परिसंपत्ति मूल्य ('एनएवी') पर आधारित है। एनएवी उस कीमत का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और वह कीमत जिस पर जारीकर्ता निवेशकों से ऐसी इकाइयों को भुनाएगा।

(ii) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को इक्विटी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें ऐतिहासिक लागत पर हिसाब में लिया गया है। चूंकि ये माप के प्रयोजनों के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन्हें ऊपर दी गई तालिकाओं में प्रकट नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2022–23 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 उचित मूल्य माप के बीच कोई हस्तांतरण नहीं हुआ।

31 ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार, पट्टा देयता और अन्य देय शामिल हैं। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियां, और नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं। कंपनी म्यूचुअल फंड, कर मुक्त बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश रखती है। कंपनी की गतिविधियाँ इसे कुछ वित्तीय जोखिमों के प्रति उजागर करती हैंरू बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान आम तौर पर मेल खाते हैं) के प्रति संवेदनशील है, मुख्य रूप से यूएसडी, यूरो, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, जेपीवाई, एमएमके और जेडएआर के संबंध में। समूह के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5% की वृद्धि या कमी से कर–पूर्व हमारे लाभ पर क्रमशः लगभग ₹ 2.45 करोड़ और ₹ 5.67 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2024 तक (₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाई	एमएमके	जेएआर	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्य	22.85	75.12	46.64	-	-	-	47.27	-	-	191.88
नकद और बैंक शेष	184.32	237.44	60.99	2.07	3.95	5.09	60.17	0.34	78.56	632.93
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	0.14	-	-	5.16	-	-	32.92	76.95	-	115.17
अन्य संपत्ति	7.89	5.35	68.08	-	6.74	-	9.92	-	-	97.98
कुल	**215.20**	**317.91**	**175.71**	**7.23**	**10.69**	**5.09**	**150.28**	**77.29**	**78.56**	**1,037.96**
देयताएँ										
व्यापार देयताएँ	3.02	30.79	11.24	2.63	23.36	-	-	5.97	-	77.01
ग्राहक से अग्रिम राशि	55.80	-	-	-	-	-	541.55	-	-	597.35
अन्य देयताएँ	25.68	8.02	261.54	-	4.85	-	14.27	0.19	-	314.55
कुल	**84.50**	**38.81**	**272.78**	**2.63**	**28.21**	**-**	**555.82**	**6.16**	**-**	**988.91**

31 मार्च 2023 तक (₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाई	एमएमके	जेएआर	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्य	42.76	40.87	46.67	0.98	-	0.77	12.29	-	-	144.34
नकद और बैंक शेष	46.08	161.30	1.44	2.80	2.37	0.91	113.97	25.88	0.01	354.76
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	34.96	-	0.19	4.03	-	-	32.91	-	-	72.09
अन्य संपत्ति	4.18	-	179.49	-	1.65	12.36	-	-	0.37	198.05
कुल	**127.98**	**202.17**	**227.79**	**7.81**	**4.02**	**14.04**	**159.17**	**25.88**	**0.38**	**769.24**
देयताएँ										
व्यापार देयताएँ	13.56	34.46	22.80	9.59	11.34	-	-	2.52	-	94.27
ग्राहक से अग्रिम राशि	74.48	-	-	-	-	-	221.25	-	-	295.73
अन्य देयताएँ	4.82	2.67	252.23	-	2.96	0.63	-	2.50	-	265.81
कुल	**92.86**	**37.13**	**275.03**	**9.59**	**14.30**	**0.63**	**221.25**	**5.02**	**-**	**655.81**

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो किसी वित्तीय साधन के भविष्य के नकदी प्रवाह के उचित मूल्य में बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेगा। कंपनी अपने ब्याज जोखिम को कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार प्रबंधित करती है। ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर मुक्त बांड, सरकारी प्रतिभूतियाँ और बैंकों में जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर तय होती है। साथ ही, कंपनी को ऋण/उधार पर कोई ब्याज जोखिम नहीं है क्योंकि यह ब्याज की निश्चित दर वहन करती है.

ख) ऋण जोखिम

कंपनी के ग्राहक प्रोफाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेश में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। तदनुसार, कंपनी का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन एडवांस, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी की जाने वाली कुछ प्रतिधारण राशि शामिल है। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/कॉर्पोरेट गारंटी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। कंपनी के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की विस्तृत समीक्षा प्रणाली है ताकि वसूली के लिए उचित ध्यान और फोकस सुनिश्चित किया जा सके।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी दी गई गारंटी के लिए क्रेडिट जोखिम के संपर्क में है। इस संबंध में कंपनी का अधिकतम जोखिम वह अधिकतम राशि है जो कंपनी को गारंटी मांगे जाने पर चुकानी पड़ सकती है (नोट 37 देखें)। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपेक्षाओं के आधार पर, कंपनी मानती है कि इस व्यवस्था के तहत ऐसी राशि का भुगतान न किए जाने की संभावना अधिक है।

व्यापार और अन्य प्राप्य

कंपनी का क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक काम करता है, क्रेडिट जोखिम मूल्यांकन पर भी प्रभाव डालता है।

ऋण जोखिम के प्रति एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ते को आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर चालू निवेश	2,275.88	2,037.60
गैर चालू ऋण	279.10	315.84
अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	24.63	19.28
वर्तमान निवेश	563.51	99.99
नकद और नकद समतुल्य	1,828.88	2,168.41
अन्य बैंक शेष	2,600.25	2,616.91
वर्तमान ऋण	35.80	30.14
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	314.16	385.16
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ते को सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	999.40	901.94
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	1,573.56	1,257.44

सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रारंभिक भत्ते	**40.17**	**37.52**
वर्ष के दौरान प्रदान किए गए	20.35	3.46
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.62)	(0.81)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-
समापन भत्ता	**59.90**	**40.17**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने **₹ 20.35** करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ 3.46 करोड़) की हानि भत्ता मान्यता दी है।

आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
प्रारंभिक भत्ते	**28.40**	**8.57**
वर्ष के दौरान प्रदान किए गए	0.35	20.00
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.01)	(0.17)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-
(विनिमय लाभ) / हानि	(0.01)	-
समापन भत्ता	**28.74**	**28.40**

वर्ष के दौरान, कंपनी ने **₹ 0.35** करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ 20 करोड़) की हानि भत्ता मान्यता दी है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) तरलता जोखिम

कंपनी पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। ट्रेजरी विभाग नियमित रूप से अनुमानों के मुकाबले नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन और बैलेंस शीट तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

कंपनी की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और कंपनी की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इसकी निवेश रणनीति की देखरेख करता है और इसके निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। कंपनी आमतौर पर भारत सरकार के ऋण बांड और म्यूचुअल फंड में निवेश करती है। नीति के अनुसार निवेश आमतौर पर निवेश ग्रेड होना चाहिए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मूलधन हानि के संभावित जोखिम को कम करना है।

एनएचएआई बांड पर ब्याज की एक निश्चित दर होती है, इसलिए वे बांड की उपज दरों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल परिसंपत्तियां हैं, जिनका भुगतान मासिक रूप से किया जाता है और फिर से निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च, 2024 से 31 मार्च, 2023 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष अधिक	2 वर्ष और उससे अधिक
उधार	-	-	-
व्यापार देयताएँ	854.37	-	-
लीज़ देयताएँ	0.72	0.66	1.86
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,792.81	758.29	-

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष अधिक	2 वर्ष और उससे अधिक
उधार	-	-	-
व्यापार देयताएँ	811.41	-	-
लीज़ देयताएँ	0.09	0.42	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,690.76	653.00	-

ग) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

सांद्रता तब उत्पन्न होती है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों में लगे होते हैं, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएँ ऐसी होती हैं जो आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता को समान रूप से प्रभावित करती हैं। सांद्रता किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले विकासों के प्रति कंपनी के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को इंगित करती है। जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए, कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविध पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों के पहचाने गए संकेंद्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व का विवरण देती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	5,453.28	6,107.15
	5,453.28	**6,107.15**

31 ग. पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि यह सुनिश्चित हो सके और कंपनी की क्षमता बनी रहे ताकि कंपनी शेयरधारकों को अधिकतम लाभ दे सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके। कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है:–

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	
	1 वर्ष से कम	2 वर्ष और उससे अधिक
लाभांश भुगतान	282.15	230.42
कुल	**282.15**	**230.42**

निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए ₹2/– के अंकित मूल्य पर ₹1.30 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह ₹2/– के अंकित मूल्य पर 1.80 प्रति इक्विटी शेयर की दर से दिए गए अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है। इसके अलावा, कंपनी आर्थिक स्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

32. कर्मचारी लाभ

भारतीय लेखा मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(क) परिभाषित अंशदान योजनाएँ – सामान्य विवरण

पेंशन

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2009 से इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को लागू किया है, जो आईडीए स्केल में वेतन पाने वाले सभी नियमित कर्मचारियों के लिए है, चाहे उनकी सेवा अवधि कुछ भी हो। इसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो 01 जनवरी, 2017 से पहले शामिल हुए थे, लेकिन 01 जनवरी, 2017 के बाद 15 साल की सेवा पूरी करने से पहले सेवानिवृत्त हो जाएंगे या इस्तीफा दे देंगे। ऐसे मामले में पेंशन के लिए नियोक्ता का अंशदान 01 जनवरी, 2017 से ही प्रभावी होगा। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015–16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया गया था और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

वित्त वर्ष 2023–24 में, निदेशक मंडल ने 11 मई, 2023 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में एलआईसी के पास मौजूद इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के अंशदान की राशि ₹ 9.35 करोड़ (₹ 9.17 करोड़) का भुगतान और लेखा–जोखा किया गया है, जिसमें से 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए ₹ 4.72 करोड़ का भुगतान एनपीएस को किया गया है।

(ख) परिभाषित लाभ योजनाएँ – सामान्य विवरण

भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट) को पूर्व–निर्धारित दर पर प्रोविडेंट फंड का निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। ट्रस्ट को आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त रिटर्न और अधिसूचित ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे।

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने प्रोविडेंट फंड के लिए नियोक्ता के अंशदान के लिए ट्रस्ट को **₹ 15.78 करोड़** (₹ 13.64 करोड़) का योगदान दिया है।

ग्रेच्युटी

कंपनी ने सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण नौकरी से निकाले जाने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में कंपनी के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इरकॉन कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना लागू की है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015–16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ट्रस्ट के फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर खातों की पुस्तकों में **₹ 3.81 करोड़** (₹ 7.17 करोड़) की देनदारी दर्ज की गई है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी)

कंपनी ने स्वैच्छिक कल्याण उपाय के रूप में सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथी को वार्षिकी, चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान ₹ 12.00 करोड़ के प्रारंभिक एकमुश्त योगदान द्वारा एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों (और जीवनसाथी) को चिकित्सा लाभ प्रदान करती है जो कंपनी से सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी ने सेवानिवृत्ति लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर **₹ 5.17 करोड़** (₹ 5.26 करोड़) का योगदान दिया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में गृह नगर में या उस स्थान पर बसना शामिल है जहाँ वह या उसका परिवार भारत में बसना चाहता है, जिसमें सामान भत्ता भी शामिल है। इस खाते पर देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर मान्यता दी जाती है।

31 मार्च, 2024 तक लाभ और हानि विवरण और तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त विभिन्न कर्मचारी लाभों की सारांशित स्थिति निम्नानुसार है:

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

i) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	**453.76**	**427.10**	**90.19**	**81.37**	**138.83**	**131.23**	**1.15**	**1.20**
चालू सेवा लागत	41.21	40.54	3.75	3.65	3.90	3.43	0.07	0.06
पिछली सेवा लागत	-	-	1.18	4.97	-	-	-	-
ब्याज लागत	35.18	33.82	6.60	5.79	10.16	9.33	0.08	0.08
भुगतान किए गए लाभ	(84.61)	(47.55)	(20.23)	(3.62)	(3.80)	(4.30)	(0.03)	(0.04)
दायित्वों पर बीमांकिक हानि / (लाभ)	3.06	(0.14)	(2.19)	(1.97)	6.62	(0.86)	(0.13)	(0.16)
अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**448.60**	**453.76**	**79.30**	**90.19**	**155.71**	**138.83**	**1.15**	**1.15**

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**450.30**	**424.56**	**83.03**	**76.68**	**117.58**	**110.29**	**-**	**-**
नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा योगदान	41.21	40.54	7.17	4.69	5.26	4.64	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(84.61)	(47.55)	(20.23)	(3.62)	(3.80)	(4.30)	-	-
ब्याज आय	37.57	32.75	5.73	5.57	9.32	6.95	-	-
तुलन पत्र के अनुसार प्रारंभिक समायोजन	1.59	-	-	-	-	-	-	-
वित्त वर्ष 22–23 के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की कमी	2.46	-	-	-	-	-	-	-
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	(25.32)	-	-	-	-	-	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	-	-	-	-	-	-	-	-
एलआईसी मृत्यु दर शुल्क	-	-	(0.21)	(0.30)	-	-	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**423.20**	**450.30**	**75.49**	**83.03**	**128.36**	**117.58**	**-**	**-**

iii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	423.20	450.30	75.49	83.03	128.36	117.58	-	-
परिभाषित लाभ दायित्व	448.60	453.76	79.30	90.19	155.71	138.83	1.15	1.15
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि	**(25.40)**	**(3.46)**	**(3.81)**	**(7.16)**	**(27.35)**	**(21.25)**	**(1.15)**	**(1.15)**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

iv) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि: (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
चालू सेवा लागत	13.19	13.67	3.75	3.65	3.90	3.43	0.07	0.06
पिछली सेवा लागत	-	-	1.18	4.97	-	-	-	-
निवल ब्याज व्यय	-	-	0.52	0.33	1.56	1.49	0.08	0.08
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि	**13.19**	**13.67**	**5.45**	**8.95**	**5.46****	**4.92**	**0.15**	**0.15**

v) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त: (₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक परिवर्तन	0.03	0.01	(0.45)	1.03	(1.23)	2.52	0.01	(0.02)
अनुभव समायोजन	3.04	0.14	2.64	0.94	(5.38)	(1.66)	(0.14)	(0.14)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल	(2.39)	(1.06)	(0.55)	(0.18)	0.72	(0.89)	-	-
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि	**0.68**	**(0.92)**	**1.64**	**1.79**	**5.89****	**(0.03)**	**(0.13)**	**(0.16)**

** सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए देयता सुपरएनुएशन लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदान की गई है। इसलिए, एक्चुरियल मूल्यांकन के अनुसार देयता पर विचार नहीं किया गया है।

vi) कुल योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की प्रमुख श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	59.16%	59.16%	-	-	6.74%	6.74%	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	43.96%	43.96%	-	-
केंद्रीय और राज्य गारंटीकृत बांड	-	-	-	-	5.99%	5.99%	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	37.09%	37.09%	-	-	14.30%	14.30%	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	19.53%	19.53%	-	-
पीएसयू बेसल III टियर I बांड	-	-	-	-	8.51%	8.51%	-	-
ऋण म्यूचुअल फंड	0.24%	0.24%	-	-	0.29%	0.29%	-	-
ईटीएफ/इंडेक्स/इक्विटी म्यूचुअल फंड	3.25%	3.25%	-	-	0.67%	0.67%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	-	0.26%	100%	100%	-	-	-	-
बैंक शेष	0.26%	-						
कुल	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

vii) कंपनी की योजनाओं के लिए पीएफ/ग्रेच्युटी/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं नीचे दर्शाई गई हैं:

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
छूट दर	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%
भविष्य में वेतन वृद्धि/अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	8.25%	8.15%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)

viii) 31 मार्च तक ऊपर दर्शाई गई महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		ग्रेच्युटी योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ता (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**448.60**	**453.76**	**79.30**	**90.19**	**155.71**	**138.83**	**1.15**	**1.15**
छूट दर	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%
0.50% की वृद्धि	(0.07)	(0.02)	(2.43)	(2.33)	(5.56)	(5.24)	(0.04)	(0.04)
0.50% की कमी	0.07	0.02	2.62	2.51	5.66	5.33	0.05	0.05
भविष्य में वेतन वृद्धि/अपेक्षित वैधानिक ब्याज दर	**8.25%**	**8.15%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**	**7.50%**
0.50% की वृद्धि	-	-	1.04	1.05			0.05	0.05
0.50% की कमी	-	-	(1.09)	(1.09)	-	-	(0.04)	(0.04)

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऊपर दर्शाई गई प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं महत्वहीन हैं और इसलिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि की दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि की दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलताएं सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती हैं।

ix) आगामी वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिभाषित लाभ योजना में अपेक्षित योगदान ₹ 24.64 करोड़ है।

x) परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व अवधि की अवधि (वर्ष)	भविष्य निधि	ग्रेच्युटी	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना	सेवानिवृत्ति भत्ता
1	104.64	17.20	6.27	0.14
2	119.29	10.01	16.38	0.17
3		6.48	5.07	0.09
4		6.57	4.96	0.09
5		4.91	3.59	0.06
6	224.67	3.77	3.20	0.06
6 वर्ष से आगे		30.36	116.24	0.52
कुल	**448.60**	**79.30**	**155.71**	**1.13**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

जोखिम विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना में कंपनी को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जोखिम, और इन जोखिमों के प्रभाव के बारे में प्रबंधन का अनुमान इस प्रकार है:

क) ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी से योजना देयता में वृद्धि होगी

ख) दीर्घायु जोखिम/ जीवन प्रत्याशा

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य रोजगार के दौरान और उसके अंत में योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

ग) अवेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

33. संबंधित पक्ष लेनदेन

भारतीय लेखा मानक 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरणष के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:"

क) संबंधित पक्षों की सूची

(i) सहायक कंपनियों

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड
इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

(ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ

इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

(iii) असंबद्ध संयुक्त उद्यम (संयुक्त परिचालन)

संयुक्त अभियान चल रहा है	संयुक्त ऑपरेशन पूरे हुए	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन
एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर	इरकॉन–कोबरा–लूप
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	मेट्रो टनलिंग ग्रुप	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर्स
	इरकॉन-एएफसीओएनएस	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन–गैनन डंकर्ले
		इरकॉन–आरसीएस–पीएफलेइडरर
		इरकॉन–एसपीएससीपीएल
		रिकॉन

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री बृजेश कुमार गुप्ता 1	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (29.04.2024 से समाप्त)
श्री आशीष बंसल 2	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
श्रीमती रागिनी आडवाणी	निदेशक (वित्त)
श्री पराग वर्मा	निदेशक (कार्य)
श्री आनंद कुमार सिंह 3	निदेशक (परियोजना)

1. श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा सीईओ – इरकॉन ने 29 अप्रैल, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।

   रेलवे बोर्ड के अतिरिक्त सदस्य (सीई) और सरकार द्वारा नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक, इरकॉन, श्री बृजेश कुमार गुप्ता ने 29 अप्रैल, 2023 को रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक अपने कर्तव्यों के अलावा इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है।

   श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 10092756) ने 29 अप्रैल, 2024 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।

2. श्री आशीष बंसल, आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एमएंडएमसी), रेलवे बोर्ड ख्डीआईएन: 10328174, ने 29 अप्रैल, 2024 से अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, जो पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

3. श्री संदीप जैन, आईआरएसई, कार्यकारी निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) – रेलवे बोर्ड को 12 जनवरी, 2023 से निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति के कारण प्रभार छोड़ने के कारण 07 जुलाई, 2023 से वे निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार) के पद पर नहीं रहेंगे।

   श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन: 07918656) को 07 जुलाई, 2023 से निदेशक (परियोजनाएं) नियुक्त किया गया है।

कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव (16.11.2023 से समाप्त)
श्री बी. मुगुंथन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल	कंपनी सचिव (21.05.2024 से नियुक्त)
श्रीमति. पूजा गुड़वाल	कंपनी सचिव (28.11.2023 से नियुक्त) (21.05.2024 से समाप्त)

अन्य निदेशक

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री धनंजय सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता[4]	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

4. श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड [डीआईएन: 10092756] को 29 अप्रैल, 2024 से कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

(v) रोजगार के बाद लाभ योजनाएं

इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट

इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट

इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 ट्रस्ट

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(vi) सरकार से संबंधित संस्थाएं:

कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जिसके पास 31 मार्च, 2024 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 65.17% इक्विटी शेयर हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ आधार पर किए जाते हैं। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं।

कंपनी का निम्नलिखित सरकारी संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन है:

इकाई का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रक इकाई
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालय के अधीन वैधानिक प्राधिकरण
भारतीय रेलवे वित्त निगम	रेलवे पीएसयू

ख) कंपनी के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) के साथ लेन–देन निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पावधि रोजगार लाभ (प)	2.28	2.71
2	रोजगार के बाद के लाभ	0.70	1.40
3	अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ	0.57	0.82
4	बैठक शुल्क	0.18	0.17
	कुल	**3.73**	**5.10**

टिप्पणी:

(i) वित्त वर्ष 2023–24 के आंकड़ों में पिछले वर्षों के लिए अनंतिम आधार पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.31 करोड़ रुपये के पीआरपी शामिल हैं (वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अनंतिम आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.22 करोड़ रुपये के पीआरपी शामिल हैं)।

(ii) उन निदेशकों से लागू वसूली की गई है जिन्हें कंपनी आवास और कार प्रदान की गई है।

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री**				
1.1	**अनुबंध राजस्व**	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.23	0.23
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	45.70	27.92
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	114.55	(4.61)
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	23.92	236.61
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	217.29	144.12
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	311.86	63.45
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	450.64	23.03
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	392.08	22.81
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	206.31	64.23
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	40.50	128.94

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	619.56	497.18
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	15.62	92.14
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	333.48	144.02
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	(1.59)
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाइयाँ	7,161.46	6,891.15
1.2	किराये की आय	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.62	0.67
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.04	0.04
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.03
		इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.04	0.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	0.10	0.08
2	वस्तुओं और सेवाओं की खरीद	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड	सहायक कंपनियों	9.39	6.85
3	प्रतिनियुक्ति कर्मचारी व्यय, किराया और अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति प्रतिनियुक्ति	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज़ लिमिटेड	सहायक कंपनियों	2.98	3.73
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.30	0.62
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.54	0.88
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.39	0.30
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.38	0.67
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.50	0.53
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.21	0.10
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.19	0.17
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.43	0.09
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.16	0.13
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.01	0.05

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.92	0.30
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.33	0.94
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.64	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.42	1.62
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.35	0.29
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.06	0.30
4	**ब्याज आय**				
4.1	**ऋण पर ब्याज आय**	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	16.31	18.73
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.15	3.68
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.63	4.19
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.29	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.78	0.90
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.30	-
4.2	**अग्रिम राशि पर ब्याज आय**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	2.07	56.03
4.3	**बांड पर ब्याज आय**	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	10.85	14.57
4.4	**लाभांश आय**	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	2.50	-
		इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	69.50	69.00
5	**निवेश की बिक्री पर लाभांश / लाभ**				
5.1	**लाभांश वितरण**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	206.48	168.62
5.2	**निवेश की बिक्री पर लाभ आगे बढ़ाया गया**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	9.50	-
6	**ब्याज व्यय**				
6.1	**अग्रिम पर ब्याज व्यय**	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.92	0.42
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	2.45	1.04
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.65	-
6.2	**ब्याज व्यय आगे बढ़ाया गया**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	60.90	119.89
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.20	0.07
6.3	**ऋण पर ब्याज व्यय**	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएं	2.07	56.03
7	**इक्विटी शेयरों में निवेश**	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.29	-
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	3.57	-
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.15	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	36.82
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	13.26

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
8	ब्याज मुक्त ऋण/ मान्य इक्विटी दी गई	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	-	26.56
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	(4.87)	(0.17)
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	17.00	53.00
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.10	51.44
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	53.53	0.89
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	44.69	6.73
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.20	82.17
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	50.24	36.60
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	15.00	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	16.12	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	32.50	52.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	64.11
8.1	वित्तीय गारंटी अनुबंध	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.07	-
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.18	-
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.18	-
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.13	-
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.22	-
9	स्वीकृत ऋण	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	-	8.37
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	-	34.48
10	ऋण की वसूली	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	52.24	31.00
11	अग्रिम राशि की वसूली	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	615.31	615.31
12	ऋण का पुनर्भुगतान	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	615.31	615.31
13	प्राप्त अग्रिम राशि	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	29.34	14.06
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	-	50.00
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	21.63	
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	-	24.78

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	17.50	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.74	0.03
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	65.54	104.15
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	4.63
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	405.61	74.60
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	90.00	40.00
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	6,046.42	6,634.84
14	**अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान**	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	-	10.17
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.16	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.08	22.47
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	86.59	31.82
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	2.41
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	403.76	54.80
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	140.76	-
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	5,643.10	6,318.21
15	**रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ**				
15.1	**वर्ष के दौरान किया गया योगदान**	इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.45	4.69
		इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	42.54	41.29
		इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.17	4.64
		इरकॉन परिभाषित अंशदायी सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.74	11.49

टिप्पणी:

(i) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त परिचालनों के साथ गारंटी और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 37 देखें।

(ii) रेल मंत्रालय से खरीद प्रकृति में विषम है, इसलिए महत्वहीन है। इसलिए इसका खुलासा नहीं किया गया है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ग) अन्य पक्षों के साथ संव्यवहार निम्नानुसार है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1.	**इक्विटी निवेश (मानी गई इक्विटी सहित)**	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	65.00	65.00
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	225.74	230.62
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	150.19	150.19
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	187.69	187.69
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	205.98	205.98
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	88.47	71.40
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	56.05	51.49
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	58.21	0.94
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	56.74	6.78
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	82.65	82.22
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	92.04	41.80
		इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	64.15	64.15
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	228.46	213.46
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	210.11	193.99
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	110.50	78.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	140.37	140.37
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	76.34	76.34
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	52.00	52.00
2	**बांडों में निवेश**	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार संबंधी निकाय	55.20	155.19
3	**प्रदान ऋणों के प्रति वसूलीयोग्य राशि**	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	197.51	228.56
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	47.13	47.13
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	68.96	68.96
4	**ऋण से इतर वसूली योग्य राशि**				
4.1	**व्यापार प्राव्य**	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.01	0.07
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	15.35	15.35
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	50.85	31.87
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	8.53	-
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	4.66	32.48
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	6.14	41.31

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	67.22	43.12
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	98.37	26.83
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	122.24	21.76
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	37.62	3.21
		इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	21.85	13.74
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	25.43	33.81
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.77	6.83
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	14.09	-
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	111.14	166.59
4.2	**अनुबंध परिसंपत्तियां**				
(क)	**बिल योग्य राजस्व/ अदेय प्राप्य और वसूली योग्य मूल्य पर सी.डब्लू. आई.पी.**	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	17.30	0.50
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	21.38	-
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	7.16	13.23
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	2.84	17.31
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	18.58	-
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	3.27	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	32.76	36.67
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	25.15	18.26
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.97
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	9.41	21.35
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	4.23	-
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	124.64	162.86
(ख)	**प्रतिधारण धन और रोका गया धन**	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	3.38	19.54
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	3.41	-
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	2.29	1.85
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.68	3.35
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	3.30	1.76
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	2.37	-

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.97	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.21	0.20
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	18.34	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	7.59	12.33
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.83	1.56
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	27.44	3.18
4.3	**अग्रिम और वसूली योग्य दावे**	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	6.83	4.10
		इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.33	0.43
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.06	0.24
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.11	0.09
		इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.15	0.01
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.15	0.03
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.33	0.03
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.53	0.07
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.05	0.07
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.03	0.07
		इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.01	0.04
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.39	0.29
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.35	2.93
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.08	0.07
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.02	0.02
		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.09
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	19.64	634.95
4.4	**ऋण पर अर्जित ब्याज**	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	9.02	3.96
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	11.57	10.87
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	2.97	-
4.5	**अग्रिम पर अर्जित ब्याज**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	9.56	59.56
4.6	**बांड पर अर्जित ब्याज**	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	7.63	10.63

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेनदेन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
4.7	**ट्रस्ट से वसूली योग्य**	इरकॉन ग्रैच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	7.16	16.32
5	**उधारी**	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	615.31
6	**देय राशि**				
6.1	**व्यापार देयताएँ**	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	5.63	3.97
6.2	**अनुबंध देयताएँ (अग्रिम और अग्रिम अनुबंध प्राप्तियाँ)**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	839.87	2,041.03
		इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.30	30.84
		इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	20.70	3.20
		इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	28.92	9.62
		इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	40.74	50.72
		इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	65.70	0.30
		इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	70.90	3.04
		इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	20.62	24.78
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	9.05	8.38
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	104.01	125.06
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	21.65	19.80
6.3	**ग्राहक को देय अन्य**	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.61	0.65
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	2.98	9.44
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	593.35	571.76
6.4	**उधार पर देय ब्याज**	भारतीय रेलवे वित्त निगम	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	51.89
6.5	**अग्रिम पर देय ब्याज**	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	0.17	0.94
		इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	सहायक कंपनियाँ	3.99	0.38
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.29
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.12	0.12
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.62	0.42
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	284.83	280.36
6.6	**ट्रस्ट को देय**	इरकॉन ग्रैच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	3.81	7.17

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें और नियम

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किए जाते हैं जो आर्म्स लेंथ लेन–देन में प्रचलित हैं।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है और बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज वाले अग्रिमों के अलावा ये शेष राशि ब्याज मुक्त होती है।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दिए जाने वाले ऋण उन्हीं शर्तों और नियमों पर लागू होते हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

34. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त परिचालन में रुचि

क. भारतीय लेखा मानक 27 "अलग वित्तीय विवरण" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

निम्नलिखित सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों एवं संयुक्त परिचालन में निवेश को लागत पर हिसाब में लिया जाता है।

सहायक कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मतदान अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मतदान अधिकार का अनुपात
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
2	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
4	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
6	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00	76.00	76.00	76.00
8	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
10	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00
11	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00	100.00	100.00	100.00

संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मतदान अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मतदान अधिकार का अनुपात
1	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	25.31	26.00	25.31	26.00
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	ओडिशा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	दिल्ली एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संयुक्त परिचालन में निवेश

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च, 2024 तक		31 मार्च, 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मतदान अधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मतदान अधिकार का अनुपात
i)	**परिचालन में परियोजनाओं के लिए:**					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**संयुक्त संचालन पूरा हो चुका है**					
	अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो सिविल ठेकेदार	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग समूह	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन–एएफसीओएनएस	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन**					
	इरकॉन–कोबरा–एलीओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन–गैनन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉन– आरसीएस – पीएफएलआईडीईआरईआर	जम्मू–कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन–एसपीएससीपीएल	जम्मू–कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और संयुक्त परिचालन में रुचि

ख. संयुक्त परिचालन में वित्तीय रुचि (कंपनी के शेयर की सीमा तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संयुक्त अभियान का नाम									
		इरकॉन–एएफसीओएनएस		क्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम		अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो सिविल ठेकेदार		मेट्रो टनलिंग ग्रुप		कुल	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
	वर्ष के अंत तक:										
1	**संपत्ति**										
	पीपीई	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
	प्रगति में पूंजीगत कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
	अन्य संपत्ति	0.42	0.60	–	–	4.46	4.41	1.87	2.04	**6.75**	**7.05**
2	**देयताएँ**										
	प्रावधान	–	–	–	–	0.02	0.02	0.08	0.11	**0.10**	**0.13**
	अन्य देयताएँ	–	–	–	–	0.91	0.91	0.03	0.05	**0.94**	**0.96**
	वर्ष के अंत के लिए:										
3	कुल आय			1.65	1.37	0.07	0.05	0.10	0.07	**1.82**	**1.50**
4	कुल व्यय	0.05	0.11	0.17	0.45	0.01	0.00	0.02	0.01	**0.25**	**0.57**
5	कुल कर			0.53	0.35	0.02	0.01	0.20	0.02	**0.75**	**0.38**
6	कर के बाद लाभ	(0.05)	(0.11)	0.95	0.58	0.04	0.04	(0.12)	0.04	**0.82**	**0.54**
7	अन्य व्यापक आय	–	–	–	–	–	–	–	–	**–**	**–**
8	**कुल व्यापक आय**	(0.05)	(0.11)	0.95	0.58	0.04	0.04	(0.12)	0.04	**0.82**	**0.54**

नोट: संयुक्त परिचालन से संबंधित आकस्मिक देयताओं का उल्लेख नोट 37 में किया गया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

35. प्रति शेयर आयत

भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण'

मूल ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को भारित औसत से विभाजित करके की जाती है वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या।

तदनुसार ईपीएस की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तनुकरण के प्रभाव पर विचार करने के बाद इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है, साथ ही सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में परिवर्तित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी इसमें जोड़ा जाता है।

(i) प्रति शेयर मूल एवं प्रति आय (रुपये में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों को देय लाभ (करोड़ रुपये में)	(ii)	862.90	776.83
बेसिक और डिल्यूटेड ईपीएस के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (संख्या में)*	(iii)	94,05,15,740	94,05,15,740
प्रति शेयर आय (बेसिक)		9.17	8.26
प्रति शेयर आय (डिल्यूटेड)		9.17	8.26
प्रति शेयर अंकित मूल्य		2.00	2.00

* वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रमोटर ने कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों की षबिक्री के लिए प्रस्तावष के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जो कंपनी की जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी का 8.01% है।

(ii) इक्विटी शेयरधारकों को देय लाभ (हरके के रूप में प्रयुक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	862.90	776.83
कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ का उपयोग ईपीएस की गणना के लिए किया जाता है:	862.90	776.83

(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (हर के रूप में प्रयुक्त) (सं.)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक शेष	94,05,15,740	94,05,15,740
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
शेयर विभाजन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि	-	-
जारी किए गए बोनस शेयर	-	-
मूल ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**94,05,15,740**	**94,05,15,740**
कमजोरी प्रभाव:		
जोड़ें: वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
कमजोर ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	**94,05,15,740**	**94,05,15,740**

36. परिसंपत्तियों की क्षति

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 36, "परिसंपत्तियों की हानि" के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के निम्नतर आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि पर मूल्यांकन किया है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया है। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि की व्यवस्था की गई है।"

37. प्रावधान, आकस्मिकताएँ और प्रतिबद्धताएँ

(i) प्रावधान

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ' के अनुसार वर्ष के दौरान प्रदान किए गए प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में होने वाले बदलाव का खुलासा नोट 19 में किया गया है।

(ii) आकस्मिक देयताएँ

इंड एएस 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक संपत्तियाँ' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का खुलासा निम्नानुसार है:

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2023 तक	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान निपटाए गए/ भुगतान किए गए दावे	31 मार्च 2024 तक
क)	**कंपनी के खिलाफ दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:**					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) कंपनी के संबंध में	1	39.93	11.30	(4.46)	46.77
	विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) कंपनी के संबंध में	2	241.16	27.96	(20.61)	248.51
	(ii) संयुक्त संचालन के संबंध में	3	3.33	-	(0.26)	3.07
	कानूनी मामले					
	(i) कंपनी के संबंध में	4	624.50	85.32	(157.27)	552.55
	(ii) संयुक्त संचालन के संबंध में	5	0.02	-	-	0.02
	कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे	6	-	-	-	-
ख)	**कंपनी की ओर से जारी की गई गारंटियां (वित्तीय गारंटियों को छोड़कर)**					
	सहायक कंपनियां	7 (i) (ii)	1,475.60	760.84	(659.11)	1,577.33
ग)	**अन्य धनराशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है**					
	ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन के निपटान तक परिसमाप्त क्षति		9.27	-	-	9.27
	कुल		**2,393.81**	**885.42**	**(841.71)**	**2,437.52**

फुट नोट:

1. आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न कर निर्धारण वर्षों से संबंधित विभिन्न अस्वीकृतियों के कारण मांगें उठाई हैं। इनमें से कई मामलों में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया था, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह और अपीलों पर विकास के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर इस प्रकार मांगे गए अतिरिक्त कर को बरकरार नहीं रखा जाएगा और तदनुसार, अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्णय लंबित होने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वैट आदि के अधिकारियों के साथ विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित हैं। अपील के आधार और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि विभिन्न अधिकारियों के समक्ष सफल होने की उचित मजबूत संभावना है। उपरोक्त पर अंतिम निर्णय लंबित होने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। उपरोक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों में **₹ 181.90 करोड़** शामिल हैं, जो ग्राहकों से प्रतिपूर्ति योग्य हैं।

3. कंपनी के संयुक्त संचालन, इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मामले में, श्रम व्यय की अस्वीकृति के कारण बिक्री कर अधिकारियों के पास **₹ 3.07 करोड़** (₹ 3.33 करोड़) की विवादित मांग लंबित है। संयुक्त संचालन ने मांग के खिलाफ उपयुक्त अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर की थी। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. कंपनी निर्माण अनुबंध शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों में एक पक्ष है, जो भारत और विदेशों में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, काम की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग करते हुए कंपनी पर दावे दर्ज किए हैं। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है। कुल **₹ 613.53 करोड़** (₹ 701.86 करोड़) के दावे के विरुद्ध, **₹ 60.99 करोड़** (₹ 77.35 करोड़) का प्रावधान किया गया है तथा शेष **₹ 552.54 करोड़** (₹ 624.50 करोड़) आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाए गए हैं। कंपनी ने ठेकेदारों पर **₹ 222.44 करोड़** (₹ 333.31 करोड़) के अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य प्रतिदावे भी किए हैं। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित है।

5. ठेकेदारों में से एक, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ **₹ 0.02 करोड़** (₹ 0.02 करोड़) की राशि के लिए मुकदमा दायर किया है। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. कंपनी के विरुद्ध कर्मचारियों/अन्यों से संबंधित कुछ मामले न्यायालयों में लंबित हैं जिनके संबंध में देयता निर्धारित नहीं की जा सकी है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

7. (i) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर से क्लाइंट को प्रस्तुत प्रदर्शन गारंटी के लिए **₹ 2.05 करोड़** (₹ 11.39 करोड़) की राशि के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया है।

   (ii) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए टर्म लोन सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को **₹ 3,841.87 करोड़** (₹ 4,565.99 करोड़) की राशि के लिए कॉर्पोरेट गारंटी दी है। 31.03.2024 तक सहायक कंपनियों द्वारा लिया गया टर्म लोन (पुनर्भुगतान के बाद) **₹ 1,575.27 करोड़** (₹ 1,464.21 करोड़) है।

(iii) आकस्मिक परिसंपत्तियां

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

(क) कंपनी द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर उठाए गए दावे और मध्यस्थों द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके खिलाफ ग्राहक अदालत गए हैं, को प्राप्य के रूप में नहीं गिना गया है, मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार 31.03.2024 तक की गणना किए गए ब्याज सहित **₹ 461.40 करोड़** (₹ 461.17 करोड़) हैं।

(ख) उप–ठेकेदारों पर कंपनी द्वारा उठाए गए प्रतिदावे और मध्यस्थों द्वारा कंपनी के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके खिलाफ उप–ठेकेदार अदालत गए हैं, को प्राप्य के रूप में नहीं गिना गया है, जो **₹ 14.16 करोड़** (₹ 22.48 करोड़) है।

(ग) **0.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर** (0.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और **1.34 मिलियन इथियोपियन बिरर** (1.28 मिलियन इथियोपियन बिरर) का बीमा दावा, जो 31.03.2024 तक की गणना वाले ब्याज सहित 8.03 करोड़ रुपये (7.79 करोड़ रुपये) के बराबर है, जिसे कंपनी के पक्ष में इथियोपिया के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, जिसका इथियोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश लंबित होने के कारण हिसाब नहीं किया गया है।

(iv) प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएँ**			
	पूंजी खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि (अग्रिम के बाद निवल) और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया:	1	38.71	16.19
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएँ**			
(i)	सहायक कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्त पोषण	2	462.09	640.85
(ii)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से वित्त पोषण	3	113.98	177.60
(iii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	4	286.88	291.58
(iv)	सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी	5	2,046.33	2,807.17
(v)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक का समर्थन समझौता	6 (i) (ii) (iii)	1,712.10	1,361.36
(vi)	सहायक कंपनियों के लिए ऋण प्रतिबद्धता	7	500.00	500.00
	कुल		**5,160.09**	**5,794.75**

फुट नोट:

(₹ करोड़ में)

1.

क्र. सं.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि	21.72	1.72
2	निवेश संपत्ति पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि	5.95	-
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि	11.04	14.47
	कुल	**38.71**	**16.19**

(₹ करोड़ में)

2.

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	-	-	-	-
2	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	-	-	-	-
3	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	44.05	4.33	44.05	4.33
4	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	-	-	-	-
5	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	-	14.83	-	31.83
6	इरकॉन अकोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड *	12.82	102.89	17.11	102.99
7	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड *	10.65	74.01	14.22	127.54
8	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड *	15.38	133.86	20.53	178.54
9	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	-	29.48	-	29.68
10	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	-	19.79	-	70.03
	कुल	**82.90**	**379.19**	**95.91**	**544.94**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 6 अप्रैल, 2023 को तीन सहायक कंपनियों की पूंजी संरचना को संशोधित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन में इक्विटी प्रतिबद्धता की प्रकृति को ब्याज मुक्त ऋण से बदलकर पूरी तरह इक्विटी शेयर पूंजी में बदलना शामिल था। तदनुसार, प्रतिबद्धता में हुए बदलावों का खुलासा किया गया है ।

(₹ करोड़ में)

3.

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड *	-	18.14	-	33.14
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड *	0.01	48.36	0.01	64.48
3	इरकॉन सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	-	-	-	-
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड *	-	22.13	-	54.63
5	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	25.33	0.01	25.33
6	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	-	-		-
	कुल	**0.02**	**113.96**	**0.02**	**177.58**

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों में ऋण प्रतिबद्धता बढ़ाने के लिए 11 मई, 2023 को एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, प्रतिबद्धता में परिवर्तन का खुलासा किया गया है।

4. सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमा **₹ 747.95 करोड़** (₹ 738.61 करोड़) है। उक्त सीमा में से, 31.03.2024 तक **₹ 461.07 करोड़** (₹ 447.03 करोड़) की सीमा तक बैंक गारंटी का उपयोग किया जा चुका है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा **₹ 286.88 करोड़** (₹ 291.58 करोड़) है।)

5. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए टर्म लोन सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को **₹ 3841.87 करोड़** (₹ 4565.99 करोड़) की कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों ने 31.03.2024 तक **₹ 1,795.54 करोड़** (₹ 1758.82 करोड़) का टर्म लोन लिया है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों ने इन टर्म लोन के विरुद्ध **₹ 220.27 करोड़** (₹ 294.61 करोड़) की राशि चुकाई है और 31.03.2024 तक टर्म लोन का शेष **₹ 1,575.27 करोड़** (₹ 1464.21 करोड़) है।

6. (i) कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा 31 मार्च 2024 (31 मार्च, 2023: ₹ 1033.76 करोड़) तक **₹ 1033.76 करोड़** (कुल ऋण ₹ 3976 करोड़ का 26%) है।

   (ii) कंपनी ने सीसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक परिचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में, प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना की सहायता के बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। 31 मार्च 2024 तक रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा **₹ 327.60 करोड़** (कुल ऋण ₹ 1259.75 करोड़ का 26%) है (31 मार्च, 2023: ₹ 327.60 करोड़)

   (iii) कंपनी एसईसीएल और सीएसआईडीसीएल (प्रायोजकों) के साथ अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (ब्त्स) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौते को निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में, प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। 31 मार्च 2024 तक रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा **₹ 350.74 करोड़** (कुल ऋण ₹ 1,349.00 करोड़ का 26%) है (31 मार्च, 2023: ₹ शून्य)।

7. कंपनी ने एनएचएआई की सड़क/राजमार्ग परियोजना के निष्पादन के लिए भारत में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) कंपनियों के रूप में गठित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) को किसी भी समय 500 करोड़ रुपये की कुल राशि तक (असुरक्षित ब्याज मुक्त/असुरक्षित ब्याज वहन) ऋण देने के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जो निदेशक मंडल द्वारा पहले से अनुमोदित सीमाओं के अतिरिक्त है।

8. 31 मार्च, 2024 तक **3.42 करोड़ रुपये** (31 मार्च, 2024 74.53 करोड़ रुपये) का बकाया साख पत्र है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

9. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों द्वारा लिए गए ऋण के लिए ऋणदाताओं के पक्ष में निम्नानुसार प्रायोजक समर्थन वचनबद्धता निष्पादित की है:–

(i) इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
(ii) इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
(iii) इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
(iv) इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड
(v) इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
(vi) इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
(vii) इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
(viii) इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड
(ix) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड

38. सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क. सामान्य जानकारी

परिचालन खंडों को उद्यम के ऐसे घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके लिए अलग–अलग वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन का आकलन करने के तरीके के बारे में निर्णय लेने में नियमित रूप से किया जाता है। कंपनी का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है। परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदर्शन की समीक्षा और संसाधनों के आवंटन के लिए प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की गई है।

कंपनी ने भौगोलिक दृष्टिकोण से रिपोर्ट योग्य परिचालन खंडों का निर्धारण किया है

ख. रिपोर्ट योग्य खंडों के बारे में जानकारी और वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
खंड राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	574.82	411.84	11,375.58	9,509.36	11,950.40	9,921.20
कुल परिचालन राजस्व	**574.82**	**411.84**	**11,375.58**	**9,509.36**	**11,950.40**	**9,921.20**
ब्याज आय	43.11	11.81	285.88	237.34	328.99	249.15
अन्य आय	1.11	6.01	107.35	85.27	108.46	91.28
अंतर–खंड	–	–	–	–	–	–
कुल राजस्व	**619.04**	**429.66**	**11,768.81**	**9,831.97**	**12,387.85**	**10,261.63**
खंड परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज और असाधारण मद और कर से पहले लाभ	201.79	94.32	1,080.44	889.14	1,282.23	983.46
घटाएँ: प्रावधान और राइट बैक	(3.11)	8.41	(79.57)	(69.45)	(82.68)	(61.04)
घटाएँ: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(2.18)	(2.32)	(34.03)	(35.41)	(36.21)	(37.73)
घटाएँ: ब्याज	–	–	(7.80)	(1.50)	(7.80)	(1.50)
कर पूर्व लाभ	**196.50**	**100.41**	**959.04**	**782.78**	**1,155.54**	**883.19**
घटाएँ: कर व्यय	(43.06)	(26.57)	(249.58)	(79.79)	(292.64)	(106.36)
कर पश्चात् लाभ	**153.44**	**73.84**	**709.46**	**702.99**	**862.90**	**776.83**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ग अन्य जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल संपत्ति	**1,034.39**	**913.71**	**13,049.74**	**12,762.70**	**14,084.13**	**13,676.41**
कुल देयताएँ	**857.38**	**729.76**	**7,454.99**	**7,768.17**	**8,312.37**	**8,497.93**
संयुक्त उद्यमों में निवेश इक्विटी पद्धति द्वारा हिसाब में लिया गया	-	-	-	-	-	-
वित्तीय साधनों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों के अलावा गैर चालू परिसंपत्तियाँ	90.10	55.45	951.20	782.53	1,041.30	837.98
समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ और उपयोग का अधिकार)	0.09	0.23	40.90	25.34	40.99	25.57

घ प्रमुख ग्राहक के बारे में जानकारी

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू खंड में एक एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 62.95% (69.46%) परिचालन राजस्व प्राप्त हुआ।

39. राजस्व

क. राजस्व का विभाजन

नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से कंपनी के राजस्व का परिचालन खंड और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभाजन दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि विवरण/खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	9,569.36	449.09	**10,018.45**	10,018.45	-		**10,018.45**
राजमार्ग	1,763.09	125.48	**1,888.57**	1,888.57	-		**1,888.57**
विद्युत	-	-	**-**	-	-		**-**
भवन	-	-	**-**	-	-		**-**
अन्य	11.91	-	**11.91**	11.91	-	31.46	**43.37**
कुल	**11,344.36**	**574.57**	**11,918.93**	**11,918.93**	**-**	**31.46**	**11,950.39**

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से ₹ **11,950.39 करोड़** की मान्यता समयावधि में तथा शून्य की मान्यता समय-बिंदु पर दी गई।

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	लाभ और हानि विवरण/खंड रिपोर्टिंग के अनुसार कुल
	घरेलू	अंतर्राष्ट्रीय	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	8,900.72	406.91	**9,307.63**	9,307.63	-	5.84	**9,313.47**
राजमार्ग	583.23	-	**583.23**	583.23	-	-	**583.23**
विद्युत	-	-	**-**	-	-		**-**
भवन	-	-	**-**	-	-		**-**
अन्य	4.01	-	**4.01**	4.01	-	20.49	**24.50**
कुल	**9,487.96**	**406.91**	**9,894.87**	**9,894.87**	**-**	**26.33**	**9,921.20**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से **9,894.87 करोड़ रुपए** समयावधि में मान्यता प्राप्त है तथा समय–बिंदु पर मान्यता प्राप्त राजस्व शून्य है।

ख. अनुबंध शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
व्यवसाय प्राप्य (नोट 12.2)	946.46	868.73
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नोट 8.3 और 12.6)	1,566.61	1,250.49
अनुबंध देयताएँ (नोट 20 और 22)	3,048.61	3,531.78

(i) व्यापार प्राप्तियां ब्याज रहित हैं और ग्राहक प्रोफ़ाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेशों में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। कंपनी का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइज़ेशन एडवांस, मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं, जिनकी क्रेडिट अवधि 45 से 60 दिनों तक होती है।

(ii) अनुबंध परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिसमें ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में कंपनी के विचार के अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए सेवाएँ प्रदान की जाती हैं। इसमें निर्माणाधीन अनुबंधों के तहत ग्राहकों से बकाया राशि शामिल है, जो तब उत्पन्न होती है, जब कंपनी अनुबंधों की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करती है, हालाँकि राजस्व को इनपुट पद्धति के तहत अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है। अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त कोई भी राशि संलग्न शर्त की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत की जाती है, यानी भविष्य की सेवा जो बिलिंग मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है।

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में उतार–चढ़ाव (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्ति	1,250.49	918.04
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	1,566.61	1,250.49
निवल वृद्धि/(कमी)	**316.12**	**332.45**

वर्ष 2023–24 और 2022–23 के लिए पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 316.12 करोड़ और ₹ 332.45 करोड़ की निवल वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता है, जबकि किए गए कार्य के बिल अनुबंध की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल, 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक क्रमशः ₹ 903.90 करोड़ और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान, ₹ 807.48 करोड़ की अनुबंध परिसंपत्तियों को माइलस्टोन पूरा होने पर ग्राहकों को बिलिंग करने पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।.

(iii) निर्माण अनुबंधों से संबंधित अनुबंध देयताएं ग्राहकों को देय शेष राशि हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब एक विशेष मील का पत्थर भुगतान इनपुट पद्धति के तहत आज तक मान्यता प्राप्त राजस्व और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक होता है। ग्राहक को चालान किए जाने पर प्राप्त अग्रिम राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देयताएँ	3,531.78	3,433.18
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएँ	3,048.61	3,531.78
निवल वृद्धि/(कमी)	**(483.17)**	**98.60**

वर्ष 2023–24 के लिए – पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 483.17 करोड़ की निवल कमी हुई है, जो मुख्य रूप से निष्पादित कार्यों के लिए ग्राहक से प्राप्त अग्रिम भुगतान के समायोजन के कारण है और पिछले वर्ष मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण ₹ 98.60 करोड़ की निवल वृद्धि हुई है।

ग. निम्नलिखित से प्राप्त राजस्व की राशि नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देनदारियों में शामिल राशि	2,912.29	2,021.21
पिछले वर्षों में पूरा किया गया प्रदर्शन दायित्व	-	-

घ. अनुबंध प्राप्त करने की लागत

31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि शून्य है (31 मार्च, 2023 तक: शून्य)

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ अनुबंध को पूरा करने की लागत

31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि **₹ 12.39 करोड़** है (31 मार्च, 2023 तक: ₹ 22.85 करोड़)

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन की राशि **₹ 9.92 करोड़** है (वित्त वर्ष 2022–23: ₹ 3.89 करोड़)

च. प्रदर्शन दायित्व

कंपनी के प्रदर्शन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है:

31 मार्च तक शेष प्रदर्शन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के भीतर	10,400	9,800
एक वर्ष से अधिक से 2 वर्ष तक	9,800	10,200
2 वर्ष से अधिक	7,008	15,195
कुल	**27,208**	**35,195**

40. पट्टे

क) पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी ने पट्टेदार के रूप में विभिन्न पट्टा अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस और वाहनों का पट्टा शामिल है।

कंपनी के पास 12 महीने या उससे कम अवधि के लिए कार्यालयों और गेस्ट हाउस के कुछ पट्टे भी हैं। कंपनी इन पट्टों के लिए 'अल्पकालिक पट्टे' मान्यता छूट लागू करती है।

उपयोग का अधिकार संपत्ति

वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त उपयोग–अधिकार परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि तथा गतिविधियों का खुलासा नोट 7 में किया गया है।

पट्टा देयताएँ

नीचे वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की वहन राशि और उनकी गतिविधियाँ दी गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1 अप्रैल, 2023 को आरंभिक शेष राशि	0.51	0.16
लीज़ देयता में वृद्धि	3.32	0.34
ब्याज का प्रत्यायन	0.28	0.02
भुगतान	(0.87)	(0.01)
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	**3.24**	**0.51**
वर्तमान	**0.72**	**0.09**
गैर–वर्तमान	**2.52**	**0.42**

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 31 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और नीतियों में वित्तीय देयताओं की परिपक्वता के तहत शामिल किया गया है।

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास व्यय (नोट 29 देखें)	1.13	0.38
पट्टा देनदारियों पर ब्याज व्यय (नोट 28 देखें)	0.28	0.02
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 26 (iii) देखें)	6.59	5.40
कुल	**8.00**	**5.80**

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

कंपनी के पास कई पट्टा अनुबंध हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। इन विकल्पों पर प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाती है और ये कंपनी की व्यावसायिक ज़रूरतों के अनुरूप होते हैं। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किया जाना निश्चित है।

विस्तार और समाप्ति विकल्पों की प्रयोग तिथि के बाद की अवधि से संबंधित बिना छूट वाले संभावित भावी किराये के भुगतान निम्नलिखित हैं, जो पट्टे की अवधि में शामिल नहीं हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पांच वर्ष के अंदर	पांच वर्ष से अधिक	कुल
विस्तार विकल्पों का प्रयोग न किए जाने की उम्मीद	-	-	-
समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किए जाने की उम्मीद	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**

ख) पट्टादाता के रूप में कंपनी

(i) कंपनी ने परिचालन पट्टे के तहत इमारतें दी हैं। पट्टे की व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में कुल **₹ 23.21 करोड़** (₹ 14.18 करोड़) की पट्टा आय (किराया और सेवा शुल्क) को मान्यता दी गई है।

(ii) कंपनी ने परिचालन पट्टे के तहत मशीनरी दी है। पट्टे की व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में कुल **₹ 0.20 करोड़** (₹ 4.55 करोड़) की पट्टा आय को मान्यता दी गई है।

गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एक वर्ष के भीतर	4.41	1.65
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं	28.37	35.57
पांच वर्ष से अधिक	34.50	30.06
कुल	**67.29**	**67.28**

41. सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V द्वारा अपेक्षित प्रकटीकरण:

'(सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 34(3) के अनुपालन में, आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी गई है:

(₹ करोड़ में)

	कंपनी का नाम	बकाया शेष राशि		वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम राशि	
		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क	**ऋण की प्रकृति में ऋण और अग्रिम:**				
	सहायक कंपनियों को				
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	197.51	228.56	228.56	240.66
	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	47.13	47.13	47.13	47.13
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	68.96	68.96	68.96	69.71
	संयुक्त उद्यम कंपनियों को	-	-	-	-
ख	**ऋणदाता द्वारा कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों के शेयरों में निवेश (जैसा कि ऊपर बताया गया है)**	-	-	-	-

फुट नोट:

1. सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों/सहयोगियों/फर्मों/अन्य को ऋण और अग्रिम का कोई लेन–देन नहीं है जिसमें निदेशकों की रुचि हो, जैसा कि ऊपर बताया गया है.

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

42. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अनुसार प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

	कंपनी का नाम	वह उद्देश्य जिसके लिए प्राप्तकर्ता द्वारा ऋण/गारंटी/सुरक्षा का उपयोग प्रस्तावित है	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क)	**ऋण और अग्रिम**			
	सहायक कंपनी			
	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	197.51	228.56
	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	68.96	68.96
	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	परियोजना वित्तपोषण	47.13	47.13
	कुल		**313.60**	**344.65**
(ख)	**गारंटी**		**नोट 37 देखें**	
(ग)	**पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों और डीम्ड इक्विटी में निवेश**		**नोट 8.1 देखें**	

43. एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विलंबित भुगतान का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूलधन और उस पर देय ब्याज:		
	सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूलधन	3.73	9.24
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	0.10
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि और प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि'	9.24	-
3	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान की गई है) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित और बकाया ब्याज की राशि	-	-
5	आगामी वर्षों में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, उस तिथि तक जब उपरोक्त ब्याज देय राशि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य से वास्तव में छोटे उद्यम को भुगतान की जाती है	-	-

* वर्ष के दौरान दावों का पूर्ण एवं अंतिम निपटान कर दिया गया है।

44. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। वर्ष के लिए सीएसआर व्यय का विवरण इस प्रकार है:

क) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली आवश्यक राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि	11.64	10.10
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली बोर्ड द्वारा अनुमोदित राशि	11.64	10.10

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की गई राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
	नकद भुगतान	अभी तक भुगतान नहीं किया गया	कुल	नकद भुगतान	अभी तक भुगतान नहीं किया गया	कुल
किसी भी परिसंपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर*	3.89	-	3.89	1.99	-	1.99
उपर्युक्त के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	7.76	-	7.76	8.13	-	8.13
कुल	**11.65**	**-**	**11.65**	**10.12**	**-**	**10.12**

*परिसंपत्तियां खरीदी गईं और संबंधित संगठन को सौंप दी गईं तथा कंपनी द्वारा धारण नहीं की जा रही हैं।

ग) प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत सीएसआर व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में योगदान	0.67	1.53
भूख, गरीबी और कुपोषण को मिटाना, निवारक स्वास्थ्य सेवा और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना	6.39	4.54
शिक्षा को बढ़ावा देना, जिसमें विशेष शिक्षा और रोजगार शामिल है, खासकर बच्चों में व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना।	4.33	2.35
पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना	0.10	0.53
महिलाओं और अनाथों के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना, वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऐसी अन्य सुविधाएँ स्थापित करना।		-
खेल		-
अन्य (अन्य प्रशासनिक लागत सहित)	0.16	1.17
कुल	**11.65**	**10.12**

घ) अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
निम्नलिखित के संबंध में अव्ययित राशि:		
– चालू परियोजना (#) *	-	-
– चालू परियोजना के अलावा अन्य (##)	-	-

 # चालू परियोजना:

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक जमा		वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि जमा शेष		वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि जमा शेष	
कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में		कंपनी के बैंक खाते से	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते से	कंपनी के साथ	अलग सीएसआर अप्रयुक्त खाते में
-	-				-	-

' चालू वर्ष तथा पिछले वर्ष की तरह सीएसआर पर खर्च की जाने वाली राशि में कोई कमी नहीं है। हालांकि, सीएसआर की विशिष्ट चालू परियोजना के लिए ₹ **0.17 करोड़** (₹ 0.17 करोड़) की राशि निर्धारित की गई है, जिसका उपयोग भविष्य में किया जाएगा।

चल रही परियोजना के अलावा:

(₹ करोड़ में)

प्रारंभिक जमा	अनुसूची VII के निर्दिष्ट कोष में 6 माह के भीतर जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि	जमा शेष
-	-	-	-	-

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ) व्यय/अव्ययित दायित्वों से संबंधित विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि (उपर्युक्त (क) के अनुसार)	11.64	10.10
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की गई राशि (उपर्युक्त (ख) के अनुसार)*	11.65	10.12
कंपनी द्वारा खर्च की गई कमी/(अधिक) राशि	**(0.01)**	**(0.02)**

* सीएसआर व्यय के संबंध में कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं है।

च) अन्य प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संबंधित पार्टी लेन-देन का विवरण, उदाहरण के लिए, प्रासंगिक लेखांकन मानक के अनुसार सीएसआर व्यय के संबंध में कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट में योगदान (1)	लागू नहीं	लागू नहीं
जहां किसी संविदात्मक दायित्व में प्रवेश करके उत्पन्न देयता के संबंध में प्रावधान किया जाता है, प्रावधान में होने वाली हलचलें	लागू नहीं	लागू नहीं

45. अन्य विनियामक प्रकटीकरण

क) अनुपात का प्रकट होना

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% परिवर्तन	परिवर्तन का कारण 25% से अधिक
चालू अनुपात (समय में)	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान देयताएँ	1.60	1.49	7.45%	
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.00056	0.00010	470.00%	टिप्पणी देखें (i)
ऋण सेवा कवरेज अनुपात (समय में)	ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद निवल लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय	ऋण सेवा = ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन पुनर्भुगतान	1.45	1.32	9.90%	
इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल	कर के बाद निवल लाभ - वरीयता लाभांश	औसत शेयरधारक इक्विटी	15.76%	15.85%	-0.60%	
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (समय में)	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	51.92	37.73	37.61%	टिप्पणी (ii), (iii) और (iv) देखें
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट बिक्री = सकल क्रेडिट बिक्री - बिक्री रिटर्न	औसत व्यापार प्राप्य	13.17	12.58	4.71%	
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल क्रेडिट खरीद = सकल क्रेडिट खरीद - खरीद रिटर्न	औसत व्यापार देय	12.37	9.43	31.27%	टिप्पणी (v) और (vi) देखें
निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात (समय में)	निवल बिक्री = कुल बिक्री - बिक्री रिटर्न	कार्यशील पूंजी = वर्तमान परिसंपत्तियाँ - वर्तमान देयताएँ	3.10	2.93	5.64%	

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	अंश	भाजक	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	% परिवर्तन	परिवर्तन का कारण 25% से अधिक
निवल लाभ अनुपात	निवल लाभ	निवल बिक्री = कुल बिक्री – बिक्री रिटर्न	6.97%	7.57%	-7.99%	
नियोजित पूंजी पर प्रतिफल	ब्याज और करों से पहले की कमाई	नियोजित पूंजी = मूर्त निवल संपत्ति + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	15.12%	15.06%	0.35%	
निवेश पर प्रतिफल	ब्याज (वित्त आय)	निवेश	7.39%	8.04%	-8.14%	

टिप्पणियाँ:–

(i) भारतीय रेलवे वित्त निगम से लिए गए ऋण की भरपाई रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य राशि से करने तथा पट्टा देयता के कम मूल्य के कारण यह अनुपात महत्वपूर्ण नहीं है। हालाँकि, पट्टा देयता में परिवर्तन के कारण ही अनुपात में भिन्नता अधिक है।

(ii) पिछले वर्ष की तुलना में औसत इन्वेंट्री में कमी आई है।

(iii) परिचालन राजस्व में इसी वृद्धि के कारण परिचालन व्यय में वृद्धि।

(iv) बेची गई वस्तुओं की लागत में परियोजना व्यय शामिल है।

(v) परिचालन राजस्व में इसी वृद्धि के कारण परियोजना व्यय में वृद्धि।

(vi) पिछले वर्ष की तुलना में औसत व्यापार देय में कमी आई है।

क) कंपनी का चालू वर्ष और पिछले वर्ष में बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

ख) कंपनी का कोई भी शुल्क या संतुष्टि नहीं है जिसे चालू वर्ष और पिछले वर्ष में वैधानिक अवधि से परे आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना है।

ग) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

घ) कंपनी ने विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित किसी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्था) को इस समझ के साथ अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:

(क) कंपनी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

(ख) परम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की सुविधा प्रदान करना।

ङ) कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्था) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि कंपनी चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:

(क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना या

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई सुविधा प्रदान करना

च) कंपनी के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चालू वर्ष और पिछले वर्ष में चल रहे कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

छ) कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां चालू वर्ष और पिछले वर्ष में किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

ज) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष में जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

झ) कंपनी ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट
31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

46. नवीनतम घोषणा

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में संशोधन करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने पहली बार इन संशोधनों के लिए आवेदन किया:

(i) लेखांकन अनुमान की परिभाषा – आईएनडी एएस 8 में संशोधन

संशोधनों में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और त्रुटियों के सुधार के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्थाएं लेखांकन अनुमान विकसित करने के लिए मापन तकनीकों और इनपुट का उपयोग कैसे करती हैं।

संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा

(ii) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण - आईएनडी एएस 1 में संशोधन

संशोधनों का उद्देश्य संस्थाओं को लेखांकन नीति प्रकटीकरण प्रदान करने में सहायता करना है, जो कि अधिक उपयोगी है। इसके लिए संस्थाओं के लिए अपनी श्महत्वपूर्णश लेखांकन नीतियों को प्रकट करने की आवश्यकता के स्थान पर अपनी श्महत्वपूर्णश लेखांकन नीतियों को प्रकट करने की आवश्यकता को शामिल किया गया है, तथा इस बारे में मार्गदर्शन जोड़ा गया है कि संस्थाएं लेखांकन नीति प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेने में किस प्रकार महत्वपूर्णता की अवधारणा को लागू करती हैं।

संशोधनों का कंपनी की लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी मद के मापन, मान्यता या प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) एकल लेनदेन से उत्पन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित आस्थगित कर – भारतीय लेखा मानक 12 में संशोधन

संशोधनों ने भारतीय लेखा मानक 12 के अंतर्गत प्रारंभिक मान्यता अपवाद के दायरे को सीमित कर दिया है, ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो जो पट्टे जैसे समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को जन्म देते हैं।

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, कंपनी को अपनी लीज़ देनदारियों के संबंध में एक अलग आस्थगित कर परिसंपत्ति और अपने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के संबंध में एक आस्थगित कर देयता को पहचानना होगा। चूंकि, ये शेष राशि भारतीय लेखा मानक 12 के पैराग्राफ 74 की आवश्यकताओं के अनुसार ऑफसेट के लिए योग्य है, इसलिए बैलेंस शीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

47. अन्य प्रकटीकरण

क) (i) कंपनी ने निर्धारण वर्ष 2000–01 से निर्धारण वर्ष 2019–20 तक धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती का दावा किया है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा धारा 80 आईए के अंतर्गत कटौती की अनुमति दी गई है। हालांकि, आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2000–01 के लिए आईटीएटी के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। निर्धारण वर्ष 2019–20 तक कंपनी क्ज।। समझौतों के अनुसार आय को बाहर करने के बाद भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहां विदेशी देशों से अर्जित आय को कराधान के लिए पेश की गई वैश्विक आय से बाहर रखा जाता है। कंपनी को निर्धारण वर्ष 2005–06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशी देशों में भुगतान किए गए करों के विरुद्ध क्रेडिट की अनुमति दी गई है। देय कर का भुगतान करने के बाद अपील दायर करके इस मुद्दे को चुनौती दी गई है। इस मुद्दे को प्ज।ज द्वारा इरकॉन के पक्ष में अनुमति दी गई है।

(ii) आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुकूल आदेशों के कारण पिछले वर्षों के आयकर प्रावधान को वापस ले लिया गया है / आयकर व्यय को वापस ले लिया गया है, जिसकी **राशि शून्य** (78.53 करोड़ रुपये) है।

ख) कुछ ठेकेदारों द्वारा लागत प्लस परियोजनाओं में दावों के कारण विभिन्न न्यायालयों और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कंपनी के खिलाफ मुकदमेबाजी में कुछ अन्य मामले लंबित हैं। ऐसे मामलों में, कंपनी अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूरी प्रतिपूर्ति की परिकल्पना करती है और संसाधनों के किसी आर्थिक बहिर्वाह की अपेक्षा नहीं करती है। इस संबंध में, **₹ 1702.41 करोड़** (₹ 1,984.19 करोड़) का कुल दावा मुकदमेबाजी में है, जिसके लिए **₹ शून्य** (₹ 6.59 करोड़) का प्रावधान किया गया है और ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है। कंपनी ने ठेकेदारों पर **₹ 120.64 करोड़** (₹ 340.09 करोड़) के प्रति दावे भी किए हैं। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह अनिश्चित है।

ग) माननीय उच्च न्यायालय ने एनएचएआई के खिलाफ यूपी–05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए **₹ 97.96 करोड़** की राशि के मध्यस्थता पुरस्कार को जारी करने की अनुमति दी है, जिसके लिए समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत की जानी चाहिए। कंपनी ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।

घ) कंपनी के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। जहां तक व्यापार/अन्य देयताओं और ऋण और अग्रिमों का संबंध है, पार्टियों को शेष राशि की पुष्टि के पत्र भेजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देयताओं के शेष राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। समाधान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। हालांकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

ङ) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरणों का परिचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

च) पिछले वर्ष के आंकड़े चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए कोष्ठक () के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

छ) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा गैर–चालू निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली जाने पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर इनका उल्लेख बैलेंस शीट में किया गया है।

हमारी संलग्न सम दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह उनके द्वारा 01 जुलाई 2024 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो उनकी पिछली लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 21 मई 2024 को प्रतिस्थापित करती है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के कर्मियों से पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अनुपूरक लेखा परीक्षा के दौरान उठाए गए मेरे कुछ लेखा परीक्षा अवलोकनों को प्रभावी करने के लिए, वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों के मद्देनजर, अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई और टिप्पणी नहीं है या उसे पूरक नहीं बनाना है।

कृते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह०./—
डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
महानिदेशक लेखापरीक्षा
रेलवे वाणिज्यिक, नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25 जुलाई, 2024

नोट

समेकित वित्तीय विवरण 2023–24

फॉर्म एओसी – 1

31.03.2024 तक सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग क "सहायक कंपनियां"

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल)	इरकॉन अकलोली शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड (एएसईएल)	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड (आईएलआरएचएल)	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड (आईबीएमईएल)	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड (आईएचबीएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	₹	₹	₹	₹	₹
3	शेयर पूंजी (आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	5.00	4.34	3.62	5.20	0.05
4	अन्य इक्विटी/रिजर्व और अधिशेष (जैसा लागू हो)	121.75	58.75	55.81	62.13	85.85
5	देनदारियां	761.77	228.17	303.36	281.76	159.67
6	कुल इक्विटी और देयता	888.52	291.26	362.79	349.09	245.57
7	कुल संपत्तियां	888.52	291.26	362.79	349.09	245.57
8	निवेश	-	-	-	-	-
9	टर्नओवर	0.16	324.01	526.79	463.34	221.20
10	कराधान से पहले लाभ	(0.22)	9.43	2.05	14.58	3.61
11	कराधान के लिए प्रावधान	0.09	2.37	0.52	3.67	0.90
12	कराधान के बाद लाभ	(0.31)	7.06	1.53	10.91	2.71
13	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	-	-	-	-	-
14	अंतरिम लाभांश – वरीयता	-	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	-	-	-	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश – वरीयता	-	-	-	-	-
17	शेयर होल्डिंग का %	76%	100%	100%	100%	100%

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्म रजि. सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

फॉर्म एओसी – 1

31.03.2024 तक सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं वाला विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

भाग क "सहायक कंपनियां"

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड (आई एस जीटीएल)	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आई पीबी टीएल)	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड (आई डी एचएचएल)	इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड (आईआईएसएल)	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड (इवकेल)	इरकॉन गुड़गांव रेवारी हाईवे लिमिटेड (आईजीआरएचएल)
1	सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24	31-Mar-24
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	₹	₹	₹	₹	₹	₹
3	शेयर पूंजी (आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि सहित)	150.00	165.00	173.00	65.00	10.00	0.05
4	अन्य इक्विटी/रिजर्व और अधिशेष (जैसा लागू हो)	(109.03)	(25.56)	74.17	111.61	326.32	96.16
5	देनदारियां	638.51	282.81	364.09	183.41	706.45	254.13
6	कुल इक्विटी और देयता	679.48	422.25	611.26	360.02	1,042.78	350.34
7	कुल संपत्तियां	679.48	422.25	611.26	360.02	1,042.78	350.34
8	निवेश	-	-	-	-	-	-
9	टर्नओवर	175.88	59.02	131.97	140.94	168.71	245.15
10	कराधान से पहले लाभ	(6.39)	(7.76)	32.13	14.22	64.55	5.53
11	कराधान के लिए प्रावधान	-	-	8.25	5.36	16.43	1.39
12	कराधान के बाद लाभ	(6.39)	(7.76)	23.88	8.86	48.12	4.14
13	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	-	-	-	2.50	-	-
14	अंतरिम लाभांश – वरीयता	-	-	-	-	-	-
15	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	-	-	-	6.33	-	-
16	प्रस्तावित लाभांश – वरीयता	-	-	-	-	-	-
17	शेयर होल्डिंग का %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्म रजि. सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

भाग "ख": संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड
1	नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट दिनांक	31–मार्च–24	31–मार्च–24	31–मार्च–24	31–मार्च–24	31–मार्च–24	31–मार्च–24	31–मार्च–24
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संयुक्त उद्यम के शेयर :	26.00%	26.00%	26.00%	50.00%	26.00%	26.00%	26.00%
	धारित शेयरों की संख्या	7,63,37,300	19,78,55,700	19,39,91,200	6,38,70,000	2,62,56,438	2,60,00,000	5,19,99,700
	संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (नीचे नोट 2) (₹ में)	76,33,73,000	1,97,85,57,000	1,93,99,12,000	63,87,00,000	26,25,64,380	26,00,00,000	51,99,97,000
	शेयरों की कुल संख्या	29,36,05,000	78,15,78,074	72,15,13,000	12,77,40,000	10,09,86,300	9,00,05,000	19,99,99,400
	धारिता की सीमा (%)	26.00%	25.31%	26.89%	50%	26.00%	28.89%	26.00%
3	इसका विवरण कि	नोट 1 देखें (नीचे)						
4	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	संयुक्त उद्यम को समेकित न किए जाने का कारण	76.42	180.60	190.49	79.78	143.67	98.69	80.79
6	नवीनतम ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (₹ करोड़ में)	1.14	(94.88)	(0.22)	136.09	2.52	(1.58)	6.55
	वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (₹ करोड़ में)	0.30	(24.01)	(0.06)	68.05	0.65	(0.46)	1.70
	(i) समेकन में विचार किया गया (₹ करोड़ में)	0.84	(70.87)	(0.16)	68.05	1.87	(1.12)	4.85

नोट

1 निवेशिती की 20% या उससे अधिक वोटिंग शक्ति रखने से महत्वपूर्ण प्रभाव प्रदर्शित होता है।

2 संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्म रजि. सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ''समूह'' कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ–साथ समेकित भारतीय लेखा विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं, जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे ''समेकित भारतीय लेखा विवरणों'' के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित तीन (3) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। हालाँकि, हमने किसी भी विदेशी शाखा का दौरा नहीं किया है और ऑडिट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक जानकारी हमें कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित (''भारतीय लेखा मानक'') और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च, 2024 तक समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित स्थिति, समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह।

यह रिपोर्ट 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए संशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत लेखापरीक्षा के दौरान भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के परिणामस्वरूप संशोधित की गई है, और यह रिपोर्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के तहत 21 मई, 2024 की हमारी पिछली रिपोर्ट का स्थान लेती है।

मुलभूत राय

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानकों (ष्एसएष्) के अनुसार समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखा परीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की ज़िम्मेदारी अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (ष्आईसीएआईष्) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं, साथ ही नैतिक आवश्यकताएं जो अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, नीचे ष्अन्य मामलेष् पैराग्राफ में संदर्भित है, समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9 के फुटनोट संख्या (i) का संदर्भ लें, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक अर्थात भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और समूह को आईआरएसडीसी में उसके द्वारा किए गए निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मुख्य लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। 'अन्य लेखापरीक्षक के काम का उपयोग करन' पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को होल्डिंग कंपनी के स्टैंडएलोन भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्रता लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पुनरू प्रस्तुत किया गया है।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखांकन मानक जो पाँच चरणों वाला राजस्व मान्यता मॉडल निर्धारित करता है। होल्डिंग कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का अनुमान लगाने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्य क्षेत्र, दावों (मुआवजा, छूट आदि) और अन्य भुगतानों में परिवर्तनों पर मूल्यांकन और निर्णय किए जाने की आवश्यकता होती है, जिस सीमा तक निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है। कंपनी इनपुट विधि लागू करके निष्पादन दायित्व को मापती है। उन अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है, आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है। ऑर्डर पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, परिवर्तन आदेश या निरस्तीकरण पर विचार करना होगा। परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए अपेक्षित नुकसान की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, इकाइयों को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंधों में मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना आवश्यक है। राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में निम्नलिखित से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं – i. विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान; ii. पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण; iii. किसी समय बिंदु पर या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखा मानक में प्रकटीकरण शामिल है जिसमें अलग–अलग राजस्व और अवधि के संबंध में जानकारी का संग्रह शामिल है जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को बैलेंस शीट तिथि के बाद पूरा किया जाएगा। इन निर्णयों से राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया और इसके लिए उच्च स्तर के लेखा परीक्षा प्रयास की आवश्यकता थी। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 43 देखें।	– हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। हमने जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जो पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमने अनुबंधों का एक नमूना चुना, और अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने नमूना आधार पर डब्ल्यूआईपी शेष राशि में शामिल लागतों की भी जांच की और अनुबंधों के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्यों की तुलना अनुमानित लागत के साथ करके उनकी वसूली का परीक्षण किया। – हमने राजस्व मान्यता पर निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, जिसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व है या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय बिंदु पर पूरा किया जा रहा है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों को पढ़ा, उनका विश्लेषण किया और उनकी पहचान की। • इन प्रदर्शन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने और दर्ज किए गए दायित्वों से की। • अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों को आवंटित करने के लिए इस्तेमाल किए गए लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया। • जाँच की कि क्या प्रदर्शन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है। • प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ निष्पादित कीं।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
आकस्मिक देयताएं कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों में कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन के निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है। लेखांकन नीति संख्या 2.2.16 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण की नोट संख्या 40 देखें।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल ही में प्राप्त आदेशों और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उसके बाद की कार्रवाई की जांच करना। • विचार–विमर्श के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय–वस्तु के विवरण का संग्रह, संभावित परिणाम और उन मुद्दों पर परिणामी संभावित बहिर्वाह।
प्रणाली वातावरण और आंतरिक नियंत्रण कंपनी के पास SAP प्रणाली है और केवल FI&CO और पेरोल मॉड्यूल ही कार्यान्वित किया गया है तथा अन्य सिस्टम जैसे इन्वेंट्री, डड मॉड्यूल आदि कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान तैयार करने के लिए SAP परियोजना प्रणाली मॉड्यूल (PS) की आवश्यकता है। कंपनी में आईटी सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग में मैन्युअल हस्तक्षेप होता है। इसके लिए ऑडिट साक्ष्य का मूल्यांकन करने में उच्च स्तर के ऑडिटर निर्णय और ऑडिट प्रयास की उच्च सीमा की आवश्यकता होती है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • आईटी परिवेश पर प्रबंधन और आईटी विभाग के साथ चर्चा करना और प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर विचार करना ताकि यह समझा जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी सिस्टम कहाँ अभिन्न अंग थे। • कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों से संबंधित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के डिज़ाइन का परीक्षण करना। • हमने सिस्टम इंटरफेस के आसपास कंपनी के नियंत्रणों का भी परीक्षण किया। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस ऑडिट प्रक्रियाएँ लागू कीं कि जिन क्षेत्रों में मैन्युअल नियंत्रण हैं, वे प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। • हमारी ऑडिट योजना और प्रक्रियाओं में वे विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं जिन्हें सिस्टम तैयार करता है और जिनके बिना हमारे लिए बैलेंस शीट के विभिन्न शीर्षों का डेटा एकत्र करना मुश्किल है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व

होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो समेकित भारतीय लेखा विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, जिनका उपयोग पूर्वोक्त अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखा विवरणों की तैयारी के उद्देश्य के लिए किया गया है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल या तो संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखते हैं, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनके पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय केरूप में जारी रहना बंद कर सकता है।

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देश, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार रहते हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा राय के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहते हैं।

संशोधित स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

भौतिकता समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं (जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल हैं) के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। हम संवाद के दौरान अन्य मामलों के साथ–साथ लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिनमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल चार (4) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2024 तक कुल संपत्ति 831.78 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 709.32 करोड़ रुपये) परिलक्षित होती है, कुल राजस्व 548.44 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 401.53 करोड़ रुपये) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल पीबीटी 112.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपये) है, जैसा कि स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण ों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा–जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।
- वित्तीय विवरणों में (–) ₹0.08 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹0.08 करोड़), दो (2) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा–जोखा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है और ₹0.90 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष रु.0.47 करोड़) मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दो (2) संयुक्त परिचालन खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है।
- हमने ग्यारह (11) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2024 तक 5603.36 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3655.31 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति, 2457.13 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (पिछले वर्ष 1138.40 करोड़ रुपये) और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 172.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 118.13 करोड़ रुपये) की नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) दर्शाती है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा विवरणों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह का रु. पांच (5) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके 44.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 30.81 करोड़ रुपये) का लाभ (निवल) जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का चार्टर्ड एकाउंटेंट की अन्य फर्म द्वारा ऑडिट किया गया है, और इसमें दो (2) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके 2.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.64 करोड़ रुपये) का लाभ (निवल) का समूह हिस्सा भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का उनके लेखा परीक्षक द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट संख्या 46 (ii) का संदर्भ लें, जो भारतीय लेखा मानक–1 में किए गए संशोधनों के बारे में है। प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएँ, जिनका अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएँ प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई हैं और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहाँ तक यह इन लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहाँ तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, केवल अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है, जिसमें भौतिकता सहित 'अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग' पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी

संशोधित स्वतंत्र लेख परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

अन्य विधि एवं विनियामक आवश्कताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (''आदेश'') के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान **''अनुलग्नक क''** में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और ''अन्य मामले'' पैराग्राफ में उल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा उल्लिखित कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही, जिसमें उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड शामिल हैं, अब तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है।

   ग) होल्डिंग कंपनी के शाखा कार्यालयों, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के खातों पर रिपोर्ट, जो उनके लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखापरीक्षित की गई है, हमें भेजी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनका समुचित ढंग से निपटान किया गया है।

   घ) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक खाता बहियों के अनुरूप हैं।

   ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं।

   च) भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के किसी भी निदेशक को अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए 31 मार्च, 2024 तक अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। हमें सूचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 164 (2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं होते हैं, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस. आर.463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियां हैं।

   छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया "अनुलग्नक बी" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

   ज) हमें सूचित किया गया है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान होल्डिंग कंपनी और भारत में निगमित इसकी सहायक कंपनियों पर लागू नहीं हैं, जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार सरकारी कंपनियां हैं। भारत में निगमित संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, चालू वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यमों द्वारा अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया है।

   (झ) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

      (i) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 40 देखें।

      (ii) समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 21.2 देखें। समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के पास कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

      (iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

संशोधित स्वतंत्र लेख परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

(vi) क. होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के अंतर्गत लेखापरीक्षा की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखापरीक्षकों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोट संख्या 45 में बताए गए के अलावा, उनमें से किसी ने भी विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को (उधार ली गई निधियों या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधियों से) अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगा।

(ख) होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, के संबंधित प्रबंधन ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोट संख्या 45 में बताए गए के अलावा, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टिया") शामिल हैं, से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगी या निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेंगी।

ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और भारत में निगमित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षकों को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

(v) जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट संख्या 2.2.15 में कहा गया है

क. पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया, अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

ख. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक होल्डिंग कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ग. होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव किया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

(vi) हमारी जांच और सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

संशोधित स्वतंत्र लेख परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हमारी समीक्षा तथा सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षा के उत्तर
1.	क्या समूह के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	समूह सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए" ।च" /4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रहा है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या समूह द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण समूह को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब–किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता समूह कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	नहीं, समूह के पास किसी भी अंतिम ऋण के पुनर्भुगतान या समूह को ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे में डूबे रहने का कोई मामला नहीं है। हालाँकि, कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को कर्ज में डाल दिया है। सहायक कंपनी के फोर्थ पर, होल्डिंग कंपनी ने चालू वर्ष के लिए ब्याज माफ कर दिया है। हालाँकि, बंधक और सहायक कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के आकलन के आधार पर अपने दस्तावेज़ों की सूची में क्रमशः 16.31 करोड़ रुपये की ब्याज आय और ब्याज दर दर्ज की है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए समूह को कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्ति योग्य नहीं हुई है, सिवाय इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड (आईआरपीएल) सहायक कंपनी के मामले में, जहां 05.09.2023 को इरेडा से 112.35 करोड़ रुपये की व्यवहार्यता अंतर निधि (वीजीएफ) प्राप्त हुई है और इसका उसके नियमों व शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा–जोखा/उपयोग किया गया है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फॉर्म पंजीकरण सं.: 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार) सदस्य संख्या: 072867
यूडीआईन: 24072867BKHCUF8529

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 जुलाई, 2024

संशोधित स्वतंत्र लेख परीक्षक की रिपोर्ट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक क"

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

3(xxi) कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने निम्नलिखित खंडों में अपनी टिप्पणियां दी हैं::

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनी का नाम	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	होल्डिंग कंपनी/सहायक कंपनी/सहयोगी कंपनी/संयुक्त उद्यम।	कंपनी की सीएआरओ रिपोर्ट की धारा संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है।
1.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	U45400DL2009GOI194792	सहायक कंपनी	खंड संख्या 3(vii)(a)
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	संयुक्त उद्यम	खंड संख्या 3(xvii)
3.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	संयुक्त उद्यम	खंड संख्या 3(i)(c)
4.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	धारित कंपनी	खंड संख्या 3(i)(c)

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित दो (2) संयुक्त उद्यम कंपनी की रिपोर्ट संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक जारी नहीं की गई है।

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनी का नाम	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
1.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	U45204DL2012GOI234292
2.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फॉर्म पंजीकरण सं.: 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार) सदस्य संख्या: 072867
यूडीआईएन: 24072867BKHCUF8529

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम दिनांक की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, जो उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयोजन में किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित समूह की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक है, दोनों ही अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके द्वारा ऑडिट की गई संस्थाओं के संबंध में जारी किए गए और ऑडिट की गई संस्थाओं के लिए प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और होल्डिंग कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) होल्डिंग कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमितताओं में नियंत्रणों के टकराव या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावनाएं शामिल हैं, इसलिए, त्रुटि और जालसाजी के कारण सामग्रीगत दुर्विवरण हो सकता है और उसका पता नहीं लग पाएगा। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर होगा कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है, या कि नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो भारत में निगमित हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था। हालांकि, 31.03.2024 तक पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है जैसा कि होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच और उनके द्वारा ऑडिट की गई संस्थाओं के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

क) होल्डिंग कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी प्रणाली है जिसका उपयोग इसकी पूरी क्षमता पर नहीं किया गया। संयुक्त रूप से नियंत्रित कुछ संस्थाओं ने मैन्युअल हस्तक्षेप के साथ वित्तीय खातों की तैयारी के लिए टैली ईआरपी प्रणाली का उपयोग किया है। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान बनाने के लिए एसएपी परियोजना प्रणाली मॉड्यूल (पीएस) की आवश्यकता होती है।

ख) होल्डिंग कंपनी की कुछ इकाइयों में इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है और एसएपी में इन्वेंट्री मैनुअल विचाराधीन है। उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह ग्यारह लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, सात संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, जिनमें से दो गैर–लेखापरीक्षित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां हैं जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, क्रमशः उनके अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों और प्रबंधन प्रमाणपत्र पर आधारित है (समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मामलों पर पैराग्राफ भी देखें)।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में पहचाने गए क्षेत्रों पर विचार किया है और ये क्षेत्र कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फॉर्म पंजीकरण सं.: 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार) सदस्य संख्या: 072867
यूडीआईन: 24072867BKHCUF8529

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 1 जुलाई, 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

मत

हमने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे ''होल्डिंग कंपनी'' कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ ''समूह'' कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ समेकित भारतीय लेखा विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह विवरण और वित्तीय विवरण ों के नोट्स शामिल हैं जिसमें सामग्री लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है (जिसे आगे ष्समेकित भारतीय लेखा विवरणोंष् के रूप में संदर्भित किया जाएगा)।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया और श्रीलंका (भारतीय भाग) में स्थित तीन (3) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है। हालाँकि, हमने किसी भी विदेशी शाखा का दौरा नहीं किया है और ऑडिट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक जानकारी हमें कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई थी।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, संशोधित (''भारतीय लेखा मानक'') और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाने वाले अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, 31 मार्च, 2024 तक समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित स्थिति, समेकित लाभ, समेकित कुल व्यापक आय, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित नकदी प्रवाह।

मूलभूत विचार

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (''एसए'') के अनुसार समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा की। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारी अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, नीचे ष्अन्य मामलेष् पैराग्राफ में संदर्भित, समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

मामलों पर जोर

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 9 के फुटनोट संख्या (i) का संदर्भ लें, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में से एक अर्थात भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) के वित्तीय विवरण परिसमापन के आधार पर तैयार किए गए हैं और समूह को आईआरएसडीसी में उसके द्वारा किए गए निवेश के मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि की आशंका नहीं है।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समेकित भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की हमारी समग्र लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं। श्अन्य लेखापरीक्षक के काम का उपयोग करनेश पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, नीचे मुख्य लेखापरीक्षा मामलों को होल्डिंग कंपनी के स्टैंडएअलोन भारतीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर स्वतंत्रता लेखापरीक्षा रिपोर्ट से पुनरू प्रस्तुत किया गया है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

प्रमुख लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखापरीक्षा ने इस मामले को कैसे संबोधित किया
भारतीय लेखा मानक 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के संदर्भ में राजस्व मान्यता राजस्व पर लेखांकन मानक जो पाँच चरणों वाला राजस्व मान्यता मॉडल निर्धारित करता है। कंपनी निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का अनुमान लगाने के बाद समय के साथ संतुष्ट निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व को मान्यता देती है। राजस्व की मान्यता के लिए कार्य क्षेत्र, दावों (मुआवजा, छूट आदि) और अन्य भुगतानों में परिवर्तनों पर मूल्यांकन और निर्णय किए जाने की आवश्यकता होती है, जिस सीमा तक निष्पादन दायित्व संतुष्ट होता है। कंपनी इनपुट विधि लागू करके निष्पादन दायित्व को मापती है। उन अनुबंधों में जहां निष्पादन दायित्व को इनपुट विधि द्वारा मापा नहीं जा सकता है, आउटपुट विधि लागू की जाती है, जो निष्पादन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में कंपनी के प्रदर्शन को ईमानदारी से दर्शाती है। ऑर्डर पूर्ति के दौरान, संविदात्मक दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, परिवर्तन आदेश या निरस्तीकरण पर विचार करना होगा। परिणामस्वरूप, कुल अनुमानित परियोजना लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो सकती है और इसलिए अपेक्षित नुकसान की तत्काल पहचान की आवश्यकता होती है। भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार, इकाइयों को अपने ग्राहकों के साथ अनुबंधों में मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेना आवश्यक है। राजस्व लेखांकन मानक के अनुप्रयोग में निम्नलिखित से संबंधित कुछ प्रमुख निर्णय शामिल हैं – i. विशिष्ट निष्पादन दायित्वों की पहचान; ii. पहचाने गए निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण; iii. किसी समय या समय के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार की उपयुक्तता। इसके अतिरिक्त, राजस्व लेखा मानक में प्रकटीकरण शामिल है जिसमें अलग–अलग राजस्व और अवधि के संबंध में जानकारी का संग्रह शामिल है जिसके दौरान शेष निष्पादन दायित्वों को बैलेंस शीट तिथि के बाद पूरा किया जाएगा। इन निर्णयों से राजस्व मान्यता को एक प्रमुख लेखा परीक्षा मामले के रूप में पहचाना गया और इसके लिए उच्च स्तर के लेखा परीक्षा प्रयास की आवश्यकता थी। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 43 देखें।	– हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में कंपनी की राजस्व मान्यता लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता पर विचार करना और लागू लेखांकन मानकों के संदर्भ में नीतियों के अनुपालन का आकलन करना शामिल था। हमने जानकारी की तैयारी पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जो पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई है। हमने अनुबंधों का एक नमूना चुना, और अलग–अलग प्रदर्शन दायित्वों की पहचान और प्रदर्शन दायित्वों की संतुष्टि से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। हमने नमूना आधार पर ˘प्छ शेष राशि में शामिल लागतों की भी जांच की और अनुबंधों के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्यों की तुलना अनुमानित लागत के साथ करके उनकी वसूली का परीक्षण किया। – हमने राजस्व मान्यता पर निम्नलिखित मूलभूत प्रक्रियाएं निष्पादित कीं, जिसमें विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया कि क्या अनुबंध में एकल निष्पादन दायित्व है या एकाधिक निष्पादन दायित्व हैं और क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय बिंदु पर पूरा किया जा रहा है: • इन अनुबंधों में अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को पढ़ा, उनका विश्लेषण किया और उनकी पहचान की। • इन निष्पादन दायित्वों की तुलना कंपनी द्वारा पहचाने और दर्ज किए गए दायित्वों से की। • अलग–अलग निष्पादन दायित्वों को आवंटित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लेनदेन मूल्य को सत्यापित करने के लिए अनुबंधों की शर्तों पर विचार किया। • जाँच की कि क्या निष्पादन दायित्व समय की अवधि में या किसी समय बिंदु पर संतुष्ट हो रहा है। • प्रकट किए गए राजस्व की तर्कसंगतता के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ निष्पादित कीं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

आकस्मिक देयताएं कंपनी के खिलाफ विभिन्न मंचों में कई मुकदमे लंबित हैं और आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट की जाने वाली राशि का अनुमान लगाने के लिए प्रबंधन के निर्णय की आवश्यकता है। हमने इसे एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में पहचाना क्योंकि जिन अनुमानों पर ये राशियाँ आधारित हैं, उनमें मामलों की व्याख्या करने में प्रबंधन के निर्णय की महत्वपूर्ण मात्रा शामिल है। लेखांकन नीति संख्या 2.2.16 के साथ पठित समेकित वित्तीय विवरण की नोट संख्या 40 देखें।	हमने आकस्मिक देनदारियों के आकलन और प्रकटीकरण के संबंध में कंपनी की प्रक्रिया की समझ प्राप्त कर ली है और निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रिया को अपनाया है: • कानूनी मामलों की वर्तमान स्थिति और भौतिक विकास की समीक्षा करना। • सक्षम प्राधिकारियों से हाल ही में प्राप्त आदेशों और/या विभिन्न प्राधिकारियों, न्यायिक मंचों से प्राप्त संचार और उसके बाद की अनुवर्ती कार्रवाई की जांच करना। • विचार–विमर्श के माध्यम से कंपनी के तर्कों के मूल्यांकन की समीक्षा और विश्लेषण, विचाराधीन विषय–वस्तु के विवरण का संग्रह, उन मुद्दों पर संभावित परिणाम और परिणामी संभावित बहिर्वाह।
सिस्टम वातावरण और आंतरिक नियंत्रण कंपनी में एसएपी प्रणाली लागू है और केवल एफआई–सीओ और पेरोल मॉड्यूल ही क्रियान्वित किया गया है तथा अन्य प्रणाली जैसे इन्वेंट्री, डड मॉड्यूल आदि कार्यान्वयन की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान तैयार करने के लिए एसएपी परियोजना प्रणाली मॉड्यूल (पी एस) की आवश्यकता है। कंपनी में आईटी सिस्टम पूरी तरह से स्वचालित नहीं है और वित्तीय विवरणों की तैयारी और रिपोर्टिंग में मैन्युअल हस्तक्षेप होता है। इसके लिए ऑडिट साक्ष्य का मूल्यांकन करने में उच्च स्तर के ऑडिटर निर्णय और ऑडिट प्रयास की उच्च सीमा की आवश्यकता होती है।	हमारी प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: • आईटी परिवेश पर प्रबंधन और आईटी विभाग के साथ चर्चा करना और प्रमुख वित्तीय प्रक्रियाओं पर विचार करना ताकि यह समझा जा सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया में आईटी सिस्टम कहाँ अभिन्न अंग थे। • कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों से संबंधित प्रमुख आईटी नियंत्रणों के डिज़ाइन का परीक्षण करना। • हमने सिस्टम इंटरफेस के आसपास कंपनी के नियंत्रणों का भी परीक्षण किया। • हमने यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस ऑडिट प्रक्रियाएँ लागू कीं कि जिन क्षेत्रों में मैन्युअल नियंत्रण हैं, वे प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं। • हमारी ऑडिट योजना और प्रक्रियाओं में वे विभिन्न रिपोर्टें भी शामिल हैं जिन्हें सिस्टम तैयार करता है और जिनके बिना हमारे लिए बैलेंस शीट के विभिन्न शीर्षों का डेटा एकत्र करना मुश्किल है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी का निदेशक मंडल जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण, स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य सूचनाओं को कवर नहीं करती है और हम इस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन का दायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित भारतीय लेखा मानकों के वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में समेकित परिवर्तन और समेकित नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।

समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण निर्णय और अनुमान लगाना; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

रखरखाव, जो समेकित भारतीय लेखा विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, जिनका उपयोग पूर्वोक्त अनुसार होल्डिंग कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित भारतीय लेखा विवरणों की तैयारी के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार हैं, जब तक कि समूह और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में शामिल कंपनियों और इसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल या तो संस्थाओं को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखते हैं, या उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

समूह में शामिल कंपनियों और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करना और उनका आकलन करना, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करना और उनका पालन करना तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगा पाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, उनके पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।
- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय–वस्तु का मूल्यांकन करें, जिसमें प्रकटीकरण भी शामिल है, तथा यह भी कि क्या समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।
- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उचित लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें।

भौतिकता समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में गलत बयानों की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से यह संभावना बनाती है कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के उचित रूप से जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में पहचाने गए किसी भी गलत बयान के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ, अन्य मामलों के साथ–साथ, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी शामिल है, जिसे हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तथा उनसे उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर प्रभाव डालने वाले माने जा सकते हैं, तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में भी बताते हैं।

भारतीय लेखा मानक (इंड ए.एस.) वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरण हैं और इसलिए ये मुख्य लेखापरीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक करते हैं जब तक कि कानून या

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के सार्वजनिक हित लाभों से अधिक होने की उम्मीद है।

अन्य मामले

- हमने कंपनी के स्टैंडएअलोन इंड एएस वित्तीय विवरण में शामिल चार (4) विदेशी शाखाओं के वित्तीय विवरणों / वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण / वित्तीय सूचना 31 मार्च 2024 तक 831.78 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 709.32 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति, 548.44 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (पिछले वर्ष 401.53 करोड़ रुपये) और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 112.41 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 84.32 करोड़ रुपये) का कुल पीबीटी दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों में माना जाता है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों / सूचनाओं का लेखा–जोखा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई है, और जहां तक इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

- वित्तीय विवरणों में (–) ₹ 0.08 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹ 0.08 करोड़), दो (2) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) खातों में कंपनी का हिस्सा शामिल है, जिसका लेखा–जोखा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की अन्य फर्मों द्वारा किया गया है और मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित दो (2) संयुक्त परिचालन खातों में कंपनी का हिस्सा ₹ 0.90 करोड़ का लाभ/(हानि) (पिछले वर्ष ₹ 0.47 करोड़) शामिल है।

- हमने ग्यारह (11) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं में 31 मार्च 2024 तक 5603.36 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 3655.31 करोड़ रुपये) की कुल संपत्ति, 2457.13 करोड़ रुपये का कुल राजस्व (पिछले वर्ष 1138.40 करोड़ रुपये) और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए 172.38 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 118.13 करोड़ रुपये) की नकदी प्रवाह में निवल वृद्धि/(कमी) दिखाई गई है, जैसा कि समेकित भारतीय लेखा विवरणों में माना जाता है। समेकित वित्तीय विवरणों में समूह का रु. पांच (5) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके 44.22 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 30.81 करोड़ रुपये) का लाभ (निवल) जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का चार्टर्ड एकाउंटेंट की अन्य फर्म द्वारा ऑडिट किया गया है, और इसमें दो (2) संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में इक्विटी पद्धति का उपयोग करके 2.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 0.64 करोड़ रुपये) का लाभ (निवल) का समूह हिस्सा भी शामिल है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का उनके ऑडिटर द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है, लेकिन प्रबंधन द्वारा प्रमाणित किया गया है और 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।

- समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट संख्या 46 (ii) का संदर्भ लें, जो भारतीय लेखा मानक–1 में किए गए संशोधनों के बारे में है। प्रबंधन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे संशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।

ये वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित की गई है, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचना प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई है और समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) और (11) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, भौतिकता सहित श्किसी अन्य लेखा परीक्षक के कार्य का उपयोग करनेश पर लेखापरीक्षा मानक (एसए 600) की आवश्यकता पर विचार करने के बाद पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारा दृष्टिकोण संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143(11) के अनुसार जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") के अनुसार, हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर हम आदेश के पैराग्राफ 3(xxi) में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान **"अनुलग्नक क"** में देते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और श्अन्य मामलेश पैराग्राफ में उल्लिखित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा उल्लिखित कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाता बही, जिसमें उपरोक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड शामिल हैं, अब तक रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों से पता चलता है।

   ग) धारक कंपनी के शाखा कार्यालयों, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के खातों पर रिपोर्ट, जो उनके लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के तहत लेखापरीक्षित की गई हैं, हमें भेजी गई हैं और इस रिपोर्ट को तैयार करने में उनका समुचित ढंग से निपटान किया गया है।

   घ) इस रिपोर्ट में शामिल समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाए गए प्रासंगिक खाता बहियों के अनुरूप हैं।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

ङ) हमारी राय में, उपर्युक्त समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करते हैं।

च) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर.463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

छ) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया **"अनुलग्नक ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) सरकारी कंपनी होने के कारण, केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

झ) संशोधित कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 40 देखें।

(ii) समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर, यदि कोई हो, तो भौतिक पूर्वानुमानित हानियों के लिए लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक प्रावधान किए हैं। समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के लिए नोट संख्या 21.2 देखें। समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के पास कोई दीर्घकालिक व्युत्पन्न अनुबंध नहीं था।

(iii) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और भारत में निगमित उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

(iv) क) होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोट संख्या 45 में बताए गए के अलावा, उनमें से किसी ने भी विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को (चाहे उधार ली गई निधियों से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या निधियों के प्रकार से) अग्रिम या ऋण नहीं दिया है या निवेश नहीं किया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।

ख) धारक कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं और जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों को बताया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों में नोट संख्या 45 में बताए गए के अलावा, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था, जिसमें विदेशी संस्था ("फंडिंग पार्टियां") शामिल हैं, से कोई निधि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और भारत में निगमित संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत ऑडिट की गई है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगी या निवेश करेंगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेंगी।

ग) हमारे द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और भारत में निगमित सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखापरीक्षकों द्वारा निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की अधिनियम के तहत लेखापरीक्षा की गई है, हमारे या अन्य लेखापरीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखापरीक्षकों को यह विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उप–खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी भौतिक गलत विवरण है।

(v) जैसा कि समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण के नोट संख्या 2.2.15 में कहा गया है

क. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक होल्डिंग कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

ख. वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक होल्डिंग कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है।

ग. धारक कंपनी के निदेशक मंडल ने चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू सीमा तक है।

(vi) हमारी जांच और सहायक कंपनियों तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इसे पूरे वर्ष संचालित किया गया है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला।

चूंकि कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान 1 अप्रैल 2023 से लागू है, इसलिए रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल के संरक्षण पर कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षा के अनुसार तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, हमारी समीक्षा तथा सहायक कंपनियों एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षा का उत्तर
1.	क्या समूह के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ–साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	समूह सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए SAP S/4 हाना प्रणाली का उपयोग कर रहा है। हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आय बिलिंग को छोड़कर कोई भी लेखांकन लेनदेन आईटी सिस्टम के बाहर संसाधित नहीं किया गया है, जिसके लिए कोई वित्तीय निहितार्थ नहीं देखा गया।
2.	क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या समूह द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण समूह को ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि की छूट/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब–किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता समूह कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)।	नहीं, समूह के पास किसी मौजूदा ऋण के पुनर्गठन या समूह को किसी ऋणदाता द्वारा ऋण/उधार/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है। हालांकि, होल्डिंग कंपनी ने अपनी एक सहायक कंपनी इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड (आईपीबीटीएल) को ऋण दिया है। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, होल्डिंग कंपनी ने चालू वर्ष के लिए ब्याज माफ कर दिया है। हालांकि, होल्डिंग और सहायक कंपनी ने भारतीय लेखा मानक के अनुसार उचित मूल्यांकन के आधार पर अपने खातों में क्रमशः 16.31 करोड़ रुपये की ब्याज आय और ब्याज व्यय दर्ज किया है।
3.	क्या केन्द्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से किसी विशिष्ट योजना के लिए समूह को कोई धनराशि प्राप्त/प्राप्त होने योग्य नहीं है।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फॉर्म पंजीकरण संख्या: 001770सी

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य संख्या:072867
यूडीआईएन: 24072867BKHCUF7558

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 21 मई 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम दिनांक की रिपोर्ट का "अनुलग्नक क"

हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

3(xxi)कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 (सीएआरओ 2020) के संबंध में, समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट ने निम्नलिखित खंडों में अपनी टिप्पणियां दी हैं:

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनी का नाम	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	धारक कंपनी / सहायक/सहयोगी/ संयुक्त उद्यम।	कंपनी की सीएआरओरिपोर्ट की धारा संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है।
1.	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	U45400DL2009GOI194792	सहायक कंपनी	खण्ड सं 3(vii)(क)
2.	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000729	संयुक्त उद्यम	खण्ड सं 3(xvii)
3.	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	U45203CT2013GOI000768	संयुक्त उद्यम	खण्ड सं 3(i)(ग)
4.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	L45203DL1976GOI008171	धारक कंपनी	खण्ड सं 3(i)(ग)

समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में शामिल निम्नलिखित एक (1) संयुक्त उद्यम कंपनी की रिपोर्ट संबंधित लेखा परीक्षक द्वारा भारतीय लेखा मानक समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि तक जारी नहीं की गई है।

क्र. सं.	समेकित वित्तीय विवरण में शामिल कंपनी का नाम	कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
1.	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	U45204DL2012GOI234292
2.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फॉर्म पंजीकरण संख्या: 001770सी

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य संख्या:072867
यूडीआईएन: 24072867BKHCUF7558

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 21 मई 2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सम दिनांक की रिपोर्ट का "अनुलग्नक ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2024 तक इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (जिसे आगे ष्धारक कंपनीष कहा जाएगा) और इसकी सहायक कंपनियों (धारक कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को सामूहिक रूप से ''समूह'' कहा जाएगा) और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट किया है, जो उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए समूह और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ संयुक्त है। हमने इसकी ग्यारह सहायक कंपनियों और सात संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का ऑडिट नहीं किया, जिनमें से दो संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ उस तिथि तक ऑडिट नहीं की गई हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की उत्तरदायित्व

धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, के संबंधित निदेशक मंडल, होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनी तथा संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंडों के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (''आईसीएआई'') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जिसमें संबंधित समूह की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करें। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग के लिए लागू सीमा तक है। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और उसे निष्पादित करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हुए थे।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई भौतिक कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के भौतिक गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर होल्डिंग कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और होल्डिंग कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण ों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) होल्डिंग कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर एक भौतिक प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के सदस्यों को

मत

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, धारक कंपनी और उसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो भारत में निगमित हैं, के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2024 तक प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए होल्डिंग कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर था। हालांकि, 31.03.2024 तक पहचाने गए निम्नलिखित क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण को और मजबूत करने की आवश्यकता है जैसा कि होल्डिंग कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की हमारी जांच और उनके द्वारा ऑडिट की गई संस्थाओं के संबंध में अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

क) धारक कंपनी के पास एक एकीकृत ईआरपी सिस्टम है जिसका उपयोग इसकी पूरी क्षमता पर नहीं किया गया था। संयुक्त रूप से नियंत्रित कुछ संस्थाओं ने मैन्युअल हस्तक्षेप के साथ वित्तीय खातों की तैयारी के लिए टैली ईआरपी सिस्टम का उपयोग किया है। इसके अलावा, एकीकरण समर्थन के साथ परियोजनाओं के चालान बनाने के लिए एसएपी प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल (पीएस) की आवश्यकता होती है।

ख) धारक कंपनी की कुछ इकाइयों में इन्वेंट्री रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है और एसएपी में इन्वेंट्री मैनुअल पर विचार किया जा रहा है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अन्य मामले

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक यह ग्यारह लेखापरीक्षित सहायक कंपनियों, सात संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, जिनमें से दो गैर–लेखापरीक्षित संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां हैं जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, क्रमशः उनके अन्य लेखा परीक्षकों की संबंधित रिपोर्टों और प्रबंधन प्रमाणपत्र पर आधारित है (समेकित भारतीय लेखा परीक्षकों की वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अन्य मामलों पर पैराग्राफ का भी संदर्भ लें)।

हमने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में लागू लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में पहचाने गए क्षेत्रों पर विचार किया है और ऊपर रिपोर्ट की है और ये क्षेत्र कंपनी के समेकित भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करते हैं।

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 001770सी

ह./–
संजय अग्रवाल
(भागीदार)
सदस्य संख्या:072867
यूडीआईएन: 24072867BKHCUF7558

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 21 मई 2024

समेकित तुलन–पत्र

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण		नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
I.	**संपत्ति**			
1	**गैर–चालू संपत्ति**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	209.01	201.00
	(ख) पूंजीगत कार्य–प्रगति	4	548.91	8.47
	(ग) निवेश संपत्ति	5	543.07	552.31
	(घ) अमूर्त संपत्ति	6	977.53	1,067.42
	(ङ) विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	7	-	10.40
	(च) उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति	8	6.59	4.40
	(छ) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखा–जोखा	9	864.50	824.17
	(ज) वित्तीय संपत्ति	10		
	(i) निवेश	10.1	125.19	125.20
	(ii) ऋण	10.2	0.44	0.52
	(iii) अन्य	10.3	1,444.81	1,355.60
	(झ) आस्थगित कर संपत्ति (निवल)	11	119.52	109.40
	(ञ) अन्य गैर–चालू संपत्ति	12	606.57	133.43
	कुल गैर - चालू संपत्तियां		**5,446.14**	**4,392.32**
2	**चालू संपत्ति**			
	(क) सूची	13	237.44	188.98
	(ख) वित्तीय पूंजी	14		
	(i) निवेश	14.1	563.51	99.99
	(ii) व्यापार प्राप्य	14.2	803.33	863.83
	(iii) नकद और नकद समकक्ष	14.3	2,179.78	2,338.11
	(iv) अन्य बैंक शेष	14.4	2,804.55	2,784.45
	(v) ऋण	14.5	0.93	0.84
	(vi) अन्य	14.6	2,813.63	1,896.16
	(ग) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	15	72.54	164.87
	(घ) अन्य चालू परिसंपत्तियां	16	2,523.10	2,807.12
			11,998.81	11,144.35
	बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	17	-	0.71
	कुल चालू संपत्तियां		**11,998.81**	**11,145.06**
	कुल संपत्ति		**17,444.95**	**15,537.38**
II.	**इक्विटी और देयताएँ**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18	188.10	188.10
	(ख) अन्य इक्विटी	19	5,682.82	5,023.39
	मूल कंपनी के मालिकों के लिए इक्विटी		**5,870.92**	**5,211.49**
	गैर–नियंत्रित हित	19A	35.18	13.13
	कुल इक्विटी		**5,906.10**	**5,224.62**

समेकित तुलन–पत्र

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
2 **देयताएँ**			
(i) गैर–चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ	20		
(i) ऋण	20.1	2,456.68	1,440.33
(ii) पट्टा देयताएँ	20.2	2.52	0.42
(iii) व्यापार देयताएँ	20.3		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	20.4	777.42	681.10
(ख) प्रावधान	21	221.96	148.57
(ग) अन्य गैर–चालू देयताएँ	22	957.31	776.95
कुल गैर–चालू देयताएं		**4,415.89**	**3,047.37**
(ii) चालू देयताएँ			
(क) वित्तीय देयताएँ	23		
(i) उधार	23.1	110.48	63.88
(ii) लीज़ देयताएँ	23.2	0.72	0.09
(iii) व्यापार देयताएँ	23.3		
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		6.36	13.18
– सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		881.05	842.21
(iv) अन्य वित्तीय देयताएँ	23.4	3,094.25	2,722.31
(ख) अन्य चालू देयताएँ	24	2,654.82	3,287.58
(ग) प्रावधान	21	308.72	299.19
(घ) चालू कर देयता (निवल)	25	66.56	36.95
कुल चालू देयताएँ		**7,122.96**	**7,265.39**
कुल इक्विटी और देयताएँ		**17,444.95**	**15,537.38**
III. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2		
IV. वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 - 48		

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्म रजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**राजस्वः**			
	परिचालन से राजस्व	26	12,330.91	10,367.93
II.	अन्य आय	27	539.61	381.96
III.	**कुल आय (I + II)**		**12,870.52**	**10,749.89**
IV.	ययः			
	उपभोग की गई सामग्री और भंडार	28 (i)	533.61	392.29
	(वृद्धि) / डब्ल्यूआईपी में कमी	28 (ii)	(39.12)	51.37
	परियोजना व्यय	28 (iii)	10,490.11	8,887.18
	कर्मचारी लाभ व्यय	29	326.80	284.12
	वित्त लागत	30	148.40	118.08
	मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	31	100.43	107.46
	अन्य व्यय	28 (iii)	95.38	49.83
	कुल व्यय (IV)		**11,655.61**	**9,890.33**
V.	असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (III – IV)		1,214.91	859.56
VI.	असाधारण मदें		-	-
VII.	संयुक्त उद्यमों के लाभ / (हानि) में हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया गया		46.22	31.44
VIII.	कर से पहले लाभ (V + VI + VII)		1,261.13	891.00
IX	**कर व्ययः**			
	(1) चालू कर	11		
	– अवधि के लिए		339.19	241.28
	– पिछले वर्षों के लिए (निवल)		2.55	(78.64)
	(2) आस्थगित कर (निवल)		(10.12)	(36.87)
	कुल कर व्यय		**331.62**	**125.77**
X	**निरंतर संचालन से वर्ष के लिए लाभ (VIII – IX)**		**929.51**	**765.23**
XI	**अन्य व्यापक आय**	**32**		
	क. वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
	(i) परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर निवल बीमांकिक लाभ / (हानि)		1.75	1.92
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर निवल बीमांकिक लाभ / (हानि) से संबंधित आयकर		(0.44)	(0.48)
	(ii) इक्विटी पद्धति (कर के बाद निवल) का उपयोग करके हिसाब में लिए गए संयुक्त उद्यमों के अन्य व्यापक आय / (व्यय) का हिस्सा		(0.01)	(0.03)
	ख. वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
	(i) वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर विदेशी परिचालनों का विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर		(2.44)	12.90
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (व्यय), आयकर के बाद		0.61	(3.25)
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय / (व्यय), आयकर से मुक्त		**(0.53)**	**11.06**

(₹ करोड़ में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
XII	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X + XI) (वर्ष के लिए लाभ और अन्य व्यापक आय को शामिल करते हुए)**		**928.98**	**776.29**
XIII	लाभ जिसके लिए जिम्मेदार है:			
	मूल कंपनी के मालिक		929.57	765.23
	गैर–नियंत्रक हित		(0.06)	-
XIV	अन्य व्यापक आय जिसके लिए जिम्मेदार है:			
	मूल कंपनी के मालिक		(0.53)	11.06
	गैर–नियंत्रक हित		-	-
XV	कुल व्यापक आय जिसके लिए जिम्मेदार है			
	मूल कंपनी के मालिक		929.04	776.29
	गैर–नियंत्रक हित		(0.06)	-
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय जिसके लिए जिम्मेदार है:**			
	(निरंतर संचालन के लिए)			
	(1) मूल (₹ में)	38	9.88	8.14
	(2) पतला (₹ में)		9.88	8.14
	प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹ में)		2.00	2.00
XVII	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश	2		
XVIII	वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स	1 - 48		

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार

कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीईएस सं. 8874

नकदी प्रवाह का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
कर निर्धारण से पहले निवल लाभ		1,261.13	891.00
इसके लिए समायोजन:			
वित्तीय साधनों को बंद करने पर ब्याज (निवल)		-	0.09
वित्तीय साधनों का परिशोधन (निवल)		-	0.01
वित्त लागत		145.09	112.67
मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि		100.43	107.46
संपत्तियों की बिक्री पर लाभ (निवल)		(0.33)	(2.44)
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ		(27.64)	(0.32)
संयुक्त उद्यमों के लाभ/(हानि) में हिस्सा		(46.22)	(31.44)
ब्याज आय		(422.46)	(318.41)
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ		(2.71)	-
विनिमय लाभ/हानि का लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकरण		13.04	-
विदेशी मुद्रा नकदी और नकद समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव		14.39	(3.74)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**(1)**	**1,034.72**	**754.88**
इसके लिए समायोजन:			
व्यापार प्राप्य में कमी / (वृद्धि)		60.50	(168.64)
इन्वेंट्री में कमी / (वृद्धि)		(48.47)	70.53
ऋण, अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)		(926.06)	(1,101.15)
व्यापार देय में (कमी) / वृद्धि		32.02	(171.83)
अन्य देयताओं, वित्तीय देयताओं और प्रावधानों में (कमी) / वृद्धि		(144.62)	412.29
	(2)	**(1,026.63)**	**(958.80)**
परिचालन से उत्पन्न नकदी	**(1+2)**	**8.09**	**(203.92)**
भुगतान किया गया आयकर		**(86.64)**	**(74.00)**
परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी	**(क)**	**(78.55)**	**(277.92)**
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
सीडब्ल्यूआईपी सहित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की खरीद		(844.59)	(64.79)
व्यवहार्यता अंतर निधि प्राप्त		112.35	-
अमूर्त संपत्तियों और विकास के तहत अमूर्त संपत्तियों का अधिग्रहण		(3.71)	(34.97)
निवेश संपत्ति की खरीद / आय		(2.58)	(9.54)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्तियों की बिक्री		40.07	2.05
म्यूचुअल फंड की बिक्री		7,975.66	81.56
म्यूचुअल फंड की खरीद		(8,507.31)	(81.24)
सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद		(1.51)	-
प्राप्त ब्याज		418.17	282.27
संयुक्त उद्यम कंपनियों से प्राप्त लाभांश		69.50	69.00
संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश		(63.62)	(166.19)
बांड का मोचन		100.00	50.00
नकदी और नकद समकक्षों के अलावा बैंक बैलेंस		2.08	1,449.80
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी	**(ख)**	**(705.49)**	**1,577.95**
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
गैर–नियंत्रित ब्याज (निवल) से भुगतान		22.11	12.00
गैर–वर्तमान उधार से आय		1,132.06	165.32
गैर–वर्तमान उधार की चुकौती		(69.09)	(60.12)
लीज देनदारियों का भुगतान		(0.87)	(0.01)
अंतिम लाभांश का भुगतान		(112.86)	(61.13)
अंतरिम लाभांश का भुगतान		(169.29)	(169.29)
वित्त लागत का भुगतान		(161.45)	(110.20)
अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान		(0.51)	-
वित्तीय गतिविधियों से प्राप्त निवल नकदी	**(ग)**	**640.10**	**(223.43)**
विदेशी मुद्रा नकदी और नकदी समकक्षों के अनुवाद पर विनिमय अंतर का प्रभाव	(घ)	(14.39)	3.74

(₹ करोड़ में)

विवरण		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि / (कमी)	**(क+ख+ग+घ)**	**(158.33)**	**1,080.34**
नकद और नकद समकक्ष (प्रारंभिक) (नीचे नोट 2, 4, 5 देखें)	**(ङ)**	**2,338.11**	**1,257.77**
नकद और नकद समकक्ष (समापन) (नीचे नोट 2, 4, 5 देखें)	**(च)**	**2,179.78**	**2,338.11**
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल वृद्धि / (कमी)	**(ङ – च)**	**(158.33)**	**1,080.34**

नोट:

1. उपरोक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) – 7 में नकदी प्रवाह विवरण पर निर्धारित ष्अप्रत्यक्ष विधिष के तहत तैयार किया गया है।
2. उपरोक्त समेकित नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समकक्षों और नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
हाथ में नकदी	0.05	0.09
ट्रांजिट में धन प्रेषण	-	13.61
बैंकों के पास शेष राशि:		
– चालू खातों पर	619.78	417.51
– फ्लेक्सी खाते	526.44	282.84
– 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	1,033.51	1,624.06
तुलन पत्र और समेकित नकदी प्रवाह विवरण के अनुसार कुल नकदी और नकदी समकक्ष	**2,179.78**	**2,338.11**

3. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण*	पट्टा देयताएं
1 अप्रैल 2022 तक	**1,399.11**	**0.16**
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	105.20	(0.01)
(ख) गैर–नकद परिवर्तन के कारण:		
लीज देनदारियों में वृद्धि	-	0.34
लीज देनदारियों पर ब्याज लागत	-	0.02
उधार पर अर्जित ब्याज (भुगतान किए गए ब्याज का निवल)	0.05	-
31 मार्च 2023 तक	**1,504.36**	**0.51**
(क) वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	1,062.97	(0.87)
(ख) गैर नकदी परिवर्तन के कारण:		
लीज देनदारियों में वृद्धि		3.32
लीज देनदारियों पर ब्याज लागत	-	0.28
उधार पर अर्जित ब्याज (भुगतान किए गए ब्याज का निवल)	0.08	-
31 मार्च 2024 तक	**2,567.41**	**3.24**

* इसमें गैर–वर्तमान उधारों की वर्तमान परिपक्वता और उस पर अर्जित ब्याज शामिल है, नोट 20.1, नोट 23.1 और नोट 23.4 देखें

4. पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है और जहाँ भी लागू हो, पुनः प्रस्तुत किया गया है।
5. नोट 14.4 और 14.3 में निर्धारित और प्रतिबंधित शेष राशि का उल्लेख किया गया है।
6. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े नकदी के बहिर्वाह को दर्शाते हैं।

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्म रजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशी
01 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**188.10**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**188.10**
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**188.10**

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन रिजर्व	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण का अनुवाद करने पर विनिमय मतभेद	
1 अप्रैल, 2022 तक शेष राशि	**3,284.64**	**1,188.40**	**4.93**	**(0.45)**	**4,477.52**
वर्ष के लिए लाभ	–	765.23	–	–	**765.23**
अन्य व्यापक आय					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	–	1.44	–	–	**1.44**
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	–	(0.03)	–	–	**(0.03)**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके	–	–	–	9.65	**9.65**
विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	**–**	**766.64**	**–**	**9.65**	**776.29**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	–	(230.42)	–	–	**(230.42)**
भुगतान किए गए लाभांश	**3,284.64**	**1,724.62**	**4.93**	**9.20**	**5,023.39**

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	भंडार एवं अधिशेष			अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित कमाई	पूंजी मोचन रिजर्व	विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरण का अनुवाद करने पर विनिमय मतभेद	
1 अप्रैल, 2023 तक शेष राशि	**3,284.64**	**1,724.62**	**4.93**	**9.20**	**5,023.39**
वर्ष के लिए लाभ	–	929.57	–	–	**929.57**
अन्य व्यापक आय					
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	–	1.31	–	–	**1.31**
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	–	(0.01)	–	–	**(0.01)**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके हिसाब में लिया गया विदेशी मुद्रा अनुवाद अंतर	–	–	–	(1.82)	**(1.82)**
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	–	–	–	13.04	**13.04**
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**–**	**930.87**	**–**	**11.22**	**942.09**
अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान	–	(0.51)	–	–	**(0.51)**
भुगतान किए गए लाभांश	–	(282.15)	–	–	**(282.15)**
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	**3,284.64**	**2,372.83**	**4.93**	**20.42**	**5,682.82**

हमारी संलग्न दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार
कृते रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्म रजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

कृते निदेशक मंडल की ओर से
ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174कृतेकृते

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीएस सं. 8874

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

1. समूह सूचना

समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (''कंपनी'' या ''होल्डिंग कंपनी'') और इसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (सामूहिक रूप से ''समूह'' के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरण शामिल हैं। होल्डिंग कंपनी एक सार्वजनिक क्षेत्र की निर्माण कंपनी है, जिसका जोर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर है, जिसका मुख्यालय भारत में है (सीआईएन: L45203DL 1976 GOI008171) और इसे कंपनी अधिनियम के प्रावधान के तहत शामिल किया गया है, जिसमें टर्नकी आधार पर और अन्यथा रेलवे परियोजनाओं के निष्पादन में विशेषज्ञता है। रेलवे निर्माण समूह के रूप में व्यवसाय शुरू करने के बाद, इसने अपनी सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों (''समूह'') के साथ सड़कों, भवनों, विद्युत सबस्टेशन और वितरण, हवाई अड्डे के निर्माण, वाणिज्यिक परिसरों के साथ–साथ मेट्रो रेल कार्यों में उत्तरोत्तर विविधता लाई। होल्डिंग कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या सी–4, जिला केंद्र, साकेत, नई दिल्ली–110017, भारत में स्थित है और होल्डिंग कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई में सूचीबद्ध हैं।

समूह की प्रस्तुति और कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए (आईएनआर) है। वित्तीय विवरणों में आंकड़े करोड़ में प्रस्तुत किए जाते हैं, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर दो दशमलव तक पूर्णांकित करके और जैसा कि अन्यथा कहा गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 21 मई, 2024 को आयोजित उनकी बैठक में जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

2. सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 तैयारी का आधार

(i) अनुपालन विवरण

समूह के समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन की प्रोद्भव प्रणाली का अनुसरण करते हुए चालू व्यवसाय के आधार पर तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) शामिल हैं, जिन्हें कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (समय–समय पर संशोधित) के नियम 3 के साथ पढ़ा जाए तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II की प्रस्तुति आवश्यकताएं (इंड एएस अनुसूची III के अनुरूप), जो समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू हैं।

(ii) माप का आधार

समेकित वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत तैयार किया गया है, सिवाय निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है:

- प्रावधान, जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है
- कुछ वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां उचित मूल्य पर मापी जाती हैं
- परिभाषित लाभ योजनाएं और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समेकन का आधार

क) समेकित वित्तीय विवरण में 31 मार्च 2024 तक समूह के वित्तीय विवरण शामिल हैं। नियंत्रण तब प्राप्त होता है जब समूह के पास:

- निवेशिती पर अधिकार (अर्थात, मौजूदा अधिकार जो उसे निवेशिती की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने की वर्तमान क्षमता देते हैं)
- निवेशिती के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न के लिए जोखिम, या अधिकार, और
- निवेशिती पर अपने अधिकार का उपयोग करके उसके रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता

ख) समेकित वित्तीय विवरण समान लेन–देन और समान परिस्थितियों में अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। यदि समूह की कोई सहायक कंपनी समान परिस्थितियों में समान लेन–देन और घटनाओं के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में अपनाई गई लेखांकन नीतियों के अलावा अन्य लेखांकन नीतियों का उपयोग करती है, तो समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करते समय उस समूह सदस्य के वित्तीय विवरणों में उचित समायोजन किए जाते हैं।

ग) समेकन के प्रॉपोजल के लिए सभी आधारों के वित्तीय विवरण, गुड़गांव के समान अंतिम तिथि तक कंपनी तैयार हो जाती है, यानी 31 मार्च को समाप्त वर्ष तक।

घ) निम्नलिखित के लिए समेकित प्रक्रियारू

i) सहायक कंपनियां

- मूल कंपनी की परिसंपत्तियों, देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह की समान मदों को उसकी सहायक कंपनियों के साथ मिलाएँ। इस उद्देश्य के लिए, सहायक कंपनी की आय और व्यय अधिग्रहण तिथि पर समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा पर आधारित हैं।
- प्रत्येक सहायक कंपनी में मूल कंपनी के निवेश की अग्रणीत राशि और प्रत्येक सहायक कंपनी की इक्विटी में मूल कंपनी के हिस्से की भरपाई (समाप्त) करना।
- समूह की संस्थाओं के बीच लेन–देन से संबंधित इंट्राग्रुप परिसंपत्तियों और देनदारियों, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह को पूरी तरह से समाप्त करें (इंट्राग्रुप लेनदेन से होने वाले लाभ या हानि जो परिसंपत्तियों में पहचाने जाते हैं, जैसे कि इन्वेंट्री और अचल संपत्तियां, पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं)। इंट्राग्रुप घाटे एक हानि का संकेत दे सकते हैं जिसके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता की आवश्यकता होती है।
- लाभ या हानि तथा अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक को समूह की मूल कंपनी के इक्विटी धारकों तथा गैर–नियंत्रक हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसके परिणामस्वरूप गैर–नियंत्रक हितों में घाटा शेष हो। जब आवश्यक हो, तो सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

में समायोजन किया जाता है ताकि उनकी लेखा नीतियों को समूह की लेखा नीतियों के अनुरूप बनाया जा सके। समूह के सदस्यों के बीच लेन–देन से संबंधित सभी अंतर–समूह परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ, इक्विटी, आय, व्यय और नकदी प्रवाह समेकन पर पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं।

किसी सहायक कंपनी के स्वामित्व हित में परिवर्तन, नियंत्रण की हानि के बिना, इक्विटी लेनदेन के रूप में गिना जाता है।

ii) संयुक्त व्यवस्था

भारतीय लेखा मानक 111 संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत, संयुक्त व्यवस्थाओं में निवेश को संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था की कानूनी संरचना के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है। होल्डिंग कंपनी के पास संयुक्त संचालन और संयुक्त उद्यम दोनों हैं।

- संयुक्त संचालन: समूह संयुक्त संचालन की परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय पर अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और किसी भी संयुक्त रूप से धारित या व्यय की गई परिसंपत्तियों, देनदारियों, राजस्व और व्यय में अपने हिस्से को मान्यता देता है। इन्हें उचित शीर्षकों के तहत स्टैंडएअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है।
- संयुक्त उद्यमरू संयुक्त उद्यमों में हितों को समेकित वित्तीय स्थिति विवरण में प्रारंभिक रूप से लागत पर मान्यता दिए जाने के बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाबद्ध किया जाता है।

ङ) इक्विटी विधि

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, निवेशों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशिती के अधिग्रहण के बाद के लाभ या हानि में समूह के हिस्से को पहचानने के लिए समायोजित किया जाता है, और अन्य व्यापक आय में निवेशिती की अन्य व्यापक आय में समूह के हिस्से को पहचाना जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों से प्राप्त या प्राप्य लाभांश को निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में मान्यता दी जाती है।

जब इक्विटी–अकाउंटेड निवेश में समूह का घाटा किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्तियों सहित इकाई में उसके हित के बराबर या उससे अधिक होता है, तो समूह तब तक आगे के घाटे को मान्यता नहीं देता है, जब तक कि उसने अन्य इकाई की ओर से दायित्व नहीं उठाए हों या भुगतान नहीं किया हो। यदि निवेशित व्यक्ति बाद में लाभ की रिपोर्ट करता है, तो समूह उन लाभों में से अपने हिस्से को तभी मान्यता देना शुरू करता है, जब लाभ में उसका हिस्सा मान्यता प्राप्त न किए गए घाटे के हिस्से के बराबर हो जाता है।

इक्विटी लेखाकृत निवेशों की अग्रणीत राशि की हानि नीति के अनुसार हानि के लिए जांच की जाती है।

2.2 सामग्री लेखांकन नीतियों का सारांश

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों में सुसंगत रूप से लागू किया गया है।

2.2.1 चालू बनाम गैर–चालू वर्गीकरण

प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और नकदी तथा नकदी समकक्षों में उनकी प्राप्ति के बीच लगने वाले समय के आधार पर, समूह ने बैलेंस शीट में अपनी परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र के रूप में बारह महीने का निर्धारण किया है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.2.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को शुरू में उनकी लागत पर बताया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु की लागत में शामिल हैं:

क) आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद करों सहित इसका क्रय मूल्य, व्यापार छूट और रियायतों को घटाने के बाद;

ख) परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार लागत जो परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति में लाने में खर्च की जाती है।

ग) निर्माण अवधि के दौरान आकस्मिक व्यय को अप्रत्यक्ष निर्माण लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, इस सीमा तक कि व्यय सीधे निर्माण से संबंधित है या उससे संबंधित है।

घ) वस्तुओं को हटाने और हटाने और साइट को उस मूल स्थिति में बहाल करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य, जिस पर यह स्थित है, यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ली जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को बाद में संचित मूल्यह्रास और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, के निवल लागत पर मापा जाता है। बाद की लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि में शामिल किया जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, जैसा कि उचित हो, केवल तभी जब यह संभावना हो कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे और आइटम की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापन, प्रमुख निरीक्षण, दीर्घकालिक निर्माण परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत को पूंजीकृत किया जाता है यदि मान्यता मानदंड पूरे होते हैं।

मूल्यह्रास की गणना संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की लागत में से उनके अनुमानित अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर की जाती है और इसे लाभ और हानि के विवरण में लगाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास, फ्रीहोल्ड भूमि और स्थायी पट्टे पर अर्जित लीजहोल्ड भूमि को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग के तहत निर्दिष्ट परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर प्रदान किया जाता है। हालाँकि, परिसंपत्तियों के कुछ वर्ग के मामले में, समूह कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न उपयोगी जीवन का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

करता है। उपयोगी जीवन का आकलन तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर किया गया है, जिसमें उन परिसंपत्तियों के वर्गों की प्रकृति, परिसंपत्ति से आर्थिक लाभ प्राप्त करने के प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोग शामिल है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार अनुमानित उपयोगी जीवन का खुलासा खातों में किया गया है। अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्तियों की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद के प्रत्येक भाग का अलग से मूल्यह्रास किया जाता है, यदि भाग की लागत मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है और उस भाग का उपयोगी जीवन शेष परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन से भिन्न है।

इस अवधि के दौरान अधिग्रहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण, जिनकी कीमत अलग–अलग ₹5000/– तक है, उनका पूर्ण मूल्यह्रास किया जाता है, पहचान के लिए टोकन मूल्य के रूप में 1 रुपया रखा जाता है। हालांकि, कर्मचारियों को दिए गए मोबाइल फोन को उसके मूल्य की परवाह किए बिना लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधियों, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.3 प्रगति पर पूंजीगत कार्य

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण जो रिपोर्टिंग तिथि पर अपने इच्छित उपयोग के लिए अभी तक तैयार नहीं हैं, उन्हें "प्रगतिशील पूंजी कार्य" के रूप में दर्शाया जाता है। प्रगतिशील पूंजी कार्य को लागत में से संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर किया जाता है। लागत में प्रत्यक्ष लागत और संबंधित आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

2.2.4 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्ति में पूर्ण संपत्ति, निर्माणाधीन संपत्ति और पट्टे पर रखी गई संपत्ति शामिल है। निवेश संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें लेनदेन लागत शामिल है। इसके बाद निवेश संपत्तियों को लागत में से संचित मूल्यह्रास और संचित हानि, यदि कोई हो, घटाकर दर्शाया जाता है। मान्यता मानदंड पूरा होने पर बाद की लागत जोड़ी जाती है।

समूह मूल खरीद/निर्माण पूरा होने की तिथि से 60 वर्षों में सीधी रेखा के आधार पर निवेश संपत्ति के निर्माण घटक का मूल्यह्रास करता है। स्थायी पट्टे पर ली गई भूमि का परिशोधन नहीं किया जाता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

हालांकि समूह लागत–आधारित माप का उपयोग करके निवेश संपत्ति को मापता है, निवेश संपत्ति का उचित मूल्य नोटों में प्रकट किया जाता है। उचित मूल्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य मूल्यांकन मॉडल को लागू करने वाले मान्यता प्राप्त बाहरी स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किए गए वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.5 अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्तियों को शुरू में लागत पर मापा जाता है। बैलेंस शीट की तिथि पर इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं होने वाली अमूर्त संपत्तियों को "अमूर्त संपत्तियों के विकास के तहत" के रूप में प्रकट किया जाता है।

इसके बाद, अमूर्त संपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर रखा जाता है। प्रत्येक मामले में ₹1 लाख तक की सॉफ़्टवेयर लागत को पहचान के लिए टोकन मूल्य के रूप में ₹1 रखकर खरीद की अवधि में पूरी तरह से परिशोधित किया जाता है।

पूंजीकृत सॉफ़्टवेयर की लागत उसके अधिग्रहण की तिथि से 36 महीने की अवधि में परिशोधित की जाती है। अवशिष्ट मूल्य संपत्ति की मूल लागत के 5% से अधिक नहीं है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

टोल संग्रह अधिकार (टोल रोड सेवा रियायत व्यवस्था)

सेवा रियायत व्यवस्था (एससीए) में निर्माण या उन्नयन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त टोल संग्रह अधिकार, समूह द्वारा किए गए बिल्ड–ऑपरेट–ट्रांसफर ("बीओटी") परियोजना के संबंध में रियायत अवधि के दौरान टोल राजस्व एकत्र करने के अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

प्रारंभिक मान्यता पर टोल संग्रह अधिकारों को लागत (जो वितरित निर्माण सेवाओं के लिए प्राप्त प्रतिफल का उचित मूल्य है) पर मापा जाता है, जो व्यवहार्यता जीएपी फंडिंग (वीजीएफ) से निवल है।

टोल संग्रह अधिकारों को सभी मामलों में परियोजना के पूरा होने पर अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में पूंजीकृत किया जाता है और जब समूह को रियायत समझौते में निर्दिष्ट प्राधिकरण से पूर्णता प्रमाण पत्र (अनंतिम या अंतिम) प्राप्त होता है, तो संचयी निर्माण लागत पर। परियोजना के पूरा होने तक, इसे विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत मान्यता दी जाती है।

इसके बाद, टोल संग्रह अधिकारों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि हानि, यदि कोई हो, घटाकर ले जाया जाता है।

सेवा रियायत व्यवस्था में अमूर्त परिसंपत्ति का अनुमानित उपयोगी जीवन वह अवधि है, जहां से समूह रियायत अवधि के अंत तक बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए जनता से शुल्क लेने में सक्षम होता है।

टोल संग्रहण अधिकारों का परिशोधन सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करते हुए आनुपातिक आधार पर, जोड़ने की तिथि से या अधिकार को सेवा में लाने की तिथि से लेकर रियायत अवधि की समाप्ति तक किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधन विधियों और उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति के अग्रणीत मूल्य की हानि की समीक्षा वार्षिक रूप से या अधिक बार बाह्य मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा की जाती है, यदि घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह संकेत मिलता है कि अग्रणीत मूल्य वसूली योग्य नहीं हो सकता है।

निपटान पर लाभ और हानि का निर्धारण आय की तुलना वहन राशि से करके किया जाता है। इन्हें अन्य लाभ/(हानि) के भीतर लाभ या हानि के विवरण में शामिल किया जाता है।

2.2.6 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह अपनी गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या हानि का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है ताकि हानि की सीमा (यदि कोई हो) निर्धारित की जा सके।

यदि ऐसी परिसंपत्तियों को क्षतिग्रस्त माना जाता है, तो लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त क्षति को उस राशि से मापा जाता है जिससे परिसंपत्तियों का अग्रणीत मूल्य परिसंपत्ति की अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो।

2.2.7 इन्वेंटरी

इन्वेंटरी का मूल्यांकन लागत और निवल वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर किया जाता है। लागत का निर्धारण पहले आओ, पहले पाओ (एफआईएफओ) के आधार पर किया जाता है।

भविष्य की अनुबंध गतिविधियों के लिए किए गए निर्माण लागत को परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि वे अनुबंध अवधि के दौरान वसूल हो जाएंगे और इन्वेंटरी के तहत निर्माण कार्य–प्रगति के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे।

ढीले औजारों को खरीद की अवधि में व्यय किया जाता है।

2.2.8 राजस्व मान्यता

समूह निर्माण उद्योग में काम करता है और यह मुख्य रूप से इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ('ईपीसी') व्यवसाय से राजस्व अर्जित करता है। ग्राहकों के साथ अनुबंध रेलवे निर्माण, सड़क और राजमार्गों के निर्माण, वाणिज्यिक और आवासीय भवनों के निर्माण, विद्युतीकरण कार्य और अन्य के हैं। इन अनुबंधों में कार्य के प्रकार में भू–तकनीकी जांच, स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, संसाधन–योजना, डीपीआर की तैयारी, निर्माण, इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, सामग्री की आपूर्ति, सिस्टम का पुनर्विकास, स्थापना, परियोजना प्रबंधन, संचालन और प्रबंधन आदि शामिल हैं (सामूहिक रूप से निर्माण से संबंधित सेवाएं कहा जाता है)। समूह ये निर्माण सेवाएं निश्चित–राशि टर्नकी आधार पर और लागत प्लस आधार पर प्रदान करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व की पहचान तब की जाती है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण ("प्रदर्शन दायित्व") ग्राहक को उस राशि पर हस्तांतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को दर्शाता है जिसकी समूह को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदारी मिलने की उम्मीद है ("लेनदेन मूल्य")।

क) निर्माण संबंधी सेवाओं से राजस्व

इनपुट विधि (अर्थात् पूर्णता का प्रतिशत विधि) का उपयोग करते हुए समय के साथ राजस्व की पहचान की जाती है, जो ग्राहक को नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ संगत है, क्योंकि समूह के प्रयास (अर्थात, व्यय की गई लागत) और ग्राहक को सेवा के हस्तांतरण के बीच सीधा संबंध है। इनपुट विधि के तहत, अनुबंध राजस्व को रिपोर्टिंग तिथि पर पूर्णता के चरण के संदर्भ में राजस्व के रूप में पहचाना जाता है। पूर्णता के चरण को प्रदर्शन दायित्व के कारण कुल अनुमानित लागत में आज तक व्यय की गई वास्तविक लागत के अनुपात के रूप में मापा जाता है। हालाँकि, जहाँ समूह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से मापने में सक्षम नहीं है, लेकिन समूह प्रदर्शन दायित्व को पूरा करने में व्यय की गई लागतों को वसूल करने की उम्मीद करता है, समूह केवल व्यय की गई लागतों की सीमा तक राजस्व को पहचानता है, जब तक कि वह प्रदर्शन दायित्व के परिणाम को उचित रूप से माप नहीं सकता। एक संचयी कैच–अप समायोजन उस अवधि में पहचाना जाएगा जिसमें समूह अपनी प्रगति को उचित रूप से मापने में सक्षम है। कुल अनुमानित अनुबंध लागतों में परिवर्तन, यदि कोई हो, उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें उन्हें अनुबंध स्तर पर मूल्यांकन के रूप में निर्धारित किया जाता है। ऐसे मामलों में जहां इनपुट विधि निष्पादन दायित्व की पूर्ति की दिशा में प्रगति को वास्तविक रूप से नहीं दर्शाती है, वहां राजस्व को पहचानने के लिए आउटपुट विधि का उपयोग किया जाता है।

प्रगति पर चल रहे अनुबंधों पर किसी भी अपेक्षित घाटे को, घाटे की पहचान की गई अवधि में, कुल मिलाकर लाभ और हानि विवरण में दर्ज किया जाता है।

राजस्व को लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जिसे प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किया जाता है और परिवर्तनीय विचारों के लिए समायोजित किया जाता है। लेनदेन मूल्य में परिवर्तनशीलता मुख्य

रूप से परिसमाप्त नुकसान, मूल्य परिवर्तन खंड, प्रोत्साहन, यदि कोई हो, के कारण उत्पन्न होती है। समूह परिवर्तनीय विचार के लिए राजस्व को तब मान्यता देता है जब यह संभावना होती है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की राशि में कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। समूह सबसे संभावित राशि पद्धति का उपयोग करके परिवर्तनीय विचार पर मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि का अनुमान लगाता है। नतीजतन, संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित राशि को राजस्व के रूप में, या राजस्व में कमी के रूप में, उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें लेनदेन मूल्य बदलता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

समूह अनुबंध को पूरा करने के लिए किए गए खर्चों से परिसंपत्ति को पहचानता है जैसे कि मोबिलाइजेशन के लिए नई परियोजनाओं पर प्रारंभिक अनुबंध व्यय जिसका उपयोग अनुबंध को पूरा करने में किया जाएगा और जिसकी वसूली होने की उम्मीद है। परिसंपत्ति को अनुबंध अवधि के दौरान एक व्यवस्थित आधार पर परिशोधित किया जाता है जो कि उस वस्तु या सेवा के नियंत्रण के ग्राहक को हस्तांतरण के अनुरूप होता है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है, अर्थात रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनुबंध के पूरा होने का चरण। साइट मोबिलाइजेशन व्यय उस सीमा तक जो लागत पर मूल्यांकित नहीं किया गया है

अनुबंध संशोधनों का लेखा तब किया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध मूल्य में कुछ जोड़ने, हटाने या बदलाव करने की स्वीकृति दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएँ अलग हैं या नहीं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडएअलोन बिक्री मूल्य पर है। जो सेवाएँ अलग नहीं हैं, उनका लेखा संचयी कैच–अप आधार पर किया जाता है, जबकि जो अलग हैं, उनका लेखा भावी रूप से किया जाता है, या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं का मूल्य स्टैंडएअलोन बिक्री मूल्य पर है, या मौजूदा अनुबंध की समाप्ति और एक नए अनुबंध के निर्माण के रूप में, यदि स्टैंडएअलोन बिक्री मूल्य पर मूल्य निर्धारण नहीं किया गया है।

ख) सेवा रियायत व्यवस्था

सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत वित्तीय परिसंपत्ति (इंडियन एएस 115 का परिशिष्ट सी – ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व)

समूह एक वित्तीय परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता देता है, जिसमें उसे निर्माण सेवाओं और संचालन व रखरखाव सेवाओं के लिए अनुदानकर्ता ("एनएचएआई") से या उसके निर्देश पर नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार होता है। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर और बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है। समूह एक ही ग्राहक के साथ एक ही समय में या उसके निकट किए गए दो या अधिक अनुबंधों को मिलाता है और अनुबंधों को एक एकल अनुबंध के रूप में हिसाब में लेता है, यदि अनुबंधों पर एक ही वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में बातचीत की जाती है या एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली प्रतिफल की राशि दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है या अनुबंधों में वादा किए गए सामान या सेवाएं एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

सेवा रियायत व्यवस्था के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्ति (इंडियन एएस 115 के परिशिष्ट ग – ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व)

सार्वजनिक से निजी व्यवस्था (पीपीए) के संबंध में, निर्मित–संचालित–हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर, अमूर्त परिसंपत्तियों अर्थात टोल/टैरिफ एकत्र करने के अधिकार को तब मान्यता दी जाती है, जब समूह को ऐसी सार्वजनिक सेवाओं के उपयोगकर्ताओं से टोल/टैरिफ वसूलने का अधिकार प्रदान किया गया हो।

टोल संग्रहण को टोल/उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण की अवधि में मान्यता दी जाती है जो कि बुनियादी ढांचे (सड़क) के उपयोग के साथ मेल खाती है, अर्थात समय के बिंदु पर।

अनुबंध राजस्व में अनुबंध में सहमत प्रारंभिक राशि और अनुबंध कार्य में कोई भी बदलाव शामिल है, जिस सीमा तक यह संभावना है कि वे राजस्व में परिणत होंगे और उन्हें विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। समूह ने समूह की ओर से टोल एकत्र करने के लिए तीसरे पक्ष के साथ एक निश्चित अनुबंध किया है। औसत मासिक सहमत प्रेषण के साथ तुलना करते समय पहचानी गई कमी के कारण तीसरे पक्ष से ली गई कोई भी वसूली निश्चित भाग से ऊपर परिवर्तनशील विचार के रूप में मानी जाती है और इसे राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावित होता है कि इससे राजस्व में परिणत होगा।

ग) अनुबंध शेष

अनुबंध परिसंपत्तियाँ: यदि समूह ग्राहक द्वारा प्रतिफल का भुगतान करने से पहले या भुगतान देय होने से पहले ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करके कार्य करता है, तो अर्जित प्रतिफल के लिए अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है जो सशर्त है। अंतिम अनुबंध निपटान तक ग्राहक द्वारा रखे गए भुगतानों के हिस्से को एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को अनुबंध के तहत निर्दिष्ट समूह के शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना होता है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

व्यापार प्राप्य: प्राप्य समूह के उस राशि के अधिकार को दर्शाता है जो बिना शर्त है (यानी, प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता है)। व्यापार प्राप्य को शुरू में लेनदेन मूल्य पर पहचाना जाता है क्योंकि उनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होते हैं। समूह अनुबंधित नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के उद्देश्य से व्यापार प्राप्य रखता है और इसलिए बाद में उन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापता है, जिसमें हानि भत्ता, यदि कोई हो, घटा दिया जाता है।

अनुबंध देयताएँ: यदि कोई ग्राहक समूह द्वारा ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करने से पहले प्रतिफल का भुगतान करता है, तो भुगतान किए जाने पर या भुगतान देय होने पर (जो भी पहले हो) अनुबंध देयता को मान्यता दी जाती है। अनुबंध देयताओं को राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है जब समूह अनुबंध के तहत प्रदर्शन करता है।

घ) अन्य परिचालन आय

- समूह की किराया आय मुख्य रूप से मशीनरी, अप्रयुक्त कार्यालय स्थान और निवेश संपत्तियों के पट्टे से उत्पन्न होती है। इन किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।
- अन्य परिचालन आय व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों से अर्जित आय को दर्शाती है और इसे तब मान्यता दी जाती है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

ङ) अन्य आय

- लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।
- ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

- विविध आय को तब मान्यता दी जाती है जब निष्पादन दायित्व पूरा हो जाता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार आय प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

2.2.9 सरकारी अनुदान

सरकार से अनुदान को उनके उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, जहाँ यह उचित आश्वासन हो कि अनुदान प्राप्त होगा और समूह सभी संलग्न शर्तों का अनुपालन करेगा। परिसंपत्ति की वहन राशि को मान्यता प्राप्त सरकारी अनुदान की राशि के लिए समायोजित किया जाता है।

2.2.10 ऋण लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं, जो समूह को निधियों के उधार लेने के संबंध में वहन करनी पड़ती हैं, तथा उन्हें उस अवधि में लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है, जिसमें वे वहन की जाती हैं, सिवाय इसके कि जब यह भारतीय लेखा मानक 23 के अनुसार अर्हक परिसंपत्तियों के भाग के रूप में पूंजीकरण के लिए मानदण्ड को पूरा करता हो।

2.2.11 कर

कर व्यय में चालू कर और आस्थगित आयकर शामिल हैं।

क) चालू आय कर

वर्तमान कर को अवधि के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है और प्रासंगिक कर विनियमों के अनुसार इसकी गणना की जाती है। वर्तमान आयकर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे या तो अन्य व्यापक आय या इक्विटी में मान्यता दी जाती है। प्रबंधन समय–समय पर उन स्थितियों के संबंध में कर रिटर्न में ली गई स्थितियों का मूल्यांकन करता है जिनमें लागू कर विनियम व्याख्या के अधीन होते हैं और जहां उपयुक्त हो वहां प्रावधान स्थापित करता है

वर्तमान कर परिसंपत्तियों और कर देनदारियों को उस स्थिति में समायोजित किया जाता है, जब समूह के पास समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार होता है और वह या तो निवल आधार पर निपटान करना चाहता है, या परिसंपत्ति की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करना चाहता है।

ख) आस्थगित कर

आस्थगित कर देयता पद्धति का उपयोग करके कर आधार और परिसंपत्तियों/देयताओं के लेखांकन आधार के अंतर पर उत्पन्न होने वाले अस्थायी कर योग्य/कटौती योग्य अंतर के लिए प्रदान किया जाता है और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित कर दरों या मूल रूप से अधिनियमित कर दरों पर मापा जाता है।

आस्थगित कर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, सिवाय उस सीमा तक जब यह लाभ या हानि के बाहर मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित हो, जिस स्थिति में इसे मान्यता दी जाती है (या तो अन्य व्यापक आय में या इक्विटी में)।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की वहन राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक घटा दी जाती है कि अब यह संभावना नहीं रह जाती है कि आस्थगित कर परिसंपत्ति के सभी या भाग का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना बन गई है कि भविष्य के कर योग्य लाभ से आस्थगित कर परिसंपत्ति की वसूली की जा सकेगी।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है जब वर्तमान कर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हो और जब स्थगित कर शेष एक ही कराधान प्राधिकरण से संबंधित हों।

2.2.12 विदेशी मुद्राएँ

कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

समूह की कार्यात्मक मुद्रा और प्रस्तुति मुद्रा भारतीय रुपए हैं।

लेन–देन और शेष

विदेशी मुद्रा लेन–देन को कार्यात्मक मुद्रा में प्रारंभिक मान्यता पर दर्ज किया जाता है, लेनदेन की तिथि पर कार्यात्मक मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर लागू करके।

रिपोर्टिंग तिथि पर बकाया विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को समापन दर (देयताओं के लिए समापन बिक्री दर और परिसंपत्तियों के लिए समापन खरीद दर) का उपयोग करके कार्यात्मक मुद्रा में रिपोर्ट किया जाता है। विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित गैर–मौद्रिक मदें जो ऐतिहासिक लागत पर रखी जाती हैं, उनका पुनर्अनुवाद नहीं किया जाता है और लेनदेन की तिथि पर विनिमय दर का उपयोग करके रिपोर्ट की जाती हैं।

मौद्रिक मदों पर विनिमय अंतर को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और निवल आधार पर प्रस्तुत किए जाते हैं।

विदेशी परिचालन

विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरण जिनकी कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपए से भिन्न है, उन्हें निम्नानुसार भारतीय रुपए में अनुवादित किया जाता है:

क) परिसंपत्तियों और देनदारियों (मौद्रिक और गैर–मौद्रिक दोनों) को बैलेंस शीट की तिथि पर समापन दर पर परिवर्तित किया जाता है;

ख) आय और व्यय को रिपोर्टिंग अवधि के लिए औसत विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है, जब तक कि विनिमय दर अवधि के दौरान काफी उतार–चढ़ाव न हो, ऐसी स्थिति में, लेनदेन की तिथियों पर विनिमय दरों का उपयोग किया जाता है; और

ग) सभी परिणामी विनिमय अंतरों को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और ऐसे विदेशी परिचालनों के निपटान पर लाभ और हानि के विवरण में बाद में पुनर्वर्गीकरण के लिए विदेशी मुद्रा अनुवाद रिजर्व के रूप में इक्विटी में संचित किया जाता है।

2.2.13 कर्मचारी लाभ

क) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ जैसे कि वेतन और मजदूरी, अल्पकालिक प्रतिपूर्ति अनुपस्थिति, और प्रदर्शन से संबंधित वेतन (पीआरपी) जो सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय होते हैं,

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

उन्हें अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसे लाभों की छूट रहित राशि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

ख) रोजगार के बाद के लाभ

परिभाषित अंशदान योजना: समूह के पास एक परिभाषित अंशदान कर्मचारी पेंशन योजना है। शुरू में इस योजना को एक अलग ट्रस्ट यानी इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना 2009, ट्रस्ट के माध्यम से संचालित किया गया था और बाद में इसे राष्ट्रीय पेंशन योजना में स्थानांतरित कर दिया गया। इस योजना के लिए किए गए योगदान को उस अवधि के लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जब योगदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना: ग्रेच्युटी, भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के प्रति समूह की देयता परिभाषित लाभ योजनाओं की प्रकृति की है।

ग्रेच्युटी का वित्तपोषण समूह द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन एम्प्लॉइज ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है। इस अवधि के लिए ग्रेच्युटी ट्रस्ट में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह पूर्व निर्धारित दरों पर मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट) को निश्चित अंशदान देता है, जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। इस अवधि के लिए निधि में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है। समूह का दायित्व इस प्रकार के निश्चित अंशदान करना तथा भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों को न्यूनतम दर पर प्रतिफल सुनिश्चित करना है। समूह के पास सेवानिवृत्ति–पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसका वित्तपोषण भी समूह द्वारा किया जाता है तथा इसका प्रबंधन एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट) द्वारा किया जाता है। इस अवधि के लिए चिकित्सा ट्रस्ट में किए गए अंशदान को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है तथा लाभ–हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह के निवल दायित्व को प्रत्येक योजना के लिए अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर अलग से मापा जाता है, जिसमें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिभाषित लाभ दायित्वों की भारित औसत परिपक्वता प्रोफ़ाइल के बराबर परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार उपज के आधार पर छूट दर का उपयोग किया जाता है। निवल आधार पर दायित्व को पहचानने के लिए योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत सकल दायित्व से घटाया जाता है।

यह गणना एक स्वतंत्र एक्चुअरी द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है, तथा यदि परिस्थितियां यह संकेत देती हैं कि ट्रस्ट सरकार द्वारा अधिसूचित ब्याज दरों को कवर करने के लिए पर्याप्त रिटर्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, तो यह गणना की जाती है।

पुनर्मापन, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानि शामिल है, योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल (निवल परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर निवल ब्याज में शामिल राशियों को छोड़कर) को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और प्रतिधारित आय में प्रतिबिंबित किया जाता है तथा इसे लाभ और हानि विवरण में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए पात्र नहीं माना जाता है।

ग) अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह बारह महीनों से आगे ले जाए जाने वाले अवकाश नकदीकरण और अवकाश यात्रा रियायत को मापन उद्देश्यों के लिए दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में मानता है। इन दीर्घकालिक लाभों के संबंध में मान्यता प्राप्त दायित्व को अनुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दायित्व के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है।

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ लागत, जिसमें वर्तमान सेवा लागत, ब्याज लागत और कटौती और निपटान पर लाभ या हानि, बीमांकिक लाभ और हानि सहित पुनर्मापन शामिल हैं, को लाभ और हानि विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.2.14 नकद और नकद समकक्ष

नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुति के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली अप्रतिबंधित नकदी और अल्पकालिक जमाएं शामिल हैं, जिन्हें नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय किया जा सकता है और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

2.2.15 लाभांश

समूह के इक्विटी शेयरधारकों को वार्षिक लाभांश वितरण को उस अवधि में देयता के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें शेयरधारकों द्वारा लाभांश को मंजूरी दी जाती है। किसी भी अंतरिम लाभांश को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है। देय लाभांश को सीधे इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

2.2.16 प्रावधान, आकस्मिक परिसंपत्तियां और आकस्मिक देयताएं

प्रावधान

प्रावधानों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह पर किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

समूह द्वारा मान्यता प्राप्त प्रावधानों में रखरखाव, विमुद्रीकरण, कानूनी मामले, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), कठिन अनुबंध और अन्य प्रावधान शामिल हैं।

यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को वर्तमान कर–पूर्व दर का उपयोग करके छूट दी जाती है जो उचित होने पर देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाती है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इन प्रावधानों की समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए इन्हें समायोजित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

भारी अनुबंध

यदि समूह के पास कोई ऐसा अनुबंध है जो बोझिल है, तो अनुबंध के तहत वर्तमान दायित्व को एक प्रावधान के रूप में पहचाना और मापा जाता है। हालाँकि, बोझिल अनुबंध के लिए एक अलग प्रावधान स्थापित होने से पहले, समूह उस अनुबंध के लिए समर्पित परिसंपत्तियों पर हुई किसी भी हानि को पहचानता है।

इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताएं

आकस्मिक देनदारियों का खुलासा तब किया जाता है जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता हो सकती है लेकिन संभवतः नहीं होगी या ऐसे दायित्व की राशि को विश्वसनीय रूप से मापा नहीं जा सकता है। जब कोई संभावित दायित्व या वर्तमान दायित्व होता है जिसके संबंध में आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना बहुत कम होती है, तो कोई प्रावधान या खुलासा नहीं किया जाता है।

प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, यद्यपि उनका खुलासा कर दिया जाता है, जहां आर्थिक लाभ का आगमन संभावित होता है।

2.2.15 पट्टा

यदि अनुबंध में किसी निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को किसी निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो इसे पट्टा माना जाता है।

क) पट्टे के रूप में समूह

समूह उन सभी पट्टा व्यवस्थाओं के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति तथा तदनुरूपी पट्टा देयता को मान्यता देता है, जिनमें वह पट्टेदार है, सिवाय बारह महीने या उससे कम अवधि वाले पट्टों (अल्पकालिक पट्टे) तथा कम मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के।

i) उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां

समूह पट्टे की आरंभ तिथि (यानी, वह तिथि जिस दिन अंतर्निहित परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है) पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को मान्यता देता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों को लागत पर मापा जाता है, जिसमें संचित मूल्यह्रास और हानि हानि घटाई जाती है, और पट्टे की देनदारियों के किसी भी पुनर्मापन के लिए समायोजित किया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की लागत में मान्यता प्राप्त पट्टे की देनदारियों की राशि, आरंभिक प्रत्यक्ष लागत और आरंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए पट्टे के भुगतान में से प्राप्त किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को घटाया जाता है। उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि और परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन में से जो भी कम हो, उस पर सीधी रेखा के आधार पर किया जाता है।

यदि पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति का स्वामित्व पट्टा अवधि के अंत में समूह को हस्तांतरित हो जाता है या लागत खरीद विकल्प के प्रयोग को दर्शाती है, तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन का उपयोग करके मूल्यह्रास की गणना की जाती है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियां भी क्षति के अधीन हैं।

ii) पट्टा देयताएं

पट्टे की आरंभ तिथि पर, समूह पट्टे की अवधि के दौरान किए जाने वाले पट्टे भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा देनदारियों को मान्यता देता है। पट्टे के भुगतानों में निश्चित भुगतान (मूल रूप से निश्चित भुगतान सहित) शामिल हैं, जिसमें से कोई भी प्राप्त होने वाला पट्टा प्रोत्साहन घटाया जाता है, परिवर्तनशील पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर करता है, और अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशियाँ शामिल हैं।

लीज़ भुगतानों के वर्तमान मूल्य की गणना करने में, समूह लीज़ आरंभ तिथि पर अपनी वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करता है क्योंकि लीज़ में निहित ब्याज दर आसानी से निर्धारित नहीं की जा सकती है। आरंभ तिथि के बाद, ब्याज की वृद्धि को दर्शाने के लिए लीज़ देनदारियों की राशि बढ़ाई जाती है और किए गए लीज़ भुगतानों के लिए घटाई जाती है। इसके अलावा, लीज़ देनदारियों की वहन राशि को फिर से मापा जाता है यदि कोई संशोधन होता है, लीज़ अवधि में कोई परिवर्तन होता है, लीज़ भुगतानों में कोई परिवर्तन होता है (उदाहरण के लिए, ऐसे लीज़ भुगतानों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सूचकांक या दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप भविष्य के भुगतानों में परिवर्तन) या अंतर्निहित परिसंपत्ति को खरीदने के विकल्प के मूल्यांकन में कोई परिवर्तन होता है।

समूह की पट्टा देयताएं वित्तीय देयताओं में शामिल हैं।

iii) अल्पावधि पट्टे और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे

समूह अपने अल्पकालिक लीज़ अनुबंधों पर अल्पकालिक लीज़ मान्यता छूट लागू करता है, जिसमें आवासीय परिसर और कार्यालय शामिल हैं (यानी, वे लीज़ जिनकी लीज़ अवधि आरंभ तिथि से 12 महीने या उससे कम है और जिनमें खरीद विकल्प शामिल नहीं है)। यह कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ मान्यता छूट को कार्यालय उपकरणों के लीज़ पर भी लागू करता है जिन्हें कम मूल्य माना जाता है। अल्पकालिक लीज़ और कम मूल्य की परिसंपत्तियों के लीज़ पर लीज़ भुगतान को लीज़ अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

ख) पट्टादाता के रूप में समूह

ऐसे पट्टे जिनमें समूह किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करता है, उन्हें परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पन्न होने वाली किराये की आय को पट्टे की शर्तों पर सीधी रेखा के आधार पर हिसाब में लिया जाता है और इसे परिचालन प्रकृति के कारण लाभ या हानि के विवरण में राजस्व में शामिल किया जाता है। परिचालन पट्टे पर बातचीत करने और व्यवस्था करने में होने वाली प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को पट्टे पर दी गई परिसंपत्ति की वहन राशि में जोड़ा जाता है और किराये की आय के समान आधार पर पट्टे की अवधि में मान्यता दी जाती है।

2.2.18 वित्तीय साधन

समूह वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता देता है जब वह उपकरण के संविदात्मक प्रावधानों का पक्ष बन जाता है।

क) वित्तीय परिसंपत्तियां

<u>प्रारंभिक पहचान और माप</u>

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

सभी वित्तीय परिसंपत्तियाँ (व्यापार प्राप्तियों को छोड़कर, जिनमें कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं होता है, जिन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है) को शुरू में उचित मूल्य और लेनदेन लागतों पर मान्यता दी जाती है, जो सीधे वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार होती हैं। लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों को लाभ और हानि के विवरण में व्यय किया जाता है।

बाद में माप

बाद में माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को समूह के व्यवसाय मॉडल और परिसंपत्ति की नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर नीचे दी गई श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- **परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ**

  प्रारंभिक माप के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रह के लिए रखी जाती हैं, जहाँ वे नकदी प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इन वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है।

- **अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:**

  किसी वित्तीय परिसंपत्ति को बाद में अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है, यदि इसे ऐसे व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है, जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचने दोनों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया मूल राशि पर ब्याज का भुगतान हैं।

- **लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ:**

  ऐसी परिसंपत्तियाँ जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआइ के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण साधनों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआइ पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि की पहचान करने के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

समूह निम्नलिखित पर हानि हानि भत्ते की पहचान के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करता है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; और
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ते को मान्यता दी जाती है।

अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि हानि की पहचान के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है, तो हानि हानि के लिए 12 महीने की ईसीएल का उपयोग किया जाता है।

लाइफटाइम ईसीएल एक वित्तीय परिसंपत्ति के अपेक्षित जीवन पर सभी संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न होने वाली अपेक्षित क्रेडिट हानियाँ हैं। 12 महीने की ईसीएल आजीवन ईसीएल का एक हिस्सा है जो रिपोर्टिंग तिथि के बाद 12 महीनों के भीतर संभावित डिफ़ॉल्ट घटनाओं से उत्पन्न होती है।

अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त ईसीएल हानि हानि भत्ता (या उलट) को लाभ और हानि के विवरण में आय/व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

विभिन्न वित्तीय साधनों के लिए हानि की बैलेंस शीट प्रस्तुति नीचे वर्णित है:

- परिशोधित लागत, संविदात्मक राजस्व प्राप्तियों और पट्टा प्राप्तियों के रूप में मापी गई वित्तीय संपत्तियाँ: ईसीएल को एक भत्ते के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। हानि भत्ता निवल वहन राशि को कम करता है। जब तक परिसंपत्ति राइट–ऑफ मानदंड को पूरा नहीं करती, तब तक समूह सकल वहन राशि से हानि भत्ते को कम नहीं करता है।
- ऋण प्रतिबद्धताएँ और वित्तीय गारंटी अनुबंध: ईसीएल को बैलेंस शीट में एक प्रावधान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, यानी, एक देयता के रूप में।
- एफवीटीओसीआइ पर मापे गए ऋण साधन: एफवीटीओसीआइ पर मापे गए ऋण साधनों के लिए, अपेक्षित ऋण हानियाँ बैलेंस शीट में वहन राशि को कम नहीं करती हैं, जो उचित मूल्य पर बनी रहती है। इसके बजाय, भत्ते के बराबर राशि को अन्य व्यापक आय में श्संचित हानि राशिश के रूप में मान्यता दी जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के लिए संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं या यह वित्तीय परिसंपत्ति को हस्तांतरित कर देता है और हस्तांतरण भारतीय लेखा मानक 109 के तहत मान्यता रद्द करने के लिए अर्हता प्राप्त करता है, तो समूह वित्तीय परिसंपत्ति की मान्यता रद्द कर देता है।

लाभ और हानि के विवरण में वहन राशि और प्राप्त/प्राप्त करने योग्य प्रतिफल की राशि के बीच के अंतर को मान्यता दी जाती है।

ख) वित्तीय देनदारियाँ

प्रारंभिक मान्यता और माप

सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और उधार और देयताओं के मामले में, सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के निवल मूल्य पर मान्यता दी जाती है।

समूह की वित्तीय देनदारियों में व्यापार देयताएँ, उधार और अन्य वित्तीय देनदारियाँ आदि शामिल हैं।

बाद में माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

- **लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ।** समूह ने एफवीटीपीएल पर कोई वित्तीय देयताएँ निर्धारित नहीं की हैं।
- **परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं**

उधार, व्यापार देयताएं और अन्य वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, उधार, व्यापार देयताएं और अन्य वित्तीय देनदारियों को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

वित्तीय देनदारियों की पहचान रद्द करना

जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है, तो वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा) को समूह की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है। संबंधित वहन राशियों में अंतर को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

ग) वित्तीय गारंटी अनुबंध

समूह द्वारा जारी वित्तीय गारंटी अनुबंध वे अनुबंध हैं जिनमें धारक को उस नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए भुगतान करने की आवश्यकता होती है जो उसे इसलिए होता है क्योंकि निर्दिष्ट देनदार ऋण साधन की शर्तों के अनुसार देय भुगतान करने में विफल रहता है। वित्तीय गारंटी अनुबंधों को शुरू में उचित मूल्य पर देयता के रूप में मान्यता दी जाती है, जो गारंटी जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार लेनदेन लागतों के लिए समायोजित की जाती है। इसके बाद, देयता को भारतीय लेखा मानक 109 की हानि आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित हानि भत्ते की राशि और संचयी परिशोधन को घटाकर मान्यता प्राप्त राशि में से जो भी अधिक हो, उस पर मापा जाता है।

घ) वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों का समायोजन किया जाता है, तथा निवल राशि को बैलेंस शीट में रिपोर्ट किया जाता है, यदि मान्यता प्राप्त राशियों का समायोजन करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य संविदात्मक कानूनी अधिकार मौजूद है और परिसंपत्तियों की वसूली और देनदारियों का एक साथ निपटान करने के लिए निवल आधार पर निपटान करने का इरादा है।

2.2.19 उचित मूल्य माप

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में वित्तीय साधनों को उचित मूल्य पर मापता है।

किसी परिसंपत्ति या देयता का उचित मूल्य उन मान्यताओं का उपयोग करके मापा जाता है, जिनका उपयोग बाजार प्रतिभागी परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय करते हैं,

यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी अपने आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। सभी परिसंपत्तियाँ और देयताएँ जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य मापा जाता है या प्रकट किया जाता है, उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया जाता है और वित्तीय विवरणों में तदनुसार प्रकट किया जाता है।

महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों और देनदारियों, यदि कोई हो, के मूल्यांकन के लिए बाहरी मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह परिसंपत्तियों और देनदारियों के मूल्यों में होने वाले उतार–चढ़ाव का विश्लेषण करता है, जिन्हें समूह की लेखा नीतियों के अनुसार पुनः मापा या पुनः मूल्यांकित किया जाना आवश्यक है।

2.2.20 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय निर्धारित करने में, समूह इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले निवल लाभ पर विचार करता है। प्रति शेयर मूल आय की गणना में उपयोग किए जाने वाले शेयरों की संख्या अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या है।

प्रति शेयर पतला आय निर्धारित करने में, इक्विटी शेयरधारकों को दिए जाने वाले निवल लाभ और अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या को सभी पतला संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है। समूह के पास कोई पतला संभावित इक्विटी शेयर नहीं है।

2.2.21 बिक्री हेतु रखी गई गैर–चालू परिसंपत्ति

गैर–चालू परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को केवल तभी अत्यधिक संभावित माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है। बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से कम पर बिक्री की लागत घटाकर दर्शाया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के बाद मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री/वितरण के लिए रखी गई संपत्तियों को बैलेंस शीट में अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

"बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्तियां" द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं, तो निपटान समूह को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। गैर–वर्तमान संपत्ति जो बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती है, उसे निम्न में से कम पर मापा जाता है: (i) संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किए जाने से पहले इसकी वहन राशि, मूल्यह्रास के लिए समायोजित की गई राशि जिसे उस संपत्ति को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किए जाने पर पहचाना जाता, और (ii) उस तिथि पर इसकी वसूली योग्य राशि जब निपटान समूह को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, निवेश संपत्ति और अमूर्त संपत्तियों से संबंधित मूल्यह्रास प्रतिवर्ती समायोजन उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में चार्ज किया जाता है जब बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति के मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं।

2.2.22 पूर्व अवधि समायोजन

पूर्ववर्ती अवधियों से संबंधित चालू वर्ष में पाई गई त्रुटियों/चूक को महत्वहीन माना जाएगा तथा चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया जाएगा, यदि ऐसी सभी त्रुटियां और चूकें समूह के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल परिचालन राजस्व के 0.50% से अधिक न हों।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

2.2.23 महत्वपूर्ण लेखांकन अनुमान और निर्णय

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, लेखांकन अनुमान और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों और समूहीकरण प्रकटीकरणों और आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। इन धारणाओं और अनुमानों के बारे में अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ऐसे परिणाम हो सकते हैं जिनके लिए भविष्य की अवधि में प्रभावित परिसंपत्तियों या देनदारियों की वहन राशि में भौतिक समायोजन की आवश्यकता होती है।

यह नीति उन क्षेत्रों का अवलोकन प्रदान करती है जिनमें उच्च स्तर का निर्णय या जटिलता शामिल है, और उन मदों का भी जो मूल रूप से मूल्यांकन किए गए अनुमानों और धारणाओं से भिन्न होने के कारण भौतिक रूप से समायोजित होने की अधिक संभावना है।

संबंधित लेखांकन नीतियों में बताए गए आकलन और निर्णय के महत्वपूर्ण क्षेत्र जिनका वित्तीय विवरणों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वे इस प्रकार हैं:

असंग्रहीत व्यापार प्राप्तियों के लिए भत्ते

व्यापार प्राप्तियों पर ब्याज नहीं लगता है और उन्हें उनके नाममात्र मूल्यों पर दर्शाया जाता है, जो अनुमानित अपरिवर्तनीय राशि के लिए उचित भत्तों से कम होता है, जो कि प्राप्य शेष राशि और ऐतिहासिक अनुभवों की उम्र पर आधारित होते हैं। जब प्रबंधन को लगता है कि व्यक्तिगत व्यापार प्राप्तियां संग्रहणीय नहीं हैं, तो उन्हें लिख दिया जाता है।

परिभाषित लाभ योजनाएँ

सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ दायित्व की लागत बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ बनाना शामिल है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें छूट दर, भविष्य में वेतन वृद्धि, मृत्यु दर और भविष्य में पेंशन वृद्धि का निर्धारण शामिल है। मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन धारणाओं में परिवर्तनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर सभी धारणाओं की समीक्षा की जाती है।

आकस्मिकताएँ

व्यापार के सामान्य क्रम में, समूह के विरुद्ध मुकदमेबाजी और अन्य दावों से आकस्मिक देयताएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ दायित्व हैं जिनके बारे में प्रबंधन ने सभी उपलब्ध तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि भुगतान की संभावना नहीं है या विश्वसनीय रूप से मात्रा निर्धारित करना मुश्किल है और ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में माना जाता है और नोटों में प्रकट किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफ़ॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित है। समूह इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट का चयन करने में विवेक का उपयोग करता है। समूह के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगे की ओर देखने वाले अनुमानों के आधार पर।

कर

जटिल कर विनियमों की व्याख्या, कर कानूनों में परिवर्तन और भविष्य की कर योग्य आय की राशि और समय के संबंध में अनिश्चितताएँ मौजूद हैं। वास्तविक परिणामों और की गई मान्यताओं या ऐसी मान्यताओं में भविष्य के परिवर्तनों के बीच उत्पन्न होने वाले व्यावसायिक अंतरों की प्रकृति को देखते हुए, पहले से दर्ज कर आय और व्यय में भविष्य के समायोजन की आवश्यकता हो सकती है। समूह उचित अनुमानों के आधार पर प्रावधान स्थापित करता है। ऐसे प्रावधानों की मात्रा विभिन्न कारकों पर आधारित होती है, जैसे कि पिछले कर लेखापरीक्षा का अनुभव और कर योग्य इकाई तथा जिम्मेदार कर प्राधिकरण द्वारा कर विनियमों की अलग-अलग व्याख्याएँ। समूह कंपनियों के संबंधित निवास में प्रचलित स्थितियों के आधार पर व्याख्या के ऐसे मतभेद कई तरह के मुद्दों पर उत्पन्न हो सकते हैं।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अप्रयुक्त कर घाटे के लिए इस सीमा तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावना है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। संभावित समय और भविष्य के कर योग्य लाभों के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर नियोजन रणनीतियों के आधार पर मान्यता प्राप्त करने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर यह आकलन करता है कि क्या कोई संकेत है कि कोई परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है। परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का निर्धारण निर्णयात्मक है और इसमें महत्वपूर्ण अनुमानों और मान्यताओं का उपयोग शामिल है। अनुमान उन मान्यताओं पर आधारित हैं जिन्हें उचित माना जाता है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से अनिश्चित और अप्रत्याशित हैं और अप्रत्याशित घटनाओं और परिस्थितियों को नहीं दर्शाते हैं जो घटित हो सकती हैं।

बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्ति

गैर-वर्तमान संपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उनकी वहन राशि मुख्य रूप से बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जानी होती है और बिक्री को अत्यधिक संभावित माना जाता है। बिक्री को केवल तभी अत्यधिक संभावित माना जाता है जब संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, यह संभावना नहीं है कि बिक्री वापस ले ली जाएगी, और वर्गीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर बिक्री की उम्मीद है।

पट्टे – वृद्धिशील उधार दर का अनुमान लगाना

समूह पट्टे में निहित ब्याज दर को आसानी से निर्धारित नहीं कर सकता है, इसलिए, यह पट्टे की देनदारियों को मापने के लिए अपनी वृद्धिशील उधार दर (आईबीआर) का उपयोग करता है। आईबीआर ब्याज की वह दर है जो समूह को समान ऋण पर भुगतान करना होगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

नवीकरण और समाप्ति विकल्पों के साथ अनुबंधों की पट्टा अवधि का निर्धारण – पट्टेदार के रूप में समूह

समूह पट्टे की अवधि को पट्टे की गैर–रद्द करने योग्य अवधि के रूप में निर्धारित करता है, साथ ही पट्टे को बढ़ाने के विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि को भी शामिल करता है, यदि इसका प्रयोग किया जाना उचित रूप से निश्चित है, या पट्टे को समाप्त करने के विकल्प द्वारा कवर की गई किसी भी अवधि को शामिल करता है, यदि इसका प्रयोग नहीं किया जाना उचित रूप से निश्चित है।

समूह यह मूल्यांकन करने में विवेक का प्रयोग करता है कि क्या यह यथोचित रूप से निश्चित है कि पट्टे को नवीनीकृत या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करना है या नहीं। आरंभ तिथि के बाद, समूह पट्टे की अवधि का पुनर्मूल्यांकन करता है यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में परिवर्तन होता है जो उसके नियंत्रण में है और नवीनीकृत या समाप्त करने के विकल्प का प्रयोग करने या न करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करता है (उदाहरण के लिए, पट्टे पर दी गई संपत्ति में महत्वपूर्ण लीज़होल्ड सुधारों या महत्वपूर्ण अनुकूलन का निर्माण)।

राजस्व मान्यता

समूह की राजस्व मान्यता नीति इस बात में केन्द्रीय है कि समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्य का मूल्यांकन किस प्रकार करता है।

इन नीतियों के तहत अनुबंधों के परिणामों के बारे में पूर्वानुमान लगाना आवश्यक है, जिसके तहत कार्य के दायरे में होने वाले परिवर्तनों, दावों और विविधताओं के बारे में आकलन और निर्णय लेना आवश्यक है।

कई दीर्घकालिक और जटिल परियोजनाएँ हैं जहाँ समूह ने संविदात्मक अधिकारों पर महत्वपूर्ण निर्णय शामिल किए हैं। संभावित परिणामों की सीमा अंतर्निहित लाभप्रदता और नकदी प्रवाह में भौतिक रूप से सकारात्मक या नकारात्मक परिवर्तन ला सकती है।

अनुबंध के नीचे उल्लिखित पहलुओं के संबंध में भी अनुमान आवश्यक हैं:

- पूर्णता के चरण का निर्धारण
- परियोजना पूर्णता तिथि का अनुमान
- संभावित नुकसान के लिए प्रावधान
- दावों और विविधताओं सहित अनुमानित कुल राजस्व और पूर्णता तक अनुमानित कुल लागत।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और इन्हें समायोजित किया जाता है

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

3. **संपत्ति, संयंत्र और उपकरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग/ फ्लैट्स– आवासीय	फ्रीहोल्ड बिल्डिंग/ फ्लैट– गैर– आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्स्चर	कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
फुट नोट्स							(i)	(ii)			
सकल वहन राशि (लागत पर)											
1 अप्रैल 2022 तक	**42.69**	**6.36**	**43.81**	**193.94**	**2.78**	**7.70**	**5.18**	**6.06**	**3.02**	**3.64**	**315.18**
अतिरिक्त	-	-	0.29	17.15	0.18	1.27	0.75	0.82	0.06	0.32	**20.84**
निपटान/समायोजन	-	-	-	1.50	-	(0.46)	(0.15)	(0.10)	-	(0.01)	**0.78**
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से हस्तांतरण (नोट–iv देखें)	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.19**
विनिमय लाभ/(हानि) (नोट–iii देखें)	-	-	-	4.01	0.05	0.03	0.08	0.06	0.05	0.24	**4.52**
31 मार्च 2023 तक	**42.69**	**6.55**	**44.10**	**216.60**	**3.01**	**8.54**	**5.86**	**6.84**	**3.13**	**4.19**	**341.51**
अतिरिक्त	1.46	-	-	26.10	0.97	1.08	0.40	1.09	0.31	0.09	**31.50**
निपटान/समायोजन	-	-	-	(2.18)	(0.02)	(0.46)	(0.09)	(0.06)	-	0.01	**(2.80)**
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से हस्तांतरण (नोट–v देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विनिमय लाभ/(हानि) (नोट–iii देखें)	-	-	(0.49)	(0.23)	0.01	-	0.01	-	0.01	0.03	**(0.66)**
31 मार्च 2024 तक	**44.15**	**6.55**	**43.61**	**240.29**	**3.97**	**9.16**	**6.18**	**7.87**	**3.45**	**4.32**	**369.55**
मूल्यह्रास और हानि											
1 अप्रैल 2022 तक	**-**	**3.74**	**19.92**	**69.71**	**0.81**	**5.59**	**3.41**	**2.24**	**2.67**	**2.08**	**110.17**
वर्ष के लिए मूल्यह्रास शुल्क	-	0.77	1.97	20.57	0.25	1.05	0.54	0.61	0.10	0.36	**26.22**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निपटान/समायोजन	-	-	-	1.50	-	(0.37)	(0.14)	(0.05)	-	-	**0.94**
बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से हस्तांतरण (नोट–iv देखें)	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	**0.05**
विनिमय लाभ/(हानि) (नोट–iii देखें)	-	-	0.15	2.63	0.02	0.03	0.06	0.04	0.04	0.16	**3.13**
31 मार्च 2023 तक	**-**	**4.56**	**22.04**	**94.41**	**1.08**	**6.30**	**3.87**	**2.84**	**2.81**	**2.60**	**140.51**
मूल्यह्रास शुल्क वर्ष	-	0.06	1.49	18.09	0.28	1.11	0.52	0.63	0.12	0.41	**22.71**
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निपटान/समायोजन	-	-	-	(1.79)	(0.01)	(0.37)	(0.08)	(0.06)	(0.01)	-	**(2.32)**

कित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	फ्रीहोल्ड भूमि	लीज होल्ड भूमि	लीज होल्ड इमारतें	फ्रीहोल्ड इमारतें /फ्लैट– आवासीय	फ्रीहोल्ड इमारतें/ फ्लैट– गैर– आवासीय	संयंत्र और मशीनरी	सर्वेक्षण उपकरण	कंप्यूटर	कार्यालय उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	वाहन	कुल
बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों से स्थानांतरण (नोट–v देखें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विनिमय लाभ / (हानि) (नोट–iii देखें)	-	-	-	-	(0.26)	(0.15)	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	**(0.36)**
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**-**	**4.62**	**23.27**	**110.56**	**1.35**	**7.04**	**4.32**	**3.42**	**2.93**	**3.03**	**160.54**
नेट बुक वैल्यू													
31 मार्च 2024 तक	**44.15**	**-**	**-**	**1.93**	**20.34**	**129.73**	**2.62**	**2.12**	**1.86**	**4.45**	**0.52**	**1.29**	**209.01**
31 मार्च 2023 तक	**42.69**	**-**	**-**	**1.99**	**22.06**	**122.19**	**1.93**	**2.24**	**1.99**	**4.00**	**0.32**	**1.59**	**201.00**

फुट नोटः–

i) कार्यालय उपकरण में विद्युत उपकरण और एयर कंडीशनर शामिल हैं।

ii) फर्नीचर और फिक्स्चर में फर्निशिंग शामिल है।

iii) वहन राशि में कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) अनुवाद के कारण विदेशी मुद्रा लाभ/(हानि) शामिल है।

iv) फ्रीहोल्ड बिल्डिंग – चेन्नई में आवासीय, बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में स्थानांतरित।

v) प्लांट और मशीनरी – उत्तरी क्षेत्र में बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों से संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) में स्थानांतरित।

vi) मूल्यह्रास व्यवसाय विशिष्ट उपयोग, परिसंपत्तियों के उपभोग पैटर्न और समान परिसंपत्तियों के पिछले प्रदर्शन पर विचार करते हुए तकनीकी मूल्यांकन द्वारा समर्थित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

परिसंपत्तियों का अनुमानित उपयोगी जीवन इस प्रकार है:

परिसंपत्तियों का वर्ग	अनुसूची II के अनुसार उपयोगी जीवन (वर्षों में)	तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर अपनाया गया उपयोगी जीवन (वर्षों में)
आवासीय/गैर आवासीय भवन/फ्लैट *	60	8–60
संयंत्र और मशीनरी *	8–15	1–15
सर्वेक्षण उपकरण	10	10
कंप्यूटर	3–6	3–6
कार्यालय उपकरण	5–10	5–10
फर्नीचर और फिक्सचर	10	10
कारवां, शिविर और अस्थायी शेड	3–5	3–5
वाहन	8–10	8–10

* तकनीकी मूल्यांकन के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन के निर्धारण के लिए परिसंपत्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण घटक पर विचार किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

4. पूंजी काम प्रगति पर है

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा
1 अप्रैल 2022 तक	**6.02**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	2.45
समायोजन	-
हानि	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2023 तक	**8.47**
अतिरिक्त (बाद के व्यय)	540.48
समायोजन	(0.04)
हानि	-
वर्ष के दौरान पूंजीकृत	-
31 मार्च 2024 तक	**548.91**
नेट बुक वैल्यू	
31 मार्च 2024 तक	**548.91**
31 मार्च 2023 तक	**8.47**

फुट नोटः

(i) **उम्र बढ़ने का पूंजी काम में प्रगति**

उम्र बढ़ने अनुसूची का पूंजी काम में प्रगति के लिए वर्ष 1 वर्ष से कम जैसा पर 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 का पूर्वानुमान इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा में पूंजी काम में प्रगति के लिए ए अवधि का				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
मार्च 31, 2024 तक					
परियोजनाओं में प्रगति (संदर्भ देना टिप्पणी 4)	540.41	8.50	-	-	**548.91**
परियोजनाओं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	540.41	**8.50**	**-**	**-**	**548.91**
मार्च 31, 2023 तक					
परियोजनाओं में प्रगति (संदर्भ देना टिप्पणी 4)	2.45	6.02	-	-	**8.47**
परियोजनाओं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	**-**
	2.45	**6.02**	**-**	**-**	**8.47**

(ii) वहाँ हैं नहीं परियोजनाएँ जहाँ गतिविधि है गया निलंबित।

(iii) में मामला का नीचे परियोजना, समापन है अतिदेय, कुल लागत अनुमत है ₹ 7.30 करोड़ और परियोजना है निम्नानुसार पूरा होने की उम्मीद है:

पूंजी काम में प्रगति	होना में पूरा हुआ			
	1 वर्ष से कम	1–2 साल	2–3 साल	अधिक 3 वर्ष से अधिक
मार्च 31, 2024 तक				
परियोजनाओं में प्रगति				
नवीकरण का निगमित कार्यालय इमारत – एचवीएसी	1.68	-	-	-
मार्च 31, 2023 तक				
परियोजनाओं में प्रगति				
नवीकरण का निगमित कार्यालय इमारत – एचवीएसी	-	-	-	-

(iv) शामिल 500 मेगावाट सौर प्लांट के अंतर्गत निर्माण कौन है अपेक्षित को होना पुरा होना द्वारा 30 वीं सितम्बर 2024 तक इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड, एक सहायक कंपनी द्वारा। वहन की जाने वाली राशि सौर ऊर्जा संयंत्र (राजधानी–कार्य प्रगति पर) सुविधा 31 मार्च 2024

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

तक 542.35 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: 8.47 करोड़ रुपये) था। की राशि ऋण लेना जोड़ा को पूंजी काम में प्रगति दौरान वर्ष 31 मार्च 2024 था ₹ 4.33 करोड़ (31वां मार्च 2023: (शून्य) प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के लिए पात्र उधार लागत की राशि निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त दर 7.78% थी, जो कि 1.5% थी। है असरदार दिलचस्पी दर का विशिष्ट उधार. दौरान वर्ष दिलचस्पी अर्जित राशि को ₹ 0.76 करोड़ पर अस्थायी निवेश पर सरकार अनुदान है समायोजित ख़िलाफ़ सीडब्ल्यूआईपी.

5. निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम			बैंगलोर	कुल
	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2022 तक	**327.20**	**0.57**	**146.21**	**2.23**	**-**	**96.38**	**3.04**	**575.63**
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-	-	10.56	-	-	-	-	**10.56**
के दौरान मान्यता रद्द कर दी गई वर्ष	-	-	-	-	-	(1.02)	-	**(1.02)**
वर्ष के दौरान	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2023 तक	**327.20**	**0.57**	**156.77**	**2.23**	**-**	**95.36**	**3.04**	**585.17**
परिवर्धन (बाद का व्यय)	-	0.57	0.85	-	1.48	-	-	**2.90**
के दौरान मान्यता रद्द कर दी गई वर्ष	-	-	-	-	-	(0.32)	-	**(0.32)**
बड़ा कर दिया है दौरान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
31 मार्च 2024 तक	**327.20**	**1.14**	**157.62**	**2.23**	**1.48**	**95.04**	**3.04**	**587.75**
मूल्यह्रास और हानि								
1 अप्रैल 2022 तक	**-**	**-**	**16.81**	**-**	**-**	**3.28**	**0.36**	**20.45**
मूल्यह्रास दौरान वर्ष	-	-	7.92	-	-	3.55	0.94	**12.41**
31 मार्च 2023 तक	**-**	**-**	**24.73**	**-**	**-**	**6.83**	**1.30**	**32.86**
मूल्यह्रास दौरान वर्ष	-	-	8.12	-	-	3.61	0.09	**11.82**
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**32.85**	**-**	**-**	**10.44**	**1.39**	**44.68**
जाल अवरोध पैदा करना								
31 मार्च 2024 तक	**327.20**	**1.14**	**124.77**	**2.23**	**1.48**	**84.60**	**1.65**	**543.07**
31 मार्च 2023 तक	**327.20**	**0.57**	**132.04**	**2.23**	**-**	**88.53**	**1.74**	**552.31**

जानकारी के बारे में आय और व्यय का निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
किराये आय व्युत्पन्न से निवेश गुण*	16.28	6.65
प्रत्यक्ष ऑपरेटिंग खर्च (शामिल मरम्मत और रखरखाव) उत्पन्न होने वाला से	2.32	4.21
निवेश संपत्ति वह आप जेनरेट हुई किराये आय दौरान वर्ष	-	-
प्रत्यक्ष ऑपरेटिंग खर्च (शामिल मरम्मत और रखरखाव) उत्पन्न होने वाला से	**13.96**	**2.44**
निवेश संपत्ति वह किया नहीं उत्पन्न किराये आय दौरान वर्ष	(11.82)	(8.86)
लाभ उत्पन्न होने वाला से निवेश गुण पहले मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष व्यय	**2.14**	**(6.42)**
कम: मूल्यह्रास दौरान वर्ष		
लाभ उत्पन्न होने वाला से निवेश गुण पहले अप्रत्यक्ष खर्च		

* शामिल रखरखाव आय से गुण

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
सुलह गोरा कीमत

(₹ करोड़ में)

विवरण	नोएडा			गुरुग्राम			बैंगलोर	कुल
	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भूमि	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	भवन	भवन	
1 अप्रैल 2022 तक	**248.23**	**-**	**136.70**	**121.82**	**-**	**90.13**	**9.36**	**606.24**
जोड़ना दौरान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
मान्यता रद्द दौरान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
के दौरान पूंजीकृत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
गोरा कीमत अंतर के लिए वर्ष	14.20	-	(15.26)	3.34	-	(4.91)	0.21	**(2.42)**
31 मार्च 2023 तक	**262.43**	**-**	**121.44**	**125.16**	**-**	**85.22**	**9.57**	**603.82**
जोड़ना दौरान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
मान्यता रद्द दौरान वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
के दौरान पूंजीकृत वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	**-**
गोरा कीमत अंतर के लिए वर्ष	67.60	-	7.48	(50.66)	-	1.18	0.94	**26.55**
31 मार्च 2024 तक	**330.03**	**-**	**128.92**	**74.50**	**-**	**86.40**	**10.51**	**630.37**
टिप्पणी:–								
निवेश संपत्ति अधिग्रहीत	-	-	-	-	-	-	-	**-**
निवेश संपत्ति स्वयं निर्मित	**330.03**	**-**	**128.92**	**74.50**	**-**	**86.40**	**10.51**	**630.37**
	330.03	**-**	**128.92**	**74.50**	**-**	**86.40**	**10.51**	**630.37**

(i) इन वैल्यूएशन हैं आधारित पर वैल्यूएशन प्रदर्शन किया द्वारा क दर्ज कराई दाम लगानेवाला जैसा परिभाषित अंतर्गत नियम 2 का कम्पनियां (पंजीकृत) मूल्य निर्धारकों और मूल्यांकन) नियम, 2017 आवेदन मूल्यांकन नमूना स्वीकार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर. गोरा मूल्य आय/लागत/ बाज़ार पर आधारित हैं मूल्य दृष्टिकोण. द्वारा की गई धारणा के अनुसार मूल्यांकक, एकमुश्त पट्टा भुगतान का ₹ 66.89 करोड़ के लिए नोएडा भूमि है नहीं गया माना में वित्तीय वर्ष 2022– 23.

(ii) उचित मूल्य माप को उचित मूल्य पदानुक्रम के स्तर 3 में वर्गीकृत किया गया है।

(iii) नोएडा में निवेश संपत्ति तीन स्थानों पर है, जिनकी लीज़ अवधि है 90 साल से गुरुग्राम और बेंगलुरु में संपत्तियां एक ही स्थान पर जो फ्रीहोल्ड हैं।

(iv) 0.57 करोड़ रुपये की राशि का अन्य प्रावधान किया गया है। लंबित समाधान के कारण सेक्टर 125, नोएडा संपत्ति के लिए कार्य प्रगति पर है विवाद नोएडा के साथ अधिकार।

6. अमूर्त संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर/ पट्टा अधिकार/ टोल रोड)			
	सॉफ़्टवेयर	पट्टा अधिकार	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक				
1 अप्रैल 2022 तक	**2.56**	**72.34**	**1,248.98**	**1,323.88**
वर्ष के दौरान वृद्धि	9.09	-	45.96	**55.05**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	-	**-**
31 मार्च 2023 तक	**11.65**	**72.34**	**1,294.94**	**1,378.93**
वर्ष के दौरान वृद्धि	3.44	-	10.67	**14.11**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	(0.24)	-	(39.24)	**(39.47)**
31 मार्च 2024 तक	**14.85**	**72.34**	**1,266.37**	**1,353.57**
परिशोधन और हानि				
1 अप्रैल 2022 तक	**2.11**	**10.59**	**230.78**	**243.48**
वर्ष के दौरान परिशोधन	0.85	1.64	65.54	**68.03**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	अमूर्त (सॉफ़्टवेयर/ पट्टा अधिकार/टोल सड़क)			
	सॉफ़्टवेयर	पट्टा अधिकार	टोल सड़क	कुल
बिक्री / समायोजन दौरान वर्ष	-	-	-	-
31 मार्च 2023 तक	**2.96**	**12.23**	**296.32**	**311.51**
ऋणमुक्ति दौरान वर्ष	3.23	1.64	59.89	64.77
बिक्री / समायोजन दौरान वर्ष	(0.24)	-	-	(0.24)
जैसा पर 31 मार्च 2024	**5.95**	**13.87**	**356.21**	**376.04**
जाल पुस्तक मूल्य				
31 मार्च 2024 तक	**8.90**	**58.47**	**910.16**	**977.53**
31 मार्च 2023 तक	**8.69**	**60.11**	**998.62**	**1,067.42**

फुट नोट:

सॉफ़्टवेयर: सॉफ़्टवेयर शामिल पूंजी व्यय बनाया के लिए प्राप्त एसएपी एस 4/ हाना ईआरपी सॉफ़्टवेयर।

पट्टा अधिकार:– इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड ने आरएलडीए (रेल भूमि विकास) के साथ एक समझौता किया है अधिकार) को निर्माण मल्टी कार्यात्मक परिसर (एमएफसी) पर विभिन्न रेलवे स्टेशन. भूमि अंतर्गत आता है रेलवे को और कंपनी ने उसी पर इमारतों का निर्माण किया है और 45 एकड़ जमीन का पट्टा अधिकार (वाणिज्यिक अधिकार) है साल से तारीख का प्रारंभ का एमएफसी. पट्टा अधिकार है गया परिशोधित ऊपर पट्टा अवधि से तारीख में कौन संबंधित परियोजना आता है में व्यावसायिक संचालन पर यथानुपात आधार. मात्रा परिशोधित दौरान वर्ष मात्रा को ₹ 1.64 करोड़ (वित्त वर्ष) 2022–23 ₹ 1.64 करोड़)

टोल रोड:– टोल रोड में यह भी शामिल है का मूल्य यह इन्फ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर के साथ टोल रोड के लिए आवश्यक कुछ छोटी चल संपत्तियां और टोल रोड के ईपीसी कार्यों के साथ बंडल। इसे अलग से परिमाणित नहीं किया जा सकता और यह संपत्ति का अभिन्न अंग है।

7. अमूर्त संपत्ति अंतर्गत विकास

(₹ करोड़ में)

विवरण	विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ		
	सॉफ्टवेयर	टोल रोड	कुल
सकल ब्लॉक			
1 अप्रैल 2022 तक	**9.79**	**20.69**	**30.48**
वर्ष के दौरान वृद्धि	1.89	33.08	**34.97**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(9.09)	(45.96)	**(55.05)**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	**-**
31 मार्च 2023 तक	**2.59**	**7.81**	**10.40**
वर्ष के दौरान वृद्धि	0.84	2.86	**3.70**
वर्ष के दौरान पूंजीकरण	(3.43)	(10.67)	**(14.10)**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	**-**
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**-**
परिशोधन और हानि			
1 अप्रैल 2022 तक	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	**-**
हानि	-	-	**-**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	**-**
31 मार्च 2023 तक	**-**	**-**	**-**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	**-**
हानि	-	-	**-**
वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	-	-	**-**
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**-**
निवल बही मूल्य			
31 मार्च 2024 तक	**-**	**-**	**-**
31 मार्च 2023 तक	**2.59**	**7.81**	**10.40**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

फुट नोट:

(i) अमूर्त संपत्ति अंतर्गत विकास का प्रतिनिधित्व करता है पूंजी व्यय बनाया के लिए प्राप्त एसएपी एस4/हाना ईआरपी सॉफ्टवेयर और टोल रोड।

(ii) उम्र बढ़ने अनुसूची का अमूर्त संपत्ति अंतर्गत विकास के लिए वर्ष समाप्त जैसा पर 31 मार्च 2024 और मार्च 2023 इस प्रकार है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा में अमूर्त संपत्ति अंतर्गत विकास के लिए क अवधि का				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
मार्च 31, 2024 तक					
परियोजनाओं में प्रगति					
एसएपी एस–4 हाना एसएपी/ईआरपी	–	–	–	–	**-**
टोल सड़क	–	–	–	–	**-**
परियोजनाओं अस्थायी रूप से निलंबित	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	-	**-**	**-**	**-**	**-**
मार्च 31, 2023 तक					
परियोजनाओं में प्रगति					
एसएपी एस–4 हाना एसएपी/ईआरपी	1.89	–	–	0.70	**2.59**
टोल सड़क	7.81	–	–	–	**7.81**
परियोजनाओं अस्थायी रूप से निलंबित	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	9.70	**-**	**-**	**0.70**	**10.40**

(iii) कंपनी में मामला का नीचे परियोजना, समापन है अतिदेय, कुल लागत अनुमत है ₹ 23.56 करोड़ परियोजना की उम्मीद होना पुरा होना जैसा का 31 मार्च, 2024, और ₹ 26.16 करोड़ के लिए परियोजना अपेक्षित को होना पुरा होना जैसा का 31 मार्च, 2023 तक, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार:

(₹ करोड़ में)

विवरण	मात्रा में अमूर्त संपत्ति अंतर्गत विकास के लिए क अवधि का				
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
मार्च 31, 2024 तक					
परियोजनाओं में प्रगति					
एसएपी एस–4 हाना एसएपी/ईआरपी	7.25	3.79	–	–	**11.04**
परियोजनाओं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	**-**
	7.25	**3.79**	**-**	**-**	**11.04**
मार्च 31, 2023 तक					
परियोजनाओं में प्रगति					
एसएपी एस–4 हाना एसएपी/ईआरपी	3.50	5.26	5.70	–	**14.47**
परियोजनाओं अस्थायी रूप से निलंबित	–	–	–	–	**-**
	3.50	**5.26**	**5.70**	**-**	**14.47**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

8. उपयोग का अधिकार संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	भूमि (i)	इमारत (ii)	वाहन	कुल
कुल अवरोध पैदा करना				
1 अप्रैल 2022 तक	**1.25**	**5.21**	**0.04**	**6.50**
जोड़ना दौरान वर्ष	0.35	–	–	**0.35**
निपटान / समायोजन दौरान वर्ष	–	(0.01)	–	**(0.01)**
31 मार्च 2023 तक	**1.60**	**5.20**	**0.04**	**6.84**
जोड़ना दौरान वर्ष	0.29	3.03	–	**3.32**
निपटान / समायोजन दौरान वर्ष	–	–	–	**-**
31 मार्च 2024 तक	**1.89**	**8.23**	**0.04**	**10.16**
मूल्यह्रास और हानि				
1 अप्रैल 2022 तक	**0.16**	**1.87**	**0.04**	**2.07**
मूल्यह्रास दौरान वर्ष	0.06	0.32	–	**0.38**
हानि दौरान वर्ष	–	–	–	**-**
निपटान / समायोजन दौरान वर्ष	–	(0.01)	–	**(0.01)**
31 मार्च 2023 तक	**0.22**	**2.18**	**0.04**	**2.44**
मूल्यह्रास दौरान वर्ष	0.24	0.89	–	**1.13**
हानि दौरान वर्ष	–	–	–	**-**
निपटान / समायोजन दौरान वर्ष	–	–	–	**-**
31 मार्च 2024 तक	**0.46**	**3.07**	**0.04**	**3.57**
जाल किताब कीमत				
31 मार्च 2024 तक	**1.43**	**5.16**	**-**	**6.59**
31 मार्च 2023 तक	**1.38**	**3.02**	**-**	**4.40**

फुट नोट:

i) पट्टा शामिल है पकड़ना निर्माण पर रेलवे भूमि 30 के लिए साल पट्टा सैन पर मार्टिन मार्ग, नई दिल्ली और पाली हिल, मुंबई और मेट्रो रेलवे सेवा इमारत, कोलकाता के लिए कौन समझौता है अभी तक को होना अंतिम रूप दिया गया।

ii) लीज होल्ड भूमि में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास निगम की भूमि शामिल है। प्रस्तावित निर्माण के लिए प्राधिकरण (जीएनआईडीए) केंद्रीय निरीक्षण कक्ष (सीआईसी) द्वारा पकड़े कंपनी (कुल कीमत ₹ 0.76 करोड़) अनुरोध के लिए समय विस्तार के लिए निर्माण का इमारत है गया प्रस्तुत को उपयुक्त अधिकार।

iii) शीर्षक काम का अचल गुण नहीं आयोजित में नाम का पकड़े कंपनी:

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति के आइटम का विवरण	सकल वहन मूल्य	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	संपत्ति किस तारीख से कंपनी के नाम पर है		कंपनी के नाम पर न होने का कारण (यदि विवाद है तो यह भी बताएं)
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	पाली हिल, बांद्रा फ्लैट नं. 401 मुंबई	0.21	पश्चिमी रेलवे	लागू नहीं	14 अगस्त, 2002	फ्लैट रेलवे की जमीन पर बनाए गए हैं और उन्हें पट्टे पर दिया गया है को पकड़े कंपनी संबंधित क्षेत्रीय रेलवे द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए इस संबंध में जारी अनुदेश के आधार पर 30 वर्ष।
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	सेंट मार्टिन में फ्लैट्स, नई दिल्ली	2.26	उत्तरी रेलवे	लागू नहीं	16 सितम्बर, 2004	
उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियां	मेट्रो रेल सेवा भवन, कोलकाता	0.75	मेट्रो रेल, कोलकाता	लागू नहीं	3 मार्च, 2000	कार्यालय आवास का निर्माण द्वारा मेट्रो रेलवे, कोलकाता रेलवे भूमि पर है और गया पट्टे पर बाहर को अधिकार वाली कंपनी 30 वर्ष की अवधि के लिए जैसा प्रति अनुदेश इस संबंध में जारी किया गया।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

9. निवेश जिम्मेदार के लिए का उपयोग करते हुए हिस्सेदारी तरीका

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निवेश में हिस्सेदारी उपकरण (पूरी तरह से प्रदत्त, उद्धृत नहीं, का उपयोग करते हुए हिस्सेदारी तरीका)		
संयुक्त उद्यम कंपनियाँ		
इरकॉन–सोमा टोलवे निजी सीमित 6,38,70,000 हिस्सेदारी शेयरों का ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च 2023: 6,38,70,000)	79.78	81.23
भारतीय रेलवे के स्टेशन विकास निगम सीमित 5,19,99,699 हिस्सेदारी शेयरों का ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च 2023: 5,19,99,699) (संदर्भ देना पैर टिप्पणी (i))	59.89	58.19
बस्तर रेलवे निजी सीमित 7,63,37,300 हिस्सेदारी शेयरों का ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च 2023: 7,63,37,300) (संदर्भ देना पैर टिप्पणी (vi)	76.42	76.12
झारखंड केंद्रीय रेलवे सीमित 2,62,56,438 हिस्सेदारी शेयरों ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च 2023: 2,62,56,438) (संदर्भ देना पैर नोट (ii)	143.14	142.49
महानदी कोयला रेलवे सीमित 2,60,00,000 हिस्सेदारी शेयरों का ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च 2023: 2,60,00,000) (संदर्भ देना पैर टिप्पणी (iii))	109.73	77.64
छत्तीसगढ पूर्व रेलवे सीमित 19,78,55,700 हिस्सेदारी शेयरों का ₹ 10 प्रत्येक (31 मार्च 2023: 19,78,55,700) (संदर्भ देना पैर टिप्पणी (iv0)	185.87	194.90
छत्तीसगढ पूरब पश्चिम रेलवे सीमित 19,39,91,200 हिस्सेदारी शेयरों का ₹ 10 प्रत्येक (31) मार्च 2023: 19,39,91,200) (संदर्भ देना पैर टिप्पणी (वी))	209.67	193.60
कुल	**864.50**	**824.17**
अनकोटेड निवेशों का कुल बही मूल्य	**864.50**	**824.17**
निवेश के मूल्य में कुल हानि की राशि	**-**	**-**

फुट नोटः–

(i) ''रेल मंत्रालय'' (एमओआर) ने अपने पत्र संख्या 2011/एलएमबी/22/1/39 दिनांक 18.10.2021 के माध्यम से भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी) (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) को बंद करने और इसके व्यवसाय को आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित/हस्तांतरित करने के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय की सूचना दी थी। तदनुसार, बंद करने की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों (एसआईटीसीओ और गरुड़ में निवेश को छोड़कर) को आईआरएसडीसी की 07.11.2022 को आयोजित 59वीं निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित कटऑफ तिथि को बुक वैल्यू से कम नहीं के विचार के लिए स्लंप सेल के आधार पर आरएलडीए/एमओआर को हस्तांतरित किया जाना है। वित्त वर्ष 2021–22 में शुरू की गई बंद करने संबंधी गतिविधियां अभी पूरी होनी बाकी हैं आईआरएसडीसी के वित्तीय विवरण परिसमापन आधार पर तैयार किए गए हैं। समूह को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में किसी भी तरह की गिरावट की आशंका नहीं है।

(ii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड के पक्ष में 114.11 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: 114.11 करोड़ रुपये) का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है। ऋण केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में ही चुकाया जाएगा, जो भी बाद में हो।

(iii) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एक संयुक्त उद्यम कंपनी) के पक्ष में 84.50 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: 52 करोड़ रुपये) का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है। ऋण केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में ही चुकाया जाएगा, जो भी बाद में हो। इसके अलावा, एमसीआरएल परियोजना के चरण– I (अंगुल – बलराम, 14 किलोमीटर पहले से ही चालू है) और चरण– II (बलराम–पुटगड़िया– तेंतुलोई, 54 किलोमीटर निर्माणाधीन) को रेल मंत्रालय (एमओआर) को सौंपने का निर्णय लिया गया है। कानूनी औपचारिकताएँ, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर–तरीके प्रक्रिया में हैं और समूह को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।

(iv) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) के पक्ष में 30.60 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: 15.60 करोड़ रुपये) का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है। ऋण का भुगतान परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में जो भी बाद में हो, किया जाएगा।

(v) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के निदेशक मंडल ने छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल) के पक्ष में 16.12 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) का ब्याज मुक्त अग्रिम स्वीकृत किया है। ऋण केवल परियोजना के समापन या रियायत अवधि के अंत में ही चुकाया जाएगा, जो भी बाद में हो।

(vi) रेल मंत्रालय (एमओआर) ने बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, एक संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने और इसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों को एमओआर को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। कानूनी औपचारिकताएं, मूल्य निर्धारण और संबंधित तौर–तरीके प्रक्रिया में हैं और समूह को इस स्तर पर निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं दिखती है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

10. गैर–चालू परिसंपत्तियाँ – गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ

10.1 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ – निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बॉन्ड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
7.15% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 10,00,000 रुपये प्रत्येक की 250 इकाइयां (31 मार्च 2023: 250 इकाइयां)	24.99	25.00
7.07% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 1,000 रुपये प्रत्येक की 3,02,000 इकाइयां (31 मार्च 2023: 3,02,000 इकाइयां)	30.20	30.20
7.14% एनएचएआई कर मुक्त बॉन्ड, 1,000 रुपये प्रत्येक की 1,99,989 इकाइयां (31 मार्च 2023: 1,99,989 इकाइयां)	20.00	20.00
7.02% एनएचएआई कर मुक्त बॉन्ड, 10,00,000 रुपये प्रत्येक की 500 इकाइयां (31 मार्च 2023: 500 इकाइयाँ)	50.00	50.00
कुल	**125.19**	**125.20**
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	**125.19**	**125.20**
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**130.43**	**130.41**
अउद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	**-**	**-**
निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि	**-**	**-**

10.2 गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. अच्छा माना जाता है: सुरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.02	0.03
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
(i) संबंधित पक्षों को ऋण:	-	-
(ii) अन्य:		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.42	0.49
कुल	**0.44**	**0.52**

फुट नोटः

(i)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का %^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का %^
प्रमोटरों को ऋण	–	–	–	–
निदेशकों को ऋण	–	–	–	–
केएमपी को ऋण	–	–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	–	–	–	–
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

10.3 गैर–चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अच्छा माना जाता है:		
सुरक्षा जमा		
– सरकारी विभाग	0.64	0.01
– अन्य	0.60	0.53
अनुबंध परिसंपत्ति:		
– ग्राहक के पास प्रतिधारण धन	14.75	3.54
– एससीए के संदर्भ में निर्माण लागत {फुट नोट (i) देखें}	1,413.49	1,332.97
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा {फुट नोट (ii) देखें}	0.01	0.01
12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा (बैंक गारंटी) {फुट नोट (iii) देखें}	0.04	3.27
कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पर अर्जित ब्याज {फुट नोट (iv) देखें}	0.28	0.27
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य	15.00	15.00
कुल	**1,444.81**	**1,355.60**

फुट नोट:–

(i) निर्माण लागत समूह द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(ii) इसमें ₹ **0.01 करोड़** रुपये के लिए ग्रहणाधिकार के तहत एफडीआर शामिल हैं (31 मार्च 2023: 0.01 करोड़ रुपये)

(iii) 31 मार्च 2024 तक ₹ **0.04 करोड़** रुपये (31 मार्च 2023: 3.27 करोड़ रुपये) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के मामले में चल रही परियोजनाओं के खिलाफ वैधानिक प्राधिकरणों/अन्य पक्षों को गिरवी रखी गई सावधि जमा राशि को दर्शाता है।

(iv) निदेशकों से देय राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निदेशकों से देय राशि स्टाफ ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज में शामिल है	-	-
कुल	**-**	**-**

11. आस्थगित कर संपत्ति और आयकर
भारतीय लेखा मानक 12 "आयकर" के अनुसार प्रकटीकरण

(क) 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1	**लाभ और हानि अनुभाग**		
	चालू आयकर:		
	वर्तमान आयकर प्रभार	339.19	241.28
	पिछले वर्ष के वर्तमान कर के संबंध में समायोजन	2.55	(78.64)
	स्थगित कर:		
	अस्थायी अंतरों की उत्पत्ति और प्रतिवर्तन से संबंधित	(10.12)	(36.87)
	लाभ और हानि अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**331.62**	**125.77**
2	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई) अनुभाग**		
	वर्ष के दौरान ओसीआई में मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित आयकर:		
	परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन पर निवल हानि/(लाभ)	0.45	0.50
	विदेशी परिचालन अनुवाद पर निवल हानि/(लाभ)	(0.61)	3.25
	ओसीआई अनुभाग में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय	**(0.16)**	**3.75**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(ख) 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 के लिए भारत की घरेलू कर दर से गुणा किए गए कर व्यय और लेखा लाभ का मिलान:

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1	आयकर से पहले लेखा लाभ	1260.44	905.82
2	लेखा लाभ पर कर	328.11	242.10
3	कर समायोजन का प्रभाव:		
(i)	पिछले वर्षों के चालू आयकर के संबंध में समायोजन	2.55	(78.64)
(ii)	पहले से पहचाने नहीं गए कर हानि का उपयोग	(37.46)	(37.38)
(iii)	दर अंतर का प्रभाव	–	0.03
(iv)	कर से छूट प्राप्त आय पर कर	–	–
(v)	कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्ययरू		
	–अन्य देश अतिरिक्त कर	14.77	17.11
	–अन्य गैर–कटौती योग्य व्यय	6.87	7.02
(vi)	विभिन्न अन्य मदों का कर प्रभाव	16.62	(20.72)
4	**लाभ और हानि विवरण में रिपोर्ट किया गया आयकर व्यय**	**331.46**	**129.52**
5	प्रभावी कर दर	26.30%	14.30%

(ग) तुलन–पत्र और लाभ या हानि विवरण में मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों और (देयताओं) के घटक

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	तुलन पत्र		लाभ और हानि का विवरण	
		31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित)रू पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(200.86)	(193.98)	6.88	14.57
2	प्रावधान	139.75	117.14	(22.61)	(28.36)
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.05	0.07	0.02	0.05
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	46.01	52.53	6.52	(23.45)
5	व्यावसायिक घाटा	131.71	130.96	(0.75)	(1.20)
6	प्रारंभिक व्यय और अन्य	2.86	2.68	(0.18)	1.52
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)	**119.52**	**109.40**	**(10.12)**	**(36.87)**

(घ) तुलन पत्र ख में निम्नानुसार दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024	31 मार्च 2023
1	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	320.38	303.38
2	आस्थगित कर देयताएँ	(200.86)	(193.98)
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ/(देयताएँ) (निवल)	**119.52**	**109.40**

नोट: आस्थगित कर परिसंपत्तियों और आस्थगित कर देनदारियों को समायोजित कर दिया गया है क्योंकि वे समान शासकीय कानूनों से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(ङ) स्थगित कर (देनदारियों)/परिसंपत्तियों का समाधान:

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	शेष राशि 1 अप्रैल 2023 तक (निवल)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	शेष राशि 31 मार्च, 2024 तक (निवल)
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(193.98)	(6.88)	-	**(200.86)**
2	प्रावधान	117.14	22.61	-	**139.75**
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43ख के तहत अस्वीकृत मदे	0.07	(0.02)	-	**0.05**
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण में लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	52.53	(6.52)	-	**46.01**
5	व्यावसायिक घाटा	130.96	0.75	-	**131.71**
6	प्रारंभिक व्यय और अन्य	2.68	0.18	-	**2.86**
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)	**109.40**	**10.12**	**-**	**119.52**

31 मार्च 2023 तक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	शेष राशि 1 अप्रैल 2022 तक (नेट)	लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त	ओसीआई में मान्यता प्राप्त	शेष राशि 31 मार्च, 2023 तक (निवल)
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अमूर्त सहित): पुस्तक मूल्यह्रास और आयकर मूल्यह्रास में अंतर	(179.41)	(14.57)	-	**(193.98)**
2	प्रावधान	88.78	28.36	-	**117.14**
3	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी के तहत अस्वीकृत मदें	0.12	(0.05)	-	**0.07**
4	चालू वर्ष और पिछले वर्षों में लाभ और हानि के विवरण पर लगाए गए व्यय का प्रभाव लेकिन भुगतान के आधार पर कर उद्देश्यों के लिए स्वीकार्य	29.08	23.45	-	**52.53**
5	व्यावसायिक घाटा	129.76	1.20	-	**130.96**
6	प्रारंभिक व्यय और अन्य	4.20	(1.52)	-	**2.68**
	निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियां/(देनदारियां)	**72.53**	**36.87**	**-**	**109.40**

12. अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अच्छा माना जाता है		
क) पूंजी अग्रिम		
ठेकेदार को पूंजी अग्रिम	315.41	41.49
ख) पूंजी अग्रिम के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम	62.82	88.22
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	222.13	0.60
इस पर अर्जित ब्याजरू		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	5.98	3.00
पूर्व भुगतान व्यय	0.18	-
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.05	0.12
कुल	**606.57**	**133.43**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

13. निवेशकों

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कच्चा माल (मूल्यांकित लागत या एनआरवी जो भी कम हो, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो)		
– हाथ में	24.41	22.69
– तीसरे पक्ष के पास	12.02	15.61
– पारगमन में	10.98	-
अन्य (ट्रैक और निर्माण सामग्री)	0.30	0.31
निर्माण कार्य प्रगति पर (लागत पर)	189.73	150.37
कुल	**237.44**	**188.98**

14. चालू संपत्तियां – चालू वित्तीय संपत्तियां
14.1 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – निवेशे

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1. बॉन्ड में निवेश (उद्धृत, परिशोधित लागत पर)		
8.23% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 5,00,000 यूनिट प्रत्येक 1,000 रुपये (31 मार्च 2023: 5,00,000 यूनिट प्रत्येक 1,000 रुपये)	-	50.00
8.35% कर मुक्त भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी) बॉन्ड, 500 यूनिट प्रत्येक 10,00,000 रुपये (31 मार्च 2023: 5,00,000 यूनिट प्रत्येक 10,00,000 रुपये)	-	49.99
7.35% भारत सरकार (जीओआई) बॉन्ड 2024, अंकित मूल्य 1,50,40,000 रुपये (31 मार्च, 2023: शून्य)	1.51	-
2. म्यूचुअल फंड में निवेश (उद्धृत, लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीटीपीएल))		
यूनियन लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – 2,27,140.24 (31 मार्च, 2023 रु शून्य)	52.89	-
एक्सिस लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – 2,69,473.15 (31 मार्च, 2023 रु शून्य)	72.39	-
बंधन लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – 2,27,140.24 (31 मार्च, 2023 रु शून्य)	166.10	-
निप्पॉन इंडिया लिक्विड फंड यूनिटों की संख्या – 3,16,143.76 (31 मार्च, 2023 रु शून्य)	186.81	-
एलआईसी म्यूचुअल फंड यूनिटों की संख्या – 1,91,133.26 (31 मार्च, 2023 रु शून्य)	83.81	-
कुल	**563.51**	**99.99**
उद्धृत निवेशों का कुल बही मूल्य	**563.51**	**99.99**
उद्धृत निवेशों का कुल बाजार मूल्य	**563.50**	**109.93**
अनकोटेड निवेश	**-**	**-**
निवेश के मूल्य में कुल हानि राशि	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

14.2 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यवसाय प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	13.55	12.49
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है (फुट नोट (i) देखें)	832.32	881.23
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	2.54	-
व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	42.72	31.27
क्षति भत्ता (खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता):		
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	(42.54)	(29.89)
व्यापार प्राप्य जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	(2.54)	-
व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	(42.72)	(31.27)
कुल	**803.33**	**863.83**

फुट नोट:–

(i) इसमें संबंधित पक्षों से प्राप्तियां ₹ **191.12 करोड़** (31 मार्च 2023 तक: ₹ 228.43 करोड़) शामिल हैं और नोट 37 (सी) 4.1 में खुलासा किया गया है।

(ii) 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार प्राप्य आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिल न किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	203.25	373.26	72.25	122.86	62.67	9.59	**843.88**
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	0.03	-	0.13	0.03	2.35	**2.54**
अविवादित व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	**-**
– क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-	1.99	**1.99**
विवादित व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	0.25	4.11	5.75	32.61	**42.72**
	-	**203.25**	**373.29**	**72.50**	**127.10**	**68.45**	**46.54**	**891.13**
क्षति भत्ता								**(87.80)**
कुल								**803.33**

(₹ करोड़ में)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	बिल न किया गया	देय नहीं	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया					कुल
			6 महीने से कम	6 महीने – 1 वर्ष	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
निर्विवाद व्यापार प्राप्य – अच्छा माना जाता है	-	395.86	260.67	70.14	115.06	21.43	28.57	**891.73**
अविवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
अविवादित व्यापार प्राप्य	-	-	-	-	-	-	-	**-**
– क्रेडिट खराब	-	-	-	-	-	-	1.99	**1.99**
विवादित व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	**-**
विवादित व्यापार प्राप्य – जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है	-	-	3.47	2.91	6.12	3.84	14.93	**31.27**
	-	**395.86**	**264.14**	**73.05**	**121.18**	**25.27**	**45.49**	**924.99**
क्षति भत्ता								**(61.16)**
कुल								**863.83**

14.3 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां – नकदी और नकदी समकक्ष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
हाथ में नकदी		0.05	0.09
हाथ में चेक/ड्राफ्ट		-	-
ट्रांजिट में धन प्रेषण		-	13.61
बैंकों में शेष राशि:			
– चालू खातों पर	(ii), (iii), (iv), (viii), (ix), (x), (xi), (xii), (xiii) (xiv) & (xv)	619.78	417.51
– फ्लेक्सी खाते	(i) (ii) (iii), (iv), (ix) & (xv)	526.44	282.84
– 3 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ हाथ में नकदी	(i), (iv), (viii), (ix), (x), (xiii), (xiv) & (xv)	1,033.51	1,624.06
कुल		**2,179.78**	**2,338.11**

14.4 चालू वित्तीय अर्थशास्त्र – अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अन्य बैंक शेष राशि			
– 3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम की मूल परिपक्वता वाली जमाराशियाँ	(i), (v), (vi) & (vii)	2,802.85	2,783.87
निर्धारित शेष राशि:			
– एनएचएआई द्वारा लगाए गए जुर्माने के कारण ग्रहणाधिकार		1.06	-
– सीएसआर बैंक खाता		0.17	0.17
– लाभांश वितरण खाता		0.47	0.41
कुल		**2,804.55**	**2,784.45**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

फुट नोट (नोट 14.3 और 14.4): –

(i) इसमें 2,898.36 करोड़ रुपये का देनदारी फंड शामिल है (31 मार्च 2023 तक: 3,130.67 करोड़ रुपये) जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है। इसके अलावा, इसमें 716.24 करोड़ रुपये के व्यापार के विरुद्ध परियोजना निधि भी शामिल है (31 मार्च 2023 तक: 811.42 करोड़ रुपये)

(ii) इसमें 4.53 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 2.78 करोड़ रुपये) की शेष राशि शामिल है जो एस्क्रो खाते से संबंधित है जो इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(iii) इसमें 115.72 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 60.73 करोड़ रुपये) की शेष राशि शामिल है जो एस्क्रो खाते और लिंक्ड खातों से संबंधित है, जो इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है। इसके अलावा, इसमें एसबीआई के साथ ऋण समझौते की शर्तों के अनुसार प्रमुख रखरखाव रिजर्व खाते (रखरखाव कार्य के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध) के लिए ग्रहणाधिकार के रूप में निर्धारित 46.67 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 10 करोड़ रुपये) की राशि भी शामिल है।

(iv) इसमें इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में ₹ 21.58 करोड़ (31 मार्च 2023 तक: ₹ 19.23 करोड़) का ग्राहक निधि शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(v) इसमें इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में 57.02 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 58.30 करोड़ रुपये) का ग्राहक कोष शामिल है, जिस पर उन्हें ब्याज दिया जाता है।

(vi) इसमें इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड की 26.46 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 26.46 करोड़ रुपये) की जमा राशि शामिल है, जो पंजाब नेशनल बैंक के अधीन है और 27.30 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 35.78 करोड़ रुपये) एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि हैं।

(vii) इसमें जमा राशि के रूप में रखे गए 31.21 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: शून्य) शामिल हैं, जो इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि हैं।

(viii) इसमें ₹ 12.58 करोड़ (31 मार्च 2023 तक: ₹ 33.62 करोड़) शामिल हैं, शेष राशि एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(ix) इसमें 86.23 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 9.48 करोड़ रुपये) शामिल हैं, शेष राशि एस्क्रो खाते और जमा से संबंधित है, जो इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(x) इसमें 41.82 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 14.34 करोड़ रुपये) शामिल हैं, शेष राशि एस्क्रो खाते और जमा से संबंधित है, जो इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(xi) इसमें 31.03 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 0.04 करोड़ रुपये) शामिल हैं, शेष राशि एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(xii) इसमें 4.58 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 0.05 करोड़ रुपये) की शेष राशि एस्क्रो खाते से संबंधित है, जो इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(xiii) इसमें 5.23 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023 तक: 0.45 करोड़ रुपये) की शेष राशि शामिल है, जो एस्क्रो खाते और जमा से संबंधित है, जो इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(xiv) इसमें ₹ 2.16 करोड़ (31 मार्च 2023 तक: ₹ 0.12 करोड़) की शेष राशि शामिल है, जो एस्क्रो खाते और जमा से संबंधित है, जो इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड के संबंध में एनएचएआई के साथ किए गए रियायत समझौते के अनुसार निर्धारित निधि है।

(xv) इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड के संबंध में ₹ 7.27 करोड़ (31 मार्च 2023 तक: शून्य) एस्क्रो सह ट्रस्ट और रिटेंशन खाता शामिल है।

14.5 चालू वित्तीय परिसंपत्तियां - ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क. अच्छा माना जाता है: सुरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.02	0.05
ख. अच्छा माना जाता है: असुरक्षित		
कर्मचारी ऋण और अग्रिम	0.91	0.79
कुल	**0.93**	**0.84**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

फुट नोटः

(i) संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण या अग्रिम राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का %^	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम राशि*	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का %^
प्रमोटरों को ऋण	–	–	–	–
निदेशकों को ऋण	–	–	–	–
केएमपी को ऋण	–	–	–	–
संबंधित पक्षों को ऋण	–	–	–	–
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

* ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम का प्रतिनिधित्व करता है

^ ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत दर्शाता है

14.6 चालू परिसंपत्तियाँ – अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
अच्छा माना जाता है:					
सिक्योरिटी डिपॉजिट					
– सरकारी विभाग			5.41		1.74
– अन्य			126.21		141.53
अनुबंध परिसंपत्तिरू					
– बिल योग्य राजस्व / प्राप्य देय नहीं	(i) (क) और (ख)		246.80		375.31
– निर्माण कार्य प्रगति पर है (प्राप्त करने योग्य मूल्य पर)	(i) (ख)		873.48		482.03
– एससीए के संदर्भ में निर्माण लागत	(ii)		902.57		206.06
– क्लाइंट के पास प्रतिधारण राशि	(iii)		136.66		185.93
– क्लाइंट द्वारा रोकी गई राशि	(iii)		319.22		230.71
बयाना राशि जमा			1.11		0.74
12 महीने से कम की शेष परिपक्वता वाली सावधि जमा राशि	(iv)		3.31		25.49
इस पर अर्जित ब्याज:					
– कर्मचारियों को अग्रिम राशि	(v)		0.07		0.13
– संबंधित पक्षों को ऋण			14.54		10.87
– रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) को अग्रिम राशि		9.56		59.65	
घटाएँ: भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण पर अर्जित ब्याज	(vi)	-	9.56	(51.89)	7.76
– बैंकों में जमा राशि			73.21		60.33
– बांड और सरकारी प्रतिभूतियाँ			7.63		15.55
आबंटन लंबित शेयर आवेदन राशि:					
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड – ₹10 प्रत्येक के 301 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2023: 301)			-		-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
अन्य वसूली योग्य:					
(क) संबंधित पक्षों (संयुक्त उद्यम) से वसूली योग्य					
– इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर			3.53		3.49
– मेट्रो टनलिंग ग्रुप			1.76		1.88
– इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड			-		0.09
– इरकॉन – एएफसीओएन जेवी			0.42		0.60
– छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड			0.39		0.29
– बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड			0.02		0.02
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड			3.35		2.93
– झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड			0.08		0.07
– एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम			2.64		1.68
(ख) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य		4.64		619.95	
घटाएँ: भारतीय रेलवे वित्त निगम (आईआरएफसी) से ऋण	(vi)	-	4.64	(615.31)	4.64
(ग) ग्राहकों से वसूली योग्य दावे			35.71		80.33
(घ) अग्रिम लीज किराया			0.14		0.12
(ङ) एससीए के तहत वित्तीय परिसंपत्ति पर वसूली योग्य ब्याज			30.94		34.54
(च) अन्य			10.23		21.30
संदिग्ध माना जाता हैरू					
सुरक्षा जमा					
– सरकारी विभाग			0.01		0.01
– अन्य			0.12		0.13
बयाना राशि जमा			0.16		0.16
अनुबंध परिसंपत्ति:					
– ग्राहक के पास प्रतिधारण धन			4.28		4.28
– ग्राहक द्वारा रोका गया धन			2.67		2.67
– बिल योग्य राजस्व / प्राप्य देय नहीं			4.57		-
इरकॉन सोमा टोलवे से वसूली योग्य प्राइवेट लिमिटेड			0.05		0.05
रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए) से वसूली योग्य			25.81		25.81
ग्राहकों से वसूली योग्य दावे			7.87		2.25
घटाएँ: संदिग्ध वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि भत्ता			(45.54)		(35.36)
कुल			**2,813.63**		**1,896.16**

फुट नोटः –

(i) (क) इसमें क्लाइंट द्वारा प्रमाणित **201.20 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2023 तक: 184.73 करोड़ रुपये) के कार्य का मूल्य शामिल है, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि तक बिल नहीं किया गया है।

(ख) इसमें संबंधित पक्षों से प्राप्तियां **196.19 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2023 तक: 240.11 करोड़ रुपये) शामिल हैं और नोटरू 37 (ग) 4.2 (क) में प्रकट किए गए हैं।

(ii) निर्माण लागत समूह द्वारा हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (एचएएम) के तहत बनाए जा रहे राजमार्ग से संबंधित है।

(iii) इसमें संबंधित पक्षों से प्राप्तियां **58.71 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2023 तक: 17.27 करोड़ रुपये) शामिल हैं और नोटरू 37 (ग) 4.2 (ख) में प्रकट किए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं/सांविधिक प्राधिकरणों के विरुद्ध गिरवी रखे गए बीजी के विरुद्ध बैंक में **3.31 करोड़ रुपये** (31 मार्च 2023: 0.01 करोड़ रुपये) की सावधि जमा शामिल है।

(v) कंपनी के अधिकारियों, फर्मों, जिनमें कोई निदेशक भागीदार है या निजी कंपनी, जिसमें कोई निदेशक सदस्य है, के बकाया ऋण संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों को छोड़कर शून्य हैं (31 मार्च 2023: शून्य)।

निदेशकों से देय राशि का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निदेशकों से देय राशि स्टाफ ऋण और अग्रिम पर अर्जित ब्याज में शामिल है	-	-
कुल	**-**	**-**

(vi) (i) नोट 23.1 (पाद टिपण्णी (i) देखें)

15. चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
टीडीएस और अग्रिम कर सहित भुगतान किए गए कर (कर के लिए प्रावधान के बाद)	72.54	164.87
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**72.54**	**164.87**

16. अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अच्छा माना जाता है		
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम		
सामग्री और मशीनरी के बदले ठेकेदारों को अग्रिम	106.01	176.54
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	975.20	1,262.61
अग्रिम वसूली योग्यरू		
– बिक्री कर (टीडीएस सहित)	320.23	321.92
घटाएँ: विरोध के तहत जमा किया गया	(217.05)	(217.05)
– मूल्य वर्धित कर	69.52	80.47
– माल और सेवा कर	1,116.48	1,021.92
– भवन उपकर	2.07	1.53
– सेवा कर इनपुट क्रेडिट	–	0.01
सुरक्षा जमा	45.09	44.28
स्थगित परियोजना जुटाव लागत	12.39	22.85
इस पर अर्जित ब्याज:		
– ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य के पास जमा और अग्रिम	66.42	79.64
पूर्व भुगतान व्यय	26.71	12.39
उचित मूल्यांकन समायोजन	0.03	–
अन्य	–	0.01
संदिग्ध माना जाता है:		
ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य को अग्रिम	16.99	16.99
बिक्री कर (टीडीएस सहित)	30.00	30.00
मूल्य वर्धित कर	9.87	9.88
घटाएँ: संदिग्ध अग्रिमों के लिए क्षति भत्ता	(56.86)	(56.87)
कुल	**2,523.10**	**2,807.12**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

17. बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
बिक्री हेतु रखी गई परिसंपत्तियाँ	(i), (ii) & (iii)	-	0.71
कुल		**-**	**0.71**

फुट नोटः

(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण जो आर्थिक मरम्मत से परे हैं और/या निपटान के लिए रखे गए हैं (वसूली योग्य मूल्य और बही मूल्य में से कम पर):

(₹ करोड़ में)

परिसंपत्तियों का खण्ड	परिसंपत्तियों का विवरण	निपटान का तरीका और अपेक्षित समय	गैर–चालू परिसंपत्तियों की बिक्री पर अपेक्षित (हानि) / लाभ	खंड	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
					सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक	सकल ब्लॉक	निवल ब्लॉक
प्लांट और मशीनरी								
उत्तरी क्षेत्र	प्लांट और मशीनरी (नोएडा वर्कशॉप)	एमएसटीसी जैसी ई–नीलामी के माध्यम से वर्ष 2024 के अंत तक निपटान की अपेक्षित समय सीमा	-	घरेलूः पीएमडी प्रभाग	-	-	-	-
उत्तरी क्षेत्र	प्लांट और मशीनरी (डीएमआरसी सीई 6)	एमएसटीसी जैसी ई–नीलामी के माध्यम से वर्ष 2024 के अंत तक निपटान की अपेक्षित समय सीमा	-	घरेलू	-	-	0.19	0.01
इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	प्लांट और मशीनरी	ई–नीलामी के माध्यम से वर्ष 2024 के अंत तक निपटान की अपेक्षित समय सीमा	-	घरेलू	-	-	1.12	0.70
कुल					**-**	**-**	**1.31**	**0.71**

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को पुनर्वर्गीकरण के समय उसकी वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री की लागत घटाकर जो भी कम हो, उसके आधार पर मापा गया। तदनुसार, ₹ शून्य (मार्च 2023रू ₹ 0.42 करोड़) की हानि का प्रावधान किया गया है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, उत्तरी क्षेत्र में दो मशीनरी को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया और वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, चेन्नई में फ्रीहोल्ड बिल्डिंग – आवासीय को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि भारतीय लेखा मानक 105 "बिक्री के लिए रखी गई गैर–वर्तमान संपत्ति" द्वारा बताए गए मानदंड अब पूरे नहीं होते हैं।

18. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
अधिकृत शेयर पूंजी		
200,00,00,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रति शेयर		
(31 मार्च 2023 तक 200,00,00,000 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रति शेयर)	400.00	400.00
	400.00	**400.00**
जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी		
94,05,15,710 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रति शेयर–पूरी तरह से भुगतान किए गए		
(94,05,15,710 इक्विटी शेयर 2 रुपये प्रति शेयर–पूरी तरह से भुगतान किए गए 31 मार्च 2023 तक)	188.10	188.10
	188.10	**188.10**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(क) 5% से अधिक पूर्णतः चुकता इक्विटी शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
		शेयरों की संख्या	वर्ग में % धारित	शेयरों की संख्या	वर्ग में % धारित
1	भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत व्यक्तियों के नाम पर भारत सरकार	61,29,28,392	65.17%	68,83,01,650	73.18%

(ख) बोनस के रूप में जारी किए गए इक्विटी शेयरों की कुल संख्या, नकदी के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए शेयर और रिपोर्टिंग तिथि से तुरंत पहले पांच वर्ष की अवधि के दौरान वापस खरीदे गए शेयरों की कुल संख्या

	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
	शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों की सं.	शेयरों की सं.
नकद के अलावा आवंटित इक्विटी शेयर	–	–	–	–	–	–
बोनस शेयर के रूप में जारी इक्विटी शेयर	–	–	47,02,57,870	–	–	–
इक्विटी शेयर बायबैक	–	–	–	–	–	–
कुल	**-**	**-**	**47,02,57,870**	**-**	**-**	**-**

(ग) इक्विटी शेयरों से जुड़ी शर्तें/अधिकार:

(i) मतदान

समूह के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है, जिसका सममूल्य 2 रुपये प्रति शेयर है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

(ii) परिसमापन

परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयर धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद समूह की शेष परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के हकदार होंगे। वितरण शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुपात में होगा।

(iii) लाभांश

निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

(घ) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों और शेयर पूंजी की संख्या का समाधान

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपये में	शेयरों की संख्या	करोड़ रुपये में
वर्ष की शुरुआत में जारी/सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	**94,05,15,740**	**188.10**	**94,05,15,740**	**188.10**
जोड़ेंरू वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयर	–	–	–	–
वर्ष के अंत में जारी/सब्सक्राइब और चुकता इक्विटी पूंजी बकाया	**94,05,15,740**	**188.10**	**94,05,15,740**	**188.10**

(ङ) प्रमोटरों/प्रमोटर समूह द्वारा रखे गए शेयरों का विवरण

क्र. सं.	प्रमोटर का नाम	31 मार्च, 2024 तक प्रमोटर द्वारा धारित शेयर			31 मार्च, 2023 तक प्रमोटर द्वारा धारित शेयर		
		शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन'	शेयरों की संख्या	शेयरों का	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
1	भारत के राष्ट्रपति और सरकारी मनोनीत व्यक्तियों के नाम पर भारत सरकार	61,29,28,392	65.17%	8.01%	68,83,01,650	73.18%	–

* वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रमोटर ने होल्डिंग कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों के षबिक्री के लिए प्रस्तावष के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जो कंपनी की जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी का 8.01% है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

19. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रतिधारित आय	2,372.83	1,724.62
सामान्य रिजर्व	3,284.64	3,284.64
पूंजी मोचन रिजर्व	4.93	4.93
अन्य व्यापक आय	20.42	9.20
कुल	**5,682.82**	**5,023.39**

i) नीचे दिए अनुसार गतिविधियाँ:

(क) प्रतिधारित आये

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष राशि	**1,724.62**	**1,188.40**
लाभ और हानि के विवरण में अधिशेष से स्थानांतरण	929.57	765.23
वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश	(112.86)	(61.13)
अंतरिम लाभांश	(169.29)	(169.29)
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन (कर के बाद निवल)	1.31	1.44
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा इक्विटी पद्धति (कर के बाद निवल) का उपयोग करके हिसाब में लिया गया	(0.01)	(0.03)
अधिकृत पूंजी में वृद्धि के लिए शुल्क का भुगतान	(0.51)	-
समापन शेष राशि	**2,372.83**	**1,724.62**

(ख) सामान्य रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक और समापन शेष	**3,284.64**	**3,284.64**

(ग) पूंजी मोचन रिजर्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक और समापन शेष	**4.93**	**4.93**

(घ) अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**9.20**	**(0.45)**
विनिमय हानि को लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया गया	13.04	-
वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा रूपांतरण (कर के बाद निवल)	(1.82)	9.65
अंतिम शेष	**20.42**	**9.20**
कुल योग (क+ख+ग+घ)	**5,682.82**	**5,023.39**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ii) **अन्य रिज़र्व की प्रकृति और उद्देश्य:**

(क) **प्रतिधारित आय**

प्रतिधारित आय समूह के अविभाजित लाभ को दर्शाती है।

(ख) **सामान्य रिज़र्व**

सामान्य रिज़र्व वैधानिक रिज़र्व को दर्शाता है, यह कॉर्पोरेट कानून के अनुसार है जिसमें लाभ का हिस्सा सामान्य रिज़र्व में विभाजित किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत, सामान्य रिज़र्व में किसी भी राशि का हस्तांतरण समूह के विवेक पर है।

(ग) **पूंजी मोचन रिज़र्व**

होल्डिंग कंपनी ने 26 दिसंबर 2017 को शेयरों की खरीद के बाद लाभ से पूंजी मोचन रिज़र्व बनाया है।

(ङ) **अन्य व्यापक आय**

अन्य व्यापक आय विदेशी परिचालन के अनुवाद पर विनिमय अंतर के कारण उत्पन्न शेष राशि को दर्शाती है।

iii) **लाभांश वितरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
घोषित/भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर नकद लाभांश:		
वित्त वर्ष 2022–23 का अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान भुगतान किया गया: ₹ 1.20 प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2021–22 का अंतिम लाभांश वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान भुगतान किया गया: ₹ 0.65 प्रति शेयर)	112.86	61.13
2023–24 के दौरान भुगतान किया गया अंतरिम लाभांशरू ₹ 1.80 प्रति शेयर (वित्त वर्ष 2022–23: ₹ 1.80 प्रति शेयर)	169.29	169.29
कुल	**282.15**	**230.42**

iv) **रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में मान्यता प्राप्त न किया गया लाभांश**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित अंतिम लाभांश, आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन:		
31 मार्च 2024 के लिए लाभांश: ₹ 1.30 प्रति शेयर (31 मार्च 2023: ₹ 1.20 प्रति शेयर)	122.27	112.86
कुल	**122.27**	**112.86**

19क. गैर–नियंत्रण हित

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रारंभिक शेष	**13.13**	**1.13**
इक्विटी शेयर पूंजी का हिस्सा	-	-
मान्य इक्विटी का हिस्सा (ब्याज मुक्त ऋण)	22.11	12.00
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) का हिस्सा	(0.06)	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय का हिस्सा	-	-
समापन शेष	**35.18**	**13.13**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

20. गैर–चालू देयताएँ – गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएँ

20.1 गैर–चालू वित्तीय देयताएँ – ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
सुरक्षित:		
बैंकों से ऋण:		
पंजाब नेशनल बैंक से ऋण {नीचे फुट नोट (i) देखें}	275.04	300.17
बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण {नीचे फुट नोट (i) देखें}	1,033.79	651.38
इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण {नीचे फुट नोट (i) देखें}	196.51	-
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऋण {नीचे फुट नोट (i) देखें}	580.13	488.78
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण {नीचे फुट नोट (i) देखें}	125.04	-
लेटर ऑफ क्रेडिट समर्थित बिल डिस्काउंटिंग:		
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से {नीचे फुट नोट (i) देखें}	246.17	-
कुल	**2,456.68**	**1,440.33**

फुट नोट:

i) **पुनर्भुगतान शर्तों, ब्याज दर और सुरक्षा प्रकटीकरण का विवरण:**
बैंकों से सुरक्षित ऋण:
पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (इरकॉन दावणगेरे हाईवे लिमिटेड से संबंधित)
स्वीकृति:– 502. 76 करोड़ रुपये

1) **नियम और शर्तें**
   - (i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर 1 महीने की एमसीएलआर +0.30% होगी जो समय–समय पर परिवर्तन के अधीन लागू होगी।
   - (ii) पुनर्भुगतान अवधि 10 वर्ष और 6 महीने होगी (24.04.2021 से शुरू होकर 24.07.2031 को अंतिम किस्त)।
   - (iii) सावधि ऋण 24 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 42 त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाएगा।
   - (iv) ब्याज का भुगतान देय होने पर किया जाएगा।
   - (v) एनएचएआई या सीओडी से पहली वार्षिकी प्राप्त होने तक होल्डिंग कंपनी (सीएआरई एएए रेटेड) की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित सावधि ऋण प्लस 180 दिन जो भी बाद में हो।

2) **सुरक्षा का विवरण:**
   - (क) सहायक कंपनी की सभी अचल संपत्ति / चल संपत्तियों (परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा; संचालन चरण में कंपनी के मुक्त प्रवाह से अधिग्रहित को छोड़कर) के बंधक के माध्यम से पहला प्रभार और समय–समय पर ऋणदाता को सूचित किया जाना।
   - (ख) परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्तियां, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न होते हैं, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त संपत्ति, सद्भावना और अप्रयुक्त पूंजी (वर्तमान और भविष्य) पर पहला प्रभार।
   - (ग) परियोजना के बैंक खाते पर पहला प्रभार, जिसमें नामित बैंक में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे और आय का उपयोग ऋणदाता और निवेशकों द्वारा तय किए गए तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा।
   - (घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौतों के तहत समूह के सभी अधिकारों और हितों का हस्तांतरण, ऋण पत्र (यदि कोई हो), तथा उधारकर्ता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और प्रदर्शन बांड।
   - (ङ) सुविधा के लिए ऋणदाता की ओर से प्राधिकरण द्वारा निष्पादित प्रतिस्थापन समझौता।
   - (च) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का हस्तांतरण।

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार लिए गए ऋणों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:– ₹ 724.12 करोड़

1) **नियम एवं शर्तें**

(i) ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर को बैंक ऑफ बड़ौदा के 1 महीने के एमसीएलआर से रणनीतिक प्रीमियम के बिना बैंक ऑफ बड़ौदा के ओवरनाइट एमसीएलआर में संशोधित किया गया है, जो 27.09.2023 से प्रभावी है। वर्तमान में 31.03.2024 तक मासिक ऋण पर 8.14% प्रति वर्ष देय है।

(ii) सीओडी की तारीख से 7 महीने की मोहलत। सहायक कंपनी ने अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र यानी अनंतिम सीओडी हासिल किया। सहायक कंपनी के अनुरोध पर, बैंक ऑफ बड़ौदा ने 01.11.2022 को पुनर्भुगतान अनुसूची में अनुवर्ती बदलाव किया। अगली चुकौती अनुसूची 28.03.2024 से शुरू हो गई है और अंतिम किस्त 28.03.2033 को है।

(iii) सावधि ऋण का पुनर्भुगतान 21 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा।

(iv) ब्याज का भुगतान डेबिट होने पर किया जाएगा।

(v) प्रमोटर यानी होल्डिंग कंपनी (एएए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 25.05.2023 के अनापत्ति पत्र के माध्यम से जारी कर दी गई है।

2) **सुरक्षा का विवरण:**

(क) ऋणदाताओं/सुरक्षा एजेंट के पक्ष में ऋणदाताओं के लाभ के लिए ऋणदाताओं को संतोषजनक रूप में उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों, यदि कोई हो, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर और छोड़कर, के लिए पहला बंधक और प्रभार; ऋणदाताओं/सुरक्षा एजेंट के पक्ष में उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर और छोड़कर, के लिए पहला प्रभार।

(ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन, अन्य सभी चल संपत्तियां और वर्तमान और भविष्य की वर्तमान संपत्तियां शामिल हैं, परियोजना संपत्तियों को छोड़कर।

(ग) सभी बैंक खातों पर पहला प्रभार, जिसमें सहायक कंपनी द्वारा स्थापित किए जाने वाले नामित बैंक और डीएसआरए में खोले गए एस्क्रो खाते तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे, और उप खाता (या इसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) जो इस समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते या किसी अन्य परियोजना समझौते के अनुसार खोला जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा पहला प्रभार केवल एस्क्रो समझौते और रियायत समझौते के तहत निर्धारित प्राथमिकताओं के झरना के अनुसार अनुमत सीमा तक होगा;

(घ) परियोजना से उधारकर्ता के सभी राजस्व और प्राप्तियों पर पहला प्रभार या अन्यथा, परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, कमीशन या किसी भी प्रकृति के राजस्व, ऐसे राजस्व और प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा किए जाने के बाद। बशर्ते कि यहाँ उल्लिखित ऐसा प्रभार केवल तभी उत्पन्न होगा जब किसी भी ऐसे राजस्व और प्राप्तियों पर आय और/या वसूली एस्क्रो खाते में जमा हो जाती है और उसमें प्रवेश करती है और उसके बाद एस्क्रो समझौते और रियायत समझौते के तहत वाटरफॉल प्राथमिकताओं के अनुसार अनुमत सीमा तक ही इसका उपयोग किया जाएगा।

(ङ) ठेकेदार गारंटी, परिसमाप्त क्षति, ऋण पत्र, गारंटी या प्रदर्शन बांड का असाइनमेंट जो किसी भी परियोजना समझौते या अनुबंध के तहत किसी भी काउंटर पार्टी द्वारा सहायक कंपनी और बीमा पॉलिसियों आदि के पक्ष में प्रदान किया जा सकता है;

(च) परियोजना से संबंधित सभी अनुबंधों, बीमा, लाइसेंस से लेकर सभी परियोजना अनुबंधों (रियायत समझौते सहित) के तहत उधारकर्ताओं के सभी अधिकारों, शीर्षक और हितों पर ऋणदाताओं के पक्ष में असाइनमेंट / समझौते के माध्यम से पहला शुल्क, जिसमें उधारकर्ता ठेकेदार गारंटी, परिसमाप्त क्षति, ऋण पत्र, प्रदर्शन बांड, गारंटी और परियोजना से संबंधित अन्य सभी अनुबंधों को शामिल करने के लिए पार्टी है, बशर्ते कि ऐसा शुल्क प्रतिस्थापन समझौते के तहत प्रदान की गई सीमा तक सीमित और उत्पन्न होगा;

(छ) ऋणदाता के अमूर्त अर्थशास्त्र पर प्रथम प्रावधान, लेकिन परियोजना कृषकों को वर्तमान और भविष्य के अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं। प्रमाण पत्र कि उसकी किसी भी संपत्ति को एस्क्रो स्केट में जमा किया जाएगा और ईस्टोक्ट प्लांट्स एलेक्ट्रेट और एस्क्रो एकेक्ट्स के जलप्रपात प्लांट के अंडर प्लांट्स रेंज तक सीमित होगी;

(ज) सभी लागू बीमा पॉलिसियों का मूल्यांकन

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:– 686.37 करोड़ रुपये

सहायक कंपनी ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 686.37 करोड़ रुपये की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 125.00 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: 30.70 करोड़ रुपये) का वितरण प्राप्त हुआ है और 31 मार्च 2024 तक बकाया राशि 155.70 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: 30.70 करोड़ रुपये) थी। नियम और शर्तें और सुरक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

1) **नियम एवं शर्तें:**

(i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर मासिक शेष के साथ रणनीतिक प्रीमियम +0.09% के बिना ओवरनाइट एमसीएलआर होगी। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.14% प्रति वर्ष है।

(ii) पीसीओडी/सीओडी की तिथि से 6 महीने की मोहलत।

(iii) टर्म लोन 26 संरचित अर्ध–वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा, जो 6 महीने की समाप्ति (मोहलत) के बाद शुरू होगी, जिसमें सीओडी/पीसीओडी प्राप्त होता है।

(iv) ब्याज का भुगतान डेबिट होने पर किया जाएगा। एमसीएलआर/स्प्रेड में परिवर्तन होने पर उसे रीसेट किया जा सकेगा।

(v) धारक कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी (एएए रेटेड) एनएचएआई से पहली वार्षिकी या सीओडी + 180 दिन, जो भी बाद में हो, की प्राप्ति तक उपलब्ध रहेगी।

2) **सुरक्षा का विवरण:**

ऋणदाता को देय सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशियों सहित सुविधा को रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक सुरक्षित किया जाएगा:

(क) उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर पहला बंधक और प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर;

(ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और अन्य सभी चल संपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर;

(ग) ऋण के सभी जमा पर एस्क्रो खाता और उप–खाते (या इसके स्थान पर कोई खाता) शामिल हैं, जो क्षेत्र ऋण, सुविधा अभ्यास, एस्क्रो ऋण और किसी अन्य प्रोजेक्ट दस्तावेज के अनुसार जारी किए जा सकते हैं और उनमें समय–समय पर जमा की गई सभी निधियां, प्राप्य राशियां और अन्य प्रतिभूतियां, उन्हें शामिल किया गया है कि उन्हें बैंकों के स्वामित्व और एस्क्रो पत्र की सीमा तक लागू नहीं किया जा सकता है; और प्राप्य जमा पर सभी अधिभारित ऋणदाताओं द्वारा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया जाएगा कि प्राप्य रसियान एस्क्रो बैंक में जमा की जाएगी, ताकि उन्हें प्रतिबंधित अधिकार और एस्क्रो करार में वैध भुगतानों की अनिवार्यता के जलप्रपात की सीमा तक लागू किया जा सके और उनसे आगे नहीं।

(घ) ऋणी की सभी अमूर्त परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम, तथा वर्तमान और भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसमें परियोजना परिसंपत्तियां शामिल नहीं हैं (बशर्ते कि इनमें से किसी के कारण प्राप्त सभी राशि एस्क्रो खाते में जमा की जाएगी तथा उस पर प्रभार रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुमेय सीमा के अधीन होंगे)। इसके अलावा, अप्रयुक्त पूंजी पर प्रभार, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा:

(ङ) (ऋणी) निम्नलिखित में सुरक्षा के रूप में प्रथम प्रभार या असाइनमेंट:

- ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों, परियोजना दस्तावेजों में, और उसके अंतर्गत;
- ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों, सभी अनुमोदनों में, और उसके अंतर्गत;
- परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण पत्र, गारंटी जिसमें ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और प्रदर्शन बांड शामिल हैं, में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें; और
- सभी बीमा अनुबंधों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें;

(च) डीएसआरए: 3 महीने के ब्याज और एक मूल किस्त के लिए डीएसआरए।

(छ) संपूर्ण सुरक्षा (एस्क्रो और प्रतिस्थापन समझौते के निष्पादन सहित) संवितरण से पहले बनाई जाएगी और संवितरण से पहले पूर्ण की जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

1) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
2) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
3) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

इंडियन ओवरसीज बैंक से ऋण (इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृत राशि:– इंडियन ओवरसीज बैंक से 12.05.2021 को प्राप्त स्वीकृत पत्र के अनुसार परियोजना के लिए स्वीकृत सीमा 309.68 करोड़ रुपये (करोड़ में) थी; लेकिन स्वीकृत राशि से 196.51 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई।

इसके अलावा, सहायक कंपनी ने ऋण स्वीकृति के तहत और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ अपनी परिसंपत्तियों पर प्रभार पंजीकृत किया है।

1) नियम एवं शर्तें

(i) ऋण 10.5 वर्षों में 21 संरचित अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, जो कमीशनिंग (सीओडी) की तारीख से 6 महीने (स्थगन) के बाद शुरू होगा।

(ii) ब्याज दर एक महीने के एमसीएलआर (8.10%) + 0.15% स्प्रेड यानी 8.25% प्रति वर्ष होगी, जो एमसीएलआर के आधार पर परिवर्तन के अधीन होगी।

2) सुरक्षा का विवरण:

i) टर्मलोन धारक कंपनी की बिना शर्त और अपरिवर्तनीय कॉर्पोरेट गारंटी द्वारा समर्थित है।

ii) ऋण को निम्नलिखित द्वारा सुरक्षित किया जाता है:

क) कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/चल संपत्तियों के बंधक के माध्यम से अनन्य प्रभार

ख) परियोजना के बही ऋण, परिचालन नकदी प्रवाह, प्राप्य, कमीशन, किसी भी प्रकृति के राजस्व और जहां भी उत्पन्न होते हैं, वर्तमान और भविष्य की अमूर्त संपत्ति, सद्भावना, अप्रयुक्त पूंजी (वर्तमान और भविष्य) पर अनन्य प्रभार

ग) परियोजना के बैंक खाते पर अनन्य प्रभार, जिसमें एस्क्रो खाता शामिल है, लेकिन उस तक सीमित नहीं है, जहां परियोजना से सभी नकदी प्रवाह जमा किए जाएंगे और सभी आय का उपयोग बैंक/निवेशकों द्वारा तय किए जाने वाले तरीके और प्राथमिकता में किया जाएगा

घ) परियोजना से संबंधित सभी समझौतों के तहत सभी सहायक कंपनी के अधिकारों और हितों का असाइनमेंट, ऋण पत्र (यदि कोई हो), और ऋणदाता के पक्ष में परियोजना से संबंधित किसी भी अनुबंध के लिए किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान की गई गारंटी और प्रदर्शन बांड।

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।
4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिनके लिए उन्हें लिया गया था। वित्त वर्ष 2023–24 के अंत में, सहायक कंपनी ने 80 करोड़ रुपये का ऋण लिया है, जिसमें से 79 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से एफडीआर में रखे गए हैं और इच्छित उद्देश्य के लिए उपयोग के लिए अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाए गए हैं।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति:– 570.82 करोड़ रुपये

बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) ने 570.82 करोड़ रुपये का सावधि ऋण स्वीकृत किया है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान 197.00 करोड़ रुपये का सावधि ऋण वितरित किया गया।

1) नियम और शर्तें:

(i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर एमसीएलआर प्लस 0.09% का प्रसार होगी, जिसमें मासिक शेष राशि होगी। वर्तमान में, लागू ब्याज दर 8.14% प्रति वर्ष है।

(ii) पीसीओडी/सीओडी की तिथि से 6 महीने की मोहलत।

(iii) टर्मलोन 26 संरचित अर्ध–वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकेगा, जिसमें पहला पुनर्भुगतान एससीओडी या सीओडी से 6 महीने के अंत से शुरू होगा, जो भी पहले हो।

(iv) ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर कैलेंडर महीने के आखिरी दिन किया जाएगा।

(v) प्रमोटर यानी होल्डिंग कंपनी (एएए रेटेड) की कॉर्पोरेट गारंटी एनएचएआई या सीओडी + 180 दिनों से पहली वार्षिकी की प्राप्ति तक उपलब्ध रहेगी, जो भी बाद में हो।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

2) सुरक्षा का विवरण:

सुविधा के साथ–साथ सभी ब्याज शुल्क, कमीशन और अन्य धनराशियाँ जो भी निर्धारित की गई हैं और ऋणदाता को देय हैं, रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक सुरक्षित की जाएंगीरू

(क) उधारकर्ता की सभी अचल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर पहला बंधक और प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर;

(ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, फिक्सचर, वाहन और अन्य सभी चल संपत्तियाँ, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर;

(ग) ऋणदाता के सभी खातों पर पहला प्रभार, जिसमें एस्क्रो खाता और उप–खाते (या इसके स्थान पर कोई भी खाता) शामिल हैं, जो रियायत समझौते, सुविधा समझौते, एस्क्रो समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते या किसी अन्य परियोजना दस्तावेज के अनुसार खोले जा सकते हैं और समय–समय पर उनमें जमा की गई सभी निधियां, प्राप्य और अन्य प्रतिभूतियां, बशर्ते कि;

- इसे रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के झरने की सीमा तक लागू किया जाएगा और उससे आगे नहीं; और
- प्राप्य पर सभी प्रभार वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किए जाएँगे कि प्राप्य को एस्क्रो खाते में जमा किया जाए, ताकि रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के झरने की सीमा तक लागू किया जा सके और उससे आगे नहीं।

(घ) उधारकर्ता की सभी अमूर्त परिसंपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान तथा भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है (बशर्ते कि इनमें से किसी के कारण प्राप्त सभी राशियाँ एस्क्रो खाते में जमा की जाएँगी तथा उस पर प्रभार रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार अनुमेय सीमा के अधीन होंगे)। इसके अलावा, अप्रयुक्त पूंजी पर प्रभार, जैसा कि ऊपर निर्धारित किया गया है, रियायत समझौते के प्रावधानों के अधीन होगा;

(ङ) प्रतिभूति के रूप में प्रथम प्रभार या असाइनमेंट;

- उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और माँगें जो भी हों, परियोजना दस्तावेजों में, और उसके अंतर्गत;
- सभी स्वीकृतियों में और उसके अंतर्गत ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें
- परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण पत्र, ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और प्रदर्शन बांड सहित ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें; और
- सभी बीमा संपर्कों में और उसके अंतर्गत ऋणी के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें:

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार लिए गए ऋणों का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड से संबंधित)

संस्वीकृति:– 823.39 करोड़ रुपये

सहायक कंपनी ने परियोजना के वित्तपोषण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी) के साथ वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 823.39 करोड़ रुपये की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 129.37 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) का संवितरण प्राप्त हुआ है। नियम और शर्तें तथा सुरक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

1) नियम एवं शर्तें:

(i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर ओवरनाइट एमसीएलआर +0.09% प्रति वर्ष होगी। पहली संवितरण तिथि पर एमसीएलआर लागू होगी। ब्याज डेबिट होने पर चुकाया जाएगा।

(ii) सावधि ऋण 26 संरचित अर्ध–वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जो 6 महीने की समाप्ति (स्थगन) के बाद शुरू होगा जिसमें सीओडी/पीसीओडी हासिल किया जाता है।

(iii) ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर कैलेंडर महीने के आखिरी दिन किया जाएगा।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

2) **सुरक्षा का विवरण:**

प्रस्तावित परियोजना के लिए ऋण सुविधाएं, सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और उससे संबंधित अन्य धनराशि, रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक सुरक्षित की जाएगी:

क) उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों (यदि कोई हो) पर पहला बंधक और प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर:

ख) उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और अन्य सभी चल संपत्तियां, वर्तमान और भविष्य दोनों, परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर:

ग) उधारकर्ता के सभी खातों पर पहला प्रभार, जिसमें एस्क्रो खाता और उप–खाते (या उनके स्थान पर कोई भी खाता) शामिल हैं, जो रियायत समझौते, सुविधा समझौते, एस्क्रो समझौते और पूरक एस्क्रो समझौते, या किसी अन्य परियोजना दस्तावेज़ और उसमें जमा किए गए सभी फंड, प्राप्य और या अन्य के अनुसार खोले जा सकते हैं। प्रतिभूतियाँ, बशर्ते कि

– इसे रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के झरने की सीमा तक लागू किया जाए और उससे आगे नहीं: और

– प्राप्तियों पर सभी प्रभार वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा लागू किए जाएँगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्तियों को एस्क्रो खाते में जमा किया जाता है ताकि रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट भुगतान की प्राथमिकता के झरने की सीमा तक लागू किया जा सके और उससे आगे नहीं।

घ) उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों पर पहला प्रभार, जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और अप्रयुक्त पूंजी वर्तमान और भविष्य शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है (बशर्ते कि इनमें से किसी के खाते में प्राप्त सभी राशियाँ एस्क्रो खाते में जमा की जाएँगी और उस पर प्रभार रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकता के अनुसार स्वीकार्य सीमा के अधीन होंगे)।

ङ) सुरक्षा के रूप में पहला प्रभार/असाइनमेंट

- उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों प्रोजेक्ट दस्तावेज़:
- उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों सभी अनुमोदन:
- उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों किसी भी क्रेडिट गारंटी के पत्र के अंतर्गत जिसमें ठेकेदार गारंटी और परिसमाप्त क्षति और परियोजना दस्तावेजों के किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन बांड शामिल हैं और:
- उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे और मांगें जो भी हों सभी बीमा अनुबंधों के अंतर्गत।

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड से संबंधित)

संस्वीकृति:– ₹ 501 करोड़

सहायक कंपनी ने परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के साथ ₹ 501 करोड़ की राशि के लिए एक सावधि ऋण समझौता किया है। नियम और शर्तें और सुरक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

1) **नियम एवं शर्तें**

(i) सावधि ऋण ऋण समझौते में उल्लिखित अनुसूची के अनुसार तिमाही किस्तों में 30.09.2033 तक 11.5 वर्षों में चुकाया जाएगा।

(ii) लागू ब्याज दर एसबीआई 3 महीने की एमसीएलआर की आधार दर है और 28.03.2022 से 0.25% का प्रसार है।

(iii) सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में प्रमोटर द्वारा बिना शर्त कॉर्पोरेट गारंटी और प्रमोटर की ओर से एक अपरिवर्तनीय और बिना शर्त वचनबद्धता, ऋण में किसी भी कमी और 17.02.2022 के ऋण समझौते में उल्लिखित अन्य शर्तों को पूरा करने के लिए

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

2 **सुरक्षा का विवरण:**

ऋण समझौते के खंड 12 के अनुसार, विस्तारित ऋण के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है:

(क) परियोजना से संबंधित उधारकर्ता की सभी मूर्त चल संपत्तियों पर पहला प्रभार;

(ख) एस्क्रो खातों और उप–खातों (या इसके प्रतिस्थापन में कोई भी खाता) या इस समझौते के अनुसार खोले जा सकने वाले किसी भी अन्य बैंक खाते सहित परियोजना से संबंधित उधारकर्ता के सभी खातों पर पहला प्रभार;

(ग) परियोजना से संबंधित सभी अमूर्त संपत्तियों पर पहला प्रभार जिसमें सद्भावना, अधिकार, उपक्रम और वर्तमान और भविष्य की अप्रयुक्त पूंजी शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है;

(घ) निम्नलिखित में सुरक्षा के रूप में असाइनमेंट/प्रभार, वर्तमान और भविष्य दोनों:

(i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें;

(ii) सभी मंजूरी में, तथा उसके अंतर्गत उधारकर्ता का अधिकार, शीर्षक तथा हित;

(iii) परियोजना दस्तावेजों के अनुसार उधारकर्ता को किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण पत्र, गारंटी जिसमें ठेकेदार गारंटी तथा परिसमाप्त क्षति तथा निष्पादन बांड शामिल हैं, में उधारकर्ता का सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे तथा मांगें;

(iv) परियोजना से संबंधित सभी बीमा अनुबंधों के अंतर्गत उधारकर्ता का सभी अधिकार, शीर्षक, हित, लाभ, दावे तथा मांगें;

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण अथवा उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार लिए गए धन का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया है जिनके लिए उसे लिया गया था।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से ऋण (इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड से संबंधित)

संस्वीकृति:– 447.61 करोड़ रुपये

एसबीआई ने 447.61 करोड़ रुपये के रुपया अवधि ऋण की उप सीमा के रूप में 94.71 करोड़ रुपये की मोबिलाइजेशन अग्रिम बैंक गारंटी सहित 447.61 करोड़ रुपये का रुपया अवधि ऋण स्वीकृत किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, एसबीआई ने 112.97 करोड़ रुपये (31 मार्च 2023: शून्य) का अवधि ऋण वितरित किया है। नियम और शर्तें तथा सुरक्षा का विवरण निम्नानुसार है:

1) **नियम और शर्तें:**

(i) ऋण पर लगाई जाने वाली ब्याज दर 3एम एमसीएलआर प्लस 0.00% का प्रसार मासिक शेष के साथ होगी।

(ii) एससीओडी/सीओडी की तिथि से 6 महीने की मोहलत, जो भी पहले हो।

(iii) सावधि ऋण 24 संरचित अर्ध–वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा, जिसमें पहला पुनर्भुगतान एससीओडी या सीओडी से 12 महीने के अंत से शुरू होगा, जो भी पहले हो।

(iv) ब्याज का भुगतान मासिक आधार पर कैलेंडर महीने के आखिरी दिन किया जाएगा।

2) **सुरक्षा का विवरण:**

प्रस्तावित परियोजना के लिए ऋण सुविधाएं, सभी ब्याज, शुल्क, कमीशन और इसके संबंध में अन्य धनराशि, रियायत समझौते के तहत अनुमत सीमा तक सुरक्षित होगी:

क) उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियों (परियोजना परिसंपत्तियों को छोड़कर) पर पहला भार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन और अन्य सभी चल संपत्तियां, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं।

ख) एस्क्रो खाते में पड़ी सभी धनराशियों का प्रथम दृष्टिबंधक/प्रभार तथा असाइनमेंट, जिसमें परियोजना में सभी निवेश तथा परियोजना के सभी राजस्व, प्राप्तियां, प्राप्त होने वाली कमी, नकद तथा बीमा आय जमा की जानी है, बशर्ते कि एस्क्रो खाते पर ऐसा प्रभार केवल रियायत समझौते तथा एस्क्रो समझौते में निर्दिष्ट प्राथमिकताओं के जल–पात के अनुसार अनुमेय सीमा तक ही होगा।

ग) उधारकर्ता के सभी बैंक खातों पर प्रथम प्रभार, जिसमें बिना किसी सीमा के एस्क्रो खाता, ऋण सेवा आरक्षित खाता तथा उधारकर्ता द्वारा किसी परियोजना दस्तावेज या अनुबंध के तहत बनाए जाने वाले प्रत्येक अन्य खाते शामिल हैं, बशर्ते कि प्रभार केवल एस्क्रो समझौते में प्रदान की गई प्राथमिकताओं के जल–पात की सीमा तक ही होगा।

घ) उधारकर्ता की सभी अमूर्त संपत्तियों (परियोजना परिसंपत्तियों के अलावा) पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना, अप्रयुक्त पूंजी तथा बौद्धिक संपदा अधिकार, वर्तमान तथा भविष्य दोनों शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ) ऋणकर्ता के सभी अधिकारों, शीर्षक, हितों, लाभों, दावों और मांगों का पहला प्रभार/असाइनमेंट, वर्तमान और भविष्य दोनों, निम्नलिखित में:

- रियायत समझौता और अन्य परियोजना दस्तावेज और मंजूरी,
- ऋण पत्र, गारंटी (ठेकेदार गारंटी सहित) और परिसमाप्त क्षति (संविदात्मक क्षति सहित) और परियोजना दस्तावेजों के तहत किसी भी परियोजना भागीदार द्वारा प्रदान किए गए प्रदर्शन बांड; और
- सभी बीमा अनुबंध।

च) प्रमोटर के योगदान के हिस्से के रूप में लगाए गए असुरक्षित ऋणों पर प्रभार।

छ) प्रमोटर यानी होल्डिंग कंपनी की कॉर्पोरेट गारंटी पहली वार्षिकी की प्राप्ति या सीओडी से 180 दिन तक उपलब्ध होगी, जो भी बाद में हो।

ज) परियोजना दस्तावेजों के असाइनमेंट जैसी सुरक्षा पहले संवितरण से पहले सुरक्षा ट्रस्टी के पक्ष में बनाई और पूर्ण की जाएगी।

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) स्वीकृत शर्तों के अनुसार सहायक कंपनी को कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

5) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से ऋण (इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित)

स्वीकृति: इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सीपीएसयू) योजना चरण–II (सरकारी उत्पादक योजना) के तहत भारत में 500 मेगावाट ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी बिजली परियोजनाओं (किश्त–III) की स्थापना के उद्देश्य से 2,533.70 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऋण समझौता किया।

1) नियम एवं शर्तों का विवरण:

i) ब्याज की शर्तें

लागू ब्याज दर टर्म लोन पर 6 महीने की एमसीएलआर है जो संवितरण की तारीख से प्रभावी है और हर 6 महीने में रीसेट होती है और 1 साल के एमसीएलआर के आधार पर नकद क्रेडिट, प्रदर्शन बैंक गारंटी पर 0.05% + जीएसटी की दर से ब्याज लगता है

ii) पुनर्भुगतान की शर्तें

टर्म लोन का पुनर्भुगतान 30.09.2025 से शुरू होकर 30.09.2044 को समाप्त होने वाली 77 संरचित त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा जैसा कि लोन समझौते में उल्लेख किया गया है।

2) सुरक्षा का विवरण:

लोन समझौते के अनुसार, लोन के लिए प्रतिभूतियों का संक्षेप में उल्लेख इस प्रकार है:

(क) परियोजना से संबंधित संपूर्ण अचल संपत्तियों पर उधारकर्ता के फ्रीहोल्ड/लीजहोल्ड अधिकार पर बंधक के रूप में पहला शुल्क;

(ख) उधारकर्ता की वर्तमान और भविष्य की सभी चल संपत्तियों पर बंधक के रूप में प्रथम प्रभार, जिसमें चल संयंत्र और मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, फर्नीचर, जुड़नार, वाहन, कच्चा माल, व्यापार में स्टॉक, इन्वेंट्री और किसी भी प्रकृति की अन्य सभी चल संपत्तियां शामिल हैं;

(ग) उधारकर्ता के संपूर्ण नकदी प्रवाह, प्राप्य, बही ऋण और राजस्व पर प्रथम प्रभार, चाहे वह किसी भी प्रकृति का हो और जहां भी उत्पन्न हो, वर्तमान और भविष्य दोनों;

(घ) उधारकर्ता की संपूर्ण अमूर्त संपत्तियों पर प्रथम प्रभार, जिसमें सद्भावना और अप्रयुक्त पूंजी, बौद्धिक संपदा, वर्तमान और भविष्य दोनों शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं;

(ङ) जैसा भी मामला हो, बंधक के माध्यम से पहला प्रभार;

(i) परियोजना दस्तावेजों में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें (सीटीयूआईएल के साथ ट्रांसमिशन समझौतों पर प्रभार को छोड़कर, जिसके लिए सीटीयूआईएल से सहमति प्रदान नहीं की जाएगी), सभी समय–समय पर संशोधित, विविध या पूरक के रूप में;

(ii) लागू कानून के अधीन, मंजूरी में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें, और

(iii) परियोजना दस्तावेजों में किसी भी पक्ष द्वारा प्रदान किए गए किसी भी ऋण पत्र, गारंटी, प्रदर्शन, बांड, बैंक गारंटी में उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें:

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(iv) सभी बीमा अनुबंधों के तहत उधारकर्ता के सभी अधिकार, शीर्षक, ब्याज, लाभ, दावे और मांगें;

(च) ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट्स (टीआरए), ऋण सेवा रिजर्व और किसी भी अन्य रिजर्व और परियोजना के अन्य बैंक खातों पर पहला प्रभार, जहां वितरण उप–खाते को छोड़कर बनाए रखा जाता है।

(छ) प्रमोटर द्वारा उधारकर्ता को प्रमोटर/प्रायोजक द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण/उप–ऋण के तहत उधारकर्ता से प्राप्त होने वाली सभी धनराशि पर पहला प्रभार, जो प्रमोटर के योगदान के लिए लाया जाता है।

3) वर्ष के अंत तक किसी भी ऋण या उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

4) सहायक कंपनी ने बैंकों से उधार का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया है, जिनके लिए उन्हें लिया गया था।

5) सहायक कंपनी को स्वीकृत शर्तों के अनुसार कोई तिमाही विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

लेटर ऑफ क्रेडिट समर्थित बिल डिस्काउंटिंग (एलसीबीडी) (इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित)

चालू वर्ष के दौरान, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ई–कॉमर्स कंपनी को भुगतान करने के लिए 2,078.20 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा दी है, जिसमें कैपेक्स एलसी सुविधा की उप–सीमा 1,870.38 करोड़ रुपये है, जिसमें कंपनी को 3 साल तक की कैपेक्स एलसी सुविधा शामिल है। ऋणदाता या किसी अन्य ऋणदाता (कंसोर्टियम के बाहर के ऋणदाता सहित) से एलसीबीडी सुविधा का लाभ उठाने की भी अनुमति है। एलसी बिल इंस्टॉलेशन से प्राप्त आय का उपयोग करने वाले शेयरधारकों को पूर्ण रूप से भुगतान करने के लिए जा रहा है और बिल की रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूर्व भुगतान की जा रही है, ऐसी राशि कंपनी द्वारा अवधि के अंत तक जारी की जा रही है।

सहायक कंपनी ने मॉड्यूल आपूर्तिकर्ताओं ''प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक पावर प्राइवेट लिमिटेड'' (''प्रीमियर एनर्जीज'') और ''वारी एनर्जीज लिमिटेड'' (''वारी एनर्जीज'') को निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ भुगतान करने के लिए उपरोक्त सुविधा का उपयोग किया है।

(i) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.4% प्रति वर्ष की कुल ब्याज लागत, जो 109.07 करोड़ रुपये है, बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख तक यानी 1 वर्ष तक की अवधि के लिए डिस्काउंटिंग बैंक (बैंक ऑफ इंडिया) को अग्रिम रूप से भुगतान की जाएगी।

(ii) बिल डिस्काउंटिंग पर 7.34% प्रति वर्ष की कुल ब्याज लागत, जो 137.09 करोड़ रुपये है, बिल डिस्काउंटिंग की तारीख से शुरू होने वाली और यूसेंस एलसी की समाप्ति की तारीख तक यानी 1 वर्ष तक की अवधि के लिए डिस्काउंटिंग बैंक (इंडसइंड बैंक) को अग्रिम रूप से भुगतान की जाएगी।

(iii) एल.सी. के अंतर्गत यूसेंस अवधि के अंत में एल.सी. बिल डिस्काउंटिंग को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से लिए जाने वाले रुपया अवधि ऋण के माध्यम से उपरोक्त बैंकों को चुकाया जाएगा।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय देयताओं की वहन राशि		
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को वित्तीय देयता में प्रस्तुत	246.17	-
जिसका आपूर्तिकर्ताओं ने वित्त प्रदाताओं से भुगतान प्राप्त कर लिया है	₹ 109.08 करोड़ (बीओआई द्वारा प्रीमियर एनर्जीज को भुगतान) 137.09 करोड़ (इंडसइंड बैंक द्वारा वारी एनर्जीज को भुगतान)	-

20.2 गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं – पट्टा देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयताएँ	2.52	0.42
कुल	**2.52**	**0.42**

20.3 गैर–वर्तमान वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	–	–
(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	–	–
कुल	**-**	**-**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

20.4 गैर–चालू देयताएं – अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
जमा और प्रतिधारण धन	777.42	681.10
कुल	**777.42**	**681.10**

21. प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद टिप्पणी	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	21.1	157.34	119.72
अन्य प्रावधान	21.2	373.34	328.04
		530.68	**447.76**
चालू		**308.72**	**299.19**
गैर–चालू		**221.96**	**148.57**

भारतीय लेखा मानक 37 की आवश्यकताओं के तहत प्रावधानों में परिवर्तन का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

21.1 कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान:

क) प्रावधान ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, निपटान भत्ता, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ, प्रदर्शन से संबंधित वेतन और अवकाश यात्रा रियायत के उद्देश्य से बनाए गए हैं।

ख) भारतीय लेखा मानक 19 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार प्रकटीकरण नोट 36 में दिए गए हैं।

ग) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधानों के वहन मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी	छुट्टी वेतन*	सेवानिवृत्ति पर निपटान भत्ता	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	प्रदर्शन से संबंधित वेतन	छुट्टी यात्रा छूट	पीएफ और अन्य निधियों में योगदान	कुल
01–अप्रैल–2023 तक	**0.08**	**69.37**	**1.14**	**5.26**	**40.21**	**0.20**	**3.46**	**119.72**
चालू	**-**	**7.84**	**0.15**	**5.26**	**40.21**	**0.02**	**3.46**	**56.94**
गैर–चालू	**0.08**	**61.53**	**0.99**	**-**	**-**	**0.18**	**-**	**62.78**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.04	15.26	0.15	5.17	38.17	0.03	25.41	**84.23**
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	-	(12.26)	(0.03)	(5.26)	(24.08)	(0.02)	(2.57)	**(44.22)**
घटाएँ: वर्ष के दौरान राइट बैक	-	-	-	-	(1.40)	(0.01)	(0.89)	**(2.30)**
(विनिमय लाभ)/हानि	-	0.04	(0.13)	-	-	-	-	**(0.09)**
31–मार्च–2024 तक	**0.12**	**72.41**	**1.13**	**5.17**	**52.90**	**0.20**	**25.41**	**157.34**
वर्तमान	**-**	**8.62**	**0.13**	**5.17**	**52.90**	**0.02**	**25.41**	**92.25**
गैर–चालू	**0.12**	**63.79**	**1.00**	**-**	**-**	**0.18**	**-**	**65.09**

* इसमें विदेशी परियोजनाओं पर तैनात कर्मचारियों के लिए **0.46 करोड़ रुपये** शामिल हैं, जिनके लिए वास्तविक आधार पर छुट्टी वेतन का प्रावधान किया गया है।

21.2 अन्य प्रावधान:

प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में बदलाव के बारे में भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क) विमुद्रीकरण प्रावधान

समूह ने विदेशी परियोजनाओं के संबंध में जनशक्ति और संयंत्र एवं उपकरणों के विमुद्रीकरण पर व्यय को पूरा करने के लिए विमुद्रीकरण का प्रावधान किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) रखरखाव का प्रावधान

लागत प्लस अनुबंध में, रखरखाव के लिए कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है, जहां लागत प्रतिपूर्ति योग्य है।

मद् दर और एकमुश्त टर्नकी अनुबंधों में, अनुबंध संबंधी दायित्वों, उप–ठेकेदार के दायित्वों, परिचालन टर्नओवर और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए दोष देयता अवधि के दौरान समूह की देयता को कवर करने के लिए रखरखाव का प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा, टोल रोड के संचालन के लिए रखरखाव मैनुअल के अनुरूप प्रमुख रखरखाव का प्रावधान किया जाता है।

ग) कानूनी मामले

कानूनी मामलों के लिए प्रावधान उन देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो अदालतों, मध्यस्थता और अपील में मामलों के संबंध में होने की उम्मीद है।

घ) अन्य व्ययों के लिए प्रावधान

अन्य खर्चों के लिए प्रावधान अप्रत्यक्ष करों और अन्य के संबंध में अपेक्षित कर देनदारियों का प्रतिनिधित्व करता है।

ङ) भारी अनुबंध

समूह के पास एक अनुबंध है, जहां कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक है। ऐसी स्थिति में भारतीय लेखा मानक 115 और भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार, समूह को इन घाटे के लिए प्रावधान करना होगा।

प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमान के आधार पर प्रावधान किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	विमुद्रीकरण	रखरखाव	विधि मामले	अन्य व्यय	भारी अनुबंध	कुल
01 अप्रैल 2023 तक	**14.73**	**171.54**	**69.22**	**45.74**	**26.81**	**328.04**
चालू	**12.77**	**114.52**	**69.22**	**45.74**	**-**	**242.25**
गैर–चालू	**1.96**	**57.02**	**-**	**-**	**26.81**	**85.79**
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.15	89.97	17.78	6.58	56.77	**171.25**
घटाएँ: वर्ष के दौरान उपयोग	(0.01)	(71.77)	(14.65)	(0.62)	(2.47)	**(89.52)**
घटाएँ: वर्ष के दौरान राइट बैक	-	(1.11)	(12.86)	(13.66)	(12.12)	**(39.75)**
(विनिमय लाभ)/हानि	0.11	0.65	-	(0.46)	-	**0.30**
छूट की समाप्ति	0.04	2.98	-	-	-	**3.02**
31 मार्च 2024 तक	**15.02**	**192.26**	**59.49**	**37.58**	**68.99**	**373.34**
वर्तमान	**13.52**	**89.79**	**59.49**	**37.58**	**16.09**	**216.47**
गैर–चालू	**1.50**	**102.47**	**-**	**-**	**52.90**	**156.87**

22. अन्य गैर–चालू देयताऐं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) अनुबंध देयता		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	930.32	746.38
ख) अन्य		
एमएफसी की उप–पट्टे से अग्रिम राशि	16.82	17.70
पट्टा समतुल्य देयता	7.62	12.82
अन्य	2.55	0.05
कुल	**957.31**	**776.95**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

23. चालू देयताएँ – चालू वित्तीय देयताएँ

23.1 ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
क) दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता:				
(i) बैंकों से ऋण:				
सुरक्षित:				
(क) पंजाब नेशनल बैंक से ऋण (फुट नोट (ii) देखें)		25.12		25.12
(ख) बैंक ऑफ बड़ौदा से ऋण (फुट नोट (ii) देखें)		68.96		34.48
(ग) भारतीय स्टेट बैंक से ऋण (फुट नोट (ii) देखें)		16.40		4.28
(ii) अन्य से ऋण:				
असुरक्षित:				
(क) भारतीय रेलवे वित्त निगम से ऋण	-		615.31	
घटाएँ: रेल भूमि विकास प्राधिकरण से वसूली योग्य (फुट नोट (i) देखें}	-	-	(615.31)	-
कुल		**110.48**		**63.88**

फुट नोट:

(i) दूसरों से असुरक्षित उधार:

(क) असुरक्षित ऋण की नियम एवं शर्तें:

समूह ने 28 मार्च 2018 तक भारतीय रेलवे वित्त निगम (थ्आईआरएफसीथ्) से ₹ 3200 करोड़ का ऋण उठाया है, जो कि पट्टा समझौते के अनुसार रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण ("आरएलडीए") को भुगतान किया गया है। आरएलडीए और समूह के बीच हुए समझौता ज्ञापन ("एमओयू") के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़े अन्य लागत, खर्च और शुल्क (या ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार अन्यथा देय), आरएलडीए द्वारा समूह को भुगतान किए जाएंगे। ऋण राशि के मूलधन का पुनर्भुगतान 15 अप्रैल, 2019 से शुरू होने वाले 5 (पांच) बराबर किस्तों में किया जाएगा। ख्नोट 14.6 (पाद टिप्पणी (vi) देखें,। इस तरह के लेनदेन के लिए कंपनी अधिनियम का अनुपालन किया गया है

(ख) ब्याज दर

(i) समूह समय–समय पर दिए गए और बकाया ऋण की मूल राशि पर 8.77% (आठ दशमलव सात सात प्रतिशत) प्रति वर्ष ("लागू ब्याज दर") (लागू ब्याज कर, सेवा कर और/या ऐसे किसी अन्य कर/शुल्क/ड्यूटी को छोड़कर) की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। ऐसे कर/शुल्क/ड्यूटी, यदि कोई हों, लागू होते हैं, तो उधारकर्ता द्वारा ऋणदाता को ऊपर निर्दिष्ट दरों के अलावा (मूलधन और ब्याज के समान तरीके और समय पर) देय होंगे।

(ii) लागू ब्याज दर ऋण अवधि की मुद्रा के लिए तय की जाएगी।

(ग) समझौता ज्ञापन (एमओयू) की समाप्ति:

कुछ निश्चित घटनाओं के घटित होने पर एमओयू समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद इरकॉन को आईआरएफसी, इरकॉन, आरएलडीए और रेल मंत्रालय (एमओआर) के बीच सहमति से बनी इकाई द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इस समझौते के समाप्त होने पर ऋण समझौते के तहत संपूर्ण बकाया राशि का अग्रिम भुगतान करने का अधिकार रेल मंत्रालय को होगा।

(घ) आईआरएफसी से ऋण की भरपाई और आरएलडीए से वसूली योग्य:

आरएलडीए और समूह के बीच हुए समझौता ज्ञापन ("एमओयू") के पैरा 2.4 के अनुसार, मूलधन और ब्याज की सभी किस्तें, साथ ही कोई भी चूक या अतिरिक्त ब्याज, और ऋण से जुड़े अन्य लागत, खर्च और शुल्क (या ऋण समझौते के तहत या उसके अनुसार अन्यथा देय), आरएलडीए द्वारा समूह को भुगतान किया जाएगा।

समूह के पास एमओयू के अनुसार आईआरएफसी से संबंधित ऋण देयता और आरएलडीए से वसूली योग्य ऋण को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और आरएलडीए से प्राप्त आय के साथ आईआरएफसी से ऋण का निपटान करने के लिए वित्तीय व्यवस्था है। तदनुसार, इंड एएस–32 के प्रावधान के अनुसार आरएलडीए से वसूली योग्य राशि और आईआरएफसी से ऋण की भरपाई की गई है और बैलेंस शीट में निवल राशि प्रस्तुत की गई है।

(ङ) समूह तुलन पत्र तिथि पर ऋण की चुकौती या ऋण पर ब्याज भुगतान में चूक नहीं कर रहा है।

(ii) नोट 20.1 देखें (फुट नोट (i)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

23.2 चालू वित्तीय देयताएँ – पट्टा देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
पट्टा देयताएं	0.72	0.09
कुल	**0.72**	**0.09**

23.3 चालू वित्तीय देयताएं – व्यापार देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	6.36	13.18
(ख) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अलावा		
(i) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता	881.05	842.21
कुल	**887.41**	**855.39**

फुट नोटः

क) 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार देय आयु निर्धारण अनुसूची

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नही	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	2.98	–	3.38	–	–	–	**6.36**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	451.32	94.55	300.75	4.44	18.45	11.50	**881.01**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	**-**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	0.02	–	–	–	–	0.02	**0.04**
	454.32	**94.55**	**304.13**	**4.44**	**18.45**	**11.52**	**887.41**

(₹ करोड़ में)

विवरण	बिना बिल	देय नही	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए बकाया				कुल
			1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	5.10	2.94	5.14	–	–	–	**13.18**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि	151.57	77.11	586.07	10.92	0.88	14.84	**841.39**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की विवादित बकाया राशि	–	–	–	–	–	–	**-**
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की विवादित बकाया राशि	–	–	0.05	0.04	0.14	0.59	**0.82**
	156.67	**80.05**	**591.26**	**10.96**	**1.02**	**15.43**	**855.39**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

23.4 चालू देयताएँ – अन्य वित्तीय देयताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
बैंक से सुरक्षित ऋण पर अर्जित ब्याज {(फुट नोट (ii) देखें}		0.25		0.15
भारतीय रेलवे वित्त निगम से असुरक्षित ऋण पर अर्जित ब्याज	-		51.89	
घटाएँ: रेल भूमि विकास प्राधिकरण को अग्रिम पर अर्जित ब्याज {(फुट नोट (i) देखें}	-	-	(51.89)	-
देय ग्रेच्युटी		3.81		7.17
जमा, प्रतिधारण धन और रोके गए धन		1,707.18		1,618.61
ग्राहक को देय राशि		630.40		592.04
ग्राहक को देय लाभांश		4.01		1.12
ग्राहक से अग्रिम पर देय ब्याज		337.58		330.52
पूंजी आपूर्तिकर्ताओं और सेवाओं के लिए देय		261.99		-
अन्य देय (कर्मचारी देय सहित)		149.03		172.70
कुल		**3,094.25**		**2,722.31**

फुट नोटः

(i) नोट 14.6 और 23.1 फुट नोट देखें (i)

(ii) नोट 20.1 फुट नोट देखें (i)

24. अन्य चालू देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
क) अनुबंध देयता		
ग्राहकों से अग्रिम राशि	1,952.22	2,828.23
– घटाएँ: विरोध के तहत जमा राशि	(217.05)	(217.05)
अग्रिम अनुबंध रसीदें	391.42	216.93
ख) अन्य		
वैधानिक बकाया (फुट नोट (i) देखें)	410.45	451.02
एमएफसी की उप–पट्टे से अग्रिम राशि	0.87	0.87
सरकारी अनुदान (फुट नोट (ii) देखें)	112.35	-
लीज समतुल्यता देयता	4.31	7.58
अन्य	0.25	-
कुल	**2,654.82**	**3,287.58**

फुट नोटः

i) वैधानिक बकाया में माल एवं सेवा कर (जीएसटी), टीडीएस, भविष्य निधि और अन्य वैधानिक बकाया शामिल हैं।

ii) समूह इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड को दिए गए एलओए संख्या 23016/1/2020– इरेडा/आरएफएस/5000MW/012021/963 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 की शर्तों के अनुसार दो किस्तों में इरेडा लिमिटेड से **224.70 करोड़ रुपये** के सरकारी अनुदान (वीजीएफ) का हकदार है। समूह को वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान **112.35 करोड़ रुपये** की वीजीएफ की पहली (1) किस्त प्राप्त हुई है, जिसके लिए संबंधित व्यय अभी किया जाना बाकी है।

25. चालू कर देयता (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
कर के लिए प्रावधान (अग्रिम कर के पश्चात)	66.56	36.95
कुल	**66.56**	**36.95**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

26. परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
अनुबंध राजस्व	11,980.76	9,952.74
टोल संचालन से राजस्व	223.54	196.31
एकीकृत संयुक्त संचालन (असंगठित) में टर्नओवर में समूह का हिस्सा	0.95	0.58
मशीनरी किराया शुल्क	0.20	4.55
एमएफसी लीजिंग	16.44	27.87
परियोजना प्रबंधन परामर्श	79.21	165.23
अन्य परिचालन राजस्व	29.81	20.65
कुल	**12,330.91**	**10,367.93**

27. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज आय:				
कर मुक्त बांड और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज		15.28		19.53
आयकर की वापसी पर ब्याज		27.30		17.23
कर्मचारी अग्रिमों पर ब्याज		0.06		0.08
एससीए के तहत वित्तीय परिसंपत्ति पर ब्याज		182.74		126.93
संबंधित पक्षों को ऋण पर ब्याज (नोट (i) देखें)		4.37		0.90
अग्रिमों और अन्य पर ब्याज	80.87		79.47	
घटाएँ:– ग्राहकों को दिया गया अन्य ब्याज	(29.17)	51.70	(56.23)	23.24
वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज आय		-		0.01
बैंक ब्याज सकल	291.55		241.55	
घटाएँ:– सीडब्ल्यूआईपी में स्थानांतरित अस्थायी निवेश पर ब्याज	(0.76)		-	
घटाएँ:– ग्राहकों को दिया गया ब्याज	(70.72)	220.07	(70.50)	171.05
अन्य:				
परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ		0.53		2.49
म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	37.14		0.32	
घटाएँ: ग्राहकों को दिया गया म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ	(9.50)	27.64	-	0.32
विविध आय (नोट (ii) देखें)	7.21		16.44	
घटाएँ: पारित बीमा दावा	-	7.21	-	16.44
विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ	-		227.51	
घटाएँ: विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	-	-	(223.77)	3.74
म्यूचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन पर लाभ/हानि		2.71		-
कुल		**539.61**		**381.96**

फुट नोट:

(i) संबंधित पक्षों को ऋण पर

(₹ in crore)

संबंधित पक्षों का विवरण	2023-24	2022-23
– छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	0.29	-
– छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	0.78	0.90
– महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	3.30	-
	4.37	**0.90**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) एकीकृत संयुक्त परिचालन (असंगठित) में समूह की अन्य आय का हिस्सा ₹ 0.17 करोड़ (वित्त वर्ष 2022–23: ₹ 0.13 करोड़) शामिल करें

28 (i) उपभोग की गई सामग्री और भंण्डारण

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद टिप्पणी	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रारंभिक शेष		38.18		56.82	
जोड़ें: वर्ष के दौरान की गई खरीदारी	(i)	532.17		373.65	
घटाएँ: अंतिम शेष		**570.35**		**430.47**	
		(36.74)	533.61	(38.18)	392.29
कुल			**533.61**		**392.29**

फुट नोटः

(i) कार्यात्मक मुद्रा से प्रस्तुति मुद्रा में परिवर्तन के कारण **0.03 करोड़ रुपये** का विनिमय लाभ/(हानि) शामिल है (31 मार्च 2023 तक: 1.04 करोड़ रुपये)।

28 (ii) (वृद्धि) /डब्ल्यूआईपी में कमी

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
प्रारंभिक शेष		150.37		199.11	
जोड़ें: वर्ष के दौरान समायोजन		0.24		2.63	
विनिमय लाभ/(हानि)		**150.61**		**201.74**	
		(189.73)	(39.12)	(150.37)	51.37
घटाएँ: समापन शेष					
कुल			**(39.12)**		**51.37**

28 (iii) परियोजना और अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्य व्यय		10,198.68	8,522.54	–	–
टोल संचालन और रखरखाव व्यय		34.33	14.14	–	–
डिजाइन, ड्राइंग, व्यवसाय विकास और परामर्श शुल्क		10.94	9.54	–	–
निरीक्षण, भू–तकनीकी जांच और सर्वेक्षण व्यय आदि		38.29	30.41	–	–
मशीनरी की मरम्मत और रखरखाव		7.41	13.55	–	–
मशीनरी का किराया शुल्क		6.39	12.45	–	–
विनिमय उतार–चढ़ाव हानि		–	–	221.66	–
घटाएँ:– विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ		–	–	(207.27)	–
निवल विनिमय उतार–चढ़ाव हानि		–	–	14.39	–
विनिमय हानि का इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकरण		–	–	13.04	–
किराया – गैर–आवासीय		5.97	5.01	1.06	0.66
दरें और कर		23.94	66.12	0.82	0.63
वाहन संचालन और रखरखाव		16.95	14.05	3.07	2.80

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

विवरण	फुट नोट	परियोजना व्यय		अन्य व्यय	
		31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मरम्मत और रखरखाव					
– भवन		0.30	0.60	0.21	0.54
– कार्यालय और अन्य		5.72	5.27	10.14	8.01
बिजली, बिजली और पानी के शुल्क		8.32	6.00	2.23	2.05
बीमा		14.89	15.35	8.31	1.24
यात्रा और परिवहन		12.39	12.73	3.97	2.55
मुद्रण और स्टेशनरी		1.00	1.45	0.45	0.77
डाक, टेलीफोन और टेलेक्स		1.09	1.24	0.41	0.34
कानूनी और पेशेवर शुल्क		6.06	28.93	12.80	10.95
सुरक्षा सेवाएँ		2.14	1.47	0.94	0.72
सूचीबद्धता व्यय		-	-	0.06	0.06
व्यवसाय संवर्धन		0.38	0.30	0.58	0.80
बट्टे खाते में डालनारू					
– ऋण		0.63	0.81	-	-
संपत्तियों/स्टोर की बिक्री पर घाटा		-	-	0.20	0.05
निदेशक की बैठने की फीस		-	-	0.17	0.17
दान		-	-	-	0.01
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक	(iii)	-	-	0.94	0.83
विज्ञापन और प्रचार		-	-	1.77	2.48
प्रशिक्षण एवं भर्ती		-	-	0.46	0.31
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		-	-	12.92	11.13
विविध व्यय		4.20	4.32	5.35	2.29
बैंक और अन्य वित्त शुल्क		10.97	7.09	1.07	0.44
शुल्क और सदस्यता शुल्क		-	-	0.02	-
एकीकृत संयुक्त संचालन (असंगठित) में व्यय का आनुपातिक हिस्सा		0.31	0.16	-	-
प्रावधान (अतिरिक्त – वापस लिखें) (नोट 21 देखें) और फुट नोट (i)	(i)	168.95	147.28	-	-
उपयोग किए गए प्रावधान (नोट 21 देखें) और फुट नोट (ii)	(ii)	(90.14)	(33.63)	-	-
कुल		**10,490.11**	**8,887.18**	**95.38**	**49.83**

फुट नोटः

(i) इसमें 37.25 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022–23: 51.27 करोड़ रुपये) प्रावधान जोड़–संदिग्ध अग्रिम और ऋणों के विरुद्ध राइट बैक शामिल है

(ii) इसमें संदिग्ध अग्रिम के विरुद्ध 0.62 करोड़ रुपये (वित्त वर्ष 2022–23: 5.85 करोड़ रुपये) शामिल हैं

(iii) वैधानिक लेखा परीक्षकों को भुगतान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
(क) लेखापरीक्षा शुल्क – चालू वर्ष	0.48	0.41
(ख) कर ऑडिट शुल्क – चालू वर्ष	0.14	0.12
(ग) त्रैमासिक सीमित समीक्षा के लिए शुल्क	0.25	0.24
(घ) प्रमाणन शुल्क	0.06	0.03
(ङ) जेब से किए गए खर्च	0.01	0.03
कुल	**0.94**	**0.83**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

29. कर्मचारी लाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	फुट नोट	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		
		परियोजना व्यय	अन्य खर्चों	कुल	परियोजना व्यय	अन्य खर्चों	कुल
वेतन, मजदूरी और बोनस	(i)	177.63	70.97	**248.60**	169.98	60.65	**230.63**
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान		11.37	28.19	**39.56**	10.49	5.57	**16.06**
विदेश सेवा योगदान		–	2.10	**2.10**	–	2.09	**2.09**
सेवानिवृत्ति लाभ		21.91	12.38	**34.29**	19.45	13.58	**33.03**
कर्मचारी कल्याण		1.83	0.42	**2.25**	1.96	0.35	**2.31**
कुल		**212.74**	**114.06**	**326.80**	**201.88**	**82.24**	**284.12**

फुट नोटः–

(i) इसमें गैर–मौद्रिक भत्तों पर आयकर ₹ 0.53 करोड़ (31 मार्च 2023: ₹ 0.62 करोड़) शामिल है।

30. वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	पाद टिपण्णी	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	
ब्याज व्यय	(i)	145.89		167.53	
घटाएँ: रेल भूमि के लिए अग्रिम पर ब्याज विकास प्राधिकरण (आरएलडीए)		(2.07)	143.82	(56.03)	111.50
अन्य ऋण लागत					
– बैंक गारंटी और अन्य शुल्क			1.28		1.17
वित्तीय साधनों को समाप्त करने पर ब्याज			–		0.10
पट्टा देयता पर ब्याज लागत			0.28		0.02
वित्तीय साधनों का परिशोधन			–		0.01
प्रावधानों पर छूट को समाप्त करना			3.02		5.28
कुल			**148.40**		**118.08**

फुट नोटः–

(i) आयकर पर ब्याज शामिल है ₹ 0.26 करोड़ (31 मार्च 2023: ₹ 0.30 करोड़)।

31. मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का मूल्यह्रास	22.71	26.22
उपयोग के अधिकार का मूल्यह्रास – पट्टा संपत्ति	1.13	0.38
अमूर्त संपत्तियों का परिशोधन	64.77	68.03
निवेश संपत्ति का मूल्यह्रास	11.82	12.41
संपत्तियों की हानि	–	0.42
कुल	**100.43**	**107.46**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

32. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के घटक

इक्विटी में प्रत्येक प्रकार के रिजर्व द्वारा ओसीआई में परिवर्तनों का विभाजन नीचे दिखाया गया है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं के पुनर्मापन पर निवल बीमांकिक लाभ/(हानि)	1.75	1.92
परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्मापन लाभ/(हानि) से संबंधित आयकर	(0.44)	(0.48)
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा इक्विटी पद्धति (कर के बाद निवल) का उपयोग करके हिसाब में लिया गया	(0.01)	(0.03)
कुल	**1.30**	**1.41**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे मद् जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	(2.44)	12.90
विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर से संबंधित आयकर	0.61	(3.25)
कुल	**(1.83)**	**9.65**
कुल योग	**(0.53)**	**11.06**

33. क. उचित मूल्य माप

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को इन वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर मापा जाता है और उन्हें उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में समूहीकृत किया जाता है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट की अवलोकनीयता के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, इस प्रकार:

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (समायोजित नहीं)।

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देनदारी के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

स्तर 3: परिसंपत्ति या देनदारी के लिए अवलोकनीय इनपुट

क) 31 मार्च, 2024 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य इस प्रकार हैं:*

(₹ करोड़ में)

विवरण	जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	562.00	562.00	-	-
कुल	**562.00**	**562.00**	**-**	**-**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड और सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	126.70	-	-	126.70
(ii) ऋण	1.37	-	-	1.37
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4,258.44	-	-	4,258.44
कुल	**4,386.51**	**-**	**-**	**4,386.51**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	2,567.16	-	-	2,567.16
(ii) पट्टा देयताएँ	3.24	-	-	3.24
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3,871.67	-	-	3,871.67
कुल	**6,442.07**	**-**	**-**	**6,442.07**

ख) 31 मार्च, 2023 तक श्रेणियों के अनुसार वित्तीय साधनों के वहन मूल्य और उचित मूल्य निम्नानुसार हैं: *

(₹ करोड़ में)

विवरण	जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ ('एफवीटीपीएल')				
म्यूचुअल फंड में निवेश	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ				
(i) निवेश				
कर मुक्त बांड में निवेश	225.19	-	-	225.19
(ii) ऋण	1.36	-	-	1.36
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,251.76	-	-	3,251.76
कुल	**3,478.31**	**-**	**-**	**3,478.31**

(₹ करोड़ में)

विवरण	जाने के मूल्य	उचित मूल्य		
		स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3
परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ				
(i) उधार	1,504.21	-	-	1,504.21
(ii) पट्टे देयताएँ	0.51	-	-	0.51
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	3,403.41	-	-	3,403.41
कुल	**4,908.13**	**-**	**-**	**4,908.13**

प्रबंधन ने यह आकलन किया कि नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय, बैंक ओवरड्राफ्ट और अन्य चालू वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य, इन लिखतों की अल्पावधि परिपक्वता के कारण, उनकी अग्रणीत राशि के लगभग बराबर है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य उस राशि पर शामिल किया जाता है जिस पर इच्छुक पक्षों के बीच चालू लेनदेन में साधन का आदान–प्रदान किया जा सकता है। उचित मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों और मान्यताओं का उपयोग किया गया:

i) म्यूचुअल फंड इकाइयों में निवेश का उचित मूल्य नेट एसेट वैल्यू ('एनएवी') पर आधारित है, जैसा कि इन म्यूचुअल फंड इकाइयों के जारीकर्ताओं द्वारा बैलेंस शीट की तारीख पर प्रकाशित विवरणों में बताया गया है। एनएवी उस कीमत को दर्शाता है जिस पर जारीकर्ता म्यूचुअल फंड की आगे की इकाइयाँ जारी करेगा और वह कीमत जिस पर जारीकर्ता निवेशकों से ऐसी इकाइयाँ भुनाएगा।

ii) संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश को इक्विटी निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति का उपयोग करके किया गया है। चूँकि माप के प्रयोजनों के लिए ये भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन्हें ऊपर दी गई तालिकाओं में प्रकट नहीं किया गया है।

* वित्तीय वर्ष 2023–24 और 2022–23 के दौरान, स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3 उचित मूल्य माप के बीच कोई स्थानान्तरण नहीं हुआ।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह की मुख्य वित्तीय देनदारियों में उधार, व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। समूह की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संबंधित पक्षों को दिए गए ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्तियां, तथा नकद और अल्पकालिक जमा शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं। समूह म्यूचुअल फंड, कर मुक्त बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में भी निवेश करता है। समूह की गतिविधियाँ इसे कुछ वित्तीय जोखिमों के प्रति उजागर करती हैं: बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम।

क) बाजार जोखिम

बाजार जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार मूल्यों में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेगा। बाजार जोखिम में विदेशी मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। बाजार जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में उधार, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य गैर व्युत्पन्न वित्तीय साधन शामिल हैं

(i) विदेशी मुद्रा जोखिम

समूह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करता है और विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम (चूंकि विदेशी मुद्रा में प्राप्तियां और भुगतान आम तौर पर मेल खाते हैं) के प्रति संवेदनशील है, मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो, येन, बीडीटी, डीजेडडी, एलकेआर, एमजेडएन, बीटीएन, जेडएआर, एनपीआर और एमवाईआर के संबंध में। समूह के महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा जोखिम स्वाभाविक रूप से सुरक्षित हैं।

31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 तक, संबंधित विदेशी मुद्रा में प्रत्येक 5% की वृद्धि या कमी से हमारे कर–पूर्व लाभ पर क्रमशः लगभग ₹ 2.45 करोड़ और ₹ 5.67 करोड़ का प्रभाव पड़ेगा।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह का विदेशी मुद्रा जोखिम के प्रति महत्वपूर्ण जोखिम निम्नानुसार है:

31 मार्च 2024 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाइ	एमएमके	जेएआर	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्य	22.85	75.12	46.64	–	–	–	47.27	–	–	**191.88**
नकद और बैंक शेष	184.32	237.44	60.99	2.07	3.95	5.09	60.17	0.34	78.56	**632.93**
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	0.14	–	–	5.16	–	–	32.92	76.95	–	**115.17**
अन्य संपत्तियां	7.89	5.35	68.08	–	6.74	–	9.92	–	–	**97.98**
कुल	**215.20**	**317.91**	**175.71**	**7.23**	**10.69**	**5.09**	**150.28**	**77.29**	**78.56**	**1,037.96**
देनदारियां										
व्यापार देय राशि	3.02	30.79	11.24	2.63	23.36	–	–	5.97	–	**77.01**
ग्राहक से अग्रिम राशि	55.80	–	–	–	–	–	541.55	–	–	**597.35**
अन्य देनदारियां	25.68	8.02	261.54	–	4.85	–	14.27	0.19	–	**314.55**
कुल	**84.50**	**38.81**	**272.78**	**2.63**	**28.21**	**-**	**555.82**	**6.16**	**-**	**988.91**

31 मार्च 2023 तक

(₹ करोड़ में)

विवरण	यूएसडी	यूरो	डीजेडडी	बीडीटी	एलकेआर	एमवाईआर	जेपीवाइ	एमएमके	जेएआर	कुल
संपत्ति										
व्यापार प्राप्य	42.76	40.87	46.67	0.98	–	0.77	12.29	–	–	**144.34**
नकद और बैंक शेष	46.08	161.30	1.44	2.80	2.37	0.91	113.97	25.88	0.01	**354.76**
ठेकेदारों को अग्रिम राशि	34.96	–	0.19	4.03	–	–	32.91	–	–	**72.09**
अन्य संपत्तियां	4.18	–	179.49	–	1.65	12.36	–	–	0.37	**198.05**
कुल	**127.98**	**202.17**	**227.79**	**7.81**	**4.02**	**14.04**	**159.17**	**25.88**	**0.38**	**769.24**
देनदारियां										
व्यापार देय राशि	13.56	34.46	22.80	9.59	11.34	–	–	2.52	–	**94.27**
ग्राहक से अग्रिम राशि	74.48	–	–	–	–	–	221.25	–	–	**295.73**
अन्य देनदारियां	4.82	2.67	252.23	–	2.96	0.63	–	2.50	–	**265.81**
कुल	**92.86**	**37.13**	**275.03**	**9.59**	**14.30**	**0.63**	**221.25**	**5.02**	**-**	**655.81**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(ii) ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जिसमें वित्तीय साधनों के भविष्य के नकदी प्रवाह का उचित मूल्य बाजार ब्याज दर में परिवर्तन के कारण उतार–चढ़ाव करेगा। समूह मुख्य रूप से अस्थिर ब्याज दरों के साथ गैर–वर्तमान उधार से उत्पन्न ब्याज दर जोखिम के संपर्क में है। समूह अपने ब्याज जोखिम को समूह की नीतियों और जोखिम उद्देश्य के अनुसार प्रबंधित करता है। उधार के अलावा, ब्याज दर जोखिम से प्रभावित वित्तीय साधनों में कर मुक्त बांड, सरकारी प्रतिभूतियाँ और बैंकों के पास जमा राशि शामिल हैं। इन वित्तीय साधनों पर ब्याज दर जोखिम बहुत कम है क्योंकि वित्तीय साधनों की अवधि के लिए ब्याज दर तय की जाती है।

ख) ऋण जोखिम

समूह के ग्राहक प्रोफाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेश में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। तदनुसार, समूह का ग्राहक ऋण जोखिम कम है। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइजेशन एडवांस, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान और परियोजना के अंत में जारी की जाने वाली कुछ प्रतिधारण राशि शामिल है। कुछ मामलों में प्रतिधारण को बैंक/कॉर्पोरेट गारंटी के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। समूह के पास संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर अतिदेय ग्राहक प्राप्तियों की विस्तृत समीक्षा प्रणाली है ताकि प्राप्ति के लिए उचित ध्यान और फोकस सुनिश्चित किया जा सके।

व्यापार और अन्य प्राप्य

समूह का ऋण जोखिम जोखिम मुख्य रूप से प्रत्येक ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषताओं से प्रभावित होता है। ग्राहक की जनसांख्यिकी, जिसमें उद्योग और देश का डिफ़ॉल्ट जोखिम शामिल है जिसमें ग्राहक काम करता है, का भी ऋण जोखिम मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ता है।

ऋण जोखिम का जोखिम

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ता आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) का उपयोग करके मापा जाता है		
गैर–चालू निवेश	125.19	125.20
गैर–चालू ऋण	0.44	0.52
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसंपत्तियाँ	16.57	19.09
वर्तमान निवेश	563.51	99.99
नकद और नकद समकक्ष	2,179.78	2,338.11
अन्य बैंक शेष	2,804.55	2,784.45
वर्तमान ऋण	0.93	0.84
अन्य वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियाँ	361.05	442.28
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए भत्ता सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापा जाता है		
व्यापार प्राप्य	891.13	924.99
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	3,918.49	2,823.50

सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक भत्ते	**68.11**	**37.49**
वर्ष के दौरान प्रदान किए गए	31.83	31.54
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.62)	(0.81)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	–	(0.11)
समापन भत्ते	**99.32**	**68.11**

वर्ष के दौरान, समूह ने ₹ 31.83 करोड़ (31 मार्च, 2023: ₹ **31.54 करोड़**) की हानि भत्ता मान्यता दी है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

आजीवन अपेक्षित ऋण हानि (एलईसीएल) दृष्टिकोण का उपयोग करके मापी गई हानि भत्ते में परिवर्तन का सारांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
प्रारंभिक भत्ते	**28.41**	**8.57**
वर्ष के दौरान प्रदान किए गए	5.63	20.00
वर्ष के दौरान उपयोग	(0.01)	(0.16)
बट्टे खाते में डाली गई राशि	-	-
(विनिमय लाभ) / हानि	(0.01)	-
समापन भत्ते	**34.02**	**28.41**

रिपोर्टिंग अवधि के दौरान आकलन तकनीकों या मान्यताओं में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया।

वर्ष के दौरान, समूह ने 5.63 करोड़ रुपये (31 मार्च, 2023: **20.00 करोड़ रुपये**) की हानि भत्ता को मान्यता दी है।

ग) तरलता जोखिम

समूह पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखने और पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच बनाकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करता है। राजकोष विभाग नियमित रूप से अनुमानों के मुकाबले नकदी और नकदी समकक्षों की स्थिति की निगरानी करता है। तरलता की स्थिति की समीक्षा करते समय वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल का आकलन और तुलन पत्र तरलता अनुपात के रखरखाव पर विचार किया जाता है।

समूह की निवेश नीति और रणनीति पूंजी के संरक्षण और समूह की तरलता आवश्यकताओं का समर्थन करने पर केंद्रित है। समूह का वरिष्ठ प्रबंधन इसकी निवेश रणनीति की देखरेख करता है और इसके निवेश उद्देश्यों को प्राप्त करता है। समूह आमतौर पर भारत सरकार के ऋण बांड और म्यूचुअल फंड में निवेश करता है। नीति के अनुसार निवेश आमतौर पर निवेश ग्रेड होना चाहिए, जिसका प्राथमिक उद्देश्य मूलधन हानि के संभावित जोखिम को कम करना है। एनएचएआई बांड पर ब्याज की एक निश्चित दर होती है, इसलिए वे बांड की उपज दरों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते हैं और म्यूचुअल फंड अत्यधिक तरल परिसंपत्तियां हैं, जिनका भुगतान मासिक रूप से किया जाता है और फिर से निवेश किया जाता है।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 तक महत्वपूर्ण वित्तीय देनदारियों के बारे में विवरण प्रदान करती है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
उधार	110.48	531.92	1,924.76
लीज़ देयताएँ	0.72	2.52	-
व्यापार देयताएँ	887.41	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	3,094.25	777.42	-

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 तक		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष और उससे अधिक
उधार	63.88	103.51	1,336.82
लीज़ देयताएँ	0.09	0.42	-
व्यापार देयताएँ	855.39	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	2,722.31	681.10	-

ख) अत्यधिक जोखिम संकेन्द्रण

संकेन्द्रण तब उत्पन्न होता है जब कई प्रतिपक्ष समान व्यावसायिक गतिविधियों में लगे होते हैं, या एक ही भौगोलिक क्षेत्र में गतिविधियों में लगे होते हैं, या उनकी आर्थिक विशेषताएँ ऐसी होती हैं कि आर्थिक, राजनीतिक या अन्य स्थितियों में होने वाले परिवर्तनों से संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की उनकी क्षमता समान रूप से प्रभावित होती है। संकेन्द्रण किसी विशेष उद्योग को प्रभावित करने वाले घटनाक्रमों के प्रति समूह के प्रदर्शन की सापेक्ष संवेदनशीलता को दर्शाता है।

जोखिम के अत्यधिक संकेन्द्रण से बचने के लिए, समूह की नीतियों और प्रक्रियाओं में विविधतापूर्ण पोर्टफोलियो के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। क्रेडिट जोखिमों के पहचाने गए संकेन्द्रणों को तदनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

निम्नलिखित तालिका शीर्ष पांच परियोजनाओं से प्राप्त राजस्व का विवरण देती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31–मार्च–24	31–मार्च–23
शीर्ष 5 परियोजनाओं से राजस्व	5,523.98	6,107.15
	5,523.98	**6,107.15**

ग) **ब्चपजंस**

समूह का उद्देश्य अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि यह सुनिश्चित हो सके और समूह को चालू व्यवसाय के रूप में जारी रखने की उनकी क्षमता सुरक्षित रहे, ताकि समूह शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान करना जारी रख सके और अन्य हितधारकों को लाभ पहुंचा सके। निदेशक मंडल समूह की लाभांश वितरण नीति के अनुरूप इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की निगरानी भी करता है। समूह ने निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार लाभांश का भुगतान किया है:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–मार्च–24	31–मार्च–23
लाभांश भुगतान	282.15	230.42
कुल	**282.15**	**230.42**

निदेशक मंडल ने 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 1.30 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, जो वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। यह 2 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य पर 1.80 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की दर से दिए गए अंतरिम लाभांश के अतिरिक्त है।

इसके अलावा, समूह आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन और वित्तीय अनुबंधों की आवश्यकताओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है।

समूह पूंजी की निगरानी करता है, जो आमतौर पर उद्योग और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर होता है। समूह ऋण इक्विटी अनुपात का उपयोग करके पूंजी की निगरानी करता है जो ऋण को कुल इक्विटी से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। ऋण में दीर्घकालिक ऋण की गैर–वर्तमान और वर्तमान परिपक्वता शामिल होती है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऋण इक्विटी अनुपात इस प्रकार था:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–मार्च–24	31–मार्च–23
उधार (नोट सं. 20.1)	2,456.68	1,440.33
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता (नोट सं. 23.1)	110.48	63.88
ऋण	**2,567.16**	**1,504.21**
इक्विटी (नोट सं. 18)	188.10	188.10
अन्य इक्विटी (नोट सं. 19)	5,682.82	5,023.39
कुल इक्विटी	**5,870.92**	**5,211.49**
ऋण इक्विटी अनुपात	**0.44**	**0.29**

34. क) समेकित वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) की आवश्यकता और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो 1 अप्रैल, 2015 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू हैं। तदनुसार, समेकित वित्तीय विवरणों में विचारित कंपनी (जिसे होल्डिंग कंपनी भी कहा जाता है), इसकी सहायक कंपनियां और संयुक्त उद्यम (संयुक्त रूप से श्समूहश के रूप में संदर्भित) निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	मूल देश	प्रतिशत आयु हिस्सा	
			31.03.2024	31.03.2023
	सहायक कंपनियाँ			
1	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
2	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
3	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
4	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
5	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
6	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
7	इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	भारत	76.00%	76.00%
8	इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र.सं.	सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियों का नाम	मूल देश	प्रतिशत आयु हिस्सा	
			31.03.2024	31.03.2023
9	इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
10	इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
11	इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
	संयुक्त उद्यम कंपनियां			
1	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	50.00%	50.00%
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%
7	भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	भारत	26.00%	26.00%

ख) समेकन के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग तिथि होल्डिंग कंपनी के समान ही होगी।

ग) जहाँ तक संभव हो, समेकित वित्तीय विवरण समान परिस्थितियों में समान लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए समान लेखांकन नीतियों का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं और उन्हें होल्डिंग कंपनी के अलग–अलग वित्तीय विवरणों के समान तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। होल्डिंग कंपनी और उसके संयुक्त उद्यमों की लेखांकन नीतियों में अंतर, यदि कोई हो, महत्वपूर्ण नहीं है।

35. अन्य जानकारी – पूंजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम	2023 - 2024
(पीपीई में वृद्धि, सीडब्ल्यूआईपी में परिवर्तन, अमूर्त परिसंपत्तियों में वृद्धि, विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों में परिवर्तन, निवेश संपत्ति में वृद्धि)	
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किया गया पूंजीगत व्यय	581.89
कुल (क)	**581.89**
संयुक्त उद्यम कम्पनियों द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय में इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का हिस्सा, जो पूंजीकृत हैं/पूंजीकृत होने वाली हैंरू	
1. इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	9.82
2. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	49.75
3. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	238.66
4. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	3.68
5. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	93.02
6. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	-
7. इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-
कुल (ख)	**394.93**
कुल योग (क+ख)	**976.82**

36. कार्मिक हितलाभ

भारतीय लेखा मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

(i) परिभाषित अंशदान योजनाएँ – सामान्य विवरण

क पेंशन

कंपनी ने 01 अप्रैल, 2009 से सभी नियमित कर्मचारियों के लिए इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 लागू की है, जो आईडीए स्केल में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, चाहे उनकी सेवा अवधि कुछ भी हो। इसमें वे कर्मचारी शामिल नहीं हैं जो 01 जनवरी, 2017 से पहले शामिल हुए थे, लेकिन 15 साल की सेवा पूरी करने से पहले 01 जनवरी, 2017 के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे/इस्तीफा दे देंगे, ऐसे मामले में पेंशन के लिए नियोक्ता का अंशदान 01 जनवरी, 2017 से ही प्रभावी होगा। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015–16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया गया था और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

वित्त वर्ष 2023–24 में, निदेशक मंडल ने 11 मई, 2023 को आयोजित अपनी 286वीं बैठक में एलआईसी के पास मौजूद इरकॉन परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति पेंशन योजना, 2009 को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्थानांतरित करने को मंजूरी दे दी है।

वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कंपनी के अंशदान की राशि **₹ 9.35 करोड़** (₹ 9.17 करोड़) का भुगतान और लेखा–जोखा किया गया है, जिसमें से 1 अक्टूबर, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के लिए **₹ 4.72 करोड़** का भुगतान एनपीएस को किया गया है।

ख (ii) परिभाषित लाभ योजनाएँ – सामान्य विवरण

भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट (इरकॉन कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट) को पूर्व–निर्धारित दर पर प्रोविडेंट फंड का निश्चित अंशदान देती है, जो स्वीकृत प्रतिभूतियों में निधियों का निवेश करता है। ट्रस्ट को ट्रस्ट के सदस्यों को अंशदान पर न्यूनतम ब्याज दर का भुगतान करना आवश्यक है। ट्रस्ट को आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। कंपनी का दायित्व है कि वह ट्रस्ट के निवेश से प्राप्त रिटर्न और अधिसूचित ब्याज दर के आधार पर ब्याज भुगतान के बीच की कमी, यदि कोई हो, को पूरा करे।

इस अवधि के दौरान, कंपनी ने भविष्य निधि के लिए नियोक्ता अंशदान के रूप में ट्रस्ट को ₹ 15.78 करोड़ (₹ 13.64 करोड़) का योगदान दिया है।

ग्रेच्युटी

होल्डिंग कंपनी ने कंपनी के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, शारीरिक अक्षमता या मृत्यु के कारण उनकी नौकरी समाप्त होने पर सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इरकॉन कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी योजना लागू की है। इस योजना का प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2015–16 में गठित एक अलग ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ट्रस्ट के फंड का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। 31 मार्च, 2024 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर खातों की पुस्तकों में ₹ 3.83 करोड़ (₹ 7.18 करोड़) की देयता दर्ज की गई है।

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी ने स्वैच्छिक कल्याण उपाय के रूप में सेवा के दौरान मरने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथी को वार्षिकी, चिकित्सा और अन्य लाभ प्रदान करने के लिए वर्ष 2000–01 के दौरान 12.00 करोड़ रुपये के प्रारंभिक एकमुश्त योगदान द्वारा एक अपरिवर्तनीय ट्रस्ट की स्थापना की थी, जिसके लिए कंपनी अपने कर्मचारियों को ऐसे लाभ प्रदान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसके अलावा, कंपनी अपने कर्मचारियों (और जीवनसाथी) को चिकित्सा लाभ प्रदान करती है जो कंपनी से सेवानिवृत्त होते हैं। कंपनी ने सेवानिवृत्ति लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर 5.17 करोड़ रुपये (5.26 करोड़ रुपये) का योगदान दिया है।

अन्य सेवानिवृत्ति लाभ – सामान्य विवरण

अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में गृह नगर या उस स्थान पर बसना शामिल है जहाँ वह या उसका परिवार भारत में बसना चाहता है, जिसमें सामान भत्ता भी शामिल है। इस खाते पर देयता को एक्चुरियल मूल्यांकन के आधार पर पहचाना जाता है।

31 मार्च, 2024 तक लाभ और हानि विवरण और बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त विभिन्न कर्मचारी लाभों की संक्षिप्त स्थिति निम्नानुसार है:

i) परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अवधि की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	**453.76**	**427.10**	**90.28**	**81.42**	**138.83**	**131.23**	**1.15**	**1.20**
वर्तमान सेवा लागत	**41.21**	40.54	**3.76**	3.66	**3.90**	3.43	**0.07**	0.06
पिछली सेवा लागत	**-**		**1.18**	4.97	**-**	-	**-**	-
ब्याज लागत	**35.18**	33.82	**6.62**	5.80	**10.16**	9.33	**0.08**	0.08
भुगतान किए गए लाभ	**(84.61)**	(47.55)	**(20.23)**	(3.63)	**(3.80)**	(4.30)	**(0.03)**	(0.04)
दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ) / हानि	**3.06**	(0.14)	**(2.17)**	(1.95)	**6.62**	(0.86)	**(0.13)**	(0.16)
अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	**448.60**	**453.76**	**79.44**	**90.27**	**155.71**	**138.83**	**1.15**	**1.15**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**450.30**	**424.56**	**83.03**	**76.68**	**117.58**	**110.29**	**-**	**-**
नियोक्ता और कर्मचारी द्वारा योगदान	**41.21**	40.54	**7.17**	4.69	**5.26**	4.64	-	-
भुगतान किए गए लाभ	**(84.61)**	(47.55)	**(20.23)**	(3.62)	**(3.80)**	(4.30)	-	-
ब्याज आय	**37.57**	32.75	**5.73**	5.57	**9.32**	6.95	-	-
बैलेंस शीट के अनुसार प्रारंभिक समायोजन	**1.59**	-	**-**	-	**-**	-	-	-
वित्त वर्ष 22–23 के लिए नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की कमी	**2.46**	-	**-**	-	**-**	-	-	-
तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान	**(25.32)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर रिटर्न	**-**	-	**-**	-	**-**	-	-	-
एलआईसी मृत्यु दर शुल्क	**-**	-	**(0.21)**	(0.30)	**-**	-	-	-
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**423.20**	**450.30**	**75.49**	**83.03**	**128.36**	**117.58**	**-**	**-**

iii) योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ दायित्व का समाधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**423.20**	450.30	**75.49**	83.03	**128.36**	117.58	**-**	-
परिभाषित लाभ दायित्व	**448.60**	453.76	**79.44**	90.27	**155.71**	138.83	**1.15**	1.15
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि	**(25.41)**	**(3.46)**	**(3.95)**	**(7.24)**	**(27.36)**	**(21.26)**	**(1.15)**	**(1.15)**

iv) लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्तमान सेवा लागत	13.19	13.67	3.77	3.66	3.90	3.43	0.07	0.06
पिछली सेवा लागत	-	-	1.18	4.97	-	-	-	-
निवल ब्याज व्यय	-	-	0.52	0.33	1.56	1.49	0.08	0.08
लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि	**13.19**	**13.67**	**5.47**	**8.97**	**5.46****	**4.92**	**0.15**	**0.15**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

v) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त राशि:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले बीमांकिक परिवर्तन	0.03	0.01	(0.45)	1.01	(1.23)	2.52	0.01	(0.02)
अनुभव समायोजन	3.04	0.14	2.64	0.94	(5.38)	(1.66)	(0.14)	(0.14)
योजना परिसंपत्तियों पर प्रतिफल जिसमें ब्याज आय शामिल नहीं है	(2.39)	(1.06)	(0.55)	(0.18)	0.72	(0.89)	-	-
अन्य में मान्यता प्राप्त राशि	**0.68**	**(0.92)**	**1.64**	**1.77**	**5.89****	**(0.03)**	**(0.13)**	**(0.16)**

** सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के प्रति देयता, सुपरएनुएशन लाभों पर डीपीई दिशानिर्देशों के आधार पर प्रदान की गई है और इसलिए, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार देयता पर विचार नहीं किया गया है।

vi) कुल योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य की प्रमुख योजना परिसंपत्तियों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य निधि		ग्रेच्युटी		सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना		अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	
	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ	59.16%	59.16%	-	-	6.74%	6.74%	-	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-	43.96%	43.96%	-	-
केंद्र और राज्य गारंटीकृत बांड	-	-	-	-	5.99%	5.99%	-	-
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बांड	37.09%	37.09%	-	-	14.30%	14.30%	-	-
पीएसयू बांड	-	-	-	-	19.53%	19.53%	-	-
पीएसयू बेसल III टियर I बांड	-	-	-	-	8.51%	8.51%	-	-
ऋण म्यूचुअल फंड	0.24%	0.24%	-	-	0.29%	0.29%	-	-
ईटीएफ/अनुक्रमणिका/इक्विटी म्यूचुअल फंड	3.25%	3.25%	-	-	0.67%	0.67%	-	-
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	0.00%	0.26%	100%	100%	-	-	-	-
कुल	0.26%	-						
	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**0%**

vii) कंपनी की योजनाओं के लिए पीएफ/ग्रेच्युटी/पीआरएमबी/सेवानिवृत्ति भत्ता देयता निर्धारित करने में प्रयुक्त प्रमुख मान्यताएं नीचे दर्शाई गई हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	पीएफ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए ग्रेच्युटी	पीआरएमबी 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	पीआरएमबी 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	सेवानिवृत्ति भत्ता 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	सेवानिवृत्ति भत्ता 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
छूट की दर	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%
भविष्य में वेतन वृद्धि	8.25%	8.15%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%
मृत्यु दर	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)	100% IALM (2012-14)

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

viii) **ऊपर दर्शाई गई महत्वपूर्ण धारणा के लिए मात्रात्मक संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिखाया गया है**

(₹ करोड़ में)

विवरण	पीएफ योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		ग्रेच्युटी योजना (डीबीओ पर प्रभाव)		पीआरएमबी (डीबीओ पर प्रभाव)		सेवानिवृत्ति भत्ता (डीबीओ पर प्रभाव)	
	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2024	31 मार्च, 2023
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	448.60	453.76	79.44	90.27	155.71	138.83	1.15	**1.15**
छूट दर	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	7.32%	7.23%	**7.32%**
0.50% की वृद्धि	(0.07)	(0.02)	(2.43)	(2.33)	(5.56)	(5.24)	(0.04)	**(0.04)**
0.50% की कमी	0.07	0.02	2.62	2.51	5.66	5.33	0.05	**0.05**
भविष्य में वेतन वृद्धि	8.25%	8.15%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	7.50%	**7.50%**
0.50% की वृद्धि	-	-	1.04	1.05			0.05	**0.05**
0.50% की कमी	-	-	(1.09)	(1.09)	-	-	(0.04)	**(0.04)**

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक ऐसी विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऊपर दर्शाई गई प्रमुख मान्यताओं में उचित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव का अनुमान लगाता है।

मृत्यु दर और निकासी के कारण होने वाली संवेदनशीलताएं नगण्य हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है।

मुद्रास्फीति की दर, भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन की वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के संबंध में संवेदनशीलता, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त लाभ होने के कारण लागू नहीं होती।

ix) **अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए अपेक्षित योगदान**

अगली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के लिए परिभाषित लाभ योजना में अपेक्षित योगदान 24.64 करोड़ रुपये है।

x) **परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफ़ाइल निम्नानुसार है**

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व अवधि की अवधि (वर्षों में)	भविष्य निधि	ग्रेच्युटी	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना	सेवानिवृत्ति भत्ता
1	104.64	17.20	6.27	0.14
2	119.29	10.01	16.38	0.17
3		6.48	5.07	0.09
4		6.57	4.96	0.09
5		4.91	3.59	0.06
6	224.67	3.77	3.20	0.06
6 वर्ष से आगे		30.36	116.24	0.52
कुल	**448.60**	**79.30**	**155.71**	**1.13**

जोखिम विश्लेषण

परिभाषित लाभ योजना में समूह को कई जोखिमों का सामना करना पड़ता है। परिभाषित लाभ योजना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जोखिम, और इन जोखिमों के प्रभाव के बारे में प्रबंधन का अनुमान इस प्रकार है:

ब्याज जोखिम

योजना परिसंपत्तियों पर ब्याज दर में कमी से योजना देयता में वृद्धि होगी।

दीर्घायु जोखिम/ जीवन प्रत्याशा

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य रोजगार के दौरान और उसके अंत में योजना प्रतिभागियों की मृत्यु दर के सर्वोत्तम अनुमान के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों की जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

वेतन वृद्धि जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजना प्रतिभागियों के भविष्य के वेतन के संदर्भ में गणना की जाती है। योजना प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना देयता में वृद्धि होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

37. संबंधित पार्टी लेनदेन

भारतीय लेखा मानक 24 ''संबंधित पक्ष प्रकटीकरण'' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क) संबंधित पक्षों की सूची

i) सहायक कंपनियाँ

इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड
इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड,
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड

ii) संयुक्त उद्यम कंपनियां

इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड

iii) असंबद्ध संयुक्त उद्यम (संयुक्त परिचालन)

अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड

iv) असंबद्ध संयुक्त उद्यम (संयुक्त परिचालन)

संयुक्त अभियान	संयुक्त संचालन पूरा हुआ	वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन
एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो सिविल ठेकेदार	इरकॉन–कोबरा–लूप
एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	मेट्रो टनलिंग ग्रुप इरकॉन–एएफसीओएनएस	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर्स
		इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी
		इरकॉन–गैनन डंकर्ले
		इरकॉन–आरसीएस–पीएफलेइडरर
		इरकॉन–एसपीएससीपीएल
		रिकॉन

V) (क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)

पूर्णकालिक निदेशक

नाम	पदनाम
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता 1	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) (29.04.2024 से समाप्त)
श्री आशीष बंसल 2	सीएमडी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)
श्रीमती रागिनी आडवानी	निदेशक (वित्त)
श्री पराग वर्मा	निदेशक (कार्य)
श्री आनंद कुमार सिंह 3	निदेशक (परियोजनाएं)

1. श्री योगेश कुमार मिश्रा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ – इरकॉन ने 29 अप्रैल, 2023 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का प्रभार छोड़ दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे। श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड और सरकार द्वारा नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक, इरकॉन ने 29 अप्रैल, 2023 को रेल मंत्रालय के अगले आदेश तक अपने

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

स्वयं के कर्तव्यों के अलावा इरकॉन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है। श्री बृजेश कुमार गुप्ता (डीआईएन: 10092756) ने 29 अप्रैल, 2024 से अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) के पद का अतिरिक्त प्रभार छोड़ दिया है, इसलिए वे कंपनी के सीएमडी और सीईओ नहीं रहेंगे।

2. श्री आशीष बंसल, आईआरएसई, पीईडी/ट्र. (एमएंडएमसी), रेलवे बोर्ड ख्डीआईएनरू10328174, ने 29 अप्रैल, 2024 से अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा कंपनी के बोर्ड में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है, जो पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा।

3. श्री संदीप जैन, आईआरएसई, कार्यकारी निदेशक योजना (सिविल और पीएसयू) – रेलवे बोर्ड, को 12 जनवरी, 2023 से निदेशक (परियोजनाएं) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और निदेशक (परियोजनाएं) के पद पर नियमित पदाधिकारी की नियुक्ति के कारण प्रभार छोड़ने के कारण 07 जुलाई, 2023 से वे निदेशक (परियोजनाएं) (अतिरिक्त प्रभार) नहीं रहेंगे। श्री आनंद कुमार सिंह (डीआईएन: 07918656) को 07 जुलाई, 2023 से निदेशक (परियोजनाएं) के रूप में नियुक्त किया गया है।

कंपनी सचिव एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी

नाम	पदनाम
सुश्री रितु अरोड़ा	कंपनी सचिव (16.11.2023 से समाप्त)
श्री बी. मुगुंथन	मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ)
श्रीमती प्रतिभा अग्रवाल	कंपनी सचिव (21.05.2024 से नियुक्त)
श्रीमती पूजा गुरवाला	कंपनी सचिव (28.11.2023 से नियुक्त) (21.05.2024 से समाप्त)

(ख) अन्य निदेशक

सरकार द्वारा नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

नाम	पदनाम
श्री धनंजय सिंह	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री ब्रिजेश कुमार गुप्ता 4	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक
श्री अजय कुमार चौहान	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्री दीपेंद्र कुमार गुप्ता	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
श्रीमती रंजना उपाध्याय	स्वतंत्र अंशकालिक (गैर–आधिकारिक) निदेशक
डॉ. कार्तिक चंदूलाल भद्र	सरकारी नामित अंशकालिक (आधिकारिक) निदेशक

4. श्री बृजेश कुमार गुप्ता, अतिरिक्त सदस्य (सीई), रेलवे बोर्ड [डीआईएन:10092756] को 29 अप्रैल, 2024 से कंपनी के सरकारी नामित (अंशकालिक अधिकारी) निदेशक के रूप में पुनः नामित किया गया है।

(vi) रोजगार के बाद लाभ योजनाएं

इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट

इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट

इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट

इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 ट्रस्ट

(vii) सरकार से संबंधित संस्थाएं

कंपनी रेल मंत्रालय के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। कंपनी भारत सरकार (जीओआई) द्वारा नियंत्रित है, जिसके पास 31 मार्च, 2024 तक भारत के राष्ट्रपति के नाम पर 65.17% इक्विटी शेयर हैं। भारतीय लेखा मानक 24 के पैरा 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्ष माना जाएगा। इन पार्टियों के साथ लेन–देन बाजार की शर्तों पर आर्म लेंथ आधार पर किए जाते हैं। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित उल्लेख किए हैं।

समूह का निम्नलिखित सरकारी संबंधित संस्थाओं के साथ महत्वपूर्ण लेन–देन है:

संस्था का नाम	संबंध
रेल मंत्रालय	नियंत्रक इकाई
रेल भूमि विकास प्राधिकरण	रेल मंत्रालय के अधीन वैधानिक प्राधिकरण
भारतीय रेलवे वित्त निगम	रेलवे पीएसयू

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ख) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)/अन्य निदेशकों के साथ लेन–देन निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	अल्पावधि रोजगार लाभ (i)	2.36	2.71
2	रोजगार के बाद मिलने वाले लाभ	0.72	1.40
3	अन्य दीर्घकालिक रोजगार लाभ	0.57	0.82
4	बैठने का शुल्क	0.18	0.17
	कुल	**3.84**	**5.10**

टिपण्णी:

(i) वित्त वर्ष 2023–24 के आंकड़ों में पिछले वर्षों के लिए अनंतिम आधार पर वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.31 करोड़ रुपये के पीआरपी शामिल हैं (वित्त वर्ष 2022–23 के लिए अनंतिम आधार पर वित्त वर्ष 2021–22 के लिए वर्ष के दौरान भुगतान किए गए 0.22 करोड़ रुपये के पीआरपी शामिल हैं)।

(ii) निदेशकों से यथा लागू वसूली की गई है, जिन्हें कंपनी आवास और कार उपलब्ध कराई गई है।

अन्य संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन इस प्रकार हैं: (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
1	**माल और सेवाओं की बिक्री अनुबंध राजस्व**				
1.1	**माल और सेवाओं की बिक्री**	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	66.36	147.90
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	619.56	497.18
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	15.62	92.14
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	333.48	144.02
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	–	(1.59)
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	7161.46	6,891.15
1.2	**किराये की आय**	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.04	0.04
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	0.10	0.08
2	**वस्तुओं और सेवाओं की खरीद**			–	–
3	**प्रतिनियुक्ति स्टाफ व्यय, किराया और अन्य विविध व्यय (आय) की प्रतिपूर्ति**	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.92	0.30
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.33	0.94
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.64	–
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.42	1.62
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.35	0.29
		इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.06	0.30
		अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर–नियंत्रक हित	4.48	0.26

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
4	**ब्याज आय**				
4.1	**ऋण पर ब्याज आय**	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.29	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.78	0.90
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.30	-
4.2	**अग्रिम राशि पर ब्याज आय**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	2.07	56.03
4.3	**बांड पर ब्याज आय**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	10.85	14.57
4.4	**लाभांश आय**	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	69.50	69.00
5	**लाभांश**				
5.1	**लाभांश वितरण**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	206.48	168.62
5.2	**निवेश की बिक्री पर लाभ आगे बढ़ाया गया**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	9.50	-
6	**ब्याज व्यय**				
6.1	**ब्याज व्यय पारित**	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.20	0.07
6.2	**ब्याज व्यय पारित**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	60.90	119.89
6.3	**ब्याज व्यय पारित**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	2.07	56.03
7	**इक्विटी शेयरों में निवेश**	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	36.82
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	13.26
7.1	**इक्विटी निवेश / ब्याज मुक्त ऋण / (मान्य इक्विटी) – एनसीआई से प्राप्त**	अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर–नियंत्रक हित	22.11	13.20
8	**ब्याज मुक्त ऋण / डीम्ड इक्विटी**	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	64.11
		महानदी कोल रेल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	32.50	52
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	16.12	-
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	15.00	-
9	**ऋणों की वसूली**	छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	-
10	**अग्रिमों की वसूली**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	615.31	615.31
11	**ऋणों की वापसी**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	615.31	615.31
12	**प्राप्त अग्रिम**	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवेलिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.74	0.03
		छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	65.54	104.15

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च 2024 के समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	–	4.63
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	405.61	74.60
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाइयाँ	90.00	40.00
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाइयाँ	6046.42	6,634.84
13	**अग्रिम राशि का पुनर्भुगतान**	छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.08	22.47
		छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	86.59	31.82
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	–	2.41
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	403.76	54.80
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित इकाइयाँ	140.76	–
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित इकाइयाँ	5643.10	6318.21
14	**रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ**				
14.1	**वर्ष के दौरान किया गया योगदान**	इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.45	4.69
		इरकॉन कर्मचारी अंशदायी पीएफ ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	42.54	41.29
		इरकॉन मेडिकल ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.17	4.64
		इरकॉन परिभाषित अंशदान सुपरएनुएशन पेंशन योजना, 2009 ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	5.74	11.49
14.2	**वर्ष के दौरान की गई प्रतिपूर्ति**	इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	–	–

नोट: –

(i) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम कंपनियों और संयुक्त परिचालनों के साथ गारंटी और अन्य प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 40 देखें।

(ii) खरीददारी प्रकृति में विषम है, इसलिए महत्वहीन है। इसलिए इसका उल्लेख नहीं किया गया है

ग) संबंधित पक्षों के पास बकाया शेष राशि निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1	**इक्विटी निवेश (मान्य इक्विटी सहित)**	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	64.15	64.15
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	228.46	213.46
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	210.11	193.99
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	110.50	78.00
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	140.37	140.37
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	76.34	76.34
		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	52.00	52.00

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
2	**बांड में निवेश**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएं	55.20	155.19
3	**स्वीकृत ऋणों के लिए वसूली योग्य राशि**				
4	**ऋण के अलावा वसूली योग्य राशि**				
4.1	**व्यापार प्राप्य**				
		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	39.69	21.20
		छत्तीसगढ़ पूर्व–पश्चिम रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	25.43	33.81
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.77	6.83
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	14.09	-
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	111.14	166.59
4.2	**अनुबंध परिसंपत्तियाँ**				
(क)	**बिल योग्य राजस्व/ प्राप्य देय नहीं और CWIP प्राप्त करने योग्य मूल्य पर**	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	32.76	36.67
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	25.15	18.26
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.97
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	9.41	21.35
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	4.23	-
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	124.64	162.86
(ख)	**प्रतिधारण धन और रोका गया धन**	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.21	0.20
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	18.34	-
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	7.59	12.33
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.83	1.56
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	27.74	3.18
4.3	**अग्रिम और वसूली योग्य दावे**	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.39	0.29
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	3.35	2.93
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.08	0.07
		बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.02	0.02
		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.09
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	-

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

क्र. सं.	लेन–देन की प्रकृति	संबंधित पक्ष का नाम	संबंध की प्रकृति	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
		रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	19.64	634.95
4.4	**ऋण पर अर्जित ब्याज**	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	11.57	10.87
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	2.97	-
4.5	**अग्रिमों पर अर्जित ब्याज**	रेल भूमि विकास प्राधिकरण	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	9.56	59.65
4.6	**बांड पर अर्जित ब्याज**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	7.63	10.63
4.7	**ट्रस्टों से वसूली योग्य राशि**	इरकॉन ग्रेच्युटी ट्रस्ट	रोज़गार के बाद लाभ योजनाएँ	7.16	16.32
5	**ऋण**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएं	-	615.31
6	**देय राशि**				
6.1	**व्यापार देयताएँ**				
6.2	**अनुबंध देयताएँ (अग्रिम और अग्रिम अनुबंध प्राप्तियाँ)**	रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	839.87	2041.03
		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	9.05	8.38
		छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	104.01	125.06
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	21.65	19.80
		अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर–नियंत्रित हित	4.23	-
6.3	**ग्राहक को देय अन्य**	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.61	0.65
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	2.98	9.44
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	593.35	571.76
6.4	**उधार पर देय ब्याज**	भारतीय रेलवे वित्त निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	-	51.89
6.5	**अग्रिम पर देय ब्याज**	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	-	0.29
		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	0.62	0.42
		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	संयुक्त उद्यम कंपनियाँ	1.12	0.12
		रेल मंत्रालय	सरकार से संबंधित संस्थाएँ	284.83	280.36
6.6	**ट्रस्ट को देय**	इरकॉन ग्रैच्युटी ट्रस्ट	रोजगार के बाद लाभ योजनाएँ	3.80	7.17
7	**इक्विटी निवेश (डीम्ड इक्विटी सहित)–प्राप्त**	अयाना रिन्यूएबल पावर प्राइवेट लिमिटेड	गैर–नियंत्रण हित	35.31	13.20

घ) संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन की शर्तें एवं नियम: –

(i) संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन उन शर्तों के बराबर किए जाते हैं जो आर्म्स लेंथ लेन–देन में प्रचलित हैं।

(ii) वर्ष के अंत में संबंधित पक्षों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती है और बैंकिंग लेन–देन के माध्यम से निपटान होता है। ऋण और ब्याज वाले अग्रिमों के अलावा ये शेष राशि ब्याज मुक्त होती है।

(iii) प्रमुख प्रबंधन कर्मियों को दिए जाने वाले ऋण उन्हीं शर्तों और नियमों पर लागू होते हैं जो अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए
38. अर्जित प्रति शेयर

भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार प्रकटीकरण:

बेसिक ईपीएस की गणना इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से तनुकरण के प्रभाव पर विचार करने के बाद इक्विटी धारकों को दिए जाने वाले वर्ष के लाभ को विभाजित करके की जाती है, साथ ही सभी तनुकृत संभावित इक्विटी शेयरों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरित करने पर जारी किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या को भी इसमें जोड़ा जाता है।

i) प्रति शेयर मूल एवं तनु आय (₹ में)

विवरण	टिप्पणी	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों को देय लाभ (करोड़ रुपये में)	(ii)	929.51	765.23
बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस* के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	(iii)	94,05,15,740	94,05,15,740
प्रति शेयर आय (बेसिक)		9.88	8.14
प्रति शेयर आय (डाइल्यूटेड)		9.88	8.14
प्रति शेयर अंकित मूल्य		**2.00**	**2.00**

* वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, प्रमोटर ने कंपनी में 7,53,73,258 इक्विटी शेयरों की षबिक्री के लिए प्रस्तावष के माध्यम से अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जो कंपनी की जारी/सब्सक्राइब और चुकता पूंजी का 8.01% है।

ii) इक्विटी शेयरधारकों को देय लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
लाभ और हानि विवरण के अनुसार वर्ष का लाभ	929.51	765.23
मूल कंपनी के इक्विटी धारकों को देय लाभ का उपयोग ईपीएस की गणना के लिए किया जाता है:	**929.51**	**765.23**

iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (हर के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)

विवरण	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी किए गए इक्विटी शेयरों का प्रारंभिक शेष	94,05,15,740	94,05,15,740
वर्ष के दौरान जारी किए गए इक्विटी शेयर	-	-
शेयरों के विभाजन के कारण शेयरों की संख्या में वृद्धि	-	-
रिपोर्टिंग तिथि के बाद लेकिन वित्तीय विवरण जारी होने से पहले जारी किए गए बोनस शेयर	-	-
बेसिक ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94,05,15,740.00	94,05,15,740.00
पतला प्रभावरू		
जोड़ेंरू वर्ष के दौरान बकाया संभावित इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	-	-
पतला ईपीएस की गणना के लिए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	94,05,15,740	94,05,15,740

39. परिसंपत्तियों की क्षति

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक 36, ''परिसंपत्तियों की हानि'' के अनुसार निवल वसूली योग्य मूल्य और वहन लागत के आधार पर वसूली योग्य राशि की गणना करके व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की हानि पर मूल्यांकन किया है, जिसे कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 और कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2016 के साथ पढ़ा गया है। तदनुसार, शून्य (शून्य) की हानि की हानि प्रदान की गई है। हालांकि, सहायक कंपनियों में से एक आईआईएसएल को शून्य करोड़ रुपये (0.42 करोड़ रुपये) की हानि की हानि प्रदान की गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

40. प्रावधान, आकस्मिकताएं और प्रतिबद्धताएं

(i) प्रावधान

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार वर्ष के दौरान प्रदान किए गए प्रावधानों की प्रकृति और प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख नोट 21 में किया गया है।

(ii) आकस्मिक देयताएं

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

	विवरण	पाद टिपण्णी	31 मार्च 2024 तक	अतरिक्त वर्ष के दौरान	वर्ष के दौरान निपटाए गए कुल दावे	31 मार्च 2024 तक
क)	**समूह के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:**					
	विवादित प्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) होल्डिंग कंपनी के संबंध में	1	39.93	11.3	(4.46)	**46.77**
	विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगें					
	(i) होल्डिंग कंपनी के संबंध में	2	241.16	27.96	(20.61)	**248.51**
	(ii) संयुक्त परिचालन के संबंध में	3	3.33	–	(0.26)	**3.07**
	कानूनी मामले					
	(i) होल्डिंग कंपनी के संबंध में	4	624.50	85.32	(157.27)	**552.55**
	(ii) संयुक्त परिचालन के संबंध में	5	0.02	–	–	**0.02**
	कर्मचारी द्वारा किए गए दावे	**6**				
ख)	**कंपनी की ओर से जारी की गई गारंटियां (वित्तीय गारंटियों को छोड़कर)**					
	सहायक कंपनियां	**7 (i&ii)**	1,475.60	760.84	(659.11)	**1,577.33**
ग)	**अन्य धनराशि जिसके लिए समूह आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है**					
	ग्राहकों द्वारा समय विस्तार के लिए आवेदन के निपटान तक परिसमाप्त क्षति		9.27	–	–	**9.27**
	कुल		**2,393.81**	**885.42**	**(841.71)**	**2,437.52**

1. आयकर प्राधिकरण ने विभिन्न कर निर्धारण वर्षों से संबंधित विभिन्न अस्वीकृतियों के कारण मांगें उठाई हैं। इनमें से कई मामलों में कंपनी के पक्ष में निर्णय दिया गया, लेकिन संबंधित विभागों द्वारा उच्च अधिकारियों के समक्ष विवादित हैं। कंपनी इन मांगों का विरोध कर रही है, जो विभिन्न अपीलीय स्तरों पर लंबित हैं। स्वतंत्र कर विशेषज्ञों की सलाह और अपीलों पर विकास के आधार पर, प्रबंधन को विश्वास है कि अपीलीय कार्यवाही पूरी होने पर इस तरह से मांगे गए अतिरिक्त कर को बरकरार नहीं रखा जाएगा और तदनुसार, अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्णय लंबित होने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर, बिक्री कर, वैट आदि के अधिकारियों के साथ विभिन्न विवाद लंबित हैं। कंपनी संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाई गई इन मांगों का विरोध कर रही है और ये विभिन्न अपीलीय अधिकारियों के पास लंबित हैं। अपील के आधार और स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि विभिन्न अधिकारियों के समक्ष सफल होने की उचित प्रबल संभावना है। उपरोक्त पर अंतिम निर्णय लंबित होने तक, इन वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन नहीं किया गया है। उपरोक्त विवादित अप्रत्यक्ष कर मांगों में **181.90 करोड़ रुपये** शामिल हैं, जो ग्राहकों से प्रतिपूर्ति योग्य हैं।

3. होल्डिंग कंपनी के संयुक्त संचालन इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के मामले में, श्रम व्यय की अस्वीकृति के कारण बिक्री कर अधिकारियों के पास **3.07 करोड़ रुपये** (3.33 करोड़ रुपये) की विवादित मांग लंबित है। संयुक्त संचालन ने मांग के खिलाफ उपयुक्त अपीलीय अधिकारियों के समक्ष अपील दायर की थी। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

4. समूह निर्माण अनुबंध शर्तों से संबंधित विवादों पर कई कानूनी मुकदमों में एक पक्ष है, जो भारत और विदेशों में विभिन्न अदालतों और मध्यस्थता कार्यवाही के समक्ष लंबित हैं। कुछ ठेकेदारों ने अनुबंध मूल्य में वृद्धि, मूल्य वृद्धि के साथ कार्य अनुसूची में संशोधन, कार्य की विस्तारित अवधि के लिए मुआवजा, निष्क्रिय शुल्क आदि की मांग करते हुए समूह पर दावे दर्ज किए हैं। इन दावों को समूह द्वारा संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है। **613.53 करोड़ रुपये** (701.86 करोड़ रुपये) के कुल दावे के विरुद्ध, 60.99 करोड़ रुपये (77.35 करोड़ रुपये) का प्रावधान किया गया है और शेष 552.55 करोड़ रुपये (624.51 करोड़ रुपये) आकस्मिक देयता के रूप में दिखाए गए हैं। समूह ने ठेकेदारों पर **222.44 करोड़ रुपये** (333.31 करोड़ रुपये) के अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य प्रति दावे भी किए हैं। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि इसका पता लगाना संभव नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

5. एक ठेकेदार, मेसर्स साई इंजीनियर्स ने अनुबंध की शर्तों पर विवाद के लिए इंटरनेशनल मेट्रो सिविल कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ 0.02 करोड़ रुपये (0.02 करोड़ रुपये) की राशि के लिए मुकदमा दायर किया है। निर्णय अपीलीय अधिकारियों के समक्ष लंबित है और इसलिए, वित्तीय विवरणों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

6. कंपनी के खिलाफ न्यायालय में कर्मचारियों/अन्य से संबंधित कुछ मामले लंबित हैं, जिनके संबंध में देयता का पता नहीं लगाया जा सकता है। कर्मचारियों/ठेकेदारों से संबंधित न्यायालय में लंबित मामलों के लिए इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की आकस्मिक देयता 2.55 करोड़ रुपये (2.55 करोड़ रुपये) है। उक्त देयता पर दावा किए गए ब्याज की राशि का पता नहीं लगाया जा सकता है।

7. (i) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनी इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड की ओर से ग्राहक को सौंपी गई निष्पादन गारंटी के लिए **2.05 करोड़ रुपये** (11.39 करोड़ रुपये) की राशि का लेटर ऑफ कम्फर्ट दिया है।

   (ii) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए टर्म लोन सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को **3,841.87 करोड़ रुपये** (4,565.99 करोड़ रुपये) की कॉर्पोरेट गारंटी दी है। 31.03.2024 तक सहायक कंपनियों द्वारा लिया गया टर्म लोन (पुनर्भुगतान के बाद) **1,575.27 करोड़ रुपये** (1,464.21 करोड़ रुपये) है।

8. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड एनएचएआई द्वारा देरी, मील के पत्थर हासिल न करने, ओएंडएम कार्यों में नुकसान आदि से संबंधित कुछ दावों में एक पक्ष है। कंपनी द्वारा इन दावों का विरोध किया जा रहा है क्योंकि ये अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं हैं। 16.97 करोड़ रुपये (12.55 करोड़ रुपये) की राशि के ये दावे आकस्मिक देयता हैं। कंपनी ने एनएचएआई पर 96.98 करोड़ रुपये (शून्य रुपये) के अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य प्रति दावे भी किए हैं।

9. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड एनएचएआई द्वारा देरी, मील के पत्थर हासिल न करने, ओएंडएम कार्यों में नुकसान आदि से संबंधित कुछ दावों में एक पक्ष है। इन दावों को कंपनी द्वारा संबंधित अनुबंधों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य नहीं होने के रूप में चुनौती दी जा रही है। इन दावों की कुल राशि 47.42 करोड़ रुपये (47.42 रुपये) है, जिसे आकस्मिक देयता के रूप में दिखाया गया है। कंपनी ने एनएचएआई पर 338.05 करोड़ रुपये (338.05 रुपये) के अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य जवाबी दावे भी किए हैं।

10. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड से वित्त वर्ष 2017–18 के लिए 132.63 करोड़ रुपये की आयकर मांग संबंधित है, जिसके खिलाफ आयकर विभाग में अपील दायर की गई है, कंपनी को वा.व 2019–20, वा.व 2020–21, वा.व 2021–22, वा.व 2022–23, वा.व 2023–24 से संबंधित क्रमशः 1.85 करोड़ रुपये, 2.31 करोड़ रुपये, 0.18 करोड़ रुपये, 0.09 करोड़ रुपये और 0.04 करोड़ रुपये का आयकर रिफंड मिलना है, जिसे आयकर विभाग ने उपरोक्त मांग के खिलाफ जारी नहीं किया है। हालाँकि, अपील दायर की गई है और वित्तीय वर्ष के अंत में सुनवाई की तारीख की पुष्टि होनी बाकी है।

(iii) आकस्मिक देयताएं

भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां' के अनुसार आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क) समूह द्वारा अपने कुछ ग्राहकों पर उठाए गए दावे और मध्यस्थों द्वारा समूह के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके खिलाफ ग्राहक अदालत चले गए हैं, को प्राप्य के रूप में नहीं गिना गया है, वह मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार 31.03.2024 तक की गणना किए गए ब्याज सहित **461.40 करोड़ रुपये** (461.17 करोड़ रुपये) है।

ख) समूह द्वारा उप–ठेकेदारों पर उठाए गए प्रतिदावे और मध्यस्थों द्वारा समूह के पक्ष में दिए गए फैसले, जिसके विरुद्ध उप–ठेकेदार अदालत चले गए हैं, को प्राप्य के रूप में नहीं गिना गया है, जो **14.16 करोड़ रुपये** (22.48 करोड़ रुपये) है।

ग) 0.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर (0.93 मिलियन अमेरिकी डॉलर) और 1.34 मिलियन इथियोपियन बीर (1.28 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का बीमा दावा, जो 31.03.2024 तक की गणना वाले ब्याज सहित 8.03 करोड़ रुपये (7.79 करोड़ रुपये) के बराबर है, जिसे इथियोपिया के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समूह के पक्ष में दिया गया था, जिसका इथियोपिया के उच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन आदेश लंबित होने के कारण हिसाब नहीं किया गया है।

(iv) प्रतिबद्धताएँ

विवरण		पाद टिप्पणी	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
क)	**पूंजी प्रतिबद्धताएँ**			
	पूंजी खाते (अग्रिम के बाद निवल) पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:	1	38.71	16.19
ख)	**अन्य प्रतिबद्धताएँ**			
(i)	संयुक्त उद्यम कंपनियों में इक्विटी और ऋण के माध्यम से प्रतिबद्ध वित्तपोषण	2	113.98	177.60
(ii)	सहायक कंपनियों के लिए काउंटर बैंक गारंटी	3	286.88	291.58
(iii)	सहायक कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट गारंटी	4	2046.33	2,807.17
(iv)	संयुक्त उद्यम की ओर से प्रायोजक का समर्थन समझौता	5	1712.1	1,361.36
			4198.00	**4653.90**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

फुट नोटः

(₹ करोड़ में)

1.

क्र सं.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	31 मार्च 2024 तक	31 मार्च 2023 तक
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि	21.72	1.72
2	निवेश संपत्ति पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि	5.95	-
3	विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि– होल्डिंग कंपनी	11.04	14.47
	कुल	**38.71**	**16.19**

(₹ करोड़ में)

2.

क्र सं.	पूंजी प्रतिबद्धताएं	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2023 तक	
		इक्विटी	ऋण	इक्विटी	ऋण
1	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	-	18.14	-	33.14
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0.01	48.36	0.01	64.48
3	महानदी कोल रेल लिमिटेड	-	22.13	-	54.63
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0.01	25.33	0.01	25.33
	कुल	**0.02**	**113.96**	**0.02**	**177.58**

* कंपनी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 11 मई, 2023 को तीन संयुक्त उद्यम कंपनियों में ऋण प्रतिबद्धता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, प्रतिबद्धता में बदलाव का खुलासा किया गया है।

3. सहायक कंपनियों को बैंक गारंटी जारी करने के लिए कंपनी की गैर–निधि आधारित सीमा **747.95 करोड़ रुपये** (738.61 करोड़ रुपये) है। उक्त सीमा में से 31.03.2024 तक **461.07 करोड़ रुपये** (447.03 करोड़ रुपये) की बैंक गारंटी का उपयोग किया जा चुका है। इसलिए, बैंक गारंटी जारी करने की शेष सीमा **286.88 करोड़ रुपये** (291.58 करोड़ रुपये) है।

4. कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के लिए **3841.87 करोड़ रुपये** (4565.99 करोड़ रुपये) की राशि के लिए सावधि ऋण सुविधा के संबंध में विभिन्न बैंकों को कॉर्पोरेट गारंटी दी है। सहायक कंपनियों ने 31.03.2024 तक **1,795.54 करोड़ रुपये** (1758.82 करोड़ रुपये) का सावधि ऋण लिया है। वर्ष के दौरान, सहायक कंपनियों ने इन सावधि ऋणों के विरुद्ध 220.27 करोड़ रुपये (294.61 करोड़ रुपये) की राशि चुकाई है और 31.03.2024 तक सावधि ऋण शेष **1,575.27 करोड़ रुपये** (1464.21 करोड़ रुपये) है।

5. (i) कंपनी ने एसईसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा 31 मार्च 2024 तक 1033.76 रुपये (कुल ऋण 3976 करोड़ रुपये का 26%) है (31 मार्च, 2023: ₹ 1033-76 करोड़)।

(ii) कंपनी ने सीसीएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा 31 मार्च 2024 तक ₹ **327.60** (कुल ऋण ₹ **1259.75 करोड़** का 26%) है।

(iii) कंपनी ने एसईसीएल और सीएसआईडीएसएल (प्रायोजकों) के साथ मिलकर अपने संयुक्त उद्यम, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) की ओर से प्रायोजक समर्थन समझौता निष्पादित किया है, जिसमें यह कहा गया है कि वाणिज्यिक संचालन तिथि की प्राप्ति से पहले उधारकर्ता द्वारा चूक की घटना के कारण रियायत समझौते की समाप्ति के मामले में प्रायोजक उधारकर्ता और/या परियोजना का सहारा लिए बिना, ऋणदाताओं की संतुष्टि के लिए उधारकर्ता के ऋण सेवा दायित्वों में किसी भी कमी को पूरा करेंगे। रुपया अवधि ऋण की दी गई राशि के अनुसार इरकॉन का हिस्सा 31 मार्च 2024 तक ₹ **350.74 करोड़** (कुल ऋण ₹ 1,349.00 करोड़ का 26%) है (31 मार्च, 2023: ₹ शून्य)।

6. सौर परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूंजीगत खातों पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि ₹ 1649.19 करोड़ (31 मार्च 2023 के लिए ₹ 2355.55 करोड़) और सौर परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए ₹ 38.02 करोड़ की अन्य प्रतिबद्ध ताएं इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से संबंधित हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

7. (i) 31 मार्च, 2024 तक ₹ 3.42 करोड़ (31 मार्च, 2024 ₹ 74.53 करोड़) की राशि का बकाया साख पत्र है।

   (ii) आईआरपीएल द्वारा जारी गारंटियां जिसमें 265.94 करोड़ रुपये का साख पत्र भी शामिल है।

8. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड की अन्य प्रतिबद्धताओं के संबंध में टोल रोड की रियायत अवधि के अंत तक एनएचएआई को **422.95 करोड़ रुपये** (452.83 करोड़ रुपये) का रियायत शुल्क देय है।

9. आईवीकेईएल के संबंध में विवादित जीएसटी मांग **191.16 करोड़ रुपये** (85.95 करोड़ रुपये) और आईडीएचएचएल के संबंध में 3.47 करोड़ रुपये (शून्य) है।

41. सेगमेंट रिपोर्टिंग

भारतीय लेखा मानक 108 ''ऑपरेटिंग सेगमेंट'' के अनुसार प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क. सामान्य सूचना

परिचालन खंडों को उद्यम के ऐसे घटकों के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिनके लिए अलग–अलग वित्तीय जानकारी उपलब्ध होती है, जिसका मूल्यांकन मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) द्वारा संसाधनों के आवंटन और प्रदर्शन का आकलन करने के तरीके के बारे में निर्णय लेने में नियमित रूप से किया जाता है। समूह का निदेशक मंडल मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) है। परिचालन खंडों की रिपोर्ट मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) को प्रदर्शन की समीक्षा और संसाधनों के आवंटन के लिए प्रदान की गई आंतरिक रिपोर्टिंग के अनुरूप तरीके से की गई है।

समूह ने भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से रिपोर्ट योग्य परिचालन खंडों का निर्धारण किया है।

ख. रिपोर्ट योग्य खंडों के बारे में जानकारी और वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
खंड राजस्व						
बाहरी ग्राहकों से राजस्व	574.82	411.84	11,756.09	9,956.09	**12,330.91**	**10,367.93**
कुल परिचालन राजस्व	**574.82**	**411.84**	**11,756.09**	**9,956.09**	**12,330.91**	**10,367.93**
ब्याज आय	43.11	11.81	458.41	347.16	**501.52**	**358.97**
अन्य आय	1.14	6.03	36.95	16.96	**38.09**	**22.99**
अंतर–खंड	-	-	-	-	**-**	**-**
कुल राजस्व	**619.07**	**429.68**	**12,251.45**	**10,320.21**	**12,870.52**	**10,749.89**
खंड परिणाम						
प्रावधान, मूल्यह्रास, ब्याज और असाधारण मद और कर से पहले लाभ	206.34	95.89	1,425.07	1,129.93	**1,631.41**	**1,225.82**
घटाएँ: प्रावधान और राइट बैक	(3.11)	8.41	(165.84)	(155.69)	**(168.95)**	**(147.28)**
घटाएँ: मूल्यह्रास, परिशोधन और हानि	(3.25)	(2.56)	(97.18)	(104.90)	**(100.43)**	**(107.46)**
घटाएँ: ब्याज	-	-	(147.12)	(111.52)	**(147.12)**	**(111.52)**
जोड़ें: इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का हिस्सा	-	-	46.22	31.44	**46.22**	**31.44**
कर से पहले लाभ	**199.98**	**101.74**	**1,061.15**	**789.26**	**1,261.13**	**891.00**
घटाएँ: कर व्यय	(44.17)	(26.96)	(287.45)	(98.81)	**(331.62)**	**(125.77)**
कर के बाद लाभ	**155.81**	**74.78**	**773.70**	**690.45**	**929.51**	**765.23**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ग. अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	अंतरराष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कुल संपत्ति	1,035.10	918.76	16,409.85	14,618.62	**17,444.95**	**15,537.38**
कुल देयताएँ	852.45	727.90	10,686.40	9,584.86	**11,538.85**	**10,312.76**
संयुक्त उद्यमों में निवेश, जिसका लेखा इक्विटी पद्धति से किया जाता है	-	-	864.50	824.29	**864.50**	**824.29**
वित्तीय साधनों, आस्थगित कर परिसंपत्तियों, निवल परिभाषित लाभ परिसंपत्तियों के अलावा गैर चालू परिसंपत्तियाँ	90.10	55.45	2,801.58	1,921.98	**2,891.68**	**1,977.43**
समाप्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय (पीपीई, सीडब्ल्यूआईपी, निवेश संपत्ति, अन्य अमूर्त परिसंपत्तियाँ, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ और उपयोग का अधिकार)	0.09	0.23	581.81	68.94	**581.90**	**69.17**

घ. प्रमुख ग्राहक के बारे में सूचना

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, घरेलू खंड में एक एकल बाहरी ग्राहक से लगभग 60.92% (31 मार्च 2023 66.47%) का परिचालन राजस्व प्राप्त हुआ।

42. अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण

भारतीय लेखा मानक 112 ''अन्य संस्थाओं में हित का प्रकटीकरण'' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

क. संयुक्त परिचालन में निवेश

निम्नलिखित संयुक्त परिचालनों में निवेश को लागत में शामिल किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सहायक कंपनी का नाम	यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	31 मार्च 2024 तक		31 मार्च 2024 तक	
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात
i)	**परिचालन में परियोजनाओं के लिए:**					
	एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम	गुजरात और महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
	एक्सप्रेस फ्रेट रेलवे कंसोर्टियम	महाराष्ट्र, भारत	30.00	30.00	30.00	30.00
ii)	**संयुक्त संचालन पूरा हो चुका है**					
	अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो सिविल ठेकेदार	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	मेट्रो टनलिंग समूह	दिल्ली एनसीआर, भारत	9.50	9.50	9.50	9.50
	इरकॉन–एएफसीओएनएस	बांग्लादेश	53.00	53.00	53.00	53.00
iii)	**वित्तीय रूप से बंद संयुक्त संचालन**					
	इरकॉन–कोबरा–एलीओपी	दिल्ली एनसीआर, भारत	61.22	61.22	61.22	61.22
	इरकॉन–श्री भवानी बिल्डर्स	चेन्नई, भारत	24.21	24.21	24.21	24.21
	इरकॉन–एसएमजे प्रोजेक्ट जेवी	तमिलनाडु, भारत	55.00	55.00	55.00	55.00
	इरकॉन–गैनन डंकर्ली	उत्तर प्रदेश, भारत	55.70	55.70	55.70	55.70
	इरकॉन–आरसीएस – पीएफएलआईडीईआरईआर	जम्मू और कश्मीर, भारत	65.08	65.08	65.08	65.08
	इरकॉन–एसपीएससीपीएल	जम्मू और कश्मीर, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00
	रिकॉन	दिल्ली एनसीआर, भारत	49.00	49.00	49.00	49.00

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ख. संयुक्त उद्यम कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	व्यवसाय का मुख्य स्थान और निगमन का देश	घरेलू		कुल		लेखांकन विधि
			प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	प्रत्यक्ष स्वामित्व हित का अनुपात	मताधिकार का अनुपात	
1	इरकॉन–सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	महाराष्ट्र, भारत	50.00	50.00	50.00	50.00	इक्विटी विधि
2	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	25.31	26.00	25.31	26.00	इक्विटी विधि
3	छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
4	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	ओडिशा, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
5	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	झारखंड, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
6	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	छत्तीसगढ़, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि
7	इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	दिल्ली–एनसीआर, भारत	26.00	26.00	26.00	26.00	इक्विटी विधि

ग. संयुक्त परिचालन में संक्षिप्त वित्तीय हित (कंपनी के हिस्से की सीमा तक)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	संयुक्त ऑपरेशन का नाम									
		इरकॉन–एएफसीओएनएस		एक्सप्रेस फ्रेट कंसोर्टियम		अंतर्राष्ट्रीय मेट्रो सिविल ठेकेदार		मेट्रो टनलिंग ग्रुप		कुल	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
	वर्ष के अंत तक:										
1	**संपत्तियाँ**										
	पीपीई			-	-					-	-
	प्रगति में पूंजीगत कार्य			-	-					-	-
	अन्य संपत्तियाँ	0.42	0.60	-	-	4.46	4.41	1.87	2.04	**6.75**	**7.05**
2	**देनदारियाँ**										
	प्रावधान	-	-	-	-	0.02	0.02	0.08	0.11	**0.10**	**0.13**
	अन्य देनदारियाँ	-	-	-	-	0.91	0.91	0.03	0.05	**0.94**	**0.96**
	वर्ष के अंत तक:										
3	कुल आय			1.65	1.37	0.07	0.05	0.10	0.07	**1.82**	**1.50**
4	कुल व्यय	0.05	0.11	0.17	0.45	0.01	0.00	0.02	0.01	**0.25**	**0.57**
5	कुल कर			0.53	0.35	0.02	0.01	0.20	0.02	**0.75**	**0.38**
6	कर के बाद लाभ	(0.05)	(0.11)	0.95	0.58	0.04	0.04	(0.12)	0.04	**0.82**	**0.54**
7	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	कुल व्यापक आय	(0.05)	(0.11)	0.95	0.58	0.04	0.04	(0.12)	0.04	**0.82**	**0.54**

फुट नोट: संयुक्त परिचालन से संबंधित आकस्मिक देयताओं का खुलासा नोट 40 में किया गया है

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

घ. संयुक्त उद्यम कंपनियों की संक्षिप्त तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक
1	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	1.26	1.29	3524.11	3236.20	3191.02	2107.88	-	-
2	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	331.36	291.67	54.24	199.02	161.46	76.47	374.87	388.19
	कुल परिसंपत्तियाँ (क)	**332.61**	**292.96**	**3,578.35**	**3,435.22**	**3,352.47**	**2,184.35**	**374.87**	**388.19**
3	गैर–चालू देयताएँ	-	-	2,672.58	2,559.71	2,566.61	1,410.15	-	-
4	चालू देयताएँ	38.69	0.17	211.14	124.45	53.23	54.17	64.14	83.88
	कुल देयताएँ (ख)	**38.69**	**0.17**	**2,883.72**	**2,684.17**	**2,619.84**	**1,464.32**	**64.14**	**83.88**
5	**निवल परिसंपत्तियाँ (क–ख)**	**293.93**	**292.79**	**694.63**	**751.05**	**732.64**	**720.03**	**310.73**	**304.31**
	क) इसमें नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं	34.34	33.44	31.67	172.41	157.61	75.61	0.50	4.16
	ख) वित्तीय देयताएं शामिल हैं (व्यापार देयताओं और अन्य देयताओं को छोड़कर तथा प्रावधानों को छोड़कर)	-	-	2,672.58	2,559.71	2,566.61	1,410.15	56.04	70.03

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक
1	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ	117.00	175.23	873.84	512.16	405.98	411.85
2	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	359.92	374.33	159.31	159.10	46.20	0.69
	कुल परिसंपत्तियाँ (क)	**476.92**	**549.57**	**1,033.14**	**671.26**	**452.18**	**412.54**
3	गैर–वर्तमान देयताएँ	106.50	253.18	478.38	125.13	-	-
4	वर्तमान देयताएँ	210.87	133.91	2.20	1.09	72.63	323.90
	कुल देयताएँ (ख)	**317.37**	**387.10**	**480.58**	**126.22**	**72.63**	**323.90**
5	**निवल परिसंपत्तियाँ (क–ख)**	**159.55**	**162.47**	**552.56**	**545.05**	**379.55**	**88.64**
	क) नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं	13.21	56.43	70.13	129.81	31.81	0.66
	ख) वित्तीय देयताएँ शामिल हैं (व्यापार देयताओं और अन्य देयताओं को छोड़कर और प्रावधानों को छोड़कर)	250.59	325.35	478.59	125.54	71.04	323.25

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

ङ संयुक्त उद्यम कंपनियों के लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	राजस्व	-	-	51.17	62.18	-	-	5.15	13.24
2	ब्याज आय	2.53	1.79	3.14	3.08	-	-	9.14	6.22
3	अन्य आय	-	-	0.04	0.09	-	-	0.32	1.02
	कुल आय	**2.53**	**1.79**	**54.35**	**65.35**	**-**	**-**	**14.61**	**20.48**
4	संचालन पर व्यय	-	-	33.57	24.74	-	-	4.34	8.74
5	कर्मचारी लाभ	-	-	1.08	1.04	-	-	1.46	3.41
6	मूल्यह्रास और परिशोधन	0.01	0.02	88.60	135.09	-	-	-	-
7	वित्त लागत	-	-	167.39	116.61	-	-	0.00	0.17
8	अन्य व्यय	0.98	3.01	14.48	14.96	0.22	0.24	1.61	5.54
	कुल व्यय	**0.99**	**3.03**	**305.11**	**292.45**	**0.22**	**0.24**	**7.42**	**17.86**
9	**संयुक्त उद्यम के लाभ और हानि का हिस्सा**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.84**	**3.44**
10	आयकर	0.40	0.31	155.88	108.51	-	-	2.48	2.61
11	**वर्ष के लिए लाभ**	**1.14**	**(0.93)**	**(94.88)**	**(118.58)**	**(0.22)**	**(0.24)**	**6.56**	**3.45**
12	अन्य व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	-	(0.11)
13	**कुल व्यापक आय**	**1.14**	**(0.93)**	**(94.88)**	**(118.58)**	**(0.22)**	**(0.24)**	**6.56**	**3.34**

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
		2023-24	2022-23	2023-24	2022-23	2023-24	2022-23
1	राजस्व	309.63	280.77	-	-	20.93	-
2	ब्याज आय	13.18	10.99	3.76	8.26	1.10	0.06
3	अन्य आय	0.31	0.22	-	-	-	-
	कुल आय	**323.12**	**291.98**	**3.76**	**8.26**	**22.03**	**0.06**
4	संचालन पर व्यय	53.09	45.75	-	-	0.18	-
5	कर्मचारी लाभ व्यय	0.60	0.60	-	-	1.46	-
6	वित्त लागत	33.85	36.48	-	-	8.23	-
7	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	58.41	57.98	0.03	0.02	12.00	-
8	अन्य व्यय	9.89	5.95	0.25	0.12	1.74	0.49
	कुल व्यय	**155.84**	**146.76**	**0.28**	**0.14**	**23.61**	**0.49**
9	आयकर	31.18	25.56	0.96	2.72	-	-
10	**वर्ष के लिए लाभ**	**136.10**	**119.66**	**2.52**	**5.40**	**(1.58)**	**(0.43)**
11	अन्य व्यापक आय	-0.01	-0.00	-	-	-	-
12	**कुल व्यापक आय**	**136.09**	**119.66**	**2.52**	**5.40**	**(1.58)**	**(0.43)**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

च. संयुक्त उद्यम कम्पनियों की अग्रणीत राशि का समाधान:

(₹ करोड़ में)

विवरण	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड		छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड		भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	
	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक
आरंभिक निवल परिसंपत्तियाँ	292.78	293.71	751.05	860.79	720.04	592.82	304.29	299.74
वर्ष के लिए लाभ	1.14	(0.93)	(94.88)	(118.58)	(0.22)	(0.24)	6.56	3.37
भुगतान की गई शेयर पूंजी में वृद्धि	–	–	–	8.84	–	127.46	–	–
अन्य व्यापक आय	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**-0.12**
भुगतान किए गए लाभांश	–	–	–	–	–	–	–	–
''अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक''	–	–	38.46	–	12.83	–	–	–
अन्य समायोजन (आबंटन लंबित आवेदन राशि)/	–	–	–	–	–	–	-0.12	1.30
शेयर जारी करने का खर्च	–	–	–	–	–	–	–	–
समापन निवल परिसंपत्तियाँ	293.92	292.78	694.62	751.05	732.65	720.04	310.73	304.29
समूह का हिस्सा : में								
(i) भुगतान की गई शेयर पूंजी और लाभ में	**26.00%**	**26.00%**	**25.31%**	**25.31%**	**26.00%**	**26.00%**	**26.00%**	**26.00%**
(ii) आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में	–	–	–	–	–	–	–	–
समूह का हिस्सा					**–**		**–**	
(i) भुगतान की गई शेयर पूंजी और लाभ में	76.42	76.12	185.87	194.90	193.55	193.60	59.89	58.22
(ii) आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में	**–**	**–**	**–**		**–**	**–**	**–**	**(0.03)**
अन्य समायोजन	**–**	**–**	**–**	**–**	**16.12**	**–**	**–**	**–**
वहन राशि	**76.42**	**76.12**	**185.87**	**194.90**	**209.67**	**193.60**	**59.89**	**58.19**

(₹ करोड़ में)

विवरण	इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड		झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड		महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	
	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक	31-3-2024 तक	31-3-2023 तक
आरंभिक निवल परिसंपत्तियाँ	162.46	180.80	545.05	448.78	88.64	89.07
वर्ष के लिए लाभ	136.10	119.66	2.52	5.40	(1.58)	(0.43)
भुगतान की गई शेयर पूंजी में वृद्धि	–	–	–	13.26	–	–
अन्य व्यापक आय	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
भुगतान किए गए लाभांश	(139.00)	(138.00)	–	–	–	–
''अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक''	–	–	5.00	77.61	292.50	–
अन्य समायोजन (आबंटन लंबित आवेदन राशि)	–	–	–	–	–	–
समापन निवल परिसंपत्तियाँ	**159.56**	**162.46**	**552.57**	**545.05**	**379.56**	**88.64**
समूह का हिस्सा % में						
(i) भुगतान की गई शेयर पूंजी और लाभ में	**50.00%**	**50.00%**	**26.00%**	**26.00%**	**26.00%**	**26.00%**
(ii) आवंटन लंबित शेयर आवेदन राशि में	–	–	–	–	–	–
समूह का हिस्सा						
(i) भुगतान की गई शेयर पूंजी और लाभ में	149.28	150.23	143.14	78.38	77.24	25.65
अन्य वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	**–**	**–**	**–**	**64.11**	**32.50**	**52.00**
अन्य समायोजन	**-69.50**	**-69.00**	**–**	**–**	**–**	**–**
वहन राशि	**79.78**	**81.23**	**143.14**	**142.49**	**109.74**	**77.65**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

43. राजस्व

क. राजस्व का विभाजन

नीचे ग्राहकों के साथ अनुबंधों से समूह के राजस्व का परिचालन खंड और उत्पाद या सेवाओं के प्रकार के आधार पर विभाजन दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	कुल लाभ और हानि /खंड रिपोर्टिंग के विवरण के अनुसार
	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	9,569.36	449.09	**10,018.45**	10,018.45	–	–	**10,018.45**
राजमार्ग	2,022.04	125.48	**2,147.52**	1,923.98	223.54	–	**2,147.52**
विद्युत	–	–	**-**	–	–		**-**
भवन	79.21	–	**79.21**	79.21	–		**79.21**
अन्य	38.72	–	**38.72**	38.72	–	47.00	**85.72**
कुल	**11,709.33**	**574.57**	**12,283.90**	**12,060.36**	**223.54**	**47.00**	**12,330.90**

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से 12107.36 करोड़ रुपए समयावधि में तथा 223.54 करोड़ रुपए समय–समय पर मान्यता प्राप्त है।

(₹ करोड़ में)

उत्पाद या सेवा का प्रकार	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए						
	भारतीय लेखा मानक 115 के अनुसार राजस्व			प्रदर्शन दायित्व को मापने की विधि		अन्य राजस्व	कुल लाभ और हानि /खंड रिपोर्टिंग के विवरण के अनुसार
	घरेलू	अंतरराष्ट्रीय	कुल	इनपुट विधि	आउटपुट विधि		
रेलवे	8,900.71	406.91	**9,307.62**	9,307.62	–	5.84	**9,313.46**
राजमार्ग	818.82	–	**818.82**	620.37	198.45	–	**818.82**
विद्युत	–	–	**-**	–	–		**-**
भवन	165.23	–	**165.23**	165.23	–		**165.23**
अन्य	22.97	–	**22.97**	22.97	–	47.45	**70.42**
कुल	**9,907.73**	**406.91**	**10,314.64**	**10,116.19**	**198.45**	**53.29**	**10,367.93**

वर्ष के दौरान भारतीय लेखा मानक 115 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त कुल राजस्व में से 10116.19 करोड़ रुपए समयावधि में तथा 198.45 करोड़ रुपए समय–समय पर मान्यता प्राप्त है।

ख. समूह ने भारतीय लेखा मानक 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के अनुप्रयोग के लिए संशोधित पूर्वव्यापी दृष्टिकोण लागू किया है और 1 अप्रैल, 2018 तक प्रतिधारित आय पर इसका प्रभाव शून्य है।

ग. अनुबंध शेष

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
व्यापार प्राप्य (नोट 14.2)	**803.33**	**863.83**
अनुबंध परिसंपत्तियाँ (नोट 10.3 और 14.6)	**3,906.97**	**2,816.55**
अनुबंध देयताएँ (नोट 22 और 24)	**3,056.91**	**3,574.49**

(i) व्यापार प्राप्तियां ब्याज रहित हैं और ग्राहक प्रोफ़ाइल में रेल मंत्रालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, भारत और विदेश में राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियाँ शामिल हैं। समूह का औसत परियोजना निष्पादन चक्र लगभग 24 से 36 महीने का है। सामान्य भुगतान शर्तों में मोबिलाइज़ेशन एडवांस, 45 से 60 दिनों की क्रेडिट अवधि के साथ मासिक प्रगति भुगतान शामिल हैं।

(ii) अनुबंध परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जो ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल के लिए समूह के अधिकार को दर्शाती हैं। इसमें निर्माणाधीन अनुबंधों के तहत ग्राहकों से बकाया राशि शामिल है जो तब उत्पन्न होती है जब समूह अनुबंधों की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करता है, हालाँकि राजस्व को इनपुट पद्धति के तहत अवधि में मान्यता दी जाती है। अनुबंध परिसंपत्ति के रूप में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि को संलग्न शर्त यानी भविष्य की सेवा की संतुष्टि पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जो बिलिंग मील का पत्थर हासिल करने के लिए आवश्यक है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

वर्ष के दौरान अनुबंध शेष में उतार–चढ़ाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध परिसंपत्ति	2,816.55	2,251.53
वर्ष के अंत में अनुबंध परिसंपत्ति	3,906.97	2,816.55
निवल वृद्धि / कमी	**1,090.42**	**565.02**

वर्ष 2023–24 और 2022–23 के लिए – पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 1090.42 करोड़ और ₹ 565.02 करोड़ की निवल वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण इनपुट पद्धति के आधार पर राजस्व की मान्यता है, जबकि किए गए कार्य के बिल अनुबंध की शर्तों के आधार पर प्रमाणित किए जाते हैं।

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के दौरान, 1 अप्रैल, 2023 और 1 अप्रैल 2022 तक क्रमशः 966.85 करोड़ रुपये और 31 मार्च 2023 को 1021.14 करोड़ रुपये की अनुबंध परिसंपत्तियों को मील के पत्थर पूरा होने पर ग्राहकों को बिलिंग करने पर व्यापार प्राप्य के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

(iii) निर्माण अनुबंधों से संबंधित अनुबंध देयताएं ग्राहकों को देय शेष राशि हैं, ये तब उत्पन्न होती हैं जब एक विशेष मील का पत्थर भुगतान इनपुट पद्धति के तहत आज तक मान्यता प्राप्त राजस्व और दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों में प्राप्त अग्रिम राशि से अधिक होता है। ग्राहक को चालान किए जाने पर प्राप्त अग्रिम राशि निर्माण अवधि में समायोजित हो जाती है।

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देयताएँ	3,574.49	3,523.29
वर्ष के अंत में अनुबंध देयताएँ	3,056.91	3,574.49
निवल वृद्धि / कमी	**(517.58)**	**51.20**

वर्ष 2023–24 और 2022–23 के लिए – पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः ₹ 517.58 करोड़ की निवल कमी और ₹ 51.20 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ग्राहक से प्राप्त अग्रिम के कारण है।

घ. निम्नलिखित से प्राप्त राजस्व की राशि नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
वर्ष की शुरुआत में अनुबंध देयताओं में शामिल राशि	3,020.60	**2,124.68**
पिछले वर्षों में निष्पादित दायित्व की पूर्ति	-	**-**

ङ अनुबंध प्राप्त करने की लागत

31 मार्च, 2024 तक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त राशि ₹ शून्य है (31 मार्च, 2023 तक: ₹ शून्य)

वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त परिशोधन की राशि ₹ शून्य है (वित्त वर्ष 2022–23: ₹ शून्य)

च. प्रदर्शन दायित्व

समूह के प्रदर्शन दायित्वों के बारे में जानकारी नीचे संक्षेप में दी गई है

31 मार्च तक शेष प्रदर्शन दायित्वों (असंतुष्ट या आंशिक रूप से असंतुष्ट) को आवंटित लेनदेन मूल्य निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
एक वर्ष के भीतर	12708	10300
एक वर्ष से अधिक से 2 वर्ष तक	8594	10700
2 वर्ष से अधिक	7536	14665
कुल	**28838.00**	**35665.00**

सेवा रियायत व्यवस्था

सार्वजनिक से निजी सेवा रियायत व्यवस्था को परिशिष्ट ''ग'' – सेवा रियायत व्यवस्था (इंड एएस–115) के अनुसार दर्ज किया जाता है। परिशिष्ट षाष तब लागू होता है जब:

क) अनुदानकर्ता नियंत्रित या विनियमित करता है कि ऑपरेटर को बुनियादी ढांचे के साथ कौन सी सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, किसे प्रदान करनी चाहिए और किस कीमत पर; और

ख) अनुदानकर्ता स्वामित्व, लाभकारी अधिकार या अन्यथा के माध्यम से व्यवस्था की अवधि के अंत में बुनियादी ढांचे में किसी भी महत्वपूर्ण अवशिष्ट हित को नियंत्रित करता है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

यदि उपर्युक्त दोनों शर्तें एक साथ पूरी होती हैं, तो वित्तीय परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक ऑपरेटर के पास सेवा के लिए अनुदानकर्ता से या उसके विवेक पर नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का बिना शर्त संविदात्मक अधिकार है।

इन वित्तीय परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसे प्रदान की गई सेवा के उचित मूल्य के साथ–साथ संचालन के लिए सीधे जिम्मेदार अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में समझा जाता है। फिर उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिशोधित लागत पर बताया जाता है या

अमूर्त परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां तक ऑपरेटर को सार्वजनिक सेवा के उपयोगकर्ताओं से शुल्क लेने का अधिकार प्राप्त होता है, बशर्ते कि ये शुल्क इस बात पर सशर्त हों कि सेवा का उपयोग किस सीमा तक किया गया है।

इन अमूर्त परिसंपत्तियों को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसे प्रदान की गई सेवा के उचित मूल्य के साथ–साथ संचालन से सीधे संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागतों के रूप में समझा जाता है। फिर उन्हें रियायत की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

समूह ने अनुबंध की शर्तों के अनुसार माइलस्टोन पूरा होने पर एनएचएआई से देय प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2024 को समाप्त अवधि तक सेवा रियायत समझौते के तहत **1437.64 करोड़ रुपये** (1349.78 करोड़ रुपये) की वित्तीय संपत्ति को मान्यता दी है। समूह ने "ग्राहकों से राजस्व" से संबंधित इंड एएस – 115 के अनुसार एससीए के तहत सड़क निर्माण पर 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए 1883.05 करोड़ रुपये (550.97 करोड़ रुपये) का राजस्व और **27.75 करोड़ रुपये** (0.21) का लाभ मान्यता दी है। समूह ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत प्राप्य को मान्यता दी है और अन्य वित्तीय चालू परिसंपत्तियों के तहत दिखाया है जो इसे 31 मार्च 2024 तक माइलस्टोन पूरा होने के आधार पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्राप्त होगा।

समूह ने सेवा रियायत समझौते के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर **2.86 करोड़ रुपये** (33.07 करोड़ रुपये) का राजस्व मान्यता दी है। समूह ने सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण पर लाभ के रूप में ₹ शून्य ₹ शून्य) मान्यता दी है। सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में मान्यता प्राप्त राजस्व सेवा रियायत व्यवस्था के तहत अमूर्त परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए प्रदान की गई सेवाओं के उचित मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। समूह ने टोल सड़कों के संचालन से **223.54 करोड़ रुपये** (196.32 करोड़ रुपये) का राजस्व मान्यता दी है।

44. पट्टे

क) पट्टे का समूह

पट्टेदार के रूप में समूह ने विभिन्न पट्टा अनुबंधों में प्रवेश किया है, जिसमें भूमि, कार्यालय स्थान, गेस्ट हाउस और वाहनों का पट्टा शामिल है। भारतीय लेखा मानक 116 को अपनाने से पहले, समूह ने अपने प्रत्येक पट्टे (पट्टेदार के रूप में) को आरंभिक तिथि पर या तो वित्त पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया था।

परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार

वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त उपयोग–अधिकार परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि और गतिविधियों का उल्लेख नोट 8 में किया गया है।

पट्टा देयताएं

नीचे वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त पट्टा देयताओं की अग्रणीत राशि तथा उनमें होने वाले परिवर्तन दर्शाए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
1 अप्रैल, 2023 को शेष राशि	0.51	0.16
संस्करण	3.32	0.34
ब्याज की मान्यता	0.28	0.02
भुगतान	(0.87)	(0.01)
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	**3.24**	**0.51**
चालू	**0.72**	**0.09**
गैर–चालू	**2.52**	**0.42**

लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशियाँ

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण नोट – 33 वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों और वित्तीय देयताओं की परिपक्वता के तहत नीतियों में शामिल है।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास व्यय (नोट 31 देखें)	1.13	0.38
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय (नोट 30 देखें)	0.28	0.02
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट 28 (iii) देखें)	7.03	5.67
	8.44	**6.07**

समूह के पास कई लीज़ अनुबंध हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। इन विकल्पों पर प्रबंधन द्वारा बातचीत की जाती है और ये समूह की व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप होते हैं। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किया जाना उचित रूप से निश्चित है।

विस्तार और समाप्ति विकल्पों की प्रयोग तिथि के बाद की अवधि से संबंधित बिना छूट वाले संभावित भावी किराये के भुगतान निम्नलिखित हैं, जो पट्टे की अवधि में शामिल नहीं हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पांच वर्षों के अंतर्गत	पांच वर्षों से अधिक	कुल
विस्तार विकल्पों का प्रयोग न किए जाने की उम्मीद	-	-	-
समाप्ति विकल्पों का प्रयोग किए जाने की उम्मीद	-	-	-
	-	**-**	**-**

ख) पट्टादाता के रूप में समूह

समूह ने भवन, संयंत्र एवं मशीनरी तथा एमएफसी को परिचालन पट्टे के तहत दिया है, जिसे संबंधित समझौतों के अनुसार उचित नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(i) कंपनी ने विभिन्न उप–पट्टेदारों को 23 एमएफसी उप–पट्टे पर दिए हैं, जिनमें से 7 एमएफसी अर्थात् तिरुवल्ला, राजगीर, मैसूर, कन्नूर, हैदराबाद, बिलासपुर, इंदौर, मदुरै और जोधपुर के उप–पट्टे समझौते 31.03.2024 को समाप्त हो गए हैं। इन 7 समाप्त एमएफसी में से, तिरुवल्ला और राजगीर नामक दो एमएफसी की पट्टे पर दी गई संपत्तियां वर्ष 2019–20 में आरएलडीए को वापस कर दी गईं।

31.03.2024 तक समाप्त एमएफसी से प्राप्तियों के विरुद्ध प्रावधान के रूप में ₹ **24.77 करोड़** (31.03.2023 ₹ 24.13 करोड़) की राशि को मान्यता दी गई है। शेष एमएफसी और कंपनी के अन्य देनदारों के लिए 31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए खाता पुस्तकों में ईसीएल पद्धति के सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार ₹ **2.54 करोड़** (31.03.2023 तक ₹ 3.96 करोड़) के संदिग्ध ऋण का प्रावधान मान्यता दी गई है।

(ii) समूह ने परिचालन पट्टे के तहत इमारतें दी हैं। पट्टे की व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में कुल **23.21 करोड़ रुपये** (14.18 करोड़ रुपये) की पट्टा आय को मान्यता दी गई है।

(iii) समूह ने मशीनरी को परिचालन पट्टे पर दिया है। पट्टे की व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि विवरण में कुल **0.20 करोड़ रुपये** (4.55 करोड़ रुपये) की पट्टा आय को मान्यता दी गई है।

(iv) समूह ने एनएचएआई के साथ सेवा रियायत व्यवस्था की शर्तों के अंतर्गत टोल रोड से सटे एक सीमांकित क्षेत्र को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड (एचपीसीएल) द्वारा संचालित किए जाने वाले पेट्रोल पंप के लिए पट्टे पर दिया है तथा विश्राम क्षेत्र का पट्टा और संचालन सिनर्जी इंजीनियर्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। पट्टे के भुगतान के रूप में एचपीसीएल से **0.19 करोड़ रुपये** (0.18 करोड़ रुपये) और सिनर्जी से **0.22 करोड़ रुपये** (0.20 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त हुई।

गैर–रद्द करने योग्य परिचालन पट्टों के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भविष्य के न्यूनतम किराये निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2024 तक	31 मार्च, 2023 तक
एक वर्ष के भीतर		
डिमैक्रेटेड एरिया	0.25	0.41
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	16.89	14.16
बिल्डिंग	4.41	1.65
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष से अधिक नहीं		
डिमैक्रेटेड एरिया	0.90	0.91
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	75.13	77.98
बिल्डिंग	28.37	35.57
पांच वर्ष से अधिक		
डिमैक्रेटेड एरिया	1.92	2.17
मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स	459.48	389.22
बिल्डिंग	34.50	30.06

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

45. अन्य नियामक प्रकटीकरण

(क) समूह का चालू वर्ष और पिछले वर्ष में बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेन–देन नहीं है।

(ख) समूह के पास ऐसा कोई प्रभार या संतुष्टि नहीं है जिसे चालू वर्ष और पिछले वर्ष में वैधानिक अवधि के बाद आरओसी के साथ पंजीकृत किया जाना है।

(ग) समूह ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया है।

(घ) समूह ने किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(ओं) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं (मध्यस्थ) शामिल हैं, इस समझ के साथ अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:

  क) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना (अंतिम लाभार्थी) या

  ख) अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई सुविधा प्रदान करना

(ङ) समूह ने किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं (वित्तपोषण पक्ष) शामिल हैं, कोई निधि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा) कि समूह चालू वर्ष और पिछले वर्ष में:

  क) फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देना या निवेश करना, या

  ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना

(च) समूह के पास ऐसा कोई लेन–देन नहीं है जो लेखा पुस्तकों में दर्ज न हो, जिसे बाद में आयकर अधिनियम, 1961 के तहत चालू वर्ष और पिछले वर्ष में चल रहे कर निर्धारण (जैसे, तलाशी या सर्वेक्षण या आयकर अधिनियम, 1961 के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान) के भाग के रूप में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।

(छ) समूह के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जहां चालू वर्ष और पिछले वर्ष में किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

(ज) समूह को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा चालू वर्ष और पिछले वर्ष में जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(झ) समूह ने चालू वर्ष और पिछले वर्ष में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन किया है।

(ञ) समूह को 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्षों के दौरान कोई अनुदान या दान नहीं मिला है, केवल चालू वित्त वर्ष के दौरान इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड से प्राप्त 112.35 करोड़ रुपये के अनुदान को छोड़कर।

46. चालू उद्घोषणा

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित भारतीय लेखा मानक में संशोधन करने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2023 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए हैं, जो 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद शुरू होने वाली वार्षिक अवधि के लिए प्रभावी हैं। कंपनी ने पहली बार इन संशोधनों के लिए आवेदन किया:

(i) लेखांकन अनुमानों की परिभाषा दृ भारतीय लेखा मानक 8 में संशोधन

संशोधनों में लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन, लेखांकन नीतियों में परिवर्तन और त्रुटियों के सुधार के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि संस्थाएं लेखांकन अनुमान विकसित करने के लिए मापन तकनीकों और इनपुट का उपयोग कैसे करती हैं।

संशोधनों का कंपनी के वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ii) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण – भारतीय लेखा मानक 1 में संशोधन

संशोधनों का उद्देश्य संस्थाओं को लेखांकन नीति प्रकटीकरण प्रदान करने में सहायता करना है जो कि अधिक उपयोगी हैं। इसके लिए संस्थाओं के लिए अपनी 'महत्वपूर्ण' लेखांकन नीतियों को प्रकट करने की आवश्यकता को उनकी 'महत्वपूर्ण' लेखांकन नीतियों को प्रकट करने की आवश्यकता से प्रतिस्थापित किया गया है तथा इस बारे में मार्गदर्शन जोड़ा गया है कि संस्थाएं लेखांकन नीति प्रकटीकरणों के बारे में निर्णय लेने में भौतिकता की अवधारणा को कैसे लागू करती हैं। संशोधनों का कंपनी की लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण पर प्रभाव पड़ा है, लेकिन कंपनी के वित्तीय विवरणों में किसी भी मद के मापन, मान्यता या प्रस्तुति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(iii) एकल लेनदेन से उत्पन्न परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित आस्थगित कर – भारतीय लेखा मानक 12 में संशोधन

संशोधनों ने भारतीय लेखा मानक 12 के अंतर्गत प्रारंभिक मान्यता अपवाद के दायरे को सीमित कर दिया है, ताकि यह अब उन लेनदेन पर लागू न हो जो पट्टे जैसे समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतरों को आधार देते हैं।

इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, कंपनी को अपनी पट्टा देनदारियों के संबंध में एक अलग आस्थगित कर परिसंपत्ति और अपने उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के संबंध में एक आस्थगित कर देयता को मान्यता देनी होगी।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

47. अन्य प्रकटीकरण

(क) (i) होल्डिंग कंपनी मूल्यांकन वर्ष 2000–01 से मूल्यांकन वर्ष 2019–20 तक धारा 80आईए के तहत कटौती का दावा करती रही है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने धारा 80 आईए के तहत कटौती की अनुमति दी है। हालांकि, आयकर विभाग ने मूल्यांकन वर्ष 2000–01 के लिए आईटीएटी के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की है। मूल्यांकन वर्ष 2019–20 तक कंपनी डीटीएए समझौतों के अनुसार आय को छोड़कर भारत में कर के लिए वैश्विक आय की पेशकश कर रही थी, जहां विदेशी देशों से अर्जित आय को कराधान के लिए पेश की गई वैश्विक आय से बाहर रखा जाता है। होल्डिंग कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2005–06 तक बहिष्करण पद्धति की अनुमति थी, उसके बाद विभाग द्वारा वैश्विक आय पर गणना किए गए करों से विदेशों में भुगतान किए गए करों के खिलाफ क्रेडिट की अनुमति दी गई है।

(ii) आयकर प्राधिकारियों से प्राप्त अनुकूल आदेशों के कारण पिछले वर्षों के आयकर प्रावधान को वापस ले लिया गया है/आयकर व्यय को शून्य (78.53 करोड़ रुपए) कर दिया गया है।

(ख) समूह के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों और अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष कुछ अन्य मामले लंबित हैं, जिनमें कुछ ठेकेदारों द्वारा लागत प्लस परियोजनाओं में दावों के कारण मुकदमेबाजी की गई है। ऐसे मामलों में, समूह अनुबंध की शर्तों के अनुसार ग्राहकों से पूर्ण प्रतिपूर्ति की परिकल्पना करता है और संसाधनों के किसी आर्थिक बहिर्वाह की अपेक्षा नहीं करता है। इस संबंध में, ₹ 1702.41 करोड़ (₹ 1984.19 करोड़) का कुल दावा मुकदमेबाजी में है, जिसके लिए ₹ शून्य (₹ 6.59 करोड़) का प्रावधान किया गया है, जिसे ग्राहक द्वारा प्रतिपूर्ति की गई है। होल्डिंग कंपनी ने ठेकेदारों पर ₹ 120.64 करोड़ (₹ 340.09 करोड़) का प्रतिदावा भी किया है। दावों पर ब्याज पर विचार नहीं किया गया है, क्योंकि यह अनिश्चित है।

(ग) माननीय उच्च न्यायालय ने यूपी–05, उरई राजमार्ग परियोजना के लिए एनएचएआई के खिलाफ 97.96 करोड़ रुपये की राशि के मध्यस्थता पुरस्कार को समतुल्य राशि की बैंक गारंटी जमा करने पर जारी करने की अनुमति दी है। समूह ने न्यायालय के अंतिम निर्णय तक समतुल्य राशि की देयता प्रदान की है।

(घ) समूह के पास बैंकों और अन्य पक्षों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली है। जहाँ तक व्यापार/अन्य देयताओं और ऋण और अग्रिमों का संबंध है, पार्टियों को शेष राशि की पुष्टि के पत्र भेजे गए थे। कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देयताओं के शेष राशि की पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन हैं। समाधान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। हालाँकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टि/समाधान से कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

(ङ) प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा गैर–चालू निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों का मूल्य, व्यवसाय के सामान्य क्रम में वसूली पर, उस मूल्य से कम नहीं होगा जिस पर इनका उल्लेख बैलेंस शीट में किया गया है।

(च) चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलना बढ़ाने के लिए तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों में कुछ पुनर्वर्गीकरण और पुनर्रचना की गई है। इन पुनर्वर्गीकरणों का परिचालन के रिपोर्ट किए गए परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(छ) पिछले वर्ष के आंकड़े चालू वर्ष के आंकड़ों से अलग करने के लिए कोष्ठक () के अंतर्गत दिखाए गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

48. 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार अतिरिक्त जानकारी।

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ, अर्थात कुल परिसंपत्तियाँ हानि देयताएँ		लाभ या (हानि) में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित निवाल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित निवाल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)
मूल कंपनी								
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	60.99%	3,602.36	85.04%	790.50	96.23%	(0.51)	85.04%	789.99
सहायक								
इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	0.69%	40.97	-0.69%	(6.39)	0.00%	-	-0.69%	(6.39)
इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	2.36%	139.44	-0.83%	(7.75)	0.00%	-	-0.83%	(7.75)
इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	4.18%	247.17	2.57%	23.88	0.00%	-	2.57%	23.88
इरकॉन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड	2.99%	176.62	0.96%	8.88	1.89%	(0.01)	0.95%	8.87
इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेस वे लिमिटेड	5.69%	336.32	5.18%	48.12	0.00%	-	5.18%	48.12
इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	1.63%	96.21	0.45%	4.14	0.00%	-	0.45%	4.14
इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड	1.55%	91.58	-0.03%	(0.31)	0.00%	-	-0.03%	-0.31
इरकॉन अकोली– शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड	1.07%	63.09	0.76%	7.07	0.00%	-	0.76%	7.07
इरकॉन लुधियाना रूपनगर हाईवे लिमिटेड	**1.01%**	**59.43**	**0.16%**	**1.53**	**0.00%**	**-**	**0.16%**	**1.53**
इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड	1.14%	67.34	1.17%	10.91	0.00%	-	1.17%	10.91
इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड	**1.45%**	**85.90**	**0.29%**	**2.71**	**0.00%**	**-**	**0.29%**	**2.71**
कुल सहायक कंपनियाँ		**1,404.07**		**92.79**		**(0.01)**		**92.78**
सहायक कंपनियों में गैर–नियंत्रक हित	**0.60%**	**35.17**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**	**0.00%**	**-**
सहायक कंपनियों की निवल राशि		**1,439.24**		**92.79**	**0.00%**	**(0.01)**		**92.78**

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए

संस्था का नाम	निवल परिसंपत्तियाँ, अर्थात कुल परिसंपत्तियाँ हानि देयताएँ		लाभ या (हानि) में शेयर		अन्य व्यापक आय में शेयर		कुल व्यापक आय में शेयर	
	समेकित निवाल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित निवाल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)	समेकित लाभ या हानि के प्रतिशत के रूप में	राशि (करोड़ रूपये में)
संयुक्त उद्यम कंपनियों								
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.29%	76.42	0.03%	0.30	0.00%	-	0.03%	0.30
छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	3.15%	185.87	-2.58%	(24.01)	0.00%	-	-2.58%	(24.01)
छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	3.55%	209.67	-0.01%	(0.06)	0.00%	-	-0.01%	(0.06)
इरकॉन – सोमा टोलवे प्राइवेट लिमिटेड	1.35%	79.78	7.32%	68.05	1.89%	(0.01)	7.32%	68.04
झारखंड सेंट्रल रेल लिमिटेड	2.42%	143.14	0.07%	0.65	0.00%	-	0.07%	0.65
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	1.86%	109.73	-0.04%	(0.41)	0.00%	-	-0.04%	(0.41)
भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड	1.01%	59.89	0.18%	1.70	0.00%	-	0.18%	1.70
कुल संयुक्त उद्यम		**864.50**		**46.22**		**(0.01)**		**46.21**
निवल कुल	**100%**	**5,906.10**	**100%**	**929.51**	**100%**	**(0.53)**	**100%**	**928.98**

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

रमेश सी अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फॉर्मरजि.सं. : 001770C

ह./–
संजय अग्रवाल
भागीदार
सदस्य सं. 072867

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 21 मई, 2024

निदेशक मंडल के निमित्त और उनकी ओर से

ह./–
रागिनी आडवाणी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–09575213

ह./–
आशीष बंसल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ
डीआईएन–10328174

ह./–
बी. मुगुंथन
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह./–
प्रतिभा अग्रवाल
कंपनी सचिव
एफसीईएस सं. 8874

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 01 जुलाई 2024 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 21 मई 2024 की अपनी पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अधिक्रमित करता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 01 जुलाई 2024 की अपनी संशोधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है, जो 21 मई 2024 की अपनी पूर्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अधिक्रमित करता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में किए गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, पूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियों को प्रभावी करने के लिए, मुझे अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर या पूरक देने के लिए कोई और टिप्पणी नहीं है।

भारत के नियंत्रक एवं माहलेखापरीक्षक के निमिन्त और उनकी ओर से

ह./–
डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
महानिदेशक लेखापरीक्षा
रेलवे वाणिज्य, नई दिल्ली

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.07.2024

परिशिष्ट– I

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की सूची, जिनके लिए वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (4) के साथ धारा 143 (6) (क) के तहत पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की गई थी।

सहायक कंपनी

1. सहायक कंपनियां
2. इरकॉन रिन्यूएबल पावर लिमिटेड
3. इरकॉन अकलोली–शिरसाद एक्सप्रेसवे लिमिटेड
4. इरकॉन लुधियाना– रूपनगर हाईवे लिमिटेड
5. इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड।
6. इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड

संयुक्त उद्यम

1. महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)।
2. झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआर)।
3. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल)।
4. छत्तीसगढ़ ईस्ट–वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लूआरएल)।

हा./–
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समन्वय)
(रेलवे वाणिज्यिक)

परिशिष्ट– II

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली की सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त उद्यमों की सूची, जिनके लिए वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ धारा 143 (6) (क) के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की गई थी।

सहायक कंपनी

1. इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड।
2. इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड।
3. इरकॉन हरिद्वार बाईपास लिमिटेड।
4. इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड।
5. इरकॉन भोज मोरबे एक्सप्रेसवे लिमिटेड।
6. इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज लिमिटेड।

संयुक्त उद्यम

1. भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम लिमिटेड (आईआरएसडीसी)
2. बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड (बीआरपीएल)।

हा./–
वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी (समन्वय)
(रेलवे वाणिज्यिक)

नोट

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

IRCON INTERNATIONAL LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

Regd. Office: C-4, District Centre, Saket, New Delhi-110017
CIN : L45230DL1976GOI008171 Website: www.ircon.org Phone : +91-11-29565666, Fax: +91-11-26522000

Designed & Painting by SHARAD ADVERTISING